सप्तम माला, खंड 45 अंक 16 बुधवार, 14 मार्च फाल्गुन, 1905 (शक)

Chakra,
Usha Jain

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी-संस्करण

(चौदहवां सत्र)

7th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

(खंड 45 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य: चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

बुधवार, 14 मार्च, 1984/24 फाल्गुन, 1905 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

विषय सूची, पृष्ठ 2, पंक्ति 6, "श्री विलास सूतेमवार" के स्थान पर
"श्री विलास मुतेमवार" पढ़िये ।

विषय सूची, पृष्ठ 3, पंक्ति 15, "देसिन" के स्थान पर "बेसिन" पढ़िये ।

विषय सूची, पृष्ठ 4, पंक्ति 4, "तथा" के पश्चात् "।" पढ़िये ।

पृष्ठ 21, पंक्ति 3, "निकंमर" के स्थान पर "निरंतर" पढ़िये ।

पृष्ठ 28, पंक्ति 22, "रानीति" के स्थान पर "राजनीति" पढ़िये ।

पृष्ठ 69, पंक्ति 30, "अरबनडेपलमेंट" के स्थान पर "अरबन डेवलपमेंट" पढ़िये

पृष्ठ 75, पंक्ति 10, "पुर्वेनलन" के स्थान पर "पुनर्बेलन" पढ़िये ।

पृष्ठ 89, पंक्ति 23, "श्रीमती रासदुलारी सिन्हा" के स्थान पर
"श्रीमती रामदुलारी सिन्हा" पढ़िये ।

पृष्ठ 90, पंक्ति 4, "श्री मोहम्मत असरार अहमद" के स्थान पर
"श्री मोहम्मद असरार अहमद" पढ़िये ।

पृष्ठ 180, पंक्ति 2, "श्री चपुर्भुज" के स्थान पर "श्री चतुर्भुज" पढ़िये ।

पृष्ठ 181, पंक्ति 8, "श्री छीतूभाई गामिल" के स्थान पर
"श्री छीतूभाई गामित" पढ़िये ।

पृष्ठ 218, पंक्ति 26 और 28 को इस प्रकार पढ़े :

"श्री मनीराम बागड़ी : आप उनसे कहें ।

अध्यक्ष महोदय : मैं परसों के लिए ध्यानाकर्षण की स्वीकृति दे रहा हूं।

पृष्ठ 219, पंक्ति 15, "अध्यक्ष महोदय" के स्थान पर "अध्यक्ष महोदय" पढ़िये

पृष्ठ 262, पंक्ति 32, "पीठासनी" के स्थान पर "पीठासीन" पढ़िये ।

पृष्ठ 281, पंक्ति 30, "वभापति" के स्थान पर "सभापति" पढ़िये ।

पृष्ठ 316, पंक्ति 25, "प्रो० अजिता कुमार मेहता" के स्थान पर "प्रो० अजित कुमार मेहता" पढ़िये ।

पृष्ठ 336, पंक्ति 4, "अध्यक्ष" के स्थान पर "उपाध्यक्ष" पढ़िये ।

पृष्ठ 338, पंक्ति 6, "समस्य" के स्थान पर "सदस्य" पढ़िये ।

विषय-सूची

सप्तम माला, खण्ड 45, चौदहवां सत्र, 1984/1905 (शक)

अंक 16, बुधवार 14 मार्च, 1984/24 फाल्गुन, 1905 (शक)

विषय			पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर			
*तारांकित प्रश्न संख्या : 243, 244 और 247		...	1-20
प्रश्नों के लिखित उत्तर :			
*तारांकित प्रश्न संख्या :	248, 249 और 251 से 262	...	20-30
अतारांकित प्रश्न संख्या :	2795 से 2861, 2863 से 2920 2922 से 2927, 2929 से 2965 2967 से 3001 और 3003 से 3029	...	30-219
सभा-पटल पर रखे गये पत्र		...	219-222
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति			
70 वां प्रतिवेदन—प्रस्तुत किया गया		....	222
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति			
आठवां प्रतिवेदन—प्रस्तुत किया गया		...	222-223
नियम 377 के अधीन मामले			
(एक) दिल्ली में परिवहन व्यवस्था के लिए भावी योजना बनाने की आवश्यकता			
श्री भीखाभाई		...	223-224

* किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

(दो) बंगलादेश से आए शरणार्थियों का पुनर्वास

श्री जायनल अबेदिन 225

(तीन) केरल को और अधिक चावल का आवंटन

प्रो० पी० जे० कुरियन ... 225

(चार) देश में शिक्षा नीति में परिवर्तन करने की आवश्यकता

श्री विलास सुतेमवार ... 226

(पांच) कोटा तथा बूंदी (राजस्थान) में सूख रही फसलों की सिचाई करने के लिये नहरों में और अधिक पानी छोड़ने की मांग

श्री कृष्ण कुमार गोयल ... 226

(छः) वन अधिनियम, 1980 में संशोधन करने की आवश्यकया

श्री हरीश रावत ... 226-227

सामान्य बजट, 1984-85—सामान्य चर्चा

श्री मधुसूदन बैराले ... 227-234

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी ... 235-239

श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार ... 234-242

श्री एफ० एच० मोहसिन ... 242-246

श्री रिजक राम ... 246-251

श्री चित्त बसु ... 251-255

श्रीमती जयंती पटनायक ... 255-259

श्री चिरंजी लाल शर्मा ... 260-264

श्री चन्द्रजीत यादव ... 265-269

श्री एडुआर्डो फैलोरो ... 269-272

श्रीमती केशरबाई क्षीरसागर ... 272-276

श्री के०पी० उन्नीकृष्णन् ... 276-299

श्री अब्दुल रशीद काबुली ... 279-301

श्री ए. के. राय ... 282-284

श्री प्रणव मुखर्जी ... 284-302

लेखानुदानों की मांगें (सामान्य), 1984-85 ... 302-308

विनियोग (लेखानुदान) विधेयक

पुर: स्थापित करने के लिये प्रस्ताव ... 308

श्री प्रणव मुखर्जी

विचार करने के लिये प्रस्ताव

श्री प्रणव मुखर्जी ... 315

श्री रामावतार शास्त्री ... 315

प्रो० अजीत कुमार मेहता ... 315

खंड 2 से 4 तथा 1

पास करने का प्रस्ताव के लिये

श्री प्रणव मुखर्जी ... 316

गोदावरी तट पर नये स्थान पर गैस मिलने और कैम्बे बेसिन में गांधार में तेल तथा गैस मिलने के बारे में वक्तव्य

श्री पी. शिवशंकर ... 317-318

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), 1983-84

और

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1981-82

श्री अजय विश्वास ... 323-329

प्रो० अजीत कुमार मेहता ... 329-334

श्री एस. एम. कृष्ण ... 330-334

विनियोग विधेयक, 1984

पुर: स्थापित विचार करने के लिये प्रस्ताव ... 335

श्री एस. एम. कृष्ण

खंड 2, 3 तथा ।

पास करने के लिए प्रस्ताव

श्री एस. एम. कृष्ण ... 333-336

विनियोग (संख्यांक 2)-विधेयक, 1984

पुर: स्थापित विचार करने के लिये प्रस्ताव

श्री एस. एम. कृष्ण ... 336

खंड 2, 3 तथा

पास करने के लिये प्रस्ताव

श्री एस० एम० कृष्ण ... 337-338

लोक सभा

बुधवार, 14 मार्च, 1984/24 फाल्गुन, 1905 (शक)

लोक सभा 11.2 बजे समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के सम्बन्ध में किया गया अध्ययन

* 243 **मनी राम बागडी** † :

श्री त्रिलोक चन्द : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों में, खासतौर पर उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, उड़ीसा और हरियाणा में, अनुसूचित जातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास का पता करने के लिए सरकार द्वारा कोई अध्ययन किया गया है :

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और अनुसूचित जातियों के कितने प्रतिशत परिवार पूरी तरह गरीबी में जीवन बिता रहे हैं और गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बिता रहे समुदाय का अनुपात क्या है : और

(ग) उनकी सामाजिक-आर्थिक दशा सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) सामान्य रूप से यह मालूम हुआ है कि अनुसूचित जातियों की बड़ी संख्या आर्थिक रूप से अत्यधिक वंचित है। राज्यों ने छठी योजना में बनाई गई संघटक योजना की नीति अपनाई हैं और गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के अनुपात तथा सख्या का अनुमान लगाया है। अधिकांश राज्यों में अनुसूचित जातियों की समस्त जनसंख्या को गरीबी की रेखा से नीचे माना गया है।

इस मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश के कुछ खण्डों में एक अध्ययन आयोजित किया गया है और रिपोर्ट के प्रारूप की जाँच की जा रही है।

(ग) राज्यों में, उनकी विशेष संघटक योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष विभिन्न विकास कार्यक्रम तैयार तथा क्रियान्वित किये जाते हैं। इस प्रयास के लिये केन्द्र सरकार द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता भी दी जाती है।

श्री मनीराम बागडी : अध्यक्ष जी, असल में यह जवाब गोल मटोल दिया है क्योंकि इसमें कोई आंकड़े नहीं दिये गये हैं, कोई बुनियादी जवाब नहीं है, गरीबी की रेखा से कितने नीचे है, क्या रेखा है यह कुछ नहीं बताया गया। जो 3 आने, 15 आने वाली डा० लोहिया की बहस चली थी उस वक्त भाव क्या थे और आज क्या हैं, कितनी खुराक कम से कम एक प्राणी को मिलनी चाहिये गांव के और शहर के, जैसे आप हैं मंत्री और दूसरा हो संतरी या गांव में काम करने वाला उसकी खुराक और आमदन क्या हो उसका कुछ पता नहीं। आमदन उसकी ज्यादा जो कम काम करे और खुराक की जरूरत उसको जो ज्यादा काम करे .....

इन अन्तरों के, बुनियादी सवालों को.....

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : मेरे मूल जवाब में कुछ और जोड़ा जाना था।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह सोच रहा था कि अगर श्रीमती रामदुलारी सिन्हा ने आंकड़े देने शुरू कर दिये तो सारा सवाल हो जायेगा।

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं आंकड़ों के जंजाल को साफ करना चाहता हूं कि पर-कैपिटा का मतलब क्या है ? बिरला की आमदनी और एक अति गरीब की आमदनी, दोनों पर-कैपिटा में बराबर आती है। खेत पर काम करने वाले की आमदनी और मैनेजर या आपके चेयरमैन की आमदनी पर-कैपिटा में बराबर आती है। दोनों उसमें शामिल होती हैं। जिसको 49 परसैंट या 48 परसैंट भोजन मिले उसे भी और जिसे 2 परसैंट भोजन मिले उसे भी आप एक ही श्रेणी में लेते हो। मैं जानना चाहता हूं कि बिलो-पावर्टी का आपका पैमाना क्या है और कम-से-कम आमदनी, अति-कम आमदनी वाले का पैमाना क्या है ? उनकी तादाद किस हिसाब से है ?

गृहमंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : जहां तक गरीबी की रेखा का सवाल है, यह मूल उत्तर में बताया गया है कि जितने भी हरिजन हैं, करीब-करीब सभी गरीबी की रेखा के नीचे माने गये हैं, लेकिन प्रयास यह है कि 50 प्रतिशत से ऊपर लोगों को छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी की रेखा से ऊपर लाया जाये। जहां तक डा० लोहिया के टाइम के आकड़े हैं और अब के आंकड़ हैं, उनमें बहुत अन्तर आ गया है, तीन आने वाला सवाल अब नहीं है। अधिकतर हरिजन गांव में मजदूरी का काम करते हैं। प्रत्येक राज्य सरकार ने अपने यहां मजदूरी नियत की हुई है, कहीं वह 6 रुपये है, कहीं 8 रुपये है और कहीं 11 रुपये भी है।

मैं यह बात स्वीकार करता हूं कि इसका पूरी तरह से पालन नहीं हो रहा है और अधिकांश लोगों को यह तनख्वाह मिलती नहीं है, इसलिये उनकी हालत अभी भी खराब है। इसलिये छटी प्लान में 4800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है ताकि इन लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाया जाये और इनको ग्रामीण धन्धे दिलवाने का प्रयास किया जाए।

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, क्या आप समझते हैं कि मेरे सवाल का जवाब आ गया ?

अध्यक्ष महोदय : अगर आप समझ गये हों तो समझ जाऊं।

श्री मनीराम बागड़ी : मैं तो बाद में समझूंगा।

इसी आधार पर एक सवाल और करना चाहता हूं। माननीय मंत्री ने 4800 करोड़ रुपये की बात कही, क्या वह यह बताने की कृपा करेंगे कि जो पैसा इमदाद के लिये लगाते हैं उसमें 100 रुपये में से कितना रुपया मशीनों, मशीनों की सुविधा, नौकरशाह, उसका दफ्तर, मोटरगाड़ी, तेल-भत्ता, बीच के दलाल और रिश्वत पर खर्च होता है और कितना सही आदमी तक पहुंचता है ? क्या कभी आपने इसका हिसाब लगाया है कि कितना उस आर्गेनाइजेशन पर खर्च होता है जिसके जरिये आप इस राशि का बंटवारा करना चाहते हैं और कितना उनको मिलता है जिनके लिये आप खर्च करना चाहते हैं ? क्या कभी इसका विश्लेषण किया गया है ?

श्री प्रकाश चंद्र सेठी : यह जो एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है यह तो प्रत्येक राज्य सरकार देखती है। यह जो आंकड़े दिये हैं यह राशि तो खासतौर पर उन पर खर्च की जाती है जिनको इसकी जरूरत है। यह नहीं कि उसमें एडमिनिस्ट्रेशन, मोटर-गाड़ी का भत्ता वगैरह सब शामिल हैं। यह उन लोगों को ऊपर उठाने के लिये खर्च की जाती है जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं। मैं माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहता हूं कि 1982-83 में इन पर 675.76 करोड़ रुपये खर्च किया गया और 1983-84 में उसको बढ़ाकर 754.86 करोड़ कर दिया गया और अब 1984-85 में यह रकम और बढ़ाई जा रही है। इसलिये यह रकम तो वही बताई है जो मूलत: उन पर खर्च की जाती है।

श्री मनीराम बागडी : सरकार ने अनुसूचित जातियों के सब व्यक्तियों को बिलो पावर्टी लाइन माना है और यह भी बताया है कि उनपर इतना पैसा खर्च किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उसने किसी को पावर्टी लाइन से ऊपर उठाया है।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : हमारा लक्ष्य 50 परसेंट लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का है और यह लक्ष्य छटी पंच-वर्षीय योजना में पूरा हो जाएगा।

श्री त्रिलोक चन्द : अध्यक्ष महोदय, जो सवाल पूछा गया है, उसका जवाब नहीं दिया

गया है, बल्कि सदन को गुमराह किया गया है। सवाल में साफ तौर से पूछा गया है कि क्या सरकार ने अध्ययन कराया है या नहीं। सरकार ने इसका जवाब नहीं दिया है। पहले मंत्री महोदय बताएं कि अध्ययन हुआ है या नहीं, उसके बाद में सप्लीमेंटरी पूछूंगा।

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सामाजिक आर्थिक विकास पर अध्ययन गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था और गिरि इन्स्टीट्यूट आफ डेवलपमेंट स्टडीज, लखनऊ ने इस पर अध्ययन किया था।

इस इन्स्टीट्यूट ने उत्तर प्रदेश में उत्तर काशी, सहारनपुर, जालौन, सीतापुर और इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट्स में स्थित पांच ब्लाक्स का सरवे किया है। यह अध्ययन उत्तर प्रदेश के पांच खण्डों तक सीमित है और इसके निष्कर्ष गृहमंत्रालय के अधीन विचाराधीन हैं।

श्री त्रिलोक चन्द : लखनऊ के जिस इन्स्टीट्यूट ने पांच ब्लाक्स की स्टडी की है, उसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि विलो पावर्टी लाइन के शिड्यूल्ड कास्ट्स की संख्या में डिवलाइन हुआ है, पहले वे 84 परसेंट थे और अब 80 परसेंट हो गए हैं, 4 परसेंट की कमी हुई है। उसमें लिखा है कि अगर इसी रेशो से गरीबी हटी, तो गरीबी को हटाने में दो सौ साल लगेंगे, उससे पहले नहीं। इस इन्स्टीट्यूट ने पांच ब्लाक्स की स्टडी की है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या गवर्नमेंट ने कोई एनक्वायरी कराई है या नहीं। छह पंच-वर्षीय योजनाएं बीत जाने पर भी मंत्री महोदय जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि कितने लोग गरीबी की रेखा के नीचे रह गए है। सरकार ने अध्ययन नहीं किया है। मत्री महोदय ने सामान्य रूप से कहा है।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मैं माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। जहां तक अध्ययन का सवाल है, प्रत्येक राज्य सरकार को कहा गया है कि वह अध्ययन कराए। जिन स्टेट्स में हरिजनों की संख्या अधिक है, उन सब ने अध्ययन किया है। इसके अलावा जो रिपोर्ट है, उसके 8 वाल्यूम्ज होम मिनिस्ट्री में आए हैं, जिनका एग्जामिनेशन हो रहा है। माननीय सदस्य का यह कहना सही नहीं मालूम होता है कि पिछली पांच पंच-वर्षीय योजनाओं में कोई गरीबी की रेखा से ऊपर नहीं उठा है।

श्री अरविन्द नेताम : मैं जानना चाहूंगा क्या सरकार विभिन्न राज्यों में विशेष संघटक योजना कार्यक्रम के क्रियान्वयन से संतुष्ट है। यदि नहीं, तो सरकार इस संबंध में क्या कदम उठाने जा रही है ;

श्री प्रकाश चन्द सेठी : निस्सन्देह हम इस कार्यक्रम की क्रियान्वित से संतुष्ट नहीं है और इसलिये हम अधिकारियों का एक सर्वेक्षण दल भेज रहे हैं। हमने एक निगरानी दल बनाया है जो कि विभिन्न राज्यों में जाकर कार्यक्रम के बारे में जांच करता है। निस्सन्देह कार्यक्रम का ईमानदारी से लागू करने की अवश्यकता है जो कि इस समय नहीं हो रहा है।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय के इस वक्तव्य को चैलेंज करता हूं कि छठी पंच-वर्षीय योजना में 50 परसेंट लोग, खासकर शिड्यूल्ड कास्ट के लोग,

गरीबी की रेखा से ऊपर उठ जाएंगे। पता नहीं, माननीय मंत्री ने कहां के आंकड़े लिए हैं और किनआंकड़ों के तहत वह जबाब दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि गरीबी बढ़ती जा रही है। मैं इतने ज्यादा सवाल पर नहीं जाऊंगा। मैं मंत्री महोदय से इतना ही कहूँगा कि जैसे कोई होशियार चोर चोरी करने के लिए चलता है तो जेब में रोटी का टुकड़ा रख लेता है और ज्यों ही कुत्ते की आवाज आई, रोटी का टुकड़ा फेंक देता है। चोर चोरी करने में मस्त है और कुत्ता रोटी का टुकड़ा खाने में मस्त हो गया, इसी तरह की सरकार की नीति है। हमारे पास में यह रिकार्ड एण्ड कैरियर्स है, इन्होंने हरिजन और आदिवासियों के लिए 44 संस्थाओं का नाम गिनाया है कि इतनी संस्थाएं जो इन के लिए काम कर रही हैं उस में से हरिजन सेवक संघ, किंग्सवे कैम्प, नई दिल्ली और हरिजन सेवक संघ हाबड़ा भी है। जो इनका अनुदान है वह एक एक साल में आप देखें, 1980-81 में एक जगह पर 13 लाख, दूसरे साल में 18 लाख, तीसरे साल में 19 लाख इस तरह का चल रहा है। लेकिन आज तक शेड्यूल्ड कास्ट का मैम्बर होने के नाते स्वयं हम को नहीं मालूम है कि इन का क्या काम है। इन की अध्यक्ष निर्मला देशपांडे जी हैं। इसी तरह की और भी संस्थाएं हैं, हरिजन सेवक संघ है, और और भी कई संस्थाएं हैं। हम को यह नहीं पता चलता कि इन का काम क्या है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि यह जो हरिजन और आदिवासियों के नाम पर इतनी संस्थाएं चला रखी हैं और गवर्नमेंट अनुदान दे रही हैं इनको, इन संस्थाओं का काम क्या है ?

दूसरी बात, मैंने 1980 में इसी सदन में पूछा था कि होम मिनिस्ट्री के अन्डर में आप इतना फण्ड्स देते हैं और शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिए देते हैं, तो क्या होम मिनिस्ट्री के अन्डर में एक अलग डिपार्टमेंट शेड्यूल्ड कास्ट एण्ड शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिए खोलेंगे ? सरकार ने कहा कि यह ऐक्टिव कंसिडरेशन में है। अब तक चार साल हो गए, चुनाव का समय आने वाला है, उस एक्टिव कंसिडरेशन का क्या हुआ ? होम मिनिस्ट्री के अन्डर में अलग डिपार्टमेंट खोलने का निर्णय आप ने लिया है या नहीं लिया है और ये जो इतनी संस्थाएं हैं इन के ऊपर सरकार जो पैसा खर्च कर रही है, वह या काम कर रही हैं ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : इन संस्थाओं को जो अनुदान दिया जाता है, यह हरिजनों के लिए स्कूल और होस्टल्स चलाती हैं, उस के लिए दिया जाता है।

श्री राम विलास पासवान : कहां चलाती हैं ?

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : चलाती हैं।

श्री राम विलास पासवान: कहां चलाती हैं ? एक जगह का नाम बतलाइए।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : राम दुलारी जी कह रही हैं इन्होंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि चलाती हैं।

जहाँ तक सैपरेट डिपार्टमेंट खोलने का सवाल है, यह मैंने जरूर यहां पर कहा था कि यह मामला विचाराधीन है। मैं माननीय सदस्य को फिर यह कहना चाहूंगा अनुरोधपूर्वक कि यह मामला अभी भी विचारार्ध है।

श्री राम विलास पासवान : यह क्या जबाब हुआ। एक स्कूल का नाम नहीं लिया और विचाराधीन अभी भी है...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : इस का ऐसा कर सकते हैं कि जितने स्कूल है वह सारा आप को भेज दें और इस के ऊपर फिर डिस्कशन हो जाय।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : उन्हें प्रश्नों का जबाब देते समय अधिक उत्तरदायी होना चाहिये वे इस बारे में अधिक गम्भीर मालूम पड़ते हैं।

अध्यक्ष महोदय : वे अधिक गम्भीर हैं।

श्री मनीराम बागड़ी : आप इस की 193 के अदर बहस में लीजिए...(**व्यवधान**)

श्री राम विलास पासवान : शेड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर की रिपोर्ट पर बहस करवा दीजिए...

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : जी नहीं वे बिल्कुल भी गम्भीर नहीं हैं।

श्री मंगल राम प्रेमी: यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था, उत्तर प्रदेश के एक मुख्य मंत्री ने हरिजनों की जमीन पर कब्जा कर रखा है, आपने इस पर सप्लीमेंट्री नहीं करने दिया...

अध्यक्ष महोदय : प्रेमी जी, सुनिए, महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने डिस्कशन माना है, वरना मैं मानता कब था ?

कागज उद्योग में संकट

244 **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में पर्याप्त मात्रा में कच्चे माल के उपलब्ध न होने के कारण कारग उद्योग के दौर से गुजर रहा है;

(ख) यदि हां, तो कच्चे माल की कमी का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त समस्या के समाधान के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि रामा राव) : (क) से (ग) एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) कागज उद्योग बांस और हार्डबुड, गन्ने की खोई, अनाज का भूसा, रद्दी कागज आदि जैसे विभिन्न प्रकार की कच्ची सामग्री का इस्तेमाल करता है। इस समय इस प्रकार की कच्ची सामग्री की अधिक कमी नहीं है। किन्तु, विद्यमान कागज मिलों को चलाते रहने और कागज की भावी आवश्यकताएं पूरी करने की दृष्टि से दीर्घकालीक आधार पर कच्ची सामग्री का पर्याप्त परिमाण में मिलते रहने का सुनिश्चिय करना आवश्यक है।

(ग) सरकार अनेक प्रकार की वित्तीय राहतें देकर गन्ने की खोई, अनाज का भूसा और रद्दी कागज जैसी द्वितीयक किस्म की कच्ची सामग्री के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। जहाँ

तक वनों पर आधारित कच्ची सामग्री का संबंध है, कागज उद्योग की आवश्यकताओं के लिए विशेष रूप से उद्योग प्रधान वृक्ष लगाने हेतु कदम उठाए जा रहे हैं इससे साथ ही, स्थानीय कच्ची सामग्री में वृद्धि करने की दृष्टि से सरकार आयातित बुडचिप्स लकड़ी की लुगदी और रद्दी कागज के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं अपने प्रश्न का दार्शनिक जवाब सुनकर चिन्तित हूँ। मैंने कागज उद्योग के संकट के दौर से गुजरने तथा कच्ची सामग्री की कमी के बारे में पूछा है।

अध्यक्ष महोदय : क्या अपने इस उत्तर को निश्चित रूप से मान लिया है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : उन्होंने कहा, एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा गया है। वाद विवाद में आप इसे सुन नहीं सके। इसमें कहा गया है कि "इस समय इस प्रकार की कच्ची सामग्री की अधिक कमी नहीं है :" इसका मतलब है, कागज के लिए कच्ची सामग्री। और आगे इसमें कहा गया है कि "दीर्घकालिक आधार पर कच्ची सामग्री का पर्याप्त परिमाण में मिलते रहने का सुनिश्चय करना।" कतिपय प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। मैंने इसे दार्शनिक इसलिए कहा है क्योंकि पूरे देश में सभी प्रकार के कागज के उपभोक्ता चाहे वह 'फडरेशन आफ इन्डियन पब्लिसर्स अथवा नालीदार बक्स बनाने वाले अथवा बच्चें जो किताबें और कागज खरीदते हैं सभी कागज की कमी के बारे में शोर मचा रहे हैं और इसके मूल्य में भी काफी वृद्धि हुई है। ऐसी स्थिति में यह कहा जाता है कि इस समय उद्योग की 48 प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया जा रहा है। मैं माननीय मत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वह तो इसकी पुष्टि करें अथवा इसका खण्डन करें कि क्या 48 प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया जा रहा है अथवा नहीं।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि यह बहुत ही कम क्षमता पर कार्य कर रहा है तथा कृत्रिम व वास्तविक दोनों ही रूप में काफी कमी उत्पत्त कर रहा है मैं जानना चाहती हूं क्या हम कच्ची सामग्री की वास्तव में अत्यधिक कमी है, और अगर आपने उत्पादन जल्दी बढ़ने की कोशिश की है तो क्या उत्पादन को तेजी से आगे बढ़ाने का प्रस्ताव विचाराधीन है और— यह कोई दीर्घकालीन प्रश्न नहीं है—क्या कोई अल्पकालीन उपाय भी हैं। सबसे पहले मैं मंत्री जी से जानना चाहूँगी कि वर्तमान स्थिति में कागज उद्योग के उत्पादन को आगे बढ़ाने के लिये क्या योजनाएं हैं, और इस बात को ध्यान में रखते हुये कच्ची सामग्री की आपूर्ति के बारे में तत्काल योजनाएं क्या हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : विशेष तौर पर आने वाले चुनावों को मद्दे नजर रखते हुए जब हमें अधिक पोस्टरों की जरूरत होगी।

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर चुनावों के बारे में अत्यधिक परेशान हैं।

श्री पट्टाभिराम राव : मैं कम क्षमता के प्रश्न के बारे में श्रीमती गीता मुखर्जी से सहमत नहीं हूं। यह सच है कि यह पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर रहा है। 1-1-84 को संगठित क्षेत्र में 222 ईकाईयां थी जो कि 21.65 लाख टन की निर्धारित क्षमता पर कागज तथा गत्तों

का उत्पादन कर रही थी। आप कृपया ध्यान दीजिये कि पिछले कुछ वर्षों में कागज उद्योग की क्षमता उपयोगिता 80 प्रतिशत से घटकर 61 प्रतिशत हो गई है न कि 41 प्रतिशत। जबकि यह खास तौर पर द्रुत गति से क्षमता बढ़ाने, विद्युत तथा कोयले की कमी की वजह से हुआ है। 1983 में कुछ मिलों के बन्द हो जाने से भी उत्पादन में कमी आई है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : आपने "कुछ वर्ष' अथवा "दो वर्ष" कहा ?

एक माननीय सदस्य : कुछ वर्ष (**व्यवधान**)

श्री पट्टाभिराम राव : उसके लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

श्रीमती गीता मुखर्जी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहती हूं।

श्री पट्टाभिराम राव। यह हाल ही की बात है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैंने सिर्फ पूछा है क्या यह "कुछ वर्ष" अथवा "दो वर्ष" है। इसके लिये कौन सी सूचना की आवश्यकता है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : वह पहले ही आपको मौखिक सूचना दे चुकी हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : 'कुछ वर्ष" अथवा "दो वर्ष"।

श्री पट्टाभिराम राव : दो वर्ष ? (**व्यवधान**) मैं पिछले कुछ वर्षों के बारे में बता रहा हूँ न कि सिर्फ दो वर्षों के बारे में। 1979 में निर्धारित क्षमता 13.80 लाख टन थी; उत्पादन 10.47 लाख टन था और क्षमता का उपयोग 75.9 प्रतिशत थी। 1980 में निर्धारित क्षमता 15.38 लाख टन थी, उत्पादन 11·12 लाख टन और क्षमता का उपयोग 72.3 प्रतिशत था। 1981 अर्थात् दो वर्ष पहले निर्धारित क्षमता 16.56 लाख टन उत्पादन 12.35 लाख टन था और क्षमता का उपयोग 7-.6 प्रतिशत था। 1982 में निर्धारित क्षमता 18.16 लाख टन थी।

कुछ माननीय सदस्य : वह संतुष्ट हैं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्रीजी बहुत ज्यादा उदार हैं उन्होंने सिर्फ दो वर्षों के बारे में पूछा है और मंत्री जी ने 4 वर्ष के आंकड़े प्रस्तुत किये हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : आप मुझे यू. एन. आई. रिपोर्ट के आंकड़ों को उद्धृत करने के लिये समय नहीं देंगे जिसमें बताया गया है कि क्षमता का उपयोग 48 प्रतिशत है। मुद्दा यह है कि क्या यह 60 प्रतिशत है अथवा 48 प्रतिशत, वह इसका पता करेंगे, क्योंकि वह स्वयं भी निश्चित नहीं हैं।

श्री पट्टाभिराम राव : मुझे विश्वास है। बेहतर है आप इस की ठीक से जांच करेंगे।

श्रीमती गीता मुखर्जी : हम रोज देख रहे हैं। प्रत्येक किस्म का उपभोक्ता कागज की इस भारी कमी महसूस कर रहा है। क्या यह सच है जैसा कि विभिन्न कागज उपभोक्ताओं ने शिकायतें की हैं कि इस क्षमता के उपयोग में कमी का कारण मूल्यों की वृद्धि है ? क्या यह

सच है कि 1983 में ही क्राफ्ट पेपर का मूल्य 2500 रुपये प्रति टन बढ़ गया है। क्या यह भी सच है कि पिछले वर्षों में ही विभिन्न प्रकार के सफेद कागज में 2500 रुपये से 3000 रुपये तक की वृद्धि हुई है ? क्या यह सच है कि इस मूल्य शुद्धिका (प्राहनेट) मिलों द्वारा जान-बूझकर क्षमता के कम उपयोग से कोई सम्बन्ध है ? क्या मंत्री जी को यह मालूम है ? क्या उन्हें यह भी ज्ञात है कि बहुत सी मिलें बन्द पड़ी हैं ? उन सभी मिलों को पुन: चालू करने के लिये और मूल्यों में हम कृत्रिम वृद्धि को समाप्त करने के लिये वह क्या कदम उठा रहे हैं ?

श्री पट्टाभिराम राव : देश में इसका अभाव है। स्वाभाविक है कागज की कीमतें हमेशा एक समान नहीं रह सकती।

श्रीमती गीता मुखर्जी : किस चीज का अभाव ?

श्री पट्टाभिराम राव : कागज उत्पादन के लिये सामग्री का अभाव।

श्रीमती गीता मुखर्जी : कागज उद्योग की मौजूदा स्थिति में अगर मंत्री जी का यह रवैया है तो हमारी क्या स्थिति होगी।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया है कि कागज उद्योग में क्षमता का उपयोग 80 प्रतिशत से घटकर 60 प्रतिशत रह गया है। उन्होंने यह भी कहा है कि बहुत से बड़े कागज संयंत्र बन्द पड़े हैं और इसी कारण से कागज का अभाव है और किताबों तथा अन्य चीजों के मूल्य बढ़ गये हैं। क्या उन्हें मालूम है कि पश्चिम बंगाल में रानीगंज में स्थित बंगाल पेपर मिल एक बहुत बड़ी कागज मिल काफी लम्बे अरसे से बन्द पड़ी है ? पहले भी यह बन्द थी। महोदय, वह मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। वह कोई कागज पढ़ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह अपने कानों से सुन रहे हैं तथा आंखों से पढ़ रहे हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : क्या वह एक साथ पढ़ तथा सुन सकते हैं मुझे नहीं मालूम। किन्तु अगर वह ऐसा करते हैं तो मुझे खुशी है।

बंगाल पेपर मिल को पुन: खोलने के लिये वह क्या कदम उठा रहे हैं ? यह दूसरी बार बन्द हुई थी। कागज के मूल्य में कमी करने के लिये आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं, ताकि किताबों व अन्य चीजों के मूल्य नीचे गिरें और अधिकांश लोग कागज तथा अन्य चीजें उचित तथा ठीक मूल्यों पर प्राप्त कर सकें ?

श्री पट्टाभिराम राव : सिर्फ बंगाल पेपर मिल ही बन्द नहीं है, अपितु मैं यह बता दूं कि निम्नलिखित मिलें बन्द पड़ी हैं।

मिल का नाम	बन्द होने की अवधि
मेसर्स टीटागढ़ पेपर मिल्स, कनकीनारा, पश्चिम बंगाल	18 अगस्त 1982 से आज तक।

1	2
मेसर्स ओरियन्टल पेपर मिल्स, बूजराज नगर, उड़ीसा	दिसम्बर 1982 से मई 1983।
मेसर्स आन्ध्र प्रदेश पेपर मिल्स, राजामुन्द्री, आन्ध्र प्रदेश।	अप्रैल 1983 से जून 1983 तक।
मेसर्स अशोक पेपर मिल्स— (1) जोगीघोपा (असम) (2) रामेश्वर नगर (बिहार)	अक्टूबर 1982 से आज तक।
मेसर्स रोहतास इन्डस्ट्रीज लिमिटेड डालमिया नगर (बिहार)	नवम्बर 1982 से अप्रैल 1983 तक। मई 1983 में पुन: चालू हो गई थी परन्तु अक्तूबर 1983 में पुन: उत्पादन करना बन्द कर दिया।
मेसर्स बंगाल पेपर मिल्स रानीगंज (पश्चिम बंगाल)	1 नवम्बर 1983 से आज तक। यह पुरानी मशीनों के कारण हुआ जो कि सौ वर्ष पुरानी है।

···(**व्यवधान**) मैं एक बात बता सकता हूं कि अगर मेरे मित्र की यह दलील कि सभी रुग्ण मिलों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिये तो यह मुमकिन नहीं है। इन सभी मिलों की मशीनें बहुत पुरानी हैं और भी बहुत सी अन्य दिक्कतें हैं। दूसरे, पूंजीपति भी आगे आने को तैयार नहीं है। इसलिये यह कहना आसान नहीं है कि ये मिलें कब पुन: चालू की जायेगी ·····(**व्यवधान**)।

अध्यक्ष महोदय : श्री अराकल

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : श्रीमान्, मेरे प्रश्न का भाग (ख) यह है कि कागज के मूल्यों को घटाने के लिए सरकार क्या पग उठाने जा रहे हैं·····(**व्यवधान**)।

अध्यक्ष महोदय : बिल्कुल ठीक है। अब कृपया बैठ जाइये।

श्री पट्टाभि राम राव : मूल्यों को केवल उत्पादन बढ़ाकर ही कम किया जा सकता है। जब तक उत्पादन नहीं बढ़ता है, मूल्यों में गिरावट नहीं आ सकती है। अत: स्वाभाविक है हम यह देखने का प्रयास कर रहे हैं (**व्यवधान**)। आप मुझे उत्तर क्यों नहीं देने दे रहे हैं। यदि आप इसी प्रकार से चीखते-चिल्लाते रहे तो मैं कैसे उत्तर दे सकता हूं। वास्तव में हम यह देखने के लिए उत्सुक हैं कि देश में जितना अधिक उत्पादन होना सम्भव है, हां। इस उद्देश्य के लिए बहुत से कागज संयत्र स्थापित किए गए हैं और वे कुछ मात्रा में कागज का उत्पादन करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ नयी मिलें शुरू हुई हैं और वे भी अपना पूरा प्रयास कर रही हैं किन्तु उन्हें कुछ समय तो लगेगा ही···(**व्यवधान**)

श्री जेवियर अराकल : श्रीमान्, कच्ची सामग्री के अभाव या अनुपलब्धता के कारण फैक्टरियां अपनी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पा रही हैं। मूल्य बढ़ गए हैं और बहुत सी समस्यायें पैदा हो गयी हैं। वास्तव में, गैर सरकारी क्षेत्र इससे प्रभावित नहीं है, केवल सरकारी क्षेत्र ही इससे प्रभावित हैं। मेरा प्रश्न एक विशेष उद्योग से सम्बद्ध है जो कच्ची सामग्री की कमी का सामना कर रहा है और वह उद्योग है केरल की 'वेलूर न्यूज फैक्टरी'। कृपया इसको नोट किया जा सकता है और इसका उत्तर बाद में दिया जा सकता है। समुचित बागान क्षेत्र विकसित करने की योजना वहां थी, ताकि वहां पर्याप्त मात्रा में कच्ची सामग्री सुलभ हो सके। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है अथवा कच्ची सामग्री की आवश्यकता का मूल्यांकन किया है और उस मांग को पूरा करने के लिये क्या कोई योजना बनाई है और यदि हां, तो वह मूल्यांकन क्या है तथा सरकार द्वारा बनाई गई योजनाएं क्या है और 'वेलूर न्यूज फैक्टरी' जो कच्ची सामग्री के गम्भीर संकट का सामना कर रही है, पर सरकार का ध्यान गया है? इसकी जांच करने की कृपा करें और बाद में हमें इन बातों का उत्तर दें।

अध्यक्ष महोदय : इन बातों की जांच कीजिए।

श्री पट्टाभिराम राव : श्रीमान्, हरएक मिल के बारे में अलग से उत्तर देना क्या सम्भव है? यदि माननीय सदस्य इसके लिए अलग से नोटिस दें, तो मैं उत्तर दूंगा।

गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग

* 247. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** †

श्री रामविलास पासवान :

(क) क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मार्च 1977 में, जनवरी, 1980 में और इस समय गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की अनुमानित संख्या क्या है;

(ख) उक्त प्रत्येक वर्ष में अनुमानत: कितने लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाया गया तथा गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में और कितनी वृद्धि हो गई है;

(ग) गरीबी की रेखा की परिभाषा क्या है; और

(घ) चौथी योजनावधि तक इसकी परिभाषा क्या थी?

योजना मन्त्री (श्री एस.बी. चव्हाण) (क) और (ख) मुख्य रूप से संशोधित जन संख्या अनुमानों को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 1977-78 और 1979-80 के लिए इनकी संख्या क्रमश: 306 मिलियन और 339 किलियनहोने का अनुमान लगाया गया है। इस सम्बन्ध में अद्यतन अनुमान वर्ष 1981-82 से सम्बन्धित हैं। यह अनुमान 252 मिलियन होता है और 1981 की जनगणना को तथा छठी योजना के दस्तावेज में उसके सम्बन्ध में दी गई संवृद्धि दर को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1979-80 की जनसंख्या के अनुमानों में संशोधन पर आधारित है।

(ग) गरीबी की रेखा को उस वर्ग के मासिक प्रतिव्यक्ति व्यय के मध्य बिन्दु के रूप में परिभाषित किया गया है जिसका दैनिक कैलोरी उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति है।

(घ) चोथी योजना की अवधि तक योजनाओं में गरीबी रेखा जैसी कोई संकल्पना नहीं अपनाई गई थी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं प्रसन्न हूं कि माननीय मंत्री ने यह स्वीकार किया है कि 1979-80 और 1980-81 में गरीबी रेखा को पार करने वाले लोगों की संख्या केवल 57 मिलियन है, 120 मिलियन नहीं, जैसा कि माननीया प्रधान मंत्री ने स्वतन्त्रता दिवस पर दिए गए अपने भाषण में दावा किया था। मैं जानना चाहता हूं कि प्रधान मन्त्री को गुमराह करने वाला कौन है—योजना आयोग या प्रधान मन्त्री का सचिवालय ?

श्री एस. बी. चव्हाण : मैंने प्रधान मन्त्री के कार्यालय से यह जांच पड़ताल करने का प्रयास किया है कि 120 मिलियन के आंकड़े का एक या दो बार कैसे उल्लेख किया गया। यदि हम छठी योजना के सकल आकड पर विचार करें तो 120 मिलियन सही आँकड़ा है। किन्तु इस 120 मिलियन के जो लक्ष्यगत आंकड़ा है, को जनसंख्या वृद्धि और अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए, समायोजित करना होगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उन्होंने उस आंकड़े को समायोजित कर लिया है और 120 मिलियन 57 मिलियन हो गए। छठी योजना के मध्यावधि मूल्याँकन के अनुसार योजना के पहले दो वर्षों में गरीबी अनुपात 51.1 प्रतिशत से घट कर 41.5 प्रतिशत या 9.6 प्रतिशत हो गया। ये आंकड़े मनगढन्त हैं या सही हैं। क्योंकि, यदि ये आंकडे सही हैं तो 1992 तक देश से गरीबी का पूरी तरह से सफाया हो जाना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय योजना मन्त्री योजना आयोग द्वारा किए गए दावों जिन्हें न केवल राजनीतिज्ञों वरन देश के विख्यात अर्थशास्त्रियों द्वारा चुनौती दी गई है—कि प्रामाणिकता की जांच करने के लिए एक स्वतन्त्र अभिकरण की स्थापना करेंगे। क्या आप जनता के साथ धोखा करने जा रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय उन्होंने कंकॉक्शन शब्द का उल्लेख किया है। यह तो विभिन्न प्रकार की शराब को मिलाने के सम्बन्ध में प्रयोग किया जाता है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : वह शब्द 'काकटेल है।

अध्यक्ष महोदय : बेशक, काकटेल भी एक मिश्रण हैं।

श्री एस, बी चव्हाण : योजना आयोग के मध्यावधि मूल्यांकन दस्तावेज में दिए गए आंकड़ों जो वास्तव में दो वर्ष के हैं के सम्बन्ध में कुछ भ्रामक हैं। जबकि 120 मिलियन का आंकड़ा छठी योजना के पांच वर्षों के लिए है। सबसे पहले आप इस भ्रांति को दूर कीजिए। मैं पहले ही कह चुका हूं कि 120 मिलियन लक्ष्यगत आंकड़ा है जिसको छठी योजना के अन्त में, जनसंख्या की वृद्धि पर और अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए, समायोजित करना होगा। वास्तव में हमारे लिए यह कहना कि यह लक्ष्य प्राप्त होने जा रहा है या नहीं, बहुत जल्दबाजी

की बात होगी। दूसरे मुद्दे के बारे में मेरे विचार से माननीय सदस्य को सही जानकारी नहीं दी गई है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: मैं प्रधान मन्त्री नहीं हूँ।

श्री एस. बी. चव्हाण : 1981-82 में संख्या घट कर 282 मिलियन रह गयी। मैं इस बात से अवगत हूं कि कुछ अर्थशास्त्री इसे चुनोती दे रहे हैं। जब इस सभा में मध्यावधि मूल्यांकन पर चर्चा की जा रही थी तो मैंने प्रो० राजकृष्ण के प्रश्न का एक बहुत विस्तृत उत्तर लोक सभा और राज्य सभा दोनों में दिया था किन्तु मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूं कि कम से कम योजना आयोग पूरी तरह से संतुष्ट हैं कि उन आंकड़ों में कोई गलती नहीं है। जब तक हमारे ध्यान में यह बात नहीं लाई जाती कि इन मामलों पर योजना आयोग द्वारा गम्भीर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। यह वही कार्य प्रणाली है, जो वास्तव में राजकृष्ण द्वारा तैयार की गई थी और जिसे पहली बार छठी योजना के दस्तावेज के लिए कार्यान्वित किया गया था। हम उसी कार्य प्रणाली की जाँच करने का प्रयास कर रहे हैं। यह केवल निर्धनता दूर करने के कार्यक्रम और विकास दर के मामले में किया गया और जिसे हमने साथ ले लिया और हमने इसी आधार पर इन आंकड़ों का परिकलन किया है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : श्रीमन, मेरे प्रश्न के बाद वाले भाग का उत्तर नहीं दिया गया है। मेरा प्रश्न था कि क्या सरकार दावों और प्रति दावों की प्रामाणिकता की जांच के लिए कोई स्वतन्त्र अभिकरण स्थापित करना चाहेगी ?

श्री एस. बी चव्हाण : श्रीमन चूंकि माननीय सदस्य मुझे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए विवश कर रहे हैं अत: अत: मैं केवल इतना कहूंगा कि दो अर्थशास्त्री कभी भी आपस में सहमत नहीं होंगे। हरेक अर्थशास्त्री की अपनी अलग कार्यप्रणाली होती है। छठी योजना के मध्यावधि दस्तावेज को हमने देश के सभी प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के समक्ष रखा है।

एक माननीय सदस्य : आपने इसे प्रतिबद्ध अर्थशास्त्रियों के समक्ष रखा है।

श्री एस. बी चव्हाण : आपसे या अन्य किसी से प्रतिबद्ध होने के बारे में आपका अपना बिचार हो सकता है किन्तु हमने इस दस्तावेज को देश के सभी प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के समक्ष रखा है। मैं नहीं समझता कि एक या दो के सिवाय अन्य किसी अर्थशास्त्री ने प्रधान मन्त्री द्वारा दिए गए आंकड़े को चुनौती दी हो।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : श्रीमन, वह एक स्वतन्त्र अभिकरण स्थापित किए जाने के लिए कह रहे थे, अर्थशास्त्रियों के बारे में नहीं।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, गरीबी की रेखा क्या है, यह आज तक किसी की समझ में बात नहीं आ रही है। मंत्री महोदय, पढ़ कर भले ही जवाब दे दें लेकिन उनके दिमाग में भी यह बात नहीं आती है। आपको सीधा-सीधा मापदंड रखना चाहिए कि कितना रुपया कमाने वाला गरीबी की रेखा के निचे आता है, कितने रुपये की आय होने पर उसे

गरीबी की रेखा के निचे माना जाएगा, यह क्राइटेरिया सीधा-सीधा रखना चाहिए। खैर अभी मैं इसमें नहीं जाऊंगा।

योजना मंत्री महोदय ने 1-3-84 को दूसरे सदन में अनस्टार्ड क्वेश्चन नं. 450 का जवाब देते हुए बताया था कि—गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों की उपलब्धीयां अद्यतन अनुमानित संख्या वर्ष 1977-78 की है।

इस क्वेश्चन के जवाब में आपने बताया है कि आपके पास जो आंकड़े उपलब्ध हैं वे 1977-78 के उपलब्ध हैं। हमें आपने बताया है कि ये आपके लेटेस्ट फिगर्स हैं और इनके मुताबिक गरीबी की रेखा ऊंची कर दी गई है। आपके पास में 1977-78 के बाद के आंकड़े हैं नहीं तो क्या यह सारा का सारा फ्राड नहीं है ? आपके पास कोई आंकड़ ठीक से नहीं हैं।

अभी वाजपेयी जी ने भी ध्यान आकर्षित किया, मैं भी आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने जो 1980-81 वर्ष में अनाज का लक्ष्य रखा था वह 20,48 लाख टन का था और उसमें से 13.33 लाख टन ही दिया गया, आपने 127.40 करोड़ रुपये खर्च करने का लक्ष्य रखा था जिनमें से 36.36 करोड़ रुपये ही खर्च हुए, 1982-83 वर्ष के लिए आपने अनाज का लक्ष्य 4.46 लाख टन का रखा था जिसमें से 1.07 लाख टन ही दिया गया, आपने 541.62 करोड़ रुपये खर्च करने का लक्ष्य रखा था जिनमें से 246.58 करोड़ रुपये ही खर्च किये गये तो जब आपका इस मद में 50 परसेंट भी खर्च नहीं हुआ तो फिर गरीबी की रेखा कैसे ऊपर हो गई ? इसका मतलब यह हुआ कि या तो प्लानिंग करने वाला गल्त है या आपको सूचना देने वाला गल्त है।

मैं इन सारी चीजों को कहता हुआ आप से यह प्रश्न करना चाहता हूं कि क्या सरकार प्राइम मिनिस्टर की अध्यक्षता में एक नेशनल लेवल पर कमेटी बनायेगी ? क्या सरकार प्रत्येक गांव में जो लोग गरीबी की रेखा के नीचे जीवन बसर कर रहे हैं, उनकी सूचना ग्राम स्तर पर रखेंगी ? क्या सरकार ऐसी कमेटी बना कर गरीबी की रेखा के नीचे जीवन बसर करने वालों को लाभ पहुंचाने का काम करेगी और उन विचौलियों से जो कि लाभ कमा रहे हों, गरीब लोगों को बचायेगी ?

श्री एस. बी. चव्हाण : श्रीमन्, माननीय सदस्य ने बहुत से प्रश्न पूछे हैं। सभी पूरक प्रश्नों को स्मरण रखना बहुत कठिन है। फिर भी, मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : यह अंतिम वास्तविक पूरक प्रश्न था।

श्री एस. बी. चहवाण : जहां तक पूरक प्रश्न के अन्तिम भाग का सम्बन्ध है, हमने यह रीति अपनाई है कि प्रत्येक गांव में निर्धनों में से भी सबसे अधिक निर्धन लोगों को ही गिना गया है। उनकी सूची प्रकाशित की गयी है और उसे बोर्ड पर रखा गया है.....

श्री राम विलास पासवान : कहां ? (व्यवधान)

श्रीमन्, हमनें उसे कभी नहीं देखा है।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : बोर्ड कहां है ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने अपनी बात अभी पूरी नहीं की है । **(व्यवधान)**

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, कुछ आचार संहिता का भी तो खयाल रखा जाना चाहिए । मंत्री महोदय को बोलते समय कुछ सोचना चाहिए कि राष्ट्र के अन्दर·····

अध्यक्ष महोदय : अभी कौन सा अनर्थ हो गया है । अभी तो वे बोल रहे हैं । क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, पहले सुनें तो सही । **(व्यवधान)**

श्री के. मायातेवर : कोई बोर्ड नहीं है **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : पहले उनकी बात सुनिए । पहले से ही आप कैसे कह सकते हैं ? देखिए, वह क्या कहते हैं **(व्यवधान)**

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मंत्री महोदय ने स्वयं बोर्ड देखा है । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : उन्हें कुछ कहने दीजिए । **(व्यवधान)**

श्री मनीराम बागड़ी : क्या यह सवाल का जवाब है । ये किसी मेंबर पर कैसे आरोप लगा सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यह आरोप नहीं है । आपने अपनी बात कह दी है । अब उनको आप सुन लीजिए ।

श्री रामविलास पासवान : मैंने सीधा सा प्रश्न पूछा था ।

अध्यक्ष महोदय : अब उनका जवाब भी तो सुन लीजिए । **(व्यवधान)**

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : श्रीमन्, आप इसको अनुमति कैसे दे सकते हैं ? यदि वह कहते हैं कि सभा में एक हाथी है, तो क्या हमें यह मान लेना चाहिए ?

अध्यक्ष महोदय : उसे पालने के लिए मैं उनकी नियुक्ति करुंगा ।

श्री एस. बी. चव्हाण : यदि माननीय सदस्य जानकारी के लिए उत्सुक हैं तो मैं उन्हें देने के लिए तैयार हूँ । किन्तु यदि वे जानकारी प्राप्त करने के लिए उत्सुक नहीं है तो मुझे जानकारी देने की क्या पड़ी है । मेरे पास पूरी विस्तृत जानकारी है । इस बात के बावजूद कि माननीय सदस्य श्री राम विलास पासवान कहते हैं कि वह समस्या को नहीं समझ पाए हैं । वहां कोई भ्रांति नहीं है यहां तक कि वह गरीबी रेखा से सम्बन्धित बात को भी नहीं समझ पाए हैं ।··· **(व्यवधान)**···जी हां । उन्होंने स्वयं ऐसा कहा । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात कह चुके । अब, उनकी बात सुनिए । **(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान : मैं मंत्री को चुनौती देता हूं । यदि वह यह बात सिद्ध कर दें तो मैं अपनी सदस्यता से त्याग पत्र दे दूंगा; यदि वह गलत है, तो उन्हें अपना पद त्यागना होगा ।···**(व्यवधान)**···हमें चुनौती देने का प्रयास मत कीजिए ।···**(व्यवधान)** बोर्ड कहां है ? योजना आयोग का कार्यालय कहां है ?

अध्यक्ष महोदय : आप उन्हें अपनी बात नहीं कहने दे रहे हैं। **(व्यवधान)**

श्री एस. बी. चव्हाण : मैं अपनी बात पर अटल हूं **(व्यवधान)**

श्री सतीश अग्रवाल : यदि आप प्रमाणित कर दें कि आपने बोर्ड देखा है तो सारी सभा संतुष्ट हो जायेगी। **(व्यवधान)**···आप बस कह दीजिए कि आपने बोर्ड देखा है।

अध्यक्ष महोदय : श्री सतीश अग्रवाल। उन्हें बताने दीजिए कि कहां है ?

श्री सतीश अग्रवाल : उन्होंने यह बात कही।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने यह कहा है, किन्तु उन्हें बताने तो दीजिए कि यह कहां है।

(व्यवधान)

श्री एस. बी. चव्हाण : श्रीमन्, जहां तक गरीबी रेखा का सम्बन्ध है, मैंने उत्तर के भाग (ग) में आंकड़े दिए हैं जो यह बताते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी है और जब यह 1973-74 के आंकड़ो के आधार पर कुल व्यय में परिवर्तित किए गए। जो उस समय 1973-74 के मूल्यों के अनुसार निकाले गए थे, तो यह ग्रामीण क्षेत्रों में 49.09 और शहरी क्षेत्रों में 56.64 आए।

यदि इसे 1979-80 के मूल्यों में परिवर्तित कर दिया जाए तो यह ग्रामीण क्षेत्रों में 76 रुपए तथा शहरी क्षेत्रों में 88 रुपए बैठता है। मैंने योजना आयोग द्वारा गरीबी की रेखा के निचे रहने वाले लोगों का पता लगाने के लिए दिए गए दिशानिर्देशों के बारे में प्रक्रिया स्पष्ट कर दी है। इन दिशानिर्देशों का ईमानदारी से पालन सुनिश्चित करना सम्बद्ध राज्य सरकारों का काम है। दिशानिर्देश यह है कि गांव में गरीब से गरीब व्यक्ति की गणना की जाए। समूची सूची न केवल ग्राम पंचायत में बल्कि ग्राम सभा में सही ढग से प्रकाशित की जाए। अब यह··· **(व्यवधान)**

यदि माननीय सदस्य योजना आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया तथा दिए गए दिशा-निर्देशों से संतुष्ट नहीं है तो मैं नहीं समझता कि जहां तक कार्यान्वयन का सम्बन्ध है, योजना आयोग कोई उत्तर दे सकता है। हम राज्य सरकारों से बारम्बार यह अनुरोध करते आए हैं कि इन दिशानिर्देशों का अनुसरण किया जाए तथा निगरानी समितियां नियुक्त की जांए और निगरानी की प्रक्रिया में विधान सभा सदस्यों, संसदसदस्यों तथा अल्पसंख्यक समुदाओं को शामिल किया जाए। ये सभी दिशानिर्देश सभी राज्य सरकारों को दिए गए हैं और···

अध्यक्ष महोदय : श्री चव्हाण, व उस बोर्ड के कार्य स्थान के बारे में बहुत उत्सुक हैं। यदि कोई बोर्ड है तो। आपने किस बोर्ड का उल्लेख किया था ? यह बोर्ड कहां कार्य कर रहा है ?

श्री एस० बी० चव्हाण : मैंने ग्राम पंचायत तथा ग्राम सभा के बारे में कहा था···

अध्यक्ष महोदय : उनसे यह अपेक्षा की जाती है···

श्री एस० बी० चव्हाण : सूची ग्राम पंचायत के सम्मुख रखी गई है और यह ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित की जा चुकी है। **(व्यवधान)**

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यह सरासर गलत है।

श्री हरिकेश बहादुर : यह बिलकुल गलत है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : क्या ऐसी किसी प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है ?

श्री एस० बी० चव्हाण : एक राज्य से दूसरे राज्य में परिस्थितियां भिन्न होती हैं। मैं सम्भवतः यह उत्तरदायित्व नहीं ले सकता कि राज्य सरकारों के पास ऐसी कोई प्रक्रिया है।

···(व्यवधान)···

श्री राम विलास पासवान : किसी भी राज्य का नाम लीजिए। **(व्यवधान)** जितना अलाट किया गया था, उसका पचास परसेंट भी खर्च नहीं हुआ, तो अचीवमेंट कैसे हो गया ?

अध्यक्ष महोदय : कीमत अलाट की गई थी, खाद्यान्न अलाट किए गए थे। क्या वे सारे खर्च किए गए ? यह कैसे हुआ ? वह यही जानना चाहते हैं।

श्री एस० बी० चव्हाण : जहां तक खाद्यान्नों के आवंटन का सम्बन्ध है, जो खाद्यान्न आवंटित किए गए थे वे सम्बन्धित राज्यों में नहीं पहुंच सके। यहि कारण है कि सम्मतः कभी-कभी खाद्यान्न बंट नहीं पाए। खाद्यान्नों को नकद राशि में बदलना पड़ा तथा उस नकद राशि को देना पड़ा। एक समय ऐसा था जब खाद्यान्नों की कमी थी····

श्री राम विलास पासवान : मैंने आंकड़े दिए हैं। यदि ये गलत हैं, तो मंत्री महोदय यह कहें कि ये गलत हैं।···**(व्यवधान)**···मैंने आँकड़े दे दिए हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : वे राशि के बारे में पूछ रहे हैं। आपने कुछ राशि का उल्लेख किया था—500 करोड़ रुपए।

श्री राम विलास पासवान : 541 करोड़ रुपए।

अध्यक्ष महोदय : इसके बावजूद एक सौ कुछ करोड़ रुपए खर्च किए गए।

श्री राम विलास पासवान : 541 करोड़ रुपए में से 226 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह सचाई है ? क्या यह दावा सत्यापित दावा है ? या यह खर्च नहीं किया गया।

श्री एस० बी० चव्हाण : मुझे इन आंकड़ों की जांच—पड़ताल करनी होगी।

श्री राम विलास पासवान : यह आपका उत्तर है। यह मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर है, मेरे द्वारा दिया गया नहीं।

श्री एस. बी. चव्हाण : इसमें चिल्लाने की क्या बात है ? ···**(व्यवधान)**···आप समझने की चेष्ठा क्यों नही करते ? **(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान : आप घर से तैयारी करके नहीं आए हैं। आप योजना मंत्री हैं और आपको यह नहीं मालूम .....

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमती नहीं, दी जाती है। मैंने उन्हें अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)*

प्रो. एन. जी. रंगा : वह गलत कह रहे हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी जाती है। **(व्यवधान)**

प्रो. के. के. तिवारी : इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल देना चाहिए। आप इसे अवश्य निकाल दें।

श्री राम विलास पासवान : महोदय, मैंने प्रश्न पूछा है। श्रीमान् यह आपका कर्त्तव्य है **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : चुप हो जाइए। मैं कुछ कह रहा हूं। मैं कुछ कह रहा हूं।

(व्यवधान)

प्रो. के. के. तिवारी : **(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते ? **(व्यवधान)**

कुछ माननीय सदस्य : यह क्या हो रहा है ? वह चुनौती दे रहे हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : वह अध्यक्षपीठ को धौंस दे रहे हैं। **(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, आप देख लीजिए जो कहा गया उसमें कोई अनपार्लियामेंटरी नहीं है। यह माननीय रामविलास जी को डराना और धमकाना चाहते हैं।

श्री सतीश अग्रवाल : श्री तिवारी आपको चुनौती दे रहे हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या श्री पासवान ने कुछ असंसदीय कहा है ? इसमें कुछ भी असंसदीय नहीं है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप लोग बैठिए।

श्री हरिकेश बहादुर : वह गलत उत्तर दे रहे हैं। वह अध्यक्षपीठ को चुनौती दे रहे हैं। हम कैसे सहन कर सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : आनरेबिल मैम्बर्स, देखिए

श्री राम विलास पासवान : हम लोग मेहनत करके आते हैं, ऐसे ही नहीं खड़े हो जाते हैं। यदि मैं गलत कहता हूं तो बता दें कि गलत है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिए। **(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : यह इतना अधिक चिल्लाना तथा किसी के बारे में कुछ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करना, देखिए·····

श्री हरिकेश बहादुर : अध्यक्ष के विरुद्ध। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : बैठ जाइए। मुझे कुछ कहने दें। मैं समझता हूं यह बहुत ही असाधारण है। आप एक दूसरे पर क्यों चिल्लाते हैं ? वह एक माननीय सदस्य तथा मंत्री हैं। आप भी एक माननीय सदस्य हैं। आपको चिल्लाने से क्या मिलता है ? ऐसी कोई बात कहने से आपको क्या मिलता है जो सही हो ? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। लेकिन आपको कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जो अधिक कटु हो·····

श्री राम विलास पासवान : जी नहीं श्रीमान्। यह आपका कर्त्तव्य है, महोदय। मैंने कुछ भी असंसदीय नहीं कहा है। जवाब दिला दीजिए ···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मुझे तो कोई सुनने नहीं देता। मैंने तो मंत्री से सवाल भी किया, लेकिन आप तो सर पर उठा लेते हैं। **(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान : उन्होंने यह सब कुछ क्यों कहा ? मैंने कुछ तथ्य तथा आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। या तो वह इन्हें स्वीकार करें या अस्वीकार करें।

अध्यक्ष महोदय : देखिए, हाउस ऐसे नहीं चलता है। गिव और टेक होता है। आपको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। जो मैं कह रहा था वह आप सुन नहीं रहे थे। मैं आपकी बात ही कहना चाहता था।

प्रो. के. के. तिवारी : 20 मिनट से बोल रहे हैं पासवान जी और मिनिस्टर को रिप्लाई नहीं देने दे रहे हैं। एक मेम्बर 20,25 मिनट बोले एक सप्लीमेंटरी पर *(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कोई तरीका नहीं है। कभी-कभी ऐसा होता है। मैंने भी चलाया है हाउस। ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो अनुचित बातें आई हैं, उनको रिकार्ड पर नहीं जाना चाहिए।

श्री राम विलास पासवान : महोदय, मैंने कोई असंसदीय शब्द नहीं कहा है

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : माननीय पासवान ने कोई असंसदीय बात नहीं कही।

अध्यक्ष महोदय : मैंने यह बात कही है कि कोई अनुचित बात नहीं जानी चाहिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उचित, अनुचित का फैसला आप नहीं कर सकते हैं। आपकी डिक्शनरी में जो अनुचित है वह हमारी डिक्शनरी में उचित हो सकता है।

श्री शिवराज वी. पाटिल : महोदय, आपके सिवाय इस बात का फैसला कौन करेगा कि यह संसदीय है या असंसदीय ?

अध्यक्ष महोदय : मैं स्वयं फैसला करूंगा

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

श्री पी. वेंकटसुब्बय्या : तो फिर वे इस को चुनौती कैसे दे सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : वे केवल यह कह रहे हैं कि केवल असंसदीय शब्द ही कार्यवाही वृत्तांत से निकाले जाने चाहिए । बस इतना ही । वे निर्णय नहीं कर सकते । **(व्यवधान)**

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : समस्या क्या है ? वे उत्तेजित क्यों हो रहे हैं ? उन्होंने केवल कुछ आंकड़ों का उद्धरण दिया है । क्या वे यह कहना चाहते हैं कि आंकड़ों का उद्धरण देना असंसदीय है ? और एक के बाद एक मंत्री उठ रहे हैं । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यदि श्री तिवारी ने अध्यक्षपीठ के विरुद्ध कुछ कहा है तो उसे भी कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाना चाहिए । **(व्यवधान)**

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : क्या कुछ आँकड़ों का उद्धरण देना असंसदीय है ? वे उठ रहे हैं और चुनौती दे रहे हैं । श्रीमन्, उनमें से बहुत गरीबी की रेखा से नीचे हैं **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए । **(व्यवधान)**

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : महोदय, कृपया आप इस पर चर्चा की अनुमति दें **(व्यवधान)**

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : वह सदन को गुमराह कर रहे हैं···**(व्यवधान)**···मंत्री को आंकड़ों सहित तैयार होकर आना चाहिए । हम इस पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं तथा हम यह सिद्ध कर देंगे कि उनके द्वारा दिए गए आँकड़े गलत हैं । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए । प्रश्न-काल समाप्त हो गया है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

रुग्ण एककों को दी गई सहायता

*248 **श्री पी. एम. सईद** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योगों में बढ़ती हुई रुग्णता की समस्या जारी है;

(ख) देश में रुग्ण एककों की सहायता के लिए क्या विभिन्न उपाय सोचे गए हैं;

(ग) क्या दिसम्बर, 1983 में 226 रुग्ण एककों को 260 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में दी गई थी;

(घ) इन एककों द्वारा उक्त सहायता का किस सीमा तक उपयोग किया गया है;

(ङ) क्या सहायता दिए जाने के बावजूद भी इन एककों का कार्य निष्पादन निराशाजनक है;

(च) क्या सरकार ने सहायता देने के बाद भी इन एककों के रुग्ण बने रहने के कारणों की जांच की है; और

(छ) इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) और (ख) एक विस्तारशील अर्थव्यवस्था में जिसके उत्पादन का ढांचा और प्रौद्योगिकी निरंतर बदल रहे हों, औद्योगिक रुग्णता को पूर्णतया समाप्त नहीं किया जा सकता। तथापि, अक्तूबर, 1981 में सरकार द्वारा घोषित नीतिपरक मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार औद्योगिक रुग्णता की घटनाओं को यथासम्भव न्यूनतम करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(ग) से (छ) रुग्ण एककों को बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है और वे ही इस प्रकार की सहायता के उपयोग की प्रत्यक्ष निगरानी करते हैं।

बहुमंजिली इमारतों, सिनेमाघरों आदि में अग्निसुरक्षा के उपाय

249 **श्री छांगुर राम** : क्या गृह मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समय पूर्व दिल्ली स्थित गोपाल-टावर में आग लगाने से भारी नुकसान हुआ था;

(ख) क्या इस घटना के बाद बहुमंजिली इमारतों, सिनेमाघरों, होटलों, आदि में अग्नि-सुरक्षा के पर्याप्त उपाय बरतने पर जोर दिया गया था तथा क्या अनेक होटलों और सिनेमाघरों के लाईसेंस भी इसी कारण रद्द अथवा निलंबित किए गए थे;

(ग) यदि हां, तो क्या इन सभी इमारतों में अग्नि सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था कर दी गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) से (घ) गोपाल टावर में अग्निकांड की घटना के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल ने नेहरू प्लेस कम्पलैक्स, राजेन्द्र प्लेस कम्पलैक्स और कनाट प्लेस क्षेत्र क्षेत्र में सभी भवनों का स्वीकृत भवन योजना से विचलन की जाँच करने हेतु निरीक्षण करने के लिए और इसकी भी जांच करने के लिए कि क्या आग के बारे में अपेक्षित बचाव उपाय किए गए हैं, दिल्ली विकास अधिकरण, नई दिल्ली नगर पालिका, पुलिस और नागरिक सुरक्षा के अधिकारियों का एक दल गठित किया। निरीक्षण के बाद कई निर्माताओं को ये नोटिस दिबे गये कि वे पूर्णत: चालू हालत में अग्नि शमन उपकरण लगवाएं और और अतिरिक्त अग्नि सुरक्षा उपायों की भी व्यवस्था करें। यह जांच करने के लिए एक विशेष अभियान भी चलाया गया है कि क्या दिल्ली में सभी सिनेमाघर पर्याप्त अग्नि सुरक्षा उपाय अपना रहे हैं। 13 सिनेमाघरों के सीनेमाटोग्राफ लाइसेंस अग्नि सुरक्षा और अथवा भवन विनियमों की कमी के कारण स्थगित किए गए। परन्तु इस कारण किन्हीं होटलों के लाइसेंस न तो रद्द किए गए हैं और न स्थगित किए गए हैं।

दिल्ली प्रशासन द्वारा नियुक्त किए गए विभिन्न दलों द्वारा किए गए निरीक्षणों के परिणाम स्वरूप, 194 भवनों में पर्याप्त अग्नि सुरक्षा उपायों की कमी पाई गई। इन भवनों के

मालिकों/कब्जेदारों को उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए नोटिस दिए गये। अग्नि सुरक्षा अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इन भवनों में निरीक्षण किए जा रहे हैं।

लाटरियों में अनियमितताएं और कदाचार

*251 **श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी :**

प्रो. संफुद्दीन सोज : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राज्यों और सशस्त्र सेनाओं जैसी केन्द्रीय सेवाओं द्वारा चलाई जा रही लाटरियों में गंभीर अनियमितताएं और कदाचार पाए गए हैं जैसा कि दिनांक 8 फरवरी, 1984 के हिन्दुस्तान टाइम्स में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) क्या अनेक राज्यों ने गैर-सरकारी पार्टियों से गारंटी राशि का भुगतान करने पर उन्हें ठेका देने के लिए टेंडर आमंत्रित किये थे; और

(ग) लाटरियों में भ्रष्ट तरीकों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) सरकार ने 8.2.1984 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "फोड़लैंड लोट आफ लाटरीज" के शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार को देखा है। सरकार को मालूम है कि कुछ राज्य, निजी संयोजक एजेंटों के माध्यम से राज्य लाटरियाँ आयोजित करते हैं और राज्य समझौते की शर्तों के अनुसार गारंटी शुदा लाभ के रूप में संयोजक एजेंटों से एक निश्चित राशि प्राप्त करते हैं।

भारत सरकार ने सभी संबंधित राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से राज्य लाटरियों के संचालन में कथित कदाचारों की शिकायतों की जांच करने और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने हेतु अनुरोध किया है कि राज्य लाटरियों के संचालन में कदाचारों को रोका जाए।

गुजरात के उद्योग रहित जिलों में उद्योगों की स्थापना

*252 **श्री अमर सिंह राठवा :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उद्योग रहित जिलों और विशेष कर गुजरात राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) 1983 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत किन-किन जिलों में उद्योग स्थापित किए गए;

(ग) वर्ष 1884 के दौरान देश में उद्योगरहित जिलों में सरकारी क्षेत्र में अथवा गैर-सरकारी क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के संबंध में सरकार का क्या कार्यक्रम है; और

(घ) पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए दी जा रही सुविधाओं अथवा रियायतों का ब्यौरा क्या है;

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (घ) देश के गैर-औद्योगिक जिलों में उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का ब्यौरा दिनांक 27.4.1984 के प्रेस विज्ञप्ति (प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं) में दिया गया है। गुजरात से डांगस के चार आदिवासी जिलों, बढ़ौच, पचमहाल और साबरकंथा को रिआयतों/प्रोत्साहनों के पात्र जिलों की सूची में सम्मिलित कर लिया गया है।

केन्द्रीय परियोजनाओं के स्थापना-स्थल का निर्णय तकनीकी-आर्थिक आधार पर करते समय, किसी क्षेत्र के पिछड़ेपन को भी ध्यान में रखा जाता है।

उपर्युक्त रिआयतों/प्रोत्साहनों के अलावा, औद्योगिक लाइसेंस देने में सर्वोपरि प्राथमिकता भी दी जाती है।

कपड़े धोने के साबुनों के मूल्यों में वृद्धि

*253 **श्री पी. के कोडियन** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जब से पशु चर्बी के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है तब से बाजार में कपड़े धोने के साबुनों के मूल्य बहुत बढ़ गये हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रतिबंध लगाये जाने के बाद से अब तक मूल्यों में अन्तर का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या यह वृद्धि उचित है;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) से (ग) साबुनों के मूल्यों में कुछ वृद्धि होने के बारे में हाल ही में पता चला है जो देशी तेलों के मूल्यों में भिन्नता के कारण हो सकती है :

भेल द्वारा स्विवेल बेल फोंजिंग का आयात

*254 **श्री भीखा भाई** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हेवी इलैक्ट्रिकल्स और अन्य एकक तेल रिंग उपकरणों और अन्य फोर्ज्ड "मदों" के लिए फिर से स्विवेल बेल फोजिंग का आयात करने वाले हैं जबकि स्वदेशी निर्माता ऐसी मदों का निर्माण कर चुके हैं;

(ख) यदि हां, तो इनकी मात्रा कितनी होगी;

(ग) क्या ये आयातित मदें भारत में निर्मित स्वदेशी मदों से सस्ती हैं, यदि हां, उनके मूल्यों में कितना अन्तर है;

(घ) "भेल" हैदराबाद किन परिस्थितियों में ऐसी मदों के आयात को प्रोत्साहन दे रहा है;

(ङ) क्या उन्होंने स्वदेशी निर्माताओं से निविदाएं आमंत्रित की हैं यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) क्या "भेल" हैदराबाद और दूसरे एकक व्यापारियों से माल खरीद रहें हैं और छोटे उद्योगों को, जो फेब्रिकेटेड स्विवैल्स आदि का निर्माण करने में सक्षम हैं, हतोत्साहित कर रहे हैं, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राम) (क) से (ङ) भी. एच. ई. एल., हैदराबाद का विचार अपने 1984 के उत्पादन कार्यक्रम के लिए 4-4 नग पी. सी. 300 और पी. सी. 425 स्विवेल बेल फोर्जिग का आयात करने का है क्योंकि कोई भी स्वदेशी निर्माता आवश्यक क्वालिटी, विश्वसनीयता और नियत समय पर डिलीवरी देने में समर्थ नहीं हुआ है। फोर्जिगों को अगल-अलग लोडों में काम करना होता है और इन फोर्जिगों के निर्माण में क्वालिटी और विश्वसनीयता की कठोर आवश्यकता होती है। बी एच. ई. एल. ने आयात हेतु निर्णय लेने से पूर्वनिविदा पूछताछ भेज दी थी। आयातित और स्वदेशी और सप्लाई के बीच मूल्यों की तुलना करना सम्भव नहीं है क्योंकि स्वदेशी सप्लाई के लिए चालू मूल्य उपलब्ध नहीं हैं और स्वदेशी निर्माता डिलीवरी के कार्यक्रम और गुणवत्ता सम्बन्धी मानकों को पूरा करने में समर्थ नहीं हुए हैं।

(च) शीव्स के निर्माण के लिए बी.एच.ई.एल. ने किसी भी व्यापारी को क्रयादेश नहीं दिया है।

त्रिपुरा में एक पेपर मिल स्थापित करना

*255 **श्री अजय विश्वास : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने त्रिपुरा में एक पेपर मिल स्थापित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं क्यों कि त्रिपुरा के लोगों द्वारा इसके शीघ्रातिशील स्थापित किये जानने की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या है;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि रामराव) : (क) से (ग) त्रिपुरा सरकार ने राज्य में बांस संसाधनों पर आधारित एक कागज/लुग्दी कारखानेकी स्थापना करने का प्रस्ताव किया है। किन्तु इसके लिये यह भी आवश्यक है कि कागज कारखाने जैसी बड़ी परियोजना को सहायता देने के लिए पर्याप्त अवस्थापना सुविधाएं भी उपलब्ध हों चूँकि वर्तमान अवस्थापना सुविधा पर्याप्त नहीं है, अतः चालू योजना में परियोजना को आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

उद्योग जगत में भारत का स्थान

* 256 : **श्री मनोहर लाल संनी : क्या उद्योग मत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान 31 जनवरी 1984 के "इण्डिया टुडे" में

इन्डस्ट्रीयलाईजेशन डिसेन्ट अंटू "मीडियोक्रिटी" शीर्षक से प्रकाशित लेख की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या 1960 में उद्योग जगत में भारत का स्थान 10वां था लेकिन आज भारत का स्थान लगभग 20वां है क्योंकि अर्जेन्टीना, स्पेन, ब्राजील मैक्सिको आदि जैसे देशों ने भारत को पीछे छोड़ दिया है और स्विटजरलैंड, स्वीडन, बेलजियम और इन्डोनेशिया जैसे देश भी हमसे थोड़ा ही पीछे हैं और वे कभी भी भारत से आगे निकल सकते हैं; और

(ग) यदि हां, तो उद्योगीकरण की गति कम होने के क्या कारण हैं और औद्योगिक विकास की गति को तेज करने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं :

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) (क) से (ग) विभिन्न विनिर्माणकारी देशों के स्थान-निर्धारण का प्रश्न कई समस्याओं से घिरा हुआ है। ऐसी तुलना के लिए पहले तो देशों का व्यापक रूप से समावेश किये जाने की आवश्यकता है और फिर यह समावेश तुलना की अवधि के लिए एक सा भी होना चाहिए। दूसरे विभिन्न देशों में विनिर्माण से सम्बन्धित कार्य-कलापों की संकल्पनाओं, परिभाषाओं और सांख्यिकी में विषमता जैसी अन्य सीमाए हैं। वास्तव में, विचाराधीन लेख के रचनाकार ने स्वयं स्वीकार किया है कि "अन्तर्राष्ट्रीय स्थान-निर्धारण सदैव एक जटिल कार्य होता है और प्रायः भ्रामक हो सकता है।"

औद्योगिक लाइसेंसिंग और आयात नीतियों में उपयुक्त परिवर्तन करने के साथ-साथ मुद्रा और राजकोषीय उपायों तथा अवस्थापना में सुधार करके सरकार औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने के लिए कई कदम उठा रही है।

औद्योगिक उत्पादन में कमी

* 257 : **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान औद्योगिक उत्पादन की गति में तेजी नहीं आई है;

(ख) क्या अप्रैल से अक्तूबर 1983 तक के पहले सात महीनों के दौरान औद्योगिक विकास की दर केवल 4·5 प्रतिशत थी जबकि इसकी तुलना में वर्ष 1981-82 में वह 8.6 प्रतिशत थी;

(ग) क्या 1983 के पूरे वर्ष के लिये निर्धारित 8 प्रतिशत के समय लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो उसके प्रमुख कारण क्या हैं; और

(ङ) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) से (ङ) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा तैयार किए गए औद्योगिक उत्पादन एकांकों के आधार पर अप्रैल-अक्तूबर 1983

के दौरान औद्योगिक विकास की दर 4·5 प्रतिशत थी, जबकि गत वर्ष इसी अवधि के दौरान यह 4.2 प्रतिशत थी।

दिसम्बर, 1983 का त्वरित सूचकांक केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन से अब प्राप्त हो हो गया है। इसके अनुसार अप्रैल-दिसम्बर, 1983 के बीच विकास की दर 4.2 प्रतिशत थी, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में विकास की दर 3.9 प्रतिशत थी।

जैसा 27 फरवरी, 1984 को संसद में रखे गये आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है कि यदि कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों के उत्पादन में आई अत्याधिक गिरावट न आती तो 1983-84 के दौरान औद्योगिक निष्पादन अपेक्षाकृत और भी अच्छा होता। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिक्री योग्य इस्पात, कागज व गत्ता, पटसन उत्पादन तथा चीनी उद्योग हैं।

सरकार औद्योगिक लाइसेंसीकरण और आयात नीतियों में परिवर्तन करके तथा मुद्रा सम्बन्धी और राजकोषीय उपायों के माध्यम एवं अवस्थापनाओं के निष्पादन में सुधार करके उद्योग उत्पादन में तेजी लाने के लिए कई प्रकार के उपाय करती रही है।

पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करना

* 258. **श्री दिलीप सिंह भूरिया :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमि के मूल्य और बिजली की दरें अधिक होने तथा राज्य सरकारों द्वारा पिछड़े क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध न कराये जाने के कारण वहां पर औद्योगिक विकास नहीं हो रहा है;

(ख) क्या मध्य प्रदेश राज्य और उसके झाबुआ जिले के सम्बन्ध में यह कारण सही है;

(ग) क्या राज्य सरकारों द्वारा औद्योगिकरण के लिये पिछड़े क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के लिये कोई समय सीमा-निर्धारित की गई है;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार का इस प्रकार के जिलों के समग्र विकास हेतु, अर्थात् बिजली की सप्लाई, करों में छूट, केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों से राजसहायता तथा बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिये, इन्हें विशेष पिछड़े जिलों के रूप में घोषित करने की नीति बनाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) क्या झाबुआ जिले को इस प्रकार के जिलों में सम्मिलित किया गया है;

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ङ) कुछ क्षेत्रों के औद्योगिक पिछड़ेपन के भिन्न-भिन्न कारण हैं। क्षेत्रीय असंतुलनों को दूर करने के लिए सरकार पता लगाए गए पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने वाले उद्यमियों के लिए विभिन्न रियायतें/प्रोत्साहन अर्थात् लाइसेंस देने में वरीयता, केन्द्रीय पूंजी निवेश राज सहायता, रियायती वित्त आदि की व्यवस्था करती आ रही है।

केन्द्र सरकार ने "उद्योग रहित जिलों" के अवस्थापना सम्बन्धी विकास के लिए राज्य सरकारों को सहायता देने का निर्णय भी किया है। यह सहायता राज्य सरकारों द्वारा किए गए कुल व्यय का एक-तिहाई किन्तु प्रत्येक जिले के लिए अधिकतम 2 करोड़ रुपये तक होगी। अवस्थापना और मूल भूत सुख-सुविधाओं का विकास एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है जो औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए ऐसी सुख-सुविधाओं और अवस्थापना की मांग और साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करती है।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई० डी० बी० आई) द्वारा श्रेणी "क" जिलों में नई परियोजनाओं के लिए निर्माण की अवधि में परियोजना विशेष के अवस्थापना सम्बन्धी विकास के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिये जाने की घोषणा की गई है। यह सहायता परियोजना की लागत के 20 प्रतिशत तक सीमित होगी और इस सहायता पर परियोजना में वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ हो जाने के बाद रियायती ब्याज की दर लागू होगी। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक राज्य औद्योगिक विकास निगमोंगकों 5 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा तक सार्वाधिक ऋण देकर क्षेत्र की विशिष्ट परियोजनाओं की वित्त-व्यवस्था भी करेगा।

झबुआ जिले सहित मध्य प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में भूमि अधिमूल्य और बिजली की दरें उचित हैं।

झबुआ को "उद्योग रहित जिला" माना गया है और वह केन्द्र सरकार की अवस्थापना सम्बन्धी सहायता का पात्र है तथा झबुआ में उद्योग स्थापित करने वाले उद्यमी दिनांक 27.4.1983 के प्रेस टिप्पण (प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध) द्वारा घोषित सभी रियायतों/प्रोत्साहनों के पात्र हैं।

राज्य सरकार झबुआ जिले के मेघनगर में एक बड़े विकास केन्द्र की स्थापना कर रही है और झबुआ जिले के अलीराजपुर में एक औद्योगिक बस्ती भी विद्यमान है।

सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में अनुत्पादक खर्च

* 259. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1984 में उन्होंने गैर-सरकारी क्षेत्र से अनुत्पादक खर्च कम करने और मूल्य स्थिर रखने का अनुरोध किया था;

(ख) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र और अर्ध-सरकारी क्षेत्र के उद्योग में भी अनुत्पादक खर्च और फिजूलखर्ची को रोकने के लिये उपाय किये हैं;

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) अब तक उनके क्या परिणाम निकले हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) व्यय की विभिन्न मदों में मितव्ययिता के लिए सरकारी उद्यम ब्यूरो

द्वारा सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को समय समय पर अनुदेश जारी किए गए हैं। ब्यूरो अनुत्पादक और अपव्ययपूर्ण खर्चों में कटौती करने के लिए सरकारी उद्यमों को परामर्श भी देता रहा है। अन्य बातों के साथ-साथ इन अनुदेशों में निम्नलिखित अनुदेश सम्मिलित हैं :

1. कर्मचारियों की आवश्यकताओं की विशद समीक्षा करना।

2. अत्यधिक अपरिहार्य वाली परिस्थितियों को छोड़कर अगले 9 महीनों के लिए पदों के सृजन पर प्रतिबन्ध लगाना।

3. राजस्व व्यय में अधिकतम कमी करना जिसके फलस्वरूप वर्ष 1983-84 के दौरान राजस्व व्यय में कुल मिलाकर 3 प्रतिशत की कटौती की जा सके। सभी दिखावटी और मनोरंजन व्यय आदि पर कड़ाई से प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए।

4. नए कार्यों तथा विद्यमान कार्यों का विस्तार करने का काम उस दशा में छोड़कर जहां बाहरी धनराशि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, शुरू नहीं किया जाना चाहिये।

5. स्टाफ कारों और अतिरिक्त नई कारें प्राप्त करने सम्बन्धी व्यय पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए।

6 छपाई के कागज और प्रकाशनों की मांग में कमी करनी चाहिए।

7. विज्ञापनों पर होने वाले व्यय में यथा सम्भव सीमा तक कटौती की जानी चाहिए।

8. आवास की व्यवस्था सामूहिक रूप से अतिथि गृहों में की जानी चाहिए तथा अधिकारियों को पांच सितारे वाले होटलों में ठहराने से बचना चाहिए।

9. विदेशों का दौरा करने की आवश्यकता की बारीकी से जांच की जानी चाहिए।

उद्योग मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को इन अनुदेशों का कडाई से पालन करने की सलाह दी गई हैं। किन्तु मितव्ययिता विलयक विभिन्न अभ्युपायों से प्राप्त परिणामों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

"खनन अनुसंधान केन्द्र, शोध विज्ञान में या रानीति में" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

*260 **श्री शिव शरण वर्मा :**

श्री जगपाल सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार ने दिनांक 9 फरवरी, 1984 के "जनसत्ता" में "खनन अनुसंधान केन्द्र, शोध विज्ञान में या राजनीति में" शीर्षक से प्रकाशित समाचार का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) उन अधिकारियों का ब्यौरा क्या है, जिनके विरुद्ध जांच की जा रही है अथवा दंडात्मक कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जांच द्वारा जिन अधिकारियों की गलतियों का पता लगा है, उनके मामलों में कार्यवाही की गई है। वैज्ञानिक "ई" के एक मामले में चेतावनी दी गई है और वैज्ञानिक "सी" के मामले में दोष आरोपित किया गया है।

दिल्ली में कुष्ठ रोगियों द्वारा ताहिरपुर जेल कम्पलैक्स के प्रशासन के विरुद्ध विद्रोह

*261. **श्री के. ए. राजन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 400 कुष्ठ रोगियों ने पूर्वी दिल्ली में ताहिरपुर जेल काम्पलैक्स के प्रशासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, जैसा कि दिनांक 19 फरवरी, 1984 के "इण्डियन एक्सप्रैस" में प्रकाशित हुआ है : और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगे क्या हैं तथा उनके बारे में क्या कार्रवाई की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि 12 जनवरी, 1984 को ताहिरपुर में कुष्ठ रोग और क्षयरोग से पीड़ित भिखारियों और सदन के कुछ निवासियों द्वारा अधीक्षक और कुछ कर्मचारियों पर आक्रमण की एक घटना हुई थी। घटना चिकित्सा अधिकारी को सामान्य भोजन के अतिरिक्त नेमी रूप से विशेष चिकित्सा भोजन न देने बल्कि प्रत्येक मामले की जांच करने के पश्चात केवल आवश्यक होने पर विशेष भोजन देने के संबंध में समाज कल्याण निदेशालय द्वारा निदेश दिए जाने के परिणामस्वरूप हुई थी सवासियों ने चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रत्येक मामले की जांच किए बिना विशेष भोजन दिए जाने की मांग की थी। कैदियों ने कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रटाचार का आरोप भी लगाया था दिल्ली प्रशासन ने यह भी कहा है कि सदन के अधीक्षक का स्थानान्तरण कर दिया गया है और लेखों की विशेष लेखा परीक्षा की जा रही है।

सातवीं योजना के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय विकास

*262 **श्री जैनुल बशर** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना को तैयार करने की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या राज्यों के अन्दर क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिये कोई विशेष योजना विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय विकास के संबंध में कोई अध्ययन किया जा रहा है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) योजना आयोज, इस समय सातवीं पंच वर्षीय योजना के लिए नीति पत्र तैयार करने में लगा हुआ है। यह, राष्ट्रीय विकास परिषद्

द्वारा अनुमोदित होने पर, केन्द्र और राज्यों द्वारा योजना तैयार करने से संबंधित विस्तृत कार्य आरम्भ करने का आधार होगा।

(ख) से (घ) सतवीं योजना अवधि में अन्तर्राज्यीय असंतुलनों को दूर करने के लिए किसी विशेष योजना को शामिल करने से सबधित टिप्पणी करना अभी संभव नहीं हैं। जहां तक अन्तर्राज्यीय असंतुलनो का संबंध है यह सबधित राज्य सरकरों के लिए है कि वे इस समस्या के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाएं। तथापि, इस समय योजना आयोग का एक अध्ययन दल भारत के पूर्वी क्षेत्रों में कृषीय कार्य नीतियों की जांच कर रहा है जबकि कृषीय प्रवृत्तियों का अध्ययन भारतीय रिजर्व बैंक की एक समिति कर रही है। इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश शामिल होगा।

राजस्थान में मकराना खानों में बाढ़ के कारण बेरोजगार हुये श्रमिक

2795. **श्री राम लाल राही : क्या इस्पात और खान मत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में-मकराना खानों में आई बाढ़ के कारण 40 हजार श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो बाढ़ के पानी को निकालने और श्रमिकों के पुनर्वास के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो उसके कारण क्या हैं ;

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. के. पी. साल्वे) : (क) राजस्थान सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मकराना की 700 संगमरमर खदानों में लगभग 10 000 (दस हजार) मजदूर कार्यरत हैं। भारी वर्षा के कारण 140 खदानों में पानी भरा था लेकिन उसके फलस्वरुप केवल 8 खदानों ही बन्द हुई हैं। इन 8 खदानें के मजदूरों को अन्य खदानों में काम मिल गया है।

(ख) केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को सलाह दी है कि वह भारी ड्यूटी पम्प लगाकर खदानों को जल रहित करने के लिए तत्काल उपाय करें। राज्य सरकार ने इस हेतु 2 लाख रुपये स्वीकृत किए हैं तथा 35 हार्स पावर और 75 हार्सपावर के 4 भारी ड्यूटी पम्प उल्लोडीं, रावत डूंगरी और कला नद खदानों में लगाए है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए सामाजिक संगठनों को स्वीकृत धनराशि

2796 **श्री पीयूष तिरकी : क्या गृह मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980 से अब तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण

के लिए विभिन्न सामाजिक संगठनों को वर्षवार स्वीकृत की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है और संबद्ध सामाजिक संगठनों का ब्यौरा क्या है : और

(ख) उन सामाजिक कल्याण कार्यों का ब्यौरा क्या है, जिनके लिए सामान्यत: धनराशि आबंटित की जाती है :

गृह मंत्रालय मे राज्य मत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) (क) और (ख) :- सूचना अनुलग्नक में दी गई है।

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल. टी./7925/84]

गंगा के पानी का प्रदूषण

2797. **श्री सत्य साधन चक्रवर्ती** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार का पटना और कलकत्ता में और उसके आस पास गंगा का पानी अत्यधिक प्रदूषित होने के संबंध में जो मानव उपभोग के योग्य नहीं है, क्या कदम उठाने का विचार है ?

पर्यावरण विभाग में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : गंगा नदी औद्योगिक तथा घरेलू अपशिष्ट द्रव्यों, दोनों के कारण प्रदूषित हो रही है। जल प्रदूषण के निवारण एव नियंत्रण के संबंधित राज्य बोर्ड औद्योगिक बहिस्रावों को नदी में विसर्जन के नियमन के लिए उपयुक्त कार्यवाही कर रहे हैं। कलकत्ता में एक व्यापक मल-जल स्कीम का कार्यान्वयन किया जा रहा है। गंगाजल प्रणाली के बारे में सभी महानगरीय शहरों में मलजल स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, जिसमें उसके साथ-साथ पटना भी शामिल है।

सहयोगी परियोजनाओं के बारे में भारत-अमरीका करार

2798. **श्री जी.वाई. कृष्णन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहयोगी परियोजनाओं एक विस्तारित कार्यक्रम के बारे में भारत सरकार और अमरीका के वैज्ञानिकों तथा इन्जीनियरो के बीच कोई समझौता हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) और (ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत अमरीका सहयोग के तत्वावधान में अभिनिर्धारित अनेक क्षेत्रों में चल रहा है। यह दोनों देशों के वैज्ञानिकों के मध्य संयुक्त कार्यशालाओं के आयोजन, और विभिन्न क्षेत्रों मे संयुक्त परियोजनाओं के माध्यम से किया जा रहा है। इनमें भूमि और वायुमण्डलीय विज्ञान, खैर-पारस्परिक ऊर्जा स्त्रोत, सैमी कण्डक्टर डिवाइसिज, कैन्सर के विरुद्ध चिकित्सा अभिकर्मक, उत्प्रेरण सम्मिलित हैं। हाल ही में, एक अतिरिक्त बल दोनों देशों के मध्य भारत-अमरीका वरिष्ठ वैज्ञानिक पैनल की स्थापना

द्वारा इन देशों के बीच वैज्ञानिक सहयोग को और अधिक बढ़ावा मिला है, जिसमें की मलेरिया और कुष्ठ रोग के नियन्त्रण के प्रति प्रतिरक्षा वैज्ञानिक दृष्टिकोण उर्वरता विनियमन में प्रति रक्षा वैज्ञानिक तकनीकें अन्धता का नियंत्रण, जीव वैज्ञानिक नाइट्रोजन योगिकीकरण और नाइट्रोजन उपयोग; जीवभार उत्पादन और मानसून अनुसंधान, आदि-आदि जैसे क्षेत्रों में गहन सहयोग के लिए विशिष्ट क्षेत्रों का अभिनिर्धारण किया है। इन परियोजनाओं पर कार्य पहले से ही आरंभ किया जा चुका है।

20-सूत्री कार्यक्रम की पुनरीक्षा

2799. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में क्रियान्वित किए गए 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की पुनरीक्षा की गई है;

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश में 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 20-सूत्री कार्यक्रम के अतर्गत ग्रामीण विकास स्कीमों के अन्तर्गत मध्य प्रदेश में जनवरी, 1984 तक 1983-84 के लक्ष्यों और उपलब्धियों को बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

मध्य प्रदेश में 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण विकास स्कीमों के अधीन जनवरी, 1984 तक 1983-84 के लक्ष्य और उपलब्धि।

मद	इकाई	1983-84 लक्ष्य	जनवरी, 1984 तक की उपलब्धि
1	2	3	4
एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम	लाभान्वित परिवारों की संख्या	275400	191298
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	श्रम दिवस	25200000	15243000
आवंटित बेशी भूमि	एकड़	15000	3950

1	2	3	4
बसाए गए बंधुआ मजदूर परिवार	संख्या	250	171
आर्थिक सहायता प्राप्त परिवार			
(क) अनुसूचित जातियां	संख्या	196000	149841
(ख) अनुसूचित जनजातियां	संख्या	196000	188847
पेयजल की समस्या हल की गई	गांवों की संख्या	6000	4718
मकान के लिए स्थान आबंटित किए गए	संख्या	50000	32281
दी गई निर्माण सहायता	संख्या	40000	32237
ग्रामीण विद्युतीकरण			
(क) बिजली लगाए गए गांव	संख्या	3333	2608
(ख) बिजली चालित पंपसैट	संख्या	32270	26870
लगाए गए पेड़	संख्या (000)	287000	284304
स्थापित किए गए बायो-गैस संयंत्र	संख्या	5000	3524
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	संख्या	5	5
उप केन्द्र	संख्या	248	53

एककों के बन्द होने के मामलों की जांच और उनका प्रबंध ग्रहण

2800. **श्री सुनील मैत्रा** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एककों के बन्द होने के सभी मामलों की विस्तृत जांच करने तथा एक माह से अधिक अवधि से बन्द पड़े एककों का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) केन्द्र सरकार की शक्तियों और जिन परिस्थितियों में किसी औद्योगिक उपक्रम/कम्पनी के कार्यों की जांच के

आदेश दिए जा सकते हैं उनका उल्लेख उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 15 और 15क में किया गया है। इन शक्तियों का प्रयोग प्रत्येक मामले के गुणावगुणों के आधार पर किया जा सकता है। प्रश्न में उल्लिखित प्रकार की कोई सामान्य जांच करवाने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष नहीं है। दूसरी ओर रूग्ण उद्योगों के संबंध में अक्तूबर, 1981 में घोषित नीति में बैंक और वित्तीय संस्थाओं से उपेक्षा की गई है कि वे एक तैदानिक अध्ययन के आधार पर इस बात की जांच करें कि क्या रियायतें और अन्य वित्तीय राहतें देने सहित उपयुक्त उपाय करके रूग्ण एककों को पुनरूज्जीवित किया जा सकता है। आवश्यक होने पर केन्द्र तथा राज्य सरकारें भी रूग्ण एकक के पुनरूज्जीवन के वास्ते अन्य किसी प्रकार की सहायता देने पर विचार कर सकती है।

अवैध प्रवासी अधिनियम, 1983 का जलाया जाना

2801. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोई ऐसी रिपोर्ट मिली है कि विदेशियों को भारतीय नागरिकता दिए जाने के प्रयासों के विरोध में ब्रह्मपुत्र घाटी के विभिन्न भागों में विदेशियों के मामले को लेकर आन्दोलनकारियों द्वारा अवैध प्रवासी अधिनियम, 1983 की प्रतियां जलाई गई थी; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में आल आसाम स्टूडेंटस यूनियन और अन्य आसाम गण संग्राम परिषद् की मांग संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) असम राज्य सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार आंदोलनकारियों ने 30 जनवरी, 1984 को असम में कुछ स्थानों पर अवैध आप्रवासी (न्यायाधिकरणों द्वारा अवधारण अधिनियम, 1983 की प्रतियां जलाई थी। अखिल असम छात्र संघ/अखिल असम गणसंग्राम परिषद ने मांग की है कि उपर्युक्त अधिनियम निरस्त कर दिया जाये

डाक डिस्पेंचरों के समयोपरि भत्ते में असमानता

2802. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के विभिन्न विभागों के आर० एण्ड आई० अनुभागों में काम कर रहे स्टाफ कार ड्राइवर, डिस्पेचराइडर और थ्रीव्हीलर ड्राइवर जैसे कर्मचारियों को भी अपनी परिलब्धियों के 50 प्रतिशत तक समयोपरि भत्ता मिलता है;

(ख) क्या इन विभागों/अनुभागों में काम कर रहे ऐसे केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों, जो बाइसाइकलों पर डाक बांटते हैं, को उनकी परिलब्धियों के 1/3 भाग तक समयोपरि भत्ता मिलता है;

(ग) यदि हां, तो इस असमानता के कारण क्या है;

(घ) क्या सरकार का ऐसे कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते की सीमा भी उनकी परिलब्धियों के 50 प्रतिशत तक बढ़ाने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) स्टाफ कार चालकों के समयोपरि भत्ते का भुगतान स्टाफ कार नियमों द्वारा विनियमित होता है जबकि अन्य कर्मचारियों द्वारा लिया जाने वाला समयोपरि भत्ता, जिसमें डिस्पैच राइडर, तिपहिया स्कूटर चालक तथा विभिन्न विभागों के प्राप्ति तथा निर्गम अनुभागों में कार्यरत साइकल पर डाक बांटने वाले कर्मचारी भी शामिल हैं, अन्य नियमों द्वारा शासित होते हैं। हालांकि स्टाफ कार चालकों के संबंध में देय अधिकतम समयोपरि भत्ता एक महीने में 100 घंटे होता है, प्रशासनिक कार्यालयों में तथा उसी तरह के अन्य कार्यालयों में कार्यरत अन्य केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए समयोपरि भत्ते की अधिकतम सीमा उनकी मासिक परिलब्धियों का एक तिहाई होती है।

(ग) स्टाफ कार चालकों के कार्यों का स्वरूप तथा कार्य के घंटे प्रशासनिक कार्यालयों में कार्यरत अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों से भिन्न होते हैं।

(घ) तथा (ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

योजना और क्रियान्वयन प्रणाली का विकेन्द्रीकरण

2803. **श्री अर्जुन सेठी** :

श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक परामर्शदात्री परिषद् ने सिफारिश की है कि विकेन्द्री-कृत विकास योजना और क्रियान्वयन प्रणाली के लिए पृथक तकनीकी विशेषज्ञ और प्रशासनिक कार्मिक होने चाहिए और इसमें उपयुक्त स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक ताकतों के सक्रिय सहयोग की पर्याप्त गुंजाइश उपलब्ध होनी चाहिए;

(ख) क्या यह सुझाव भी दिया गया है कि विकेन्द्रीकरण करने का कार्यवाही आधार व्यापक ग्रामीण विकास की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए वर्तमान ऊर्जा के स्रोत सामान्य रूप से अपर्याप्त और बहुत महंगा होता है, विशेष रूप से कृषि और सम्बद्ध उद्योगों में अधिक उत्पादकता की आवश्यकता तथा कोयले, पन-बिजली और तेल जैसे पारम्परिक स्रोतों से ऊर्जा वाणिज्यिक ऊर्जा के पारेषण और वितरण की लागत को देखते हुए; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) आर्थिक सलाहकार परिषद की मुख्य सिफारिश यह है कि राज्यों में इस प्रकार की व्यवस्था का विकास करने के लिए राजनीतिक तथा प्रशासनिक प्रबंधों में अपेक्षित न्यूनतम परिवर्तनों सहित पंचायती राज संस्थाओं के आधार स्वरूप के भीतर विकेन्द्रित विकास योजना और कार्यान्वयन की प्रचालनात्मक रूप से प्रभावी व्यवस्था निर्मित होनी चाहिए। इसने कृषि संवृद्धि तथा ग्रामीण विकास के लिए खंड स्तरीय योजना का समर्थन किया और इसके लिए खन्ड स्तर पर व्यापक तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता पर बल दिया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीकी प्रशिक्षण, भंडारण तथा विपणन सुविधाएं, फीडर (भरण) सड़कों आदि जैसी कुछ साधारण आधार संरचनात्मक सुविधाओं के लिए और अन्तर क्षेत्रकीय संयोजन सुनिश्चित करने के वास्ते इसने जिला ार विकेन्द्रित योजना की सिफारिश की है, जबकि प्रमुख सड़कों तथा अ सुविधाओं जैसी अधिक पेचीदा तथा कीमती आधार संरचनात्मक सु वधाओं के लि र्जा आदि के सृजन तथा वितरण के लिए इसने विशेषरूप से कृषि के संबंध में योजना के के लिए कुछ एकरूपता सहित जिला और राज्य के बीच अन्य स्तर की सकल्पना क विकास प्रभाग कहा गया है। इसने यह भी सुझाव दिया है कि कृषि विकास के लिए योजना में छोटी तथा मझौली जोत वाले किसानों पर ध्यान संकेन्द्रित होना चाहिए।

जहां तक सरकार की प्रतिक्रिया का संबंध है, सरकार विकेन्द्रीकरण के बारे में हमेशा उत्सुक रही है। जिला योजना के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त राज्यों को वर्ष 1969 में ही जारी कर दिए गए थे। हाल ही में, जिला योजना तत्र को सुदृढ़ करने की एक स्कीम 1982-83 से क्रियान्वित की गई है। आर्थिक सलाहकर परिषद की सिफारिशें राज्य सरकारों को उनके विचार जानने के लिए भेजी गई हैं।

हिमाचल प्रदेश, पजाब और हरियाणा में उद्योगों की स्थापना

2804. **प्रो० नारायण चन्द पाराशर** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष 1983-84 के दौरान हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में औद्योगिक एककों की स्थापना के लिए किसी को कोई लाइसेंस दिए गए है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य के सम्बन्ध में उनका अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एककों की स्थापना कर दी गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके किस तारीख तक स्थापित कर दिए जाने की संभावना है।

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) और (ख) जी, हाँ। उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 के उपबंधों के अधीन चालू वित्तीय वर्ष

अर्थात 1 अप्रैल, 1983 से 31 जनवरी, 1984 के दौरान हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा राज्यों को निम्नलिखित औद्योगिक लाईसेंस जारी किए गये थे —

राज्य का नाम	जारी किए गये औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या
हिमाचल प्रदेश	5
पंजाब	165
हरियाणा	55

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबंधों के अधीन जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंसों का ब्यौरा भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा अपने "मन्थली न्यूज लैटर" में नियमित रूप से प्रकाशित किया जा रहा है। इस प्रकाशन की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ग) और (घ) उपर्युक्त औद्योगिक लाइसेंसों में से 1 लाइसेंस हिमाचल प्रदेश को 152 लाइसेंस पजाब को और 30 लाइसेंस हरियाणा को "काम जारी रखने" के लिए स्वीकृत किए गये हैं। चूंकि एक औगोगिक लाइसेंस के फलीभूत होने में सामान्यतर लगभग 2 से 3 वर्ष लग जाते हैं, अतः शेष औद्योगिक लाइसेंस इस समय कार्यान्वयन की विभिन्न स्थितियों से होंगे।

दक्षिणी भारत में अनसूचित जातियों के लोगों को मुसलमान बनाना

2805 **श्री निहाल सिंह** : क्या गृह मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्यायह सच है कि दक्षिणी भारत में रंगनाथपुरम जिले के अशिक्षित और गरीब अनुसूचित जातियों के लोगों को धन का लालच देकर मुसलमान बनाया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) तमिलनाड़ सरकार द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार रामानाथपुरम जिले में आदि द्रविडदारों ने इस्लाम धर्म को अपनाया है। ऐसा प्रतीत होता है कि : आदि द्राविडदार कुछ अरब देशों में लाभकारी रोजगार के अवसरों से काफी प्रभावित हैं जो मुसलिम मजदूरों को प्राथमिकता देते हैं। संबन्धित जिला समाहर्ता और पुलिस उप-महानिरीक्षक ने उन कारणों का अध्ययन करने के लिए गांवों का दौरा किया, जिसकी वजह से ऐसे धर्मपरिवर्तन होते हैं। इसके अतिरिक्त, जिला प्राधिकारियों ने क्षेत्र में आदि द्रविडदारों की शिकायतों का पता लगाने और ऐसी शिकायतों के समाधान हेतु तुरन्त कार्रवाई करने के लिए एक विशेष अभियान शुरु किया है। राज्य सरकार द्वारा समाहर्ता को भी यह निदेश दिया है कि वे स्थिति की गहराई से समीक्षा करने के लिये सभी संबन्धित जिला अधिकारियों की पाक्षिक बैठकें आयोजित करें। राज्य सरकार ने यह भी जोर दिया है कि नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन अपराध

अविलम्ब दर्ज किए जाने चाहिए और तुरन्त अनुवर्ती कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि दण्ड दिया जा सके।

केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान द्वारा आविष्कृत पेटेंट और प्रक्रियाओं से आय

2806 **श्री ए० के० राय** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान (धनबाद) द्वारा आविष्कृत पेटेंटों और प्रक्रियाओं से पिछले पांच वर्षों के दौरान प्राप्त हुई आय का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि में केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान द्वारा जो ग्रामीण अर्थ व्यवस्था के लिए धान के भूसे से हाई ग्रेड सिलिका और ओक्सालिक एसिड का निर्माण किया गया है बहुत लाभदायक होगा; और

(घ) यदि हां, तो तथ्यों का ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष इलैक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) गत पांच वर्षों की अवधि में सी. एफ. आर. आइ. द्वारा विकसित किये प्रक्रमों और पेटेन्टों के विमोचन से हुई कुल आय 4,43,600 रुपये हैं। वर्षवार वित्तीय ब्यौरा इस प्रकार है :

वर्ष	आय
	(रुपये)
1979-80	37,000
1980-81	83,600
1981-82	4,000
1982-83	2,62,000
1983-84	57,000
जनवरी, 84 तक	4,43,600

(ख) उसी अवधि में सी. एफ. आर. आइ. पर कुल व्यय 1404.507 लाख रुपये था। वर्षवार ब्यौरा इस प्रकार है :

वर्ष	व्यय
	(रु० लाखों में)
1979-80	204.258
1980-81	259.962
1981-82	274.516
1982-83	330.861
1983-84	334.910
स्वीकृत प्रावधान	1404.507

(ग) जी, हां। उच्च स्तरीय सिलिका और धान की भूसी से ऑक्सालिक एसिड प्राप्त करने के लिए सी. एस. आर. आइ. ने प्रयोगशाला स्तरीय प्रक्रम विकसित किया है।

(घ) जुलाई 1983 में प्रक्रम बिहार की एक लघु औद्योगिक फर्म को संस्थान के सहयोग से बढ़ाकर 50 कि० ग्राम/प्रतिदिन करने के लिए दिया गया। वाणिज्यिक संयंत्र के लिए डिजाइन आंकड़े पाने के लिए यूनिट की स्थापना दुमका (बिहार) में की जाएगी। संयंत्र और विकास कार्य के लिए फर्म द्वारा धन लगाया जायेगा।

आस्ट्रिया द्वारा भारत में इस्पात संयंत्र की स्थापना की पेशकश

2807. **श्री चिन्तामणि जेना :**

श्री हरिहर सोरन : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आस्ट्रिया ने भारत में संघ इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिए वित्तीय प्रस्ताव रखा है;

(ख) यदि हां, तो उसकी शर्तें क्या हैं;

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) निकट भविष्य में देश में इस्पात सयंत्र की स्थापना के सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है;

(ङ) क्या उसके लिए किसी स्थान का चयन किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य-मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) से (ग) भारत-आस्ट्रिया आयोग की दिसम्बर, 1983 के प्रथम सप्ताह में हुई पहली बैठक में आस्ट्रिया ने राउरकेला इस्पात कारखाने के आधुनिकीकरण और इसके विस्तार तथा विजयनगर में एक

नया इस्पात कारखाना लगाने के लिए वित्तीय सहायता देने की पेशकश की थी। सरकार ने उनकी इस पेशकश को नोट कर लिया है।

(घ) से (च) विशाखापत्तनम में एक इस्पात कारखाने का निर्माण कार्य चल रहा है।

सरकार ने दो और इस्पात कारखाने—एक उड़ीसा में दैतारी में तथा दूसरा कर्नाटक में विजयनगर में लगाने के बारे में सिद्धांत रूप से निर्णय ले लिया है। विजयनगर तथा दैतारी में इस्पात कारखाने लगाने का सरकार का निर्णय पक्का है लेकिन कई अध्ययनों से यह सिद्ध हो गया है कि देश में विद्यमान परिस्थितियों में धमन-भट्टी प्रक्रिया पर आधारित इस्पात कारखाना लगाने पर बहुत अधिक खर्च आएगा और इससे काफी हानि होगी। इसलिए प्रस्तावित इस्पात कारखानों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तथा लागत की दृष्टि से श्रेष्ठ प्रौद्योगिकी तथा प्रॉडक्ट मिक्स का चयन करने के लिए कई वैकल्पिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जा रहा है। आशा है कि इन इस्पात कारखानों को कार्यान्वित करने के लिए आर्थिक दृष्टि से सक्षम योजना शीघ्र ही तैयार कर ली जाएगी।

औपचारिक अनुशासनात्मक कार्यवाही आरम्भ करने के लिए प्रारम्भिक जांच गठित करने सम्बन्धी अनुदेश

2808 **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यह निर्णय करने के लिए कि क्या बड़ा दंड देने के लिए औपचारिक अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिये प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है, प्रारम्भिक जांच की जाती है;

(ख) इसके लिए कोई विस्तृत अनुदेश जारी किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या उनकी एक प्रति सभापटल पर रखी जाए ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) नियमों के अधीन इस तरह की कोई अपेक्षा नहीं है कि औपचारिक अनुशासनिक कार्यवाही आरम्भ करने से पूर्व किसी प्रकार की प्रारम्भिक जांच की जाए।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण

2809. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसके लिए अनुमान कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी;

(ग) क्या दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण के लिए ब्रिटिश सरकार भारत की सहायता करने के लिए सहमत है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य-मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) : ब्रिटेन की सरकार तथा कुछ अन्य सरकारों ने दुर्गापुर इस्पात कारखाने के आधुनिकीकरण में सहायता देने में अभिरूचि दिखायी है।

अगस्त, 1983 में ब्रिटेन की सरकार ने सुझाव दिया था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत सरकार को भी जाने वाली द्विपक्षीय सहायता में से पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रतिवर्ष 2 करोड़ पाउन्ड की राशि इस परियोजना के काम में लाई जा सकती है।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने का आधुनिकीकरण करने के बारे में स्टील अथारिटी ऑफ इण्डिया लि० द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। सरकार द्वारा पूंजी-निवेश सम्बन्धी प्रस्तावों को अनुमोदित करने के पश्चात् ही योजना के ब्यौरे (अनुमानित खर्च भी शामिल है) तथा इस बात का पता चल सकेगा कि यह योजना कितने समय में पूरी होगी। पूंजी-निवेश सम्बन्धी प्रस्तावों का अनुमोदन हो जाने के पश्चात् ही इस बात के बारे में निर्णय लिया जाएगा कि बाहर से धन की व्यवस्था किस प्रकार सर्वोत्तम ढंग से की जा सकती है।

1980 से 1983 के दौरान देश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के हत्या किये गए व्यक्तियों की संख्या

2810 **श्री बिजय कुमार यादव** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980 से 1983 के दौरान प्रत्येक वर्ष में देश में राज्य-वार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने लोगों की हत्या हुई : और

(ख) हत्या के इस प्रकार के मामलों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारा सिन्हा) : (क) राज्य सरकारों द्वारा भेजी गई सूचना के आधार पर एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

(ख) सरकार अनुसूचित जातियों पर अत्याचार के अभिशाप को समाप्त करना को अत्याधिक महत्व देती है। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने गृह मंत्री के तरीख 10 मार्च, 1980 के अर्धशासकीय पत्र के तहत अनुसूचित जातियों पर अत्याचारों को रोकने के लिए एहतियाती, निवारक, दण्डात्मक और पुनर्वासात्मक उपायों के संबंध में व्यापक मार्गदर्शी सिद्धान्त भेजे हैं। इसी प्रकार के मार्गदर्शी सिद्धान्त अनुसूचित जनजातियों के संबंध में भी दोराहे गए थे। सरकार उनके प्रभावकारी कार्यान्वियन के लिए राज्य सरकारों से कार्यवाही करने के लिए आग्रह करती रहती है।

विवरण

हत्या के मामलों की संख्या

क्रम सं०	राज्य	1980		1981		1982		1983 (तक)	
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजातियां	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित जनजातियां	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित जनजातियां	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित जनजातियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	14	2	9	शून्य	16	01	10	01 (सित०)
2.	बिहार	57	5	69	4	72	05	59	06 (अक्तू०)
3.	गुजरात	11	2	14	4	13	07	20	07 (दिस०)
4.	हरियाणा	05	शून्य	शून्य	शून्य	01	शून्य	01	शून्य (दिस०)
5.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	उ०न०	शून्य	उ०न०	01	उ०न०	02	उ०न० (दिस०)
6.	जम्मू एवं कश्मीर	04	उ०न०	02	उ०न०	02	उ०न०	01	उ०न० (अक्तू०)
7.	कर्नाटक	18	1	24	1	19	01	15	02 (दिस०)
8.	केरल	06	शून्य	04	1	04	02	06	शून्य (अक्तू०)
9.	मध्य प्रदेश	68	33	74	67	88	94	108	116 (दिस०)
10.	महाराष्ट्र	23	14	24	13	19	06	17	13 (दिस०)
11.	उड़ीसा	03	शून्य	05	01	10	01	09	01 (दिस०)
12.	पंजाब	10	शून्य	09	शून्य	13	शून्य	08	शून्य (दिस०)
13.	राजस्थान	35	07	35	16	37	14	35	09 (दिस०)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	तमिलनाडु	01	शून्य	02	शून्य	05	शून्य	13	शून्य (नव०)
15.	त्रिपुरा	शून्य	शून्य	02	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य (नव०)
16.	उत्तर प्रदेश	236	शून्य	214	शून्य	208	शून्य	202	शून्य (दिस०)
17.	पश्चिम बंगाल	09	03	04	03	06	02	03	शून्य (सित०)

टिप्पणी : अन्य राज्यों के संबंध में सूचना शून्य है।

उ०न०—उपलब्ध नहीं है।

बस्ती में उद्योगों की स्थापना करना

2811. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : क्या सरकार का ध्यान 5 फरवरी, 1984 के दैनिक हिन्दुस्तान में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की संख्या बढ़ाने के संबन्ध में सरकार ने कहा है कि नए उद्योगों की स्थापना देश में पिछड़े क्षेत्रों विशेषकर उद्योग रहित जिलों में की जाएगी ?

(ख) यदि हां, तो क्या बस्ती जिला (उत्तर प्रदेश) औद्योगिक रूप से पिछड़ा जिला है और केन्द्रीय सरकार द्वारा वहां पर सरकारी क्षेत्र का कोई भी उद्योग स्थापित नहीं किया गया है ;

(ग) क्या सरकार का बस्ती जिले में सरकारी क्षेत्र में कोई प्रमुख उद्योग स्थापित करने का विचार है ; और

(घ) : यदि हां, तो उसकी स्थापना कब तक कर दी जाएगी और यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं.'

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी. पट्टाभि राम राव) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी ।

विदेशी ट्रेड मार्कों का प्रयोग :

2812. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी ब्रांड नामों का प्रयोग निरुत्साहित करने की सरकार की नीति और बार-बार दोहराये गए सरकार के वक्तव्यों के बावजूद कि उन्हें भारतीय बाजार में उनकी अनुमति नहीं दी जाएगी विदेशी ब्रांड नाम काफी बड़ी सख्या में चोरी-छिपे भारत में आ रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने लोहिया मशीन्स द्वारा वेस्पा स्कूटरों और एस्कोर्ट्स द्वारा यामाहा और डंकन्स द्वारा रोथमन्स सिगरेटों चलाने और हिन्दुस्तान मिल्क फूड्स के निर्माताओं द्वारा "मरमाइट सेंन्डविच स्प्रेड", के मामले में विदेशी ब्रांड नामों का प्रयोग किए जाने की अनुमति किन परिस्थितियों में दी है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) सरकार ने इनमें से किसी भी पार्टी को विदेशी ब्रांड नामों का इस्तेमाल करने की मंजूरी नहीं दी है ।

सोवियत संघ के सहयोग से परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना

2813. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सोवियत संघ के सहयोग से परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उनके लिए किन स्थानों का चयन किया गया है और सोवियत संघ के सहयोग से कितने परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना का प्रस्ताव है;

(ग) इन संयंत्रों में से प्रत्येक की कुल उत्पादन क्षमता कितनी होगी; और

(घ) इस प्रकार के सोवियत संघ से सहायता प्राप्त परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के देश में कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (घ) सोवियत संघ ने भारत में ऐसे रिएक्टरों के निर्माण में सहायता देने की पेशकश की है जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 440 मेगावाट होगी। पेशकश के तकनीकी पहलू सुनिश्चित किए जा चुके हैं और उनका मूल्यांकन किया जा रहा है। पेशकश के अन्य पहलुओं पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है। पेशकश के बारे में अथवा इस बारे में कि ऐसे रिऐक्टर कहां लगाए जा सकते हैं, अभी कोई फैसला नहीं किया गया है।

खटवे और ततवा जातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करना

2814. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या गृह मंत्री खटवे और ततवा जातियों को अनुसूचित जातियों की श्रेणी में शामिल करने के बारे में 16 नवम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 443 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने केन्द्रीय सरकार को खटवे और ततवा जातियों को अनुसूचित जातियों की श्रेणी में शामिल करने के लिए बार-बार लिखा है; और

(ख) यदि हां, तो इन्हें शामिल करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं;

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों के प्रस्तावित विस्तृत संशोधन के संदर्भ में बिहार में अनुसूचित जातियों की सूची में खटवे तथा ततवा जातियों को शामिल करने के बारे में बिहार राज्य सरकार से टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं। परन्तु इनकी विषय वस्तु को इस अवस्था में लोक हित में प्रकट नहीं किया जा सकता।

(ख) बिहार के संबंध में अनुसूचित जातियों की सूचि में उक्त समुदायों को शामिल करने के अलग से प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सकता। इस पर अन्य सभी ऐसे प्रस्तावों, सिफारिशों, अभ्यावेदनों और सुझावों के साथ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों के प्रस्तावित विस्तृत संशोधन के संदर्भ में संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के साथ परामर्श करके और अनुसूचित जातियों की सूचियों में किसी समुदाय को शामिल करने के लिए इस मामले में अपनाए जाने वाले संबंधित मानदण्डों के अनुसार विचार

किया जाएगा। कुछ राज्य सरकारों से अभी टिप्पणियों की प्रतीक्षा है और उनको नियमित रूप से अनुस्मारक भेजे जा रहे हैं। सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से पूरी टिप्पणियां प्राप्त होने के पश्चात ही इस मामले में अंतिम दृष्टकोण अपनाना संभव होगा।

राजस्थान में टगस्टन के भडार

2815. **श्री कृष्ण कुमार गोयल :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में टंगस्टन के बड़े भण्डार पाये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके वाणिज्यिक उपयोग के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन. के. पी. साल्वे) : (क) और (ख) जिला नागौर के देगाना में टंगस्टन के ज्ञात निक्षेपों के अलावा हाल में ही सिरोही जिले के बादला क्षेत्र में 0.124% डब्यू ओ 3 (औसत) वाले टंगस्टन अयस्क के 1,19,097 टन भंडार तथा 0.19% डब्लू ओ 3 (औसत) वाले 43,750 टन अतिरिक्त अयस्क भंडारों का अनुमान लगाया गया है। राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लि. इस समय देगाना निक्षेपों का खनन कर रहा है। अन्य निक्षेपों का खनन उनकी आर्थिक साध्यता की पुष्टि होने के बाद ही शुरू किया जाएगा।

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र को प्राप्त हुए गृह-निर्माण ऋणों के आवेदन

2816. **श्री डी. एस. ए. शिवप्रकाशम :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के प्राधिकारियों को 1983 के दौरान वैज्ञानिकों और इन्जीनियरों से गृह निर्माण ऋण के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए;

(ख) कितने आवेदनों को निपटाया जा चुका है और कितने अभी तक लम्बित हैं; और

(ग) विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) वर्ष 1983 में 161 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए। इसके अलावा 420 आवेदन-पत्र पिछले वर्षों से लम्बित पड़े थे।

(ख) विचाराधीन 581 आवेदन-पत्रों में से 364 के मामले में ऋण दिया गया।

(ग) गृह निर्माण ऋण के आवेदन-पत्रों के निपटान में कोई भी प्रशासनिक विलम्ब नहीं हुआ है।

विभिन्न प्रकार के इस्पात का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य

2817. **श्री बृज मोहन महंती** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कोई अध्ययन किया गया है कि विभिन्न प्रकार के इस्पात का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य स्थानीय मूल्य से कम है;

(ख) यदि हां, तो क्या मूल्य को उस स्तर तक कम करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं, जिससे कि इस्पात निर्यात प्रतिस्पर्धा का मुकाबला कर सके; और

(ग) क्या सरकारी मूल्य स्तर को निर्धारित करते समय सामान्य व्यक्ति द्वारा मकानों के निर्माण के लिए आवश्यक इस्पात सामग्री के मूल्यों को उसकी समर्थ सीमा तक रखने के बारे में विचार किया जा रहा है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य-मन्त्री (श्री एन. के. पी. साल्वे) : (क) लन्दन और जापान के मैटल बुलेटिनों में प्रकाशित मूल्यों के आधार पर "सेल" द्वारा हाल में किए गए एक विश्लेषण के अनुसार जून-दिसम्बर, 1983 की अवधि में विभिन्न प्रकार के इस्पात के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य गोल छड़ों, तार छड़ों, संरचनात्मकों, प्लेटों, चादरों/क्वायलों जैसी मदों के लिए देश में उत्पादित इस्पात के लिए संयुक्त संयत्र समिति के आधार मूल्यों की तुलना में काफी कम थे।

(ख) इस्पात के अन्तरराष्ट्रीय बाजार में व्यापत सामान्य मंदी के रूख के कारण विश्व के इस्पात बाजार में इस्पात के मूल्यों में कमी आई है।

फिर भी चयनात्मक आधार पर निर्यात करने के लिए सक्रिय रूप से निर्यात-अभियान शुरू किया गया है। "सेल" ने हाल के कुछ हफ्तों में 100,000 टन इस्पात का निर्यात करने के लिए आर्डर प्राप्त किए हैं।

(ग) देशीय इस्पात के मूल्यों को नियंत्रित करने की कोई व्यवस्था नहीं है। सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों द्वारा उत्पादित बढ़िया इस्पात की सामग्री की सामान्य श्रेणियों के मूल्य संयुक्त संयत्र समिति द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाते हैं।

मकानों के निर्माण के लिए सामान्यतया छड़ों, गोल छड़ों और जस्ती नालीदार चादरों का इस्तेमाल किया जाता है। मकानों के निर्माण के लिए आवश्यक छड़ों और गोल छड़ों की आवश्यकताओं तीन-चौथाई मात्रा की सप्लाई गौण उत्पादकों और लघु इस्पात कारखानों द्वारा की जाती है। जस्ती नालीदार चादरों की अधिकांश आवश्यकता की पूर्ति लघु उद्योग क्षेत्र की नालीदार चादरें बनाने वाली इकाइयों द्वारा की जाती है। गौण उत्पादक, लघु इस्पात कारखाने और नालीदार चादरें बनाने वाली इकाइयां अपने उत्पादों के मूल्य स्वयं निर्धारित करती हैं।

'कम्पयूटर शाप'

2818. **श्री के. एन. मालन्ना** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल ही में एक निर्णय लिया है कि एकाकीकृत कम्प्यूटर केन्द्रों की नई योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष के दौरान देश में 20 से अधिक महानगरों मे भिन्न शहरों में एक ऐसे केन्द्र, जिन्हें 'कम्प्यूटर शाप' कहा जाएगा, खोले जाएंगे; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस योजना का ब्योरा क्या है और ये केन्द्र महानगरों भिन्न किन शहरों में कहां-कहां खोले जाएंगे ?

इलेक्ट्रॉनिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमन्त्री (डा. एम. एस. संजीवी राव): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

जम्मू और काश्मीर में कागज लुगदी उद्योग की स्थापना

2819. **श्री अब्दुल रशीद काबुली** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का जम्मू और काश्मीर, में जो कागज लुगदी के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किए जाने वाले वन उत्पादों के मामले में काफी समृद्ध है, सरकारी क्षेत्र में कागज लुगदी उद्योग लगाने का विचार है;

(ख) क्या सरकार परियोजना को सम्भावनाओं का सर्वेक्षण करेगी, जिसे देश में अखबारी कागज और अन्य कागज उत्पादों की कमी को देखते हुए प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता है; और

(ग) यदि अब तक इस प्रकार का कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है, तो क्या सरकार इसके लिये आदेश जारी करेगी;

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) से (ग) : जम्मू और काश्मीर में कागज परियोजना स्थापित करने की सम्भावना पर समय-समय पर विचार किया गया है, परन्तु राज्य के मूल्यवान वन संसाधनों पर विवादास्पद दावों, पर्यावरण और तकनीकी-आर्थिक पहलुओं पर इसके सम्भावित प्रभाव को देखते हुए कागज/अखबारी कागज मिल की स्थापना करना सम्भव नहीं पाया गया है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान मारे गये/घायल हुये सीमा सुरक्षा बल के कर्मचारियों की संख्या

2820. **श्री नवल किशोर शर्मा** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में विभिन्न स्थानों पर उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ में सीमा सुरक्षा बल के कुल कितने कर्मचारी मारे गए/घायल हुए :

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में कुल कितने उग्रवादी और घुसपैठिए गिरफ्तार किए गए : और

(ग) सीमा सुरक्षा बल के मारे जाने वाले और घायल होने वाले कर्मचारियों को दिए जाने वाले मुआवजे का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) सीमा सुरक्षा बल के चार कार्मिक मारे गए थे।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथासमय सभापटल पर रख दी जाएगी।

(ग) ड्यूटी पर जख्मी हुए और चिकित्सक बोर्ड के आधार पर सेवा से हटाए गए सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों तथा ड्यूटी पर मारे गए सी. सु. बल के कार्मिकों के परिवारों को नियमों के अधीन पेंशन के लाभ ग्राह्य हैं। इसके अतिरिक्त कारंवाई में मारे गए सी. सु. बल के कार्मिकों के परिवारों को सी. सु. बल की हितकारी निधि से 20,000 रुपये का एकमुश्त अनुदान और 10 वर्ष की अवधि तक 200/- रु० की मासिक वित्तीय सहायता दी जाती है। सी. सु. बल के दिवंगत कार्मिक के दो बच्चे भी अपनी शिक्षा के लिए सी. सु. बल के विशेष राहत कोष से वित्तीय सहायता के हकदार हैं। 5000/- रुपये तक की वित्तीय सहायता के सी. सु. बल के विशेष राहत कोष/कल्याण निधि से सी. सु. बल के दिवंगत कार्मिक की पुत्री के विवाह के लिए दी जाती है।

सरणीबद्ध वस्तुओं के आयात के लिए नई प्रक्रिया

2821. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने हाल ही में, निजी पार्टियों की ओर से इस्पात की तारों, छड़ों आदि जैसी सरणीबद्ध वस्तुओं के आयात के लिए नई प्रक्रिया बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो इस नई प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. के. पी. साल्वे) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता। फिर भी "सेल" ने आयात सम्बन्धी कार्य में तेजी लाने के लिए अपनी कार्य-पद्धति को सुप्रवाही बनाने के लिए कदम उठाए हैं।

बाल बेयरिंगों का आयात

2822. **श्री ए. नीलीलोहितादसन नाडार** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बाल बेयरिंग में देश के आत्मनिर्भर हो जाने (5 फरवरी,

1984 का बिजनेस स्टैंडर्ड) को देखते हुए आत्म-निर्भरता को बनाये रखने के लिए बाल बेयरिंग के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने की मांग की ओर दिलाया गया है; और

(ख) क्या यह सच है कि देश के स्वदेशी उत्पादन में गुणवत्ता भाषा के और लक्ष्य पूरे कर लिए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : जी, हां।

(ख) देश में संगठित क्षेत्र में बनाये गये बेयरिंग पसंद किए जाने वाले किस्म के होते हैं। देश में बनाये जाने वाले बाल-बेयरिंग अधिकांशतः आकारों की मांग पूरी करते हैं उन आकारों के बेयरिंगों, जो देश में नहीं बनाये जाते हैं, की मांग आयात करके पूरी की जाती है।

ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम

2823. **श्री छोटूभाई वासवित** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग द्वारा देश में ग्रामीण विद्युत उपभोक्ताओं की कठिनाइयों के बारे में कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बार-बार व्यवधान वोल्टेज में उतार-चढ़ाव, मरम्मत सुविधाओं का अभाव और कनेक्शन दिए जाने में विलम्ब आदि कुछ प्रमुख कठिनाइयां हैं जिन्हें ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत बिजली के कनेक्शन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को सामना करना पड़ता है;

(ग) यदि हां, तो क्या अध्ययन दल द्वारा इस सम्बन्ध में कोई सुझाव दिये गये हैं;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को इन योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचा है हालांकि कुछ राज्य सरकारों ने उनके मामले में आर्थिक क्षमता के मापदण्ड काफी नीचे कर दिए हैं किन्तु फिर भी वे विद्युतीकरण का लाभ नहीं उठा पाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) और (ख) जी, हां। योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने वर्ष 1979-81 की अवधि में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम का मूल्यांकन अध्ययन किया था। कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने क्रमशः जनवरी, 1982 और नवम्बर, 1983 में दो खंडों में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि सर्वेक्षित प्रत्येक छठे गांव ने विद्युत की पूर्ति में प्रतिदिन लगभग दो व्यवधानों के बारे में बताया था। इसके अतिरिक्त, दीर्घावधि तथा बोझिल कार्यप्रणालियों के कारण बिजली के कन्नेक्शन प्राप्त करने में विलम्ब हुआ था। रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि अधिकांश गांवों को सामान्यतः गावों से केवल पांच कि. मी. की दूरी से परे मरम्मत की सुविधाए उपलब्ध थीं।

(ग) रिपोर्ट में इस सम्बन्ध में दिये गए कुछ सुझाव ये हैं :—

(1) विद्युत कनेक्शन देने में लगने वाले समयान्तर को कम करके कनेक्शन देने में न्यूनतम समय लगाने लिए प्रयत्न किये जाने चाहिए ताकि कीमती उपस्कर अनुपयुक्त न रहने पाए।

(2) जिले/क्षेत्र/बिजली उपमंडल के भीतर पर्याप्त संख्या में बिल जमा कराने के केन्द्र अवस्थित होने चाहिए।

(3) यह आवश्यक है कि विद्युत व्यवधानों को कम करने के लिए विद्युत विभाग को एक जुट प्राप्त करने चाहिए।

(4) मरम्मत की सुविधाएं गांवों से उचित दूरी के भीतर उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

(घ) जी, हां। यह कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन के अध्ययन के निष्कर्षों में से एक है।

(ङ) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने इन क्षत्रों में परियोजनाएं मंजूर करने के लिए वित्त व्यवस्था सम्बन्धी अपनी नीतियों को उदार बनाया है। अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा ब्याज की दर, ऋण स्थगन अवधि, अदायगी तथा व्यवहार्यता के मापदण्डों को कम रखा गया है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने अपने पूंजी आधार से ट्रांसफार्मर के वितरण तथा 11 के. बी. लाइनों की लागत को छोड़कर जनजातीय क्षेत्रों से ग्रामीण विद्युतीकरण स्कीमों की व्यवहार्यता के अभिकलन में और छूट दी है। ऊर्जा मंत्रालय रिपोर्ट में दी गई समस्याओं के प्रति पहले ही जागरूक है और उनके द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

गोदावरी घाटी कोयला क्षेत्र के निकट कोयले के निक्षेप

2824. **श्री अनन्त रामुलु मल्लू** : क्या **इस्पात और खान मत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय भू-सर्वेक्षण विभाग ने आन्ध्र प्रदेश में गोदावरी घाटी कोयला क्षेत्र के निकट भोपाली पाली चेलूर क्षेत्र में पहली बार आर्थिक रूप से व्यवहार्य कोयले के निक्षेपों का पता लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में योजना का ब्यौरा क्या है और इन निक्षेपों का उपयोग करने के लिये सरकार का क्या कार्यक्रम है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. के. पी. साल्वे) : (क) आन्ध्र प्रदेश के जिला वारंगल के भोपाली पाली-चेलूर सैक्टर में भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किये गए क्षेत्रीय अन्वेषण के फलस्वरूप 8 जुड़ी हुई कोयला पट्टियों की पुष्टि हुई है।

(ख) कोयला विदोहन और उस पर पूंजी निवेश की योजना व्यापक भू.वैज्ञानिक सर्वेक्षण रिपोर्ट मिलने के बाद तथा कोयला भंडारों के दोहन की प्रौद्यो-आर्थिक साध्यता की पुष्टि होने पर ही शुरू की जा सकती है।

गुजरात में पाये जाने वाले खनिज

2825. **श्री नवीन रावणी : क्या इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में उपलब्ध विभिन्न खनिजों का ब्यौरा क्या है;

(ख) छठी योजना अवधि के दौरान इन खनिजों का उचित उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं; और

(ग) उनमें अब तक कितनी सफलता मिली है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. के. पी. साल्वे) : (क) गुजरात में अनेक खनिज पाये जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण खनिज बाक्साइट, बेन्टोनाइट, तांबा अयस्क, सीसा जस्ता अयस्क, चीनी मिट्टी, डोलोमाइट, फायरक्ले, फ्लोराइट, ग्रेफाइट, जिप्सम, लिग्नाइट, चूना-पत्थर, मैंगनीज अयस्क, क्वार्टज, सिल्का सैंड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस हैं।

(ख) और (ग) गुजरात सरकार का छठी पंचवर्षीय योजना में बाक्साइट, बेन्टोनाइट, चूनापत्थर, लिग्नाइट, कोयला, फास्फोराइट क्ले की खोज पर जोर रहा है और उसने बेसमेटल, सिलिका सैंड और लवण की खोज के लिए 61 खोजी दल तैनात किए हैं। छठी योजना शुरू होने से दिसम्बर, 1983 तक 4099 वर्ग मीटर का भू-वैज्ञानिक मानचित्रण तथा 17.155 मीटर में ड्रिलिंग कार्य हो चुका है।

दिल्ली पुलिस का दहेज विरोधी कक्ष

2826. **श्री बी. वी. देसाई :**

श्री मोहन लाल पटेल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत जनवरी में स्थापित दिल्ली पुलिस दहेज विरोधी कक्ष महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की दर में लगभग 11 प्रतिशत कमी लाने में सफल हुआ है :

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 1983 के दौरान दहेज सम्बन्धी मौतों में 33 प्रतिशत गिरावट आई है; और

(ग) यदि हां, तो इन दहेज सम्बन्धी मौतों में और कमी करने हेतु क्या अन्य प्रयास किए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकट सुब्बय्या) : (क) 1-4-1982 से 31-3-1983 की अवधि के दौरान दिल्ली पुलिस को सूचित किये गए महिलाओं के जलने के 619 मामलों की तुलना में वर्तमान वित्तीय वर्ष में 1-4-1983 से 30-11-1983 तक अर्थात् पहले आठ महीनों के दौरान महिलाओं के जलने के 371 मामलों को सूचित किया गया है। इससे घटती हुई प्रवृत्ति मालूम होती है। दिल्ली पुलिस का दहेज विरोधी कक्ष प्राथमिक रूप से दहेज के कारण मृत्युओं के मामले और दहेज के कारण उत्पीड़न के मामलों की जांच पड़ताल करता है।

(ख) 1983 के दौरान 42 मामले सूचित किये गए थे जिनमें दहेज के कारण उत्पीड़न से मृत्यु का आरोप लगाया गया था। वर्ष 1982 के दौरान ऐसे 40 मामले हुए हैं।

(ग) दहेज की बुराई के विरुद्ध जन.सम्पर्क और दूरदर्शन के माध्यम से प्रचार किया जाता है। दहेज निषेध अधिनियम का संशोधन किया जा रहा है। दहेज मौतों के मामलों को निपटाने के लिए विशेष न्यायालय स्थापित किये गए हैं और दहेज पीड़ितों की मृत्यु के समय की गई घोषणा को आलेखित करने के लिये विशेष मजिस्ट्रेटों को नामांकित किया गया है।

राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला पूसा में श्रमिकों का नौकरी से निकाला जाना

2827. **श्री हीरालाल आर. परमार :** क्या **प्रधान मंत्री** राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में श्रमिकों को नौकरी से निकाले जाने के बारे में 24 अगस्त, 1983 के अतारांतिक प्रश्न संख्या 4681 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच जानकारी एकत्रित कर ली गई है तथा यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण है तथा यह जानकारी सभा पटल पर किस तारीख तक रख दी जाएगी;

(ग) दिनांक 1 मार्च, 1983 को कितने श्रमिकों को नौकरी से निकाला गया था तथा उनमें से कितने श्रमिकों को नौकरी पर वापिस ले लिया गया है; और

(घ) सभी श्रमिकों को नौकरी पर वापिस लेने के क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष इलैक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) और (ख) जी, हां। प्राप्त की गई सूचना की जांच की जा रही हैं और अतारांकित प्रश्न संख्या 4681 के उत्तर में एक विवरण सदन के सभा पटल पर अलग से रख दिया जायेगा।

(ग) सारांश में, दिनांक 1-3-1984 को 47 दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों की सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं। उनमें से किसी को भी दुबारा काम पर नहीं रखा गया।

(घ) यह कार्य ठेके पर किया जा रहा है।

गोपालपुर, उड़ीसा में रेअर अर्थ काम्पलैक्स का पूरा होना

2828. **श्री गिरिधर गोमांगो : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के गोपालपुर में रेअर अर्थ काम्पलैक्स के निर्माण कार्य के संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) इसे चालू करने के लिए परियोजना कार्य के समय पर पूरा करने हेतु परमाणु ऊर्जा विभाग ने क्या कदम उठाए हैं ; और

(ग) इसका निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा तथा इसमें उत्पादन कब से शुरू होगा ;

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) उड़ीसा के गजम जिले में छतरपुर नामक स्थान पर इंडियन रेअर अर्थस लिमिटेड की उड़ीसा खनिज रेत उद्योग समूह परियोजना का निर्माण-कार्य सक्रियतापूर्वक किया जा रहा है। तलकर्षण एवं आर्द्र सांद्रण संयंत्र बनाकर लगाया जा चुका है। खनिज रेत पृथक्करण संयंत्र और अम्ल पुनरुत्पादन संयंत्र के सिविल निर्माण-कार्य और संरचना संबधी कार्य पूरे किए जा चुके हैं। आशा है कि सिन्थेटिक रूटाइल संयत्र इस महीने तैयार हो जाएगा। तीनों सयत्रों में संयंत्र, उपस्कर और मशीनें लगाए जा रहे हैं।

(ख) कम्पनी के निदेशक मंडल और परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा परियोजना के काम की प्रगति और पाए गए गतिरोधों की समीक्षा समय-समय पर की जाती है ताकि कमियों को दूर करने के लिए समुचित कारंवाई की जा सके।

(ग) परियोजना को क्रमश: चरणबद्ध रूप से चालू किया जा रहा है। तलकर्षण एवं आर्द्र सांद्रण संयंत्र में परीक्षण के तौर पर उत्पादन दिसम्बर, 1983 में शुरू कर दिया गया था और नियमित उत्पादन इस महीने शुरू होगा। खनिज रेत पृथक्करण संयंत्र के अप्रैल, 1984 तक तैयार हो जाने की आशा है। ऐसी सभावना है कि सिथेन्टिक रूटाइल संयंत्र की पहली धारा का काम सितम्बर, 1984 तक तथा शेष काम अप्रैल, 1985 तक पूरा हो जाएगा। अम्ल पुनरुत्पादन संयंत्र के जुलाई, 1984 तक तैयार होने की आशा है।

रंगीन सीमेंट का उत्पादन

2829: **श्री सत्य नारायण जटिया** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सीमेंट अनुसंधान संस्थान ने रंगीन सीमेंट के उत्पादन की तकनीक का पता लगा लिया है ;

(ख) रंगीन सीमेंट तथा सामान्य सीमेंट के उत्पादन पर तुलनात्मक दृष्टि से कितना-कितना खर्च आता है ; और

(ग) रंगीन सीमेंट का उत्पादत कब से शुरू हो जाएगा.'

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी. पट्टाभि राम राव): (क) से (ग) : सीमेंट अनुसंधान संस्थान के बारे में बताया गया है कि उसने हरे, पीले और भूरे रग का सीमेंट बनाने के लिए क्लिकर बनाने की प्रौद्योगिकी का विकास किया है। रंगीन सीमेंट की उत्पादन लागत सामान्य पोर्टलैण्ड सीमेंट की तुलना में जो 191.70 रुपए प्रति मी. टन तथा अधिकतम 344.15 रुपये प्रति मी. टन के बीच भिन्न-भिन्न होती है इससे अधिक आने की संभावना है। इस प्रकार का रंगीन सीमेंट बनाने की फिलहाल कोई स्वीकृत योजना नहीं है।

तांती खरवे समुदायों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करना

2830 **श्री जार्ज फर्नान्डीस** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मार्च-अप्रैल 1982 में बिहार के तांती खरवे समुदायों को अनुसूचित जातियों की सूचि में शामिल करने के बारे में कोई पत्र प्राप्त हुआ था और

(ख) यदि हां. तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ;

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) उक्त प्रस्ताव के साथ अन्य ऐसे प्रस्तावों, सिफारिशों सुझावों और अभ्यावेदनों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में प्रस्तावित विस्तृत संशोधन के संदर्भ में संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों और भारत के महा पंजीकार के साथ परामर्श करके तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में किसी समुदाय को शामिल करने के लिए इस मामले में अपनाए जाने वाले संबन्धित मानदण्डों के अनुसार विधिवत विचार किया जा रहा है। कुछ राज्य सरकारों से उनकी टिप्पणियां अभी आनी हैं और उनको नियमित रूप से अनुस्मारक भेजे जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की वर्तमान सूचियों में कोई संशोधन संविधान के अनुच्छेद 341 (2) और 342 (2) की दृष्टि से केवल संसद के अधिनियम द्वारा ही किया जा सकता है।

शंकनी नदी का प्रदूषण

2831. **श्री लक्ष्मण कर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बेललाडिला लोह अयस्क परियोजना से निकलने वाली गन्दगी के कारण शंकनी नदी के जल प्रदूषण से कितने गांव प्रभावित हो रहे हैं ; और

(ख) उक्त नदी के जल प्रदूषण को देखते हुए पेय जल की व्यवस्था करने हेतु प्रत्येक गांव में कितने कुएं खोदे जा रहे हैं तथा उन पर खर्च की जाने वाली धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण विभाग में उप-मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) तथा (ख) मध्य प्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार, शंकनी नदी के प्रदूषण से 51 गांव प्रभावित हुए हैं। प्रभावित गांवों में बेल लाडिला लौह अयस्क प्राधिकरण तथा राज्य सरकार के जन स्वास्थ्य इन्जिनियरिंग विभाग दोनों ही द्वारा कुएं खोदे जा रहे हैं। 24 हैंडपम्प लगा दिए गए हैं तथा 5 हैंड पम्पों पर कार्य प्रगति पर है।

"भेल" द्वारा शुरू की गई परियोजनाएं

2832. **श्री बाबूराव परांजपे** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के अनेक अधिकारियों को 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत ड्यूटी सौंपी गई है;

(ख) यदि हां, तो "भेल" के प्रत्येक एकक स्थल से सम्बद्ध ऐसे कुल कितने अधिकारी हैं; और

(ग) "भेल" द्वारा कौन-कौन सी सम्बद्ध परियोजनाएं शुरू की गयी हैं तथा परियोजना के नाम, स्थल, खर्च की गई/की जा रही धनराशि और खर्च के वर्ष का ब्यौरा क्या है और ये परियोजनाएं किस-किस संसदीय चुनाव क्षेत्र से भौगोलिक रूप से जुड़ी हुई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) :- बी. एच. ई. एल. के विभिन्न निर्माण करने वाले संयंत्रों के आ.-पास के गावों में ग्रामीण विकास कार्य शुरू करने के लिए ग्राम विकास सेवा समितियां गठित की गई हैं। लाभ उठाने वालों, स्वैच्छिक निकायों, नागरिक प्राधिकारियों के प्रतिनिधि तथा बी.एच.ई.एल. के प्रबन्धक इन समितियों से सम्बद्ध हैं जिनके कार्यक्षेत्र में 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण विकास के विशेष पहलू भी आते हैं। फिर भी, बी.एच.ई.एल. के किसी भी अधिकारी को सम्पूर्णतया ये कार्य नहीं सौंपे गये हैं। इन ग्रामीण विकास कार्यों पर किया गया व्यय 1982-83 में 10.60 लाख रुपये तथा 1983-84 में जनवरी तक 14.70 लाख रुपये था।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के अनुषंगी एकक :

2833. **श्री राम जेठमलानी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के प्रत्येक निर्माण संयंत्र में कितने सहायक उद्योग हैं उनका स्वामित्व किस के पास है और वे कहां-कहां पर स्थित हैं और उनमें क्या बनाया जाता है जो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स को सप्लाई किया जाता है तथा भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में उन्हें कितने लाख रुपये बिक्री मूल्य के उत्पाद का वार्षिक काम दिया है;

(ख) भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने कच्चे माल की खरीद और मूल्य अधिमान सहित ऐसे सहायक उद्योगों को अन्य निमार्ताओं और सप्लाईकर्त्ताओं की तुलना में क्या सुविधाएं और लाभ दिए हैं;

(ग) चेयरमैन और उप महाप्रबन्धकों सहित भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के ऐसे अधिकारियों का ब्यौरा क्या है जो या तो स्वयं या अपने निकट सम्बन्धियों के माध्यम से ऐसे सहायक उद्योगों के स्वामी भागीदार हैं; और

(घ) 1 नवम्बर, 1983 से उपर्युक्त सहायक उद्योगों के स्वामित्व में यदि कोई परिवर्तन किया गया, तो वह क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री श्री पट्टाभिराम राव (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों से

सम्बन्धित ब्यौरे बताने वाला एक विवरण संलग्न है (अनुबन्ध-1) 1 चालू वित्त वर्ष के काम से संबधित आकड़ों को अभी संकलित किया जाना है।

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल. टी. 7926/84]

(ख) भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा अन्य निर्माताओं और सम्भारकों की तुलना में सहायक एककों को दिए गए लाभ निम्नलिखित हैं—

1. आयातित तथा महत्वपूर्ण कच्चे माल की सप्लाई।

2. सरकारी उद्यम कार्यालय के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार विकास सम्बन्धी प्रावस्था के लिए किसी उपयुक्त अवधि के लिए सहायक एककों को 50 प्रतिशत तक के न्यूनतम सुनिश्चित कार्यभार की व्यवस्था।

3. हिस्से-पुर्जों और संघटकों के निर्माण के सम्बन्ध में तकनीकी मार्गदर्शन प्रशिक्षण की व्यवस्था, सहायक एककों द्वारा प्रयुक्त सामग्री के परीक्षण तथा बी.एच.ई.एल. के कार्मिकों द्वारा निर्माताओं के कारखानों में वस्तुओं के निरीक्षण के लिए उनके द्वारा सप्लाई किए गए तैयार माल के परीक्षण हेतु सुविधाएं, और विशेष जिग, फिक्सचर गेज आदि जिनकी निर्माण कार्य के लिए आवश्यकता है।

4. संयंत्र स्तर समितियों में सहायक उद्योगों की कार्यभार और अन्य समस्या की समीक्षा जिनमें सहायक एककों और अन्य सम्बन्धित कार्यकारियों द्वारा भाग लिया जाता है

(ग) एक विवरण संलग्न है (अनुबन्ध-2)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी.—7926/84]

(घ) अनुबन्ध-1 में दी गई सूची के सहायक एककों के स्वामित्व में कोई परिवर्तन होने के बारे में नहीं बताया गया है।

केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा में पदोन्नति के अवरुद्ध अवसरों को समाप्त करना

2834. **श्री रामसिंह शाक्य** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आशुलिपिक ग्रेड "सी" के लगभग 400 पदों को, इस ग्रेड में पदोन्नति के गभीर अवरुद्ध अवसरों को समाप्त करने हेतु दर्जा बनाकर ग्रेड "बी" करने के बाद केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा में सलेक्शन ग्रेड समाप्त कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सलेक्शन ग्रेड समाप्त करने संबंधी कारणों सहित इसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी;

(ग) क्या सलेक्शन ग्रेड प्राप्त "सी" आशुलिपिकों की ग्रेड "बी" में पदोन्नति नहीं की जायेगी बल्कि उनका सलेक्शन ग्रेड समाप्त कर दिया जायेगा;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस आशय के आंकड़े एकत्रित करने का है कि ग्रेड "सी" के कितने आशुलिपिकों को सलेक्शन ग्रेड से वंचित कर दिया गया है तथा उनकी पदोन्नति नहीं की गई है; और

(ङ) क्या इस प्रकार दर्जा बढ़ाए गए पदों के पचास प्रतिशत पदों को सदा की भांति संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से भरा जाएगा यदि नहीं, तो उन्हें किस प्रकार भरने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री : (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या (क) तथा (ख) ग्रेड "ग" तथा ग्रेड "ख" के बीच पदों के पुन: वितरण के परिणामस्वरूप, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक के ग्रेड "ग" के साथ सम्बद्ध चयन ग्रेड को समाप्त कर दिया गया है। कार्यालय ज्ञापन की एक प्रति दिनांक 7-3-1984 को लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1739 तथा 1784 के उत्तरों के साथ सभा पटल पर रख दी गई थी।

(ग) ऐसे ग्रेड "ग" आशुलिपिकों को जो चयन ग्रेड पदों पर कार्यरत हैं तथा वरिष्ठता के निर्धारित क्षेत्र (रेंज) के भीतर आते हैं उन्हें अपग्रेड किए गए पदों पर ग्रेड "ख" में पदोन्नत कर दिया जाएगा। चयन ग्रेड में कार्यरत ग्रेड "ग" के अन्य आशुलिपिकों को वेतन में संरक्षण प्रदान किया जाएगा।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) जी, नहीं। सभी अपग्रेड किए गए पदों को एक ही बार में वरिष्ठता के आधार पर भरा जाएगा बशर्ते कि वे पदोन्नति के लिए अयोग्य न ठहराए गए हों।

सीधे नियुक्त और विभागीय रूप से पदोन्नत कर्मचारियों की पारस्परिक वरिष्ठता निर्धारित करने के संबंध में जारी किए गये अनुदेश

2835. **श्री सोमजी भाई डामोर :** क्या **गृह मन्त्री** सीधे नियुक्त और विभागीय रूप से पदोन्नत कर्मचारियों की पारस्परिक वरिष्ठता निर्धारित करने के संबंध में जारी किए गए अनुदेशों के बारे में 10 अगस्त, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2922 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री ए० जर्नादन बनाम भारत सरकार के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए अप्रैल, 1983 के उस निर्णय को ध्यान में रखते हुए सीधे नियुक्त और विभागीय रूप से पदोन्नत कर्मचारियों की पारस्परिक वरिष्ठता निर्धारित करने संबंधी अनुदेश जारी कर दिए गए हैं, जिसमें यह घोषित किया गया है कि वरिष्ठता के किसी भी सिद्धांत के आधार पर सीधे नियुक्त किए गए सरकारी कर्मचारी को पदोन्नत किए गए कर्मचारी से जो कई वर्षों से सेवा में है, वरिष्ठता नहीं प्रदान की जानी चाहिए, क्योंकि ऐसा करना स्वेच्छा चारिता है और संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 के विरुद्ध है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं तथा ये अनुदेश कब तक जारी कर दिए जाएंगे ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) (क) से (ग) संयुक्त परामर्श तंत्र की राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारी पक्ष द्वारा उठाए गए एक मुद्दे के संदर्भ में किसी ग्रेड में सीधी भर्ती वालों और पदोन्नति वालों के बीच सापेक्ष वरिष्ठता के निर्धारण के लिए मौजूदा कार्य-विधि की पुनरीक्षा के प्रश्न पर सरकार पहले ही विचार कर रही है । इस प्रकार इस मामले पर फिलहाल कर्मचारी पक्ष के साथ विचार विमर्श चल रहा है । इस मामले में सरकार के निर्णय को अन्तिम रूप देते समय उच्चतम न्यायालय के जिन अभिमतों का प्रश्न में उल्लेख किया गया है, उन्हें ध्यान में रखा जाएगा ।

उत्तर बंगाल में इलाके के विकास के लिए आयोजित "पदयात्रा"

2836. **श्री हन्नान-मोल्लाह** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उत्तर बंगाल में, उस इलाके के विकास के लिए आयोजित "पदयात्रा" द्वारा उठाई गई मांगों की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो संबंधित मांगें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन मांगों की जांच की है अथवा करेगी; और

(घ) उत्तर बंगाल के उपेक्षित क्षेत्रों के विकास में सहायता करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

योजना मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) जी, हाँ ।

(ख) लोक सभा सचिवालय द्वारा भेजे गए दि० 27-2-1984 की लोक सभा की बहस के उद्धरणों से यह मालूम हुआ है कि उत्तरी बंगाल के विकास के लिए निम्नलिखित माँग की गई हैं :

(1) विस्तृत सिंचाई व्यवस्था की शुरुआत करना ;

(2) तीस्ता परियोजना का कार्यान्वयन;

(3) महानन्दा-मास्टर प्लान और पुनर्वा जल परियोजना;

(4) बंद चाय बागानों को हाथ में लेना और राज्य सरकार के प्रबंधाधीन चाय बागानों को चलाने के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता;

(5) व्यापक ग्रामीण विद्युतीकरण;

(6) पश्चिम दिनाजपुर में तापीय विद्युत केन्द्रों की स्थापना करना और फरक्का राष्ट्रीय तापीय विद्युत आयोग (एन.टी.पी.सी.) का कार्यान्वयन;

(7) जलपाईगुड़ी में डोलोमाइट उद्योग की स्थापना करना तथा उत्तरी बंगाल के विभिन्न भागों में वन और कृषि पर आधारित उद्योगों की स्थापना करना;

(8) जनसंख्या के समानुपात में बैंकों की स्थापना करना;

(9) मालदा और बेलूर घाट के बीच नई रेल चालू करना;

(10) अधिक अच्छी संचार व्यवस्था के लिए 'वायुदूत" सेवा डाकघरों तथा टेलिफोन के लिए व्यापक प्रबंध;

(11) नेपाली भाषा को संविधान की आठवीं सूची में शामिल करना; और

(12) पश्चिम बंगाल आदि राज्यों के भीतर दार्जिलिंग के लोगों को क्षेत्रीय स्वायत्तता देना।

(ग) और (घ) राज्य सरकार से संबंधित मांग उपयुक्त कार्रवाई के लिए उन्हें भेज दी गई हैं। जहां तक संबंधित मंत्रालयों की प्रशासनिक क्षमता के अंतर्गत आने वाले विशिष्ट मामलों का संबंध है, ये भी उन्हें उपयुक्त कार्यवाई के लिए भेजे जा रहे हैं।

दैतारी, उड़ीसा में इस्पात परियोजना की प्रगति

2837. श्री के०प्रधानी :

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :

श्री हरिहर सोरन : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में दैतारी में प्रस्तावित 30 लाख टन की इस्पात परियोजना के निर्माण तथा इस परियोजना के लिए निर्मित आधार भूत ढांचे के संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) तीन वर्ष में संयंत्र की स्थापना करने के लिए ब्रिटिश सार्थ संघ के प्रस्तावित सहयोग की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या इस परियोजना के कार्यान्वयन में हो रहे विलम्ब से उड़ीसा की लौह अयस्क खानों का पूरा उपयोग नहीं हो रहा है तथा जापान और अन्य देशों को निर्यात किया जाना समस्या बन गया है, क्योंकि पिछले महीने कई खानें जिनकी संख्या 35 से कम नहीं हैं बन्द हो गई हैं, जिससे 5000 श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं; और

(घ) इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन. के. पी. साल्वे) (क) उड़ीसा में दैतारी के स्थान पर लगाए जाने वाले दूसरे इस्पात कारखाने का प्रारम्भिक कार्य शुरू हो चुका है। राज्य सरकार ने कारखाने और बस्ती के लिए आवश्यक भूमि का

अधिग्रहण करने के लिए अधिसूचनाएं जारी कर दी हैं। मिट्टी की जांच का काम पूरा हो गया है। अस्थायी कार्यालय और भंडार-गृह के निर्माण और जल-आपूर्ति हेतु निर्माण-कार्य के लिए जाँच करने जैसे प्रारम्भिक कार्य शुरू कर दिए गए हैं। प्रस्तावित इस्पात कारखाने के लिए लागत की दृष्टि से अत्यन्त उपयुक्त, प्रौद्योगिकी और प्राडक्टमिक्स का निर्धारण करने के लिए जांच कार्य चल रहा है और इसके बाद लौह-अयस्क सहित कच्चे माल प्राप्त करने की पक्की व्यवस्था की जाएगी।

(ख) आद्योपांत आधार पर इस कारखाने का निर्माण करने के लिए 24 सितम्बर 1981 को ब्रिटेन के मैसर्स डेवी मेकी को एक आशयपत्र जारी किया गया था बशर्ते कि शर्तें सन्तोषजनक रूप से तय हो जाएं। बातचीत के उपान्तिम दौर में मेसर्स डेवी मेकी कारखाने के निर्माण से संबन्धित अपने पहले के वायदे से फिर गए। इसलिए भारत सरकार के पास मेसर्स डेवी मेकी को दिए गए आशयपत्र को रद्द करने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं था।

(ग) और (घ) उड़ीसा की लौह अयस्क की खानों की क्षमता का कम उपयोग मुख्यत: खनिज व धातु व्यापार निगम द्वारा पिछले दो वर्षों में पारादीप बन्दरगाह की मार्फत निर्यात के लिए लौह अयस्क की खरीद कम करने के कारण हुआ है। पारादीप का बन्दरगाह, जो बड़ाजमदा क्षेत्र में लौह अयस्क के मुख्य खनन-क्षेत्रों से लोह अयस्क के निर्यात के लिए मुख्य बन्दरगाह है, से वर्ष 1978-79 में 17.25 लाख टन लौह अयस्क निर्यात किया गया था। वर्ष 1982-83 में लौह अयस्क के निर्यात का स्तर घटकर 9.84 लाख टन रह गया। सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं—

1. खनिज व धातु व्यापार निगम से लौह अयस्क के निर्यात के लिए उन देशों का पता लगाने के लिए कहा गया है जो देश पारादीप बन्दरगाह से अयस्क उठाने के लिए छोटे पोत नियोजित करने के लिए तैयार हों। खनिज व धातु व्यापार निगम चालू वर्ष में पारादीप बन्दरगाह से दक्षिण कोरिया, जर्मन जनवादी गणतन्त्र (जी.डी.आर.) और रूमानिया द्वारा लगभग 7 लाख टन लौह अयस्क खरीदने के लिए उन्हें राजी करने में सफल हो गया है। यह मात्रा जापान की इस्पात मिलों द्वारा पारादीप बन्दरगाह से उठाये गये 1.7 लाख टन लौह अयस्क के अलावा है। पारादीप बन्दरगाह से लगभग 7 लाख टन लौह अयस्क के पूर्वानुमानित निर्यात की तुलना में खनिज व धातु व्यापार निगम को वर्ष 1983-84 के दौरान इस बन्दरगाह से लगभग 9 लाख टन अयस्क निर्यात करने की उम्मीद है।

2. खनिज व धातु व्यापार निगम ग्राहकों को पारादीप बन्दरगाह से अयस्क उठाने पर लगने वाले अधिक भाड़े की प्रतिपूर्ति करने के लिए तैयार है।

3. खनिज व धातु व्यापार निगम दो बन्दरगाहों पर माल लादने अर्थात् पहले पारादीप में माल लादने और फिर मद्रास बन्दरगाह पर "अपटाप" करने की सम्भावना और इसकी आर्थिक व्यवहार्यता के बारे में विचार कर रहा है।

4. हाल में पारादीप की बन्दरगाह में काफी लागत से लौह अयस्क उठाने-धरने की सुविधाओं में वृद्धि की गई है।

5. रात के समय जहाजों के आने-जाने की सुविधा शुरू की गई है ताकि रात के समय भी जहाजों में माल लादा जा सके।

6. उड़ीसा की सरकार नौवहन और परिवहन मंत्रालय के परामर्श से पारादीप बन्दरगाह की माल धरने की क्षमता में वृद्धि करने और बन्दरगाह की तह में मिट्टी जमने की समस्या का समाधान ढूंढने के लिए पारादीप बन्दरगाह में एक "ट्रांसशिपर एवं ड्रेजर" रखने की सम्भावना पर विचार कर रही है। चालू वर्ष में खनिज व धातु व्यापार निगम द्वारा पूर्वी क्षेत्र से लौह अयस्क प्राप्त करने का काम जारी है।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उड़ीसा राज्य में लौह अयस्क की खानों के वास्तव में बन्द होने के बारे में कोई सूचना नहीं मिली है।

क, ख, ग राज्यों में स्थित विभागों/कार्यालयों को हिन्दी/अंग्रेजी में लिखे गये पत्र

2838. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय ने वर्ष 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के दौरान राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबंधों के अनुसार देश के "क" "ख" और "ग" राज्यों में स्थित अपने विभागों, सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों को क्रमशः कुल कितने मूल पत्र लिखे :

(ख) उन मूल पत्रों में राज्यवार और वर्ष वार कितने मूल पत्र हिन्दी में और कितने अंग्रेजी में लिखे गए थे :

(ग) इन वर्षों के दौरान, वर्षवार उनके मंत्रालय को उक्त "क" "ख" और "ग" राज्यों में स्थित मंत्रालय के विभागों, सम्बद्ध एवम् अधीनस्थ कार्यालयों की ओर से कुल कितने मूल पत्र प्राप्त हुए : और

(घ) उन मूल पत्रों में राज्य-वार और वर्ष वार कितने मूल पत्र हिन्दी में और कितने अंग्रेजी में प्राप्त हुए थे ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (घ) 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के दौरान (I) अंग्रेजी और हिन्दी में भेजे गए मूल पत्रों का विवरण और (II) हिन्दी में प्राप्त पत्रों तथा उनके हिन्दी या अंग्रेजी में उत्तर दिए गए पत्रों का विवरण प्रस्तुत है। राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित तिमाही प्रगति रिपोर्ट फार्म के अनुसार मंत्रालय के संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त या उनको भेजे गए मूल पत्रों का विवरण कार्यालय तथा क्षेत्रवार अलग-अलग नहीं रखा जाता है।

विवरण

1981–82, 1982-83 और 1983-84 (1.4.83 से 31.12.83 तक) के दौरान केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को हिन्दी और अंग्रेजी में भेजे गए मूल पत्र

1981-82			1982-83			1983-84 (1.4.83 से 31.12.83 तक)		
प्रेषित कुल पत्रों की संख्या	अंग्रेजी में	हिन्दी में	कुल प्रेषित पत्रों की संख्या	अंग्रेजी में	हिन्दी में	कुल प्रेषित पत्रों की संख्या	हिन्दी में	अंग्रेजी में
98,921	45,309	53,642	79,747	30,643	49,104	35,384	9,442	25,942

2. 1981-82, 1982-83 और 1983-84 (1.4.83 से 31.12.83 तक) हिन्दी में प्राप्त पत्रों और उनके उत्तर में हिन्दी या अंग्रेजी में भेजे गए पत्रों की संख्या

	1981-82	1982-83	1983-84 (1.4.83 से 31.12.83 तक)
हिन्दी में प्राप्त पत्रों की संख्या	114,290	114,378	62,239
उन पत्रों की संख्या जिनका उत्तर अपेक्षित नहीं था	86,051	64,611	30,777
हिन्दी में उत्तरित पत्रों की संख्या	27,310	49,605	31,381
अंग्रेजी में उत्तरित पत्रों की संख्या	929	162	81

औद्योगिक रुग्णता के मामले

2839. **श्री अजित बाग** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुप्रबंध, प्रबंध खामियों, धनराशि को दूसरे प्रयोजनों में लगाने, अन्दरूनी लड़ाई, विपणन नीति का अभाव, दोषपूर्ण प्रारंभिक आयोजना और अन्य तकनीकी खामियों, बाजार में मंदी, बिजली की कटौती, कच्चे माल के अभाव, श्रमिक अशांति के कारण औद्योगिक रुग्णता के मामलों की कुल संख्या कितनी है; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इकट्ठे किए आंकड़ों (अन्तिम) के अनुसार दिसम्बर, 1982 के अन्त में 450 बड़े (एक करोड़ रुपये और अधिक की ऋण सीमा वाले) रुग्ण औद्योगिक एकक थे।

(ख) अक्तूबर, 1981 में सरकार ने केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और वित्तीय संस्थाओं के मार्गदर्शन के लिए औद्योगिक रुग्णता के संबंध में एक संशोधित नीति की घोषणा की थी। मार्गदर्शी सिद्धान्तों की मुख्य बातें लोक-सभा के दिनांक 24 मार्च, 1982 के तारांकित प्रश्न संख्या 4974 के उत्तर में दे दी गई थीं।

बिहार में पृथक आदिवासी राज्य की मांग

2840. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** :
श्री भीम सिंह :
श्री मोतीभाई आर० चौधरी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के एक भाग में पृथक आदिवासी राज्य की मांग बलवती होती जा रही है :

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है और

(ग) उपरोक्त स्थिति को देखते हुए इस क्षेत्र में कितनी सेना, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तथा सशस्त्र कार्मिक तैनात किए गए हैं :

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के कुछ संलग्न जनजाति क्षेत्रों को मिलाकर झारखण्ड राज्य बनाने की मांग रही है। कभी-कभी इच्छुक दल इस मांग के समर्थन में आन्दोलनात्मक गतिविधियों का सहारा लेते हैं।

(ग) इस संबंध में किसी सैनिक-इकाई को तैनात नहीं किया गया है। बिहार सरकार के निष्पादन पर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की तीन कम्पनियां रखी गयी हैं। उन्हें, जैसा भी राज्य सरकार उपयुक्त समझे, तैनात करना राज्य सरकार का कार्य है।

"रोथमन्स" ट्रेड मार्क का प्रयोग

2841. **श्री धर्मवीर सिन्हा** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिगरेटों के लिए "रोथमन्स" ट्रेड मार्क के उपयोग के लिए सरकार की मंजूरी की आवश्यकता है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या देशी बाजार के लिए उपभोक्ता वस्तुओं पर किसी विदेशी ट्रेड मार्क का उपयोग किया जा सकता है।

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के उपबंधों के अन्तर्गत जहां विदेशी ट्रेड मार्क का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, प्रयोग अन्तर्निहित हो, वहाँ भारतीय रिजर्व बैंक की स्वीकृति लेना आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त व्यापार और व्यापारिक चिन्ह अधिनियम 1958 की धारा—49 के अंतर्गत प्रस्तावित है कि व्यक्ति को ट्रेड मार्क के "पंजीकृत प्रयोगकर्ता" के रूप में पंजीकृत होना चाहिए और पंजीकृत मालिक एवं प्रस्तावित पंजीकृत प्रयोगकर्ता को संयुक्त रूप से ट्रेड मार्क के रजिस्ट्रार को, निर्धारित तरीके से लिखित में आवेदन देना चाहिए। ऐसा प्रत्येक आवेदन-पत्र अंतिम निर्णय के लिए केन्द्रीय सरकार को भेजा जाना चाहिए।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

काशी एक्सप्रेस गाड़ी में यात्रा कर रही छात्राओं को हाटी स्टेशन के समीप लूटा जाना और अपमानित किया जाना

2842. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस तथ्य की जानकारी है कि हाल में काशी एक्सप्रेस गाड़ी से वाराणसी से भण्डारा (महाराष्ट्र) यात्रा कर रही 72 छात्राओं के एक दल को मध्य रेलवे के मानिकपुर और सतना स्टेशनों के बीच हाटी स्टेशन के पास जंजीर खींचकर उसी गाड़ी में सवार डाकुओं द्वारा लूटा गया और अपमानित किया गया :

(ख) यदि हां, तो कितने डाकू पकड़े गये तथा कितनी छात्राएं घायल अथवा बलात्कार की शिकार हुई :

(ग) क्या इस घटना में सुरक्षा गार्डों तथा कुछ रेलवे कर्मचारियों का भी हाथ था और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) . (क) से (घ) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

वर्ष 1983 के दौरान चलती रेलगाड़ियों में हुई चोरियां

2843. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983 के दौरान चलती रेल गाड़ियों में चोरी की कितनी शिकायतें मिली :

(ख) उपरोक्त मामलों में से कितने मामलों में जांच की गई और माल बरामद किया गया तथा चोर पकड़े गए : और

(ग) इस बारे में क्या निवारक उपाय किये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) अपराधों से संबंधित कानून को लागू करने के लिए राज्य सरकारें और संघ शासित क्षेत्र प्रशासन उत्तरदायी हैं। चलती रेलगाड़ियों में चोरियों की शिकायतों की संख्या और उनके बारे में अन्य ब्यौरों के संबंध में अखिल भारतीय आधार पर कोई आंकड़े संकलित नहीं किए जाते हैं क्योंकि अपराध सहित विधि और व्यवस्था राज्य का विषय है।

रेलवे, रेल मार्गों पर अपराधों की घटनाओं को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय कर रहा है :

(1) गाड़ियों के चालकों को संकटकालीन सीटी बजाने के निदेश दिए गए हैं यदि गाड़ी अचानक असारणीबद्ध से रुकती है ताकि मार्ग का रक्षक दल सचेत किया जा सके।

(2) कोच एटेंन्डैन्टों को सतर्क रहने और आरक्षित डिब्बों में अनधिकृत यात्रियों के प्रवेश को रोकने के निदेश दिए गए हैं।

(3) रेलवे के अनुसंधान, डिजाइन और मानक संगठन को अनधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए प्रवेश दरों में सुधार करने का सुझाव देने और डिब्बों के भीतर तथा बाहर बेहतर प्रकाश सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए सुझाव देने की सलाह दी गई है।

सरकारी रेलवे पुलिस जो गाड़ियों में यात्रा कर रहे यात्रियों और उनके सामान की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है रेलगाड़ियों पर मार्ग रक्षक व्यक्तियों की व्यवस्था करके, अपराधियों पर निगरानी रखकर और विशिष्ट मामलों में उनको गिरफ्तार करके तथा उन पर मुकदमा चलाकर रेल मार्गों पर अपराध नियंत्रण करने के लिए सभी प्रयास कर रही है। इस संबंध में रेलवे सुरक्षा बल सरकारी रेलवे पुलिस की सहायता कर रही है।

पर्यावरण संबंधी मानचित्र

2844. **श्री एम. राम गोपाल रेड्डी** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास पर्यावरण संबंधी एक मानचित्र तैयार करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो यह कब तक तैयार हो जायेगा; और

(ग) यह कितना लाभप्रद/उपयोगी रहेगा ?

पर्यावरण विभाग में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) मानचित्र का प्रकाशन 1984 के अन्त तक निर्धारित है। पर्यावरणीय मानचित्रण की योजना के अन्तर्गत, पर्यावरणीय विषयों पर मानचित्रों की एक श्रृंखला प्रकाशित किए जाने का प्रस्ताव है। इस श्रृंखला में प्रथम परियोजना देश का राष्ट्रीय वनस्पति मानचित्र है जो वनस्पति/वन को चित्रित करेगा। आंकड़ा भंडार जिसका सभी अन्य संबंधित अभिकरणों द्वारा उपयोग किया जा सके, के रूप में कार्य करने के अतिरिक्त इनसे उन नाजुक क्षेत्रों, जहां तत्काल पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों की मांग की गई है, के अभिनिर्धारण में लाभप्रद नीति विदेशों के सुलभ किए जाने की प्रत्याशी की जाती है।

प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आमदनी में कमी

2845. **श्री रवीन्द्र वर्मा :**
श्री बापू साहिक परूलेकर

प्रो अजित कुमार मेहता : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अब तक मिली जानकारी के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान देश में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आमदनी में कमी आई है;

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में तथ्य क्या हैं और प्रति व्यक्ति आमदनी कितनी है; और

(ग) इस गिरावट के क्या कारण हैं ?

योजना मन्त्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

भारत और सऊदी अरब के बीच संयुक्त उपक्रम समझौता आदि :

2846. **श्री माधव राव सिन्धिया** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संचिव, भारी उद्योग के नेतृत्व में 3-4 फरवरी, 1984 को एक उच्च स्तरीय विविध-विषयक प्रतिनिधिमण्डल सऊदी अरब के लिए रवाना हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो इस दौरे में संयुक्त उपक्रम समझौतों, व्यापार विनिमय और तकनीकी जानकारी, आदि के बारे में क्या परिणाम निकले हैं ?

उद्योग मत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) जी, हां।

(ख) शिष्टमण्डल ने सऊदी सरकार के सम्बन्धित प्राधिकारियों और प्रमख सऊदी

व्यापारियों के साथ सहयोग की सम्भावनाओं के बारे में विशेषकर रेलवे, सिविल निर्माण, अस्पताल प्रबन्ध, विद्युत् परियोजनाओं, कार्य-संचालन और रख-रखाव के क्षेत्र में विस्तृत बातचीत की थी। शिष्टमण्डल ने भारतीय और सऊदी अरब के उद्योगपतियों द्वारा व्यापार बढ़ाने और सयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए सहयोग के सम्भावित क्षेत्रों का भी पता लगाया है।

महाराष्ट्र का सीमेंट कोटा

2847. **श्री जगन्नाथ पाटिल** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार से जनवरी, 1983 से जनवरी, 1984 तक प्रतिमाह कितना सीमेंट आवंटित करने की मांग की थी;

(ख) केन्द्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को प्रत्येक माह कितना सीमेंट आवंटित किया था; और

(ग) महाराष्ट्र सरकार ने प्रत्येक माह वास्तव में कितना सीमेंट उठाया;

उद्योग मन्त्रालय मे राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) महाराष्ट्र सरकार सहित राज्य सरकारें अपनी लेवी सीमेंट की आवश्यकताएं नियमित रूप से नहीं भेजती हैं। फिर भी, कुछ समय पहले महाराष्ट्र सरकार ने लेवी सीमेंट की तिमाही आवश्यकता (जिसमें सिंचाई और विद्युत परियोजनाएं सम्मिलित हैं। 3 लाख मी० टन बताई थी।

(ख) और (ग) राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के लेवी सीमेंट के आवंटनों तथा प्रेषणों सम्बन्ध में सूचना तिमाही आधार पर रखी जाती है। 1983 और 1984 की पहली तिमाही के दौरान महाराष्ट्र राज्य (जिसमें सिंचाई और विद्युत परियोजनाएं सम्मिलित हैं) को लेवी सीमेंट के आबंटनों और प्रेषणों का त्रैमासिक विवरण इस प्रकार है :

तिमाही	आबंटन	प्रेषण
	(मी० टन)	
1/83 (जनवरी-मार्च)	3,37,299	2,24,834
2/83 (अप्रैल-जून)	3,64,899	2,36,975
3/83 (जुलाई-सितम्बर)	3,92,191	2,81,199
4/83 (अक्तूबर-दिसम्बर)	4,12,191	3,50,190
1/84 (जनवरी-मार्च)	4,24,191	1,11,789 (अनन्तिम) (जनवरी, 1984)

सेन्ट्रल बिल्डिंग रिसर्च इन्स्टीट्यूट के अनसंधान प्रयास

2848. **श्री के. रामामूर्ति : क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेन्ट्रल बिल्डिंग रिसर्च इन्स्टीट्यूट की स्थापना के बाद से इसके द्वारा किये गये अनुसंधान प्रयासों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, हुडको डी. डी. ए, सी. पी. डब्ल्यू डी. और विभिन्न राज्यों के भवन बोर्डों ने भवनों को बनाने में इनको कहाँ तक कार्यरूप दिया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी परमाणु ऊर्जा; अन्तरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) और (ख) स्थापना के समय से केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रूड़की निम्नलिखित क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास कार्यों में संलग्न है :

1. गृहनिर्माण और योजना
2. ग्रामीण भवन निर्माण और पर्यावरण
3. ऊर्जा संरक्षण
4. भवन सामग्री
5. नींव
6. अल्प व्ययी छत्तें पर्शो और दीवार बनाने की योजना
7. भवन प्रबन्ध और उत्पादकता और
8. भवनों में आग और अन्य संरचना

केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (सी. बी. आर. आइ.) ने उपरोक्त क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किया है।

सी. बी. आर. आइ. ने अब तक 80 प्रक्रम और भवन उपस्करों की अभिकल्पना विकसित की हैं, जिनमें से 57 प्रक्रमों का विमोचन लगभग 250 फर्मों को वाणिज्यीकरण के लिए कर दिया गया है। चौंतीस प्रक्रमों को वाणिज्यिकृत कर दिया गया है या लगभग 85 पार्टियों द्वारा भवन निर्माण उद्योगों में उपयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त बहुत सी सुधरी हुई भवन निर्माण तकनीकें सरकारी और गैरसरकारी भवन निर्माण एजेन्सियों को प्रदान की गई हैं।

नेशनल बिल्डिंगस ऑरगेनाईजेशन (एन. बी. ओ.) द्वारा केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, (सी. बी. आर. आइ.) में विकसित की गई बहुत सी तकनीकें, भवन निर्माण सामग्री और विशिष्टियों का उपयोग उनके साहित्य और उनके आवास और भवन निर्माण सम्बन्धी योजनाएं, उनके ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिये परीक्षणात्मक मूल्यांकन कार्यक्रमों द्वारा किए गए हैं। हाउसिंग और अरबनडेपलमैंट कारपोरेशन (हुडको) ने कम-लागत की बहुत सी आवासीय योजनाओं पर धन लगाया है जिनमें सी. बी. आर. आइ. की तकनीकें और भवन

निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया है लोक निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य और बहुत से राज्यों के आवास सम्बन्धी विभागों द्वारा सी. बी. आर. आइ. की तकनीकों और अभिकल्पनों विशिष्टियों और सिफारिशों के सयोग से बहुत सी निर्माण योजनाओं को कार्यान्वित किया है।

चम्पारन में ग्रामीण रोजगार शुरू करना

2849. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में चलाई जा रही योजना जिसके अनुसार स्वनियोजन योजना के अन्तर्गत रजिस्टर्ड प्रत्येक शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति को 25 हजार रुपये की धनराशि दी जाएगी, जैसी एक ग्रामीण रोजगार योजना बिहार के पूर्वी चम्पारन जिले में शुरू करने का फैसला किया है;

(ख) यदि हां, तो पूर्वी चम्पारन जिले में ऐसे कितने शिक्षित बेरोजगार हैं और प्रत्येक को कितनी धनराशि दी गई है; और वितरण के लिए क्या मानदण्ड अपनाया गया;

(ग) क्या ये फैसले समझ-बूझ कर और निष्पक्ष ढंग से किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

कामगारों की सहकारिता के माध्यम से रुग्ण एककों को फिर से चालू करना

2850. **श्री ईरा अनबारासू** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कामगारों की सहकारिता के माध्यम से रुग्ण एककों को फिर से चालू करने के बारे में रखे गये प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है जिन्हें औद्योगिक विकास विभाग के पास विचार करने के लिए भेजा गया है; और

(ख) ये प्रस्ताव उन्हें कब भेजे गए थे और इनके कब तक वापस मिलने का सम्भावना है;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) औद्योगिक विकास विभाग को इस प्रकार के कोई भी प्रस्ताव विचार करने के लिए प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

राजनैतिक दलदल को रोकने के लिए कानून में संशोधन

2851. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा बुलाई गई राजनैतिक दलों की

पिछली बैठक में राजनैतिक दलदल को रोकने के लिए कानून में संशोधन करने की आवश्यकता सहित कुछ कदमों पर सर्वसम्मति थी :

(ख) यदि हां, तो किन मुद्दों पर सर्वसम्मित थी और

(ग) सर्वसम्मति के सुझावों को लागू करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) निर्वाचन आयोग द्वारा 3.12.1983 को चुनाव सम्बन्धी कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए विपक्षी दलों की एक बैठक बुलाई गई थी। विचार-विमर्श के दौरान प्रो० मधु दण्डवते ने विपक्षी राष्ट्रीय मोर्चे की ओर से कुछ मुद्दे उठाये, जिनमें "दलदल" का विषय शामिल था। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने सदस्यों को सूचित किया कि आयोग इन मुद्दों पर अपनी विशेष सिफारिशें सरकार को भेज चुका है। दलबदल से सम्बन्धित मसला सरकार के विचाराधीन है।

हिजड़ों के सामाजिक उत्थान की मांग

2852 **श्री चतुर्भुज** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रदेश हिजड़ा कल्याण सभा ने अपने सामाजिक उत्थान के लिए एक मांग पत्र पेश किया है : और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार उनको विकलांग व्यक्तियों की श्रेणी में शामिल करके उनके उत्थान के लिए कार्यवाही करने पर विचार करेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) तथा (ख) तथ्य मालूम किए जा रहे हैं और सभापटल पर रख दिए जाएंगे।

1982-83 में प्रति व्यक्ति आमदनी

2853. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1982-83 में 9 प्रतिशत मूल्य वृद्धि के साथ-साथ प्रतिव्यक्ति आमदनी में कितने प्रतिशत वृद्धि/गिरावट आयी है, और

(ख) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा दिनांक 27 जनवरी, 1984 को जारी वर्ष 1982-83 के लिए शीघ्र अनुमानों के अनुसार वास्तविक रूप में प्रति व्यक्ति आय अर्थात् स्थिर भावों (1970-71) के आधार पर साधन लागत के अनुसार प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में पिछले वर्ष की तुलना में 0.4 प्रतिशत की कमी परिलक्षित होती है। प्रचलित भावों के आधार पर 1982-83 के दौरान प्रति व्यक्ति आय में 7.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई जिससे लगभग 8 प्रतिशत अव्यक्त मूल्य वृद्धि प्रतिबिम्बित होती है।

(ख) 1982-83 के दौरान वास्तविक रूप में प्रतिव्यक्ति आय में जो कमी हुई उसका

मुख्य कारण देश में भयंकर सूखे के परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादन में कमी है। कृषि क्षेत्र में वृद्धि के कारण 1983-84 के दौरान जोरदार आर्थिक पुनरुत्थान हुआ है जिसके परिणाम स्वरुप प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि होने की संभावना है।

अखबारी कागज की मांग

2854 **श्री नीरेन घोष :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अखबारी कागज की मांग कितनी है ; और

(ख) स्वदेशी कागज से कितने प्रतिशत मांग पूरी होती है

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) वर्ष 1983-84 के दौरान देश में अखबारी कागज की आवश्यकता 3.5 लाख मी. टन आंकी गई है।

(ख) आवश्यकता का लगभग 50 प्रतिशत वर्ष 1983-84 के दौरान देश में हुए उत्पादन से पूरा किया जाएगा।

अमृतसर में बड़े पैमाने पर हथियारों की चोरी छिपे बिक्री संबंधी घोटाले का भडाफोड़

2855. **श्री पी. नामग्याल :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 31 दिसम्बर, 1983 के इण्डियन एक्सप्रेस में "बिग गन रनिंग रेकेट बस्टेड इन गोल्डन टैम्पल" से प्रकाशित शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि हथियारों की चोरी छिपे बिक्री संबंधी घोटाले से संबंधित गिरोह की आल इण्डिया सिख स्टूडेन्ट फडरेशन के सक्रिय सदस्यों के साथ सांठ गांठ है जो देश में बसों के अपहरण, हत्याओं और डकैतियों के लिए जिम्मेदार है ;

(ग) क्या इन गिरोहों के अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के पार अस्त्र शस्त्रों और गोलाबारूद की तस्करी करने वाले लोगों से कोई संबंध थे;

(घ) क्या इस संबंध में और गिरफ्तारियां की गई हैं ; और

(ङ) सरकार ने पूजा स्थलों के भीतर ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की है ;

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ङ) : पंजाब सरकार ने सूचित किया है कि अमृतसर में पुलिस ने सशस्त्र तस्करों के एक ऐसे गिरोह का पता लगाया, जो बन्दूकों की चोरी छिपे बिक्री से संबंधित है। इस गिरोह के अब तक चार सदस्य गिरफ्तार किए जा चुके हैं। गिरफ्तारी के समय गिरोह के पास 12 बोर की पिस्तौलें और चालू गोला बारूद थे। 12 बोर की तीन पिस्तौलें और कुछ गोला बारूद बरामद किया गया

है। पूछताछ के दौरान गिरोह ने बताया कि उन्होने राजस्थान से विभिन्न क्षेणियों के कई हथियारों की तस्करी की थी और उन्हें स्वर्ण मंदिर, अमृतसर के क्षेत्र में बेचा था। गिरोह की आल इंडिया सिख स्टूडेंट फैडरेशन के सक्रिय सदस्यों के साथ सांठ गाँठ पाई गई और उन्होने कुछ हत्याएं/लूटपाठ की। अभी तक गिरोह के अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार अस्त्र-शस्त्रों तथा गोलाबारूद की तस्करी करने वाले लोगों से संबंध ध्यान में नहीं आये हैं। पुलिस स्थिति पर निगरानी रखे हुए है।

औद्योगिक एककों के बन्द होने के मामलों की जांच

2856 **श्री एम.एम. लारेंस** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : क्या औद्योगिक एककों के बन्द होने संबंधी सभी मामलों में इसके लिए उत्तर-दायी व्यक्तियों को दण्ड दिलाने हेतु सरकार जांच करवाने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं.'

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव उद्योग मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसके अनुसार औद्योगिक उपक्रमों के बन्द होने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाई करने के बारे में जांच की जा सके।

लौह अयस्क उद्योग में संकट

2857. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में लौह अयस्क उद्योग में किन कारणों से संकट पैदा हुआ है ;

(ख) उक्त संकट को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य-मंत्री (श्री एन.के.पी. साल्वे) : (क) पूर्वी क्षेत्र से लौह-अयस्क की खरीद में कमी मुख्यत: पिछले कुछ वर्षों में पारादीप बन्दरगाह की मार्फत निर्यात में कमी के कारण उत्पन्न हुई समस्याओ के कारण हुई है। पारादीप की बन्दरगाह, जो बड़ाजमदा क्षेत्र में लौह अयस्क के मुख्य खनन क्षेत्रों से लौह अयस्क के निर्यात के लिए मुख्य बन्दरगाह है, से वर्ष 1978-79 में 17.25 लाख टन लौह अयस्क निर्यात किया गया था। वर्ष 1982-83 में लौह अयस्क के निर्यात का स्तर घटकर 9.84 लाख टन रह गया है।

(ख) और (ग) खनिज व धातु व्यापार निगम से लौह अयस्क के निर्यात के लिए उन देशों का पता लगाने के लिए कहा गया है, जो देश पारादीप बन्दरगाह से अयस्क उठाने के लिए छोटे पोत नियोजित करने के लिए तैयार हों। खनिज व धातु व्यापार निगम चालू वर्ष में पारादीप बन्दरगाह से दक्षिण कोरिया, जर्मन जनवादी गणतंन्त्र (जी डी आर.) और रूमानिया द्वारा लगभग 7 लाख टन लौह अयस्क खरीदने के लिए उन्हें राजी करने में सफल हो गया है। यह मात्रा जापान की इस्पात मिलों द्वारा खरीदे गये 1.7 लाख टन लौह अयस्क के अलावा है। पारादीप बन्दरगाह से लगभग 7 लाख टन लौह अयस्क के पूर्वानुमानित निर्यात की तुलना में खनिज व धातु व्यापार निगम को वर्ष 1983-84 के दौरान इस बन्दरगाह से लगभग 9 लाख टन अयस्क निर्यात करने की उम्मीद है।

(ii) खनिज व धातु व्यापार निगम ग्राहकों को पारादीप बन्दरगाह से अयस्क उठाने पर लगने वाले अधिक भाड़े की प्रतिपूर्ति करने के लिए तैयार है।

(iii) खनिज व धातु व्यापार निगम दो बन्दरगाहों पर माल लादने अर्थात् पहले पारादीप पर माल लादने और फिर मद्रास बन्दरगाह पर "अपटाप" करने की सम्भावना और इसकी आर्थिक व्यवहार्यता के बारे में विचार कर रहा है।

(iv) हाल में पारादीप की बन्दरगाह में काफी लागत से लौह अयस्क उठाने-धरने की सुविधाओं में वृद्धि की गई है।

(v) रात के समय जहाज़ों के आने-जाने की सुविधा शुरू की गई है ताकि रात के समय भी जहाजों में माल लादा जा सके।

(vi) उड़ीसा की सरकार नौवहन और परिवहन मंत्रालय के परामर्श से पारादीप बन्दरगाह की माल धरने की क्षमता में वृद्धि करने और बन्दरगाह की तह में मिट्टी जमने की समस्या का समाधान ढूंढ़ने के लिए पारादीप बन्दरगाह में एक "ट्रांसशिपर एवं ड्रेजर" रखने की सम्भावना पर विचार कर रही है। चालू वर्ष में खनिज व धातु व्यापार निगम द्वारा पूर्वी क्षेत्र से लौह अयस्क प्राप्त करने का काम जारी है।

स्टील रि-रोलिंग उद्योग में संकट

2858. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 25 प्रतिशत स्टील रि-रोलिंग मिलें बन्द हो गई हैं और अनेक अन्य मिलें संकटग्रस्त हैं ; और

(ख) स्टील रि-रोलिंग उद्योग में संकट आने के क्या कारण हैं ;

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.के.पी साल्वे) : (क) और (ख) जी, नहीं।

फिर भी मुख्यतः बाजार की कठिनाईयों और पुनर्वेलन उद्योग द्वारा प्रयुक्त प्रौद्योगिकी

के कारण पुनर्बेलन उद्योग की क्षमता का उपयोग कुछ हद तक कम हुआ है। प्रत्येक इकाई की परिचालन लागत काफी हद तक दूसरी इकाई की परिचालन लागत से भिन्न होती है क्योंकि प्रत्येक इकाई की परिचालन लागत इकाई द्वारा इस्तेमाल किए गए कच्चे माल, बेलित अन्ततः-तैयार-किए-जाने-वाले उत्पाद और संयंत्र और मशीनरी की हालत पर निर्भर करती है।

अधिकांशतः पुनर्बेलन उद्योग के लिए कच्चा माल विद्युत चाप भट्टी इकाइयों द्वारा सप्लाई किया जाता है। इन इकाइयों द्वारा सप्लाई किए जाने वाले कच्चे माल के साथ-साथ सर्वतोमुखी इस्पात कारखाने और जहाज तोड़ने का काम करने वाले उद्योग भी पुनर्बेलन योग्य सामग्री सप्लाई करते हैं। माध्यम अभिकरण की मार्फत आयातित पुर्नबेलन- योग्य सामग्री और पुर्नबेलन योग्य स्क्रैप की सप्लाई की भी व्यवस्था है।

पुर्बेनलन इकाइयों को अपनी प्रौद्योगिकी को अद्यतन करने और लागत को ध्यान में रखकर आधुनिकीकरण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

निलम्बन के मामलों में पुनरीक्षा के आदेशों की क्रियान्विति

2859. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मत्रालय ने निलम्बन आदेशों के संबध में निलम्बन अवधि को न्यूनतम करने, नियम स्वरुप निलम्बन के तीन महीने के भीतर आरोप-पत्र जारी करने और जिन मामलों की जांच में अधिक समय लगने की संभावना हो, निलम्बन आदेश निरस्त करने पर विचार करने और सम्बन्धित अधिकारी को अपनी ड्यूटी पर आने की अनुमति देने अथवा उसका स्थानान्तरण करने और जिन मामलों में ऐसा करना संभव न हो, अनुशासनात्मक कार्यवाही करने वाले अधिकारी को विलम्ब के कारणों को बताते हुए मामला अपने उच्च अधिकारी को बताने और अनुशासनात्मक कार्यवाही करने वाले अधिकारी को ईमानदारी से निर्धारित समय का पालन करने और निलम्बन के मामलों की पुनरीक्षा करते समय यह सुनिश्चित करने की क्या निलम्बन वास्तव में आवश्यक है ; आदेश जारी किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन आदेशों की प्रतिलिपियां सभा पटल पर रखी जायेगी ; और

(ग) मंत्रालय किस प्रकार यह सुनिश्चित करता है कि इन आदेशों का ईमानदारी से पालन हो रहा है ;

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) तथा (ख) जी हां। संगत आदेश की एक प्रति अनुबन्ध के रूप में संलग्न है।

[ग्रन्थालय में रखी गई देखिए संख्या एल.टी. 7927/84]

(ग) एक शीर्षस्थ विभाग होने के नाते कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग, भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियमावली, 1961 के अधीन उसे आबंटित किये गये विषयों से सम्बन्धित सामान्य अनुदेश जारी करना है। यह सुनिश्चित करना प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों

की जिम्मेदारी होती है कि उनके अधीनस्थ प्राधिकारियों द्वारा ऐसे अनुदेशों का निष्ठापूर्वक पालन किया जाता है।

मन्त्रियों द्वारा संसद सदस्यों को उत्तर

2860. **श्रीमती सुमति उरांव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद सदस्यों द्वारा केन्द्रीय मन्त्रियों/राज्य मन्त्रियों/उप-मन्त्रियों के नाम भेजे गये पत्रों का उनको तुरन्त अन्तरिम उत्तर भेजने और बाद में समुचित रूप से अन्तिम उत्तर शीघ्र देने को सुनिश्चित करने के लिये कोई सरकारी अनुदेश हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय में ऐसे पत्रों पर शीघ्र कार्यवाही की जाती है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसमें कोई कठिनाई/बाधाएं महसूस की गई हों, तो वे क्या हैं और भविष्य में इस संबंध में सुधार करने के लिये कोई प्रस्ताव है, तो वे क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बया) : (क) और (ख) जी, हां। सचिवालय कार्यालय पद्धति मैनुअल में इस प्रकार का प्रावधान है कि ससद सदस्यों से प्राप्त पत्रों पर तुरन्त कार्रवाई की जाये। जिन मामलों में अन्तिम उत्तर देने में देरी लगने की सभावना हो, उनमें अन्तरिम उत्तर दिया जाना होता है। इस मैनुअल में आगे यह भी व्यवस्था है कि ऐसे पत्रों के लिए एक पृथक रजिटर रखा जाना चाहिए और उनके निपटान पर निगरानी रखने के लिए उच्च स्तर के अधिकारियों को आवधिक विवरणी प्रस्तुत की जानी चाहिए।

(ग) गृह मंत्रालय में ऐसे पत्रों पर तुरन्त कार्रवाई की जाती है।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

आशय पत्र जो औद्योगिक उपक्रमों में क्रियान्वित किये गये

2861. **श्री अजित कुमार साहा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी भी अवधि में जारी किये गये कितने प्रतिशत आशय पत्र औद्योगिक उपक्रमों में क्रियान्वित किये गये हैं; और

(ख) उन्हें आशय पत्र की अवस्था से लेकर वास्तव में परियोजना के पूरा होने तक कितना समय दिया गया है;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) 1974 से 1980 के वर्षों के दौरान कुल 5,159 आशय-पत्र स्वीकृत किए गये थे। इन आशय-पत्रों में से लगभग 47 प्रतिशत को पहले ही औद्योगिक लाइसेंसों में परिवर्तित किया जा चुका है 35 प्रतिशत को व्यवगत मान लिया गया है और शेष 18 प्रतिशत की संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा समीक्षा की जा रही है।

(ख) आशय-पत्र की प्रारम्भिक वैधता अवधि एक वर्ष होती है और पर्याप्त औचित्य दिये जाने पर इस अवधि को छह छह महीने के लिए दो बार बढ़ाया जा सकता है। उद्यमों द्वारा आशय-पत्र की शर्तों को पूरा किये जाने के बाद आशय-पत्र को औद्योगिक लाइसेंस में परिवर्तित कर दिया जाता है। औद्योगिक लाइसेंस की प्रारम्भिक वैधता अवधि दो वर्ष की होती है। और इस अवधि को एक-एक वर्ष के लिए दो बार बढ़ाया भी जा सकता है। किसी भी औद्योगिक परियोजना के फलीभूत होने में सामान्यत: लगभग तीन चार वर्ष लगते हैं। प्रत्येक उद्योग की पनपने की अवधी अलग-अलग होती है।

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योगों को लगाया जाना

2863. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रत्येक पहाड़ी जिले में एक-एक उद्योग लगाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों में कुल कितने उद्योग लगाने का विचार है और उद्योग वहां मद कब तक लगा दिये जायेंगे; और

(ग) उन उद्योगों से कितने लोगों को लाभ पहुंचेगा'

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) यद्यपि निर्दिष्ट जिलों की विस्तृत औद्योगिक योजना बनाने का मुख्य रूप से उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकार का होता है तथापि केन्द्रीय सरकार विभिन्न राजकोषीय, वित्तीय कार्यक्रमों और प्रोतसाहनों द्वारा ऐसे प्रयत्नों में सहयोग देती है। पिछड़े क्षेत्रों के पुन: वर्गीकरण के बाद उत्तर प्रदेश के सभी आठ पहाड़ी जिलों को वर्ग "क" में शामिल किया गया है और इस समय केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र की निम्नलिखित परियोजनाएं विचाराधीन हैं;

1. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स वॉच काम्पलेक्स;
2. हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस लि. द्वारा सिने कलर पाजिटिव प्लांट;
3. हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन द्वारा गन्ने की खोई पर आधारित कागज परियोजना;
4. भारत इलेक्ट्रानिक लिमिटेड का डिफेन्स इलैक्ट्रोनिक परियोजना
5. भारत रिफैक्ट्रीज लिमिटेड का रिफ्रैक्टरी मैन्युफैक्चरिंग परियोजना;
6. इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड की इन्स्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरिंग परियोजना।

इन एककों की स्थापना हो जाने से निश्चय ही रोजगार के बहुत अधिक अवसर उत्पन्न होंगे।

दिल्ली और पंजाब में उग्रवादियों की गिरफ्तारी

2864. **श्री कमल नाथ** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1984 से दिल्ली और पंजाब में कितने उग्रवादीयों पकडे गये;

(ख) उनसे या उनके द्वारा बताये जाने पर बरामद किये गये हथियारों और गोलाबारूद का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस स्थिति का सामना करने के लिये क्या कदम उठये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी वेंकटसुब्बया) : (क) 1 जनवरी, 1984 से 5 मार्च, 1984 तक दिल्ली में 6 उग्रवादी और पजाब में 29 उग्रवादी गिरफ्तार किए गए ।

(ख) दिल्ली में दो हथगोले बरामद किए गए हैं । पंजाब में एक स्टेनगन, 7 रिवालवर 9 पिस्तोल, एक गन, एक हथगोला और 85 कारतूस बरामद किए गए हैं ।

(ग) स्थिति से निपटने के लिये उठाये गये कदमों में आसूचना एकत्र करना, गश्त को गहन करना और अन्तर्राज्यीय समन्वय सम्मिलित है ।

राज्यों के पुलिस केन्द्रों में चालू वर्ष के दौरान दर्ज किये गये बलात्कार के मामले

2865. **श्री हरीश रावत** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों के पुलिस स्टेशनों में अब तक बलात्कार के कितने मामले दर्ज किये हैं;

(ख) उनमें से कितने मामले पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध दर्ज किये गये हैं और उनमें से कितने मामले अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबधित महिलाओं पर अत्याचार के कारण दर्ज किये गये हैं; और

(ग) पुलिस कर्मचारियों द्वारा बलात्कार के कितने मामलों में सबधित राज्य सरकारों ने कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) राज्य सरकारें और संघ शासित क्षेत्र प्रशासन अपराधों से सबंधित कानून को लिए उत्तरदायी हैं । बलात्कार के मामलों के ब्यौरों के संबंध में अखिल भारतीय आधार पर कोई आंकड़े संकलित नहीं किए जाते है क्योंकि अपराध सहित विधि और व्यवस्था राज्य का विषय है ।

एजीकल, केरल में "शिप ब्रेकिंग यूनिट" की स्थापना

2866. **श्री ए. के. बालन** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को एजीकल, कनानोट, केरल में एक "शिप ब्रेकिंग यूनिट"

की स्थापना के लिए केरल सरकार अथवा मैसर्स स्टील इण्डस्ट्रीज केरल लिमिटेड का कोई पत्र प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. के. पी. साल्वे) : (क) और (ख) कनानोर जिले में एजीकल के स्थान पर जहाज तोड़ने की इकाई लगाने के लिए एक आशय-पत्र जारी करने हेतु मैसर्स स्टील इण्डस्ट्रियलस केरल लि० से एक आवेदन प्राप्त हुआ था। इस कम्पनी को 31.12.1983 को एक आशय-पत्र जारी कर दिया गया है।

परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब के कारण दुगुनी लागत

2867. **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 28 जनवरी, 1984 के हिन्दी दैनिक "नवभारत टाइम्स" में "अरबों की परियोजना पर काम ठप्प" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब के कारण लागत दुगुनी हो गई है और कुछ ऐसी परियोजनाए हैं जिनमें निर्माण-कार्य आरम्भ ही नहीं हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इन परियोजनाओं के विलम्ब के क्या कारण हैं और इन परियोजनाओं में से कुछ परियोजनाओं के निर्माण-कार्य को अब तक आरम्भ न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) देश में कुल कितनी ऐसी परियोजनाएं हैं जिनके निर्माण में विलम्ब हो रहा है और उनकी लागत भी बढ़ गई है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) थीन बांध के मामले में 1977 के अनुमानों पर आधारित 263.16 करोड़ रु० की मूल लागत अब दुगुने से अधिक होने का अनुमान है। सतलुज यमुना नहर और नथपा झकड़ी जल विद्युत परियोजना को अभी अंतिम रूप दिया जाना है और योजना आयोग द्वारा उन्हें अनुमोदित किया जाना है। नथपा झकड़ी परियोजना अभी शुरू की जानी है।

(ग) अंतर्राज्यीय मामलों को लाभग्राही राज्यों के साथ निपटाने की आवश्यकता;

(2) कार्य के क्षेत्र में परिवर्तनों के परिणामस्वरूप अनुमानों का परिशोधन, जिसकी संवीक्षा और अनुमोदन आवश्यक है; और

(3) संबंधित राज्यों के संसाधनों पर बाध्यकारिताएं।

(घ) अनेक परियोजनाओं की लागतें विभिन्न कारणों से बढ़ गई हैं। कुछ मामलों में कार्य-संपादन में देरी एक कारण है। उन परियोजनाओं का निर्धारण करना मुश्किल होगा जिनकी लागत केवल कार्य-संपादन में देरी के कारण बढ़ गई है।

मराठवाड़ा के नांदेड और परमाणी में जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना किया जाना

2868. **श्री उत्तम राठौर** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मराठवाड़ा क्षेत्र के नांदेड और परमाणी में केन्द्रीय सरकार की सहायता से जिला उद्योग केन्द्र खोले गये हैं; और

(ख) गत चार वर्षों के दौरान इन उद्योग केन्द्रों ने कितने आवेदन पत्र गृहीत किये है और कितने उद्यमशील व्यक्तियों को अपनी परियोजनाएं स्थापित करने के लिये सहायता दी गई है ।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) जी, हां ।

(ख) जिला उद्योग केन्द्रों ने आवेदनों तथा संवर्द्धनात्मक प्रयासों के जरिये 7967 उद्यमियों का पता लगाया है । इनमें से पिछले चार वर्षों के दौरान 1187 लघु एकक पंजीकृत किये गये और 6180 नये लघु तथा कुटीर एकक स्थापित किये गए ।

अलग अलग मंत्रालयों की अनुसंधान संबधी पूरी आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए किये गये उपाय

2869. **श्री एस. ए. दोराई सेबस्तियन** : क्या **प्रधानमत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अलग-अलग मंत्रालयों की अनुसंधान संबंधी पूरी आवश्यकताओं का पता लगाने और कंम्पनियों, विश्वविद्यालयों तथा वैज्ञानिक तथा औद्यागिक अनुसंधान परिषद् के आन्तरिक अनुसंधान केन्द्रो का अनुसंधान परियोजनायें आबटित करने के लिए उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या प्रत्येक मंत्रालय में स्थायी अनुसंधान समितियाँ गठित की गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) से (ग) परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और कृषि अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में उपयुक्त मंत्रालयों ने आवश्यकतानुसार अन्य अभिकरणों के परामर्श से अनुसंधान और विकास और अनुप्रयोगों की बड़ी विस्तृत पंचवर्षीय योजनायें और सदर्शी योजनायें तैयार की । इन्हें अनुमोदित किये जाने के पश्चात् उनके अनुसंधान केन्द्रों, प्रयोगशालाओं के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है और इस कार्य को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालयों में अनुसंधान का प्रायोजन किया जाता है । अन्य मंत्रालय भी अपनी अनसंधान संबंधी आवश्यकयाओं का अभिनिर्धारण करते हैं और अपनी पंचवर्षीय योजना के अंग के रूप में विनियोग करते हैं इन्हें सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों के संस्थान्तर्गत अनुसंधान यूनिटों द्वारा ध्यान में रखा जाता है । सी. एस. आई. आर. की स्थिति में हरेक प्रयोगशाला के लिये अनुसंधान सलाहकार परिषदें नियुक्त की गई हैं और वे परियोजनाओं का

अभिनिर्धारण और मानीटरन करती हैं। इसके अतिरिक्त सी. एस. आई. आर. की विभिन्न क्षेत्रों में समन्वयकारी परिषदें भी कार्य कर रहीं है। आई. सी. एम. आर. और नगर विमानन विभाग में भी प्रयोगशालाओं के लिए इसी प्रकार की अनुसंधान सलाहकार परिषदें मौजूद हैं। बहुत से विभागों यथा पेट्रोलियम और इस्पात विभागों में वैज्ञानिक सलाहकर समितियां कार्य कर रही हैं। नए अनुसंधानों और अन्वेषणों की अपेक्षा करने वाले क्षेत्रों का अभिनिर्धारण ऊर्जा बोर्ड के द्वारा किया जा रहा है जिसकी सिफारिशों को संबंधित विभागों और अभिकरणों को अवगत कराया जा रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने विभिन्न वैज्ञानिक भ्रस्ट क्षेत्रों का अभिनिर्धारण किया है और ये विश्वविद्यालयों और अन्य अनुसंधान संस्थाओं में परियोजनाओं के लिए विभाग द्वारा दी जाने वाली अनुसंधान सहायता का आधार बनते हैं।

राष्ट्रीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिक सूचना ब्यूरो की स्थापना के लिए विचाराधीन प्रस्ताव

2870. **श्री सुभाष चन्द्र यादव** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिक सूचना ब्यूरो की स्थापना संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) उसके लक्ष्य और उद्देश्य क्या होंगे; और

(घ) वह कब से काम करना शुरू कर देगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद् (नेशनल काउन्सिल फार साइंस एण्ड टेक्नोलोजी कम्यूनिकेशन) (एन. सी. एस. टी. सी.) ने सिफारिश की है कि एक राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिक ब्यूरो की स्थापना की जाए।

(ख) एन.सी.एस.टी.सी. ने यह भी सुझाव दिया है कि कार्यकारी समूह विभिन्न पहलुओं पर विचार करें और एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार करें।

(ग) यह ब्यूरो विज्ञान और प्रौद्योगिक संचारकर्त्ताओं और यंत्रेतर सामग्री उत्पादकों के लिए यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अधिप्रमाणिक सूचना के स्रोत के रूप में कार्य कर सकता है।

(घ) कार्यकारी समूह से विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही ब्यूरो की स्थापना के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा।

विदेश भेजे गये वैज्ञानिकों की संख्या

2871. **श्री मूलचंद डागा** : क्या **प्रधानमत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितने ऐसे वैज्ञानिक विदेश भेजे गये हैं जो भारत में स्थित अपने मूल कार्यालय को वापस नहीं आये; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे भारतीय वैज्ञानिक की संख्या कितनी हैं जो देश में सेवा में है पर उन्हें प्रतिनियुक्ति पर विदेश जाने की अनुमति दी गई है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है एकत्रित हो जाने पर सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

असैनिक अधिकारियों के लिए सेवा निवृत्ति के बाद गैर-सरकारी नौकरी स्वीकार करने पर रोक

2872. **श्री चिन्ता मणि पाणिग्रही :**

श्री बी० वी० देसाई : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या असैनिक अधिकारियों द्वारा गैर-सरकारी नौकरी स्वीकार किये जाने पर रोक लगाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो सेवा निवृत्त होने के बाद गैर-सरकारी नौकरियां स्वीकार करने वाले अधिकारियों के बारे में सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली प्रस्तावित नीति का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

लारेंस रोड दिल्ली के शिव मन्दिर में गाय का सिर मिलना

2873. **स्वामी इद्रवेश** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में लारेंस रोड, दिल्ली स्थित शिव मंदिर के परिसर में एक गाय का सिर मिला और "बबर खालसा" द्वारा लिखित एक पत्र मिला जिसमें हिन्दुओं को मारने की धमकी दी गई थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) 30 जनवरी, 1984 को लगभग 4.30 बजे, शिव मन्दिर के पुजारी को मन्दिर के प्रांगण में एक प्लास्टिक का थैला पड़ा मिला जिसमें एक पशु का सिर था। जब थैले को खोला गया तो थैले में खोपड़ी के अलावा गुरुमुखी में लिखा एक नोट मिला जिसमें कहा गया था कि जब तक खालिस्तान नहीं बनाया जाता है तब तक हिंसा जारी रहेगी।

पुलिस स्टेशन लारेंस रोड में भा. दं. सं. की धारा 295 के तहत 31-1-1984 को प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 24 का मामला दर्ज किया गया। मामले को हल करने के लिए और अपराधी को पकड़ने के लिए सभी उपाय किए जा रहे हैं।

राजधानी में आभूषणों की दुकान को लूटा जाना

2874. **श्री सतीश अग्रवाल :**

श्री एन. ई. होरो : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिनांक 16 फरवरी, 1984 के "इण्डियन एक्प्रैस" में प्रकाशित इस आशय का समाचार देखा है जिसमें लिखा था कि 15 फरवरी, 1984 को छः हथियारबन्द व्यक्तियों ने अन्सारी रोड दिल्ली में आभूषण की एक दुकान लूट ली जो दरियागंज पुलिस स्टेशन के बिल्कुल पास है;

(ख) यदि हां, तो उक्त घटना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में किसी को गिरफ्तार किया गया है; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हां। श्रीमान्।

(ख) दुकान के मालिक ने सूचित किया है कि 15 फरवरी, 1984 को अपराह्न लगभग 12.25 बजे जब वह अपने पुत्र तथा कुछ अन्य के साथ दुकान में उपस्थित था, तो 5-6 व्यक्ति, जो रिवाल्वरों, पिस्तोलों से लैस थे, दुकान में घुसे तथा दीवार की तरफ मुँह करके हम सभी को एक कोने में बिठा दिया। दो व्यक्ति उनकी निगरानी में खड़े रहे और अन्य ने दुकान को लूटा। उसके बाद उन्होंने उनको एक बाथरूम में बन्द कर दिया तथा भाग गए। अनुमानित क्षति 7,73,016/- रुपए मूल्य की बताई जाती है।

(ग) अभी नहीं, श्रीमान्।

(घ) दरियागंज थाने में भा. दं. सं. की धारा 395/397/342 के अधीन एक मामला दर्ज किया गया है और जांच शूरू कर दी गई है। घटनास्थल का अपराध दल तथा केन्द्रीय अपराध विज्ञान प्रयोगशाला दल द्वारा निरीक्षण किया गया है मामले का पता लगाने और अपराधियों को पकड़ने के लिये प्रयास जारी हैं।

अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद् के अखिल भारतीय सम्मेलन में स्वीकृत संकल्प

2875. **श्री दलबीर सिंह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 10 और 11 दिसम्बर, 1983 को नई दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद् के सातवें अखिल भारतीय सम्मेलन में पारित संकल्प प्राप्त हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनके शीघ्र कार्यान्वियन के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) निम्नलिखित 3 संकल्प प्राप्त हुए हैं :—

संकल्प सं० 1— सामाजिक तथा संवैधानिक

संकल्प सं० 2— शिक्षा

संकल्प सं० 3— आर्थिक विकास

(ग) संबधित केन्द्रीय मंत्रालयों से उपयुक्त कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

बाग्लादेश के नागरिकों द्वारा घुसपैठ

2876. **श्री चन्द्रपाल शैलानी** : क्या गृह मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बांग्लादेश के नागरिकों द्वारा बिहार के सीमावर्ती जिले पूर्णिया में घुसपैठ रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ख) क्या सरकार को बांग्लादेश के नागरिकों द्वारा अन्य राज्यों में भी घुसपैठ करने की जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो इन राज्यों के नाम क्या हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (घ) बंगला देश के साथ बिहार की कोई संयुक्त सीमा नहीं है। बंगला देश के सीमावर्ती राज्यों और इसके संलग्न क्षेत्रों में सीमा की पर्याप्त लम्बाई को देखते हुए बगला देश राष्ट्रिकों द्वारा घुसपैठ किये जाने से इन्कार नहीं किया जा सकता। राज्य सरकारों को घुसपैठियों का पता लगाने, पहचान करने और कानून के अन्तर्गत आवश्यक कार्रवाई करने के लिए स्थायी निर्देश हैं।

भारत और पाकिस्तान की परमाणु जानकारी

2877. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह :**
श्री भीम सिंह :
श्री बी. वी. देसाई :
श्री एन. ई. होरो :
श्री मोतीभाई आर. चौधरी :
श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :
श्री पी. एम. सईद : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में पाकिस्तान भारत से आगे है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, नहीं।

(ख) भारत परमाणु ऊर्जा से बिजली पैदा करने के लिए आवश्यक पूरे न्यूक्लियर ईंधन चक्र के मामले में और उद्योग-धन्धों, खेती-बाड़ी तथा स्वास्थ्य के क्षेत्रों में परमाणु ऊर्जा के अन्य उपयोगों के मामले में स्वावलम्बी है तथा परमाणु ऊर्जा के शांतिमय उपयोगों के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के सम्बन्ध में प्रगत अनुसंधान करता है।

"एव्हरी थर्ड पर्सन इन एम. पी. इज आर्म्ड" शीर्षक के समाचार

2878. **श्री गुफरान आजम :**

श्री बाल कृष्ण वासनिक : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 17 फरवरी, 1984 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "एव्हरी थर्ड पर्सन इन एम. पी. इज आर्म्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को मालूम है कि चम्बल के बीहड़ों में डकैतों के पास सेना भंडारों के चुराये गए हथियार और गोला बारूद हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को पूरी जांच करने और जिन लोगों के पास गैर कानूनी हथियार हैं उन्हें गिरफ्तार करने के निदेश देगी; और

(घ) यदि हां, तो कब और इस सम्बन्ध में सरकार का क्या अन्य कदम उठाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट्सुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) मध्य प्रदेश सरकार से सूचना की प्रतीक्षा है सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार ने अवैध हथियारों का पता लगाने के लिए लगातार और प्रभावकारी उपाय करने के लिए सभी राज्य सरकारों को समय-समय पर निर्देश जारी किए हैं। राज्य सरकारों से, बरामद किए गए बिना लाइसेंस के शस्त्रों की सख्या और गोलाबारूद के विषय में सांविधिक विवरण प्रस्तुत करने के लिए भी कहा गया है।

ग्रामीण युवकों का स्व-नियोजन

2879. **श्री ई. बालानन्दन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण युवकों के स्व-नियोजन को प्रोत्साहन देने के लिए योजना की प्रगति निश्चित करने हेतु उन्होंने दिनांक 8 फरवरी, 1984 को अधिकारियों की एक बैठक बुलाई थी;

(ख) क्या रिजर्व बैंक के प्रतिनिधियों ने आश्वासन दिया था कि वे चालू वर्ष की शेष अवधि के लिये पहले आवंटित 160 करोड़ रुपये के स्थान पर 325 करोड़ रुपये उपलब्ध करायेंगे; और

(ग) यदि हां, तो अन्य क्या निर्णय लिये गए और इस बैठक में अन्य उपस्थिति प्रतिनिधि कौन थे ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) यह बैठक 8 जनवरी, 1984 को न होकर 7 जनवरी, 1984 को हुई थी।

(ख) जी, हां।

(ग) बैठक में लिए गए अन्य मूख्य निर्णय निम्नलिखित हैं :—

(i) योजना के प्रयोजन के लिए, 1984 की जनगणना के अनुसार नगर निगम की सीमा के भीतर आने वाली जनसंख्या को सम्मिलित किया जाना था।

(ii) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा योजना के बारे में जारी किये गए अनुच्छेद यथा— संभव कम से कम समय में बैंकों की शाखाओं में पहुंच जानी चाहिएँ।

(iii) सभी जिला उद्योग केन्द्रों में पर्याप्त अर्हताप्राप्त कर्मचारी तैनात किया जाना चाहिएँ।

(iv) बैंक, कारोबार-क्षेत्र के लिए परियोजना का मूल्यांकन करने के कार्य में जिला उद्योग केन्द्र के प्रबन्धकों के लिये प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम का आयोजना कर सकते हैं।

बैठक में भाग लेने वालों में उद्योग राज्य मंत्री सचिव (औद्योगिक विकास), विकास आयुक्त, लघु उद्योग, अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, उद्योग मंत्रालय, अपर सचिव, बैंकिंग विभाग, डिप्टी गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक, संयुक्त सचिव प्रधानी मंत्री का सचिवालय, उप सचिव, बैंकिंग विभाग और संयुक्त विकास आयुक्त, लघु उद्योग शामिल हैं।

आगरा, भरतपुर और मथुरा के आस-पास उद्योग स्थापित करने पर प्रतिबन्ध

2880. **श्री चित्त महाटा** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने आगरा, भरतपुर और मथुरा के आस-पास उद्योग स्थापित करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) और (ख) राष्ट्रीय स्मारकों और अन्य संवेदनशील स्थलों जैसे ताजमहल, भरतपुर पक्षी शरण-स्थल आदि की किसी प्रकार के प्रतिकूल प्रभाव पड़ने से बचाने के लिए लगभग 10,4000 वर्ग मीटर में फैले आगरा-मथुरा क्षेत्र मे संबधित प्राधिकरणों की प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना पर रोक लगाने अथवा इसे सीमित करने की सलाह दी गई है।

इस्पात का उत्पादन

2881. **श्रीमती प्रमिला दंडवते** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रमुख इस्पात मिलों में इस्पात के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) पिछले 12 महीनों (जनवरी, 1983 दिसम्बर, 1983) के दौरान "रोल्ड स्टील," "इनगोट्स" और "प्लेट्स" का कितना उत्पादन हुआ; और

(ग) उत्पादन में वृद्धि के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. के. पी. साल्वे) (क) जी, नहीं 1.4.1983 को "सेल" के कारखानों और आन्तरिक बिक्री के स्टाकयार्डों में बिक्रेय इस्पात का स्टाक 14.5 लाख टन था लेकिन "सेल" द्वारा बिक्री में वृद्धि करने के लिए आपनायी गई विपणन नीति के फलस्वरूप 1.3.1984 को यह स्टाक घटकर 9 लाख टन रह गया है (आंकडे अस्थायी हैं)।

(ख) जनवरी 1983 से दिसम्बर 1983 की अवधि के लिए "सेल" के कारखानों के उत्पादन के बारे में अपेक्षित जानकारी अगले पृष्ठ पर तालिका में दी गई है—

(हजार टन)

कारखाना	इस्पात पिंड	विक्रेय इस्पात		
		बेलित इस्पात (प्लेटों को छोड़कर)	प्लेटें	कुल
भिलाई इस्पात कारखाना	1873	1597	—	1597
दुर्गापुर इस्पात कारखाना	847	615	—	615
राउरकेला इस्पात कारखाना	1083	547	318	865
बोकारो इस्पात कारखाना	1683	979	309	1288
इस्को	575	461	—	461
कुल : "सेल"	6061	4199	627	4826

(ग) बिजली की सप्लाई पर प्रतिबन्धों और देशीय कोककर कोयले क्वालिटी अच्छी न होने और देशीय कोककर कोयले की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धि न होने जैसे मुख्य कारणों से उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। संभरक संगठनों के निकट सहयोग से बिजली और अच्छी क्वालिटी के कोककर कोयले की सप्लाई में वृद्धि करने के लिए लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इस्पात कारखाने बिजली पैदा करने की अपनी सीमित क्षमता को अधिकाधिक करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। दीर्घावधि उपाय के रूप में बोकारो, राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई के इस्पात कारखानों में बिजली का उत्पादन करने के लिए अतिरिक्त इकाइयाँ स्थापित की जा रही हैं।

प्रत्येक राज्य के लिए आयोजना आवंटन

2882. **श्री टी. आर. शमन्ना** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य को (राज्यवार) छठी योजना के लिए मूल रूप से कितना आवंटन किया गया था; और

(ख) राज्य सरकारों के साथ परामर्श करने के पश्चात क्या अंतिम आवंटन निर्धारित किए गए थे ?

योजना मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) राज्यों के अनुमोदित छठी योजना परिव्यय, छठी योजना (1980-85) दस्तावेज के पृष्ठ 56 पर दर्शाए गए हैं जो संसद के समक्ष पहले ही रखा जा चुका है।

(ख) कुछ राज्यों के लिए 1984-85 की वार्षिक योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है अत: इस स्थिति में राज्यों के लिए अन्तिम छठी योजना परिव्यय के आंकड़े 1980-85 की अवधि के लिए सभी पांच वार्षिक योजना परिव्ययों के जोड़ के रूप में बताना सम्भव नहीं है।

छठी योजना अवधि के दौरान विकास खंडों में कार्यान्वित योजनायें

2883. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में पांच हजार दस विकास खंडों में संतुलित तरीके से कार्यान्वित योजनाओं अथवा कार्यक्रमों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या छः वर्षों में 10 लाख युवकों को ट्राइसेम अथवा समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत योजना अनुसार रोजगार दिया गया; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 2 अक्तूबर. 1980 से देश में नियमित आधार पर सभी 5011 (5010 नहीं) ब्लाकों में (1983-84 से 5092 ब्लाकों तक बढ़ गया है) कार्यान्वित किया जा रहा है। इसमें ग्रामीण युवकों को स्व-रोजगार के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शामिल है।

(ख) और (ग) ग्रामीण युवकों को स्व-रोजगार के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत छठी पंचवर्षीय योजना में प्रतिवर्ष 2 लाख युवकों को अथवा संपूर्ण छठी योजना अवधि के लिए 10 लाख युवकों को 40 युवक प्रतिवर्ष प्रति ब्लाक के आधार पर प्रशिक्षण देने की परिकल्पना की गई है। 1980-83 के दौरान 5·70 लाख युवकों को प्रशिक्षित किया गया और 2.75 लाख व्यक्ति स्व-नियोजित हुए। 1983-84 में 2 लाख के लक्ष्य के मुकाबले अप्रैल-दिसम्बर, 1983 के दौरान 1.04 लाख युवकों को प्रशिक्षण दिया गया और 0.56 लाख युवकों को स्व-रोजगार व्यवसाय में लगाया गया।

"भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व्स लिमिटेड" की उपलब्धियाँ

2884. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व्स लि०, कलकत्ता की 1977-78 से 1982-83 तक के लक्ष्य और उपलब्धियां क्या है और वर्ष-वार कितना ब्याज अदा किया गया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व्स लिमिटेड, कलकत्ता 1977-78 में अस्तित्व में नहीं था। कम्पनी अगस्त, 1978 को अस्तित्व में आई। 1978-79 से 1982-83 तक कम्पनी के लक्ष्य और उपलब्धियां तथा वर्षवार दिया गया ब्याज संलग्न विवरण में दिया जाता है।

विवरण

(लाख रुपये में)

वर्ष	उत्पादन		ब्याज	
	लक्ष्य	उपलब्धि	बैंक ऋणों पर	सरकारी ऋणों पर
1978-79 (1-8-78 से 31-3-79)	160	122	1	2
1979-80	265	267	1	14
1980-81	356	359	3	23
1981-82	386	426	5	35
1982-83 (इसकी लेखा परीक्षा की जानी है)	510	436	8	51

सीमाओं पर घुसपैठ और तस्करी की रोकथाम

2885. **श्री रतनसिंह राजदा :**

श्री अर्जुन सेठी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हमारी सीमाओं, विशेषकर गुजरात (कच्छ-सौराष्ट्र बंबई) पंजाब, असम, उत्तर पूर्वी क्षेत्र और अन्य स्थानों पर विदेशियों द्वारा घुसपैठ और बड़े पैमाने पर तस्करी के कार्य कलापों को रोकने के लिए सरकार ने यदि कोई कदम उठाए हैं तो वे क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रासदुलारी सिन्हा) : सीमा सुरक्षा बल की 10 बटालियनें पंजाब-पाकिस्तान सीमा पर 154 सीमा बाह्य चौकियों में और सीमा सुरक्षा बल की 2 बटालियनें राजस्थान-पाकिस्तान सीमा पर 29 सीमा बाह्य चौकियों में तैनात की जाती हैं। सीमा सुरक्षा बल की लगभग 24 बटालियनें भारत-बंगलादेश सीमा पर 529 सीमा बाह्य चौकियों में तैनात की जाती हैं। इसके अतिरिक्त सरकार ने विशेष रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में, जिनमें पाकिस्तान नेपाल, बंगला देश तथा वर्मा के साथ भूमि सीमाएं भी शामिल हैं, तस्करी विरोधी अभियान को सशक्त बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। सीमा शुल्क विभाग के निरोधात्मक तथा आसूचना तंत्र को जनशक्ति तथा उपकरण की दृष्टि से मजबूत बनाया गया है। भारत सरकार ने राज्य सरकार के प्राधिकारियों से परामर्श करके उपयुक्त तस्करी-विरोधी

तथा घुसपैठ विरोधी उपाय दिए हैं। सभी सुरक्षा एजेंसियाँ निरन्तर सतर्क हैं और इस मामले की पुनरीक्षा की जाती है।

"शाक एब्जार्बर्स" का निर्माण

2886. **श्री मोहम्मत असरार अहमद** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक भारतीय कम्पनी ने जापान की एक फर्म "शोवा मैंयुफैक्चरिंग कम्पनी' के सहयोग से "आटोमोबाइल" के लिए "शाक एब्जार्बर्स" के निर्माण के लिए एक परियोजना का प्रस्ताव सरकार की मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री : (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) एक व्यक्ति से एक आवेदन पत्र मिला है।

(ख) प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

"हेवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन" को घाटा

2887. **श्री राजेश कुमार सिंह** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रम "हेवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन" में लगातार घाटा हो रहा है और 1983-84 के दौरान, पिछले दो वर्षों के दौरान हुए घाटे से कहीं अधिक घाटा होने का अनुमान है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और हेवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन को पिछले दो वर्षों के दौरान हुए घाटे की तुलना में 1983-84 के दौरान कितना घाटा होने का अनुमान है और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) घाटे को न्यूनतम करने और इस उपक्रम को वित्तीय रूप के सक्षम बनाने के लिए "हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन" को कार्य-निष्पत्ति में सुधार हेतु सरकार ने क्या कदम उठाने का विचार विचार किया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) (क) और (ख) वर्ष 1975-76 और 1976-77 को छोड़कर जब इसने मामूली लाभ कमाया था, हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन को प्रारम्भ से ही घाटा हो रहा है। कम्पनी को पिछले दो वर्षों में हुई हानि और चालू वर्ष में पूर्वानुमानित हानि इस प्रकार है—

1981-82	22·82 करोड़ रुपये
1982-83	47·96 करोड़ रुपये
1983-84	41·76 करोड़ रुपये

हानियां मुख्य रूप से कम उत्पादन और उत्पादिता, विद्युत की कमी, अनुरूप अन्तर्वस्तुओं

की अनुपलब्धता, महत्वपूर्ण मशीनरी और संयंत्र का खराब हो जाना, अलाभकारी क्रयादेशों आदि के कारण हुई हैं।

(ग) स्थिति में सुधार करने और घाटे को रोकने के लिए संयंत्र के रख-रखाव को सुदृढ़ किया जा रहा है जिससे कि महत्वपूर्ण उपकरणों के खराब रहने के समय को कम किया जा सके, अतिरिक्त बिजली के लिए राज्य बिजली बोर्ड की सहायता की व्यवस्था की जा रही है, उत्पाद मिश्र में अधिकलाभकारी क्रयादेश और विभिन्न श्रेणी की वस्तुओं के उत्पादन को शामिल किया गया है, कार्य-संचालन को सरल बनाने के लिए अतिरिक्त धन राशि की व्यवस्था की जा रही है और प्रबन्ध को मजबूत किया जा रहा है।

उड़ीसा में औद्योगिक यूनिटों पर लागू विद्युत कटौती

2888. **श्री नित्यानन्द मिश्र** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में इस समय कितनी औद्योगिक यूनिटों को उन पर लागू विद्युत कटौती के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या उन औद्योगिक यूनिटों ने ऐसी स्थिति में विद्युत की कमी से बचने के लिए अपने रक्षित सयंत्रों में अतिरिक्त विद्युत उत्पादन के लिए कोई प्रयत्न किए हैं; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) से (ग) इस समय उड़ीसा के भारी और विद्युत प्रधान उद्योगों में 55 प्रतिशत बिजली की कटौती करके कुल मिलाकर 178 मेगावाट, की कटौती की जा रही है। बिजली की कटौती से प्रभावित औद्योगिक एककों की संख्या के संबंध में ठीक-ठीक ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं। विभिन्न उद्योगों द्वारा अधिष्ठापित कैप्टिव पावर सयत्रा क कार्य-निष्पादन की देख-रेख उद्योग मंत्रालय द्वारा नहीं की जाती।

राजस्थान में ग्रेनाइट के भंडार

2889. **श्री चिरदाराम फुलवारिया** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के जालौर जिले में देश-विदेश में उपलब्ध ग्रेनाइट से अच्छी किस्म का ग्रेनाइट उपलब्ध है;

(ख) क्या सरकार ने वहां उपलब्ध ग्रेनाइट भंडार की मात्रा निश्चित करने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) जालौर जिले में ग्रेनाइट के मुख्य निक्षेप तेशखाना, कालकाजी, कोटरी को घाटी, काला घाटी, नुआन केशवाना आदि में हैं। ग्रेनाइट विभिन्न रंगों एवं वर्णों तथा महीन से मोटे दानों के रूप में है। जालौर में मोटे अनुमान से लगभग 1,84,000 घन मीटर भंडार हैं।

निलम्बित सरकारी कर्मचारी को बहाल किया जाना

2890. **श्री कुम्भाराम आर्य** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी निलंबित सरकारी कर्मचारी को केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और याचिका) नियम के अन्तर्गत उसके विरुद्ध लंबित औपचारिक जांच के दौरान भी सेवा में बहाल किया जा सकता है; और

(ख) यदि हां, तो किन परिस्थिति में और पिछले वर्षों के दौरान ब्यौरे सहित उनके मंत्रालय में ऐसे कितने मामले हुए है अथवा उनके मंत्रालय को निर्देशित किए गए हैं और इस विषय में आदेश क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, श्रीमान;

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति आयुक्त की सेवा निवृत्ति

2891. **श्री आर. एन. राकेश** क्या : **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त के पद के वर्तमान पदधारी की सेवा निवत्ति हो चुकी हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी सेवानिवृत्ति कब और किस तारीख को हुई और सरकार का विचार उस रिक्त पद को कब तक भरने का है;

(ग) क्या यह भी सच है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित लोगों को शिकायतों पर देर से सुनवाई होती है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और कार्यालय में कर्मचारियों की वर्तमान संख्या क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त के पद का अन्तिम पदधारी 23 नवम्बर, 1981 को सेवानिवृत्त हो गया था। पद को जल्दी ही भरने का विचार है।

(ग) और (घ) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त के कार्यालय में प्राप्त शिकायतों पर सामान्यत: आयोग द्वारा समय पर कार्रवाई की जाती है। कार्यालय में वर्तमान कर्मचारियों की संख्या 77 है।

औद्योगिक प्रशिक्षण पर कार्यदल की सिफारिशें

2892. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक प्रशिक्षण पर योजना आयोग के कार्यदल की सिफारिशें क्या हैं; और

(ख) औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों में उपकरणों का दर्जा बढ़ाने और आधुनिकीकरण के लिए कितना आबंटन किया गया है ?

योजना मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) और (ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने के सन्दर्भ में, योजना आयोग ने व्यावसायिक प्रशिक्षण से सम्बन्धित एक कार्यकारी दल का गठन किया है। आशा की जाती है कि यह दल अपनी रिपोर्ट मार्च, 1984 के अन्त तक प्रस्तुत करेगा।

विशाखापत्तनम इस्पात कारखाने को पानी की सप्लाई

2893. **श्री जी० भूपति** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने विशाखापत्तनम इस्पात कारखाने को पानी की सप्लाई करने हेतु येलेरू जलभंडार परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए केन्द्र से ऋण के रूप में अपेक्षित अतिरिक्त धनराशि के लिए अनुरोध किया है और इस सम्बन्ध में आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मन्त्री ने प्रधान मन्त्री के नाम दिनांक 20 जून का कोई पत्र भी भेजा था; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने उक्त येलेरू परियोजना को समय पर पूरा करने के हेतु राज्य सरकार की आवश्यकताओं के लिए क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन. के. पी. साल्वे) : (क) और (ख) जी, हां। आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मन्त्री ने प्रधान मन्त्री को लिखे दिनांक 19 जून, 1983 के अपने पत्र में विशाखापत्तनम में निर्माणाधीन इस्पात कारखाने को जल की सप्लाई हेतु राज्य सरकार की येलेरू परियोजना को पूरा करने के लिए 50 करोड़ रुपये का ऋण देने के लिए अनुरोध किया था। वर्ष 1978 में आन्ध्र प्रदेश की सरकार ने आश्वासन दिया था कि वह अपनी लागत

पर कारखाने की हद तक प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध कराएगी, इसलिए केन्द्रीय सरकार द्वारा इस्पात कारखाने के लिए मंजूर की गई राशि में कारखाने की हद तक जल की सप्लाई के लिए कोई खर्च शामिल नहीं किया गया था। अतः इस्पात मंत्रालय ने आन्ध्र प्रदेश सरकार को सूचित किया है कि विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र परियोजना अथवा इस्पात विभाग द्वारा परियोजना के लिए ऋण की व्यवस्था करना सम्भव नहीं होगा।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार आन्ध्र प्रदेश सरकार मार्च, 1983 के अन्त तक इस जल-आपूर्ति परियोजना पर 20.73 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है। इस्पात कारखाने को जल की सप्लाई के लिए सुविधाओं पर 107.36 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। आन्ध्र प्रदेश सरकार से यह अनुरोध किया गया है कि वे इस जल-आपूर्ति परियोजना को पूरा करने और इस्पात कारखाने की हद तक आवश्यक मात्रा में जल की सप्लाई के लिए पक्के कार्यक्रम के बारे में बताएं इस जानकारी की प्रतीक्षा है।

कांच उद्योग को निषेधक (नैगेटिव) सूची में रखना

2894. **श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "शीट ग्लास" उद्योग को वित्तीय संस्थानों की निषेधक सूची में रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो किन कारणों से नए एककों के लिए इतने अधिक आशय पत्र जारी किए गए हैं;

(ग) क्या 1977 में "शीट ग्लास" का सर्वाधिक निर्यात हुआ था जबकि देश में अतिरिक्त लाइसेंस शुदा क्षमता थी लेकिन अब 1982 तक इसका निर्यात कम होकर शून्य रह गया है;

(घ) क्या देश के बाजार में उच्च बिक्री मूल्यों के कारण कांच उद्योग की निर्यात करने में रुचि नहीं थी; और

(ङ) वैद्य आयल पत्रों को, जिसने उनके औद्योगिक लाइसेंसों की कम से कम रुपये 30 प्रतिशत की निर्यात बाध्यता शुरू की है; निषेधक सूची से छूट न देने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) रसायन और उससे सम्बन्धित उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद, कलकत्ता के अनुसार शीट ग्लास कि निर्यात का ब्यौरा निम्न प्रकार हैं :

वर्ष	सादे शीट ग्लास का निर्यात (लाख रुपयों में)
1976-77	213.8
1977-78	591.4
1978-79	303.2
1979-80	217.2
1980-81	129.0
1981-82	97.0
1982-83	181.0

मेसर्स हिन्दुस्तान पिलकिंग्टन ग्लास वर्क्स लि० के शीट ग्लास संयंत्र के बन्द हो जाने और मेसर्स श्री वल्लभ ग्लास वर्क्स लि० के बोइसर स्थित संयंत्र में पूरा उत्पादन न हो पाने के कारण निर्यात योग्य अतिरिक्त माल की अपर्याप्तता की वजह से शीट ग्लास के निर्यात में गिरावट आई है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

पिछले तीन वर्षों के दौरान महिलाओं के साथ बलात्कार

2895. **श्री राम प्रसाद अहिरवार** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरन महिलाओं के साथ राज्यवार कितने मामलों में बलात्कार किया गया;

(ख) इनमें से और अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं की राज्यवार संख्या कितनी हैं, और

(ग) राज्यवार कितने अपराधियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) अपराधों से सम्बन्धित कानून को लागू करने के लिए राज्य सरकारें उत्तरदायी हैं। बलात्कार के मामलों के ब्यौरों के सम्बन्ध में अखिल भारतीय आधार पर कोई आंकड़े संकलित नहीं किए जाते हैं क्योंकि अपराध सहित विधि और व्यवस्था राज्य का विषय है। देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान महिलाओं के साथ बलात्कार के मामलों की राज्यवार संख्या तथा इनमें से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की राज्यवार संख्या विवरण में दी गई है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान महिलाओं के साथ बलात्कार.

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1981 कुल	1981 अनुसूचित जाति	1981 अनुसूचित जनजातियां	1982 कुल	1982 अनुसूचित जातियां	1982 अनुसूचित जनजातियां	1983 कुल	1983 अनुसूचित जातियां	1983 अनुसूचित जनजातियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आसाम	281	उ०न०	उ०न०	257	उ०न०	उ०न०	146	उ०न०	उ०न०
2.	आन्ध्र प्रदेश	179	उ०न०	उ०न०	245	उ०न०	उ०न०	222 अक्तूबर तक	उ०न०	उ०न०
3.	बिहार	346	उ०न०	उ०न०	348	उ०न०	उ०न०	281 अक्तूबर तक	उ०न०	उ०न०
4.	गुजरात	98	8	16	112	10	2	89	8	7
5.	हरियाणा	82	22*	—	100	22*	—	85	25*	
6.	हिमाचल प्रदेश	17	10	शून्य	32	8	1	32	12	1
7.	जम्मू एवं कश्मीर	141	उ०न०	उ०न०	115	उ०न०	उ०न०	146	उ०न०	उ०न०
8.	केरल	77	उ०न०	उ०न०	78	उ०न०	उ०न०	71 अक्तूबर तक	उ०न०	उ०न०

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	कर्नाटक	118	11	6	80	4	4	119	22	14
10.	मध्य प्रदेश	10.7	उ०न०	उ०न०	1113	उ०न०	उ०न०	602 जून तक	उ०न०	उ०न०
11.	महाराष्ट्र	512	उ०न०	उ०न०	504	उ०न०	उ०न०	550	उ०न०	उ०न०
12.	मणिपुर	18	2*	—	17	शून्य	शून्य	11	शून्य	शून्य
13.	मेघालय	13	उ०न०	उ०न०	15	उ०न०	उ०न०	8	उ०न०	उ०न०
14.	नागालैंड	9	शून्य	शून्य	8	शून्य	शून्य	5 अगस्त तक	शून्य	उ०न०
15.	उड़ीसा	133	7	6	148	11	15	166	7	8
16.	पंजाब	87	27*	—	53	21*	—	57	16*	...
17.	राजस्थान	298	66	9	339	58	14	378	75	19
18.	सिक्किम	7	उ०न०	उ०न०	4	उ०न०	उ०न०	4	उ०न०	उ०न०
19.	तमिलनाडु	180	उ०न०	उ०न०	179	उ०न०	उ०न०	175	उ०न०	उ०न०
20.	त्रिपुरा	19	उ०न०	उ०न०	18	उ०न०	उ०न०	31	उ०न०	उ०न०
21.	उत्तर प्रदेश	948	उ०न०	उ०न०	766	उ०न०	उ०न०	797	उ०न०	उ०न०
22.	पश्चिम बंगाल	504	उ०न०	उ०न०	489	उ०न०	उ०न०	415	उ०न०	उ०न०

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	1	उ०न०	उ०न०	शून्य	उ०न०	उ०न०	4	उ०न०	उ०न०
24.	अरुणाचल प्रदेश	5	उ०न०	उ०न०	11	शून्य	शून्य	8	शून्य	शून्य
25.	चंडीगढ़	13	उ०न०	उ०न०	7	उ०न०	उ०न०	6	उ०न०	उ०न०
26.	दादर तथा नगर हवेली	शून्य	शून्य	शून्य	2	शून्य	1	1	शून्य	1
27.	दिल्ली	67	उ०न०	उ०न०	66	उ०न०	उ०न०	79	उ०न०	उ०न०
28.	गोआ, दमन और दीव	5	...	**	2	**	---	11	**	...
29.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1	शून्य	...
30.	मिजोरम	29	...	29	31	शून्य	31	39	शून्य	39
31.	पांडिचेरी	5	शून्य	शून्य	4	2	शून्य	7	1	शून्य

* आंकड़ों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति शामिल है ।

** 1981-83 के दौरान गोवा, दमन और दीव में अनु० जाति/अनु० जनजाति की महिलाओं के साथ बलात्कार के दो मामले सूचित किए गए थे ।

उ०न० उपलब्ध नहीं है ।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) के घाटे में वृद्धि

2896. **श्री के० लकप्पा :**
श्रीमती किशोरी सिन्हा :
श्री धर्मदास शास्त्री :
डा० सुब्रहमण्यम स्वामी : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड में बढ़ते घाटे को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है;

(ख) क्या अनुभवहीन डिवीजनल महाप्रबन्धकों, चेयरमैन और प्रबन्ध निदेशकों की नियुक्ति के कारण भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के घाटे में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है;

(ग) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को पिछले तीन वर्षों के दौरान कितना घाटा हुआ है; और

(घ) सरकार का विचार इस मामले में क्या सुधारात्मक उपाय करने का है।

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री श्री एन० के० पी० साल्वे (क) से (घ) पिछले तीन वर्षों में "सेल" की लाभ/हानि की स्थिति इस प्रकार है :

सभी आंकड़े करोड़ रुपयों में हैं;

वर्ष	लाभ (+) हानि (—)		(लागत में वृद्धि घाटा पिछले तीन वर्ष की तुलना में हुई वास्तविक वसूली में वृद्धि
1980-81	(+)	1.01	(45)
1981-82	(+)	39.17	(—) 15)
1982-83	(—)	105.76	(115)

"सेल" को हुई हानि का मुख्य कारण यह है कि वास्तविक वसूली लागत में हुई वृद्धि की तुलना में कम होती जा रही है, जैसा कि नीचे तालिका में दिखाया गया है :—

(सभी आंकड़े करोड़ रुपयों में हैं)

	1980-81	1981-82	1982-83
पिछले वर्ष की तुलना में "सेल" की बिक्री से हुई वसूली में अनुमानित वृद्धि (इस्पात तथा कच्चा लोहा)	125	319	231

1	2	3	4
पिछले वर्ष की तुलना में लागत में वृद्धि			
— कच्चा माल, स्टोर, फालतू पुर्जे, बिजली	124	232	199
वेतन और मजूरी	29	42	57
रख-रखाव	3	10	3
मूल्य ह्रास	—1	9	9
ब्याज	15	11	78
उपर्युक्त मदों के बारे में पिछले वर्ष की तुलना में लागत में हुई कुल वृद्धि	170	304	346

वर्ष 1983-84 में 'सेल' की लाभ तथा हानि की स्थिति का पता तभी चलेगा जब इस वर्ष का हिसाब-किताब अन्तिम रूप से तैयार हो जायेगा।

हानि को कम करने तथा कार्यकरण में सुधार लाने के लिए "सेल" माँग के अनुरूप प्रॉडक्ट-मिक्स में परिवर्तन लाने, विपणन के लिए अथक प्रयास करके बिक्री में वृद्धि करने और इस प्रकार तैयार माल, कच्ची सामग्री स्टोर्स तथा फालतू पुर्जों के स्टाक में कमी करने तथा निर्यात के लिए अधिक उत्पादन करने हेतु हर सम्भव प्रयास कर रही है। औद्योगिकीय प्रक्रियाओं में सुधार करके लागत में कमी करने, उपस्करों की समय पर मरम्मत करके तथा बेहतर रख-रखाव द्वारा उनकी उपलब्धि में वृद्धि करने, स्टोर्स तथा फालतू पुर्जों की खरीद कम से कम करने और हर प्रकार से खर्च में कमी करने के लिए विशेष उपाय किए गए हैं।

(ख) : जी, नहीं।

कुछ इलेक्ट्रानिक्स यूनिटों को लाईसेंस से छूट देने का प्रस्ताव

2897. **श्री वी. एस. विजयराघवन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार का विचार 3 करोड़ रुपये तक के पूंजी निवेश वाली इलेक्ट्रानिक्स यूनिटों को लाइसेंस से छूट देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा. एम. एस. संजीवी राव) : (क) तथा (ख) दिनांक 9 मई, 1978 से तथा पूंजी-निवेश की प्रक्रियाओं को उदार बनाने से संबंधित समूची नीति के अनुरूप ऐसी इलेक्ट्रानिक परियोजनाओं को जिनमें भूमि, भवन, संयंत्र तथा मशीनरी जैसी स्थायी सम्पत्ति के रूपमें 3करोड़ रुपए से अधिक का पूंजी-निवेश

न हुआ हो, पहले ही औद्योगिक लाईसेंस से छूट दी गई है, किन्तु इसके लिए **विवरण** I में दी गई शर्तों को पूरा करना आवश्यक है, जो उद्योग के सभी क्षेत्रों पर लागू है। लेकिन यह छूट **विवरण** ii में दी गई इलेक्ट्रानिक उत्पादों के 5 वर्गों पर लागू नहीं होती है, क्योंकि वर्ग 1 से 4 के उत्पाद विशिष्ट औद्योगिक तथा प्रौद्योगिकी नीतियों के अन्तर्गत आते हैं तथा वर्ग 5 के उत्पाद औद्योगिक, नीति संकल्प, .956 के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रखे गए हैं। पूंजी-निवेश की उपर्युक्त सीमा को दिनांक 23 अप्रैल, 1983 से 3 करोड़ रु. से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर दिया गया है, लेकिन नीति विषयक अन्य शर्तें पूर्ववत् रहेंगी।

विवरण I

जिन औद्योगिक परियोजनाओं पर स्थायी परिसम्पत्ति के रूप में 3 करोड़ रुपये तक का पूंजी-निवेश किया गया हो उन्हें औद्योगिक लाईसेंस से छूट देने की शर्तें

1. विनिर्माण की वस्तु लघु-उद्योग क्षेत्र अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित न हो।

2. उद्योग पर कोई विशिष्ट विनियम न लागू होते हों अथवा उस पर क्षमता विषयक कोई प्रतिबंध न लागू होते हों।

3. न तो कच्ची सामग्री के आयात के लिए अथवा जितना वार्षिक उत्पादन हो, उसके कारखानागत मूल्य के 15 प्रतिशत अधिक के कल-पुर्जों तथा संघटक-पुर्जों के लिए अथवा कच्ची सामग्रियों तथा कल-पुर्जों तथा संघटक-पुर्जों को मिलाकर 40 लाख रुपये की सीमा तक के आयात के लिए किए जाने वाले प्रस्तावित पूंजी-निवेश में प्रतिवर्ष विदेशी मुद्रा की आवश्यकता नहीं होती हो।

4. परियोजना का स्थल ऐसे शहर की मानक शहरी सीमा में न हो जिसकी जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक हो अथवा ऐसे शहर की नगरपालिका की सीमा के अन्तर्गत न हो, जिसकी जनसंख्या 5 लाख या उससे अधिक हो।

5. संबंधित औद्योगिक उपक्रम एकाधिकार प्रतिबंधनकारी व्यापार पद्धति/विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम (एम. आर. टी. पी./एफ. ई. आर ए.) कम्पनी के अन्तर्गत न आता हो।

विवरण 2

विशिष्टि औद्योगिक लाइसेंसिंग तथा प्रौद्योगिकी नीतियों के अन्तर्गत आने वाले इलेक्ट्रानिक उत्पाद-वर्ग।

1. दूरदर्शन रिसीवर
2. इलेक्ट्रॉनिक संघटक-पुर्जे
3. कम्प्यूटर, लघु मिनी) कम्प्यूटर/सूक्ष्म-संसाधित्र (माइक्रो-प्रोसेसर) पर आधारित प्रणालियों तथा सहायक वस्तुएं।

4. अंकीय इलेक्ट्रानिक घड़ियां।

5. दु-तरफा रेडियो संचार तथा सहायक उपस्कर।

दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज किये गए अपराधों की संख्या

2898. **श्री धर्मदास शास्त्री** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने संघ राज्य क्षेत्र, दिल्ली में जनवरी, 1983 से जनवरी, 1984 तक अपराधों के कितने मामले दर्ज किए हैं और ये अपराध किस किस्म के हैं;

(ख) क्या पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष दिल्ली में अपराध कम हुए हैं; और

(ग) दिल्ली पुलिस को और अधिक कुशल तथा प्रभावशाली बनाने तथा इसकी संख्या बढ़ाने के लिए मूलभूत सुधार करने और इसी आशुनिक उपकरणों से सुसज्जित करने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा बनाई गई योजनाओं का ब्योरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) अपेक्षित आंकड़े इस प्रकार हैं।

अपराध शीर्ष	1-1-83 से 31-1-84 तक दर्ज किये गये मामलों की संख्या।
डकैती	16
हत्या	266
हत्या का प्रयास	241
लूटपाट	231
दंगे	184
जंजीर छीनना	125
चोट	1896
सेंधमारी	1404
साइकिल चोरी	2466
मोटरवाहन चोरी	2337
विविध चोरी	9394
विविध भा० दं० सं०	11136
जोड़ :	29696

(ख) जनवरी, 1984 और गत वर्ष इसी अवधि के दौरान तुलनात्मक आंकड़े इस प्रकार हैं।

अपराध शीर्ष	1-1-83 से 31-1-83 तक	1-1-84 से 31-1-84 तक
डकैती	2	1
हत्या	11	19

1	2	3
हत्या का प्रयास	15	18
लूटपाट	12	20
दंगे	7	11
जंजीर छीनना	7	4
चोट	143	132
सेंधमारी	153	128
साइकिल चोरी	226	201
मोटरवाहन चोरी	160	226
विविध चोरी	781	741
विविध भा. दं. सं.	738	835
जोड़ :	2255	2336

(ग) जनशक्ति और उपकरण की दृष्टि से दिल्ली पुलिस की विभिन्न अपेक्षाओं की निरन्तर पुनरीक्षा की जा रही है। दिल्ली पुलिस की दक्षता में सुधार लाने के लिए व्यक्तियों और उपकरण के रूप में समय-समय परवृद्धि की जाती है।

आसूचना ब्यूरो से संबंधित संवर्ग नीति की पुनरीक्षा

2899. **श्री वित्त बसु:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय पहले आसूचना ब्यूरो से संबंधित संवर्ग नीति की की पुनरीक्षा करने का निर्णय किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह पुनरीक्षण इस बीच पूरा हो गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बीच पुनरीक्षण रिपोर्ट पर विचार कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, श्रीमन्।

(ख) पुनरीक्षा की जा रही है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

पालम रोड लूटपाट की घटना में दिल्ली पुलिस मैनों का हाथ

2900. **प्रो0 अजित कुमार मेहता** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर, 1983 में पालम रोड लूटपाट तथा हत्या के मामले में दिल्ली के कुछ पुलिस मैन शामिल थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

गृह मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) अभी तक की गई जांच पड़ताल से इस मामले में किसी पुलिस कार्मिक के अंतर्ग्रस्त होने का पता नहीं चला है।

(ख) प्रश्न नही उठता।

(ग) मामले की जांच जारी है और मामले को हल करने और अपराधियों को पकड़ने के लिए भारसक प्रयत्न किए जा रहे हैं।

पश्चिम जर्मनी के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री का भारत का दौरा

2901. **श्री सुभाषचन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम जर्मनी के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने फरवरी, 1984 में भारत का दौरा किया; और

(ख) यदि हां, तो दौरे पर आये मंत्री के साथ हुई बातचीत के क्या निष्कर्ष निकले ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) और (ख) जी नहीं, पश्चिमी जर्मनी के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने फरवरी, 1984 के दौरान भारत यात्रा नहीं की। तथापि, भारत सरकार के निमन्त्रण पर, संघीय अनुसधान और विकास मंत्रालय के राज्य सचिव के नेतृत्व में संघीय जर्मन गणराज्य के 4 सदस्यों के शिष्ट मण्डल ने फरवरी 1984 में भारत-यात्रा की थी।

पश्चिमी जर्मनी के शिष्ट मन्डल ने, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, महासागर विकास, अन्तरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभागों के अधिकारियों तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अधिकारियों से चर्चा की। विभिन्न क्षेत्रों में, सहयोग के कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की गई और सहयोग के विस्तार की असंभावनाओं का अन्वेषण किया गया। जर्मन शिष्ट मण्डल ने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र और नेशनल इन्स्टीट्यूट आँफ ओशनोग्राफी की भी यात्रा की।

प्रस्तावों की मन्जूरी के लिये राज्य स्तर पर समितियों का गठन

2902. **प्रो. पी. जे. कुरियन** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इलेक्ट्रानिक्स की विभिन्न वस्तुओं के निर्माण के लिए इलेक्ट्रानिक्स एककों के प्रस्तावों को मन्जूर करने हेतु राज्य स्तर पर समितियां गठित करने का है।

(ख) क्या दिल्ली से मन्जूरी देने की वर्तमान प्रणाली को असंतोषजनक पाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति विभागों में उपमन्त्री (डा. एम. एस. संजीवी राव) : (क) लघु उद्योग क्षेत्र में कुछ इलेक्ट्रानिकी वस्तुओं के विनिर्माण के प्रस्तावों पर मंजूरी प्रदान करने के लिए भारत सरकार की सलाह पर राज्यों में राज्य स्तरीय समितियां गठित की जा चुकी हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

टायर ट्यूबों के लिये विकास परिषद की बैठकें

2903. **श्री के. टी. कोसलराम** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1984 में टायर और ट्यूबों के लिए गठित की गई विकास परिषद की अब तक कितनी बैठकें हुई हैं ; और

(ख) इस परिषद के सदस्य कौन-कौन हैं और परिषद की बैठकों में किन-किन अवषयों पर चर्चा हुई ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) टायरों और ट्यूबों के लिए विकास परिषद कार्य, 1983 में गठित की गई थी। इस परिषद की अभी तक कोई बैठक नहीं हुई है।

(ख) परिषद के सदस्यों की सूचि संलग्न विवरण में दी गयी है।

विवरण

क्रमांक	नाम	प्रतिनिधित्व
1.	अध्यक्ष, आटोमोटिव टायर्स मैन्युफैक्चरर्स ऐसोसियेशन।	अध्यक्ष
2.	संयुक्त सचिव, औद्योगिक विकास विभाग में लिनोलियम तथा रबड़ के प्रशासनिक कार्याधिकारी	सदस्य
3.	संयुक्त सचिव, वाणिज्य मंत्रालय।	सदस्य
4.	संयुक्त सचिव, पैट्रोलियम मन्त्रालय।	सदस्य
5.	विकास सलाहकार, रसायन तथा उर्वरक मन्त्रालय।	सदस्य
6.	संयुक्त सचिव, वित्त मन्त्रालय, राजस्व विभाग।	सदस्य
7.	विकास आयुक्त (लघु उद्योग) के प्रतिनिधि विषय से संबंध रखने वाले निदेशक।	सदस्य

8. औद्योगिक सलाहकार, तकनीकी विकास का महानिदेशालय	सदस्य-सचिव
9. अध्यक्ष रबड़ बोर्ड	सदस्य
10. अध्यक्ष, आल इंण्डिया रबड़ (इण्डस्ट्रीज ऐसोसियेशन ।	सदस्य
11. अध्यक्ष, ऐसोसियेशन आफ कार्बन ब्लैक मैन्युफैक्चरर्स ।	सदस्य
12. अध्यक्ष, ऐसोसियेशन आफ सिंथेटिक फाइबर इण्डस्ट्री ।	सदस्य
13. अध्यक्ष, आल इण्डिया मोटर ट्रान्सपोर्ट कांग्रेस ।	सदस्य
14. अध्यक्ष, दिल्ली टायर ट्रेडर्स ऐसोसियेशन ।	सदस्य
15. प्रबन्ध निदेशक, मैसर्स डन्लप इंण्डिया लि० ।	सदस्य
16. प्रबन्ध निदेशक, विक्रांत टायर्स लि० ।	सदस्य
17. प्रबन्ध निदेशक, मैसर्स बम्बई टायर्स इण्टरनेशनल ।	सदस्य
18. अध्यक्ष, ऐसोसियेशन आफ इण्डियन इंजीनियरिंग इण्डस्ट्री ।	सदस्य
19. प्रबन्ध निदेशक, मैसर्स फालकांन टायर्स लि० ।	सदस्य
20. संयुक्त सचिव श्रम मन्त्रालय ।	सदस्य
21. केरल रबड़ ग्रोवर्स के प्रतिनिधि ।	सदस्य

दक्षिण ध्रुव पर बनाये गये शिविर में आदमियों और सामान का पहुंचाया जाना

2904. **श्री आर. पी. गायकवाड़** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण ध्रुव में भारतीय अभियान दल द्वारा बनाये गये आधार शिविर में आदमियों और सामान को ले जाने का काम शुरू हो गया था ;

(ख) क्या शिविर स्थल पर पहले ही कुछ उपकरण पहुंचाए जा चुके हैं ;

(ग) क्या आदमियों और सामान के पहुंचाए जाने के बाद महासागर विकास विभाग का विचार इस बर्फीले महाद्वीप पर स्थायी भारतीय स्टेशन स्थापित करने के लिए एक भवन बनाने का है ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार वैज्ञानिक परीक्षणों के परिणाम स्वरूप संभावित लाभ की मदवार व्याख्या करेगी ; और

(ङ) क्या किसी अन्य देश ने भी दक्षिण ध्रुव पर ऐसा शिविर स्थापित किया है ; यदि हां, तो उसके नाम क्या हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) से (घ) जी हां, श्रीमान। अन्टार्कीटका पर मानव-सहित स्थायी भारतीय अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का कार्य पूरा हो चुका है।

वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अन्टार्कटिक महाद्वीप अद्वितीय है। सार्वभौमिक मौसम और विशेष तौर पर भारतीय महासागर क्षेत्र के मौसम को नियमित करने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भौमिकी, भू-भौतिकी, भू-चुम्बकत्व, हिमक्रिया विज्ञान, रेडियो-वेव प्रसारण आदि के क्षेत्र में पहले के अभियानों के दौरान किए गए अध्ययनों से हमें चुनौती भरे महाद्वीप को समझने में सहायता मिली है। अभियानों से देश को जो राष्ट्रीय गौरव मिला है उसके अलावा अन्टार्कटिक से विश्व के लोगों को जो भावी आर्थिक प्राप्तियों के मिलने की संभावना है उसके लिए भी अन्टार्कटिका पर भारत की मौजूदगी आवश्यक हैं। इसके अतिरिक्त, अन्टार्कटिक में वैज्ञानिक अध्ययनों से पास-पड़ोस के महासागर सहित अन्टार्कटिक संसाधनों को समझने में सहायता मिलेगी।

(ङ) भारत के अतिरिक्त नीचे लिखे बारह देशों के अन्टार्कटिक पर मानव-सहित स्थायी केन्द्र मौजूद हैं :—

(1) अर्जेन्टीना (2) आस्ट्रेलिया (3) चिली (4) फ्रांस (5) जापान (6) न्यूजीलैंड (7) पोलैण्ड (8) सोवियत यूनियन (9) दक्षिण अफ्रीका (10) यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन) (11) यूनाइटेड स्टेट्स (अमेरिका) (12) जर्मन संघीय गणराज्य

इसके अतिरिक्त, तीन देश अर्थात बेल्जियम, नार्वे और ब्राजील के मौसमी मानव- सहित केन्द्र अन्टार्कटिक पर हैं।

मन्डल आयोग की सिफारिशें

2905. **श्री मोतीभाई आर. चौधरी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री एम. एच. बेग की अध्यक्षता में नियुक्त अल्प संख्यक आयोग ने मन्डल आयोग की सिफारिशों की जांच की है ;

(ख) यदि हाँ, तो जांच रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार उनके इस विचार से सहमत है कि मन्डल आयोग पिछड़ेपन का पता लगाने के लिए संवैधानिक रूप से वैध मापदन्ड बताने में असफल रहा है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) न्यायामूर्ति एम. एच. बेग की अध्यक्षता में अल्पसख्यक आयोग से मन्डल आयोग के प्रतिवेदन के संबंध में परामर्श किया था। आयोग का विचार था कि प्रतिवेदन में हिन्दु धर्म को न मानने वाले समूहों से हिन्दू धर्म मानने वाले समूहों में पिछड़ेपन का पता लगाने के लिए संवैधानिक रूप से वैध मानदन्ड स्थापित नहीं किये गये हैं और आयोग द्वारा अपनाये गये मानदन्ड युक्ति युक्त ढंग से आयोग के उद्देश्यों से संबंधित नहीं हैं।

बिहार में नकसलवादियों के नाम पर गिरफ्तार किये गये व्यक्ति

2906. **श्री रामस्वरूप राम**: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में पिछले एक वर्ष के दौरान नकसलवादियों के नाम पर कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं ;

(ख) क्या गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों पर विधिवत मुकदमा चलाया गया है ;

(ग) यदि हां, तो काफी मामलों में नकसलवादी होने के आरोप झूठे पाए गए हैं और गिरफ्तार व्यक्तियों को निर्दोष पाया गया है ; और

(घ) क्या सरकार नकसलवादी क्षेत्र समझे जाने वाले क्षेत्रों का सर्वेक्षण करवाने के लिए तैयार हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) बिहार सरकार से सूचना की प्रतीक्षा है ।

(घ) मामले में आवश्यक कार्यवाई करना राज्य सरकार का कार्य है ।

सिख पंथ के दुश्मनों का सफाया करने के लिए उग्रवादी सिख नेता का युवा सिखों को आह्वान

2907. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु**
श्री कमल नाथ :
श्री पी. नामग्याल : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 फरवरी, 1984 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि उग्रवादी अकाली नेता नरनैल सिंह भिंडरावाले ने युवा सिखों से मोटर साइकिल और रिवाल्वर खरीदने तथा सिख पंथ के दुश्मनों का सफाया करने का खुला आह्वान किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) क्या गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों ने यह रहस्योद्घाटन किया है कि उन्हें स्वर्ण मंदिर स्थित विभिन्न सरायों से शस्त्र प्राप्त हुए थे ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकट सुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान :

(ख) और (ग) पंजाब सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार श्री जरनैल सिंह भिंडरवाले ने 1 फरवरी, 1984 को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर में अखिल भारतीय सिख छात्र संघ की एक सभा को संबोधित करते हुए सभा में भाग लेने वालों को पंथ के दुश्मनों से निपटने के लिए हथियार और मोटरवाइकलें रखने के लिए कहा था ।

इस संबंध में एक मामला दर्ज किया गया है । राज्य सरकार ने उग्रवादी हिंसा को रोकने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं ।

(घ) विभिन्न आपराधिक मामलों में गिरफ्तार किए गए कुछ अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान बताया है कि अपराध करने में प्रयोग किए गए हथियार अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर में छिपे हुए उग्रवादियों के प्राप्त किए गए थे।

पंजाब में समानान्तर सरकार बनाना

2908. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 जनवरी, 1984 के "टाइम्स आफ इण्डिया" (दिल्ली संस्करण) में शीर्षक "चौहान कालस फोर पैरालल गवर्नमेंट इन पंजाब" से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न अकाली नेताओं के प्रयोजनार्थ छापी गई पत्रों की प्रतियों के सरकुलेशन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं; और

(ग) इस विषय में क्या कार्यवाही प्रारंभ की गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) तथा (ग) इंगलैंड से डाक्टर जगजीत सिंह चौहान द्वारा विभिन्न अकाली नेताओं को लिखा गया कथित पत्र दिनांक 2 दिसम्बर, 1983 राज्य सरकार के ध्यान में आया है जिन्होंने इसकी विषय वस्तु की जांच की है। इस संबंध में गैर कानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम 1967 की धारा 13 के अधीनएक मामला दर्ज किया गया है।

पन-बिजली परियोजना के कारण पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों के पारिस्थितिक क्षति

2909. **श्री अमल दत्त** :

श्री नारायण चौबे : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि पन-बिजली परियोजना के कारण पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्र में पारिस्थितिक क्षति के बारे में प्रधान मंत्री द्वारा वन्य जीवन निधि के समक्ष दिया गया कथित वक्तव्य समाचार पत्र (स्टेटसमैन दिनांक 20 फरवरी, 1984) में प्रकाशित हुआ है;

(ख) इस संबंध में प्रधान मंत्री ने किस पन-बिजली परियोजना का उल्लेख किया है और उनके अनुसार इस प्रकार की परियोजना के फलस्वरूप क्या पारिस्थितिक क्षति होगी;

(ग) क्षति वाले स्थान का नाम, क्षति का ब्यौरा तथा पारिस्थितिक पर संभावित प्रभाव क्या है;

(घ) क्या प्रधान मंत्री के उपर्युक्त वक्तव्य पर (स्टेटसमैन 21 फरवरी, 1983) पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य मंत्री द्वारा दिए गए प्रत्युत्तर की प्रधान मंत्री को जानकारी है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या ऐसी कोई परियोजना नहीं है और प्रधान मंत्री द्वारा उल्लिखित क्षेत्र में केवल पेय जल की आपूर्ति के प्रस्ताव का ही उल्लेख किया गया था ?

पर्यावरण विभाग में उप-मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) तथा (ङ) नियोरा खोला की कल्मिपोंग जल आपूर्ती योजना से इसका सम्बन्ध था। इस स्कीम में बांध-निर्माण तथा जैवीयरूप में समृद्ध तथा शांत नियोरा घाटी में पाइप-लाईनों के बिछाने की परिकल्पना की गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने परियोजना को पारिस्थितिकीय कारणों से जारी न रखने की भारत सरकार की सलाह स्वीकार नहीं की। पारिस्थितिकीय अनुप्रभाव पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

मद (घ) में उल्लिखित तारीख, वास्तव में 21 फरवरी, 1984 है न कि 21 फरवरी 1983 जैसा कि बताया गया है।

जर्मन पर्यटक दंपत्ति को अन्तर्राज्यीय बस अड्डे, दिल्ली पर पीटा जाना

2910. **श्री राम लाल राही** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत भ्रमण पर जर्मनी से आये एक पर्यटक दम्पत्ति को बिना किसी बजह से कुछ बदमाशों द्वारा अन्तर्राज्यीय बस अड्डे के निकट पीटा गया था (जनसत्ता दिनांक 13 फरवरी, 1984),

(ख) यदि हां, तो क्या वहां पर पुलिस उस समय ड्यूटी पर मौजूद नहीं थी;

(ग) यदि हां तो उसके क्या कारण हैं और क्या वे बदमाश उक्त असहाय पर्यटकों को बस अड्डे से कश्मीरी गेट तक पीटते हुए लाये थे और युवती के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया था;

(घ) यदि हां, तो पुलिस के विरुद्ध अब तक क्या कारंवाई की गई है; और

(ङ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) (क) से (ङ) हालांकि पुलिस को इस प्रकार की कोई घटना सूचित की गई है फिर भी रिपोर्ट की जांच करने और मामले में आगे आवश्यक कारंवाई करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं।

न्योरा खोला जल आपूर्ति परियोजना

2911. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दार्जिलिंग जिले (पश्चिम बंगाल) में न्योरा खोला जल आपूर्ति परियोजना भारतीय वन्य जीवन बोर्ड को भेज दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इस परियोजना को कब तक स्वीकृत कर दिये जाने की संभावना है और इसके कार्यान्वयन के बारे में अन्तिम निर्णय कब तक लिया जाएगा ?

पर्यावरण विभाग में उप-मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) इस योजना में जेविकरूप से समृद्ध तथा शाँत न्योरा घाटी में बांधारा निर्माण तथा पाइपलाइनें बिछाने की परिकल्पना की गई है। योजना के पारिस्थितिकीय प्रभाव के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है चूंकि भारतीय वन्य प्राणी बोर्ड संबंधित नहीं है अतः इसकी स्वीकृति का प्रश्न नहीं उठता है।

परमाणु ईंधन न मिलने के कारण तारापुर परमाणु ऊर्जा केन्द्र को नुक्सान पहुंचना

2912. **श्री नवीन रावणी :**

श्री चिन्तामणि जेना : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों से संवर्द्धित यूरेनियम न मिलने के कारण तारापुर परमाणु ऊर्जा केन्द्र को कोई खतरा है;

(ख) यदि हां, तो परमाणु-ऊर्जा केन्द्र को चालू रखने के लिए क्या वैकल्पिक प्रबन्ध किए जा रहे हैं; और

(ग) अमरीका या फ्रांस से सवर्द्धित यूरेनियम प्राप्त करने के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है ?

प्रधान मत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) भारत और फ्रांस के बीच नवम्बर, 1982 में हुए सहकार करार के तहत अमरीका के स्थान पर फ्रांस तारापुर परमाणु बिजलीघर के लिए समृद्ध यूरेनियम की सप्लाई सन् 1963 में हुए सहकार करार की सीमाओं में रहते हुए कर रहा है।

भारतीय कम्पनियों का बल्गारिया के साथ सहयोग

2913. **श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ भारतीय और बल्गारियाई कम्पनियों ने संयुक्त उद्यम स्थापित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त भारतीय और बल्गारियाई कम्पनियों के क्या नाम हैं; और

(ग) उनके संयुक्त उद्यमों का ब्यौरा क्या है;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विदेशी सहयोग के स्वीकृत प्रस्तावों का ब्यौरा, जिसमें भारतीय और विदेशी फर्मों के नाम, विनिर्माण की वस्तुएं तथा सहयोग का प्रकार सम्मिलित है, भारतीय निवेश केन्द्र, नई दिल्ली द्वारा अपने मन्थली न्यूज लेटर परिशिष्ट के रूप में नियमित रूप से

प्रकाशित किया जाता है। इस प्रकाश की प्रतियां नियमित रूप से संसद पुस्तकालय को भेजी जाती हैं।

स्वस्थ पर्यावरण के महत्व की लोगों को जानकारी देने का कार्यक्रम

2914. **प्रो. नारायण चन्द पाराशर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रदूषण से बचने तथा पारिस्थितिकीय संतुलन बनाये रखने के लिए स्वास्थ्य पर्यावरण के महत्व की लोगो को सामान्य रूप से तथा युवा पीढ़ी को विशेष रूप से जानकारी देने के लिए कोई कायक्रम चलाया है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम की सक्षिप्त रूपरेखा क्या है और किस तिथि से तथा माध्यम द्वारा इसको चलाया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस प्रकार के कार्यक्रम आरंभ करेगी तथा इसके बारे में शैक्षिक संस्थाओं में भी जानकारी दी जायेगी ?

पर्यावरण विभागों उप-मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) तथा (ख) जी हां। सरकार जनता में पर्यावरणीय जागरुकता पैदा करने के लिए कई कार्यकलाप आयोजित कर रही है। समय-समय पर बहु-प्रचार अभियान, जिसमें दूरदर्शन, रेडियो, प्रेस शामिल हैं, शुरू किये गये हैं। विशेष प्रचार तथा तकनीकी सामग्री भी तैयार की जा रही है तथा वैज्ञानिक पत्रिकाओं, रूपक-कार्यक्रमों, पोस्टरों आदि के विशेषांकों के रूप में इन्हें वितरित किया जाता है। विश्वविद्यालयों में प्रौढ़-शिक्षा निदेशालय, युवा संगठनों तथा प्रौढ़ एवं अनवरत शिक्षा संकायों को इन कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से शामिल किया जाता है।

विशेष कार्यक्रम, जिसमें स्कूली बच्चे शामिल होते हैं, भी आयोजित किये जाते हैं। इनमें प्रकृति नारा प्रतियोगिताएं, चित्रकारी तथा फोटोग्राफी प्रतियोगिताएं तथा पर्यावरण के बारे में अखिल भारतीय निबंध प्रतियोगिता शामिल हैं। यूनाइटेड स्कूल आरगेनाइजेशन द्वारा अब तक 3 अखिल भारतीय निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। ये प्रतियोगिताएं संविधान में मान्यता प्राप्त सभी 16 भाषाओं में आयोजित की गई थीं। इन प्रतियोगिताओं का उत्तर लगभग सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में बहुत प्रोत्साहनात्मक रहा है। जिन राज्यों से उत्तर संतोषजनक नहीं रहा, उनमें ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली पुलिस में सीधी भर्ती

2915. **प्रो. नारायण चन्द पाराशर** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1980-81, 1981-82, 1982-83 तथा चालू वित्तीय वर्ष 1983-84 के दौरान दिल्ली पुलिस में विभिन्न श्रेणियों के लिए कोई सीधी भर्ती की गई है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त उल्लिखित प्रत्येक वर्ष के दौरान पुलिस कार्मिकों की प्रत्येक श्रेणी में कितनी नियुक्ति की गई;

(ग) क्या यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि चयन करने के मामले में हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू, काश्मीर, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे पड़ौसी राज्यों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इस अवधि के दौरान दिल्ली पुलिस के लिए की गई भर्ती की तिथियां तथा स्थान क्या हैं तथा प्रत्येक स्थान पर कितनी संख्या में भर्ती की गई; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या यह सुनिश्चित किया जायेगा कि भविष्य में की जाने वाली भर्ती में इन सभी राज्यों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जायेगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकट्सुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) अपेक्षित आंकड़े संलग्न विवरण (विवरण-I) में दिये गये हैं ।

(ग) उपनिरीक्षक (कार्यकारी) के पद पर भर्ती कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से अखिल भारतीय आधार पर की जाती है । 1982 से अन्य पद रोजगार कार्यालय के माध्यम से भरे जाते हैं, इससे पूर्व कांस्टेबलों (कार्यकारी) की भर्ती भी पड़ौसी राज्यों के समेत अखिल भारतीय आधार पर की जाती थी ।

(घ) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण (विवरण-II) में दी गई है ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण-I

पद की श्रेणी	भरे गये पदों की कुल संख्या			
	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84
उप निरीक्षक (कार्यकारी)	44	100	124	54
उप निरीक्षक (सांख्यिकीविद)	—	1	—	—
उप निरीक्षक (लिब)	—	1	—	—
सहायक उप निरीक्षक (एमटी/ओवर)	—	—	2	—
सहायक उप निरीक्षक (आशुलिपिक)	2	1	2	—
सहायक उप निरीक्षक (महिला)	2	3	2	—
सहायक उप निरीक्षक (आर टेक)	22	—	—	—
सहायक उप निरीक्षक (आशुलिपिक रिपोर्टर)	—	2	—	—
सहायक उप निरीक्षक (एस. ए. एस. टी.)	—	20	6	6
हैड कांस्टेबल (ए. एस. टी.)	—	15	17	—

	2	3	4	5
हैड कांस्टेबल (मिन)	60	97	33	66
कांस्टेबल (घुड़सवार पुलिस)	19	—	—	—
कांस्टेबल (ड्राइवर)	—	136	78	60
हैड कांस्टेवल (टेलीफोन आपरेटर)	1	—	—	—
कांस्टेबल (कार्यकारी)	1407	466	5137	200
कांस्टेबल (बैंडसमैन)	—	—	—	8

विवरण-2

क्र. सं.	भर्ती का स्थान	भर्ती की तारीख	चुने गये उम्मीदवारों की संख्या
1.	गुरुदासपुर (पंजाब)	13-3-1980	286
2.	लखनऊ (उत्तर प्रदेश)	16-8-1980	164
3.	सिरसा (हरियाणा)	9-9-1980	333
4.	दिल्ली	1980-81 वर्ष 1980-81 के दौरान	624
5.	अलवर (राजस्थान)	4-5-1981	8 (भर्ती केवल भूतपूर्व सैनिकों के लिए की गई)
6.	सीकर (राजस्थान)	नवम्बर, 1981 के तृतीय व चतुर्थ सप्ताह के दौरान	147
7.	झुनझुनू (राजस्थान)	वही	111
8.	जोधपुर (राजस्थान)	वही	113
9.	बिलासपुर (मध्य प्रदेश)	वही	49
10.	रायपुर (मध्य प्रदेश)	वही	76
11.	नैनीताल (उत्तर प्रदेश)	वही	64
12.	सीतापुर (उत्तर प्रदेश)	वही	28
13.	बरेली (उत्तर प्रदेश)	वही	170
14.	बनारस (उत्तर प्रदेश)	वही	164

1	2	3	4
15.	प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश)	नवम्बर, 1981 के तृतीय व चतुर्थ सप्ताह के दौरान	195
16.	त्रिवेन्द्रम (केरल)	तदैव	168
17.	एर्नाकुलम (केरल)	वही	96
18.	अमरावती (महाराष्ट्र)	वही	77
19.	नागपुर (महाराष्ट्र)	वही	57
20.	दिल्ली	1981-82 के दौरान	458
21.	दिल्ली	1982-83 के दौरान	3622
22.	शिमला (हिमाचल प्रदेश)	4-4-1983	भर्ती केवल भूतपूर्व सैनिकों के लिए की गई)
23.	मधुबन (हरियाणा)	4-4-1983	17 वही
24.	बरीपादा (उड़ीसा)	11-4-1983	(भर्ती केवल अनूसूचित जन-जाति के लिये की गई)
25.	जयपुर (राजस्थान)	12-4-1983	14 वही
26.	नागपुर (महाराष्ट्र)	11-4-1983	— वही
27.	रांची (बिहार)	20-4-1983	14 वही
28.	नागपुर (महाराष्ट्र)	16-5-1983	11 वही
29.	दिल्ली	वर्ष 1983-84 के दौरान	276 (अस्थाई रूप से कुल 1054 उम्मीदवारों को चुना गया है और डाक्टरी जांच की जा रही है। उनके चरित्र तथा पूर्ववृत की जांच करने के बाद उनको अंतिम रूप से नियुक्त किया जाएगा।

(चूंकि उन तारीखों और ऊपर उल्लिखित स्थानों से दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के रूप में भर्ती के लिए चुने गए उम्मीदवारों को प्रशिक्षण सुविधा की उपलब्धता के अनुसार दलों में नियुक्त किया गया था/प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया था अत: चयन की तारीख से नियुक्त की की तारीख भिन्न है।)

अर्द्ध सैनिक बलों के लिए भर्ती

2916. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष सहित तीन वर्षों के दौरान (एक) सीमा सुरक्षा बल दो सी. आई. एस. एफ. (तीन) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस तथा (चार) सेन्ट्रल रिजर्व पुलिस के लिए कोई भर्ती की गई है;

(ख) यदि हां, तो इन वर्षों के दौरान वर्ष-वार प्रत्येक बल के लिए पृथक रूप से कुल कितनी भर्ती की गई;

(ग) क्या यह सुनिश्चित किया गया है कि भर्ती ऐसे स्थानों पर तथा इस ढंग से की जाये कि सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा समाज के विभिन्न वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके;

(घ) यदि हां, तो की गई भर्ती के स्थानों के नाम तथा तिथियों सहित भर्ती के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या भर्ती को इस ढंग से सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा समाज के सभी वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले, तुरन्त कोई कदम उठाये जाएंगे ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) सशस्त्र बलों के लिये वर्ष-वार की गई कुल भरती का विवरण संलग्न है।

(ग) जी हां, श्रीमान

(घ) जब कभी भर्ती की जाती है, रिक्तियों को सभी प्रमुख समाचारपत्रों में विज्ञापित किया जाता है और केन्द्रीय रोजगार कार्यालयों के माध्यम से, आकाशवाणी, दूरदर्शन और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संगठनों और भूतपूर्व-सैनिक कल्याण संगठनों द्वारा भी प्रचार किया जाता है। तारीखों और स्थानों, जहां पर भर्ती की गई थी, के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रखी दी जाएगी।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र. सं.	बल का नाम	के दौरान की गई भर्तियां			
		1981	1982	1983	1984
1.	सीमा सुरक्षा बल	2873	1190	4076	1115 (28 फरवरी 84 तक)
2.	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	4393	44	6571*	
3.	केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	273	320	836	61 (फरवरी 84 तक)
4.	भा. तिब्बत सीमा पुलिस	विवरण देना जनहित में नहीं होगा।			

* इसमें चालू वित्तीय वर्ष तक की गई भर्ती सम्मिलित है।

पिछड़े क्षेत्रों का आर्थिक विकास

2917. **प्रो० नारायण चन्द पराशर क्या योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने नई रेलवे लाइनों, सड़कों, पुलों जैसी मूलभूत परिवहन सुविधाओं तथा दूर-संचारों तथा डाक सुविधाओं के प्रावधान को उच्च प्राथमिकता देकर तथा उनको सातवीं पंचवर्षीय योजना के 'कोर सेक्टर' में सम्मिलित करके पहाड़ी, रेगिस्तानी तथा आदिवासी क्षेत्रों सहित देश के पिछड़े क्षेत्रों के सार्थक विकास में गति लाने का निश्चय किया है, यदि हां तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया है;

(ख) क्या योजना आयोग सातवीं पंचवर्षीय योजना में पिछड़े क्षेत्रों के इन सेक्टरों के लिए उदार वित्त व्यवस्था के आबंटन को सुनिश्चित करेगा तथा प्रत्येक विभाग/मंत्रालय में इन सेक्टरों में परियोजनाओं को तेजी के साथ पूरा करने के लिए निगरानी करने हेतु एक पृथक कक्ष की स्थापना की व्यवस्था करेगा;

(ग) ऐसा किस तारीख तक किए जाने की सम्भावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) से (घ) तक इस समय योजना आयोग सातवीं योजना के नीति पत्र को तैयार करने में लगा हुआ है। यह राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा अनुमोदित किये जाने पर, केन्द्र और राज्यों द्वारा योजना को तैयार करने के विस्तृत कार्य आरम्भ करने का आधार होगा। इस समय, सातवीं योजना में किसी भी परियोजना अथवा स्कीमों के ब्यौरों सहित क्षेत्रकीय प्राथमिकताओं पर टिप्पणी करना सम्भव नहीं हैं। तथापि सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि पिछड़े क्षेत्रों के आर्थिक विकास को उच्च प्राथमिकता दी जाती रहेगी।

राज्यों में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये व्यक्ति

2918. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे व्यक्तियों की राज्यवार कुल संख्या कितनी हैं; जिनको राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार हुए छः महीने से अधिक समय हो गया है; और

(ख) उनमें राज्य-वार राजनैतिक कैदियों की कुल संख्या कितनी है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ए. ए. एस. यू. के साथ सरकार की बैठक

2919 **श्री पीयूष तिरकी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ए. ए. एस. यू. के नेताओं तथा केन्द्रीय सरकार के बीच हुई अन्तिम बैठक का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार ए. ए. एस. यू. के साथ पुनः बिचार विमर्श करने के सम्बन्ध में पहले करने की इच्छुक नहीं है;

(ग) यदि हा, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो विचार-विमर्श कब किया जायेगा ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री : (श्री राम दुलारी सिन्हा) : (क) तथा (घ) 4 तथा 5 जनवरी, 1983 को हुई सरकार के प्रतिनिधियों, संसद में विपक्ष के नेताओ और अखिल असम छात्र संघ/अखिल असम गण संग्राम परिषद के प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक में अन्तिम बार वार्ताएं हुई थी। किन्तु इन वार्ताओं से कोई निष्कर्ष नहीं निकला क्योंकि 1961-71 के बीच के प्रवेशकों के मामले में कोई समझौता नहीं हो सका, यद्यपि 1971 से पूर्व और 1971 के बाद के प्रवेशकों के सम्बन्ध में समझौते का क्षेत्र मालूम हो गया था। सरकार यद्यपि मार्च, 1971 से पूर्व के प्रवेशकों के सम्बन्ध में राष्ट्रीय वचन बद्धताओं का सम्मान करने के लिए दृढ़ थी, तथापि आन्दोलनकारियों के दृष्टिकोण को समायोजित करने के लिये भिन्न-भिन्न विकल्पों पर विचार करने के लिए भी तैयार थी लेकिन ये व्यवहारीय नहीं पाये गये।

सरकार ने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट कर दिया गया है कि विदेशियों के मसले पर नई बातचीत करने के लिए दरवाजे खुले हैं और सरकार न्यायोचित और संतोषजनक हल ढूंढने की दृष्टि से राज्य सरकार और अन्य सभी सम्बन्धित पक्षों के परामर्श से किसी नए व्यवहारिक और तथ्यपूर्ण प्रस्तावों पर विचार करने के लिए उत्सुक हैं। सरकार सामान्य स्थिति बहाल करने और सार्थक बातचीत से अनुकूल तथा सहायक परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए प्रयास कर रही है।

तिहाड़ जेल के लिए सामान की खरीद में की गई अनियमितताएं

2320. **श्री निहाल सिंह** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तिहाड़ जेल के लिये सामान की खरीद में अधिकारियों द्वारा की जा रही अनियमिताओं के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) हालांकि इस सम्बन्ध में कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, फिर भी दिल्ली प्रशासन ने 10 मई,

1983 को एक परिपत्र जारी किया है कि जेल में उपभोग के लिए अपेक्षित सभी वस्तुओं को केन्द्रीय भण्डार, सुपर बाजार और सिविल सप्लाई कारपोरेशन जैसे अभिकरणों से खरीदा जाएं। इस परिपत्र के अनुसरण में ठेकेदारों की प्रथा समाप्त की गई और सारी खरीदारी इन अभिकरणों के माध्यम से करने की व्यवस्था की गई है। इस समय कोई मुख्य खरीदारी निजी ठेकेदारों के माध्यम से नहीं की जा रही है, जिससे जेल अधिकारियों द्वारा की जा रही अनियमता समाप्त हो जायेगी।

औद्योगिक उपक्रमों की अधिग्रहण अवधि का बढ़ाया जाना

2992. **श्री निहाल सिंह** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन औद्योगिक उपक्रमों के नाम क्या हैं जिनके अधिग्रहण की अवधि को, उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत 31 दिसम्बर तक बढ़ाया गया तथा प्रत्येक मामलों में कितने अवधि बढ़ाई गई;

(ख) उन उद्योगों की पुन: बढ़ ई गई अवधि क्या है जिनके मामले में पहले अवधि को मई, 1983 तक बढ़ाया गया था; और

(ग) उन औद्योगिक उपक्रमों के नाम क्या हैं जिनका सरकार ने अप्रैल, 1983 से 31 मार्च, 1984 तक की अवधि के दौरान राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय किया ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) निम्नलिखित औद्योगिक उपक्रम जिनका प्रबन्ध उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किया जा रहा था, उनका 1 अप्रैल, 1983 से राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है :

केन्द्र सरकार द्वारा

1. मैं० गणेश फ्लोर मिल्स कं० लि०, दिल्ली।
2. मै. इन्चेक टायर्स लि., कलकत्ता।
3. मै. नेशनल रबर मैन्युफैक्चरर्स लि., कलकत्ता।
4. मै. नेशनल रबर मैन्युफैक्चरर्स लि. (कल्याणी यूनिट) पश्चिम बंगाल।

राज्य सरकार द्वारा

5. मै. उड़ीसा टेक्सटाइल मिल्स, उड़ीसा।
6. मै. सेठ गोविन्दराम शुगर मिल्स, मध्य प्रदेश।
7. मै. जओरा शुगर मिल्स प्रा. लि., मध्यप्रदेश।
8. मै. ईस्टर्न डिस्टिलरीज (प्रा.) लि., पश्चिम बंगाल।

विवरण

उन औद्योगिक उपक्रमों के नाम जिनका प्रबन्ध 31 दिसम्बर, 1982 को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन किया जा रहा था तथा ये तारीखें जिन तक प्रत्येक मामले में अभिग्रहण की अवधि बढ़ाई गई है :—

क्रमांक	उपक्रम का नाम	प्रबंध अभिग्रहण किए जाने की तारीख	31.12.1982 को प्रबंध अभिग्रहण के आदेशों की वैधता की तारीख	यह तारीख जिस तक मई, 1983 के बाद प्रबन्ध अभिग्रहण की अवधि बढ़ाई गई है	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1.	मै० इण्डियन रबर मैन्युफैक्चरर्स लि० कलकत्ता	18.9.82	31.3.83	31.10.84	अवधि 31.10.83 के बाद नहीं बढ़ाई गई।
2.	मै० कार्टर पूलर एण्ड कं० प्रा० लि० कलकत्ता	24.10.72	31.3.82		अवधि 30.4.83 के बाद नहीं बढ़ाई गई।
3.	मै० गणेश फ्लोर मिल्स कं० लि०, दिल्ली	3.12.72	2.5.83	2.2.84	राष्ट्रीयकृत
4.	मै० इण्डिया मशीनरी कम्पनी लि०, हावड़ा	25.12.72	24.5.83	24.5.84	

1	2	3	4	5	6
5.	मै० कन्टेनर्स एण्ड क्लोजर्स लि०, कलकत्ता	29.11.72	28.5.83	28.10.82	अवधि 28.10.83 के बाद नहीं बढ़ाई गई ।
6.	मै० श्री जानकी शुगर मिल्स एण्ड कं० देहरादून, उत्तर प्रदेश	15.1.73	30.9.83	31.3.84	
7.	मै० कृष्ण सिलेकेट एण्ड ग्लास वर्क्स लि० कलकत्ता ।	5.3.73	4.9.73	31.12.84	
8.	मै० एसोसिएटेड इण्डस्ट्रीज (असम) लि०, कामसा (असम)	8.7.74	7.7.83	7.8.84	
9.	मै० इण्डिया बेल्टिंग एण्ड काटन मिल्स लि०, हुगली ।	6.9.74	5.3.83	30.6.84	
10.	मैं० ईस्टर्न डिस्टिलरीज (प्रा.) लि०, कलकत्ता	8.10.74	31.5.83	30.6.84	अब राष्ट्रीयकृत
11.	मै० मोटर एण्ड मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स लि०, कलकत्ता	9.10.74	8.1.83	8.4.84	
12.	मै० ग्लूकोनेट लि०, कलकत्ता	22.7.75	21.1.83	30.6.84	
13.	मै० एंजेल इण्डिया मशीन एण्ड टूल्स लि०, कलकत्ता	5.8.75	4.2.83	31.5.84	

1	2	3	4	5	6
14.	मै० प्लाइबोर्ड इण्डस्ट्रीज लि०, श्री नगर (जम्मू तथा कश्मीर)।	27.4.76	31 3.83	31.3.84	
15.	मै० ब्रिटानिया इन्जी. कं०, (टीटागढ़ यूनिट) कलकत्ता।	22.5.76	21.5.83	21.5.84	
16.	मै० बंगाल पाटरीज लि०, कलकत्ता	15.9.76	14.3.83	14.3.84	
17.	मै० कावेरी स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, कावेरी ननर (तमिलनाडु)	23.12.76	31.3.83	31.3.84	
18.	मै० प्रिय लक्ष्मी मिल्स लि० बड़ौदा।	23.7.77	22.1.83	21.7.84	
19.	मै० श्री शुभलक्ष्मी मिल्स लि०, कैम्बे।	10.8.77	प्रबन्ध जारी, उच्चन्यायालय में याचिका लम्बित		
20.	मै० इन्दौर टेक्सटाइल्स लि०, उज्जैन (मध्य प्रदेश)।	12.8.77	11.2.83	11.8.84	
21.	मै० सोमसुन्दरम् सुपर स्पिनिंग मिल्स, रामनाथपुरम (तमिलनाडु)।	4.11.77	3.5.83	31.3.84	
22.	मै० नेशनल रबर मैन्युफैक्चरर्स लि० कलकत्ता।	23.12.77	22.6.83	30.6.84	अब राष्ट्रीकृत
23.	मै० श्री राम शुगर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि०, बोविल्ली (आन्ध्र प्रदेश)।	4.2.78	2.2.83	2.8.84	
24.	मै० कोट्टायम टेक्सटाइल्स लि., केरल।	6.2.78	5.2.83	28.8.84	

1	2	3	4	5	6
25.	मै० प्रभुराम मिल्स लि., (केरल)।	9.2.78	8.2.83	28.8.84	
26.	मै० मालाबान स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लि., कालीकट	9.2.78	8.2.83	28.8.84	
27.	मै० नेशनल रबर मन्युफैक्चरर्स लि., (कल्याणी यूनिट)।	10.2.78	9.2.83	30.6.84	अब राष्ट्रीयकृत
28.	मै० आलोक उद्योग वनस्पति एण्ड प्लाईवुड लि., कलकत्ता।	29.3.78	28.3.83	30.6.84	
29.	मै० इन्चैक टायर्स लि., कलकत्ता।	13.4.78	12.4.83	30.6.84	अब राष्ट्रीयकृत
30.	मै० स्वदेशी काटन मिल्स, कानपुर।	13.4.78	12.4.83	30.4.84	
31.	मै० श्री दुर्गा काटन स्पिनिंग एण्ड बीविंग मिल्स लि., कलकत्ता।	13.4.78	12.4.83	12.10.84	
32.	मै० अल्युमिनियम कारपोरेशन आफ इण्डिया लि., कलकत्ता।	1.5.78	31.3.83	31.3.84	
33.	मै० बंगाल इम्युनिटी कं. लि., कलकत्ता।	10.5.78	17.5.83	17.5.84	
34.	डा. पाल लोहमैना(ई) लि., कलकत्ता।	10.11.78	9,11.83	9.5.84	

1	2	3	4	5	6
35.	मै० श्री राम शुगर एण्ड इण्डस्ट्रीज लि., (सीतानगरम एकक)।	6.1.79	2.2.83	2.8.84	
36.	मै० ब्रेन्टफोर्ड इलेक्ट्रिक (ई) लि., कलकत्ता।	26.2.79	25.2.83	25.5.84	
37.	मै० लिली बिस्किट प्रा., कलकत्ता	27.3.79	31.5.83	30.6.84	
38.	मै० लिली बालें मिल्स लि., कलकत्ता	27.3.79	31.5.83	30 6.84	
39.	मै० महादेव टेक्सटाइल्स लि., हुबली	30.3.79	मूल आदेश 29.3.84 तक वैध		
40.	मै० अपोलो जिपर कं. प्रा, लि., कलकत्ता	26.5.79	31.5.83	30.6.84	
41.	मै० इण्डिया (हेल्थ इन्स्टीच्यूट एण्ड लैबोरेटरीं लि.) कलकत्ता।	4.6.79	4.9.83	30.6.84	
42.	मै० नेशनल आयरल एण्ड स्टील कं. लि. कलकत्ता।	22.9.79	21.9.83	30.6.84	
43.	मै० श्री सरस्वती प्रेस लि., कलकत्ता।	31.10.79	30.4.83	30.6.84	
44.	मै० शिवराज फाइल आर्ट लिथो वर्क्स, नागपुर।	23.8.80	22.8.83	22.8.84	
45.	मै० सेठ गोविन्दराम शुगर मिल्स उज्जैन (मध्य प्रदेश)।	12.9.80	12.9.83	11.3.84	रांष्ट्रीयकृत

1	2	3	4	5	6
46.	मै० जाओरा शुगर मिल्स प्रा. लि., रतलाम मध्य प्रदेश।	12.9.80	12.9.83	11.3.84	-वही-
47.	मै० मोतीपुर शुगर फैक्टरी लि., मुजफ्फरपुर, बिहार।	3.11.80	30.10.82	2.11.83	प्रबन्ध जारी; उच्च न्यायालय में याचिका लम्बित
48.	मै० उड़ीसा टेक्सटाइल मिल्स, लि., उड़ीसा	19.9.81	18.9.83	18.3.84	राष्ट्रीयकृत
49.	मै० मोहिनी मिल्स लि., पश्चिम बंगाल	23.10.81	21.5.83	21.5.84	
50.	मै० कान्ति काटन मिल्स, गुजरात।	12.10.82	11.4.83	11.4.84	

सेनिटरी के समान का उत्पादन

2923 : **श्री निहाल सिंह** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सेनिटरी के समान का उत्पादन करने वाले 10 उद्योगों का ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक उद्योग में कितनी धनराशि लगी हुई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ये उद्योग जनता की समस्त मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं ; **और**

(ग) यदि हां, तो उत्पादन किये गये के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय में वृद्धि है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) - सिरेमिक (चीनी मिटटी की सेनिटरी की वस्तुओं का निर्माण करने में लगे हुए 11 एककों का विवरण अनुबंध में दिया गया है। इनकी अधिष्ठापित क्षमता 39,440 मी.टन. प्रतिवर्ष है। इन एककों के अलावा मंझोले/बड़े क्षेत्रों में कुल 44,780 मी. क्षमता के लिए कुछ थोड़े से एककों को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। बड़े और लघु दोनों क्षेत्रों में विद्यमान एकक जनता की वर्तमान मांग पूरी कर सकते हैं। आशा है कि अतिरिक्त एकक जिन्हें स्वीकृति दी जा चुकी है, निकट भविष्य में आवश्यकताओं का ध्यान रखेंगे।

विवरण

1. मेसर्स हिन्दुस्तान सेनिटरीवेयर लि०, बहादुरगढ़, हरियाणा राज्य।
2. मेसर्स ई.आई.डी पैरी लि. रानीपेट, तमिलनाडु।
3. मैसर्स निवेली सिरेमिक एण्ड रिफैक्टरीज लि०, पो.आ. बडालूर जिला, दक्षिण आरकाट, तमिलनाडु।
4. मेसर्स ए.पी. सिडको, सिरेमिक फैक्टरी गुडूर (आन्ध्र प्रदेश)।
5. मेसर्स उड़ीसा इण्डस्ट्रीज लि०, पो.आ.-बारंग जिला कटक।
6. मेसर्स मधुसूदन वेजीटेबल प्राडक्टस कं० लि०, जिला काडी, मसाना, गुजरात राज्य।
7. मेसर्स खोडियार पाटरी वर्क्स लि०, सीहोर, गुजरात राज्य।
8. मेसर्स परशुराम पाटरी वर्क्स कं० लि०, मोखी, गुजरात राज्य।
9. मेसर्स जानसन पोद्दार प्रा० लि०, देवास, म०प्र०।
10. मेसर्स स्वास्तिक सेनिटरीवेयर्स लि०, काडी जिला, मसाना, गुजरात राज्य।
11. मेसर्स तमिलनाडु सिरेमिक्स लि०, त्रिदा चलम्, जिला दक्षिण आरकोट।

चूना पत्थर खानों द्वारा इस्पात कारखानों को चूना पत्थर की सप्लाई

2924. **श्री ए. के. राय** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टील अथारिटी आफ इण्डिया के अधीन इस्पात कारखानों को चूना पत्थर की सप्लाई कर रही है, चूना पत्थर खानों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या वे सभी रक्षित खाने हैं ; यदि नहीं, तो रक्षित खानों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) प्रत्येक खान में विभागीय अथवा ठेके के अधीन कार्यरत श्रमिकों की संख्या कितनी है ;

(घ) क्या वहां पर बारहमासी कार्य है जिसको कानूनी उपबंधों का उल्लंघन करके ठेका कार्य के आधार पर कराया जाता है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य-मंत्री (श्री एन.के.पी. साल्वे) : (क) और (ख) "सेल" के इस्पात कारखानों की चूना-पत्थर की आवश्यकताएं पूरी करने वाली खानों के नाम नीचे दिये गए हैं :-

कारखाना	कारखानो की अपनी खानों के नाम	खरीद के अन्य मुख्य स्रोत
भिलाई इस्पात कारखाना	नदनी	1. सतना स्टोन लाइम कम्पनी, मध्य प्रदेश 2. मेहर स्टोन लाइम कम्पनी, मध्य प्रदेश 3. बोहरा एण्ड कम्पनी, मध्यप्रदेश 4. यूनाइटिड लाइम, मध्य प्रदेश
दुर्गापुर इस्पात कारखाना	कोई रंक्षित खान नहीं हैं ।	1. बिसरा स्टोन एण्ड लाइम कम्पनी, बीरमित्रापुर, उड़ीसा 2. यू.पी. स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन चौपान खानें 3. मेहर स्टोन एण्ड लाइम कम्पनी, मेहर, मध्य प्रदेश । 4. सतना स्टोन लाइम कम्पनी, मध्य प्रदेश 5. बोहरा एण्ड कम्पनी, मध्य प्रदेश, 6. यूनाइटेड लाइम, मध्य प्रदेश
राउरकेला इस्पात कारखाना	1. पूर्ण पानी की खानें उड़ीसा	1. बिसरा स्टोन एण्ड लाइम कम्पनी. बीरमित्रापुर, उड़ीसा

1	2	3
	2. सतना की खानें मध्य प्रदेश	2. मध्य प्रदेश के सतना-कटनी मेहर क्षेत्र में निजी क्षेत्र की खानें
बोकारो इस्पात कारखाना	1. भवनाथपुर की खानें बिहार	1. यू.पी. स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन, चौपान की खानें
	2. कूटेश्वर की खानें, मध्य प्रदेश	2. बिसरा स्टोन एण्ड लाइम कम्पनी, बीरमित्रापुर, उड़ीसा
"इस्को"	कोई रक्षित खान नहीं है।	1. बीसरा स्टोन एण्ड लाइम कम्पनी, बीरमित्रापुर, उड़ीसा 2. सतना स्टोन लाइम कम्पनी, मध्य प्रदेश 3. मेहर स्टोन एण्ड लाइम कम्पनी, मेहर, मध्य प्रदेश। 4. बोहरा एण्ड कम्पनी, मध्य प्रदेश 5. यूनाइटिड लाइम, मध्य प्रदेश,

(ग) "सेल" की चूना-पत्थर की अपनी प्रत्येक खान में लगे श्रमिकों की संख्या इस प्रकार है :-

कारखाना	ठेका श्रमिक	विभागीय श्रमिक
भिलाई इस्पात कारखाना		
नंदनी (मध्य प्रदेश)	59	2511
राउरकेला इस्पात कारखाना		
1. पूर्णपानी की खानें, उड़ीसा	1811	640
2. सतना की खानें, मध्य प्रदेश	269	800
बोकारो इस्पात कारखाना		
1. भवनाथपुर (बिहार)	506	1093
2. कुटेश्वर (मध्य प्रदेश)	737	211

(घ) : जी, नहीं।

(ङ) : प्रश्न नहीं उठता।

रक्षित चूना पत्थर खानों में श्रमिकों को मजूरी

2925. **श्री ए. के. राय : क्या इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड के अन्तर्गत प्रत्येक रक्षित चूना पत्थर खानों में विभिन्न श्रेणियों के मूल्य दर तथा समय दर श्रमिकों को भुगतान की दर क्या है;

(ख) क्या पिछले दो वर्षों से अनुबंध के अधीन बहुत से श्रमिकों को सांविधिक न्यूनतम मजूरी का भुगतान किया जाता है;

(ग) क्या यह यह सच है कि स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड को प्रमुख नियोक्ता होने के नाते सांविधिक न्यूनतम मजूरी के भुगतान को सुनिश्चित करना चाहिए; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य-मंत्री (श्री एन. के. पी. साल्वे) : (क) स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड (सेल) की चूना-पत्थर की अपनी विभिन्न खानों में विभागीय उजरती कामगारों तथा समय-दर कामगारों को किए जाने वाले भुगतान की दरों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

1. **भिलाई इस्पात कारखाना**

नन्दिनी की चूना-पत्थर की खान

खान के श्रमिक संघों के साथ हुए एक त्रि-पक्षीय करार के आधार पर विभागीय उजरती कामगारों को इस समय निम्नलिखित दरों के अनुसार भुगतान किया जा रहा है :—

मजूरी	भुगतान दर (रुपये)
मूल वेतन	21.15
नियत मंहगाई भत्ता	6.01
परिवर्ती मंहगाई भत्ता	4.95
कुल :	32.11

समय-दर कामगार विभिन्न वेतनमानों में हैं। जैसा कि विवरण में बताया गया है ये वेतनमान इस्पात के लिए राष्ट्रीय संयुक्त परामर्शी समिति में किए गए करारों-एन-1 से एन-9 द्वारा नियत किए गए हैं।

2. **बोकरो इस्पात कारखाना**

कर्मचारियों की श्रेणी	भवनाथपुर की चूना-पत्थर की खानें	कुटेश्वर की चूना-पत्थर की खानें
1. विभागीय उजरती कामगार	इस समय खान में कोई भी विभागीय उजरती कामगार नहीं है।	इस समय इस खान में कोई भी विभागीय उजरती कामगार नहीं है।
2. समय-दर कामगार	जसाकि अनुकूल में बताया गया है।	जैसा कि विवरण में बताया गया है।

(ख) जी, नहीं। "सेल" की चूना-पत्थर की अपनी किसी भी खान में ठेकेदार के श्रमिकों को न्यूनतम नियत मजूरी से कम मजूरी नहीं दी जाती है। ठेकेदार के श्रमिकों को दी

जाने वाली वास्तविक मजूरी का ब्यौरा अगले पृष्ठ पर दिया गया है। यह मजूरी श्रमिक संघों के साथ किए गए करारों में निश्चित कार्य मापदंडों के आधार पर नियत की गई है।

खान	न्यूनतम नियत मजूरी	दी जा रही वास्तविक मजूरी
	(दैनिक)	(दैनिक)
भिलाई इस्पात कारखाना		
नन्दिनी की चूना-पत्थर की खानें	9.75 रुपए	23.93 रुपए (अकुशल कामगार)
राउरकेला इस्पात कारखाना		
पूर्ण पानी चूना-पत्थर तथा डोलोमाइट खान, पूर्ण पानी	9.75 रुपए	9.75 रुपये (अकुशल कामगार)
इस्पात चूना-पत्थर खान, सतना	ठेकेदार का कोई भी श्रमिक काम नहीं कर रहा है।	
बोकारो इस्पात कारखाना		
(1) भवनाथपुर की चूना-पत्थर की खानें	9.75 रुपए	10.30 रुपये (अकुशल कामगार)
(2) कुटेश्वर की चूना-पत्थर की खानें	9.75 रुपये	9.75 रुपये (अकुशल कामगार)

(ग) और (घ) जी, हां। 'सेल' ने अन्य नियोजक के रूप में न्यूनतम नियत मंजूरी देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये हैं :—

(1) ठेका श्रमकों के प्रति मुख्य नियोजक के दायित्व को पूरा करने के लिए इस्पात कारखानों में ठेका श्रमिक कक्ष खोले गये हैं।

(3) ठेकेदारों के साथ जो करार किए जाते हैं उसमें न्यूनतम मजूरी देने के बारे में भी आवश्यक अनुबन्ध रखे जाते हैं।

(3) ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम के अनुसार ठेका श्रमिकों को मजूरी का भुगतान करने के सम्बन्ध में मूख्य नियोजक के दायित्वों को "सेल" पूरी तरह पूरा कर रही है। "सेल" के अधिकृत प्रतिनिधि मजूरी चार्ट से इस बात की जांच करते हैं कि श्रमिकों को न्यूनतम नियत मजूरी का भुगतान किया जा रहा है। ठेकेदारों के बिल तभी पास किए जाते हैं जब "सेल" के प्रतिनिधि इस बात का प्रमाण-पत्र देते हैं कि ठेकेदार के श्रमिकों को न्यूनतम नियत मजूरी का प्रस्ताव किया गया है।

(4) यदि मजूरी का प्रस्ताव न करने के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो इसकी जांच करने के लिए तुरन्त कार्यवाही की जाती है।

(5) केन्द्रीय सरकार के अधिकारी भी समय-समय पर निरीक्षण करते हैं। यदि मजूरी उस ठेके की किसी घटना का पता चलता है तो तुरन्त कार्यवाही की जाती है और मजूरी का भुगतान किया जाता है।

विवरण

समय-दर श्रमिकों का वेतन ढांचा

एन-1	550-11-704
एन-2	565-13-656-15-761
एन-3	585-16-697-18-823
एन-4	610-20-750-22-904
एन-5	645-26-827-28-1023
एन-6	690-32-914-34-1152
एन-7	750-38-1016-41-1303
एन-8	810-44-1118-48-1454
एन-9	910-51-1267-55-1597

मूल वेतन के अलावा श्रमिक महगाई भत्ता प्राप्त करने के भी पात्र हैं। महगाई भत्ते की वर्तमान दर (मार्च-मई' 1983 की तिमाही में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-561 के बराबर) इस प्रकार है :—

619 रुपए तक	:	350-20 रुपये
620-769-रुपये	:	355-20 रुपये
770-869	:	360-20 रुपए
870 रुपये और अधिक	:	365-20 रुपये

वाहनों की अग्रिम बुकिंग के लिए जमाराशि

2926, **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र की मोटर गाड़ी कम्पनियों के लिए, दुपहिया और तिपहिया वाहनों सहित अपने वाहनों की अग्रिम बुकिंग के लिए प्राप्त जमाराशि के उपयोग के बारे में हाल ही में जारी किए गए मार्ग निर्देशों का पालन करना शुरू कराने हेतु इस सम्बन्ध में निर्धारित समय सीमा बढ़ा दी है;

(ख) इस प्रकार समय बढ़ाने के क्या कारण हैं;

(ग) उनके मंत्रालय में उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इन कम्पनियों द्वारा, स्कूटर या कोई अन्य वाहन के आवटन के डिबेंचर की बिक्री से प्राप्त धन के अतिरिक्त कुल कितनी जमाराशि प्राप्त की गई; और

(घ) कौन-कौन सी कम्पनियां सरकारी मार्ग निर्देशों का पालन करने में असफल रही है तथा सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है या करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) (क) जी, हां।

(ख) कई कम्पनियों के अनुरोध पर निर्धारित समय की सीमा को 30-6-1984 तक बढ़ा दिया गया है जिससे वे मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप अपनी निधियों का पुनः उपयोग कर सकें।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) मार्गदर्शी सिद्धांतों को कार्यान्वित करने की निर्धारित समय सीमा अन्त 30-6-1984 तक हो गई है।

विवरण

क्रमांक	कम्पनी का नाम	उत्पादन की वस्तु	30-4-1983 को कुल जमाराशि
1.	मे. लोहिया मशीन्स लिमिटेड, कानपुर	स्कूटर	10500.00 लाख रुपये
2.	मे. बजाज आटो लिमिटेड पुणे	स्कूटर तथा एम-50 मोटर साईकिल	7074.00 लाख रुपये
3.	मे. महाराष्ट्र स्कूटर्स लिमिटेड, पुणे	स्कूटर	2333.00 लाख रुपये
4.	मे. स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड, लखनऊ	स्कूटर	495.18 लाख रुपये
5.	मे. कर्नाटक स्कूटर्स लिमिटेड बंगलौर	स्कूटर तथा मोबाइक	294.42 लाख रुपये
6.	मे. एस्काट्र्स लिमिटेड, फर्रादाबाद	मोटरसाइकिल	113.00 लाख रुपये
7.	मे. गिरनार स्कूटर्स लिमिटेड, अहमदाबाद	स्कूटर	132.67 लाख रुपये
8.	मे. आटोमोबाइल प्रोडक्ट्स आफ इंडिया, बम्बई	तिपहिए	53.80 लाख रुपये
9.	मे. केल्विनेटर आफ इंडिया लिमिटेड, फरीदाबाद	स्कूटर तथा मोपेड	37 04 लाख रुपये
10.	मे. मारुति उद्योग लिमिटेड	यात्री कारें तथा हल्के उपयोग के वाहन	13000.00 लाख रुपये
11.	मे. अशोक लेलैन्ड लिमिटेड, मद्रास	ट्रक/बसें	2856.44 लाख रुपये
12.	मे. टेल्को, बम्बई	ट्रक	1539.00 लाख रुपये
13.	मे. बजाज टेम्पो लिमिटेड, पुणे	हेन्सीट और मेटाडोर	625.40 लाख रुपये
14.	मे. महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लिमिटेड बम्बई	जीपें	483.99 लाख रुपये

"नन नोज बैहअर टर्टल्ज कम फ्राम शीर्षक से छपा समाचार

2927. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **प्रधान मंत्री** क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 19 फरवरी, 1984 के "टाइम्स आफ इण्डिया" नई दिल्ली में "नन नोज बेहअर टर्टल्ज कम फ्राम' शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या किन्हीं विशेषज्ञों ने इस बारे में अध्ययन किया है; यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या तट पर अनाधिकृत रूप से निकाली मछली पकड़ने को रोकने तथा दिघा और कलकत्ता के मछली बाजारों का अचनाक निरीक्षण करने के लिए—पश्चिमी बंगाल सरकार से विचार विमर्श करके कोई कठोर उपाय किए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण विभाग में उप-मत्री (श्री दिग्विजय सिह) (क) जी, हां

(ख) समुद्री कछुओं की पारिस्थितिकी पर, पहले ही, अध्ययन प्रारम्भ किए जा चुके हैं तथा एकत्र की जा रही सूचना से उप-जाति (स्पीशीज) के प्राकृतिक इतिहास की जानकारी प्राप्त होने की आशा की जाती है।

(ग) तथा (घ) अनाधिकृत शिकार को रोकने हेतु, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल के तटीय जल के पास गश्त करने के लिए, तट-रक्षक-प्राधिकरण की सहायता को सूची में शामिल किया गया है। इस तथ्य को प्रचारित किया जा रहा है कि समुद्री कछुओं का शिकार तथा उनका व्यापार, वन्य जीवन (सुरक्षा) अधिनियम के अन्तर्गत एक गम्भीर अपराध है। घात वाले स्थानों पर निरिक्षण चौकियां स्थापित की गई हैं तथा अनाधिकृत शिकारियों की गति-विधियों को रोकने के लिए, अचानक छापे मारे गए। उप-जाति (स्पीसीज) की पर्याप्त सुरक्षा को सुनिश्चत करने की आवश्यकता पर, संबंधित राज्य सरकारों में लगातार बल दिया जा रहा है।

छुट्टी पर रहते सरकारी कर्मचारी का निलम्बन

2929. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जब एक कर्मचारी पहले ही छुट्टी पर हो तो उसके निलम्बन के आदेश केवल उसी तारीख से प्रभावी माने जाने चाहिए जिस तारीख को वह छुट्टी से वापिस आता है;

(ख) क्या उक्त आदेश की प्रतियां सभा पटल पर रखी जाएगी;

(ग) क्या छुट्टी पर गये एक सरकारी कर्मचारी को छुट्टी से वापिस आकर कार्यभार संभालने की अनुमति न देकर छुट्टी के दौरान ही उसे निलम्बित किया जा सकता है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस विषय पर आदेशों की प्रतियां प्रस्तुत की जाए ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) सरकारी कर्मचारियों को शासित करने वाले अनुशासनिक नियमों में यह व्यवस्था है कि उन नियमों में निर्दिष्ट किन्हीं परिस्थितियों के उत्पन्न होने पर सरकारी कर्मचारियों को किसी भी समय निलम्बित किया जा सकता है।

जेवरातों की दुकानों को लूटना

2930. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिन दहाड़े डाका डालने और लूटने की घटनाओं में वृद्धि हो रही है जैसा कि कालकाजी में जेवरातों की एक दूकान को लूटने का असफल प्रयास किए जाने से पता चलता है (दिनांक 7 फरवरी 1984 का टाइम्स आफ इण्डिया) तथा दिनांक 26 नवम्बर, 1983 को करौल बाग में जेवरात की दुकान को लूटने के किए गए इसी प्रकार के प्रयास को देखते हुए इस अराजकता को रोकने के लिए क्या कदम उठाए, गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है; और

(ख) देश में गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार तथा राज्य-वार इस प्रकार लूट की कितनी घटनाएं हुई ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) वर्ष 1982 में डकैती के 22 मामलों की तुलना में वर्ष 1983 में दिल्ली पुलिस को ऐसे 15 मामले सूचित किए गये। 1983 लूटपाट के 211 मामले थे जबकि वर्ष 1982 में ऐसे 155 मामले थे। ऐसे अपराधों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने विभिन्न कदम उठाए हैं जैसे बाकी टाकी तथा वायरलैस सैटों के साथ सशस्त्र गश्त, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम सहित कानून की विभिन्न धाराओं के अधीन ज्ञात अपराधियों और बदमाशों के विरुद्ध कार्रवाई, जो वाहन अपराध में अन्तर्ग्रस्त होते हैं उनकी अचानक जाँच, ज्ञात अपराधियों पर कड़ी निगरानी रखना, समन्वित कार्यवाई सुनिश्चित करने के लिए पुलिस टुकड़ियां तैनात करना और पड़ौसी राज्यों के पुलिस अधिकारियों के साथ अन्तर जिला बैठकें करना और अपराधियों के बारे में सही आसूचना एकत्र करना।

(ख) वर्ष 1981 और 1982 के लिए विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में डकैती तथा लूटपाट की घटनाओं का ब्यौरा, जैसा पुलिस अनुसंधान तथा विकास ब्यूरो के पास उपलब्ध है, संलग्न विवरण में दिया जाता है।

विवरण

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	डकैती		लूटपाट	
		1981	1982	1981	1982
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	384	318	529	537
2.	असम	339	475	640	631
3.	बिहार	3,343	3,206	1,871	1,983
4.	गुजरात	278	281	939	827
5.	हरियाणा	38	31	92	85
6.	हिमाचल प्रदेश	1	1	23	20
7.	जम्मू व कश्मीर	9	10	23	45
8.	कर्नाटक	233	172	727	517
9.	केरल	39	32	129	143
10.	मध्य प्रदेश	818	567	2,925	2,695
11.	महाराष्ट्र	679	737	3,674	3,615
12.	मणिपुर	82	32	133	82
13	मेघालय	24	38	57	31
14.	नागालैंड	14	12	39	59
15.	उड़ीसा	429	317	893	812
16.	पंजाब	1	1	20	24
17.	राजस्थान	152	146	1,247	1,319
18.	सिक्किम	—	3	9	6
19.	तमिलनाड्	44	40	260	292
20.	त्रिपुरा	152	198	136	166
21.	उत्तर प्रदेश	5,363	3,674	5,908	5,190
22.	पश्चिम बगाल	1,442	1,339	1,340	1,374
जोड़ (राज्य)		13 864	11,630	21,614	20,453

1	2	3	4	5
संघ राज्य क्षेत्र				
23. अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	—	1	6	3
24. अरूणाचल प्रदेश	5	9	26	21
25. चंडीगढ़	1	—	4	8
26. दादरा व नागर हवेली	1	—	3	1
27. दिल्ली	31	23	187	152
28. गोवा दमन व दीव	7	5	61	45
29. लक्षद्वीप	—	—	1	—
30. मिजोरम	4	7	31	31
31. पांडिचेरी	2	4	4	6
जोड़ (कु०सं०रा०क्षे०)	51	49	323	267
कुल जोड़	13,915	11,679	21,937	20,720

उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों को आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए उप-समितियां गठित करने का प्रस्ताव

2931. **श्री जैनुल बशर** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का विचार पूर्वी उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए उच्चाधिकार प्राप्त उप-समितियां गठित करने का है; जैसा कि पूर्वोत्तर राज्यों तथा जम्मू और काश्मीर के विकास के लिए किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो ये उप-समितियाँ कब तक गठित कर दी जाएंगी ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय प्रशासनिक सेवा में राज्यों से लिए गये अधिकारी

2932. **श्री जैनुल बशर** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नियमानुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति पर राज्यों से कितने प्रतिशत अधिकारी लिए जाते हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार और संघ शासित क्षेत्रवार कुल कितने अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा में लिए गए;

(ग) पदोन्नति के लिए इन अधिकारियों के चयन में क्या मानदंड अपनाया जाता है; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस उद्देश्य के लिए पदोन्नति की प्रतिशतता बढ़ाने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वकट्सुब्बय्या) : (क) भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली में सम्मिलित उपबन्धों के अनुसार पदोन्नति/चयन द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में राज्य सेवाओं से भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या जम्मू व कश्मीर तथा सिक्किम संवर्गों के मामलों को छोड़कर जिनमें यह प्रतिशतता 50 है, किसी भी समय राज्य अथवा संबधित राज्यों के समूह की संवर्ग अनुसूची की मद । (अर्थात् राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ पद) और मद 2 (केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व में दिए गए पदों की संख्या का $33\frac{1}{3}\%$ से अधिक नहीं होगी बशर्ते कि चयन द्वारा भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या किसी भी समय उपर्युक्त ढंग से संगठित पदों की कुल संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

(ख) वर्ष 1981, 1982 और 1983 के दौरान पदोन्नति/चयन द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त किए गए राज्य सेवाओं के अधिकारियों की संवर्गवार संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

(ग) भारतीय प्रशासनि सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली के उपबन्धों के अनुसार चयन समिति राज्य सेवाओं के पात्र अधिकारियों के सेवा रिकार्डों का पूर्ण मूल्यांकन करके यथास्थिति उन्हें "उत्कृष्ट," "बहुत अच्छा," "अच्छा" अथवा "अयोग्य" के रूप में वर्गीकृत करती है । भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियमावली के उपबन्धों के अनुसार गैर-राज्य सिविल सेवा के पात्र अधिकारियों की उपयुक्तता उनकी गोपनीय पंजियों की संवीक्षा तथा उनका साक्षात्कार करके निर्धारित की जाती है ।

(घ) जी, नहीं ।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य सवर्ग/संयुक्त संवर्ग का नाम	वर्ष 1981, 1982 और 1983 के दौरान पदोन्नति अथवा चयन द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में राज्य सेवाओं से नियुक्त किए गये अधिकारियों की संख्या		
		1981	1982	1983
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	10	22	7
2.	असम-मेघालय	1	9	3

1	2	3	4	5
3.	बिहार	6	13	11
4.	गुजरात	—	1	—
5.	हरियाणा	2	3	10
6.	हिमाचल प्रदेश	3	2	2
7.	जम्मू व काश्मीर	—	—	—
8.	कर्नाटक	4	5	4
9.	केरल	6	13	—
10.	मध्य प्रदेश	10	5	1
11.	महाराष्ट्र	14	9	13
12.	मणिपुर-त्रिपुरा	8	2	—
13.	नागालैंड	—	—	—
14.	उड़ीसा	6	5	6
15.	पंजाब	9	4	3
16.	राजस्थान	7	7	5
17.	सिक्कम	—	—	—
18.	तमिलनाडु	4	7	9
19.	उत्तर प्रदेश	10	11	21
20.	पश्चिम बगाल	—	9	3
21.	संघ शासित क्षेत्र	3	2	9
		103	129	107

मारुति कारों की पुनर्बिक्री पर लाभांश

2933. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें यह पता है कि मारुति कारों की बाजार में पुनर्बिक्री से भारी लाभ कमाया जा रहा है जो कि कार के रंग के अनुसार 35,000 से लेकर 60000 रुपये तक है;

(ख) क्या कुछ मामलों में तो स्वयं कार कम्पनी के अधिकृत डीलर ही पुनर्बिक्री का व्यवसाय चला रहे हैं तथा कार आवंटितों की कार आवंटन की जानकारी देने वाले पत्र के साथ-साथ नर्बिक्री के लाभांश की भी पेशकश की जाती है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार के कदा-चार को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(घ) कुल कितनी संख्या में कारें बुक की गईं और कितनी जमाराशि प्राप्त की गई है तथा प्रतीक्षा सूची के सभी लोगों को कार आवंटित करने में कितना समय लगेगा; और

(ङ) सरकार का विचार निदेशक कोटे के दुरुपयोग को किस प्रकार नियंत्रित करने का है तथा उक्त कोटे में से अब तक कितनी कारें आवंटित की गई हैं और किस-किसको ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) यद्यपि इस प्रकार के लेने-देने की सम्भावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है लेकिन कोई विशिष्ट मामले सरकार की जानकारी में नहीं आये हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) मांग और पूर्ति के बीच अन्तर को पूरा करने के लिये मारुति उद्योग लिमिटेड त्वरित गति से उत्पादन में वृद्धि करने का प्रयास कर रहा है।

(घ) 121, 421 कारों की बुकिंग के लिए जमा राशियों के रूप में 121·42 करोड़ रुपये प्राप्त हुये थे। मारुति उद्योग लिमिटेड की प्रतीक्षा सूची में दर्ज लोगों को लगभग तीन वर्षों के समय में कारों का आवंटन करने की आशा है।

(ङ) मारुति उद्योग लिमिटेड का निदेशक मण्डल एक उत्तरदायी निकाय है और इससे पूर्व-निर्धारित मानदण्डों के अनुसार स्वैच्छिक कोटे से गाड़ियों का आवंटन करने की आशा की जाती है। पात्रता मानदण्डों को पूरा करने वाली पार्टियों को 31-1-1984 तक प्राथमिकता के आधार पर आठ कारों का आवंटन किया गया है।

स्कूटर कम्पनियों का ब्यौरा

2934 **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र की तथा राज्य सरकारों और गैर-सरकारी क्षेत्र के संयुक्त सहयोग की कौन-कौन सी कम्पनियों को दो पहिया और तिपहिया स्कूटर बनाने का कारखाना लगाने के लाइसेंस जारी किये गए हैं; ये कारखाने कौन-कौन से स्थानों पर लगाये जायेंगे, उनमें विदेशी सहयोगियों के नाम क्या हैं, इनकी उत्पादन क्षमता कितनी होगी और उत्पादन कार्य कितने समय में शुरू हो जाएगा;

(ख) उन कम्पनियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें वर्तमान एककों के विस्तार की अनुमति दी गई है और उन्हें कितना उत्पादन करने की अनुमति दी गई है तथा उत्पादन शुरू करने के लिए क्या समयावधि निर्धारित की गई है; और

(ग) क्या सरकार अच्छी किस्म के उत्पादन और मूल्य ढांचे के लिए कोई मानदण्ड निर्धारित करेगी; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) तथा (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) 1. मूल्य ढांचे के लिए कोई नियम नहीं बनाये गये हैं। फिर भी, सरकार का विचार पर्याप्त क्षमता स्थापित करके विभिन्न निर्माताओं के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन देने का है।

2. सरकार, सुरक्षा उपकरणों, प्रदूषण नियंत्रण आदि के क्षेत्रों में कुछ नियम बनाने के बारे में कोई कार्रवाई कर रही है।

विवरण

भाग–क

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम तथा निजी क्षेत्र की कम्पनियां जिन्हे लाइसेंस जारी किये गये हैं और जिन्होंने अभी उत्पादन शुरू करना है।

क्रमांक	कम्पनी कानाम	लाइसेंस प्राप्त क्षमता	विदेशी सहयोगी का नाम	स्थान	टिप्पणी
1.	केरल स्टेट इंजीनियर्स, त्रिवेन्द्रम	24,000	विदेशी सहयोगी नहा है।	अभी निर्णय होना है।	प्रगति का पुन-रीक्षण किया जा रहा है।
2.	बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम	30,000	वही	वही	वही
3.	पश्चिम बंगाल राज्य औद्योगिक विकास निगम	30,000	वही	वही	वही
4.	लक्ष्मण स्वरूप अग्रवाल	24,000	वही	वही	वही
5.	केरल आटोमोबाइल्स लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम (तिपहिये)	10,000	वही	त्रिवेन्द्रम	हाल ही में उत्पादन शुरू किया है।

भाग–ख

कम्पनियां जिन्हें स्कूटरों के निर्माण के लिए अपनी लाइसेंस प्राप्त क्षमता में विस्तार करने के बारे में आशय-पत्र जारी किये गये हैं ।

क्रमांक	कम्पनी का नाम	लाइसेंस प्राप्त क्षमता	विदेशी सहयोगी का नाम	क्षमता जिसके लिए आशय-पत्र जारी किए गए हैं	कुल क्षमता	स्थान
1	2	3	4	5	6	
1.	बजाज आटो लि०, पुणे	1,60,000	विदेशी सहयोगी नहीं है ।	3,00,000	4,60,000	अहमद नगर तथा आगरा
2.	लोहिया मशीन्स लि०	1,00,000	पियोगियो सी. एस. पी. ए. इटली	2,00,000	3,00,000	सल्वन (रायबरेली) देवरिया (उत्तर प्रदेश)
3.	आन्ध्र प्रदेश स्कूटर्स लि, हैदराबाद	24,000	वही	36,000 (औद्योगिक लाइसेंस)	60,000	पट्टनचेरू (आन्ध्र प्रदेश)
4.	कर्नाटक स्कूटर्स लि०	24,000	बी. एस. ए. इंग्लैंड	36,000	60,000	मद्दूर जिला मान्डया
5.	गिरनार स्कूटर्स लि०	24,000	विदेशी सहयोगी नहीं है।	76,000	1,00,000	अहमदाबाद (गुजरात)
6.	बजाज आटो लिमिटेड, पुणे	20,000 (तिपहिए)	वही	30,000	50,000	आगरा (उत्तर प्रदेश)

"हिन्डालको" द्वारा अपने उत्पादों की कीमतों में वृद्धि करने का निर्णय

2935. **श्री दिगम्बर सिंह : क्या इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "हिन्डालको" द्वारा सरकारी निर्णय की प्रतीक्षा किए बिना, अपने कुछ उत्पादों की कीमतों में एकतरफा वृद्धि करने के नवीनतम निर्णय की ओर ध्यान दिया है;

(ख) क्या "हिन्डालको अल्यूमिनियम" नियमन खाते में योगदान करने का अपना दायित्व निभाने में असफल रहा है;

(ग) अल्यूमीनियम की वर्तमान कमी को देखते हुए हिन्डालको द्वारा बाजार में कीमतें बढ़ाकर कितनी धनराशि एकत्र कर लिया जाने का अनुमान है; और

(घ) सरकार का विचार उक्त कम्पनी के विरुद्ध सरकारी आदेशों की अवहेलना करने और इसमें व्याप्त भ्रष्टाचार को देखते हुए क्या कार्रवाई करने का है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन. के. पी. साल्वे) : (क) और (ग) रोल्ड उत्पादों तथा एक्सट्रूजन के मूल्यों पर कोई नियंत्रण नहीं है। हिन्डालको ने रोल्ड तथा एक्सट्रूजन उत्पादों के मूल्यों में क्रमश: 3-1-1984 तथा 23-1-1984 से प्रति टन औसतन 2500/- रुपये की वृद्धि की है। कंट्रोल-बाह्य वस्तुओं के मूल्य बढ़ाने के लिए सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

(ख) और (घ) हिन्डालको ने उच्चतम न्यायालय तथा कलकत्ता उच्च न्यालय के अंतरिम आदेशों के आधार पर एल्यूमिनियम विनियमन खाते को देय राशि का भुगतान रोक लिया था। मामलों के न्यायाधीश रहते हुए हिन्डालको ने विवाद को न्यायालय से बाहर इस आधार पर निपटाने की पेशकश की कि वे देय राशियों के बारे में सरकार द्वारा आंकलित पूरी देनदारी को बिना शर्त स्वीकार कर लें। हिन्डालको ने यह शर्त मान ली और अब न्यायालय से बाहर मामले का निपटान हो गया है। हिन्डालको 1-9-1983 से बकाया राशि का मासिक किस्तों में तथा चालू देय राशि का भी नियमित रूप से भुगतान कर रहा है तथा और बकाया राशि जमा नहीं हो रही है।

नये डिजाइन की कारों का निर्माण

2936. **श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84 के दौरान कौन-कौन से नए डिजाइनों और नए माडलों की कारों का निर्माण किया जा चुका है और इसी अवधि में कौन-कौन से नए डिजाइनों और नए माडलों की कारों का निर्माण शुरू किया गया है;

(ख) प्रत्येक नए डिजाइन की उक्त कारों की लागत कितनी है;

(ग) क्या 1984-85 के दौरान कुछ और नए डिजाइनों की कारों के बनने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. बी. पी. पटट्राभि राम राव) : (क) तथा (ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) मैं० प्रीमियर आटोमोबाइल्स लि. तथा मैं. स्टैंडर्ड मोटर प्रोडक्ट्स आफ इण्डिया लि. की योजना 1984-85 में नये माडल की कारों का निर्माण करने की है ।

विवरण

कम्पनी	कार का माडल	मूल्य, परिवहन प्रभार तथा स्थानीय कारों को छोड़कर
मैं. मारूति उद्योग लि.	मारूति-800	47, 500/-रु.
मैं. हिन्दुस्तान मोटर्स लि.	कन्टेसा	86,699/50 रु.

देश में परमाणु अनुसंधान केन्द्र

2937. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक कितने परमाणु अनुसंधान केन्द्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में कुछ और परमाणु अनुसंधान केन्द्र खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो इनकी स्थापना के लिए कौन-कौन से स्थानों का चयन किया गया है;

(घ) क्या सरकार का विचार एक परमाणु अनुसंधान केन्द्र जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर में भी स्थापित करने का है;

(ङ) यदि हां, तो जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर में उक्त परमाणु अनुसंधान केन्द्र की स्थापना पर अनुमानत: कितनी लागत आएगी; और

(च) उक्त प्रस्ताव के शीघ्र कार्यान्वियन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विज्ञान तथा औद्योगिकी परमाणु ऊर्जा अन्तरिक्ष इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी पाटिल) : (क) से (ग) : भारत में निम्नलिखित न्यूक्लियर अनुसंधान केन्द्र हैं :

(i) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र ट्राम्बे

(ii) परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रान केन्द्र, कलकत्ता

(iii) रिऐक्टर अनुसंधान केन्द्र, कलपक्कम

(iv)

(v) अधिक ऊंचाई पर अनुसंधान करने वाली प्रयोगशाला, गुलमर्ग

(vi) टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान, बम्बई

(vii) साहा न्यूक्लियर भौतिकी संस्थान, कलकत्ता

इसके अलवा, सरकार ने हाल ही में मध्य प्रदेश के इन्दौर क्षेत्र में एक प्रगत टैक्नालाजी केन्द्र की स्थापना करने का निर्णय लिया है।

(घ) से (च) सूचना इकट्ठी की जा रही है।

राजधानी में छात्राओं का आन्दोलन

2938. **श्री मनोहर लाल सैनी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में अश्लील चित्र पट और पोस्टर लगाने वालों को दंड देने में दिल्ली प्रशासन की अमक्षमता तथा राजधानी में दहेज के कारण होने वाली मौतों और महिलाओं से छेड़-छाड़ करने के बढ़ते मामलों के विरूद्ध 25 जनवरी, 1984 को आन्दोलन करने वाली विभिन्न कालेजों की छात्राओं से निबटने के लिए कोई महिला पुलिस तैनात नहीं थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या छात्राओं ने इस अवसर पर हुई हाथापाई में लाठी धारी पुलिस वालों के हाथों घायल हुई कुछ छात्राओं के मामले की जांच की मांग की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी नहीं श्रीमान। 25 जनवरी, 1984 को आन्दोलनकारी लड़कियों के साथ महिला पुलिस तैनात की गयी थी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) यह कहना सही नहीं है कि किसी लड़की को चोट पहुंची क्यों कि कोई लाठी प्रहार नहीं किया गया था।

अच्छे किस्म के बल्बों का उत्पादन

2939. **श्री मनोहर लाल सैनी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21 जनवरी, 1984 के इण्डियन एक्सप्रेस में बल्ब प्रचेज एगोनाईजिम शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उद्योगों द्वारा केवल अच्छे किस्म के बल्बों का उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) ओटोमोबाइल सहित भारतीय उद्योगों द्वारा अच्छे किस्म के साज-सामान की सप्लाई में असफल रहने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) : जी हां,।

(ख) बिजली के बल्ब में टिकाऊपन की दृष्टि से फ्लामेंट के महत्व को देखते हुए सरकार यह सुनिश्चित करने के उपायों पर विचार कर रही है कि इस प्रकार का बल्ब बनाने वाली कम्पनियाँ केवल अच्छी किस्म के फ्लामेंट का ही इस्तेमा करें।

(ग) बढिया किस्म की वस्तुओं का उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए सरकार भारतीय उद्योग के सभी क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा और प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाने के लिए प्रोत्साहन देने की नीति अपना रही है।

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में पदोन्नति नीति

2940. **श्री डी. एस. ए. शिवप्रकाशम** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में एक निश्चित पदोन्नित नीति अपनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इस प्रकार की नीति न अपनाने के क्या कारण हैं; और

(घ) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में पेंशन सम्बन्धी नीति क्या है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी परमाणु ऊर्जा अन्तरिक्ष इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) जी, हाँ।

(ख) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में वैज्ञानिकों तथा इन्जीनियरों की पदोन्नतियां योग्यता के आधार पर पदोन्नति देने की स्कीम के अन्तर्गत की जाती हैं। पदोन्नतियां नियमानुसार गठित की गई चयन समितियों द्वारा मूल्यांकन के बाद की जाती हैं तथा इस बात पर निर्भर नहीं करती कि अगले ग्रेडों में रिक्त पद उपलब्ध हैं या नहीं। योग्यता के आधार पर पदोन्नति देने की स्कीम भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के तकनीकी कर्मचारियों पर भी लागू होती है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) जी, हां।

सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों में घाटा

294. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के कुछ इस्पात कारखानों को भारी घाटा हो रहा है।

(ख) यदि हां, तो घाटे में चल रहे इस्पात कारखाने कौन-कौन से हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस्पात कारखानों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए सभी संभव कदम उठाने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस्पात कारखानों को घाटा न होने देने के लिए क्या उपाय करने का प्रस्ताव है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य-मंत्री (श्री एन. के पी. साल्वे) : (क) और (ख) स्टील अथा रटी आफ इण्डिया लि. (सेल) की विभिन्न इकाइयों का गत तीन वर्षों का वित्तीय निष्पादन इस प्रकार है :

लाभ (+) हानि [ ] (करोड़ रुपयों में)

इकाई का नाम	1980-81	1981-82	1982-83
भिलाई इस्पात कारखाना	17.84	66.09	19.95
दुर्गापुर इस्पात कारखाना	(—) 8 44	0.70	(—) 44 23
राउरकेला इस्पात कारखाना (राउरकेला उर्वरक संयंत्र भी शामिल है)	13 97	(—) 21.72	(—) 74.99
बोकारो इस्पात कारखाना	(—) 17.30	6·54	18 09
मिश्र इस्पात कारखाना	(—) 4.51	(—) 6.64	(—) 15.31
सेलम इस्पात कारखाना	—	(—) 0.13	(—) 14.21
अन्य इकाइयां (—)	0.55	(—) 5.67	4.94
सेल कुल	(+) 1.01	(+) 39.17	(—) 105.76
इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी	(—) 28.79	(—) 37.11	(—) 71.05

वर्ष 1983-84 के लिए सेल के कारखानों की लाभ और हानि की स्थिति का पता इस वर्ष के लेखों को अन्तिम रूप देने के पश्चात ही चल सकेगा।

(ग) और (घ) जी, हां। 'सेल" मांग के अनुरूप प्रॉडक्ट-मिक्स में परिवर्तन लाने, विपणन के लिए अथवा प्रयास करके बिक्री में वृद्धि करने और इस प्रकार तैयार माल, कच्ची सामग्री, स्टोर्स तथा फालतू पुर्जों के स्टाक में कमी करने तथा निर्यात के लिए अधिक उत्पादन करने हेतु हर सम्भव यास कर रही है। प्रौद्योगिकीय प्रक्रियाओं में सुधार करके लागत मेंकमी करने, उपस्करों की समय पर मरम्मत करके तथा बेहतर रख-रखाव द्वारा उनकी उपलब्धि में वृद्धि करने, स्टोर्स तथा फालतू पुर्जों की खरीद कम से कम करने और हर प्रकार से खर्च में कमी करने के लिए विशेष उपाय किए गए हैं।

समुद्री छाजन से उर्वरक निकालने की योजना

2942. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समुद्री छाजन से उर्वरक निकालने के लिए अनुसंधान शुरू करने की कोई योजना बनायी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना को कहां तक कार्यान्वित किया गया है; और

(ग) समुद्री छाजन से उर्वरक प्राप्त करने के लिए समुद्र तल के विशाल संसाधनों को उपयोग करने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष इलैक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) से (ग) जी हां। समुद्री खरपतवार से उरर्वक निकालने का अनुसंधान कार्य प्रयोगशाला स्तर पर सी. एस. आइ. आर. की दो प्रयोगशालाओं में प्रगति पर है, जिनके नाम हैं (1) केन्द्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसधान संस्थान (सी. एस. एम. सी. आर. आइ.) भावनगर और (2) राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान (एन.आइ. ओ.) गोआ।

भूरे रग की समुद्री खरपतवार जिसे सैरगैसम कहते हैं, का प्रयोग करते हुए तरल समुद्री खरपतवार उरवंरक (एल. एस. एफ.) तैयार करने के लिए एक प्रयोगशाला प्रक्रम सी. एस. एम. सी. आर. आइ, भावनगर में विकसित किया गया है। यह सुखाये गये पाउडर के रूप में बनाया गया है, जिसको प्रयोग करने के समय ठडे पानी में मिलाया जा सकता है फसलों और खाद्य पौधों के लिए इसकी उपयोगिता देखने के लिए परीक्षण जारी है।

समुद्री खरपतवार जैसे सैरगैसम पाडीना, अल्वा हिन्निया आदि से प्रयोगशाला में तरल उरर्वक भी एन. आइ. ओ गोआ में प्राप्त किये गये हैं। कृषि सम्बन्धी पौष्टिकता अध्ययनों पर प्रयोगशाला और बागवानी से सम्बन्धित परीक्षण मटर, फलियां मूंगफली, मक्का, चावल अननास, ट्युनिप, मिर्चे और भिन्डी पर सफलतापूर्वक किए गए हैं।

लघु सीमेंट कारखानों का ब्यौरा

2943. **श्री नवीन रावणी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार कितने लघु सीमेंट कारखाने कार्यरत हैं;

(ख) वर्ष 1983 के दौरान इन लघु सीमेंट कारखानों से अनुमानत: कितनी मात्रा में सीमेंट का उत्पादन हुआ;

(ग) क्या सरकार के पास लघु सीमेंट कारखाने लगाने सम्बन्धी कोई आवेदन पत्र विचाराधीन हैं, यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और गुजरात से प्राप्त कितने आवेदन पत्र विचाराधीन हैं; और

(घ) वर्ष 1984 के दौरान देश में लघ सीमेंट कारखाने लगाने के लिये और लाइसेंस देने के सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) इस समय देश में 12 मिनी सीमेंट संयंत्रों में उत्पादन हो रहा है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :

1. आन्ध्र प्रदेश	4
2. बिहार	1
3. गुजरात	2
4. जम्मू तथा काश्मीर	1
5. कर्नाटक	3
6. उत्तर प्रदेश	1
योग	12

(ख) वर्ष 1983 में इन मिनी सीमेंट संयंत्रों द्वारा 1.98 लाख मी. टन सीमेंट का उत्पादन होने की सूचना दी गई थी।

(ग) मिनी सीमेंट सयंत्रो की स्थापना करने के लिए औद्योगिक लाइसेंसों की स्वीकृति हेतु 12 आवेदन और तकनीकी विकास के महानिदेशालय में पंजीकरण के लिए 2 आवेदन इस समय लम्बित पड़े हैं। तकनीकी विकास के महानिदेशालय में पंजीकरण के लिए लम्बित आवेदनों में से एक आवेदन गुजरात राज्य के किसी उद्यमी का है।

(घ) हाल ही में एक प्रेस टिप्पण द्वारा मिनी सीमेंट संयंत्र स्थापित करने सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्तों की घोषणा कर दी गई थी जिसकी एक प्रति संलग्न है।

[ग्रन्थालय में रखी गई, देखिए संख्या एल. टी. 7928/83]

20-सूत्री कार्यक्रम के संबंध में हुई प्रगति

2944. **डा. ए. यू. आजमी** : क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्याप्रधान मंत्री के 20 सूत्री कार्यक्रमों के सम्बन्धों में अब तक हुई प्रगति का क्या ब्यौरा है; और

(ख) इस कार्यक्रम से कमजोर और दलित वर्गों को कहां तक सहायता मिली है ?

योजना मन्त्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत जनवरी, 1984 तक की उपलब्धियां और वर्ष 1983-84 के लिए लक्ष्य-अखिल भारत निष्पादन देने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत कमजोर वर्गों के 46.69 लाख परिवारों को सहायता दी जा चुकी है।

विवरण

अखिल भारतीय निष्पादन लक्ष्य और उपलब्धियां—अप्रैल 83 से जनवरी 1984 तक

सूत्र	यूनिट	लक्ष्य 1983-84	संचयी उपलब्धि अप्रैल, 83, जनवरी, 84	उपलब्धि की प्रतिशतता
1	2	3	4	5
एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम	हजार परिवार	3053.85	2149.07	70.4
राष्ट्री ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	लाख श्रम दिवस	3215.53	1853.36	57.6
बेशी भूमि	हजार एकड़	284.18	136.96	48.2

1	2	3	4	4
बधुआ मजदूर	संख्या	28804	11111	38.6
अनुसूचित जातियों के परिवार	लाख संख्या	24.98	18.91	75.8
अनुसूचित जातियों के परिवार	लाख संख्या	7.63	6.14	80.4
पेय जल	गांवों की संख्या	48846	36349	74.4
मकान बनाने के स्थान	लाख संख्या	8.74	10.21	116.8
निर्माण सहायता गदी बस्तियों की	लाख संख्या	5.56	4.15	74.6
जनसंख्या	लाख संख्या	21.20	14.98	70.7
आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए मकान	लाख सख्या	4.05	0.91	22.5
बिजली लगाये गये गांव	संख्या	23631	11546	48.8
बिजली चालित किए गए पंपसैट	लाख संख्या	3.68	2.15	58.4
लगाए गए पेड़	करोड़ संख्या	225.00	238.80	106.1
बायो-गैस संयंत्र	संख्या	50000	39854	79.9
नसबन्दियां	लाख संख्या	58.12	28.87	49.7
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	संख्या	405	339	83.7
उपकेन्द्र	संख्या	9010	5646	62.7
एकीकृत सामुदायिक विकास स्कीमें	संख्या	200	200	100.0

नोट : 1. दिसम्बर, 1983 के लिए त्रिपुरा के संबन्ध में सूचना शामिल की गई है।

2. लक्ष्य में खादी ग्रामोद्योग लक्ष्य का 25,000 बायो-गैस संयंत्र ध्यान में नहीं रखा गया है।

सरकारी कर्मचारियों द्वारा दक्षता-रोध पार करना

2945. **डा. ए. यू. आजमी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा यह देखने के लिए अध्ययन किया जाना था कि 15 नवम्बर, 1975 के आदेश संख्या 24014/2/75 एस्टे-

ब्लशमेंट (2) इस अपेक्षित, दक्षता रोध को पार करने की सरकारी कर्मचारियों की उपयुक्तता पर विचार करने की प्रणाली का कार्यकरण संतोषजनक है;

(ख) यदि हां, तो प्रणाली में सुधार के लिए, यदि कोई है, क्या सुझाव दिए गए;

(ग) यदि प्रणाली की पुनरीक्षा नहीं की गयी है तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) दक्षता रोध पार करने को लागू किए जाने की तारीखों के सम्बन्ध में दिए गए आदेशों का क्या ब्यौरा है, अनुशासनात्मक मामले के पूरे होने के पश्चात् इस पर कब विचार किया जाता है और क्या आदेश की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) (क) जी हां

(ख) तथा (ग) 15 नवम्बर, 1975 के अनुदेश तृतीय केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर जारी किए गए थे। इन अनुदेशों के जारी करने के पश्चात इन्हें लागू करने के बारे में कोई गम्भीर समस्या सरकार की जानकारी में नहीं लाई गई है। इसलिए त्रैवार्षिक अध्ययन पद्धति का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया था। इसी बीच, चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग का गठन किया गया है तथा उक्त मामले पर उनकी सिफारिशों की प्रतिक्षा करना उचित होगा।

(घ) दिनांक 21 सितम्बर, 1967 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ I (11)-ई-III (क) 67 (प्रति अनुबंध के रूप में संलग्न है) के अनुसार, यदि संबंधित सरकारी कर्मचारी, अनुशासनिक कार्यवाहियों की समाप्ति पर पूर्णतः दोषमुक्त पाया जाता है तो उसे नियत तारीख से दक्षतारोध पार करने की अनुमति दे दी जाए, बशर्ते कि वह इस प्रयोजन से योग्य पाया जाता है; यदि उसे पूर्णतः दोषमुक्त नहीं पाया जाता तो दक्षतारोध पार करने के लिए उसके मामले पर अनुशासनिक कार्यवाही के पूरा हो जाने के बाद की तारीख से ही अनुशासनिक मामले के परिणामों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जा सकता है।

[ग्रन्थालय में रखी गई देखिए संख्या एल.टी. 7929/84]

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए आयु की गणना

2946. **डा. ए. यू. आजमी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ लोक सेवा आयोग, आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में शामिल होने के लिए आयु की गणना हेतु जन्म तिथि के रूप में कोई तिथि विशेष निश्चित करता है;

(ख) यदि हाँ, तो वे तिथियां किस आधार पर निश्चित की जाती हैं; और

(ग) क्या आयोग को विज्ञापन की तारीख को ध्यान में रखते हुए ही जन्म तिथि निश्चित करने के लिए कहा जाएगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) आयोग द्वारा

आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में बैठने के लिए आयु-सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख, संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा अधिसूचित परीक्षा संबंधी नियमों में विहित होती है और यह तारीख संबंधित सेवा/पद के सांविधिक भर्ती/सेवा/नियमों/विनियमों के उपबंधों पर आधारित होती है। नियमों में निर्दिष्ट निर्णायक तारीखें सामान्यतः उस अवधि पर निर्भर करती हैं जिसके दौरान संघ लोक सेवा आयोग आम तौर पर संगत परीक्षा का आयोजन करता है। इस प्रकार कानूनी नियमों में एक बार निर्धारित कर दी गई तारीखों में बाद में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वर्षानुवर्ष के आधार पर दिए जाने वाले विज्ञापन की तारीख अथवा परिक्षा की वास्तविक तारीख के सन्दर्भ में स्वाभाविक कारणों से कोई फेरबदल नहीं किया जा सकीता क्योंकि इस तरह की फेर-बदल से या तो कुछ उम्मीदवारों के अवसर मारे जाते हैं अथवा कतिपय अन्य लोगों को अतिरिक्त अवसर मिल जाते हैं।

डिटरजेंटों के विषैले प्रभाव का मूल्यांकन

2947. **डा. ए. यू. आजमी :**

श्री कमला मिश्र मधुकर : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साबुन उद्योग के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि क्या डिटरजेंट का विपणन करने से पूर्व, उनके विषैले प्रभाव के बारे में सावधानी पूर्व मूल्यांकन करते क्यों कि खराब किस्म के डिब्बे फार्मुलेशस से बने डिटर्जेन्ट एग्जोम त्वचाशीय और अन्य कोई चर्म रोगों के कारण बन सकते हैं और क्या केवल थोड़े से उत्पादकों के पास ही ऐसी परीक्षण करने का आधारभूत ढांचा है;

(ख) क्या नहाने के साबुन जिसे कि औषध तथा प्रसाधन सामग्री अधिनियम के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत लाया गया है, के उत्पादन के समान ही डिटर्जेन्ट उत्पादन पर कोई नियंत्रण नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो क्या हानिकारक रसायनों के प्रयोग को रोकने और डिटर्जेन्ट धोने का साबुन बनाने वाले प्रत्येक उत्पादक के लिए आई. एस. आई. की मोहर लगाना आवश्यक बनाने हेतु कुछ नियम बनाने का सरकार का विचार है जिससे कि किस्म पर नियन्त्रण हो सके ;

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव): (क) से (ग) घरेलू इस्तेमाल के लिए सिन्थेटिक डिटरजेंट (प्रक्षालक) पाउडर संबंधी विशिष्ट सं. आई एस. 4955 1982 के संशोधन खण्ड सं. 0.4 (द्वितीय संशोधन) के अनुसार सिन्थेटिक डिटरजेंटों के उत्पादकों का यह कर्त्तव्य है कि वे स्वयं इससे संतुष्ट हों और यह घोषित करें कि डिटरजेंट इस्तेमाल किए जाने के लिए सुरक्षित हैं।

अनुशासनात्मक प्राधिकारियों द्वारा आदेश जारी करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श

2948. **डा. ए. यू आजमी :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिन मामलों में राष्ट्रपति अनुशासनात्मक प्राधिकारी हैं, सभी

आदेश बिना किसी अपवाद के संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श के बाद राष्ट्रपति के नाम से जारी किए जाते हैं तथा इसमें कोई छूट प्रदान नहीं की जाती है;

(ख) क्या सभी आदेश/उत्तर उन अधिकारियों के हस्ताक्षर से जारी करने होते हैं जो आदेशों को प्रमाणित करने के लिये प्राधिकृत हैं तथा इस प्रकार जारी आदेश/उत्तर भाषा और तर्क की दृष्टि से स्वत: स्पष्ट होते हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या निर्धारित प्रक्रिया अपनाने हेतु इन आदेशों को अनुशासनात्मक प्राधिकारियों के लिए अनिवार्य बनाने संबंधी प्रतियां सभा पटल पर रखी जाएंगी ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) संघ लोक सेवा आयोग परामर्श से छूट) विनियमावली के अनुसार जिन मामलों में राष्ट्रपति अनुशासनिक प्राधिकारी होते हैं केवल उन्हीं मामलों में, अनुशासनिक नियमों में उल्लिखित किन्हीं शास्तियों को अधिरोपित करने के लिए आयोग से परामर्श करना आवश्यक होता है ।

(ख) तथा (ग) अनशासनिक कार्यवाहियों में संगत नियमों में निर्दिष्ट सूक्ष्म प्राधिकारियों द्वारा अपने हस्ताक्षरों से आदेश जारी किए जाते हैं । तथापि, जिन मामलों में राष्ट्रपति अनुशासनिक प्राधिकारी होते हैं उनमें आदेशों का अधिप्रमाण ऐसे अधिकारियों द्वारा किया जा सकता है जो कि राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 77 की धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाये गये अधिप्रमाणन (आदेश तथा अन्य लिखित) नियमावली, 1958 में इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किए गये हों । आदेश पारित करने और उनकी सूचना देने की कार्यविधि केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के नियम 17 और 30 में वर्णित की गई है ।

राज्यों और संघ शासी क्षेत्रों के पुलिस विभागों में कम्पयूटरों का उपयोग

2949. **श्री भीखा भाई** : क्या गृह मन्त्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्रों और राज्यों के पुलिस विभागों में इस समय किस प्रकार के तथा कितने कम्प्यूटरों का उपयोग किया जा रहा है; और

(ख) क्या भविष्य में उनके विस्तार का कोई कार्यक्रम बनाया गया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) इलैक्ट्रोनिक्स कोरपोरेशन आफ इण्डिया लिमि· हैदराबाद द्वारा निर्मित टी. डी. सी, -316 कम्प्यूटर स्थापित किए गए हैं और 8 राज्यों तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात महाराष्ट्र राजस्थान. मध्य प्रदेश, केरल तथा एक संघ शासित क्षेत्र अर्थात टिल्ली में चालू हो गए हैं ।

(ख) विस्तार कार्यक्रम के रूप में एक ओन-लाईन पद्धति सभी राज्यों में शुरू की जा रही है। यहां पर राज्य कम्प्यूटर को टेलिप्रिन्टर टर्मिनल्स के माध्यम से सभी जिलों के साथ जोड़ा जा रहा है ।

नाई समुदायों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करना

2950. **श्री ए. नीलालोहितदसन नाडार** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी राज्य के नाइयों को एसोसिएशन ने नाई समुदाय को अनुसूचित जातियों की सूचि में शामिल करने हेतु केन्द्र सरकार को अभ्यावेदन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) तथा (ख) तमिलनाडू और मध्य प्रदेश आदि राज्यों में अनुसूचित जातियों की सूचि में नाई समुदाय को शामिल करने के बारे में आभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इस प्रस्ताव के साथ अन्य ऐसे प्रस्तावों, सिफारिशों सुझावों और अभ्यावेदनों पर अनुसूचित जातियों और अनूसूचित जनजातियों की सूचियों में प्रस्तावित विस्तृत संशोधन के सँदर्भ में सम्बन्धित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों और भारत के महा पंजीकार के साथ परामर्श करके तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में किसी समुदायों को शामिल करने के लिए इस मामले में अपनाए जाने वाले संबधित मानदण्डों के अनुसार विधिवत् विचार किया जा रहा है। कुछ राज्य सरकारों से अभी उनकी टिप्पणियां आनी हैं और उनको नियमित रूप से अनुस्मारक भेजे जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की वर्तमान सूचियो में कोई संशोधन संविधान के अनुच्छेद-241 (2) तथा 342 (2) की दृष्टि से केवल संसद के अधिनियम द्वारा ही किया जा सकता है :

औद्योगिक लाइसेंस और आशय पत्र जारी किया जाना

2951. **श्री ए. नीलालोहित दसन नाडार** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आशय पत्रों और औद्योगिक लाइसेंसों हेतु केरल से मिले कितने आवेदन पत्र इस समय केन्द्र सरकार के पास लम्बित पड़े हैं;

(ख) इनमें से प्रत्येक मामले में आशय पत्र और औद्योगिक लाइसेंस देने में विलम्ब के क्या कारण है तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन मामलों में सरकार का विचार आशयपत्र और औद्योगिक लाइसेंस कब देने का है तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) इस समय उद्योग (विकाश तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन आशय पत्रों/औद्योगिक लाइसेंसों की स्वीकृति के लिए पंजीकृत किए गए केरल के 8 औद्योगिक लाइसेंस सम्बन्धी आवेदन निपटान हेतु लम्बित हैं।

(ख) और (ग) ये मामले विचार-विमर्श/कार्यवाही की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। लम्बित पड़े आवेदनों को यथाशीघ्र निपटाने हेतु हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं। लम्बित पड़े औद्योगिक लाइसेंस सम्बन्धी आवेदनों का ब्यौरा तब तक नहीं बताये जाते जब तक कि सरकार द्वारा उन पर अन्तिम निर्णय न ले लिया जाए।

केरल नैमित्तिक अस्थायी बदली श्रमिक (मजूरी) विधेयक, 1977 को मंजूरी

2952. **श्री ए. नीलालोहित दसना नाडार :**

श्री पी. के. कोडियन : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि अक्तूबर, 1977 में उनके मंत्रालय को भेजे गए केरल नैमित्तिक, अस्थायी और बदली श्रमिक (मंजूरी) विधेयक 1977 को राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त होने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : विधेयक में नीति संबधी महत्वपूर्ण विषयों का विचार शामिल है और सरकार इस पर ध्यान दे रही है।

नई दिल्ली में पाकिस्तानी चिन्हों वाले एयर क्राफ्ट रौल्स पाया जाना

2953. **श्री बी. वी. देसाई** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टालस्टाय मार्ग, नई दिल्ली के पास एक संकरी गली में 7 जनवरी, 1984 को पाकिस्तानी आयुध कारखाने के चिन्ह वाले तीन 'एयर क्राफ्ट रोल' पाये गये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई जांच करायी गयी है;

(ग) यदि हां, तो क्या जांच से यह बात सामने आयी है कि दिल्ली और अन्य विभिन्न स्थानों पर बड़ी संख्या में पाकिस्तान में निर्मित हथियार जमा है;

(घ) यदि हां, तो क्या नई दिल्ली में इन तीन शैलों के मिलने के बाद किसी सूत्र का पता लगा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस प्रकार के हथियारों का पता लगाने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

गृह मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) एक गुलाबी कपड़े में लिपटे चार कारतूस 5-1-84 को टालसटाय मार्ग के पास एक गली से बरामद हुए थे। थाना कनाट प्लेस में शस्त्र अधिनियम के अधीन एक मामला दर्ज किया गया है और जांच-पड़ताल की जा रही है। करतूस केन्द्रीय अपराध विज्ञान प्रयोग शाला को भेज दिए गए हैं और उनकी रिपोर्ट प्रत्याशित है।

(ग) और (घ) कोई ऐसी सूचना ध्यान में नहीं आई है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

जामनगर जिले के संचाना गांव का दूसरे जहाजतोड़ यार्ड के रूप में उभरना

2954. **श्री छीतू भाई गामित** : क्या **इस्पात और खान** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में जामनगर जिले के समुद्र तट पर एक अज्ञात सा गांव "संचाना" राज्य में जहाज तोड़ने के दूसरे यार्ड के रूप में तेजी/उभर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन. के. पी. साल्वे) : (क) जी, हां।

(ख) मेसर्स मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन लि. ने, जो जहाजों को तोड़ने के लिए इनका आयात करने के लिए माध्यम अभिकरण है, देश में जहाज तोड़ने की पहले से विकसित सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए गुजरात की राज्य सरकार को सलाह दी है कि वे संचाना में जहाज तोड़ने के यार्ड में 10 से अधिक प्लाटों का विकास न करें।

ससाधन जुटाने के लिए राज्यों को केन्द्र द्वारा मार्ग निर्देश

श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों को बिना कर लगाए संसाधन जुटाने के लिए मार्ग निर्देश सिद्धांत भेजे गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों ने क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री एस. वी. चव्हाण) : (क) गैर-कर उपायों द्वारा संसाधन जुटाने के लिए ऐसे कोई भी केन्द्रीय मार्गदर्शी सिद्धांत राज्यों को नहीं भेजे गये हैं। तथापि, छठी योजना अन्य बातों के साथ-साथ राज्य बिजली बोर्डों, राज्य सड़क परिवहन निगमों और सिंचाई कार्यों के वित्तीय निष्पादन में सुधार करने के लिए प्रभावी उपायों की आवश्यकता पर बल देती है।

(ख) और (ग) जहां राज्यों ने बिजली शुल्कों और बस किरायों में परिशोधन द्वारा और कुछ हद तक सिंचाई दरों में परिशोधन द्वारा पर्याप्त अतिरिक्त संसाधन जुटाने शुरू कर दिए हैं, राज्य बिजली बोर्डों, सड़क परिवहन निगमों और सिंचाई निर्माण कार्यों में, सामान्य रूप से, हानियां होती रहती हैं।

उत्तर प्रदेश के जिलों में भारी उद्योगों की स्थापना के मामले में असन्तुलन

2956. **श्री जैनुल बशर** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में सरकारी और निजी क्षेत्र में स्थापित और स्थापित किए जाने वाले भारी उद्योगों के मामले में क्षेत्रीय असंतुलन है;

(ख) यदि हाँ तो उत्तर प्रदेश के मेरठ, आगरा, गढ़वाल, नैनीताल, मुरादाबाद, बरेली वाराणसी, गोरखपुर और झांसी मंडल में इस प्रकार के भारी उद्योगों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या औद्योगिक रूप से पिछड़े मंडलों में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में भारी उद्योग स्थापित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो वाराणसी, गोरखपुर और झांसी मंडलों में कौन-कौन से उद्योग स्थापित करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) और (ख) राज्य में विभिन्न जिलों का औद्योगिकरण करना मुख्य रूप से सम्बन्धित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, किन्तु केन्द्र सरकार वित्तीय प्रोत्साहन और रियायतें देकर उनके प्रयासों में वृद्धि करती है।

प्रत्येक मंडल में 20 करोड़ रुपये या अधिक की पूंजी निवेश वाले विद्यमान और प्रस्तावित भारी उद्योगों की संख्या निम्नलिखित हैं—

	सरकारी क्षेत्र		गैर सरकारी क्षेत्र	
	विद्यमान	प्रस्तावित	विद्यमान	प्रस्तावित
मेरठ	1	1	4	—
आगरा	1	1	—	—
गढ़वाल	1	1	—	—
नैनीताल	—	3	—	1
मुरादाबाद	—	—	—	—
बरेली	—	—	1	3
वाराणसी	4	1	1	—
गोरखपुर	1	—	—	—
झाँसी	1	1	—	—

(ग) उत्तर प्रदेश सरकार का औद्योगिक दृष्टि से प्रत्येक विछड़े जिले में मझौले या भारी उद्योग की स्थापना को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है।

(घ) वाराणसी और झांसी मडलों में स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित उद्योगों के नाम निम्न प्रकार हैं—

(1) **वाराणसी**—मेसर्स हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड

झांसी—उत्तर प्रदेश खनिज विकास निगम का बांदा जिले में एक फ्लांट-ग्लास परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव है।

इस समय गोरखपुर में सरकारी या गैर सरकारी क्षेत्र में कोई भी उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है।

उड़ीसा में निकल-अयस्क के भंडार

2957. **श्री के. प्रधानी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खान ब्यूरो ने यह अनुमान लगाया है कि जनवरी, 1980 तक भारत में लेटरायटिक निकल का कुल भंडार 160.261 मिलियन टन तक का था;

(ख) क्या निकिल अयस्क के उक्त कुल भंडार पूरी तरह उड़ीसा राज्य में हैं, जिनमें से लगभग 61 प्रतिशत सुखिंदा खनिज घाटी में ही हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस धातु के समुचित खनन और परिष्कृत रोकने के लिए क्या कोई दीर्घावधि की योजना, तैयार की गई है तथा क्या इसमें रोजगार संभावनाओं का भी अध्ययन किया गया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य-मंत्री (श्री एन.के.पी. साल्वे) : (क) और (ख) भारतीय खान ब्यूरो द्वारा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के सहयोग से तैयार खनिज सूची के अनुसार भारत में 1-1-1-1980 को निकिल के भंडार 160-261 मि. टन थे, जो उड़ीसा में हैं। इनमें से 88% लेटरीटिक निकिल के 141-791 मि. टन भंडार उड़ीसा के सुकिन्दा क्षेत्र में हैं।

(ग) सुकिन्दा निकिल परियोजना 1974 में मंजूर की गई थी। लेकिन परियोजना प्रगति नहीं कर सकी क्योंकि चुनी गई देशी प्रौद्योगिकी प्रायोगिक संयंत्र स्तर पर ही फेल हो गई।

देशी प्रौद्योगिकी के असफल हो जाने पर विदेशी परामर्श का सोच समझकर चुनाव करना था। कनाडाई अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी द्वारा तैनात विशेषज्ञ ने सुलभ आँकड़ों का प्रारम्भिक मूल्यांकन किया जिसने रिपोर्ट दी कि साध्यता रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व अतिरिक्त गवेषण, प्रयोगशाला तथा प्रायोगिक संयंत्र परीक्षण करना जरुरी होगा। अतिरिक्त गवेषण की स्कीम तैयार कर ली गई है। गवेषण आँकड़े, प्रयोगशाला तथा प्रायोगिक संयंत्र परीक्षण कार्यों के पुनरीक्षण हेतु विदेशी परामर्शकों से प्रस्ताव मांगे जा चुके हैं। उपयुक्त परामर्शक के चयन, जो अग्रिम स्तर पर हैं के बाद अतिक्त गवेषण तथा अयस्क के आधार पर परीक्षण कार्य शुरू करने के समूचे प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

मैसर्स बाम आर्गेनिक केमीकल्स लिमिटेड का आशयपत्र जारी करना

2958. **श्री भीखा भाई** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इथाईलेन ग्लाइकोल के उत्पादन के लिए बाम आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड को आशयपत्र मंजूर किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उद्योग मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त कर ली है; और

(ग) यदि हां, तो अवैध तथा असवैधानिक कार्यवाही के लिए कौन सी जिम्मेदार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) से (ग) एथिलीन ग्लाइकोल,

एथिलीन आक्साइड आदि बनाने के लिए मैं. वैम आर्गेनिक केमिकल्स लि. को एक आशय पत्र 3-9-1983 को स्वीकृत किया गया था। अनुमोदन समिति, जिसमें कम्पनी कार्य विभाग को भी प्रतिनिधित्व प्राप्त है, द्वारा जब इस प्रस्ताव पर विचार किया गया था तो एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार सहित सभी पहलुओं से विचार किया गया था। परिणाम-स्वरूप कम्पनी कार्य विभाग ने 24.11-1983 को एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अधीन इस कम्पनी को प्रथम-दृष्टया पंजीकरण किए जाने की सूचना औद्योगिक विकास विभाग को दी थी 3-12-1983 को कम्पनी-कार्य विभाग द्वारा कम्पनी को उक्त अधिनियम के अधीन पंजीकृत कराने की भी सलाह दी गई थी।

पाकिस्तानियों का अधिक समय तक यहां रूकना

2959. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिक निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी रह रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी अनुमानित संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हाल ही में पाकिस्तान में निर्धारित समय बीत जाने के बाद अनधिकृत रूप से रहने के लिए 15 भारतीय नागरिकों के एक दल को दोषी ठहराया गया था; और उन पर या तो जुर्माना किया गया अथवा विभिन्न अवधियों के कारावास की सजा दी गई थी; और

(घ) भारत में निर्धारित समय बीत जाने के पश्चात अनधिकृत रूप से रह रहे पाक नागरिकों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क)तथा(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार 1981 और 982 में भारत में आये पाकिस्तानी राष्ट्रिकों में से लगभग 3500 पाकिस्तानी राष्ट्रकों ने अपने वीसा समाप्त होने पर भारत नहीं छोड़ा।

(ग) कांसुलेट जरनल आफ इण्डिया, कराची द्वारा की गई जांच से मालूम होता है कि जनवरी, 1984 में 126 भारतीय राष्ट्रिकों और फरवरी में (8 फरवरी, तक) 40 भारतीय राष्ट्रकों को पाकिस्तान प्राधिकारियों द्वारा जुर्माना करके अथवा तीन महीने तक की भिन्न भिन्न अवधियों के कारावास की सजा देकर दोष सिद्ध किया गया।

(घ) हमारे कानूनों के अधीन राज्य सरकारों के प्राधिकारी अनाधिकृत रूप से भारत में निर्धारित अवधि से अधिक समय तक ठहरने वाले विदेशी राष्ट्रिकों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए पूर्णत। समर्थ हैं।

1983-84 के दौरान चलती रेल गाड़ियों में पड़े डाके

2960. **श्री वद्धि चन्द्र जैन** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84 के दौरान चलती रेल गाड़ियों में पड़ने वाले डाकों को कितने रेल अधिकारियों को पता चला है;

(ख) उक्त डाकों में कितने लोग मारे गये;

(ग) डाकों में मरने वालों के आश्रितों को केन्द्र सरकार ने कितनी सहायता दी है; और

(घ) इस प्रकार की घटनाओं को रोकने लिए क्या उपाए किए गए है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (घ) अपराधों से संबंधित कानून को लागू करने लिए राज्य सरकारें और संघ शासित क्षेत्र प्रशासन उत्तरदायी हैं। वर्ष 1983–84 के दौरान चलती रेलगाड़ियों में डाले गए डाकों की संख्या और इन घटनाओं में मारे गए लोगों की संख्या के संबंध में अखिल भारतीय आधार पर कोई आंकड़े संकलित नहीं किए जाते हैं क्योंकि अपराध सहित विधि और व्यवस्था राज्य का विषय है। फिर भी उपलब्ध सूचना के अनुसार 1983 में डकैतियों के 109 मामले और 31-1-84 तक डकैतियों के 10 मामले हुए थे।

रेलवे, भारतीय रेल अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार रेलों द्वारा ले जाने के लिए बुक कराए गए पशुओं अथवा सामान के गुम, क्षतिग्रस्त, नष्ट, खराब होने अथवा न पहुचाए जाने के लिए मुआवजों के दावों का भुगतान करती हैं। रेल यात्रा के दौरान बुक न कराए गए सामान के चुराए जाने अथवा लूटे जाने के लिए कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है।

रेलों में अपराधों की घटना को रोकने के लिए रेलवे निम्नलिखित उपाय कर रही हैं :...

(1) गाड़ियों के चालकों को निदेश दिए गये हैं कि यदि गाड़ी अचानक असारणीबद्ध स्थान पर रोक दी जाती है तो वे संकट-सीटी का प्रयोग करें ताकि बचाव दल सावधान किया जा सके।

(2) सवारी डिब्बे के परिचारक को सतर्क रहने और आरक्षित डिब्बों में अनधिकृत यात्रियों के प्रवेश को रोकने निदेश दिए गए है।

(3) रेलवे का अनुसंधान, नमूना और मानक संगठन को डिब्बों के संरकवां किवाड़ों में ताला लगाने की व्यवस्था में सुधार करने, अनधिकृत प्रवेश के रोकने लिए प्रकोष में सुधार करने और डिब्बों के अन्दर और बाहर बेहतर रोशनी की अव्यवस्था करने के लिए सुझाव देने की सलाह दी गयी है।

सरकारी रेलवे पुलिस जो गाड़ियों में यात्रा कर रहे यात्रियों और उनके सामान के बचाव और सुरक्षा के लिए जिम्मेवार है, गाड़ियों में मार्ग रक्षक उपलब्ध कराकर, अपराधियों पर निगरानी रखकर, उन्हें विशिष्ट मामलों में गिरफ्तार कर और सजा देकर, अपराधों पर नियंत्रण करने की सभी उपाय कर रही है। रेलवे सुरक्षा बल इस संबंध में सरकारी रेलवे पुलिस की सहायता कर रहा है।

फ्रांस द्वारा परमाणु हिस्से पुर्जों की सप्लाई

2961. **श्री बी. वी. देसाई** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फ्रांस भारत को फ्रांसीसी परमाणु हिस्से-पुर्जे सप्लाई करने और उनके तीव्र उत्पादन की अपनी प्रौद्योगिकी में भारत के साथ भागीदारी करने के लिए अपनी सुरक्षात्मक शर्तों को छोड़ने को राजी है;

(ख) क्या फ्रांस सरकार ने भारत द्वारा परमाणु हिस्से-पुर्जों के लिए मांगी गई निविदाओं में भाग लेने के लिए फ्रांसीसी कम्पनियों को अपनी अनुमति दे दी है;

(ग) क्या फ्रांस ने, भारत और अमरीका के बीच इस बात पर सहमति होने से पहले कि भारत को अमरीका के स्थान पर फ्रांस परमाणु ईंधन की सप्लाई कर सकता है, तारापुर संयंत्र के लिए संसाधित यूरेनियम की सप्लाई करने में विलम्ब कर दिया था;

(घ) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई समझौता हो गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा सरकार ने समाचार-पत्रों में इस आशय की रिपोर्टें देखी हैं, लेकिन सरकार को ऐसी जानकारी नहीं है कि फ्रांस सरकार ने प्रैस में छपी इन रिर्पोटों की पुष्टि की है।

(ग) से (ङ) जी, नहीं।

भारत और फ्रांस के बीच नवम्बर, 1982 में हुए करार और उसके बाद मार्च, 1983 में हुए वाणिज्यिक करार के अनुसरण में अमरीका के स्थान पर फ्रांस तारापुर परमाणु बिजलीघर के लिए समृद्ध यूरेनियम की सप्लाई सन 1963 में हुए सहकार करार की सीमाओं में रहते हुए कर रहा है।

विकास दर में गिरावट

2962. **श्री मनोहर लाल सैनी** :
श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी :
श्रीमती किशोरी सिन्हा : क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जो छठी पंचवर्षीय योजना के शुरु में जो विकास दर थी उसमें 1982-83 वर्ष के दौरान गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो उस संबंध में तथ्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत 3 वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष विकास दर क्या रही ?

योजना मन्त्री (श्री एस. बी. चव्हाण) (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कृषि संवृद्धि दर प्रमुखत: अर्थ-व्यवस्था की संवृद्धि दर का निर्धारण करती है। पहले के वर्षों की तुलना में वर्ष 1982-83 के दौरान कृषि की संवृद्धि दर कम अर्थात्

3.9 प्रतिशत रही। खरीफ उत्पादन, मुख्य रूप से, गम्भीर सूखे से प्रभावित हुआ। केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा राष्ट्रीय आय के अद्यतन त्वरित अनुमानों के अनुसार कृषि क्षेत्रक के लिए और अर्थव्यवस्था के लिए संवृद्धि दरें पिछले तीन वर्षों के दौरान नीचे बताए अनुसार है :

उपादन लागत पर सकेल देशीय उत्पाद (1970-71 की कीमतों पर)	1980-81	1981-82	1982-83
	(पिछले वर्ष के मुकाबले प्रतिशत परिवर्तन)		
1. पूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए	7.9	5.3	1.8
2. कृषि क्षेत्रक के लिए	12.9	3.3	-3.9

वर्ष 1983-84 के दौरान राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय

1963. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा हाल में जारी शीघ्रता से तैयार किए गए एक राष्ट्रीय अनुमान से यह पता चलता है कि वस्तुत: 1982-83 के दौरान प्रति व्यक्ति आय में पहले वर्ष की तुलना में मामूली सी गिरावट आई है,

(ख) यदि हां, तो इस अनुमान के अनुसार इन वर्षों के दौरान में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के वास्तविक आकड़े क्या हैं,

(ग) क्या 1982-83 के लिए राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के बारे में कोई अनुमानित आंकड़े तैयार किए गए हैं और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) आंकड़ें निम्नलिखित हैं:—

वर्ष	(1970-71 के भावों के आधार पर) वास्तविक रूप में राष्ट्रीय आय।	
	जोड़ करोड़ रुपये	प्रति व्यक्ति (रुपये)
1981-82	49639 (अ)	715.3 (अ.)
1982-83	50486 (शी)	712.1 (शी)

अ: अनिन्तिम अनुमान

शी: शीघ्र अनुमान

(ग) और (घ) आर्थिक सर्वेक्षण 1983-84 जिसकी रिपोर्ट संसद को 27 फरवरी, 1984 को प्रस्तुत की गई उनके अनुसार 1983-84 के दौरान सकल राष्ट्रीय उत्पाद में 6 से 7 प्रतिशत की वृद्धि प्रत्याशित है। इस आधार पर प्रति व्यक्ति आय में 4 से 5 प्रतिशत की वृद्धि की संभावना है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्थिति में सुधार करने के कार्यक्रम

2964. **श्री मनोहर लाल सैनी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंच वर्षीय योजना में इस आशय की कोई संकल्पना की है कि सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं को सुलझाने के उपायों पर विशेष जोर देंगी; जोकि कुल आबादी का एक चौथाई है; और गरीबी की रेखा से नीचे रह रही है अपने लिए विशिष्ट समस्याओं का सामना कर रही है और इस सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े इन वर्गों पर तीन दशकों के विकास का वांछित प्रभाव नहीं पड़ा है;

(ख) क्या छठी पंचवर्षीय योजना में यह भी सकल्पना की गई है कि इन जातियों की विशेष समस्याओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर व्यापक विकास योजना तैयार की जायेगी और योजना की सम्पूर्ण विकास नीति के संदर्भ में इन कार्यक्रमों को अन्य कार्यक्रमों के साथ समेकित कर दिया जाएगा; और

यदि हां तो पिछड़ी जातियों की स्थिति में सुधार करने के लिए किए गए विशेष उपायों तथा व्यापक कर्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री : (**श्रीमती राम दुलारी सिन्हा**) : (क) तथा (ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) अनुसूचित जातियों के लिये विशेष संघटक योजना और अनुसूचित जनजातियों के लिये जनजाति उप-योजना जैसा कि छठी योजना में अन्तिम रूप दिया है, की नीति को स्वीकार करके, राज्य प्रतिवर्ष विशेष सघटक योजना और जनजातीय उपयोजनाओं को तैयार कर रहे हैं और कार्यान्वित कर रहे हैं।

विशेष संघटक योजना के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है:—

(i) आर्थिक विकास के विस्तृत और समेकित परिवाराभिमुख कार्यक्रमों द्वारा छठी योजना (1980-85) तक 50% अनुसूचित परिवारों को पर्याप्त रूप से सहायता करने का प्रयत्न करना।

(ii) छठी योजना (1980-85) में अनुसूचित जातियों के शैक्षिक स्तरों में पिछड़ेपन को कम करना।

(iii) अनुसूचित जाति के परिवारों, निवास स्थानों और बस्तियों के लिये उपलब्ध विभिन्न सेवाओं में पिछड़ेपन को कम करके अनुसूचित जातियों की कार्य और रहन सहन की स्थिति में महत्वपूर्ण और वास्तविक सुधार करना, और

(iv) अनुसूचित जातियों की पेशे संबंधी गतिशीलता का विशेषत: उत्थान

जनजातीय विजास के उद्देश्य इस प्रकार है:—

(i) कृषि, बागवानी, पशुपालन, लघु उद्योगों, आदि के क्षेत्र में परिवाराभिमुखी लाभकारी कार्यक्रम शुरू करके लाभ प्राप्त कर्ता परिवारों का उत्पादकता स्तर ऊंचा उठाना।

(2) भूमि हस्तांतरण, साहूकारी ऋण बन्धकता, वन, आदि के क्षेत्रों में जनजातियों के शोषण को समाप्त करना।

(3) शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिये मानव संसाधनों का विकास।

(4) और आधारभूत संरचना का विकास।

गुजरात में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग

2965. **श्री छोटू भाई गामित** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1978 से 1983 के दौरान गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे वर्ष-वार संख्या कितनी थी और इस संबंध में अन्य ब्यौरा क्या है;

(ख) उनमें से उक्त वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितने लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाया गया और इस सम्बन्ध में अन्य ब्यौरा क्या है और उन पर कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) दिसम्बर, 1983 तक गुजरात की कुल जनसंख्या में से कितने लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे थे; और

(घ) उन लोगों की दशा में सुधार करने के लिए उठाए जा रहे ठोस कदमों का ब्यौरा क्या है और इस कार्य के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी धनराशि दी गई है और उस धनराशि में से अब तक कितनी खर्च की गई है ?

योजना मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) से (ग) गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की संख्या से सम्बन्धित उपलब्ध नवीनतम राज्य-वार अनुमान, वर्ष 1977-78 से सम्बन्धित हैं। इन अनुमानों के अनुसार 1977-78 में गुजरात में गरीबी रेखा से नीचे लोगों की संख्या 121.32 लाख थी।

(घ) गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की दशा में सुधार करने के लिए कार्यान्वित की जा रही प्रमुख स्कीमें हैं, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम। ये सभी केन्द्रीय प्रोयोजित कार्यक्रम हैं; और इन स्कीमों पर किया गया व्यय नीचे सारणी में दिखाया नया है —

(रु. करोड़)

स्कीम	व्यय 1980-83			1980-83 आवंटन		
	राज्य क्षेत्रक	केन्द्रीय क्षेत्रक		केन्द्रीय क्षेत्रक		कुल आवंटन
		जारी की धन राशि	खर्च की गई धन राशि	राज्य क्षेत्रक कुल खर्च गई की गई धनराशि			
एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम	18.23	18.26	18.23	36.46	8.72	8.72	17.44

1	2	3	4	5	6	7	8
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	10.88	19.15	17.43	28.31	6.50	6.50	13.00
ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम	*	—	—	—	—	3.20	3.20

* 10 अगस्त, 1983 से आरम्भ हुआ।

हिन्दी की टंकण मशीनों का आधुनिकीकरण

2967. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :**
श्री मोती भाई आर चौधरी :
श्री भीम सिंह : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हिन्दी की टंकण मशीन को आधुनिक बनाने के प्रयास कर रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके आधुनिकीकरण से क्या लाभ होने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) प्रचलित देवनागरी टाइपराइटर सुधरे हुए कूंजी पटल का अधुनातम रूप है। सरकार इस संदर्भ में सुधार करने के लिए प्रस्तावो पर विचार करती रही है। वर्तमान टाइपराइटर का अनुनातम रूप बिजली चालित देवनागरी टाइपराइटर हो सकेगा। मैसर्स हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड, मद्रास ने ऐसे बिजली चालित टाइपराइटरों के उत्पादन के लिए एक विदेशी फर्म के सहयोग से उत्पादन आरम्भ कर दिया है। उनके उप्पादन कार्यक्रम के अनुसार वर्ष 1985-86 में बिजली से चलने वाले देवनागरी टाइपराइटर भी तैयार होने लगेंगे।

(ख) हलके चलने वाले बिजली चालित टाइपराइटर के कुछ और लाभ इस प्रकार होंगे:—

निश्चित कुंजी को दबाने पर "केरेज" का अपने आप लौट आना, अक्षर के ऊपर अक्षर टाइप होने संभावना न होना, एक बार में 13 प्रतियां निकाले जाने की संभावना, और पृष्ठ समाप्त होने का संकेत देने की व्यवस्था, आदि।

योजना आयोग के एक सलाहकार द्वारा बंधुआ मजदूरी के बारे में किया गया सर्वेक्षण

2968. **श्री राम बिलास पासवान :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के एक सलाहकार द्वारा हाल ही में देश में बंधुआ मजदूरी के बारे में सर्वेक्षण किया गया है, (दिनांक 12 जनवरी, 1984 के हिन्दुस्तान टाइम्स के अनुसार);

(ख) क्या सर्वेक्षण के बाद इस बात का पता चला है कि कृषि सम्बन्धी खुशहाली का

अंतविरोध, बंधुआ मजदूरी प्रथा अथवा बंधुआ मजदूरी के एक वर्ग के स्थान पर दूसरा वर्ग लगाने को और कठिन बना रहा है और इस प्रकार निर्धनों को बांट कर रखा जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कार्यवाही करने का विचार है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, नहीं। दिनांक 12.1.1984 के हिन्दुस्तान टाइम्स में उल्लिखित विषय एक व्यक्ति द्वारा किए गए अध्ययन मामले से सम्बन्धित है जो उस समय श्रम मंत्रालय में एक अधिकारी था।

(ख) और (ग) यह एक अध्ययन मामला है अतः इससे ऐसा व्यापक निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

किसानों से अकाल तख्त को भूमि राजस्व देने के लिए कहना

2969. **श्री मनी राम बागड़ी** :
श्री स्वामी इन्द्रवेश :
श्री एन. ई. होरो : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 27 जनवरी, 1984 के इण्डियन एक्सप्रेस ने अकाली दल हाई कमान द्वारा किसानों से भूमि राजस्व सरकार को देने की बजाए अकाल तख्त को देने के आह्वान के सम्बन्ध में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बया) : (क) और (ख) सरकार ने समाचार को देखा है। अकाली दल द्वारा ऐसा कोई आह्वान नहीं किया गया है।

पश्चिम बंगाल में उद्योगों की स्थापना हेतु लाइसेंस

2970. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ लाइसेंस दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष पश्चिम बंगाल को इस प्रकार के कितने लाइसेंस दिए गए हैं और वे किन-किन क्षेत्रों और उद्योगों के लिए दिए गए हैं; और

(ग) पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए भारत सरकार क्या सहायता देती है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) जी हां।

(ख) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबंधों के अधीन पश्चिम

बंगाल राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् 1.4.1983 से 31.1.1984 के दौरान 7 औद्योगिक लाइसेंस और 21 आशय-पत्र स्वीकृत किये गए थे। प्रस्तावित स्थापना-स्थल और विनिर्माण से सम्बन्धित वस्तुओं सहित सभी औद्योगिक लाइसेंसों और आशय-पत्रों का विवरण भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा उनके "मन्थली न्यूज लैटर" में प्रकाशित किया जा रहा है। इस प्रकाशन की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ग) देश के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग लगाने के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना चला रही है। 1.4.1983 को प्रख्यापित की गई संशोधित योजना के अन्तर्गत निवेश राजसहायता स्वीकृत करने के उद्देश्य से देश के पिछड़े क्षेत्रों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना श्रेणी "ग" क्षेत्रों के लिए भी शुरू की गई है जो केवल रियायती वित्त के ही पात्र थे। पश्चिम बंगाल में तीन श्रेणियों के अंतर्गत निम्नलिखित जिलों को शामिल किया गया है :

श्रेणी "क"—बांकुरा, कूच बिहार, जलपाइगुड़ी और माल्दा।

श्रेणी "ख"—पुरूलिया, मिदनापुर और नादिया।

श्रेणी "ग"—वीरभूम, बर्दवान, हुगली, मुर्शिदाबाद और पश्चिम दीनाजपुर।

केन्द्रीय निवेश राजसहायता की राशि श्रेणी "क" क्षेत्रों के लिये 25% और अधिकतम 25 लाख रु० तक, श्रेणी "ख" क्षेत्रों के लिए 15% किन्तु अधिकतम 15 लाख रु० तक तथा श्रेणी "ग" क्षेत्रों में 10% किन्तु 10 लाख रु० तक होगी। तीन श्रेणियों के सभी क्षेत्र केन्द्रीय निवेश राजसहायता के अलावा रियायती वित्त पाने के भी पात्र होंगे।

राज्यों के लिए 1984-85 के लिए वार्षिक योजनायें

2971. **श्री अमर रायप्रधान : क्या योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा सभी राज्य सरकारों की 1984-85 के लिए वार्षिक योजनाओं को स्वीकृति दी जा चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है और उन पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) पंजाब, त्रिपुरा और पश्चिम बगाल को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 1984-85 की वार्षिक योजना के लिए परिव्ययों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है।

(ख) योजना परिव्ययों के ब्यौरे 1984-85 के वार्षिक योजना दस्तावेज में बताए

जाएंगे जिसे केन्द्रीय और राज्य बजटों के प्रस्तुत करने के बाद शीघ्रातिशीघ्र संसद में रखा जाएगा।

अनिवासी भारतीयों के लिए मारूति कारों का आरक्षण

2972. **श्री अमर राय प्रधान :**

श्री मोहन लाल पटेल :

श्री अर्जुन सेठी : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारूति उद्योग ने कुछ कारें अनिवासी भारतीयों के लिए आरक्षित की हैं; और;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) कम्पनी द्वारा बीस प्रतिशत डीलक्स कारों का आबंटन देश में विदेशी मुद्रा भेजे जाने पर करने का विचार है।

(ख) कम्पनी द्वारा योजना का ब्यौरा अभी अन्तिम रूप से तय किया जाना है।

पंजाब के उग्रवादियों का राजधानी के अपराधियों से सम्पर्क

2973. **श्री दौलत राम सारण :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में हुई सशस्त्र डकैतियों में शामिल कुछ व्यक्तियों की हाल ही में गिरफ्तारियों से, पंजाब के उग्रवादियों के राजधानी के अपराधी जगत के साथ संघर्ष होने की बात प्रकाश में आई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) तथा (ख) 2.1.1984 को दिल्ली में एक सशस्त्र लूटपाट की घटना में गिरफ्तार किये गये एक अभियुक्त व्यक्ति पूछताछ के दौरान मालूम हुआ कि उसमें शस्त्र और गोला बारूद चलाने का स्वर्ण मन्दिर परिसर अमृतसर में प्रशिक्षण लिया था। लेकिन उसने दल खालसा के साथ कोई सम्बन्ध होने से इन्कार किया है।

उग्रवादियों की गतिविधियों को रोकने के लिए दिल्ली में सभी आवश्यक कदम उठाये गये हैं।

साम्प्रदायिक दंगे

2974. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**

श्री सूरज भान :

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती :

श्री अशफाक हुसैन :

श्री ए. के. राय :

श्री विजय कुमार यादव : क्या **गृह मंत्री** साम्प्रदायिक दंगों के बारे में 27 नवम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न सं. 275 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र में 1980 से लेकर आज तक वर्ष-वार कितने साम्प्रदायिक दंगे हुए और उनमें हुए जान-माल के नुकसान का ब्यौरा क्या है;

(ख) दंगा-पीड़ितों को कितनी सहायता/मुआवजा दिया गया;

(ग) क्या सरकार ने इन दंगों की कोई जांच कराई है; यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले तथा उनसे भविष्य के लिए क्या निष्कर्ष निकाले गये;

(घ) क्या उक्त दंगों में किसी अन्य देश का भी हाथ होना पाया गया; यदि हां, तो किस देश का हाथ पाया गया और कौन से दंगों में;

(ङ) प्रत्येक मामले में कितनी गिरफ्तारियां की गई और कितने लोगों पर मुकदमा चलाया गया तथा उनमें से कितने लोगों को दण्डित किया गया;

(च) अपराधियों का किन-किन पार्टियों और सगठनों से संबंध पाया गया; और

(छ) उपरोक्त घटनाएं 1977-79 की अवधि में हुई घटनाओं से कितनी न्यूनाधिक हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) वर्ष 1980, 1981, 1982 और 1983 में हुए साम्प्रदायिक दंगों की संख्या, जान की क्षति का ब्यौरा विवरण I में दिया गया है। वर्ष 1980-1981 और 1982 के दौरान हुई सम्पत्ति के अनुमानित क्षति का ब्यौरा विवरण II में दिया गया है। वर्ष 1983 के लिए सम्पत्ति के नुकसान के ब्यौरे एकत्रित किए जा रहे हैं।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है।

(ग) केन्द्र सरकार ने जनवरी, 1981 के माह से कोई जांच नहीं की है।

(घ), (ङ) और (च)—साम्प्रदायिक दंगे सामान्यत: असामाजिक तत्वों द्वारा उकसाये जाते हैं। राज्य सरकारों को ऐसे तत्वों पर कड़ी निगरानी रखने की सलाह दी गई है। वर्ष 1980, 1981, और 1982 के दौरान कुल 17,244 व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया और 296 व्यक्ति दोष सिद्ध किये गये। वर्ष 1983 के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है।

गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों/दोष सिद्ध किये गये व्यक्तियों के दलों/संगठनों के साथ सम्बन्धों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(छ) 1977 से 1983 के दौरान हुए साम्प्रदायिक दंगें और मारे गए व्यक्तियों का ब्यौरा विवरण—III में दिया गया है।

विवरण -1

अनुलग्नक-1

वर्ष 1980, 1981, 1982 और 1983 के दौरान वर्ष-वार तथा राज्य का साम्प्रदायिक घटनाओं की संख्या और इन घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों की संख्या का विवरण ।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	निम्नलिखित वर्षों के दौरान साम्प्रदायिक घटनाओं (हिन्दू-मुसलमान) की संख्या				निम्नलिखित वर्षों के दौरान मारे गए व्यक्तियों की संख्या			
	1980	1981	1982	1983	1980	1981	1982	1983
आन्ध्र प्रदेश	29	38	27	28	11	49	7	74
असम	26	10	17	—	14	3	7	—
बिहार	67	39	64	58	27	62	41	29
दिल्ली	5	3	4	4	5	1	2	—
गुजरात	31	53	84	54	15	16	39	12
हरियाणा	1	2	1	3	—	1	—	1
जम्मू और कश्मीर	11	3	2	7	13	—	1	—
कर्नाटक	24	17	47	29	6	2	12	8
केरल	12	11	17	17	11	4	3	5
मध्य प्रदेश	33	19	26	27	7	5	5	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
महाराष्ट्र	34	28	60	57	11	3	2	21
मेघालय	—	—	1	—	—	—	—	—
मणिपुर	2	1	—	—	—	2	—	—
उड़ीसा	7	2	6	4	1	...	1	1
पंजाब	...	...	...	2	...	...	...	1
राजस्थान	21	14	23	20	2	2	2	6
तमिलनाडु	12	20	17	11	...	..,	12	1
त्रिपुरा	...	1	...	1	...	..,	...	..,
उत्तर प्रदेश	74	31	45	48	240	16	84	27
पश्चिम बंगाल	38	27	33	34	22	30	18	14
कुल	427	319	474	404	375	196	238	202

टिप्पणी : शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में सूचना शून्य है ।

असम के मामले में साम्प्रदायिक दंगों की घटनाएं विदेश नागरिकों के मसले के संदर्भ में है और इसलिए इन्हें नहीं दिखाया गया है ।

विवरण-2

वर्ष 1980, 1981 और 1982 के दौरान हिन्दुओं (हरिजनों सहित) और मुसलमानों के बीच साम्प्रदायिक घटनाओं में सम्पत्ति की अनुमानित हानि का विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	लाख रुपयों में सम्पत्ति की हानि		
	1980	1981	1982
आन्ध्र प्रदेश	6.08	1.96	5.14
असम	64.02	...	....
बिहार	3.50	6.16	3.96
गुजरात	108 42	64.81	79.86
केरल	0.40	0.26	204.22
कर्नाटक	6.30	19.49	44.60
मध्य प्रदेश	2.52	0.01	0.14
महाराष्ट्र	5.06	1.85	54.55
उड़ीसा	...	...	0.05
राजस्थान	...	17.40	1.26
तमिलनाडु	0.16	0.22	0.64
उत्तर प्रदेश	42.54	1.10	8.02
पश्चिम बंगाल	8.03	2.19	6.06
दिल्ली	31.50	...	6.64

शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में सूचना "शून्य" है।

विवरण-3

दिनांक 14-3-1984 का लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2974 के उत्तर में विवरण।

वर्ष 1977 से 1983 तक के दौरान हुए साम्प्रदायिक दंगों की संख्या और मारे गये व्यक्तियों की संख्या का विवरण।

वर्ष	घटनाओं की संख्या	मारे गये व्यक्तियों की संख्या
1977	188	36
1978	230	110
1979	304	261
1980	427	375
1981	319	196
1982	474	238
1983	404	202

दक्षिण त्रिपुरा में खालिस्तान के समर्थन में निकाले गये पोस्टरों का पकड़ा जाना

2975. **श्री पी. एम. सईद :**

श्री के. प्रधानी :

श्री बी. डी. सिंह :

श्री रशीद मसूद : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल ही में बगला देश में चित्रगांग हिल ट्रेक के निकट दक्षिण त्रिपुरा में गेंडाछोरा से खालिस्तान की मांग का समर्थन करने वाले पोस्टर पकड़े गए हैं :

(ख) यदि, तो क्या इन पोस्टरों से इस बात की पुष्टि होती है कि पंजाब के उग्रवादियों और पूर्वोत्तर राज्यों के उग्रवादियों के बीच आपस में सम्पर्क है;

(ग) यदि हां, तो उन उग्रवादियों की गतिविधियों को समाप्त करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं जिन के पूर्वोत्तर राज्य में सम्पर्क है; और

(घ) पूर्वोत्तर राज्यों में इन तत्वों को किस हद तक समाप्त कर दिया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, श्रीमन्।

(ख) से (घ) पजाब के उग्रवादियों और पूर्वोत्तर क्षेत्र के उग्रवादियों के सम्पर्कों की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। फिर भी सतर्कता बरती जा रही है।

मारुति कारों का उत्पादन

2976. **श्री अमर सिंह राठवा :**

श्री मोहन लाल पटेल : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983 के दौरान कितनी मारुति कारों का उत्पादन हुआ और ग्राहकों को दी गई;

(ग) वर्ष 1984 के दौरान कितनी मारुति कारों के उत्पादन का अनुमान है;

(ग) क्या देश में मारुति की ही तरह का एक दूसरा आटोमोबाइल उद्योग स्थापित करने का कोई विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसकी डिलीवरी, लागत आदि का ब्यौरा क्या है और इसके वितरण के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) कलेन्डर वर्ष 1983 में 175 कारों का उत्पादन और 133 कारों की बिक्री की गई थी।

(ख) 1984-85 में 18, 200 कारों का उत्पादन होने का अनुमान है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) मारुति उद्योग लि. चरणबद्ध तरीके से सक्रिय बनाये जा रहे अनेक डीलरों के के जरिए नगर वार प्राथमिकता प्राप्त सूचियों के अनुसार कारों का वितरण कर रहा है। कार का कारखाने से निकलते समय का मूल्य 47, 500 रु. है जिसमें परिवहन प्रभार और स्थानीय कर शामिल नहीं हैं।

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए किराया मुफ्त क्वार्टर

2977. **श्री अजय विश्वास** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों की संख्या तथा नाम क्या हैं जिन्होंने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए किराया मुफ्त क्वार्टर देने आरम्भ किये हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का भी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को किराया मुफ्त क्वार्टर देने का विचार है: और

(ग) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या है ;

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

देश में हत्याएं, डाके आदि की स्थिति

2978. **श्री अजय विश्वास** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पूरे देश में 1982. और 1983 के वर्षों में (राज्य-वार) हत्या, डाका बलात्कार और चोरियों की कुल कितनी घटनाएं हुई ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : अपराधों से संबंधित कानून को लागू करने के लिए राज्य सरकारें और संघ शासित क्षेत्र प्रशासन उत्तरदायी हैं। सारे देश में हत्याओं, डकैतियों बलात्कारों और चोरियों की संख्या के बारे में अखिल भारतीय आधार पर कोई आंकड़े संकलित नहीं किये जाते हैं क्यकि अपराध सहित कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है। फिर भी, वर्ष 1982 और 1983 में हत्याओं, डकैतियों, बलात्कार और चोरियों के बारे में उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

परिशिष्ट

1982 और 1983 के पहले 6 महीनों के दौरान दर्ज किए गए हत्याओं, डकैती, बलात्कार और चोरियों के मामलों की घटनाओं का विवरण।

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	हत्या	डकैती 1982	बलात्कार	चोरियाँ	हत्या	डकैती	चोरियां (1983 के पहले छः महीने)	1983 में बलात्कार
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	1440	318	245	16,945	711	207	7,215 अक्तूबर 1983 तक	222
2.	असम	607	475	198	9,731	1,526	280	5,149	146
3.	बिहार	2,744	3,206	348	21,116	1,448	1,709	9,505 अक्तूबर 1983 तक	281
4.	गुजरात	1,062	281	112	20,550	963*	186*	18882	89
5.	हरियाणा	315	31	90	3,551	154	12	1866	88
6.	हिमाचल प्रदेश	74	1	25	535	35	1	280	32
7.	जम्मू एवं कश्मीर	88	10	115	2581	41	19	970	146
8.	कर्नाटक	888	172	60	17,611	497	96	7834	80
9.	केरल	516	32	78	2953	प्राप्त नहीं हुआ			71

1	2		4	5	6	7	8	9	10
10.	मध्य प्रदेश	2,457	567	1,113	47663	1243	343	21750	602
11.	महाराष्ट्र	1924	737	504	59930	969	305	26466	550
12.	मणिपुर	84	32	17	614	72*	34*	545*	11*
13.	मेघालय	68	38	17	520	32	21	237	8
14.	नागालैंड	18	12	9	429	13	7	243	5
15.	उड़ीसा	529	317	137	12573	290	201	5678	अगस्त तक 157
16.	पंजाब	575	1	53	1988	591*	8*	1703*	57*
17.	राजस्थान	939	146	3391	14016	444	83	7148	378
18.	सिक्किम	13	3	4	84	4	2	46	4
19.	तमिलनाडु	1309	40	169	25418	657	29	11966	175
20.	उत्तर प्रदेश*	5749	2225	776	47544**	5503*	207*	21576	797*
21.	पश्चिम बंगाल	1421	1139	489	34831	679	648	16992	415
22.	त्रिपुरा/संघ शासित क्षेत्र	112	198	22	1265	64	137	705	31
23.	अंडमान तथा निकोबार	7	शून्य	शून्य	199	12*	शून्य	164*	4*
24.	अरुणाचल प्रदेश	29	9	6	234	21	5	121	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.	चंडीगढ़	12	शून्य	7	858	19*	शून्य	735*	6
26.	दादर एवं नागर हवेली	7	शून्य	2	49	7*	2*	2-*	1*
27.	दिल्ली	240	24	71	13626	247*	15*	13029*	83*
28.	गोआ, दमन और दीव	23	5	शून्य	884	11	4	431	11
29.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	3	शून्य	शून्य	6*	1*
30.	मिजोरम	28	7	35	185	9	3	117	39
31.	पांडिचेरी	7	4	4	1135	14*	2*	98!*	7*

* पूरे 1983 वर्ष के लिये आंकड़े ।

कागज उद्योग को प्रोत्साहन

2979. **श्री एम बी. चन्द्रशेखर मूर्ति :**

श्री कृष्ण चन्द्र पांडे : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार देश में कागज उद्योग को पुर्नजीवित करने के लिए कई उपायों पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो कागज उद्योग को क्या-क्या प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं;

(ग) कागज उद्योग में आए संकट के मुख्य कारण क्या हैं;

(घ) क्या उक्त संकट का कारण आदानों के मूल्यों में वृद्धि के फलस्वरूप उत्पादन लागत में हुई वृद्धि है; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) तथा (ख) गैर-परम्परागत किस्म के कच्चे माल के उपयोग, खोई के इस्तेमाल हेतु छोटी कागज मिलों और नए एककों द्वारा उत्पादित लिखने और छपाई के कागज पर उत्पादन शुल्क में रियायतों के रूप में कागज को विभिन्न राजकोषीय सहायता दी गयी हैं। कागज बनाने के लिए आयात किए गए रद्दी कागज, लकड़ी की लुग्दी और लकड़ी के चिप्स पर भी आयात शुल्क में कमी की जा रही है अथवा छूट दी जा रही है अवस्थापनापरक सुविधाओं में सुधार किया जा रहा है जिससे उद्योग क्षमता का अधिक उपयोग कर सके।

(ग) से (ङ) औद्योगिक विवादों और वित्तीय समस्याओं तथा अवस्थापनापरक अड़चनों के कारण कुछ बड़ी कागज मिलों में पूरे वर्ष के दौरान कुछ समय के लिए उत्पादन रुके रहने से कागज उद्योग में क्षमता का कम उपयोग हुआ। लगभग सौ वर्ष पूर्व स्थापित की गई कुछ कागज मिलों का विशद रूप से आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता है। पिछले वर्ष निविष्टियों की लागत बढ़ जाने और बाजार में मदी रहने के कारण भी इस उद्योग को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। कागज उद्योग को दी जा रही सामान्य सहायता के अलावा कागज उद्योग का निष्पादन सुधारने के लिए आवश्यक अभ्युपाय खोजने के वास्ते भी सरकार ने वित्तीय संस्थानों और राज्य सरकारों से बातचीत करना आरंभ कर दिया है।

आदिवासियों के रहन-सहन में किया गया सुधार तथा उनके आय के साधनों में वृद्धि करना

2980. **श्री दिलीप सिंह भूरिया :** क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घोषित नीति के अनुसार मध्य प्रदेश में पिछड़े और आदिवासी प्रधान जिलों में विकास कार्य किए गए हैं;

(ख) क्या इससे प्राप्त परिणामों से यह सिद्ध हो जाता है कि आदिवासियों के जीवन स्तर में सुधार और आय के साधनों में अपेक्षित वृद्धि हुई है;

(ग) क्या इन जिलों को केन्द्रीय योजनाओं का पूरा-पूरा लाभ प्राप्त हुआ है;

(घ) क्या सरकार का विचार इन क्षेत्रों के विकास और केन्द्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन पर निगरानी रखने और उनमें तेजी लाने के लिए कोई केन्द्रीय ऐजेन्सी कायम करने का है;

(ङ) क्या इस सम्बन्ध में कोई कारंवाही की जा रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) जी हां श्रीमान् .

आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों में 1980-84 (जनवरी, 1984 तक) के दौरान 5,24,104 आदिवासी परिवारों को आर्थिक रूप से सहायता की गई थी ।

(घ) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ङ) तथा (च) प्रश्न ही नहीं उठते ।

झबुआ जिले में कृतिक बल की सिफारिशों का कार्यान्वयन

2981. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झाबुआ जिले में केन्द्रीय सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के लिए नियुक्त कृतिक बल द्वारा की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करने में कोई प्रगति हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध मे की जा रही अग्रेत्तर कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (घ) सरकार ने झबुआ जिले से संबंधित कृतिक बल की सिफारिशों पर कार्यवाही आरंभ कर दी है ।

मेघनगर का झबुआ जिले में एक विकास केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है । औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (इन्दौर) ने औद्योगिक क्षेत्र का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया है । मेघनगर में भूमि का अभिग्रहण कर लिया गया है तथा और अधिक निजी और सरकारी भूमि अभिग्रहीत की जा रही है । सड़कों और नालियों का निर्माण करने तथा नलकूप पर आधारित जल आपूर्ति की योजना के लिए राशि निश्चित कर दी गई है । 1982-83 के दौरान जिले में उद्योगों की स्थापना हेतु चार आशय-पत्र जारी किए जा चुके हैं ।

औद्योगिक क्षेत्रों तक हाईटेंशन पावर लाइन लाने और एक (सब-स्टेशन) उप-केन्द्र की स्थापना के लिए राज्य सरकार कार्यवाही कर रही है। इसके लिए 1984-85 के बजट में प्रावधान कर दिया गया है ।

झाबुआ जिले में उद्योग लगाया जाना

2982. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे

(क) क्या मध्य प्रदेश के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त कृतिक बल की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए 1984-85 के बजट में कोई विशेष व्यवस्था की गई है;

(ख) क्या कृतिक बल की सिफारिशों के अनुसार मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में औद्योगिक एकक लगाने के लिए कोई नीति बनाई गई है और यदि हां, तो 1984-85 के वित्त वर्ष के लिये बजट में इस प्रयोजन के लिये कोई व्यवस्था की गई है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने कृतिक बल की सिफारिशों के आधार पर झाबुआ जिले में उद्योग लगाने संबंधी कोई योजना केन्द्र को भेजी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री : (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) कृतिक बल की सिफारिशों को कार्यान्वित करने की प्रमख जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। केन्द्रीय सरकार विभिन्न प्रोत्साहन देकर उनके प्रयासों को पूरा करने में सहायता कर रही है। कृतिक बल की सिफारिशें कार्यान्वित करने के लिए बजट में कोई विशेष प्रावधान किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

(ख) राज्य सरकार ने झबुआ जिले के लिए कृतिक बल की सिफारिशों पर कार्रवाई आरम्भ कर दी है। झबुआ जिले में मेघनगर में एक औद्योगिक विकास केन्द्र की स्थापना करने का प्रस्ताव है तथा वित्तीय वर्ष 1984-85 के राज्य बजट में इसके लिये प्रावधान किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रतिभा पलायन को रोकने के लिए विज्ञान नगरों की स्थापना

2983. **श्री चतुर्भुज** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रतिभा पलायन को रोकने की दृष्टि से विज्ञान नगरों की स्थापना का कोई निर्णय किया है; और यदि हां, तो उनकी मुख्य विशषताएं क्या हैं; और

(ख) किन-किन स्थानों पर विज्ञान नगर स्थापित किए जाएंगे और वहां पुनर्वास के लिए वैज्ञानिकों का चयन करने का मापदण्ड क्या है, इस योजना को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है तथा इस बारे में अन्य ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी, तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कोटा और झालावाड़ में स्वय रोजगार के लिए दिए गए ऋण

2984. **श्री चपुर्भुज** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए, प्रधान मंत्री द्वारा 15 अगस्त, 1983 को की गई घोषणा के अनुसार कोटा और झालावाड़ा में कितने बेरोजगार व्यक्तियों को ऋण दिए गए हैं और ये ऋण किन प्रायोजनों के लिए दिए हैं; और

(ख) उन ऋण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों में से कितनों ने अपना व्यवसाय शुरू कर दिया है और उनके द्वारा किस प्रकार का व्यवसाय शुरू किए गया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) और (ख) 29 फरवरी, 1984 तक राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रधानमन्त्री द्वारा ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने के लिए 15 अगस्त, 1983 को की गई घोषणा के अनुसरण में कोटा में 880 बेरोजगार व्यक्तियों और झालावाड़ा में 215 व्यक्तियों को ऋण दिए हैं। ये ऋण उद्योग, सेवा तथा लघु व्यावसायिक उद्यमों की स्थापना करने के लिए दिए गए हैं।

20-सूत्री कार्यक्रम का क्रियान्वयन

2985. **श्री छीतू भाई गामित** :

श्री विरदा राम फुलवारिया : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह पता लगाने के लिए कोई मानक या मार्गनिर्देश तैयार किए हैं कि किन राज्यों ने 20-सूत्री कार्यक्रम का शीघ्र कार्या-न्वयन किया है और इस बारे में सराहनीय कार्य किया है; और

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के क्या नाम हैं जिन्होंने 1982-83 के दौरान 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन में उल्लेखनीय योगदान किया है ?

योजना मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) जी, हां। सभी सूत्रों के अन्तर्गत प्रगति का मासिक प्रबोधन साध्य नहीं है, इसलिए निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित 16 कार्यक्रमों को ध्यान में रखा जाता है; एकीकृत ग्रामीण कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, भूमि का आवंटन, बधुआ मजदूरों का पुनर्वास, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों का कल्याण, पीने का पानी, मकान बनाने की जगह का आबंटन निर्माण सहायता, गंदी बस्तियों का सुधार, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवास, ग्रामीण विद्युतीकरण, पम्प सेटों का बिजली चालित करना, पेड़ लगाना, बायोगैस संयंत्र और नसबंदी। प्रत्येक सूत्र में वास्तविक लक्ष्य के संदर्भ में निष्पादन को तीन श्रेणियों में बांटा गया है श्रेणी के वास्तविक लक्ष्य के 90 प्रतिशत अथवा अधिक उपलब्धि के लिए, श्रेणी 'ख'—90 प्रतिशत से कम

उपलब्धि परन्तु अखिल भारतीय औसत से ऊपर के लिए और श्रेणी 'ग' अखिल भारतीय औसत प्रतिशत से कम उपलब्धि के लिए। कुल निष्पादन का निर्णय श्रेणी 'क' की प्रत्येक मद के लिए 2 अंकों, श्रेणी 'ख' की प्रत्येक मद के लिए 1 अंक और श्रेणी 'ग' की प्रत्येक मद के लिए 1 अंक के आधार पर किया जाता है।

(ख) उपर्युक्त मानकों के आधार पर तमिलनाडु, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश और गुजरात राज्यों को वर्ष 1982-83 में उच्चतम निष्पादन समूह में रखा गया था।

मंडल आयोग की रिपोर्ट

2986. **श्री छोटू भाई वासिल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मंडल आयोग रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है;

(ख) क्या सरकार को इस आशय के कोई ज्ञापन प्राप्त हुए हैं कि मंडल आयोग ने ऐसी कुछ पिछड़ी जातियों को शामिल कर लिया है जिनको मुरलीधर राव आयोग रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी पिछड़ी जातियों का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) मंडल आयोग की रिपोर्ट पर सरकार विचार कर रही है।

(ख) और (ग) : सरकार को इस आशय का कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है कि मंडल आयोग ने ऐसी पिछड़ी जातियों को सम्मिलित किया है जिन्हें मुरलीधर राव आयोग रिपोर्ट में सम्मिलित नहीं किया गया था।

1980-83 के दौरान प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय

2987. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81, 1981-82 और 1982-83 में सही अर्थों में कितने प्रति व्यक्ति अन्तिम उपभोग व्यय का आकलन किया गया; और

(ख) प्रति व्यक्ति उपभोग में कमी पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्री (श्री एस.बी. चव्हाण) : (क) वास्तविक रूप में प्रति व्यक्ति निजी अन्तिम उपभोग व्यय के नवीनतम अनुमान अर्थात स्थिर [1970-71] के भावों के आधार पर जैसा कि केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन ने 27 जनवरी, 1984 को प्रकाशित किया, उन्हें नीचे दिया जाता है :

वर्ष	1970-71 के भावों के आधार पर प्रति व्यक्ति किया अन्तिम उपभोग व्यय [रुपये]
1980-81	590.4
1981-82	592.0
1982-83	581.9

(ख) 1982-83 में प्रति व्यक्ति अन्तिम उपभोग व्यय में कमी का कारण, भयंकर सूखा के कारण 1982-83 के दौरान खाद्यांत्र उत्पादन में कमी के परिणाम स्वरूप खाद्यांनों तथा खाद्यान्नों के स्थान पर प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं की खपत में कमी है। कृषि क्षेत्र में वृद्धि के कारण 1983–84 के दौरान जोरदार आर्थिक पुनरुत्थान हुआ है जिसके परिणाम स्वरूप निजी अन्तिम उपभोग व्यय के स्तर में सुधार होने की संभावना है.

विकासशील देशों में राष्ट्रीय आय की वृद्धि-दर

2988. **श्री सोम नाथ चटर्जी** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि 1980-81 1981-82 और 1982-83 में अपने देश सहित अन्य विकासशील देशों की देश-वार राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर कितनी-कितनी रही ?

योजना मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी विषयक नवीनतम संयुक्त राष्ट्र वर्ष बोध, 1981, खंड II में वर्ष 1980 तक सकल घरेलू उत्पाद के रूप में राष्ट्रीय आय की देश-वार वृद्धि-दर संबंधी जानकारी दी गई है। एक विवरण संलग्न है। जिसमें वर्ष 1980 के लिए उन देशों के बारे में जानकारी अनुबद्ध है जिनके लिए आंकड़े उपलब्ध हैं। दिनांक 27 जनवरी, 1984 को केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा जारी भारत के लिए नवीनतम अनुमानों के अनुसार साधन लागत के आधार पर तथा 1970-71 के भावों के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद के रूप में भारत की राष्ट्रीय आय में 1981-82 में 5.3 प्रतिशत और 1982-83 में 1.8 प्रतिशत की वृद्धि अभिलेखबद्ध की गई।

विवरण

विकासशील देशों में वर्ष 1980 के दौरान स्थिर भावों के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि-दर (प्रतिशत) दर्शाने वाला विवरण।

क्रमांक	देश	वृद्धि-दर प्रतिशत 1980	क्रमांक	देश	वृद्धि-दर प्रतिशत-1980
1.	बुरुण्डी	(—)0.7	10.	जाम्बिया	3.0
2.	केनिया	3 2	11.	जिम्बाबवे	15.1
3.	लाइबेरिया	(—)5.0	12.	एन्टीगुवा और बारबुड़ा	4.2
4.	मालावी	0.6			
5.	मारीशस	(—)7.8	13.	अर्जेन्टीना	0.7
6.	मोरक्को	4.5	14.	बारबडोज	4.8
7.	नाइजेरिया	0.4	15.	बोलिविया	0.6
8.	ब्यूनिसिया	6.6	16.	ब्राजील	7.9
9.	तंजानिया संयुक्त गणराज्य @	3.6	17.	चिली	6.5
			18.	कोलम्बिया	4.2

1	2	3	4	5	6
19.	कोस्टारीका	1.2	38.	संयुक्त अरब अमीरात	26.4
20.	एलसल्वाडोर	(—)9.6			
21.	एक्वाडोर	4.8	39.	बंगला देश	7.3
22.	ग्वाटीमाला	3.5	40.	हांगकांग	9.8
23.	हैटी	6.1	41.	भारत	6.5
24.	हाण्डुरास	2.6	42.	इण्डोनेशिया	9.7
25.	जमैका	(—)5.4	43.	कोरिया- गणराज्य	(—)3.5
26.	मैक्सिको	8.3			
27.	माण्टसेर्रट	7.6	44.	मलयेशिया	7.6
28.	पनामा	4.9	45.	पाकिस्तान	5.8
29.	पराग्वे	11.4	46.	फिलीपाइन्स	5.8
30.	पेरु	3.1	47.	सिंगापुर	10.3
31.	प्यूर्टो रीका	(-) 0.9	48.	श्रीलंका	5.8
32.	युरुग्वे	5.8	49.	थाईलैण्ड	5.8
33.	वेजजुएला	(—)1.2	50.	टोंगा	7.1
34.	साइप्रस	4.3		— — — — — — —	
35.	कुवैत	(—)10.2		स्रोत :- राष्ट्रीय लेखा विषयक संयुक्त राष्ट्र वर्ष बोध, 1981	
36.	सीरियाई अरब गणराज्य	9.7			
37.	टर्की	(—)0.8		@केवल पूर्ववर्ती (भूतपूर्व) टैंगानिका	

अखबारी कागज का लक्ष्य

2989. **श्री नीरेन घोष :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान अखबारी कागज के संबंध में योजना का लक्ष्य क्या थे; और

(ख) प्रत्येक पंचवर्षीय योजना की अलग-अलग उक्त लक्ष्य कहां तक प्राप्त हुए;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) पंचवर्षीय योजनाओं के लिए अखबारी कागज के उत्पादन के लक्ष्यों और वास्तविक उपलब्धि को नीचे दिखाया गया है :-

	लक्ष्य	वास्तविक (हजार मी. टन में)
पहली योजना	(कोई लक्ष्य निर्धारितनहीं किया गया)	4
दूसरी योजना	60	25
तीसरी योजना	120	30
चौथी योजना	150	49
पाँचवीं योजना	80	48
छठी योजना	180	200 (अनुमानित)

भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व्स लिमिटेड, कलकत्ता के कर्मचारियों का मांगपत्र

2990. **श्री नीरेन घोष : क्या उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत ब्रेक्स एंड वाल्व्स लि. कलकत्ता के सभी वर्गों के श्रमिकों और कर्मचारियों ने 7 दिसम्बर, को प्रबन्धकों को सौहार्द-पूर्ण समझौता करने के लिए एक मांग पत्र प्रस्तुत किया था और क्या प्रबन्धकों ने उक्त समझौते पर बातचीत करने के लिए श्रमिकों के प्रतिनिधियों के साथ वार्तालाप शुरू किया है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार इसके मामले में स्वय पहल करेगी और प्रबन्धकों को भारत ब्रेक्स एंड वाल्व्स लिमिटेड को मजदूर संघ के साथ शीघ्र समझौता करने के लिए बातचीत शुरू करने हेतु राजी करेगी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) सरकार को यह मालूम है कि भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व्स मजदूर यूनियन ने 17 दिसम्बर, 1983 को भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व्स लिमिटेड, कलकत्ता के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक को एक पत्र लिखा है जिसमें अनेक मांगों का उल्लेख किया गया है। कम्पनी के प्रबन्धकों और बी.पी.वी.एल. मजदूर यूनियन के बीच बातचीत 3-2-1984 से प्रारम्भ हो गई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

जम्मू और काश्मीर में सार्वजनिक क्षेत्र एककों की स्थापना के लिए धन

2991 : **श्री सैफुद्दीन सोज** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वह जम्मू और काश्मीर राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के लिए अब तक कोई पर्याप्त धन प्राप्त न होने की वास्तविकता को देखते हुए, निकट भविष्य में वहां उद्योगों की स्थापना के लिए इस राज्य को काफी मात्रा में धन आवंटित करने पर विचार करेंगे;

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव : केन्द्रीय परियोजनाओं के विषय में स्थापना-स्थल संबंधी निर्णय संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा तकनीकी-आर्थिक

बातों के आधार पर लिए जाते हैं। योजना में वित्तीय प्रावधान राज्यवार आधार पर न किए जाकर स्वीकृत विशिष्ट परियोजनाओं के लिए किए जाते हैं।

पर्यावरणीय प्रदूषण सम्बंधी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

2992. **श्री मोहन लाल पटेल : क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में हाल ही में पर्यावरणीय प्रदूषण संबंधी एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो उक्त सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों के नाम क्या हैं; और

(ग) वायु, जल और समुद्र में प्रदूषण की समस्या को हल करने के सम्बन्ध में हुई चर्चा का क्या परिणाम निकला है ?

पर्यावरण विभाग में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी हां, 8,9 तथा 10 फरवरी, 1984 को।

(ख) भारत के विभिन्न संगठनों तथा अन्य देशों के प्रतिनिधियों जिसमें कनाडा, चीन, डेनमार्क, फ्रांस हंगरी, पोलैण्ड, स्वीडन, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमरीका तथा पश्चिम जर्मनी भी शामिल है, ने सम्मेलन में भाग लिया था।

(ग) भारत में प्रदूषण के कारणों तथा प्रभावों के बारे में तकनीकी जानकारी के वर्तमान स्तरों, उपलब्ध प्रक्रिया प्रौद्योगिकीयों तथा उपकरणों और विभिन्न देशों में प्रदूषण निगरानी तथा नियत्रण के लिए नवीनतम प्रगति के बारे में विचार-विमर्श किया गया था।

विभिन्न इस्पात संयंत्रों के लिए लौह-अयस्क और मैंगनीज की वार्षिक आवश्यकता

2993. **श्री हरिहर सोरन : क्या इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न इस्पात संयंत्रों के लिए लौह-अयस्क और मैंगनीज की वार्षिक आवश्यकता कितनी है ?

(ख) उन लौह अयस्क खानों के नाम क्या हैं जिनसे प्रत्येक इस्पात संयंत्र लौह-अयस्क और मैंगनीज प्राप्त करता है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस्पात संयंत्रों को गैर कैपटिव खानों से लौह अयस्क और मैंगनीज की अधिक खरीद करने का परामर्श देने का है; और

(घ) वैयक्तिक खान मालिकों को सहायता देने के लिए इस्पात संयंत्रों द्वारा किन अन्य उत्पादन कार्यक्रम को क्रियान्वित करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन.के.पी. साल्वे) : (क) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० (सेल) के अधीन इस्पात कारखानों की वर्ष 1983-84 और 1984-85 में लौह अयस्क और मैंगनीज अयस्क की योजनाबद्ध आवश्यकता के बारे में अगले पृष्ठ पर बताया गया है—

कारखाना	लौह-अयस्क की योजनाबद्ध आवश्यकता		मैंगनीज अयस्क की आवश्यकता	
	1983-84	1984-85	1983-84	1984-85
भिलाई	4,690	4,330	120	150
दुर्गापुर	2,087	1,860	50	45
राउरकेला	2,332	2,275	180	180
बोकारो	4,680	4,100	160	140
इस्को	1,410	1,460	36	40
कुल	15,199	14,025	546	555
	अर्थात 15,200	अर्थात 14,000		

(ख) : **लौह-अयस्क की प्राप्ति**

प्रत्येक इस्पात कारखाने की लौह-अयस्क की अपनी-अपनी खानें हैं, जो कारखाने की लौह-अयस्क की आवश्यकता के अधिकांश भाग की पूर्ति करती हैं। अतिरिक्त मात्रा खनिज तथा धातु व्यापार निगम/उड़ीसा मिनरल डेवलपमेंट कम्पनी/उड़ीसा माइनिंग कारपोरेशन से खरीदी जाती है। इस्पात कारखानों को लौह-अयस्क सप्लाई करने के लिए खनिज तथा धातु व्यापार निगम कई निजी पार्टियों से लौह अयस्क खरीदती है। इन पार्टियों की छोटी-छोटी खानें हैं और इन खानों से लौह-अयस्क श्रमिकों द्वारा निकाला जाता है।

'सेल' के इस्पात कारखानों की लौह अयस्क की अपनी खानों के नाम तथा अतिरिक्त मात्रा की खरीद के स्रोत नीचे दिए गए हैं :-

कारखाना	कारखाने की अपनी खान का नाम	लौह अयस्क की अतिरिक्त मात्रा की खरीद का स्रोत
भिलाई	डल्ली-राजहरा	.....
दुर्गापुर	बोलनी खान	खनिज तथा धातु व्यापार निगम/उड़ीसा मिनरल डेवलपमेंट कम्पनी
राउरकेला	बरसुआ/कल्टा खानें	खनिज तथा धातु व्यापार निगम/उड़ीसा माइनिंग कारपोरेशन
बोकारो	किरिबुरू	खनिज तथा धातु व्यापार निगम/उड़ीसा मिनरल डेवलपमेंट कम्पनी
इस्को	गुआ-विरिया खानें	खनिज तथा धातु व्यापार निगम/उड़ीसा मिनरल डेवलपमेंट कम्पनी

मैंगनीज अयस्क की प्राप्ति

भिलाई इस्पात कारखाना मैंगनीज अयस्क की खरीद इस्पात विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के एक उपक्रम नामतः मैंगनीज ओर (इन्डिया) लिमिटेड तथा निजी खान मालिकों से करता है। वर्ष 1983-84 में मैंगनीज अयस्क की सप्लाई करने वाली पार्टियों के नाम इस प्रकार हैं :–

1. मैंगनीज ओर (इन्डिया) लिमिटेड, नागपुर

2. पेसिफिक मिनरलस (प्राइवेट) लिमिटेड, कलकत्ता

3. डी. पी. राय, रामदास पेठ, नागपुर

4. डी. के कासल धनदादरा टाकिज, जिला बालाघाट

5. जी. सी. शुल्क, नागपुर

'सेल' के अन्य कारखाने मैंगनिज अयस्क की सप्लाई खनिज तथा धातु व्यापार निगम से प्राप्त करते हैं। यह निगम मैंगनीज अयस्क निजी खानों से खरीदती है।

(ग) और (घ) : लौह अयस्क के सम्बन्ध में 'सेल' की नीति यह है कि अपनी खानों की क्षमता का यथा सभव अधिकाधिक उपयोग किया जाए और उतनी ही मात्रा खरीदी जाए जितनी आवश्यकता के मुकाबले अपनी खानों के उत्पादन से कम रहती है। 'सेल' इससे अधिक मात्रा खरीदने में असमर्थ है क्योंकि इससे इसकी अपनी खानों में उत्पादन कम होगा और परिणाम-स्वरूप आवश्यकता से अधिक हो जाने वाले कर्मचारियों की जबरन छुट्टी करनी पड़ेगी।

मैंगनीज अयस्क की प्राप्ति इस्पात के उत्पादन पर निर्भर करती है। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 1983-84 में इस्पात का उत्पादन कम होगा। इसलिए इस समय 'सेल' के लिए निजी खानों से और मैंगनीज अयस्क खरीदना संभव नहीं होगा।

राजनीतिक हत्यायें

2994. **श्री अजय कुमार यादव** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980 से जनवरी, 1984 तक की अवधि के दौरान प्रतिवर्ष देश में हुई राजनीतिक हत्याओं का राज्य-वार, ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि ऐसी हत्याओं की घटनायें दिन प्रति दिन बढ़ रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार की हत्याओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) हिमाचल प्रदेश मेघालय, पंजाब सरकारों और अण्डमान तथा निकोबार, चण्डीगढ़, दादरा और नागर हवेली. गोवा, दमण और दीव, लक्षद्वीप तथा पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से सम्बन्धित अवधि के

दौरान कोई राजनैतिक हत्या की सूचना नहीं मिली है। अन्य राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्र प्राशासनों से सूचना की प्रतीक्षा है।

विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र का कार्य

2995. **श्री एम. रामगोपाल रेड्डी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के कार्य की जांच की है;

(ख) क्या उक्त इस्पात कारखाने में कार्य निर्धारित समयानुसार चल रहा है;

(ग) इस परियोजना पर अब तक कितनी धनराशि खर्च हुई है;

(घ) क्या इस विशाल परियोजना की कार्य प्रणाली में कोई अनियमितता पाई गई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त परियोजना की कार्य प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन. के. पी. साल्वे) : (क) जी, हां इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

(ख) निर्धारित कार्यक्रम की तुलना में हुई कार्य की प्रगति इस प्रकार है:—

क्रम सं०	मद	इकाई	1983-84 के लिए लक्षय (12 महीने)	1983-84 में हुआ वास्तविक कार्य 1.4.83 से 29-2.84 तक (11 महीने)
2		3	4	5
1.	कंक्रीट डालने का व्यय	घन मीटर	493.151	494,755
2.	सरंचनात्मकों का संविरचन	टन	67.296	67,211
3.	संरचनात्मकों की स्थापना	टन	30. 151	18,648
4.	उपस्करों की स्थापना	टन	7,300	2,128
5.	तापसह ईटों की स्थापना	टन	8,824	6,364

(ग) फरवरी, 1984 के अन्त तक इस परियोजना पर 922-84 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं।

(घ) इस परियोजना की कार्यप्रणाली में कोई अनियमितता नहीं पाई गई है प्राप्त हुई शिकायतों की शीघ्रता से जांच की जाती है।

(ङ) उपस्करों तथा संरचनात्मकों के लिए आर्डर देने में तेजी लाने के लिए निविदा प्रक्रिया को सुप्रवाही बनाया गया है। उपचारात्मक उपाय करने की दृष्टि से परियोजना की प्रगति पर विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से निगरानी रखी जाती है। प्रगति में तेजी लाने के लिए अवस्थापना सम्बन्धी अभिकरणों तथा इन्जीनियरी और निर्माण कार्य की प्रगति में आवश्यक समन्वय स्थापित करने के लिए उपस्करों के सम्भारको तथा परामर्शदाताओं के साथ नियमित रूप से बैठकें की जाती हैं।

गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों को ऊपर उठाने के लिए समय बद्ध कार्यक्रम

2996. **श्री एम. रामगोपाल रेड्डी :** क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के संबंध में कोई राज्यवार मूल्यांकन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे लोगों के उत्थान तथा गरीबी की रेखा से ऊपर लाने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है; और

(ग) प्रत्येक राज्य को इस उद्देश्य के लिए कितना धन आवंटित किया गया है ?

योजना मत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) गरीबी के अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए गए उपभोक्ता व्यय के आवधिक सर्वेक्षणों पर आधरित होते हैं। पिछला सर्वेक्षण वर्ष 1977-78 में किया गया था जब कि 1983 का सर्वेक्षण अभी पूरा हुआ है। 1977-88 में प्रत्येक राज्य में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या और प्रतिशतता विवरण में दी गई है।

(ख) सरकार का गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की सख्या को उत्तरोत्तर कम करने का सत्त प्रयास रहा है। वर्तमान में उस समयावधि का कोई अनुमान नहीं जब तक यह पूरा किया जा सकता है।

(ग) संलग्न विवरण-2 गरीबी को हटाने से सम्बन्धित महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के लिए राज्यवार धनराशियों को आवंटन दर्शाता है।

विवरण-1

1977-78 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग राज्यों के अनुसार गरीबी के स्तर से नीचे जनसंख्या की संख्या और प्रतिशत

क्रम संख्या	राज्य	ग्रामीण		शहरी		सम्मिलित	
		संख्या (लाख)	प्रतिशत	संख्या (लाख)	प्रतिशत	संख्या (लाख)	प्रतिशत
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	170.35	43.89	36.44	31.68	206.79	42.18
2.	असम	88.34	52.65	7.07	37.37	95.41	51.10

0 1	2	3	4	5	6	7
3. बिहार	338.44	58.91	32.94	4607	371.38	57.49
3. गुजरात	94184	43 20	26 48	29.2	121 32	39.04
5. हरियाणा	22.10	23.25	6.95	31.74	20.05	24.84
6. हिमाचल प्रदेश	10.37	28.12	0.51	16.56	20.88	27.23
7. जम्मू और कश्मीर	14.57	32.75	4.35	39.33	18.92	34.06
8. कर्नाटक	124.10	49.88	38.62	43.97	162.72	48 34
9. केरल	93.42	46.00	22.19	51.44	115 61	46.95
10. मध्य प्रदेश	244.59	59 82	42.74	48.09	287.33	57.73
11. महाराष्ट्र	214.11	55.85	61 30	31.62	275.42	47.71
12. मणिपुर	3.42	30.54	0.56	25.48	3.98	29 71
13 मेघालय	5.51	53.87	0.36	18.16	3.85	48.03
14. नागालैंड	उ न.	उ. न.	0 03	4.11	उ. न.	उ. न.
15. उड़ीसा	158.97	68 97	10.33	42.19	169.30	66.40
16. पंजाब	13.49	11.87	9.89	24.66	23.08	15.13
17. राजस्थान	85.79	33.75	19.12	33.80	104.91	33.76
18. तमिलनाडु	170.47	55.68	66.59	44.79	237.06	52.12
19. त्रिपुरा	10.93	64.28	0.61	26 34	21.54	59.73
20, उत्तर प्रदेश	429.93	50.23	72.27	49.24	502.20	50.09
21. पश्चिम बंगाल	227-65	58.94	48.10	34.71	275.75	52.54
22. सभी संघ राज्य क्षेत्र	6.35	34.32	11.24	17.96	17.59	21.69
अखिल भारतीय (भारित)	2527.75	50.82	518.39	38.19	3046.10	48.13

उ०न० उपलब्धि

टिप्पणी

1. 1977-78 की कीमतों के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति की 2400 कैलोरी की न्यूनतम दैनिक आवश्यकता के अनुरूप 65 रु० में प्रति व्यक्ति प्रतिमास

के गरीबी के स्तर को और शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति को 2100 कैलोरी की न्यूनतम दैनिक आवश्यकता के अनुरूप 75 रु० प्रति व्यक्ति प्रति मास के गरीबी के स्तर को मानकर उपर्युक्त अनुमान लगाये गये हैं।

2. ये परिणाम 32वें दौर (जुलाई, 1977 से जून, 1978) के पारिवारिक उपभोक्ता व्यय से सम्बन्धित राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के अनन्तिम और त्वरित सारणीयन पर आधारित है।

3. केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा अपने राष्ट्रीय लेखा आँकड़ों में सकल अखिल भारतीय निजी उपभोग व्यय के लगाए गए अनुमानों और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा व्यय लगाये गये आँकड़ों के अनुमानों के बीच के अन्तर को, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में इस अंतर के आवंटन के बारे में किसी सूचना के अभाव में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में यथानुपात समायोजित किया गया है।

4. गरीबी के स्तर से नीचे लोगों की संख्या 31 मार्च, 1978 को जनसंख्या से सम्बन्धित है।

5. अखिल भारत के लिए गरीबी के स्तर से नीचे लोगों की संख्या और उनका प्रतिशत इस विवरण में शामिल राज्यों की जनसंख्या से संगत है।

विवरण—2

1980-84 में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा 1983-84 में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के गरीबी दूर करने के कार्यक्रमों के लिए राज्यवार आवंटित की गई धनराशियों को दर्शाने वाला विवरण।

केन्द्र और राज्य साथ-साथ

(करोड़ रु०)

राज्य	1980-84 आवंटन		1983-84
	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम*
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	87.48	148.71	9.90
असम	36.18	30.43	2.16
बिहार	158.49	175.00	14.25
गुजरात	58.86	43.15	3.20
हरियाणा	23.49	14.05	0.84

1	2	3	4
हिमाचल प्रदेश	18.63	10.90	0.60
जम्मू तथा कश्मीर	20.25	10.86	0.75
कर्नाटक	47.25	64.05	4.70
केरल	38.88	62.10	4.70
मध्य प्रदेश	123.66	126.58	7.80
महाराष्ट्र	79.92	106.62	7.90
मणिपुर	7.02	1.47	0.11
मेघालय	6.48	1.63	0.15
नागालैंड	5.67	1.69	0.10
उड़ीसा	84.78	73.07	4.50
पंजाब	31.59	19.37	1.35
राजस्थान	62.64	50.24	2.40
सिक्किम	1.08	0.96	0.08
तमिलनाडु	101.79	116.39	8.90
त्रिपुरा	4.49	4.82	0.33
उत्तर प्रदेश	236.52	272.85	10.05
पश्चिम बंगाल	90.45	111.64	7.70
जोड़—राज्य	1325.70	1446.58	99.47
संघ शासित क्षेत्र			
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1.35	1.21	0.08
अरुणाचल प्रदेश	12.96	1.12	0.08
चण्डीगढ़	0.27	0.16	0.02
दादरा और नागर हवेली	0.27	0.32	0.04

1	2	3	4
दिल्ली	1.35	0.22	0.04
गोवा, दमन और दीव	3.24	0.69	0.09
लक्षद्वीप	1.35	0.16	0.02
मिजोरम	5.40	1.61	0.08
पांडिचेरी	1.08	1.15	0.08
जोड़— संघ शासित क्षेत्र	27.27	6.64	0.53
कुल जोड़	1352.97	1453.22	100.00

*यह कार्यक्रम वर्तमान वर्ष में आरंभ किया गया ।

तिहाड़ जेल के अध्यक्ष के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप

2997. **श्री एम. रामगोपाल रेड्डी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या सरकार ने 1983 के दौरान तिहाड़ जेल के अध्यक्ष के विरुद्ध लगाये गए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त जांच ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लगाए गए आरोप ठीक पाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकट्सुब्बय्या) : (क) से (घ) दिल्ली प्रशासन के अनुसार जबकि उनको 1983 के दौरान तिहाड़ जेल के अध्यक्ष के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप की कोई निश्चित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है फिर भी 22 अगस्त, 1983 के इन्डियन एक्सप्रैस में "तिहाड़ जेल के अध्यक्ष के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप" शीर्षक के अन्तर्गत एक समाचार प्रकाशित हुआ था । उसके बाद दिल्ली प्रशासन ने आरोपों की जांच करने का आदेश दिया जो महानिरीक्षक (जेल) दिल्ली द्वारा की गई थी तथा आरोपों का कोई आधार नहीं पाया गया ।

आन्ध्र प्रदेश में एक परमाणु बिजलीघर की स्थापना

2998. **श्री एम. रामगोपाल रेड्डी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में परमाणु बिजलीघर लगाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और

(ग) उक्त परमाणु बिजलीघर कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी परमाणु ऊर्जा अन्तरिक्ष इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) से (ग) स्थल चयन समिति ने दक्षिणी क्षेत्र के बारे में, जिसमें आंध्रप्रदेश भी शामिल है अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। परमाणु बिजलीघर लगाने के बारे में फैसला सरकार द्वारा उस रिपोर्ट पर विचार कर लिया जाने के बाद लिया जा सकता है।

लघु एवं मध्यम उद्योगों से बोकारो स्टील लिमिटेड द्वारा खरीदा गया सामान

2999. **श्री धर्मबीर सिन्हा :**

श्री कृष्ण प्रताप सिंह। क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बोकरो स्टील लिमिटेड प्रतिवर्ष कितना सामान लघु एवं मध्यम उद्योगों से कितना सामान बिहार में स्थित उद्योगों से और कितना सामान बोकारो औद्योगिक विकास क्षेत्र प्राधिकरण के अन्दर स्थित उद्योगों से खरीदता है;

(ख) क्या यह सच है कि अभी तक खरीदा गया सामान बहुत ही कम है; और

(ग) भविष्य में ऐसे सामान की खरीद बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य-मन्त्री (श्री एन. के. पी. साल्वे) : (क) से (ग) बोकारो इस्पात कारखाने में खरीदे गए सामान के राज्य-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। फिर भी कारखाने से कहा गया है कि वह अपनी खरीद का विश्लेषण शीघ्रता से करें ताकि यह पता चल सके कि कारखाने ने अपनी कुल खरीद में से कितना सामान लघु एवं मध्यम उद्योगों से खरीदा है तथा कितना सामान बिहार में स्थित इस प्रकार की इकाइयों से खरीदा है। वर्ष 1980-81 से लेकर बोकारो इस्पात कारखाने द्वारा बोकारो औद्योगिक विकास क्षेत्र के उद्योगों को दिए गए खरीद के आर्डरों का मूल्य इस प्रकार है:—

1980-81	5.10 करोड़ रुपए
1981-82	6.35 करोड़ रुपए
1982-83	7.55 करोड़ रुपए
1983-84 (दिसम्बर, 1983 तक)	5.99 करोड़ रुपए

उपर्युक्त विवरण से पता चलता है कि बोकारों इस्पात कारखाने ने बोकारो औद्योगिक विकास क्षेत्र के उद्योगों को अधिक आर्डर दिए हैं। बोकारो इस्पात कारखाना इन उद्योगों को अधिक से अधिक आर्डर देता रहेगा बशर्ते कि माल की सुपुर्दगी समय पर की जाए और उत्पादों की क्वालिटी संतोषजनक हो। इसके अतिरिक्त इस काम में सहायता करने के लिए निविदा कागजात मुफ्त देने, जमानत तथा पेशगी की राशि देने से छूट, खरीद तथा मूल्य में प्राथमिकता देने, तकनीकी सलाह तथा परीक्षण की सुविधाओं जैसी विशेष रियायतें दी जाती हैं। इन इकाइयों को आर्डर देने के काम पर प्रबन्ध निदेशक की अध्यक्षता में गठित की गई संयंत्र स्तर की एक समिति द्वारा लगातार निगरानी रखी जाती है।

मध्य प्रदेश में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्ति

3000. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में छठी पंचवर्षीय योजना के शुरू में गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्तियों की अनुमानित सख्या कितनी थी और इस समय उनकी संख्या कितनी है और इस अवधि के दौरान कितने प्रतिशत लोगों ने गरीबी की रेखा को पार किया है;

(ख) अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के तत्संबंधी तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(ग) मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं और अन्य कार्यक्रमों के सम्बन्ध में अनुमानत: कितनी राशि खर्च की गई है ?

योजना मन्त्री श्री एस. बी. चव्हाण) (क) और (ख) : पंचवर्षीय योजना के पूर्व और इस समय के गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या के राज्यवार अनुमान नहीं लगाए गए हैं। अद्यतन उपलब्ध राज्यवार आंकड़े बर्ष 1977-78 के लिए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के उस वर्ष के उपभोक्ता व्यय पर आधारित हैं

(ग) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम मुख्य कार्यक्रम हैं जो लागों को गरीबी की रेखा को पार करने में सहायता देने के लिए विशेष रूप से बानाए गए हैं। 1980-84 के 4 वर्षों के दौरान स्कीमों पर व्यय संलग्न विवरण में दिखाया गया है।

विवरण

छठी योजना अवधि में—दिसंबर, 1983 तक एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के संबन्ध में व्यय की राज्यवार प्रगति को दिखाने वाला बिवरण।

(लाख रु०)

राज्य	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम		राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम		ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम
	1980-83	1983-84 (दिसम्बर, 1983 तक)	1980-83	1983-84 (सितंबर-दिसंबर, 1983 तक)	1983-84 (आवंटन)
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	7358.87	1528.77	9776	1200	990.00
असम	982.09	532.05	1193	225	216.00

1	2	3	4	5	6
बिहार	7568.05	1651.33	9639	1832	1425.00
गुजरात	3645.80	733.51	2831	947	320.00
हरियाणा	1760.28	420.55	1105	173	84.00
हिमाचल प्रदेश	1064.53	321.96	790	95	60.00
जम्मू और कश्मीर	677.08	44.52	659	130	75.00
कर्नाटक	3822.95	636.92	4434	1034	470.00
केरल	2261.57	559.45	3605	781	470.00
मध्य प्रदेश	7208.43	2192.86	8539	1550	780 00
महाराष्ट्र	4718.56	1421.01	6321	317	790.00
मणिपुर	171.23	79.02	67	एन. आर.	11 00
मेघालय	143.37	9.62	34	एन. आर.	15 00
नागालैंड	279.57	79.54	152	15	10.00
उड़ीसा	4457.71	1187.37	4652	727	450.00
पंजाब	2585.03	713.34	1277	350	135.00
राजस्थान	4909.66	1210.30	4902	454	240.00
सिक्किम	40.58	10.95	41	24	8.00
तमिलनाडु	7917.87	1804.33	8293	1952	890.00
त्रिपुरा	364.66	35.53	344	68	3 .00
उत्तर प्रदेश	14370.31	3470.92	16971	3628	1706.00
पश्चिम बंगाल	1092.54	465.70	6585	1727	770.00
जोड़ - राज्य	77402.74	19109.55	92110	17229	9947.00
संघ राज्य क्षेत्र					
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	—	0.46	67	10	8.00
अरूणाचल प्रदेश	401.34	33.94	14	27	8.00
चंडीगढ़	2.97	एन.आर.	3	4	2.00
दादरा व नागर हवेली	2.17	2.23	—	3	4.00

1	2	3	4	5	6
दिल्ली	103.29	29.86	—	5	4.00
गोवा दमन व दीव	225.85	48.66	21	49	9.00
लक्षद्वीप	6.45	11.67	3	12	2.00
मिजोरम	89.54	89.20	67	7	8.00
पांडिचेरी	53.36	13.53	30	22	8.00
जोड़ (सं०रा०क्षे०)	884.97	229.55	205	139	53.00
कुल जोड़	78287.71	19339.10	92315	17368	10000.00*

*ये कम करके 8947 लाख रु० रह गया है।

दिल्ली में महिलाओं की मौतें

3001. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में वर्ष 1983 के दौरान कितनी महिलाओं के (एक) आत्महत्या करने (दो) रहस्यमय स्थितियों में मरने सहित अप्राकृतिक मौत होने की रिपोर्ट मिली है और यह संख्या वर्ष 1982 के आंकड़ों की तुलना से कितनी न्यूनाधिक है;

(ख) इनमें से कितनी आत्महत्याओं अथवा मौतों का सम्बन्ध दहेज संबंधी मांगों से है; और

(ग) दहेज की मांगों संबंधी सामाजिक बुराई और उससे संबंधित मौतों के मामलों से निपटने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) अपेक्षित आंकड़े नीचे दिये गये हैं :—

	1982	1983
(1) आत्महत्या	265	265
(2) रहस्यमय स्थितियों में हुई मौतों सहित अप्राकृति मौतें	571	483

(ख) 1982 के 40 मामलों में और 1983 के 42 मामलों में मौत के कारणों में दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है।

(ग) दहेज की बुराई के विरुद्ध जनसम्पर्क और दूरदर्शन के माध्यम से प्रचार किया जाता है दहेज निषेध अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है। दहेज के कारण मृत्यु के मामलों से निपटने के लिये विशेष न्यायालय स्थापित किये गये हैं और दहेज पीड़ितों की मृत्यु के समय की गई घोषणा को अलिखित करने के लिए विशेष मजिस्ट्रटों को नामांकित किया गया है।

काजीरंगा में गैंडों का चोरी छिपे शिकार

3003. **श्री त्रिलोक चन्द्र :**

श्री राजेश कुमार सिंह : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काजीरंगा में गैंडों का चोरी छिपे शिकार बहुत बढ़ गया है और लाडखोवा अभयारण्य में गैंडे लगभग लुप्त हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है गत तीन वर्षों के दौरान (वर्ष वार) गैंडों के मारे जाने के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(ग) सरकार ने गैंडों के चोरी छिपे शिकार को रोकने के लिये क्या उपाय किये हैं ?

पर्यावरण विभाग में उप-मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) तथा (ख) गत तीन वर्षों के दौरान असम में चोरी-छिपे शिकार करने वालों द्वारा मारे गए गैंडों की संख्या नीचे दी गई है :—

1981—39

1982—44

1983—91

इसमें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान तथा लाओखोवा अभयारण्य में गैंडों का अनधिकृत शिकार शामिल है।

(ग) राज्य सरकार को असम में गैंडों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता पर समय-समय पर बल दिया गया है। विशेष रूप से चोरी-छिपे शिकार करने की समस्या का अध्ययन करने और इसका विरोध करने के लिए विशिष्ट उपायों की सिफारिश करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा मई, 1982 में विशेषज्ञों का एक दल काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का दौरा करने के लिए प्रतिनियुक्ति किया गया था। सिफारिश किये गये उपायो से असम सरकार को अवगत कराया गया, जिसने सूचित किया है कि इसके कार्यान्वयन के लिये उपाय उठाये जा रहे हैं। इनमें से कुछ सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 8.41 लाख रुपये की वित्तीय सहायता सुलभ की गई है।

कश्मीर मुक्ति-मोर्चे द्वारा जम्मू-कश्मीर राजमार्ग को उड़ा देने की धमकी

3004. **श्री त्रिलोक चन्द्र :**

श्री जय पाल सिंह कश्यप : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तथाकथित कश्मीर मुक्ति मोर्चे ने अपने पोस्टरों में जम्मू-कश्मीर राजमार्ग को उड़ा देने की धमकी दी है और यह मामला केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकट सुब्बय्या) : (क) और (ख) सरकार की सूचना के अनुसार कुछ इश्तिहार 12 फरवरी, 1984 को देखे गये जिनके विषय में बताया गया है कि ये कश्मीर लिबरेशन फ्रंट द्वारा जारी किये गये हैं। इनमें यात्रियों को चेतावनी दी गई थी कि 12 फरवरी से 20 फरवरी तक श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय मार्ग का प्रयोग न करें क्योंकि इस पर टाइम-बम रखे गये हैं तथापि इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई जैसा कि इश्तिहारों में कहा गया था। सरकार सतर्क है।

भारत में पाकिस्तान गुप्तचर गिरोह की गतिविधियां

3005. **श्री त्रिलोक चन्द्र :**

श्री जयपाल सिंह कश्यप : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में कच्छ (गुजरात) की मुस्लिम वेल्फेयर एज्यूकेशन सोसाइटी के प्रेजीडेंट बैफन नामक व्यक्ति की गिरफ्तारी से भारत में पाकिस्तानी गुप्तचर तंत्र की गतिविधियों का पता चला है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) 2 नवम्बर, 1983 को गुजरात राज्य में कच्छ जिले में सीमा सुरक्षा बल ने एक पाक-राष्ट्रिक को तस्करी की हिरोइन के साथ पकडा था। जांच करने पर राज्य सरकार ने कोफेपोसा के तहत 13 व्यक्तियों की नजरबदी के आदेश दिये थे, जिनमें से इब्राहिम बच्चू बैफन सहित 10 व्यक्ति नजरबन्द हैं। शेष तीन, फरार हैं और उनका पता लगाने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने यह भी सूचित किया है कि कुछ अभिशासी वस्तुओं की बरामदगी के कारण राजकीय गोपनीय अधिनियम के तहत एक अपराध दर्ज किया गया है और आगे जांच की जा रही है।

दहेज के कारण मौतें

3006. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :**

श्री वृद्धि चन्द्र जैन :

श्री विरदाराम फुलुवारिया : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981, 1982 और 1983 में प्रत्येक राज्य और संघ शासित प्रदेश में दहेज के कारण कितनी मौतें हुई;

(ख) इनमें से कितने मामलों में पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई;

(ग) कितने व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई और कितने व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जानी है;

(घ) क्या सरकार ने दहेज के शिकार लोगों की सुरक्षा के लिए शीघ्र ही कुछ कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ङ) राज्य सरकारें और संघ शासित क्षेत्र प्रशासन अपराधों से सम्बन्धित कानून लागू करने के लिए उत्तर-दायी हैं। दहेज के कारण मौत के मामलों के सम्बन्ध में कोई आंकड़े अखिल भारतीय आधार पर संकलित नहीं किए जाते, क्योंकि अपराध समेत विधि व व्यवस्था राज्य का विषय है। वर्ष 1981, 1982 और 1983 के दौरान दहेज के कारण मौत के मामलों के सम्बन्ध में उपलब्ध सूचना विवरण में दी जाती है। दहेज के कारण मौतों के संकट को समाप्त करने के लिए 22.7.80 और 13.8.82 को सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को ये अनुशा दिए गए थे कि युवा विवाहित महिलाओं की उनके विवाह के प्रथम 10 वर्षों के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में आत्म हत्या के प्रयास अथवा मृत्यु के सभी मामलों की गहन जांच-पड़ताल की जानी चाहिए। ऐसे मामलों की जांच–पड़ताल पुलिस उप-अधीक्षक से नीचे के किसी अधिकारी द्वारा नहीं की जानी चाहिए और शव परीक्षा दो डाक्टरों के दल द्वारा की जानी चाहिए। पुलिस द्वारा "अनापत्ति प्रमाणपत्र" को छोड़कर शव परीक्षा के बिना शव के निपटान की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और पुलिस को ऐसे प्रमाण पत्र नहीं देने जाने चाहिये जब तक कि शव को माता-पिता अथवा अभिभावक अथवा परिवार के बधू पक्ष के अन्य निकट सम्बन्धियों द्वारा न देख लिया जाए।

भारतीय दण्ड संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 197- में आपराधिक कानून (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1983 (1983 का अधिनियम सं. 46) द्वारा संशोधन किया गया है ताकि न केवल दहेज के कारण मौतों के मामलों में बल्कि महिलाओं के प्रति क्रूरता के मामलों में भी प्रभावकारी ढग से कारवाई की जा सके।

राज्य सरकार	1981	1982	1983
1	2	3	4
1. असम	1	शून्य	शून्य
2. आन्ध्र प्रदेश	2	4	2 (जुलाई व अक्तूबर 1983)
3. बिहार	9	12	15
4. गुजरात	2	1	2
5. हरियाणा	28	42	71
6. हिमाचल प्रदेश	1	2	2
7. जम्मू कश्मीर	1	शून्य	1 (30-9-83 तक)
8. केरल	शून्य	शून्य	शून्य (30-9-83 तक)
9. कर्नाटक	7	8	31
10. मध्य प्रदेश	8	10	32 (30-9-83 तक)
11. महाराष्ट्र	19	25	21 (30-9-83 तक)
12. मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य

1	2	3	4
13. मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य
14. नागालैंड	शून्य	शून्य	शून्य
15. उड़ीसा	4	4	3
16. पंजाब	35	40	40
17. राजस्थान	6	24	24
18. सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य
19. तमिलनाडु	1	4	5
20. त्रिपुरा	शून्य	शून्य	शून्य
21. उत्तर प्रदेश	40	151	54 1-5-83 तक
22. पश्चिम बंगाल	1	7	9 (1-7-83 से 31-12-83 तक)
सं० रा० क्षेत्र			
23. अंडमान, निकोबार द्वीप समूह	शून्य	शून्य	शून्य
24. अरूणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य
25. चंडीगढ़	शून्य	2	2
26. दादरा व नगर हवेली	शून्य	शून्य	शून्य
27. दिल्ली	31	40	42
28. गोवा दमन व द्वीप	शून्य	शून्य	शून्य
29. लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य
30. मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य
31. पांडेचेरी	शून्य	शून्य	शून्य

हिन्दी अधिकारियों वरिष्ठ हिन्दी अधिकारियों को केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा में सम्मिलित करने में विलम्ब

3007. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के प्रारम्भिक गठन सम्बन्धी नियमों को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया है;

(ख) क्या 19 सितम्बर, 1981 के बाद तदर्थ आधार पर नियुक्त हुए कुछ हिन्दी अधिकारियों वरिष्ठ हिन्दी अधिकारियों आदि को, उक्त सेवा में सम्मलित करने में विलम्ब होने से, अनुचित लाभ मिलेगा; और

(ग) यदि हां, तो वरिष्ठता सूची तैयार करने और हिन्दी अधिकारियों/वरिष्ठ हिन्दी अधिकारियों आदि को उक्त सेवा में सम्मिलित करने में हो रही देरी के क्या कारण है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के समूह "क" तथा समूह "ख" में सम्मिलित राजपत्रित हिन्दी पदों के लिए नियम भारत के राजपत्र में 24-9-83 को प्रकाशित किए गए थे। इन नियमों में किए गए प्रावधान के अनुसार सेवा के गठन के सम्बन्ध में कार्रवाई की जा रही है। इस उद्देश्य से विभागीय अभ्यर्थियों के सेवा विवरण आदि प्राप्त कर संघ लोक सेवा आयोग को आगे की कार्यवाई के लिए भेजे गए हैं। सेवा का गठन पूरा करने के सम्बन्ध में यथा सम्भव प्रयास किया जा रहा है। 19.9.81 के बाद तदर्थ आधार पर की गई नियुक्तियों के स्थान पर सेवा के गठन के पश्चात नियमित नियुक्तियां की जाएगी।

आदिवासी उप योजना क्षेत्रों का औद्योगीकरण

3008. **श्रीमती सुमति उरांव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने औद्योगीकरण की प्रक्रिया पर सम्बद्ध प्रभाव को रोकने और उसमें आदिवासियों को शामिल करने के उद्देश्य से, मध्य भारतीय क्षेत्र में विशेषकर औद्योगिक काम्पलक्सों में और उनके आस-पास के क्षेत्र में, भावी विकास योजना बनाने के लिए प्रशासकों, शिक्षाविदों तथा औद्योगिक विकास और शिक्षा मंत्रालयों के प्रतिनिधियों की एक समिति नियुक्त की थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति ने क्या-क्या सिफारिशें की थी तथा सरकार ने इन सिफारिशों को किस सीमा तक लागू किया और उसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ उपयुक्त उपाय करने का है कि आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों के सतत औद्योगीकरण की प्रक्रिया से आदिवासियों के हितों की रक्षा होगी और उन्हें बढ़ावा मिले; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) समिति ने अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

(ग) और (घ) सरकार का प्रयत्न है कि जनजाति क्षेत्रों के औद्योगिकीकरण के प्रतिकूल प्रभाव के कारण जनजातियों को कम से कम कठिनाइयां हों। मामले की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। इन मामलों पर गृह मंत्री द्वारा मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्रियों मंत्रियों के साथ फरवरी, 1983 में विचार विमर्श किया गया था।

अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को सेवा सम्बन्धी मामलों में कठिनाइयां

3009. **श्रीमती सुमति उरांव** : क्या गृह मंत्री अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को सेवा सम्बन्धी मामलों में कठिनाइयों के बारे में 27 अप्रैल, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8900 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत एक वर्ष के दौरान अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को सेवा सम्बन्धी मामलों में अनुचित कठिनाइयों के कोई उदाहरण उनके मंत्रालय के ध्यान में लाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रकार के मामलों पर मंत्रालय ने कितना ध्यान दिया और उसके समक्ष सम्बन्धित आई. ए. एस. अधिकारियों को कितनी राहत पहुंचाई;

(घ) क्या सरकार को उनके किसी ऐसे मामले का पता है जिसमें उचित ध्यान नहीं दिया गया था और जो कई महीनों से अनुचित रूप से लम्बित पड़े थे/पड़े हैं और इस प्रकार सम्बन्धित आई. ए. एस. अधिकारियों की कठिनाइयों को अनुचित रूप से बढ़ाया जा रहा था; और

(ङ) यदि हां, तो सम्बन्धित आई. ए. एस. अधिकारियों की अनुचित कठिनाइयों सम्बन्धी शिकायतों के शीघ्र समाधान के अलावा सरकार का विचार इस सम्बन्ध में दोषी पाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बया) : (क) जी हां।

(ख) ये मामले वेतन के निर्धारण, वरिष्ठता के विनियमन, सामूहिक बीमा योजना में प्रवेश, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति तथा छुट्टी की मंजूरी आदि जैसे सेवा मामले से सम्बन्धित हैं।

(ग) सरकार ऐसे मामलों पर गुण-दोषों के आधार पर विचार करती है जिनके साथ इतनी अधिक परेशानियां जुड़ी हों जिनकी नियमों/विनियमों को बताते समय कल्पना नहीं की जा सकती थी; और ऐसे मामलों में तदनुसार राहत दी जाती है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

अप्रयुक्त आशय-पत्र

3010. **श्री अजित कुमार साहा** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कार्यक्रम औद्योगिक लाइसेंसधारकों के बिरूद्ध कठोर कार्रवाई करने का है;

(ख) वर्ष 1974-79 की अवधि के दौरान कितने आशय-पत्र जारी किये गए;

(ग) इन में से कितने आशय-पत्र धारक सक्रिय सूची में बने रह सकें;

(घ) क्या यह सच है कि 1974-79 के दौरान जारी किये गए चार हजार आशय पत्रों में से करीब आधे आशय पत्रों को वास्तविक औद्योगिक लाइसेंसों में बदलवाया गया; और

(ङ) इस असंतोषजनक स्थिति पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) से (ङ) उन परियोजनाओं को शीघ्रता से कार्यान्वित करने का सुनिश्चय करने जिनके लिए आशयपत्र/औद्योगिक लाइसेंस स्वीकृति किए गए हैं, तथा ऐसे आशयपत्रों औद्योगिक लाइसेंस धारियों द्वारा पहले प्राप्त क्षमता की जांच करने की दृष्टि से उद्योग मंत्रालय ने संबधित सभी प्रशासनिक मंत्रालयों को प्रत्येक मामले की प्रगति की संवीक्षा करने तथा ऐसे सभी आशयपत्रों/औद्योगिक लाइसेंसों को समाप्त कर देने के लिए कहा है, जिन्हें स्वीकृत वैधता अवधि में कार्यान्वित नहीं किया गया है। राज्य सरकारों से उनके राज्यों में उद्योग स्थापित करने के लिए स्वीकृत किए जा रहे आशयपत्रों औद्योगिक लाइसेंसों के कार्यान्वयन की प्रगति की प्रभावी ढंग से मानीटरिंग करने के लिए अनुरोध किया गया है।

वर्ष 1974 से 1979 के दौरान कुल 4 213 आशयपत्र स्वीकृत किए गए थे। इनमें 1,978 आशयपत्रों को पहले ही औद्योगिक लाइसेंसों में बदला जा चुका है; जबकि अन्य 1,684 आशयपत्रों को व्यपगत/रद्द कर दिया गया है। शुष 551 आशयपत्रों को संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों में सक्रिय रूप से समीक्षा की जा रही है।

राष्ट्रीय एकता परिषद की नई दिल्ली में बैठक

3011. **श्री कमल नाथ :**
श्री मूल चन्द डागा :
श्री एन. ई. होरो : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय एकता परिषद् की जनवरी, 1984 में नई दिल्ली में एक बैठक हुई हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो इस में निकले निष्कर्ष की मुख्य बातें क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. वेंकट सुब्बय्या) : (क) जी हां श्रीमान्।

(ख) बैठक में क्षेत्रकार और भाषाई हठधार्मिता का विरोध करने पर सहमति हुई। इसने राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने में राजनैतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता दी। परिषद ने साम्प्रदायिक लेखों को रोकने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया। प्रेस पर ऐसी घटनाओं के समाचार न छापने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया जिनका राष्ट्रीय एकता पर प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है। यह महसूस किया गया कि राज्य सरकारों को साम्प्रदायिक सौहार्द के प्रति मुख्य उत्तेजकों का पता लगाना चहिए और ऐसे उत्तेजकों को समाप्त करने के तरीकों का पता लगाना चाहिए। अल्प संख्यकों के कल्याण के लिए कार्यक्रम तैयार करने और उनका प्रबोधन करने के लिए राज्यों में प्रबोधन कब स्थापित करने के प्रस्ताव को भी परिषद का समर्थन प्राप्त हुआ।

परिषद में युवकों में विशेषकर शिक्षा के माध्यम से धर्मनिरपेक्ष दृष्टि कोण तैयार करने की आवश्यकता पर सहमति प्रकट की गई।

परिषद ने निंदा की और आग्रह किया कि कमजोर वर्गों की समस्याओं पर पूरी तरह ध्यान देने की आवश्यकता है।

साबुन फैक्टरियों का बन्द होना

3012 **श्री हरीश रावत** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चर्बी के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने के कारण देश में ऐसे अनेक साबुन उद्योग बंद होने की स्थिति में हैं जहां साबुन बनाने में चर्बी का प्रयोग किया जाता है और साबुन के के मूल्यों में भी वृद्धि होने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इन उद्योगों को बंद होने से तथा साबुन के मूल्यों में संभावित वृद्धि को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का है;

उद्योग मत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि रामराव) : (क) और (ख) साबुन बनानेके लिए कच्ची सामग्री न मिलने के कारण किसी भी साबुन एकक के होने की स्थिति तक पहुंच जाने के सरकार को कई सूचना नहीं है, फिर भी, साबुन बनाने में काम आने वाले तेलों के पर्याप्त मात्रा में मिलते रहने का सुनिश्चित करने के लिये किये जा रहे अल्पकालिक उपायों में खजूर × खजूर वसि चर्बी वाले अम्ल, सत की देश में उपलब्धता बढ़ाने के लिये इनका आयात करना शामिल है।

उद्योगों की स्थापना में प्रोत्साहन देने से इंकार करना

3013, **श्री हरीश रावत** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उद्योग विहीन क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए मंत्रालय द्वारा उद्यमियों को दिये जा रहे प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या उन्हें इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं; कि आई. डी. बी. आई. के स्पष्ट अनुदेशों के बावजूद राज्य सरकारों की वित्तीय सस्थायें उद्यमियों को उनके लिए घोषित प्रोत्साहनों के अनुरूप सहायता नही दे रही है; और

(ग) यदि हां, तो इसके फलस्वरूप कठिनाइयों को दूर करने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) "उद्योग रहित जिलों" को वर्ग "क" में सम्मिलित कर लिया गया है और इन जिलों में उद्योगों की स्थापना करने वाले उद्यमी लाइसेंसों की मंजूरी में सर्वोपरि प्राथमिकता, अधिकतम 25 लाख रुपये की राशि तक 25 प्रतिशत की दर से केन्द्रीय निवेश राज सहायता, अखिल भारतीय सांवधिरू ऋणदायी वित्तीय संस्थानों से रियायती वित्त, करों में छूट, तकनीकी सेवाओं के लिए सुविधाएँ, लघु उद्योग के लिए किराया—खरीद के आधार पर मशीनें, कच्चे माल के आयात हेतु विशेष सुविधाएं, ब्याज राज-सहायता, मूल/सीमान्त धनराशि सहायता, जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से अनेक प्रकार की विस्नार सेवाए और सहायता के पात्र हैं।

एम. आर. टी. पी./फेस कम्पनियों का 30 प्रतिशत की निर्यात दायित्व की शर्त पर ऐसे उद्योगों की स्थापना हेतु अनुमति दे दी गई है जो परिशिष्ट–1 से भिन्न हैं और लघु क्षेत्र के लिए अपरक्षित नहीं हैं।

उद्योग रहित जिलों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिये राज्य सरकार को कुल लागत की एक-तिहाई राशि केन्द्रीय सहायता के रूप में दी जाएगी जिसकी अधिकतम सीमा 2 करोड़ रुपये प्रति जिला रखी गई है :

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

लघु क्षेत्र उद्योगों के रुग्ण एकक

3014. **श्री हरीश रावत : क्या उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981, 1982 तथा 1983 के दौरान लघु क्षेत्र उद्योग में रुग्ण एककों की संख्या कितनी थी;

(ख) लघु क्षेत्र उद्योगों में रुग्ण एककों की प्रतिशतता में अत्यधिक वृद्धि को रोकने के लिए मंत्रालय का क्या प्रस्ताव है;

(ग) इस क्षेत्र में रुग्णता के प्रमुख कारण क्या हैं; और

(घ) रुग्ण एककों की दशा में सुधार के लिए एम.आई.डी.सी. द्वारा क्या भूमिका निभाई जा रही है;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) (क) रुग्ण लघु औद्योगिक एककों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इकट्ठे किए गए आंकड़ों के अनुसार जून, 1981 के अंत में 22, 360 और जून, 1982 के अन्त में 26,973 लघु, रुग्ण औद्योगिक एकक थे। वर्ष 1983 के लिए लघु रुग्ण औद्योगिक एककों की संख्या से संबंधित आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा एक सीमांत धन राशि योजना चलाई जा रही है। जिसके अन्तर्गत लघु क्षेत्र में रुग्ण एककों की पुन: स्थापना के उद्देश्य से राज्य सरकारों को समान आधार पर अग्रिम ऋण दिए जाते हैं। लघु क्षेत्र में रुग्ण एककों की समस्याओं का पता लगाने और रुग्ण एककों की पुन: स्थापना के लिए सुधारात्मक उपाय सुझाने के लिए औद्योगिक रुग्णता से संबन्धित एक स्थाई समिति का भी गठन किया गया है। इसके अलावा, वित्तीय संस्थाओं और राज्य सरकारों ने लघु क्षेत्र में रुग्ण एककों को पुनर्जीवित करने और पुन: स्थापित करने के लिए कई कदम उठाए हैं।

(ग) औद्योगिक रुग्णता के संयुक्त रूप से आन्तरिक और बाह्य अनेक कारण हैं। औद्योगिक रुग्णता के कुछ प्रमुख कारण प्रबन्ध में कमी, वित्तीय नियन्त्रण में अकुशलता, संसाधनों की विविधता, ग्रामीण विकास पर अपर्याप्त ध्यान देना प्रौद्योगिकी और मशीनरी का

पुराना होना, खराब औद्योगिक संबंध, मांग की अपर्याप्तता, कच्चे माल की कमी, वित्त और अन्य विविधिटयां तथा अवस्थापना संबंधी । दिक्कतें आदि हैं ।

(घ) राज्य औद्योगिक विकास निगम लघु औद्योगिक एककों को अवस्थापना की व्यवस्था, आवश्यक निविष्टियों जिसमें बिजली और ईंधन तकनीकी सहायता और विपणन सहायता सम्मिलित है, प्रदान करने में सहायता करते हैं ।

सहकारी कर्मचारियों के लिए न्यायाधिकरणों की स्थापना

3015. **श्री हरीश रावत** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी कर्मचारियों के मामलों में कितने न्यायाधिकरण स्थापित करने का प्रस्ताव है तथा वे कब तक स्थापित किये जायेंगे;

(ख) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित सरकारी कर्मचारियों के कितने मामले विभिन्न न्यायालयों और/अथवा उच्च न्यायालयों में विचाराधीन हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) केन्द्रीय सेवाओं और अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों के सेवा सम्बन्धी मामलों पर कार्यवाही करने के लिए सरकार एक प्रशानिक न्यायाधिकरण स्थापित करने के बारे में संसद में शीघ्र ही एक विधेयक प्रस्तुत करने का विचार रखती है । प्रस्तावित न्यायाधिकरण की मुख्य न्यायपीठ दिल्ली में होगी और देश के विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकता के अनुसार अपेक्षित सख्या में अतिरिक्त न्यायपीठ स्थापित की जायेगी ।

(ख) सरकारी कर्मचारियों के ऐसे मामले, जो विभिन्न न्यायालयों और/अथवा उच्च न्यायलयों में लम्बित पड़े हैं उनके बारे में मंत्रालय-वार सूचना कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग में उपलब्ध नहीं है ।

प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए एक उद्योग

3016. **श्री ए.के. बालन** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक राज्य में एक उद्योग केवल अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लाभ के लिए स्थापित करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित करने की संभावना है; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष में इसके लिए कितनी धनराशि का प्रस्ताव है;

उद्योग मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) :(क) उद्यमियों को सारे देश में लघु तथा कुटीर उद्योगों की स्थापना करने लिए प्रेरित करने हेतु अनेक उपाय किए गये हैं । अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के उद्यमियों को लघु उद्योगों की स्थापना के लिए विशेष प्रोत्साहन और सुविधाएं दी गई हैं । केन्द्रीय औद्योगिक परियोजनाओं के स्थापना-स्थल का निर्णय व्यापक तकनीकी-आर्थिक आधार पर किया जाता है । प्रत्येक राज्य में केवल

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिए उद्योग प्रारम्भ करने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

आत्मदाह करके सती होने वाली महिलाए

3017. **श्री राम विलास पासवान : क्या गृह मत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पिछले पांच वर्षों के दौरान आत्मदाह करके सती होनें वाली महिलाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार उन क्षेत्रों पर सामूहिक जुर्माना करने का है जहां ऐसी घटनाएं होती हैं तथा स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को दण्डित करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) आत्मदाह करके सती होने वाली महिलाओं के बारे में अखिल भारतीय आधार पर कोई आँकड़े संकलित नहीं किए जाते क्यों कि अपराध सहित कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है। अपराधों से संबंधित कानून लागू करने का राज्य सरकारे और संघ शासित क्षेत्र प्रशासन उत्तरदायी हैं।

गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योग के लिए लाइसेंस धारी व्यक्ति

3018. **श्री राम विलास पासवान : क्या उद्योग मत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

देश में इस समय गैर-सरकारी क्षेत्र में उद्योगों को स्थापित करने के लिए लाइसेंस धारी व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है तथा उनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्याक्तयों की संख्या कितनी है;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबंधों के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों अर्थात 1981 से 1983 के दौरान गैर-सरकारी क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना करने के लिए मंजूर किए गये औद्योगिक लाइसेंसों की कुल संख्या 1,761 थी। चूंकि लाइसेंस स्वीकृत करते समय आवेदन कर्त्ता उद्यमी की जाती/समुदाय/जनजाति को ध्यान में नहीं रखा जाता, इसलिए, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों को जारी किए गए लाइसेंसों से संबंधित आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति का ग्रामीण क्षेत्रों को लाभ

3019. **श्री राम विलास पासवान :**
श्री सतीश अग्रवाल :
श्री एन०के० शेजवलकर : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता लगा है कि विज्ञान और प्रौद्योगिक में हुई प्रगति लाभ ग्रामीण क्षेत्रों को नहीं पहुंच रहा है विशेषकर देश के उन पिछड़े क्षेत्रों को जहां अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लोग रहते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार देश में आम आदमी को विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति का लाभ पहुंचाने के लिए कोई योजना बनाने का है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) सरकार ग्रामीण और पिचड़े क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों सहित लोगों के लाभ के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के हर तरह के रूपों के उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए लगातार कदम उठा रही है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में की गई उन्नतियों के आधार पर कृषि, सिंचाई, निवारक चिकित्सा स्वास्थ्य, परिवहन और संचार, दस्तकारी, खाद्य संसाधन और लघु उद्योग सहित उद्योगों में बहुत अधिक लाभ प्राप्त किए गए हैं। पिछडे इलाकों में नई संस्थाओं की स्थापना के लिए विशेष प्रयास किए जाते हैं। बहुत सी प्रयोगशालायें ग्रामीण क्षेत्रों की रूचि की समस्याओं की ओर विशेष ध्यान दे रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की विशेष रूचि की प्रौद्योगिकियों के विकास और प्रसार के लिए विशेष ध्यान देने के लिए ग्रामीण प्रौद्योगिकी की उन्नति के लिए एक परिषद (सी.ए.आर.टी.) की स्थापना की गई है। कुछ मुख्य परिचालनात्मक स्कीमों को 20 सूत्री कार्यक्रम के अधीन प्राथमिकता दी गई है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम जैसे कार्यक्रम जनता के कमजोर वर्गों तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लाभों को पहुंचाने के साधन हैं। उन व्यवसायों के लिए प्रौद्योगिकी के विकास और कर्यान्वयन के लिए योजनायें शुरू की गई हैं जिनमें भूमिहीन मजदूरों कारीगरों अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लोग लगे हुए हैं। महिलाओं के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना का उद्देश्य महिलाओं तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उद्देश्यों को पहुंचता है।

(ख) भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता

(ग) जैसाकि भाग (क) के उत्तर में उल्लेख किया गया है, इस उद्देश्य के लिए योजनाओं को पहले से ही कर्यान्वित किया जा रहा है। इस बारे में प्रयासों को तेज किए जाने का प्रस्ताव है और सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए नये उपकक्रम किए जाने का प्रस्ताव है।

सिमलीपाल बाघ विहार

3020. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सिमलीपाल बाघ विहार के दूसरे भाग को राष्ट्रीय उद्यान-घोषित करने के लिए उड़ीसा सरकार को अधिसूचना जारी करने हेतु कोई पहल की है;

(ख) यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में उड़ीसा सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

पर्यावरण विभाग में उप-मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) तथा (ख) जी, हां। केन्द्र सरकार दक्षिण सिमलीपाल वनों के लगभग 200 वर्ग. किलोमीटर वाले द्वितिय क्रोड़ क्षेत्र को अधिसूचित करने के लिए, राज्य सरकार को सलाह देती रही है।

(ग) उड़ीसा सरकार ने सूचित किया है कि द्वितिय क्रोड़ क्षेत्र की घोषणा के लिए कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। तथापि, अभी तक कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। राज्य सरकार के साथ एक बार फिर, मामला उठाया गया है।

माइक्रो इलैक्ट्रानिक्स और कम्प्यूटर अध्ययन के लिए एक संस्थान की स्थापना

3021. **श्री ए. नीलालोहितदसन नाडार :**

श्री ए. के. बालन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सातवीं परियोजना में "इन्स्टीट्यूट फार माइक्रो-इलैट्रानिक्स एण्ड कम्प्यूटर स्टडीज" स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या केरल सरकार ने केन्द्र सरकार की सहायता से केरल में ऐसा संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है; और

(घ) यदि हां तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

इलैट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप-मन्त्री (डा.एम. एस. संजीवी राव) (क) तथा (ख) जी, नहीं।

(ग) इस प्रकार के संस्थान की स्थापना के लिए केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कोई सहायता नहीं माँगी है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

खादी के उत्पादन में असफलता

3022. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी आयोग खादी के उत्पादन और बिक्री कार्यक्रम में पूर्णत: असफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं; और

(ग) कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या ठोस कदम उठाने का विचार है;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी, नहीं। पिछले कुछ वर्षों में सूती, ऊनी और रेशमी खादी के समग्र उत्पादन और बिक्री में वृद्धि हुई है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है।

	परिमाण (लाख वर्ग मी. में)	मूल्य (करोड़ रु. में)	मूल्य (करोड़ रु. में)
1978-79	715.1	76.54	78.26
1979-80	822.7	92.03	87.15
1980-81	900.1	106.85	110.31
1981-82	964.2	223.40	120.96
1982-83	1079.1	143.40	129.21

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग का व्यय और उत्पादन

3023. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन : उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय खादी आयोग ने देश के विभिन्न राज्यों में खादी के उत्पादन में वृद्धि के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी पूंजी निवेश की और उसके परिणामस्वरूप प्रत्येक राज्य द्वारा किये गए उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस आयोग द्वारा कितना लाभ अर्जित किया गया;

(ग) क्या यह भी सच है कि खादी आयोग खादी आयोग खादी के उत्पादन के मामले में असफलता की ओर उन्मुख हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव): (क) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा विभिन्न राज्यों को खादी कार्यक्रम के लिए दी गई धनराशि और गत तीन वर्षों अर्थात् 1980-81, 1981-82 और 1982-83 में हुए उत्पादन को दर्शानेवाला विवरण संलग्न है।

(ख) खादी संबन्धी कार्यकलाप "न लाभ न हानि" के आधार पर चलाए जाते हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र	1980-81 दी गई राशि	1980-81 उत्पादन	1981-82 दी गई राशि	1981-82 उत्पादन	1982-83 दी गई राशि	1982-83 उत्पादन
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**राज्य**						
1.	आन्ध्र प्रदेश	127.96	700.22	147.52	585.34	140.89	636.68
2.	असम	22.54	49.88	17.64	62.56	26.71	68.29
3.	बिहार	311.74	673.62	393 81	981.13	346.39	1159.46
4.	गुजरात	280.45	841.54	388.34	986.41	310.32	1107.82
5.	हरियाणा	22.10	160.98	12.28	238.60	10.18	261.69
6.	हिमाचल प्रदेश	10.69	67.79	11.53	66 34	5.90	70.54
7.	जम्मू व कश्मीर	15.27	122.83	16.11	134.77	12.22	165.53
8.	कर्नाटक	168.16	618.96	262.53	794.08	224.68	810.55
9.	केरल	213.15	228.67	235.86	313.98	403.66	365.77
10.	मध्य प्रदेश	120.63	168.77	198.36	201.15	144.81	282.40
11.	महाराष्ट्र	161.87	247.81	143.36	341.84	161.48	364.99

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	मणिपुर	6.01	1.70	3.87	5.53	6.43	8.57
13.	मेघालय	—	—	—	—	1.31	0.11
14.	नागालैंड	1.34	1.94	0.66	2.57	1.20	0.95
15.	उड़ीसा	16.84	39 44	34.49	51.02	51.14	60.46
16.	पंजाब	203.62	486.07	227.96	596.58	241.44	675.58
17.	राजस्थान	396.57	1138.31	350.29	1315.93	344.32	1462.27
18.	सिक्किम	0.07	1.80	—	3.06	0.63	3.46
19.	तमिलनाडु	552.45	1708.39	549.88	2161.72	554.97	2445.50
20.	त्रिपुरा	5.10	15.16	0.16	2.58	2.33	2.48
21.	उत्तर प्रदेश	874.07	2565.09	1083.20	2757.01	1080.97	3373.07
22.	पश्चिम बंगाल	197.77	638.98	189.60	720.24	269.68	953.48
	योग 1	3708.60	10577.95	4267.95	12322.44	4341.56	14284.62
2.	संघशासित क्षेत्र						
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	—	—	—	—	—	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	0.19	—

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	चण्डीगढ़	1.35	0.53	1.94	—	3.55	—
4.	दादरा और नगर हवेली	0.32	0.76	—	—	—	—
5.	दिल्ली	25.62	5.72	72.17	17.44	85.25	49.57
6.	गोवा, दमन और द्विव	—	—	—	—	—	—
7.	मिजोरम	—	—	—	—	—	—
8.	पार्ण्डिचेरी	—	—	3.42	—	14.43	5.75
	योग 2	27.29	7.01	77.73	17.44	103.42	55.32
3.	**विविध**						
	खाता समायोजन सम्बन्धी व्यय की अवांटनीय मदें ।	48.40	—	65 00	—	53.72	—
	योग 3	48.40	—	65.00	—	53.72	—
	योग 1+2+3	3784.29	10684.95	4410.68	12339.88	4498.70	14339.94

बस्तर, मध्य प्रदेश में स्थित सोने की खान

3024. **श्री सुभाष चन्द्र यादव :** क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिनांक 11 फरवरी, 1984 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर ध्यान दिया है कि मध्य प्रदेश में बस्तर जिले के एक गांव में सोने की एक खान स्थित है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसमें से कितना सोना निकलने की संभावना है; और

(घ) इस संबध में प्रोसेस कार्य कब तक शुरू कर दिया जाएगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन. के. पी. साल्वे) : (क) और (ख) सरकार ने इस बारे में छपी खबर देखी है कि मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में सोना खान गांव में एक स्वर्ण खान होने की संभावना है।

(ग) और (घ) मध्य प्रदेश सरकार का भूतत्व और खनन निदेशालय संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की भागीदारी में मध्य प्रदेश के कई भागों में स्वर्ण की खोज में लगा है। इन खोजों के फलस्वरूप सोना खान क्षेत्र में स्वर्णयुक्ता क्वार्टज धारियों के तीन प्रखण्डों का पता चला है। इन प्रखण्डों के वाणिज्यिक विदोपन की उपादेयता का पता लगाने हेतु आगे और गवेषण की जरूरत है।

पश्चिम बंगाल के वित्तीय संसाधन

3025. **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि पश्चिम बंगाल की राज्य विधान सभा ने अपने वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने के दृष्टिकोण से शिक्षा संस्थाओं तथा महानगर पालिकाओं की भविष्य निधियों का अधिग्रहण करने के लिए सितम्बर, 1983 में एक विधेयक पास किया था लेकिन उसको राष्ट्रपति की तुरन्त स्वीकृति प्रदान नहीं की गई और इसके परिणामस्वरूप राज्य को संसाधन जुटाने में बाधा ही रही है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) इस विधेयक का राष्ट्रपति की स्वीकृति 1 फरवरी, 1984 को प्रदान की गई थी और पश्चिम बंगाल सरकार को तदनुसार सूचित कर दिया गया था।

लिपिक संबंधी नौकरियों को डिग्रियों से अलग करने के बारे में 71वें विज्ञान कांग्रेस का सुझाव

3026. **श्री हरिहर सोरन :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 71वें विज्ञान कांग्रेस ने लिपिक संबंधी नौकरियों को डिग्रियों से अलग करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो 71वें विज्ञान कांग्रेस ने उपर्युक्त सुझाव के पक्ष में क्या तर्क दिये हैं; और

(ग) उपर्युक्त सुझाव के कार्यान्वयन के संबध में जांच करने के लिये सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट्सुब्बय्या) : (क) से (ग) यह पता चला है कि 71वीं विज्ञान कांग्रेस की विभिन्न सिफारिशों की जांच, जिनमें डिग्रियों से लिपिकीय नौकरियों को पृथक् करने का प्रश्न भी शामिल है, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा गठित अन्त.मंत्रालयी कार्य दल द्वारा की जा रही है। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग ने यह भी निर्दिष्ट किया है कि इस कार्य दल की बैठक किसी समय मार्च/अप्रैल, 1984 में होने की संभावना है तथा इसके पश्चात् ही कार्य दल की सिफारिशों को आवश्यक कार्रवाई के लिए समुचित अभिकरणों/विभागों को भेजा जाएगा।

लन्दन में इंटरपोल द्वारा पंजाब के आतंकवादियों का गिरफ्तार किया जाना

3027. **श्री अर्जुन सेठी :**

श्री जी. बाई. कृष्णन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब के कुख्यात आतंकवादी गिरोह के सरगना तरसेम सिंह, जिसकी गिरफ्तारी के लिए इनाम की घोषणा की जा चुकी है, को लंदन में इंटरपोल द्वारा गिरफ्तार किया गया है; जैसा कि 11 फरवरी, 1984 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में छपा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या भारत सरकार ने उस पर मुकदमा चलाने के लिए उसे वापिस भारत लाने के लिए कोई कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वेंकट्सुब्बय्या) : (क) से (ग) तरसेम सिंह नामक एक व्यक्ति को लंदन में इंटरपोल द्वारा पकड़ा गया था लेकिन यह मालूम होता है कि वह अपेक्षित व्यक्ति नहीं है।

सभी तीव्रगामी यात्री रेल गाड़ियों में सुरक्षा गार्ड

3028 **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या गृह मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुरक्षित तथा आरामदायक रेल यात्रा सुनिश्चित करने के लिए देश में सभी मेल/एक्सप्रेस यात्री रेल गाड़ियों में सुरक्षा गार्ड तैनात करने के प्रबंध पूरे कर लिये गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो प्रथम और द्वितीय श्रेणी के प्रत्येक डिब्बे में कितने सुरक्षा गार्ड तैनात किए जाते हैं और उनके काम के घंटे क्या हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) संविधान के अन्तर्गत पुलिस राज्य का विषय है। उपलब्ध सूचना के अनुसार बिहार और आन्ध्र प्रदेश ने सभी यात्री रेल गाड़ियों में मार्गरक्षा का प्रबन्ध कर लिया है। असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चुनिन्दा आधार पर मार्ग-रक्षकों की व्यवस्था की गई है। दिल्ली में पड़ोसी राज्यों से सशस्त्र गार्ड दिल्ली से रेल गाड़ियों में चढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश और गुजरात में सभी रात्रि रेल गाड़ियों में जी. आर. पी. के सशस्त्र कार्मिकों द्वारा गार्ड ड्यूटी दी जाती है। केरल में वर्तमान कर्मचारियों के साथ केवल गस्त उपलब्ध कराई जाती है।

प्रत्येक प्रथम और द्वितीय श्रेणी के कम्पार्टमेंटों में अलग से कोई सशस्त्र गार्ड उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं अपितु वे पूरी गाड़ी के लिए होते हैं। सुरक्षा गार्डों का ड्यूटी समय अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है।

भारत बगला देश सीमा पर काँटेदार तार लगाना

3029. **श्री के. प्रधानी :**
श्री विष्णु प्रसाद :
श्री अर्जुन सेठी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत बंगला देश सीमा पर कांटेदार तार लगाने का कार्य प्रारम्भ हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें कितनी पूंजी परिव्यय है;

(ग) कितने क्षेत्र में कांटेदार तार लगाए जाएँगे; और

(घ) इस परियोजना को पूरा करने में कितना समय लगेगा; और

(ङ) यह काम किस एजेंसी को सौंपा गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) असम में धुब्री और पश्चिम बंगाल में पश्चिम दीनाजपुर के प्रत्येक जिले में 100-100 कि. मी. सड़क पर सर्वेक्षण कार्य आरंभ किया जा रहा है, जहां बाड़ लगाने का प्रारंभिक कार्य शुरू करना है।

(ख) लगभग 201 करोड़ रुपये।

(ग) बाड़ समस्त भारत-बंगला-देश सीमा पर लगाई जानी है।

(घ) लगभग 4 से 5 वर्ष।

(ङ) केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग को कार्य का समन्वय और निष्पादन करना है।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, पंजाब में कल श्री दरबारा सिंह पर गोली चली थी। **(व्यवधान)**

श्री मनीराम बागड़ी : कल मैंने सदन में सवाल उठाया था कि सरदार दरबारा सिंह पर

पजाब में उनकी हत्या की मंशा से हमला किया गया, हरयिाणा में रेल की पटरी को बम से उड़ाया गया ।

अध्यक्ष महोदय : यह मैंने देखा है ।

श्री मनीराम बागड़ी : मामूली बात नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : मामूली नहीं है, इसी लिए मैंने इसको लिया है ।

श्री मनीराम बागड़ी : यह आग हरयाणा में फैलती जा रही है, बच्चों की जिन्दगी को खतरा है, हरयाणा के डिप्टी स्पीकर वेदपाल पर हमला हुआ है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, पंजाब में जो कुछ हुआ है, आखिर सरदार दरबारा सिंह पुराने मुख्य मन्त्री थे, वह हिट लिस्ट में हैं । क्या इसका मतलब यह है कि उनकी रक्षा का पूरा इन्तजाम नहीं था ?

अध्यक्ष महोदय : पूरा था, इसीलिए तो बच गये । (**व्यवधान**)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : वह गोली से मर जाते ।

श्री मनीराम बागड़ी : ऐसे बात चलने वाली नहीं है । (**व्यवधान**)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : परिस्थिति बिगड़ती जा रही है ।

श्री हरिकेश बहादुर : (गोरखपुर) पंजाब की स्थिति चिन्ताजनक हो गई है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सरदार दरबारा सिंह पर गोली चलने का जो प्रकरण है, आप गृह-मन्त्री से कहें कि उस पर ध्यान दें और यहां आश्वासन दें कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नही होगी । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : सरदार दरबारा सिंह हमारे पुराने स्वतंत्रता सेनानी हैं, पार्लियामैंट के मेम्बर भी रहे हैं, चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, और अब भी एम. एल. ए. हैं । बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं हमारे पोलिटिकल समाज के भी और देश के भी। उन पर इस तरीके का हमला होना निन्दनीय है सारे हाउस की तरफ से मेरे ख्याल में सहा बात है । हम सब इसकी निंदा करते हें । मैंने होम मिनिस्टर से बात की है । परसों के लिए इस विषय पर आज कालिंग अटैंशन भी एडमिट कर लिया है और कुछ आप उसमें कहना चाहें तो आप कह सकते हैं ।

श्री मनीराम बागड़ी : आप उनसे कहें । मैं परसों के लिए ध्यानाकर्षण की स्वीकृति दे रहा हूँ ।

गृह मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : महोदय, मुझे सदन को यह बताते हुए दुःख हो रहा है कि पंजाब के भूतपूर्व मुख्यमन्त्री श्री दरबारा सिंह पर बहुत ही कायरता पूर्ण हमला किया गया है । सौभाग्य से वे बच गए क्योंकि उनका संरक्षक काफी सतर्क था और उसने भी गोलियां चलायीं । हमलावर अपराधी गिरफ्तार कर लिए गए हैं आक्रमणकारी सहित छः व्यक्ति घायल

हुए हैं। हम सबको इस कायरतापूर्ण हमले की निंदा करनी चाहिए। मेरे पास सब तथ्य मौजूद हैं। जैसा कि आपने जिक्र किया है, आप परसों के लिए ध्यानाकर्षण की स्वीकृति दे रहे हैं, तो मैं भी तभी विस्तृत वक्तव्य दूंगा और यदि माननीय सदस्य चर्चा करना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री सी. टी. दंडपाणि (पोल्लाची) : आज पांडिचेरी में बंद है जिसमें यह मांग की गई है कि आँग्ल फ्रेंच सूती कपड़ा मिलें जो कि पछले एक वर्ष से बंद पड़ी हैं को अधिहण किया जाए

अध्यक्ष महोदय : आप नियम 377 के अन्तर्गत सूचना दीजिए

श्री सी. टी. दंडपाणि : गृह मन्त्री यहाँ उपस्थित हैं। पांडिचेरी में राष्ट्रपति शासन है, उन्हें वक्तव्य देने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे नियम 377 के अन्तर्गत कोई नोटिस दीजिए। मैं इसे स्वीकृत करूंगा।

प्रो के. के तिवारी (बक्सर) : महोदय, बंगलौर में अभी भी दंगे जारी हैं। वहां कर्फ्यू लगा हुआ है। हम निरंतर वह मांग करते आ रहे हैं कि आप इस पर ध्यानाकर्षण अथवा चर्चा करने की अनुमति दीजिए (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यह मेरे विचाराधीन है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र। श्री पट्टाभिराम राव। (**व्यवधान**)

श्री आर. एन. राकेश : (चैल) : अध्यक्ष महोदय, डी. एस. 4 के लाखों लोग साइकिलों से देश के कौने-कौने से बोट क्लब पर इकट्ठा होने आ रहे हैं, दफा 144 लग गई है और वह आ नहीं पा रहें है। (**व्यवधान**)

सभा पटल पर रखे गए पत्र

नारियल जटा बोर्ड एरणाकुलम के 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा तथा वार्षिक लेखे टैनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, कानपुर के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन एवं उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अधिसूचनायें।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं—

(1) (एक) नारियल-जटा उद्योग अधिनियम, 1953 की धारा 17 की उपधारा (4) के अन्तर्गत, वर्ष 1982-83 के नारियल-जटा बोर्ड, एरणाकुलम, के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) नारियल-जटा बोर्ड, एरणाकुलम, के वर्ष 1982-83 के लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखी गयी देखिए संख्या एल. टी. 7900/84)

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) टैनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन आफ इन्डिया लिमिटेड, कानपुर के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) टैनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन आफ इन्डिया, कानपुर का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियन्त्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखी गयी देखिये संख्या एल. टी. 7901-184)

(3) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18कक की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) का० आ० 41 (अ) जो 30 जनवरी, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा मैसर्स स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड, कानपुर, के प्रबन्धग्रहण की अवधि को 5 वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है।

(दो) का० आ० 83 (अ), जो 10 फरवरी, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा मैसर्स इन्दौर टैक्सटाइल लिमिटेड, उज्जैन (मध्य प्रदेश) के प्रबन्धग्रहण की अवधि की पांच वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है।

(ग्रंथालय में रखी गयी देखिए संख्या एल. टी. 7902/84)

भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, ऊरगांव, भारत एल्युमीनियम कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली, हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड कलकत्ता और मेटेलर्जिकल एण्ड इन्जीनियरिंग कंसलटैंट्स (इंडिया) लिमिटेड राँची के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन एवं पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले तीन विवरण -

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य-मंत्री (श्री एन.के.पी. साल्वे) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अधीन निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति

(क) (एक) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, ऊरगांव का वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, ऊरगांव का वर्ष 1982-83 का वार्षिक "प्रतिवेदन" लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रन्थालय में रखी गयी देखिए संख्या एल. टी. 7903/84)

(ख) (एक) भारत एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां

(ग्रन्थालय में रखी गयी देखिए संख्या एल. टी· 7904/84)

(ग) (एक) हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स लिमिटेड. कलत्ता के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1082-83 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रन्थालय में रखी गयी देखिए संख्या एल. टी. 7905/84)

(घ) (एक) नेटेलर्जिकल एण्ड इन्जीनियरिंग कंसलटेंट्स (इण्डिया) लिमिटेड, रांची के वर्ष 1982-83 के कर्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मेटेलर्जिकल एण्ड इन्जीनियरिंग कंसलटेंट्स (इण्डिया) लिमिटेड, रांची का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(दो) उपर्युक्त भाग (ख) (ग) और (घ) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण बताने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(ग्रन्त्रालय में रखे गए। देखिये संख्या एल. टी· 7906/84)

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के अन्तर्गत अधिसूचनायें

गृह मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) :—मैं अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की

धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ :—

(1) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 1984 जो 25 फरवरी, 1984 के भारत के राजपत्र अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 198 में प्रकाशित हुए थे।

(2) भारतीय पुलिस सेवा (काडर सदस्य संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियम, 1984 जो 25 फरवरी, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 199 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल. टी॰ 7907/84)

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

70वां प्रतिवेदन

श्री जी. लक्ष्मणन (मद्रास उत्तर) मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का 70 वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति

आठवां प्रतिवेदन

श्री संतोष मोहन देव (सिलचर) : मैं सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति का आठवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह तो लॉ एण्ड आर्डर की बात है। इस पर यहां चर्चा नहीं की जा सकती। यह ठीक है। यह कानून और व्यवस्था की स्थिति है। इसकी अनुमति नहीं है।

श्री सूरज भान (अम्बाला) : मैंने एक प्रिविलैज मोशन दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं देख लूंगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में संसद्-सदस्य के साथ दुर्व्यवहार किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कर दिया है। मैं पहले ही मंत्रालय से वस्तुस्थिति ले पर एक नोट मांगा है।

श्री सूरज भान : मगर उसके बाद कुछ नहीं होता।

अध्यक्ष महोदय : हमारे यहां ऐसा नहीं होता।

श्री सूरज भान : अम्बाला में थाने में मां और बेटे को नंगा करके एक दूसरे पर लिटाया गया। जब मैं प्रोटेस्ट करने के लिए वहां गया, तो डी. एस. पी. ने मुझे धक्का दिया।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कर दिया है।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : मैंने कल आपसे मिल कर वांडिड लेवर के सम्बन्ध में नियम 377 के अधीन इजाजत देने के लिए कहा था।

अध्यक्ष महोदय : जब आप मुझे लिख कर देंगे तो मैं करूंगा। मैं इसे लूंगा।

श्री राम विलास पासवान : मैंने स्वयं एक को बेगर्ज होम से छुड़वाया है। मैंने लिख कर दिया है। सेक्रेटरी जेरनल ने मुझे बताया कि उसको आज रखा जाएगा। लेकिन आज पता चला है कि आपने फैक्ट्स के लिए भेजा है। मैं पार्लियामेंट का मेम्बर हूँ। पार्लियामेंट का मेम्बर जिस बात को कहता है, उसके लिए उसकी जवाबदेही है।

अध्यक्ष महोदय : आपकी बात सही है। लेकिन मैंने फैक्ट्स मांगे हैं। आपको इसमें एतराज नहीं होना चाहिए। सब फैक्ट्स मेरे पास आते हैं।

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है एक भी शब्द कार्यवाही वृत्तान्त में नहीं जायेगा।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यह मेरा काम नहीं है। इसकी अनुमति नहीं है। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। कानून के अनुसार मैं गृह मंत्री को निदेश नहीं दे सकता। श्री हरिकेश बहादुर मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

नियम 377 के अधीन मामले

दिल्ली में परिवहन व्यवस्था के लिए भावी योजना बनाने की आवश्यकता

श्री भीखाभाई (बांसवाड़ा) यह बार-बार स्वीकार किया गया है कि राजधानी की स्थानीय परिवहन व्यवस्था में समुचित सुधार किया जाना है। यह समझना बुद्धिमतापूर्ण नहीं होगा कि केवल सड़क परिवहन से ही हम इस समस्या को प्रभावकारी ढंग से हल कर सकते हैं। अतः यह सुझाव दिया गया कि इस क्षेत्र में सापेक्ष योजना बनाना आवश्यक है। इसी विचार से मैं परिवहन व्यवस्था को संतोषजनक बनाने के लिए निम्नलिखित अन्तरिम उपायों का सुझाव देना चाहूंगा।

(एक) यमुनापार क्षेत्र तथा नई दिल्ली में जहाँ भी सम्भव हो तुरन्त ट्राम सेवा आरम्भ की जानी चाहिए।

(दो) दिल्ली परिवहन निगम को वर्तमान लम्बे मार्गों के भीड़ भाड़ वाले सभी छोटे भागों पर तुरन्त शटल-सेवाएं आरम्भ करने की योजना बनानी चाहिए।

(तीन) प्रत्येक बस-स्टाप पर कम से कम एक तरफ शेड बनाये जाने चाहिये;

(चार) मार्ग ऐसे बनाये जाये जिससे परस्पर व्याप्ति कम से कम हो।

(पांच) कनाट प्लेस तथा अन्य भीड़ वाले क्षेत्रों को बस सेवाओं से अलग रखा जाना चाहिए।

(छः) समय-समय पर मार्गों का सर्वेक्षण किया जाना चाहिये ताकि योत्रियों की आवश्यकतानुसार बसें चलाई जा सकें।

मुझे विश्वास है कि स्थानीय परिवहन की बढ़ती हुई समस्याओं से जनता को राहत पहुंचाने के लिए समय-समय पर दिए गए इन सुझावों पर दुरन्त विचार किया जाएगा।

(व्यवधान)

डा० बसन्त कुमार पंडित (राजगढ़) : डी. डी. ए. और मिनिस्टर आफ वर्क्स एण्ड हाउसिंग के अगेंस्ट मेरा प्रिविलेज मोशन दिसम्बर से पेंडिंग है। उसका क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास उत्तर है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री नीललोहितदसन नाडार मैं यह नहीं कर सकता। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह मामला न्यायालय में उठाया जा सकता है।

(व्यवधान) **

अध्यक्ष महोदय : ये हस्तक्षेप नहीं कर सकता। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा। (व्यवधान) **

श्री हरिकेश बहादुर : हम इस पर बहिर्गमन कर रहे हैं।

(तत्पश्चात श्री हरिकेश बहादुर, श्री ए. नीललोहितादसन नाडार और श्री आर. एन. राकेश सदन से उठकर चले गये)

श्री राजेश कुमार सिंह : (फिरोजाबाद) मान्यवर, होली है 16 तारीख की और आपके यहां छुट्टी नहीं है। लोगों का त्यौहार है। मेरा निवेदन होली की छुट्टी के सम्बन्ध में है··· (व्यवधान)···होली पर 16 तारीख को लोग अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे और हमारे ब्रज में तो उसका बहुत महत्व है। आपके यहां इसके लिए कोई छुट्टी नहीं है।

एक माननीय सदस्य : 16 तारीख को छुट्टी होनी चाहिए।

श्री राम विलास पासवान : (हाजीपुर) उस दिन फिर कोरम पूरा नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं होली 17 की है। 17 की होली बताते हैं।

श्री राम विलास पासवान : कहीं 16 भी हैं, कहीं 17 भी है। यह पंडित लोग कन्फ्यूज कर गए हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर सोच लेंगे। (व्यवधान)

** कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(दो) बंगला देश से आए शरणार्थियों का पुनर्वास

श्री जायनल अबेदिन (जंगीपुर) : महोदय, पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) से विस्थापित कई परिवार 5 वर्ष से अधिक समय से नई दिल्ली में जैसलमेर भवन के निकट बड़ी दयनीय स्थिति में रह रहे हैं। उनमें वृद्ध पुरुष, महिलाएं एवं बच्चे भी हैं जो बड़े धैर्य से सरकार द्वारा पुनर्वास सुविधाए दिए जाने का इन्तजार कर रहे हैं। कई वर्षों से ये व्यक्ति भारत सरकार से बार-बार अनुरोध कर रहे हैं कि इस (दयनीय) स्थिति से उन्हें छुटकारा दिलाने के लिए उनको पुनर्वास किया जाए। किन्तु इसका कोई परिणाम नहीं हुआ है। यद्यपि पुनर्वास विभाग इन उजाड़े गए शरणार्थियों को पुन: बसाने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहा है, नई दिल्ली नगरपालिका के अधिकारियों तथा पुलिस द्वारा इन लोगों की झोपड़ियां गिरा कर तथा इनके बच्चों पर चोरी के झूठे आरोप लगा कर और सता रहे हैं। मुझे सचमुच यह देखकर दु:ख हुआ कि ये अधिकारी इन लोगों के प्रति सहानुभूति तथा मानवीय रुख दिखाने की बजाय उन पर और अत्याचार कर रहे हैं और उन्हें तकलीफ पहुंचा रहे हैं। इन शरणार्थियों को सरकार से पुनर्वास के लिए सहायता मांगने का पूरा अधिकार है। अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस समस्या को अतिक्रमण की समस्या की दृष्टि से नहीं अपितु मानवीय दृष्टि से देखा जाए तथा इन परिवारों के पुनर्वास के लिए कुछ किया जाये ताकि ये पशुओं का जीवन जीने की बजाय आदमियों की तरह शांतिपूर्वक रह सकें।

(तीन) केरल को और अधिक चावल का आवंटन

श्री पी. जे. कुरियन (मवेलीकारा) : केरल राज्य में खाद्यान्न की कमी है तथा अपनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली चलाने के लिए यह खाद्यान्नों के लिए लगभग पूर्णतया केन्द्रीय आवंटन पर निर्भर है। केरल के लोगों का मुख्य भोजन चावल है, अत: लगातार यह मांग की जाती रही है कि इस राज्य को चावल का अधिक आवंटन किया जाये। 1983 में केन्द्रीय सरकार ने अगस्त, सितम्बर और अक्तूबर में प्रति माह 120,000 टन चावल और 35,000 टन गेहूं दिया था। वास्तव में केरल को राशन दुकानों पर वितरण के लिए प्रति माह 210,000 टन चावल की आवश्यकता है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि वास्तविक आवश्यकता तथा पूर्ति के बीच काफी अन्तर है। भारत सरकार इस बात पर जोर देती रही है कि केरल के लोगों को अपने खाने की आदतें बदलनी चाहिए तथा उन्हें अधिक गेहूं का उपयोग करना चाहिए। यद्यपि इस सम्बन्ध में कुछ परिणाम भी सामने आए हैं, जैसा कि अधिक मात्रा में गेहूँ की खपत से स्पष्ट है, किन्तु सदियों पुरानी खाने की आदत इतनी जल्दी नहीं बदली जा सकती। अत: वर्तमान परिस्थितियों में गेहूं का अधिक नियत न करने से केरल में खाद्य की कमी की समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। चावल का अधिक मात्रा में आवंटन किया जाना ही एक मात्र समाधान है।

मैं सरकार से इस समस्या के प्रति सहानुभूति पूर्ण रवैया अपनाने और केरल को और अधिक चावल आवंटित करने का निवेदन करता हू, जिससे वह जनता की उचित आवश्यकता को पूरा कर सके।

(चार) देश में शिक्षा नीति में परिवतन करने की आवश्यकता

श्री विलास मुत्तेमवार (चिमूर) : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति की क्षमता को प्रकाश में लाना और उसमें अनुशासन लाना है। हमारी वतमान शिक्षा निरर्थक, निष्प्रयोजन एवं निरुद्देश्य हो चुकी है। आज शिक्षा में चरित्र नाम की चीज नहीं है और राष्ट्रीय चरित्र ह्रास होता जा रहा है। आज का शिक्षक वर्ग स्वयं ही लक्ष्यहीन एव दिशाहीन है, वह विद्यार्थियों को शिक्षा ज्ञान दे सकेगा, कैसे उम्मीद की जाये।

दिल्ली विश्वविद्यालय के अन्तगत 50 से अधिक कालेज हैं जिनका नियन्त्रण एक जगह से नहीं बल्कि विभिन्न स्थानों से है। विश्वविद्यालय का पूर्ण नियन्त्रण न होने के कारण कुछ कालेजों में शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है। सब जगह समान शिक्षा शर्तें नहीं हैं। समान सेवा शर्तों के लिए भी शिक्षकों और कर्मचारियों को आंदोलन करना पड़ता है। सेवा निवृत्ति आयु भी सब में समान रूप से नहीं है। प्राइवेट स्कूल हैं, भले ही सरकार से अनुदान लेते हों, किन्तु सरकार का उनपर कोई नियन्त्रण नहीं है। छात्रों से आए दिन चन्दा वसूलते हैं, शिक्षकों का पूरा भुगतान नहीं करते, प्रिंसिपल पूर्ण योग्यता वाले नहीं रखते और अध्यापक आए दिन बदलते रहते हैं जिसके कारण छात्रों के भविष्य के साथ केवल मजाक होता है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि यदि समय रहते इस ओर ध्यान नहीं दिया गया, सारे देश में समान शिक्षा प्रणाली और समान पुस्तक प्रणाली नहीं अपनाई गई तो आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी, राष्ट्र का चरित्र गिरेगा।

(पांच) कोटा तथा बूंदी (राजस्थान) में सूख रही फसलों की सिंचाई करने के लिए नहरों में और अधिक पानी छोड़ने की मांग

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, कोटा व बूंदी जिले (राजस्थान) की रबी की फसलें नहरों में पानी न छोड़ने के कारण सूखने लग गई हैं। कोटा के चम्बल बांध से दाहिनी व बाई मुख्य नहरों से कोटा-बूंदी जिलों की फसलों को पानी देना कतई बन्द किया हुआ है। नहरों की टेल पर तो बीज बोने तक के लिये पानी मुहैया नहीं कराया गया। शेष भूमि पर अभी तक केवल एक पानी मुश्किल से पहुंच पाया है, जिसके कारण फसलें सूखनी आरम्भ हो गई हैं। मध्य प्रदेश को पानी देना बता कर कोटा और बूंदी जिले में नहरों को काफी समय से बन्द किया हुआ है। ऐसी विषम परिस्थिति में जब कोटा व बूंदी जिले के चम्बल सिंचित क्षेत्र में पानी के अभाव में फसलें सूख रही हैं, सम्पूर्ण उपलब्ध पानी प्राथमिकता पर कोटा बूंदी जिले की फसलों को दिये जाने की व्यवस्था की जाए।

(छः) वन अधिनियम, 1980 में संशोधन करने की आवश्यकता

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : अध्यक्ष महोदय, वन अधिनियम 1980 के प्राविधानों के तहत निर्धारित नियम एवं उपनियमों के कारण उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में विकास कार्य जैसे सड़क, पेयजल योजना, विद्युतीकरण, ल निर्माण भवन निर्माण के कार्य लगभग ठप्प पड़ गए हैं। अधिनियम के पारित होने से पूर्व के वर्षों में स्वीकृत या अधिनिर्मित कार्य भी रुक

गये हैं। मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र के जनपद अल्मोड़ा एवं पिथौरागढ़ में सन् 1976-80 के मध्य स्वीकृत दर्जनों निर्माण कार्य केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के अभाव में रुके पड़े हैं। 1981-82 में स्वीकृत मोटर मार्गों आदि के प्रस्ताव अभी भी सयुक्त सर्वेक्षण के बाद राज्य सरकार तक नहीं पहुंचे हैं। इन क्षेत्रों में नाम भूमि के अलावा समस्त बेनाप भूमि 1983 के एक नोटीफिकेशन के आधार पर सुरक्षित क्षेत्र मान लिया गया है। गरीब लोग मकान बनाने के लिये भूमि नहीं पा रहे हैं। इन क्षेत्रों में सर्वत्र एक व्यापक आक्रोष एवं असन्तोष पैदा होता जा रहा है। लोग वनों की सुरक्षा के प्रति उदास हो रहे हैं। इस सब का दुष्प्रभाव हमारी वन संवर्धन नीति पर पड़ रहा है। जनता के सहयोग के बिना बनों को बचाना व संबंधन असम्भव है।

मेरा आग्रह है कि वर्तमान अधिनियन को संशोधित कर लिया जाए। केवल रिजर्व वन के सन्दर्भ में ही निर्माण कार्यों के लिए केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन आवश्यक होना चाहिए अधिनियम के प्रभावी होने से पूर्व के स्वीकृत कार्यों के लिए केन्द्रीय सरकार की अनुमति आवश्यक नहीं होनी चाहिए। केन्द्रीय सरकार की अनुमति प्रदान करने के संदर्भ में प्रक्रिया को अति सरल बनाना आवश्यक है।

नियम इस प्रकार के निर्धारित होने चाहिये कि समस्त प्रक्रिया में तीन माह से अधिक का समय न लगे तथा जिस भूमि में पेड़ न हों, उसके संदर्भ में केन्द्रीय सरकार को अनुमति लेना आवश्यक न होवे।

सामान्य बजट 1984-85 सामान्य चर्चा-जारी

अध्यक्ष महोदय : अब हम बजट (सामान्य) पर आगे चर्चा आरंभ करते हैं। श्री वैराले।

श्री मधू सूदन वैराले (अकोला) : अध्यक्ष महोदय, कल जब मैंने अपना भाषण आरंभ किया था तो सभा स्थगित हो गई थी और इसलिए मुझे आशा है कि आज मुझे पूरा समय दिया जायेगा।

सर्व प्रथम, मैं अपने वित्त मन्त्री महोदय को धन्यबाद देता हू।

अध्यक्ष महोदय : आपका समय कल और आज दोनों का है।

श्री मधुसूदन वैराले : कल मैंने केवल आधे मिनट का समय लिया था।

अध्यक्ष महोदय : और फिर आपसे आज भी अपना भाषण जारी रखने के लिए कहा गया था।

मधु सूदन वैराले : महोदय, मुझे वित्त मन्त्री का वास्तव में एक सन्तुलित एवं प्रगतिशील बजट पेश करने के लिए धन्यवाद करना चाहिए।

हम इस सभा में इस बजट पर चर्चा करते रहे हैं और कुछेक मित्रों ने इस वाद-विवाद में भाग लिया है। इस सभा में बजट के प्रस्तुत किए जाने के बाद उस पर हुई प्रतिक्रियाओं को भी हमने देखा है। इन प्रतिक्रियाओं को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है-(1) विपक्ष की आलोचना (2) इस देश के उद्योग की आलोचना और प्रतिक्रिया (3) इस देश के कर प्रबन्ध से जो लोग सम्बद्ध हैं उनकी आलोचना और प्रतिक्रियाएं।

जहाँ तक विपक्ष की ओर से प्रथम आलोचना का सम्बन्ध है मैं समझता हूं कि यदि मैं यह कहूँ तो वित्त मन्त्री महोदय इस बात का बुरा नहीं मानेंगे कि उन्होंने विपक्ष में बैठे मित्रों के प्रति कतई दया नहीं की है। लम्बे समय से वे ऐसे अतिरिक्त हथियार की प्रतीक्षा में थे, जिससे उनके लिए सत्तारूढ़ दल पर प्रहार करना सम्भव हो सके। हर समय और निरन्तर प्रतिदिन उनकी यही गतिविधियां हैं। मैं उसके लिए उन्हें दोष नहीं देता हूँ। परन्तु, उन्होंने उन्हें सत्तारूढ़ दल की आलोचना करने का अवसर प्रदान न करके उनके साथ अन्याय किया है। आलोचना करते हुए विपक्ष को कई लाभ स्वतः प्राप्त हैं। एक ओर तो वे यह आलोचना कर सकते हैं कि बजट एकदम दक्षिण पंथी है और दूसरी ओर कह सकते है कि यह एक वाम पंथी है। कुछ ऐसे मित्र भी हैं जो यह नहीं जानते हैं कि आया वे दक्षिण पंथी है या वामपंथी हैं या मध्यम मार्गी हैं। फिर भी उनमें से कुछ को यही पता नहीं है कि वे वास्तव में कहां हैं। उनको केवल इतना पता है कि अब वे विपक्ष में बैठे हैं। बजट की उन्होंने मुख्यतया यह (आलोचना की है कि यह एक चुनाव-बजट है। ठीक है महोदय, हमारे मित्रों को यदि यह चुनाव-बजट है तो भी बुरा नहीं मानना चाहिए। मैं मानता हूं कि यदि यह चुनाव-बजट है तो भी हमारे लिए खेद की कोई बात नहीं है। हम जानते हैं कि इस अर्थ में यह चुनाव बजट है कि इसने केवल उन आश्वासनों को पूरा करने का प्रयास किया गया है, जो कि हमने चुनाव घोषणा पत्र में दिए थे। इसी के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं, और यही हमारा सही और एक मात्र उद्देश्य है, यदि हम अपने चुनाव वायदों को पूरा नहीं कर सकते हैं तो मेरे विचार से सरकारी पक्ष में बैठने का हमारा और कोई काम है ही नहीं। और यदि हम अपने चुनाव घोषणा-पत्र में किए गये वायदों को पूरा करने का प्रयास करते हैं तो निश्चय ही यह एक चुनाव बजट है और मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि विपक्ष के हमारे मित्र चाहे कुछ भी कहें, इस देश की आम जनता, जिस ढग से यह बजट लाया गया है, उससे बहुत प्रसन्न है।

साथ ही यह आलोचना भी की गई थी कि यह एक कंजूसी का बजट है। मैं नहीं जानता क्योंकि हम अपनी राजनीतिक परिस्थिति के सन्दर्भ में अवस्थित हैं और राजनीतिक पार्टियों में गठ जोड़ बहुत भिन्न है। एक ही पार्टी में आपको घोर दक्षिणपंथी और समाजवादी मिल जायेंगे। अतः बहुत से मामलों में यथा उद्योग, वित्त, उद्योग का केन्द्रीयकरण और विकेन्द्रीय करण के एकमत नहीं होते हैं परन्तु राजनीतिक रूप से उन्हें एक साथ बैठना पड़ता है। अतः, ऐसा तो होगा ही और इसलिए कई बार उनकी आलोचना सही रूप में समझ नहीं आ पाती है।

बजट की एक यह आलोचना की गई है कि संसाधनों के जुटाने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। मेरी समझ में यह नहीं आता है कि इसका क्या मतलब है। सम्भवतः, उन्होंने

सरकार से भारी कराधान की आशा की थी, जिससे कि उसका प्रयोग सरकार के विरूद्ध एक हथियार के रूप में किया जा सके, जबकि सरकार के लिए आवश्यक है कि बजट प्रस्तुत करते समय यह सन्तुलन बनाये रखें।

उद्योग की ओर से भी आलोचना हुई है। इस सम्बन्ध में, मैं कहना चाहूंगा कि हमारे उद्योग एक ओर तो अपने को सर्वाधिक आधुनिक दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें अपनी आर्थिक प्रणालियों के सिवाय आधुनिक प्रौद्योगिकी चाहिए और सब कुछ आधुनिक चाहिए। मुझे डर है कि दृष्टि कोण उनका अभी भी मध्यकालीन है। मैं एक उदाहरण दूंगा। मुझे प्रसन्नता है कि कपड़ा उद्योग को कई रियायतें दीं गईं हैं। कपड़ा उद्योग के बारे में आज की सामान्य तस्वीर यह है कि अधिकांशतः और अधिक रुग्ण हो गया है। महोदय, जब हमने बम्बई में मिलों का अधिग्रहण किया था तो सभी में उसकी आलोचना हुई थी। यदि हम उनका अधिग्रहण नहीं करते तब भी यह आलोचना होती कि हम उन लोगों का ध्यान नहीं रख रहे हैं जो कि मिलों के बन्द होने के कारण बेकार होने वाले हैं। इस देश में कपड़ा उद्योग का एक इतिहास है और एक विचित्र इतिहास है। यह एक पुराना इतिहास है। कपड़ा उद्योग ने इस देश में भारी मुनाफे कमाये हैं, परन्तु उन्होंने इसे और अधिक आधुनिक तथा लाभकारी बनाने हेतु उस धन को इसी उद्योग में लगाने का प्रयास नहीं किया है और सारे मुनाफे को कहीं और ही लगाया है और आज उसका कुल मिलाकर यह परिणाम है कि उद्योग मुसीबत में है।

महोदय, एक और आलोचना गत वर्ष से यह भी की गई है कि विज्ञापन व्यय और अन्य व्यय की क्षतिपूर्ति नहीं की गई है। मैंने इस समस्या का अध्ययन करने का प्रयास किया हैं और मुझे यह पता चला है कि जहां तक विज्ञापन और अन्य बातों पर व्यय का सम्बन्ध है, विज्ञापन पर खर्च किए गये प्रत्येक रुपये में से सरकार 80 पैसे दिया करती थी और विज्ञापनदाताओं को केवल 20 पैसे ही देने होते थे और चूंकि रियायत दी गई थी अतः कर विमुक्ति की कीमत पर वे प्रचार चाहते थे। ठीक है, उनका तक है कि यदि हमें आगे बढ़ना है तो पर्याप्त प्रचार होना चाहिये। मैं इससे सहमत हूं। परन्तु उनको विश्वसनीयता सिद्ध करनी चाहिये। जब हम अंग्रेजी प्रेस और पत्रिकाओं में ट्रैक्टरों और इस प्रकार की वस्तुओं के बारे में पूरे पृष्ठ का विज्ञापन देखते हैं तो, हम इस बात को संगत नहीं समझते हैं। मैं नहीं जानता कि इस देश के कितने प्रतिशत किसान ट्रक्टरों और तेल इंजनों तथा ऐसी ही वस्तुओं के विज्ञापन अंग्रेजी के समाचार-पत्रों में पढते हैं। इसी प्रकार बहुत सी बातें हैं। आज हमारे देश में, विज्ञापन एक उद्योग बन गया है। मेरे विचार से जहां तक इस उद्योग का संबंध है, इसमें 400 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो रहा है। परन्तु उन्हें इस बात का बतंगड नहीं बनाना चाहिए कि सरकार उन्हें इस प्रकार के बेकार के खर्चे करने की अनुमति नहीं दे रहा है। यदि वे अधिक सावधान हैं तो मेरे विचार से भविष्य में यह असम्भव नहीं होगा कि सरकार अपने रवैये पर पुनर्विचार करे इन विज्ञापनों के बारे में, हाल ही में एक प्रवृत्ति बनी है। विदेशी कम्पनियों और बहु-राष्ट्रीकों की ओर से विज्ञापनों के लिए पर्याप्त अंशदान मिल रहा है।

अध्यक्ष महोदय : श्री मधुसूदन वैराले, मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि क्या कारण है कि ये लोग उन्हीं समाचार पत्रों में विज्ञापन क्यों देते हैं जो कि वास्तव में ग्राम कृषकों द्वारा न ही तो पढ़े जाते हैं और न ही उन्हें उपलब्ध होते हैं ?

श्री मधु सूदन वैराले : महोदय, इन कारणों का मैं स्वयं भी पता लगाने का प्रयास कर रहा हूं। एक सम्भावना तो यह हो सकती है कि वे ग्राम आदमी हैं तथा बड़े व्यापारिक गृहों के उभय और आपसी हित है और ऐसी बहुत सी एक सी कम्पनियां हैं। मैं एक इन्जीनियरी कम्पनी में निदेशक भी हो सकता हूं और साथ ही प्रकाशन कम्पनी में भी निदेशक हो सकता हूं। अथवा, मैं एक ट्रैक्टर कम्पनी में निदेशक हो सकता हूँ या मेरे लड़के की बहू किसी रसायन कम्पनी में या इस्पात कम्पनी में निदेशक हो सकती है। हमें इस देश में यही स्थिति प्राय: देखने को मिलती है। उन्होंने मुश्किल से अपना धन इस उद्योग में लगाया होगा। हो सकता है कि कम्पनी के कुल निवेश का 10 प्रतिशत ही उनका निवेश हो और बाकी का सारा निवेश वित्तीय संस्थानों, छोटे शेयर-धारियों, सरकार और वाणिज्यिक बैंकों आदि से आता है। अत:, उन्हें भी आमतौर से तो समाज का और विशेष रूप से सरकार का धन्यवाद करना चाहिए कि इस देश में उद्योग के सही विकास के लिये, कुछेक छूट ही दी जा रहीं है। साथ ही कुछ उद्योगपतियों ने मुद्रास्फीति की शिकायत भी की थी उनका ध्यान इस एक तथ्य की ओर दिलाना चाहूंगा मुद्रास्फीति के और भी कई कारण हो सकते हैं। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि यदि सभी उद्योगपति और अधिक फैक्ट्रियां खोलने के लिए निवेश नहीं करते हैं तो अधिक माल तैयार नहीं होता है और यदि और अधिक वस्तुएं तैयार नहीं होती हैं तो वह भी मुद्रास्फीति का एक कारण हो सकता है। वे बड़े आराम से हाल ही के उस आर्थिक रुख को भूल जाते हैं जो कि अमरीकामें देखा गया है। इस देश में कुछ ऐसे उद्योगपति हैं, जिनका अमरीका मित्र चिन्तन करने वाला और मार्ग दर्शक हैं। वे उस आदर्श के पीछे हैं और वे समझते हैं कि यह विश्व में आधुनिकतम उपलब्धि है।

× **(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)**

परन्तु शायद वे यह भूल जाते हैं कि अमरीका में भी स्वतन्त्र उद्यम मंच का नारा देने वाले लोग भी प्रगतिशील ढंग से प्रतिबंधक व्यापार परिपाटियों को अधिकाधिक अपना रहे हैं। गत वर्ष ही राष्ट्रपति रीगन ने यह आदेश दिया था कि अमरीका में 20% से अधिक विदेशी कारों के आयात की अनुमति नहीं दी जायेगी। अत: ऐसी स्थिति है और स्वतन्त्र उद्यम मंच की यह स्वरूप है। इस देश में जो लोग उस दर्शन का सराहते हैं वे उस दृष्टिकोण से हमारे बजट, हमारी वित्तीय नीतियों की आलोचना करते हैं। अत:, यह समय है कि उन्हें इस तथ्य की याद दिलाई जाए कि उस तथा कथित पूँजीवादी समाज में भी अधिकाधिक प्रगतिशील ढंग से इन प्रतिबंधक परिपाटियों को अपनाया जा रहा है।

अब जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का संबंध है, हम आणविक युद्ध की संभावनाओं के बारे में सोच रहे होंगे, सोच रहे हैं और हम अत्यधिक चिन्तित भी हैं। परन्तु इसके साथ-साथ हमें इस पहलू पर भी ध्यान देना है। यद्यपि अमरीका, जापान, पश्चिमी जर्मनी और दक्षिणी

कोरिया घनिष्ठ मित्र प्रतीत होते हैं, मैं यह भी कहूंगा कि जहां तक वित्तीय और आर्थिक मामलों का संबंध है। उनमें भी शीत युद्ध चल रहा है। उनमें से कई देश अपने उत्पादों की कीमतों में कमी करके इन उत्पादों को हमारे देश अत्यधिक मात्रा में भेजने का प्रयास कर रहे हैं। यह विशेष रूप से नौवहन के मामले में, टैक्सटाइल मशीनरी के मामले में, इस्पात के मामले में सच है और हमें उनके द्वारा इस प्रकार अपने उत्पादों को हमारे देश में भरमार करने के कारणों का पता लगाना होगा। वे पांच या दस वर्षों तक घाटा उठाने के लिये भी तैयार हैं, क्योंकि वे आगामी 20 वर्षों के लिये अपने उत्पादों के लिये संभावित बाजार पैदा करना चाहते हैं। वे पांच या दस वर्षों तक अस्थायी तौर पर घाटा उठाने के लिए तैयार हैं, ताकि वे आगामी 20 वर्षों में अपने लाभ को दोगुना कर सकें। अतः मैं पुनः यह कहूंगा कि कराधान उपायों की योजना बनाते समय, विशेषरूप से सीमा शुल्क के बारे में,-माननीय वित्त मन्त्री महोदय ने इस तथ्य की ओर उचित ध्यान दिया है और मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने बजट में समुचित व्यस्था की है।

अब मेरा दूसरा मुद्दा यह है। चर्चा की आम बात विशेषरूप से मेरे विपक्षी मित्रों की इस प्रकार की रही है मानो हमने बिल्कुल कोई प्रगति न की हो। आम तौर पर सरकार द्वारा दिए जाने वाले आंकडों पर विश्वास न करने की प्रवृत्ति रही है। इस संबंध में मै जो कुछ कहना चाहूंगा वह समृद्धि की पुष्टि करता है। क्या समृद्धि आ रही है ? यह प्रश्न मेरे विपक्षी मित्रों द्वारा पूछा गया है। संभवतः यह धीमी गति से आ रही हो परन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं है कि समृद्धि आ रही है और चाहे समृद्धि आ रही या नहीं वे इस पर विश्वास भी नहीं करते, क्यों कि उनका हमेशा यही विचार रहा है कि सरकारी आंकड़े ठीक नहीं हो सकते। मैं एक गैर-सरकारी अभिकरण द्वारा किए गये सर्वेक्षण के उन आंकड़ों को उद्धृत करूंगा जो उन समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुए हैं जो सदैव सरकार के पक्ष में नहीं हैं जहां तक महानगरों का प्रश्न है, वहां इस बारे में बहुत शोरगुल होना है। मैं नहीं जानता, क्यों ? अब इस देश के महानगरो के सम्बन्ध में मैं यह कहूंगा कि वहाँ से निर्वाचित अधिकाँश संसद सदस्य सतारूढ़ दल के नहीं होते हैं वे विपक्षी दलों के हैं। इन महानगरों की प्रवृत्ति क्या है ? मैं यहाँ कुछ तथ्य उद्धृत करना चाहता हूं।

> "1982 में चार प्रमुख महानगरों के संबंध के किए गये अध्ययन से यह पता चलता है कि वहां के चालीस प्रतिशत पिछले पांच वर्षों की अपेक्षा इस समय अधिक बेहतर महसूस करते हैं। और 42 प्रतिशत लोग यह महसूस करते हैं कि उनका आय स्तर वही है। अधिकांश भविष्य के प्रति आशावान हैं। 54 प्रतिशत लोग यह महसूस करते हैं कि आगामी पांच वर्षों में उनकी व्यय क्षमता में सुधार होगा। और केवल कुछ ही लोगों का विचार है कि उनकी हालत पहले की अपेक्षा बदतर होगी।"

ये संकेत एक प्राइवेट अभिकरण द्वारा एक प्रतिवेदन में दिए गए हैं, न कि किसी सरकारी अभिकरण द्वारा।

"लोगों के पास अपेक्षाकृत अधिक धन है इस दावे की पुष्टि हेतु और भी प्रमाण हैं। केवल पांच वर्ष पूर्व नई कम्पनियों के शेयरों और मूलपत्रों में प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपये की पूंजी निवेश की जाती थी। यह राशि अब एकदम बढ़कर 1000 करोड़ रुपये हो गई है और अनेक कम्पनियों के अंशधारियों की संख्या जो पहले कुछ हजारों में होती थी अब लाखों में है।"

अब मैं अपने मित्रों का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करूंगा। मुख्यत: मध्य और निम्न श्रेणी के लोगों द्वारा शेयरों की खरीद की जाती है। उच्च श्रेणी के लोग अपनी कम्पनियां बनाते हैं और उनके निदेशक आदि बन जाते हैं। इस संदर्भ में मैं, शुद्धि के अध्यधीन, यह कहना चाहता हूं कि केवल 70 000 लोग अपनी वार्षिक आय 10 लाख रुपये से अधिक दिखाते हैं।

ऐसे लोगों की संख्या, निस्संदेह और भी हो सकती है, जिनके पास करोड़ों और लाखों की सम्पति हो परन्तु इस वर्ग में आते हों या न आते हों।

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि पिछले कुछ, वर्षों में हमारा देश समृद्धि की ओर अग्रेसर हुआ है और वह इस बात से स्पष्ट हो जायेगा और मैं 15 फरवरी 1984 के 'इण्डिया टुडे' से उद्धृत करता हूं :

"इस तथ्य के बारे में कोई विवाद नहीं हैं कि आय स्तर और जीवन शैली की परिभाषा के अनुसार चाहे किसी भी प्रकार से गणना की जाये कुल जन संख्या का अधिकांश भाग मंध्य वर्ग का है।"

मैं एक और उदाहरण दूंगा। विभिन्न क्षेत्रों में अधिक निवेश और हमारे अनचक प्रयासों के कारण देश में उपभोक्ताओं का एक और वर्ग पैदा हो गया है; मैं एक बार फिर उद्धरण प्रस्तुत करता हूँ :

"यह हाल ही की बात है कि संभावित ग्राहक वेतन भोगी मध्य वर्ग, कम्पनी अधिकारी, वरिष्ठ असैनिक अधिकारी और सशस्त्र सेनाओं के लोग हुआ करते थे। परन्तु इससे पान वालों, छोटे व्यापारियों स्वनियोजित लोगों, निर्यातकों, टैक्सी चालकों जैसे विनीत व्यापारियों का तथा डाक्टरों और वकीलों जैसे सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रति अधिक सचेत व्यवसायियों का एक नया फजूलखर्च तबका पैदा हुआ है। पिछले दशक में केवल लघु उद्यमियों की संख्या में चार गुणा वृद्धि हुई है, जो 104 लाख से बढ़कर 6 लाख हो गये हैं। इससे उपभोक्ता मांग को एक जबरदस्त नया प्रोत्साहन मिला है।"

इसके पश्चात्, अन्य क्षेत्रों में निवेश से समृद्धि की दिशा को बहुत भारी प्रोत्साहन मिला है। इस संदर्भ में मैं एक बार फिर उद्धरण प्रस्तुत करता हूं :

सरकार द्वारा बिजली और सड़कों जैसे कार्यों में किए गए बुनियादी निवेश का

परिणाम उपभोक्ता माल निर्माताओं के लिए अच्छा रहा है। 1960 के दशक के प्रारम्भ में देश के 575,000 गाँवों में से केवल 22,000 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका था। अब इनकी संख्या 3 लाख है जिसके परिणाम स्वरूप बिजली के पंखों, टेलीवीजन सेटों और रसोईघर के उपकरणों का एक व्यापक बाजार पैदा हो गया है। इन वर्षों में सड़कों का जाल भी इसी प्रकार फैल कर तिगुना अर्थात 106 मिलियन किलोमीटर हो गया है। दुरदराज के गांवों के सड़क से जुड़े होने के कारण दो पहिया वाहनों का बाजार राष्ट्रव्यापी हो गया है और सभी उपभोक्ता वस्तुओं की तुलना में इनकी मांग में शानदार वृद्धि हुई है। यहां तक कि छोटे से वाहन साईकिल ने भी शीघ्रता से प्रगति की है और देश में साईकल का राष्ट्रीय उत्पादन लगभग 5 मिलियन है जो केवल चीन के बाद दूसरे नम्बर पर आता है। ऐसा विकास अगामी 20 वर्षों में जारी रहने की सभावना हो"

क्या ये सभी बातें एक समृद्ध भारत की द्योतक नहीं हैं।

मैं अब उत्पादन से संबधित कुछ आंकड़े देता हूँ। इस सभा के कुछ माननीय सदस्यों ने भारत में रंगीन टेलीविजन लाने की आलोचना की है। उस समय वे भूल गए कि वे देश में आधुनिक प्रोद्यौगिकी लाये जाने का विरोध कर रहे हैं। में तीन क्षेत्रों से आंकड़े दूंगा। एक समय ऐसा था जब रेफ्रीजरेटर को विलासिता की वस्तु माना जाता था, परन्तु अब ऐसा नहीं है। 1961 में देश में रेफ्रीजरेटरों का उत्पादन 11,000 था। 1981 में देश में टलीविजनों का उत्पादन 2 9,000 था 1975 में 97,000 था और 1982 में यह बढ़कर 570,000 हो गया। इस संबंध में मन्त्रालय का अनुमान है कि भविष्य में उत्पादन कहीं और अधिक होगा।

दो पहिया वाहनों का उदाहरण लीजिए। इसका सम्बन्ध धनी लोगों से नहीं है, इसका सम्बन्ध काला बाजारियों से नहीं है, इसका सम्बन्ध कर न देने वाले लोगों से नहीं है, इसका सम्बन्ध मध्य वर्ग से, मजदूरों से और ग्रामीणों से है। 1965 में हम केवल 45'000 दो पहिया वाहनों का उत्पादन कर रहे थे, 1980 में हमने 310,000 वाहनों का उत्पादन किया। 1985 में इनका उत्पादन बढ़कर 1000 000 हो जाएगा। इसका क्या अर्थ है?

अब मानव निर्मित कपड़े को लीजिए। 1961 में प्रति व्यक्ति उत्पादन 1.2 मीटर था, 1981 में 5.0 मीटर-पांच गुणा अधिक था इसकी आवश्यकता धनी लोगों को नहीं होती।

उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों से सम्बन्धित योजनाओं के लिए 11,858 करोड़ रुपये और कृषि क्षेत्रों से सम्बन्धित योजनाओं के लिए 758 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। प्रश्न काल में एक मुद्दा उठाया गया था। वास्तविक प्रश्न कार्यान्वयन का होगा। इस देश में ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक है जो जानबूझ कर योजनाओं को क्रियान्वित करने में दिलचस्पी नहीं रखते या जानबूझ कर जिनकी दिलचस्पी नहीं होगी, परन्तु परिणाम वही रहेगा।

आजकल केन्द्र राज्य सम्बन्धों की चर्चा होती है। यदि इन कार्यक्रमों को क्रियान्वित न करने की अधिक स्वायत्तता को अच्छा समझा जाता है तो मेरे विचार में इसे हतोत्साहित किया

जाना चाहिए, और सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्यों द्वारा योजनाओं को क्रियान्वित किया जाए। इन सभी प्रयासों से सरकार अर्थव्यवस्था में एक सन्तुलन पैदा करना चाहती है। दूसरे शब्दों में वह अर्थ व्यवस्था में असन्तुलन समाप्त करने का प्रयास कर रही है। ये असन्तुलन कई प्रकार से हैं। एक क्षेत्रीय असन्तुलन है। मैं महाराष्ट्र से हूँ। लोग महाराष्ट्र को औद्योगिक दृष्टि से सबसे अधिक विकसित राज्य समझते हैं। पश्चिमी तट और पश्चिमी क्षेत्र के कुछ शहरों को छोड़कर शेष महाराष्ट्र उद्योगीकृत नहीं है। विदर्भ क्षेत्र को लीजिए जिसका मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ। सौभाग्यवश महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र राज्य में क्षेत्रीय असन्तुलन का अध्ययन करने हेतु एक समिति नियुक्त की थी। आज, महाराष्ट्र विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा। मैं नहीं जानता कि उस बजट में क्या होगा। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं। कि वह राज्य सरकार को सलाह दे कि क्षेत्रीय असन्तुलन का हिसाब लगाते समय, वह सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के असन्तुलन का भी हिसाब लगाए। मैंने महाराष्ट्र के वित्त मन्त्री को एक पत्र लिखा है जिसमें यह अनुरोध किया है कि सार्वजनिक क्षेत्र में असन्तुलन का भी हिसाब लगाया जाए क्योंकि इसमें केन्द्र और राज्य द्वारा शत प्रतिशत सरकारी निवेश होता है। निजी क्षेत्र निवेश में असन्तुलन का भी उसी प्रकार हिसाब लगाया जाए जिस प्रकार सरकारी क्षेत्र के मामले में लगाया जाता है। कई मामलों में निजी क्षेत्र के खाने 90 प्रतिशत पूंजी अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं. अपनी जेब से वे केवल 10 प्रतिशत निवेश करते हैं। अतः उसका भी हिसाब लगाना होगा। इसके पश्चात, उन्हें सहकारी क्षेत्र में भी असन्तुलन का हिसाब लगाना नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि सहकारी क्षेत्र में भी 90 प्रतिशत पूंजी सरकार की और 10 प्रतिशत अंशधारियों की होती है। मैं आपको ब्यौरा नहीं दूंगा परन्तु आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूँ कि केन्द्र सरकार भी इस ओर ध्यान दे। परन्तु यह राजनीतिक मामला नहीं बन जाना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि विदर्भ से ये असन्तुलन दूर किए जाएंगे। सरकारी उपक्रमों की स्थापना करते समय उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि विदर्भ के पिछड़े क्षेत्रों में भी सरकारी उपक्रम लगाए जाए और नए सरकारी उपक्रम स्थापित करते समय क्षेत्रीय असन्तुलन न हो।

मैं एक बार फिर वित्त मन्त्री को बधाई देता हूँ और मुझे समय देने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने तीस मिनट लिए हैं। श्रीमती विद्या चतुर्वेदी।

एक माननीय सदस्य : मेरे बारे में क्या है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको बुला लूंगा। यहां उपस्थित सभी सदस्यों को बुलाया जाएगा। सत्तारूढ़ दल का समय अभी बचा हुआ है। अतः आप सबको बुलाया जाएगा।

श्री ए. नीलालोहितादसन नाडार (त्रिवेन्द्रम) : मेरे बारे में क्या है ?

उपाध्यक्ष महोदय : आपके लिए तो हमेशा समय होता है और आपको बुला लिया जाएगा। आप चाहते थे कि आपको आज ही बुलाया जाए। आप मुझे किसी भी समय बुलाने का निदेश दे दीजिए। मैं आपको बुला लूंगा। आपको अवसर मिलेगा।

श्री ए. नीलालोहितादसन नाडार : कल जब मुझे बोलना था, आपने श्री पुजारी को बुला लिया।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। मैं आपको बुला लूंगा। आप सबको अवसर मिलेगा। मैं आपको दूसरा अवसर दूंगा। (**व्यवधान**)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित न कीजिए। जी हां, अब श्रीमती विद्या चतुर्वेदी बोलेंगी।

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी (खजुराहो) : इसके पहले कि मैं बजट का समर्थन करूं और अपने वित्त मन्त्री महोदय को धन्यवाद दूं, उससे पहले जो कल को पंजाब में घटना घटी है, भूतपूर्व मुख्य मन्त्री श्री दरबारा सिंह पर जिस तरह से कातिलाना हमला किया गया है वह बहुत ही अशोभनीय और निन्दनीय है, मैं जोरदार शब्दों में उसकी भर्त्सना करती हूं और भगवान से प्रार्थना करती हूं कि श्री दरबारा सिंह दीर्घायु हों, और ऐसे अराजक तत्वों पर सरकार को कड़ी निगरानी करनी चाहिए और बहुत सख्ती से उनके साथ पेश आना चाहिए।

अब बजट का समर्थन करते हुए मैं वित्त मन्त्री महोदय को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने जो बजट रखा है वह हमारी नीतियों के अनुरूप ही है। हम समाजवादी समाज की रचना करना चाहते हैं और उसके लिए जरूरी है कि हम ग्रामों की तरफ जायें, हमारा ध्यान ग्रामों की तरफ जाये जहां 80 फीसदी जनता रहती है, उसके उत्थान में ही देश का उत्थान है, उसकी तरक्की में देश की तरक्की है और उनके आर्थिक विकास में ही हमारी आर्थिक नीति सुदृढ़ बन सकती है।

20 सूत्री कार्यक्रम के लिए जो एक बहुत बड़ी पूंजी जुटाई गई है यह कदम सराहनीय है। 20 सूत्री कार्यक्रम, मैं नम्रतापूर्वक सभी लोगों से कहना चाहती हूँ, यह किसी व्यक्ति विशेष या किसी पार्टी का प्रोग्राम नहीं है बल्कि एक राष्ट्रीय प्रोग्राम है और इसके लिए हमें सब को चाहे उधर के बैठने वाले माननीय सदस्यगण हों...या इस तरफ बैठने वाले हों, चाहे विधान-सभा में विरोध-पक्ष के या शासन पक्ष के सदस्यगण हों, चाहे स्वायत शासन में पंचायतों से लेकर म्युनिसपैलिटी, नगर निगम के हों, जहां भी राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सब की ड्यूटी है कि 20 सूत्री कार्यक्रमों को सफल बनायें। इससे हमारे देश की सफलता है। इसको सफल बनाने के लिए हमें कड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। इससे देश के गरीबों की बेरोजगारी हटेगी, भूमिहीनों के लिए भूमि, बे-घरवालों के लिए घरबार, तथा निराश्रितों के लिए सहारा मिल सकेगा। ऐसे वर्ग, चाहे हरिजन हों, आदिवासी हों, पिछड़े वर्ग के हों, अल्पसंख्यक हों, सब की तरक्की इसमें निहित है हमारा निवेदन है कि 20-सूत्री कार्यक्रम में सब का सहयोग होना चाहिए।

अपनी प्रधान मन्त्री को हम बधाई देते हैं। उन्होंने ग्रामीण विकास के लिए एवं ग्रामीण

** कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

स्व-रोजगार का प्रोग्राम बनाना है जिसके अन्तर्गत हम ग्रामीणों का विकास कर सकेंगे, ग्रामीण नव युवकों सुशिक्षित बेकारों को काम देकर उन्हें आत्म-निर्भर बना सकेंगे। स्व-रोजगार देकर हम नौजवानों को अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। यह बहुत अच्छी योजना है।

मैं वित्त मन्त्री से निवेदन करूंगी कि इस सम्बन्ध में उन्हें जो सहायता और सहारा मिलना चाहिए वह ठीक ढंग से मिले। अभी बैंकों से सहायता मिलने में उन्हें बड़ी कठिनाई उठानी पड़ती है। हमारे नौजवानों, गरीबों, किसानों को इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत बैंकों से सहायता मिलने में किस तरह की परेशानियां उठानी पड़ती हैं उस पर ध्यान देना होगा। इसके लिए कोई सरल तरीका या इस तरह के नियम बनाने होंगे जिससे इन लोगों को जो सरकार राहत देना चाहती है वह आसानी से मिल सके और यह कार्यक्रम सफल हो सके। अगर इनमें विफलता हुई, अपनी नीति के अनुरूप उनको हम सहायता नहीं दे पाए तो इससे देश में बहुत बड़ा असंतोष पैदा हो सकता है।

हमारी सरकार ने हर क्षेत्र में, चाहे कृषि हो, तेल, कोयला सिंचाई या फर्टिलाइजर हो बहुत बड़ी तरक्की की तथा उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। इसके लिए बहुत बड़ी पूंजी भी हमारे वित्त मन्त्री ने जुटाई है। निश्चय ही यह कहा जा सकता है कि हमारी अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए यह अच्छा मार्ग है। यह हम बिना शक कह सकते हैं कि ये कदम बहुत ही प्रशंसनीय हैं, लेकिन इसका पर कैपिटा यूटिलाइजेशन बड़ा कमजोर है, उसे हमें सुधारना पड़ेगा जब हम इतनी बड़ी पूंजी लगाने जा रहे हैं तो हमें देखना यह है कि उसका कोई दुरुपयोग न हो इस पर हमें बड़े गौर से और सजीदगी से ध्यान देना होगा।

मैं अपनी प्रसन्नता जाहिर करती हूं कि हमारे देश ने कृषि उत्पादन बहुत बढ़ाया है वह अब 142 मिलियन टन हो गया है। जो देश के लिए गौरव की बात है। इससे सिद्ध होता है कि हम स्वावलम्बन की ओर जा रहे हैं और इससे यह भी स्पष्ट हो रहा है कि हमारी सरकार की नीति बड़ी अच्छी, सुदृढ़ और न्यायक है। कृषि उत्पादन की वृद्धि ही अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की मुख्य नीव है।

हमारी सरकार ने कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जहां अच्छी नीति अपनाई है, वहां मैं किसानों को भी बधाई देना चाहूंगी जिनके अधिक परिश्रम से, मेहनत और सूझबूझ से आज हम उत्पादन की इस स्थिति पर पहुंच सके हैं।

मेरी मान्यता है कि यदि हम किसानों को और प्रोत्साहन दें उनकी रोज की दिक्कतों को दूर करें चाहे वह डीलर पम्प लगाने की हो, बैंकों से सहायता मिलने की हो या बधी बांधने हेतु लिए जाने वाले कर्म की हो या कृषि की उन्नति के लिए और साधन जुटाने की हो, उन्हें दूर करना बहुत जरूरी है। जब किसानों की तरक्की होगी और कृषि का उत्पादन बढ़ेगा, तो हमारी अर्थ-व्यवस्था सुदृढ़ होगी।

मैं सुझाव देना चाहती हूँ कि अगर हम अपने वित्तीय वर्ष में परिवर्तन करके उसे बजट

अधिवेशन को सितम्बर से चालू करें तथा बजट वर्ष को 15 नवम्बर से 14 नवम्बर तक रखें, तो बड़ी सुविधा होगी। इस समय तक किसानों की स्थिति, उनके उत्पादन और उनकी समस्याओं के सम्बन्ध में पूरी जानकारी स्पष्ट रूप से हमारे सामने आ जाएगी। मैं समझती हूं कि दूसरे माननीय सदस्य भी इससे सहमत होंगे।

जहां सरकार कई प्रकार के कार्यक्रम बना कर देश को समाजवादी समाज के लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए आगे बढ़ना चाहती है, वहां कई जगह बड़ी गड़बडियां भी हैं, जिनको दूर करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए भारतीय खाद्य निगम में भ्रष्टाचार की शिकायतें आती रहती हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश में कीमतों के बढ़ने से लोगों में बहुत बेचैनी है। खासतौर से निम्न वर्ग एव मध्य वर्ग के लोगों में बहुत परेशानी और क्षोभ है। हमें बढ़ती हुई कीमतों को रोकने के लिए हमें ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। अगर हम कीमतों को कम न कर सके, तो कम से कम उन्हें स्थिर रखने का प्रयास करना ही चाहिए।

जहां हमारा देश अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए समुचित नीति अपना रहा है और आज हम सिंचाई, उद्योग आदि हर एक क्षेत्र में विकास की ओर अग्रसर हैं, वहां मुझे यह कहते हुए बहुत दुख होता है कि हमारे देश म क्षेत्रीय इमबैलेंस मौजूद हैं। हमने सिंचाई साधनों के विकास को बहुत महत्व दिया है और 20 सूत्री कार्यक्रम में उसको प्रथम स्थान दिया है। सिंचाई के मामले में मध्य प्रदेश कई अन्य प्रदेशों से पीछे है। और उसमें भी मैं जिस क्षेत्र से आती हूं जो बुन्देलख-ड का एरिया है वह सिंचाई के मामले में शून्य है। वहां पर नहरें या कोई भी अन्य सिंचाई का साधन नहीं है। माननीय प्रधान मन्त्री जी ने कई बार घोषणा की है कि हमें सिंचाई संबंधी बहुदेशीय परियोजनाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। मैं एक ऐसी ही परियोजना की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहती हूं। हमारे यहां केन नदी बहुद्देशीय वृद्ध योजना है, जिसके अन्तर्गत छतरपुर में 6 लाख एकड़ भूमि, पन्ना डिस्ट्रिक्ट में 5 लाख एकड़ भूमि और उत्तर प्रदेश के बांदा डिस्ट्रिक्ट में 4 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी। इसके अलावा उससे 60-70 मैगावाट बिजली भी पैदा की जा सकेगी। जिसका सर्वे भी पूर्ण हो चुका है। मेरा निवेदन है कि ऐसी परियोजनाओं को खासकर उन क्षेत्रों की परियोजनाओं को, जहां सिंचाई-साधन बिलकुल नहीं है-प्राथमिकता देनी चाहिए।

मैं यह बताना भी अपना फर्ज समझती हूँ कि इतने लम्बे अरसे में बुन्देलखंड में एक भी मध्यम या वृद्ध उद्योग सरकारी या प्राइवेट किसी भी क्षेत्र में स्थापित नहीं किया गया है। वहां के हजारों लाखों लोग अपना पेट भरने के लिए अपने घर छोड़ कर दिल्ली और दूसरी जगह आते है, जहां वे मेहनत मजदूरी करते हैं। यहां पर ठेकेदार और बिचौलिए उनके साथ क्या-क्या ज्यादतियां करते हैं, ये बातें रोज हमारे सामने आती हैं। मैं उनके लिए असहाय किसी भी प्रकार की सहायता चाहते हुए भी करने में असमर्थ सी हो जाती हूं, उनकी कोई सहायता नहीं कर सकती। तो मैं चाहती हूं छतरपुर और टीकमगढ़ में उद्योग खोले जाए। लेकिन उद्योग तब तक नहीं खुल सकते जब तक कि वहां आवागमन के साधन नहीं हों। जब भी मैं किसी उद्योगपति से बात करती हूं उद्योग खोलने के लिए तो यही जबाब वह देते हैं। किसी से भी बात

करिए तो वह कहते हैं कि पहले वहां आवागमन के साधन होने चाहिये। आवागमन के साधन के लिए अथवा उद्योग में किसी न किसी को तो पहल करनी पड़ेगी। मैंने एक रेल लाइन की मांग सेलवे मन्त्री जी से की थी। उन्होंने कहा कि यह बहुत बड़ी है हम इसको दो हिस्सों में देंगे। एक हिस्सा सतना से बड़वाहा जिस की उन्होंने घोषणा कर दी है। लेकिन दूसरी जो बहुत प्रमुख लाइन है ललितपुर से बांदा (खरादा) वाया टीकमगढ़, छतरपुर, खजुराहो उसकी घोषणा नहीं की है। वहां उस इलाके में डकैतों की समस्या है, आवागमन के साधन नहीं हैं, गरीबी है। जिस रेलवे लाइन की उन्होंने घोषणा कर दी उसके लिए तो मैं उनको बधाई देती हूं। लेकिन यह दूसरी रेलवे लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। उस इलाके की डकैती की समस्या को हल करने के लिए भी इसको प्राथमिकता देना आवश्यक है और वह पिछड़ा इलाका है, जब हम यह कहते हैं कि पिछड़े इलाके को हम ऊपर उठाना चाहते हैं, क्षेत्र के इम्बैलेंस को मिटाना चाहते हैं तो इस तरफ शासन का ध्यान क्यों नहीं जाता जब कि मैंने कई बार इस ओर ध्यान आकृष्ट किया है ?

इसी तरह टीकमगढ़ जिले में एक ओर सिंचाई परियोजना की बात है। यह बहु-उद्देशीय परियोजना है। इससे भी बिजली की समस्या भी हल होगी और हजारों एकड़ जमीन की सिंचाई होगी। यह हमारे यहां की मुख्य समस्याएं हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि इन समस्याओं को गम्भीरता से लें।

एक और समस्या मेरे क्षेत्र में मेरे समक्ष आई है। वहां कुछ गांवों - कुछ मछुवे छोटे छोट तालाबों से अपनी गुजर बसर करते थे। उनमें वह सिंघाड़ा या और अन्य चीजें जो तालाबों में पैदा होती है उनको पैदा करके और मछलियों वगैरह से अपनी रोजी रोटी चलाते थे। लेकिन अब वह मत्स्य निगम के अन्तर्गत या कहीं कहीं पंचायतों के अन्तर्गत चले गए हैं। पंचायतों की आमदनी बढ़ाने के लिए वह एक अच्छा कदम है कि यह उन को दे दिया गया। लेकिन इसका नतीजा यह है कि बड़े बड़े ठेकेदारों को इसका ठेका दे दिया जाता है। उनके मुकाबिले में मछुवों की सोसाइटी भी बोली नहीं बोल पाती। इस लिए आज वह बेकार हो रहे हैं। उन के लिए खाने पीने का कोई साधन नहीं रह गया है। उनका शोषण हो रहा है। हम गरीबों के उत्थान की बात करते हैं, छोटे छोटे लोगों की तरक्की की बात करते हैं तो उन मछुवों की तरफ भी हमें अपना ध्यान देना चाहिए।

आपने मुझे समय दिया, आप की मैं बड़ी आभारी हूं और वित्त मन्त्री जी की भी बड़ी आभारी हूं जिन्होंने बहुत से करों से मुक्ति देकर मध्यम वर्ग के समाज के लिए बहुत राहत पहुंचायी है। लेकिन कुछ ऐसे कर हैं जो सीधे नहीं बल्कि अपरोक्ष में हैं वह हमारे उपभोक्ताओं पर ही पड़ते हैं। मैं जानती हूं और महसूस करती हूँ कि आखिर जो हमारी तरक्की के काम होंगे वह बिना पैसे के तो नहीं होंगे, कहीं न कहीं से साधन जुटाने होंगे। लेकिन वह बड़े लोगों की पूंजी में से जुटाएं जिन्होंने एक की जगह दस दस मिलें और कारखाने खड़े कर लिए हैं। उन की पूंजी छिपी हुई होती है और एक अदृश्य रूप से उन का पैसा बढ़ता जाता है। अगर आप उस पूंजी को पकड़ सकें और उसका लाभ उठा सकें तो गरीबों को बड़ी राहत होगी। इन्हीं

शब्दों के साथ मैं इस बजट का हृदय से समर्थन करती हू और आपको और वित्त मन्त्री जी को धन्यवाद देती हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री नीलालोहिता दसन नाडार।

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मत्री (श्री बूटा सिंह) : महोदय, इससे पूर्व कि आप श्री नीलालोहिता दसन को बुलाएं, मुझे आपसे एक अनुरोध करना है। श्री एस. एम. कृष्ण ने जिनका पहले वाद विवाद में हस्तक्षेप करने का विचार था अब यह कहा है कि वह अब हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अत: अब हम सभी सदस्यों को बोलने के लिए समय दे सकते हैं। माननीय वित्त मंत्री को 4-00 बजे बुला लिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। अब श्री नीलालोहिता दसन नाडार। आपके दल को 15 मिनट दिए गए हैं।

श्री ए. नीलालोहिता दसन नाडार (त्रिवेन्द्रम) : उपाध्यक्ष महोदय, आज कल हमारे आर्थिक जीवन में बजट, चाहें वह राज्य सरकार को हो या केन्द्रीय सरकार का एक निष्प्रयोजन और निरर्थक व्यायाम बन गया है क्योंकि हमारी आर्थिक व्यवस्था का नियन्त्रण बहुराष्ट्रीय कम्पनियां और बड़े घराने करते हैं। इस तरह के बजट जनता के वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं रखते। चाहें राज्य सरकारों द्वारा लगाया गया बिक्रीकर हो या केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाया गया उत्पाद-शुल्क हो उनमें जो कटौती या बढ़ोत्तरी की जाती है उसका चीजों के मूल्यों से कोई सम्बन्ध नहीं रहता। पहले हमारी यह धारणा थी कि उत्पाद शुल्क में कटौती होने से उस चीज के दाम कम हो जाते हैं अथवा उत्पाद-शुल्क में बड़ोत्तरी होने से चीज के दाम बढ़ जाते हैं लेकिन आजकल हम देखते हैं कि चाहे किसी चीज पर उत्पाद-शुल्क घटता हो या बढ़ता हो उत्पाद-शुल्क बढ़ा हो न बढ़ा हो, बजट हो न हो चीजों के दाम बढ़ते ही चले जाते हैं। उदाहरणार्थ जब चौधरी चरण सह हमारे राष्ट्र के वित्त मन्त्री थे तब उन्होंने अपने बजट में साबुन के उत्पाद-शुल्क में बढ़ोत्तरी की थी जिसके विरोध में पूरे देश में बड़ी हलचल मची थी। तत्पश्चात् चुनावों के बाद वर्तमान सरकार सत्ता में आई जिसने साबुन के उत्पाद-शुल्क में कटौती की लेकिन साबन के दामों में एक पैसे की भी कमी नहीं हुई बल्कि हम देख रहे हैं लगातार साबुन के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। अत: हम देखते हैं कि बजट का जनता के वास्तविक जीवन से कोई सम्बन्ध नहीं रहता। जनता के आर्थिक जीवन में बजट कुछ कर ही नहीं सकता।

वित्त मन्त्री ने आयकर में जो कटौती की है उसके बारे में शासक दल के प्रतिनिधियों ने बहुत कुछ कहा है लेकिन मैं वित्त मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि हमारे देश में कितने आयकर दाता हैं ? केवल 3 प्रतिशत लोग ही आयकर देते हैं। इसलिए आयकर में जो कटौती की गई है उससे बहुत कम लोगों को ही फायदा मिल सकेगा।

खेती के बारे में वित्त मन्त्री के भाषण में बहुत कुछ कहा गया है। तृतीय पैराग्राफ के अन्त में उन्होने कहा है :

कृषि के उत्पादन में कुल मिलाकर पूर्ववर्ती वर्ष की अपेक्षा 9 प्रतिशत की वृद्धि होगी। सम्मानित सदस्य सहमत होंगे कि यह हमारी कृषि संबंधी नीति के ठीक होने और हमारे किसान भाईयों की कड़ी मेहनत का प्रबल प्रमाण है।"

हमारे राष्ट्र में खाद्यान्न का उत्पादन प्रकृति की इच्छा और अनिच्छा के अनुरूप हो रहा है। यह हमारे लिए राष्ट्रीय लज्जा की बात है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के 36 वर्ष बीत जाने के बाद और योजनाओं की शुरूआत के 33 वर्ष बीत जाने के बाद भी हम राष्ट्र में सूखा और बाढ़ पर नियत्रण नहीं कर सके हैं। सूखा और बाढ़ से बच नहीं सके हैं। जब करोड़ों रुपए एशियाड, गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन और राष्ट्रमंडल सम्मेलन आदि के लिए अनावश्यक रूप से खर्च करते हैं गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र योजना आदि कार्यक्रमों के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। हमारे पास योजना नहीं है। यदि हम ऐसी योजनाओं का आविष्कार कर सकते हैं तो बाढ़ और सुखे पर भी नियंत्रण कर सकते हैं। बेकार लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के बारे में वित्त मन्त्री महोदय ने अपने भाषण में बहुत कुछ कहा है। इन दोनों कार्यक्रमों के बारे में अपने अनुभव के आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि वास्तव में जो लोग गरीबी की रेखा से नीचे अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उनको कोई फायदा नहीं पहुंचता है जो रकम इन कार्यक्रमों के लिए रखी जाती है, वह रकम किसी न किसी प्रकार भ्रष्टाचार के जरिए कुछ लोगों के पास पहुंच जाती है।

हाल ही में आल इन्डिया कांग्रेस कमेटी (आई) के महासचिव श्री राजीव गांधी, ने लखनऊ में कहा कि बीस सूत्री कार्यक्रम असफल रहा चाहे वह संकटकालीन परिस्थितियों का बीस सूत्री कार्यक्रम हो, वर्तमान परिष्कृत बीस सूत्री कार्यक्रम हो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम हो या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम हो। पिछली 15 अगस्त को प्रधान मन्त्री जी द्वारा घोषित ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी स्कीम या शिक्षित बेरोजगारों के नजी रोजगार देने का कार्यक्रम हो। इससे गरीबी की रेखा से नीचे अपना जीवन बीता रहें हैं, उनको कोई फायदा नहीं है। कुछ भ्रष्ट राजनीतिक और भ्रष्ट आफिसर ही इन योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार हमारे समाज में धार्मिक समस्या ही नहीं बल्कि आर्थिक विकास के लिए जो-जो रकम सरकार को खर्च करनी है, वह भ्रष्टाचार के जरिए कुछ भ्रष्ट राजनीतिक लोगों और कुछ भ्रष्ट आफिसरों की पाकेट में चली जाती है। वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार को दूर नहीं कर सकती है, क्योंकि उस सरकार की नीति ही भ्रष्टाचार पर आधारित है। काले धन को दूर करने के बारे में भी वित्त मन्त्री ने अपने भाषण में उल्लेख किया है। लेकिन शासक दल जब आगे आने वाले चुनाव और अपनी पार्टी को चलाने के लिए काला धन और करवंचन करने वाले लोगों पर दृष्टि रखते हैं, तो वे कैसे इनको दूर कर सकते हैं ? मैं आप की अनुमति से एक आरोप लगाना चाहता हूं शासक दल हमारे वित्त मंत्रालय का दुरुपयोग अपनी पार्टी चलाने के लिए और चुनावों के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए करता है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में वित्त मन्त्री जी अपने बजट भाषण के दसवें पैराग्राफ में कहते हैं।

"हमने किसी का वेतन कम नहीं किया है। हमने आयोजन के मामले में भी कोई समझौता नहीं किया है। हम ऋण संकट में भी नहीं फंसे हैं।"

इसका क्या मतलब है ? हमको किसी ने फंसाने या ट्रेप करने की कोशिश क्यों नहीं की आप उस ट्रैप में इसलिए नहीं फसे क्योंकि आपके सामने आने वाले चुनाव थे। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लेने के विरूद्ध देश भर में भावना जगी थी, आने वाले चुनाव में उस भावना से बचने के लिए आप ने अन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष से बाकी की रकम न लेने का फैसाला किया।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से आज तक देश का जो विकास हुआ है यदि उस का सर्वेक्षण करें तो आप को मालूल होगा कि हमारे विकास का सब से बड़ा दोष क्षेत्रीय असमानता रही है। हमारे केरल प्रदेश में तो क्षेत्रीय असमानता बहुत ज्यादा रही है। औद्योगिक विकास के क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार ने केरल की हमेशा अवहेलना की है। केन्द्रीय क्षेत्र में जो इन्वेस्टमेंट केरल में हुआ, 1978-79 में उसकी दर ढाई प्रतिशत रही 1981-82 में भी ढाई प्रतिशत ही रही और अब तो उससे भी कम होगी। हाल ही में केन्द्रीय उद्योग मन्त्री और व्यापार मन्त्री केरल के पर्यटन पर आये थे। उन्होंने कहा था केरल में औद्योगिक विकास के लिए बहुत अनुकूल परिस्थिति है। औद्योगिक क्षेत्र में वहां पर जो शान्ति है उसकी भी उन्होंने सराहना की थी. लेकिन उसके बाद केरल में केन्द्रीय क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। आज केरल से लेटर आफ इन्टेन्ट और औद्योगिक लाईसेंसों के लिए अनेक एप्लीकेशन्ज केन्द्रीय सरकार के दफ्तरों में पड़ी हुई हैं लेकिन केन्द्रीय सरकार उस ओर कोई कदम नहीं उठा रही है। औद्योगिक विकास के लिये जो मौलिक बातें हैं जैसे कच्चा माल, बिजली और मानस शक्ति ये तीनों केरल में बहुत अधिक मात्रा में विद्यमान हैं। इस लिए, उपाध्यक्ष महोदय, में आप के जरिये केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना करता हूं कि केरल में केन्द्रीय क्षत्र में अधिकाधिक उद्योग खोलें।

हमारे यहां "विज्हिन्जन" हार्बर के लिए केन्द्रीय सरकार ने द्वितीय और तृतीय स्टेज में कोई आर्थिक सहायता नहीं दी। एलेप्पी और वलिचतुरो पत्तनों के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार कुछ कदम नहीं उठाती है और हमारे जो परम्परागत उद्योग कोयर, हैन्डलूम केश्यू और बीड़ी के हैं, उनके पुनर्गठन के लिए जो कार्यक्रम रखें गये हैं. उनके लिए केन्द्रीय सरकार आर्थिक सहायता नहीं देती है।

हमें अपने अनुसंधान पर बहुत गर्व है. लेकिन कृषि के क्षेत्र में जो अनुसंधान होता है, वह पर्याप्त नहीं है। उदाहरणार्थ हमारे केरल में नारियल कृषि कई बीमारियों से ग्रस्त है और इन बीमारियों की पकड़ के लिए अभी तक आप के अनुसंधान विभाग ने कोई कार्य नहीं किया है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद तत्कालिक रूप में सम्मश्रित आर्थिक व्यवस्था हमने अपनाई थी। स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू के उन दिनों के भाषण और लेख इसके स्पष्ट प्रमाण हैं लेकिन आज हम देखते हैं कि सम्मश्रित आर्थिक व्यवस्था ने भारत में पूंजीवादी विकास का रास्ता दिया है। देश के बाहर और अन्दर के पूंजीवादियों ने सामंतवादियों से मिलकर हमारे आर्थिक विकास के सारे फल खा लिये हैं। इस परिस्थिति को बदलने के लिए माइनर आपरेशन से कुछ होने वाला नहीं है। इसके लिए तो मेजर सर्जरी, मेजर आपरेशन होना चाहिए। इसलिए मेरा कहना यह है कि सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन यदि हम चाहते हैं तो पहले-पहल हमें आर्थिक क्षेत्र से विदेशी पूंजी को घटाना चाहिए और हमारी आर्थिक योजनाएं हमारे इंटरनल रिसोर्सेज पर, आन्तरिक विभवों पर और मानसिक शक्तियों पर आधारित योजना अपनानी चाहिए। आज हम यह देख रहे हैं कि यहां के जो बड़े औद्योगिक घराने हैं, बड़े व्यापार घराने है, उनकी पूंजी बढ़ती ही चली जाती है। अगर समाजवादी अर्थव्यवस्था की स्थापना चाहते हैं, तो आर्थिक क्षेत्र में हमारा पहला कदम तो यह होना चाहिए कि जो बड़े औद्योगिक घराने हैं उनका राष्ट्रीयकरण किया जाए। मैं आपके जरिये से मंत्री महोदय से और सरकार से यही मांग करता हूं कि बड़े औद्योगिक घरानों की पूंजी का राष्ट्रीयकरण तुरन्त करना चाहिए। समय के अभाव के कारण मैं और ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार के पिछले चार वर्षों का शासन बिल्कुल निष्क्रय और निकम्मा रहा है और इस सरकार का यह निकम्मा बजट है और बजट आफ इनएक्शन है। पिछले चार वर्षों में आपने क्या किया। आपने ब्लैक मनी बियरर बौंड्स के जरिये से काले धन वालों को सहायता दी है। इसके अलावा एम. आर. टी. पी एक्ट को लिब्रेलाइज करके आपने बड़े उद्योगपतियों, पूंजीपतियों और बड़े-बड़े औद्योगिक घरानों को और पनपने का असवर दिया है। आई. एम ए. की शर्तों और प्रवासी भारतियों की निक्षेप योजनाओं के जरिये, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को आधिपत्य जमाने के लिए आपने अवसर प्रदान किया है। इन सभी कार्यवाहियों को आपने इस बजट के जरिये से छिपाने की कोशिश की है। मैं इस बजट का विरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : वित्त मंत्री महोदय 4 बजे उत्तर देंगे। आपके पास $2\frac{1}{2}$ घंटे हैं। सत्तारूढ़ दल के कई सदस्यों को और विपक्ष की ओर से जो सदस्य नहीं बोले हैं उनको भी बोलने के लिए बुलाया जाएगा। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया प्रतीक्षा कीजिए। उन्हें सभा में लगातार बैठने का अभ्यास करना चाहिए।

श्री एफ. एच. मोहसिन (धारवाड़ दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट प्रस्तावों का सामान्यत: इस देश के सभी वर्गों के लोगों द्वारा स्वागत किया गया है। इस बजट के लिए मैं वित्त मंत्री को बधाई देता हूं। इसमें न केवल नए कर लगाये गए हैं अपितु कई कर राहतों की घोषणा की गई है। इस प्रकार कर देने वाले लोगों का प्रसन्न होना स्वाभाविक है।

अतीत में वर्षों से यह परम्परा रही है कि जब हमें चुनाव कराने होते हैं, कर कम लगाए जाते हैं ; कुछ लोग कह रहे थे कि चुनाव प्रत्येक वर्ष क्यों न करा लिए जाएं जिससे हमें प्रत्येक वर्ष कर न देने पड़े । परन्तु मेरे विचार में कर रहित बजट का यह कोई व्यावहारिक प्रस्ताव नहीं है । प्रत्येक दिन अवकाश का दिन नहीं हो सकता । कर अवकाश एक वर्ष के लिए हो सकता है। परन्तु इसे कई वर्षों तक नहीं दोहराया जा सकता । इसी प्रकार, श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा एक आलोचना यह की गई थी कि 9 महीनों के पश्चात् और अधिक कठिन समय आने वाला है और अगला बजट करों के लिहाज से बहुत भारी बजट हो सकता है । मेरे विचार में यह इतना भारी नहीं होगा, जितना वह सोचते हैं । परन्तु हमारे जैसे विकासशील देशों में कुछ कर लगाना आवश्यक है । यह अपरिहार्य है ।

महोदय, वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा था कि बंधी आय वर्ग के लोगों के लिए कुछ राहतें प्रदान की गई हैं । निस्संदेह, कुछ हद तक राहत प्रदान की गई है । कई आय स्तरों में 5 प्रतिशत की राहत प्रदान की गई है । परन्तु उच्च आय वर्ग में अर्थात् 60,001 से 70,000 तक और 85,001 से 100.000 तक यह कटौती अधिक है अर्थात् 7.5 प्रतिशत है । उच्च आय वर्ग में में कटौती कम आय वर्ग की तुलना में कहीं अधिक है । कम वर्ग वालों को 5 प्रतिशत की राहत दी गई है । उच्च वर्गों में निश्चित आय वर्ग के लोग अथवा वेतनभोगी वर्ग के लोग बिलकुल नहीं आयेंगे । मेरे विचार में इसकी कोई संभावना नहीं है कि 60,001 रुपये से 70,000 रुपये अथवा 85 000 से 1,00,000 रुपये तक के वर्ग में वेतन भोगी वर्ग के लोग आएंगे । अतः व्यवसाय करने वाले लोगों को अधिक राहत प्रदान की गई है । व्यवसाय करने वालों को $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत और निम्न आय वर्ग के लोगों को 5 प्रतिशत की राहत दी गई है । अतः वास्तव में कम वेतन-भोगी लोगों को राहत प्रदान नहीं की गई है । इस प्रकार इरादा धनी लोगों का राहत देने का है और संयोगवश निम्न आये वर्ग के लोगों को भी राहत दी गई है ।

आयकर छूट सीमा नहीं बढ़ाई गई है । 15000 रुपये से अधिक आय वाले व्यक्ति पर कर लगाया जा सकता है । आजकल, 15,000 रुपये वार्षिक आय की कीमत ही क्या है ? दस वर्ष पूर्व 1500 रुपये भी बहुत होते थे । रुपये का मूल्य गिर गया है और यह घटकर 12 पैसे रह गया है । यहां तक कि एक पान वाला भी 50 रुपये प्रतिदिन कमा लेता है । क्या आप पान वाले पर कर लगायेंगे ? गलियों में घूमकर सामान बेचने वाला एक छोटा फेरी वाला भी 50 रुपये प्रति-दिन कमा लेता है । उसकी मासिक आय 1500 रुपये हो जाती है । परन्तु जीवन निर्वाह व्यय इतना अधिक है कि 1500 रुपये महीना भी किसी भी व्यक्ति के लिए गुजारा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं । सर्वाधिक प्रभावित निश्चिय आय वर्ग के लोग हैं जिनकी कोई और आय नहीं है । अतः इन लोगों को कोई राहत नहीं दी गई है । कुछ वर्ष पूर्व आय-कर की छूट सीमा 12,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये की गई थी । मुझे आशा थी कि छूट सीमा बढ़ाई जाएगी । परन्तु मुझे निराशा हुई । छूट सीमा 15 000 रुपये से बढ़ाकर 25.000 रुपये की जानी चाहिए । अन्यथा प्रत्येक व्यक्ति आय-कर अधिकारियों द्वारा परेशान किया जाएगा । कोई भी नहीं बच सकता । 50 रुपये प्रतिदिन कमाने वाले व्यक्ति को आय-कर देना पड़ता है । क्या वित्त मंत्री का विचार कम वेतनभोगी लोगों के अतिरिक्त छोटे-छोटे फेरी वालों और छोटे दुकानदारों पर भी कर लगाने

का है ? यहां तक कि आजकल एक क्लर्क अथवा टाइपिस्ट भी इतना पैसा, बल्कि इससे भी अधिक कमा लेता है। यदि किसी व्यक्ति के अधिक बच्चे हैं अथवा उस पर आश्रित लोग अधिक हैं तो क्या उसे कोई राहत दी गई है ? नहीं वास्तव में निश्चित आय वर्ग और निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों को और ऐसी कोई राहत नहीं दी गई है। परन्तु उच्च आय वर्ग के व्यक्तियों को—अर्थात् प्रति वर्ष 60,000 रुपये और उससे अधिक कमाने वाले व्यक्तियों को राहत देने का प्रयास किया गया है।

वित्त आयोग के प्रतिवेदन में सिफारिश की गई थी कि किसी भी अवस्था में कराधान की दर 50 प्रतिशत से अधिक होनी चाहिए। परन्तु इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। वित्त मंत्री को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी स्थिति में कराधान की दर 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि कराधान की दर ऊँची है तो कर अपवंचन होगा, वे खातों में हेराफेरी करेंगे और इसका ध्यान रखेंगे कि कर के निचले खण्ड में आए। इन्होंने वर्तमान 67.5 प्रतिशत की तुलना में इसे कम करके 61.7: प्रतिशत कर दिया है। यह राहत दी जा रही है। परन्तु उन्हें इसे कम करके 50 प्रतिशत तक कर देना चाहिए। इसने ऐसा नहीं किया है।

जहां तक धन कर का संबंध है, यह सच है कि उन्होंने कर निर्धारिती द्वारा मकान के स्वामित्व के मामले में सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दी है। 1 लाख तक की कीमत का मकान धन कर से मुक्त है। परन्तु यह सीमा भी कम है। एक छोटे से 2 कमरों के मकान की कीमत आजकल 2 लाख रुपये से अधिक होगी। भूमि की कीमत और मकान की कीमत में अत्यधिक वृद्धि हुई है। आप दिल्ली या बम्बई या बंगलौर में 2 कमरों का छोटा-सा मकान 2 लाख रुपये से कम में प्राप्त नहीं कर सकते।

इसका अर्थ है कि प्रत्येक को धन कर भी देना पड़ेगा। इसके बाद पुनः कर निर्धारिती 1,50,000 रुपये तक का शुद्ध धन कर मुक्त था। इसे नहीं बढ़ाया गया है। यदि कर निर्धारिती के पास 1,50,000 रुपये से अधिक का धन है तो उसका कर निर्धारण किया जाएगा। बड़े शहरों में अचल सम्पत्ति सहित 1,50,000 रुपये की राशि अधिक नहीं होती है। आप कुल कितना राजस्व प्राप्त करते हैं ? मैं श्री सतीश अग्रवाल से पूर्णतया सहमत हूं कि धन कर तो बहुत कम प्राप्त होता है; परन्तु आपको उसके निर्धारण के लिए बहुत से अधिकारियों को लगाना पड़ता है। कर निर्धारितियों को परेशानी उठानी पड़ती है। इसे छोड़ देना बेहतर है। बेहतर होगा कि धन, कर उपहार कर और सम्पदा शुल्क को छोड़ दिया जाए। आप इतनी राशि उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क में वृद्धि करके प्राप्त कर सकते हैं। परन्तु आपको जो धन कर प्राप्त होता है वह बहुत कम होता है और इससे कई लोगों को परेशानी होती है।

राज्यों के साथ राजस्व के बंटवारे का जहां तक संबंध है, आय पर कर भारत सरकार द्वारा लगाया और उगाहा जाता है और राज्यों में वितरित किया जाता है। आय कर में निगमित कर सम्मिलित नहीं है। निगमित कर राज्यों में बिल्कुल भी नहीं बांटा जाता। वित्त अधिनियम, 1959 में किए गए परिवर्तनों के परिणामस्वरूप केवल लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अदा किए आय

कर को नियमित कर समझा जाना चाहिए। यहां तक कि लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अदा किए गए कर को भी निगमित कर समझ लिया जाता है। वास्तव में राज्यों का निगमित कर में और लिमिटेड कम्पनियों द्वारा दिए गए करों में हिस्सा नहीं होता। इससे राज्यों के स्रोतों में कमी होना स्वाभाविक है और कई राज्यों में असंतोष व्याप्त हो जाएगा। सभी राज्यों द्वारा होहल्ला जाता है, क्योंकि उनके पास कोई संसाधन नहीं हैं। संसाधन खत्म हो चुके हैं। कई राज्यों के सभी संसाधन समाप्त हो चुके हैं और वे सहायता के लिए हमेशा केन्द्र की ओर देखते हैं। यदि यह भी नहीं किया जाता, ठीक ढंग से नहीं बांटा जाता है तो असंतोष का कारण सदा बना रहेगा।

सातवें वित्त आयोग ने उगाहे गये उत्पाद शुल्क के 40 प्रतिशत के वितरण की सिफारिश की थी। अब यह बांटा भी जा रहा है। परन्तु बाद में पेट्रोलियम, अल्युमिनियम, इस्पात सभी के मूल्यों में वृद्धि की गई है। परन्तु उत्पाद शुल्क में वृद्धि नहीं की गई। परिणामस्वरूप, यदि उत्पाद शुल्क में वृद्धि नहीं की जाती, यदि केवल कीमतों में वृद्धि की जाती है तो राज्यों को उनका हिस्सा नहीं मिल सकता। उन्हें पेट्रोलियम उत्पादों, अल्युमिनियम, इस्पात, कोयले आदि के मूल्य में वृद्धि करने से 6500 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं।

किन्तु उत्पाद शुल्क नहीं बढ़ाया गया था। परिणामस्वरूप 2500 रुपये की राशि जो कि राज्यों को उपलब्ध करायी जानी थीं उनको नहीं दी गयी या इसीलिए पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री और अन्य मुख्य मन्त्रियों के साथ भी झगड़ा हुआ यहां तक कि कांग्रेस सरकारें भी कठिनाई में हैं। वे अपनी दिक्कतें प्रकट नहीं कर रही हैं। किन्तु वे भी केन्द्र के पास आते हैं और धन की मांग कर रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप राज्यों के पास राजस्व की कमी है और वे विकास परियोजनाओं को चालू नहीं कर सकते। हर छोटी से छोटी चीज के लिये उन्हें केन्द्र पर आश्रित होना पड़ता है।

जहां तक कर्नाटक का सम्बन्ध है, किसी समय यह एक समृद्ध राज्य था। वहां पर्याप्त मात्रा में विद्युत तथा अच्छी सिंचाई की सुविधायें उपलब्ध थीं। किन्तु जब अन्य राज्यों की तुलना में यह पिछड़ गया है। यहां पर कोई सिंचाई सुविधाएं एवं विद्युत नहीं है। उद्योग भी नहीं लगाये जा रहे हैं। कृषि की हालत भी खराब है। देश के किसी भी राज्य की उन्नति उस राज्य द्वारा उत्पन्न की जा रही विद्युत पर निर्भर करती है कृषि अर्थ-व्यवस्था के लिये सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करानी होती हैं। कर्नाटक पिछड़ा हुआ है। ऐसे राज्यों के लिये आपने क्या किया है। अगर प्रादेशिक असंतुलन है तो रोष बना रहेगा। यह काफी नहीं है कि देश का एक भाग पूर्णतया विकसित हो और अन्य भागों की उपेक्षा की जाये। मनुष्य के प्रत्येक अंग का ध्यान रखना पड़ता है अन्यथा, मनुष्य को कष्ट उठाना पड़ेगा। अगर एक अंग में भी तकलीफ होती है तो सारे शरीर को कष्ट उठाना पड़ता है। इसी प्रकार अगर कोई भी राज्य वित्तीय कठिनाई में है तो सारे देश को हानि होगी यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि राज्यों को पर्याप्त राशि उपलब्ध करायी जाये। पिछड़े राज्यों में सिंचाई परियोजनाएं आरम्भ की जानी चाहिये; कुछ विद्युत-उत्पादन योजनाओं को भी आरम्भ करना होगा। इन सभी

परियोजनाओं को नियोजित करने के लिये राज्यों को अधिक धन राशि मुहैया करानी होगी। देश सही दिशा में विकसित होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री एफ० एच० मोहसिन : मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं जानता हूँ कि सभी के लिए व्यवस्था करना कितना मुश्किल है।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी को एक सुझाव देना चाहता हूं। आप आयकर लगा रहे हैं। इसका परिणाम क्या है? बड़ी कम्पनियों के निर्देशक अथवा उद्योगपति क्या करते हैं? वे ज्यादा से ज्यादा यात्राएं करते हैं क्योंकि वे ज्यादा आयकर के भुगतान से बचना चाहते हैं। ये निर्देशक तथा उद्योगपति यात्राएं करते रहते हैं और बड़े बड़े होटलों में रहते हैं। उन्हें खर्च करने की चिन्ता नहीं है क्योंकि वे समझते हैं आयकर के रूप में सरकार को देने की बजाय क्यों न मौज किया जाए अक्सर ये लोग हवाई जहाज से यात्रा करते हैं, पांच तारा होटलों में रहते हैं, खुले हाथ से खर्च करते हैं और उस व्यय को खातों में नाम डाल देते हैं ताकि आय कम बताई जाए। इससे मुद्रा स्फीती होगी क्योंकि खर्च अधिक होगा। बचत खातों में जमा रखने अथवा निवेश करने की बजाय वे इस पैसे को खर्च करेंगे क्योंकि अगर वे पैसा बैंक में रखते हैं तो आयकर विभाग उसे देखेगा। अतः आय पर लगाने की बजाय क्यों न व्यय पर कर लगाया जाए? मैं उनके विचार के लिये यह सुझाव दे रहा हूँ। व्यय के कारण मुद्रा स्फीती उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। यही लोग हैं जिनके पास बहुत सा काला धन है और वे इसे खर्च करते हैं। किन्तु व्यय पर कोई कर नहीं है। अगर आप व्यय पर नियंत्रण करें तो मुद्रा स्फीती पर भी नियंत्रण किया जा सकता है। अतः मैं आयकर को समाप्त करने तथा व्यय कर को लागू करने का सुझाव दूंगा। मुद्रा स्फीती को रोकने का यही एक मात्र समाधान है।

श्री रिजक राम (सोनीपत) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिये आपका धन्यवाद करता हूं। वित्त मत्री महोदय का भी मुझे धन्यवाद अदा करना है, मेरे संसद में सदस्य बनने के बाद मेरा यह पहला बजट पेश हुआ है, और मुझे खुशी है कि इस पहले बजट में कोई टैक्स नहीं लगा है, बल्कि कुछ रियायतें दी गई हैं। और इससे अगला बजट सेशन चुनाव से पहले गालिबन होना नहीं है। इसलिये मैं वित्त मंत्री महोदय का आभारी हूं कि मेरे संसद सदस्य की अवधि में जो बजट पेश हुआ है उसमें कोई टैक्स नहीं लगा है, और आग लगने की सम्भावना नहीं है।

उपाध्यक्ष जी, इस बजट में कई क्षेत्रों में रियायतें दी गई हैं। इनका टैक्स के बारे में कुछ न कुछ रियायतें दी गई हैं, लेकिन शायद मेरे समझने में गलती न हुई हो, 40 हजार से 50 हजार का जो नया स्लैब बनाया है उस पर कोई रियायत वित्त मंत्री महोदय ने नहीं दी है।

इससे ऊपर 50 हजार से 75 हजार या और ऊपर वाले स्लैब में रियायतें हैं, लेकिन 40 से 50 हजार वाले स्लैब में कोई रियायत नहीं है। यह समझ में आने वाली बात नहीं है,

लेकिन मैं इस विषय की तरफ ज्यादा न जाते हुए कृषि के क्षेत्र के बारे में ही कुछ कहना चाहता हूँ।

कृषि के क्षेत्र में फर्टिलाइजर और चाय पर रियायतें दी गई हैं, लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि 1983-84 में कृषि उत्पादन में जो प्रगति हुई है, उसके लिये कृषि मंत्रालय और सरकार धन्यवाद के मुस्तहक है।

आर्थिक समीक्षा में यह चर्चा की गयी है कि कृषि के क्षेत्र में जो उन्नति हुई है, उत्पादन में जो बढ़ोतरी हुई है, वह पूर्ण रूप से बहुत ही सुनिश्चित है। उसके सन्दर्भ में मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ कि कृषि की वृद्धि प्रशंसनीय है, उत्पादन में रिकार्ड पैदावार हुई है, इसमें शक नहीं, लेकिन यह सोचना कि कृषि क्षेत्र में जो कमियां या बाधाएं हैं, वह दूर हो गयीं, उत्पादन आगे इसी तरह बढ़ता रहेगा और चिन्ता की कोई बात नहीं है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ।

जब से योजनाएं चलीं, देश आजाद हुआ, हमारे सामने पहली, दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजनाएं आई और हर साल के उत्पादन के आंकड़े भी हमारे सामने आते रहे। कृषि के मैदान में आज भी मानना पड़ता है कि कृषि की उन्नति और उसकी पैदावार का ज्यादातर आधार वर्षा और मौसम के अच्छा होने पर है। जब वर्षा और मौसम अनुकूल हो जाए तो उत्पादन अच्छा हो जाता है, लेकिन इसके प्रतिकूल होने पर पैदावार में कमी होती रही है। ऐसा हरेक योजना के आंकड़ों से पता लगता है।

1950-51 की पंचवर्षीय योजना में इस देश में कृषि के उत्पादन के लिये ज्यादा से ज्यादा धन जुटाया गया और कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिये पूरी शक्ति लगाई गई, राशि का भी पूरा प्रावधान किया गया। 1950-51 की योजना की अवधि में 49 प्रतिशत से भी अधिक उत्पादन में वृद्धि हुई। इसके बाद 1961 से 1971 तक उत्पादन में बढ़ोतरी 31.7 प्रतिशत हुई और 1970-71 से 1980-81 तक 22.4 प्रतिशत और 1983-84 में 13 परसैंट हुई। कृषि उत्पादन में इधर 13 परसैंट वृद्धि हुई और इसी दौरान देश में आबादी 24 परसैंट के करीब बढ़ी है। अगर हमारे अनाज की पैदाबार का पर कैपिटा अनुमान लगाया जाये तो आज भी आबादी में बढ़ोत्तरी ज्यादा और अनाज उत्पादन में कमी है। इसलिये पैर-कैपिटा जो अनाज आज उपलब्ध है वह कम है।

मैं कहना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से चाहे जितनी भी कोशिश की गई हो, फिर भी कुछ बाधाएं, रुकावटें, बोटलैनक्स ऐसे हैं जिनकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये ताकि कृषि के मैदान में जो तरक्की होनी चाहिये, उसके रास्ते में जितनी रुकावटें हैं, वह दूर हो जाए और अपना देश अनाज के बारे में सैल्फ-सफीशियेंट हो जाये।

आप देखेंगे कि 1978-79 में अनाज की पैदावार 111 मिलियन टन हुई। वह साल वर्षा और मौसम के लिहाज से बहुत अच्छा था। लेकिन 1981-82 में वह पैदावार गिर कर

104.9 मिलियन टन और 1982-83 में 98.3 मिलियन टन रह गई। हमारे देश में मौसम की अनुकूलता और प्रतिकूलता के अनुसार अनाज की पैदावार बढ़ती या घटती है। देखना है वे कौन से कारण और बाटलनेक्स हैं, जिनकी वजह से हम कृषि की पैदावार में ज्यादा तरक्की नहीं कर सके हैं। मैं इस बारे में दो तीन बाधाओं की तरफ सरकार और वित्त मंत्री को ध्यान दिलाना चाहता हूं।

पहली बाधा तो यह मालूम पड़ती है कि कृषि मंत्रालय प्लानिंग कमीशन और फिनांस मिनिस्ट्री का आपस में ताल-मेल नहीं है, जिसकी वजह से कृषि की पैदावार को बढ़ाने की योजनाओं में रुकावट पड़ती है। देश की अर्थव्यवस्था को सुनिश्चित बनाने तथा स्थिरता लाने के लिये यह आवश्यक है कि खेती की तरक्की के लिये जरूरी इनफ्रा-स्ट्रक्चर (आधारभूत ढांचा) बनाया जाए और उसके लिए धनराशि जुटाई जाए। मैं मानता हूं कि इस साल के बजट में कृषि के लिए कुछ ज्यादा राशि दी गई है, लेकिन कीमतों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए वह इतनी ज्यादा नहीं है कि अनाज की पैदावार या इकानौमी की प्रगति पर उसका विशेष प्रभाव पड़े। मैं अशा करता हूँ कि वित्त मन्त्री कृषि के लिए ज्यादा से ज्यादा धनराशि का प्रावधान करेंगे।

सभी मानते हैं कि खेती और इण्डस्ट्रीज की प्रगति और अर्थ-व्यवस्था की स्थिरता के लिए बिजली का उत्पादन और पूरी-पूरी सप्लाई लाजिमी है। लेकिन फर्स्ट प्लान से लेकर आज तक बिजली के उत्पादन का हमारा लक्ष्य कभी पूरा नहीं हुआ और बिजली की सप्लाई जरूरत से कम रही, जिसके कारण कृषि की जितनी तरक्की होनी चाहिए, वह न हो सकी।

सरकार ने बिजली की योजनाओं के लिए पूरी धनराशि नहीं दी और उनको समय पर पूरी करने के लिए मशीनरी भी नहीं बनाई। नतीजा यह हुआ कि हर प्लान में बिजली के उत्पादन में कमी रही। पहली प्लान पंचवर्षीय योजना में बिजली के उत्पादन में 15.4 परसेंट की कमी रही, दूसरी योजना में 35.7 परसैंट, तीसरा योजना में 35.4 परसेंट और चौथी योजना में 50 परसेंट की कमी रही। छठे प्लान में भी इसी तरह से कमी रही।

हमारे देश में हाइड्रो इलैक्ट्रिक का पोटेंशल अधिक है। उसके लिए पूरी धनराशि देने से देश की सारी जरूरियात पूरी हो सकती हैं। लेकिन उसको 16 17, 18 परसेंट से कम एक्सप्लायट किया गया है। हिमाचल प्रदेश और नार्दर्न रीजन में भी उसे पूरा एक्सप्लायट नहीं किया जा सका है।

कृषि का उत्पादन बढ़ने में दूसरी बाधा इरिगेशन फेसिलिटीज की कमी है। अव्वल बात यह है कि सरकार राज्यों के रिवर डिसपूट्स का फैसला करने में देर लगाती है। दूसरे, जो स्कीम्स हाथ में लेते हैं उनको एग्जीक्यूट और इम्पलीमेंट करने में बहुत देरी लगती है जिस की वजह से उन प्रोजेक्ट्स का खर्चा जो हम अन्दाजा लगाते हैं 60-70 करोड़ होगा, वह तीन गुना और चार गुना पहुंचकर उन स्कीम्स का पूरा होना मुश्किल हो जाता है।

हरियाने और पंजाब के बारे में आप देखेंगे कि रावी व्यास दरिया के पानी के बटवारे क. सवाल कितने वर्षों से लटक रहा है। वर्ष 1970 से रावी व्यास का पानी पाकिस्तान को जा रहा है आज तक हम उस पानी का ठीक तरह से फैसला करके हरियाणा और पंजाब को पानी नहीं दे सके। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि हरियाने ने सौ करोड़ के करीब खर्च करके एल वाई जल नहर अपने इलाके में बनायी मगर उसका भी फायदा उनको नहीं मिल पा रहा है। सौ करोड़ रुपये का सालाना नुकसान हरियाने के किसान उठा रहे हैं क्योंकि उनकी फसलों को पानी नहीं मिलता। इसके अतिरिक्त जो हमारा पोटेंशियल है उसको प्रयोग में लाने के लिए भी पूरा प्रावधान नहीं किया जा रहा है जिससे खेती को पूरा पानी नहीं मिल पाता है।

तीसरा कारण यह है कि सरकार की अनाज के प्रोक्यरमेंट की जो नीति है उससे भी किसानों में असंतोष है। सरकार की ओर से निर्धारित मूल्य जिन्स के बाजार भाव से कम रहे

(श्री एन. के. शेजवलकर पीठासीन हुए।)

हैं। सन् 68 तक गेहूं का निर्धारित मूल्य बाजार भाव से ऊंची थी और सरकार को अनाज खरीदने में कठिनाई नहीं आई। लेकिन उसके बाद जो कीमत मुकर्रर की गई वह बाजार के भाव से कम रही। जब किसान के अपनी फसल उठाने का वक्त होता है, जिस वक्त वह अपनी जिन्स बेचता है उस वक्त बाजारी कीमत ज्यादा होती है और सरकार कीमत मुकर्रर करती है जिससे किसानों में असंतोष है। पिछले साल 151 रुपये गेहूं का भाव सरकार ने मुकर्रर किया और इस साल एक रुपया बढ़ाकर 152 रुपया किया है। इस सरकार को वैसे तो इसकी दाद देनी चाहिए कि एक रुपया क्विंटल यानी 1 पैसा फ्री किलोग्राम अनाज की कीमत बढ़ाई जब कि और उपभोक्ता चीजें जैसे, ट्रेक्टर, डीजल, या कपड़ा वगैरह जो किसान को खरीदनी पड़ती हैं उनकी कीमतें कई गुना बढ़ी, लेकिन सरकार ने एक रुपया गेहूं की कीमत एक क्विंटल पर बढ़ायी। यह सरकार ने अच्छा फैसला नहीं किया। वैसे तो दाद देनी चाहिए उस व्यक्ति की जिसने यह सुझाव दिया कि एक रुपया बढ़ाया जाय। अच्छा किया. घटाया नहीं, अगर घटा देते तो किसान के पास कोई चारा नहीं था। लेकिन इस तरह से सरकार ने जो फैसला किया उससे किसानों में नाराजी और असंतोष है। इस फैसले पर दोबारा विचार करने की आवश्यकता है।

कृषि के क्षेत्र में मुख्यतर बाधक एक और पहलू पर वित्त मंत्री महोदय ने अपने भाषण में कोई प्रकाश नहीं डाला। इस बारे में मैं जिक्र करना चाहता हूं और वह यह कि जमीन के बहुत छोटे-छोटे टुकड़े हो चुके हैं सन 50-51 में छोटे किसानों की तादाद साढ़े दस प्रतिशत थी और सन 61 में 5 एकड़ तक के किसान की तादाद केवल 16 प्रतिशत थी जबकि 1971 में उनकी तादाद 73 परसेंट पहुंच गई। कहां दस परसेंट कहां सोलह परसेंट और कहां आज 73 परसेंट ? और इनमें से 43–44 परसेंट वह किसान हैं जिनके पास एक या हैक्टेयर उससे कम भूमि है, दो बीघे, एक बीघे या एक एकड़ है। अब सरकार को देखना चाहिए कि यह जो फ्रेगमेन्टेशन आफ होल्डिंग्ज हुआ है उससे पैदावार बढ़ने में भारी बाधा पड़नी अनिवार्य है यह तथ्य सब जानते हैं कि सरकार की ओर से जो सहायता किसानों को दी गई है वह कुछ बड़े

किसानों तक ही सीमित रही। 50 फीसदी किसान जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है या 2 एकड़ ही है उनको हरित क्रांति का कोई लाभ नहीं पहुंचा है। इस बात से आज कोई भी इन्कार नहीं कर सकता। इन किसानों में आर्टिजन्स भी हैं और हरिजन भी हैं जिनको आप मार्जिनल फार्मर्स कह सकते हैं जोकि गरीबों की रेखा से नीचे हैं; मैं आपके द्वारा सरकार से अर्ज करता हूं कि अगर जमीन को टुकड़े होने से नहीं बचाया गया तो आप बड़े किसानों को ट्रैक्टर वगैरह देकर या किसी भी तरह से लाभ देकर पैदावार बढ़ाने से इस देश को गरीबी दूर होने वाली नहीं है। सभी लोग इस बात को मानते हैं कि हर एक पचवर्षीय योजना में देश की पैदावार बढ़ी है, आमदनी भी बढ़ी है और जी. एन. पी. भी बढ़ा है, लेकिन उसके साथ-साथ विलो पावर्टी लाइन के लोगों की तादाद भी बढ़ती गई है एक तरफ अमीर ज्यादा अमीर बनते गए हैं और दूसरी तरफ गरीब और ज्यादा गरीब होते गए हैं। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मन्त्री जी को इस तरह खासतौर से ध्यान देना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा मन्त्री जी से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने जो छोटे किसानों और अनएम्पलायड यूथ को सुविधायें और रियायतें देने का कार्यक्रम चालू किया हुआ है उनका लाभ उन लोगों तक नहीं पहुंचता है। यहां पर बैंकों के सम्बन्ध में काफी चर्चा हो चुकी है। कर्जे तकसीम करने के लिए टास्क फोर्स काम करता है जिसमें लीड बैंकों का रिप्रेजेन्टेटिव, क्रेडिट बैंक का प्रतिनिधि, इण्डस्ट्रीज के अफसरान और दूसरे अफसरान भाग लेते हैं और वह टास्क फोर्स के रूप में कर्जे की मंजूरी देते हैं। लेकिन आप मालूम कर लें मैं जिला सोनीपत का उदाहरण देना चाहता हूँ वहां पर टास्क फोर्स की मंजूरी के बावजूद पंजाब नेशनल बैंक के कर्मचारियों ने 45 प्रतिशत कर्जे (मंजूरशुदा) नामंजूर कर दिए क्योंकि वे लोग शायद उनकी तसल्ली नहीं कर सके या उन्हें पैसा नहीं दे सके। मेरी समझ में नहीं आता कि जब टास्क फोर्स ने अपनी मंजूरी दे दी फिर बैंक वाले क्यों उसको नामंजूर करें ?' मैं सुझाव देना चाहता हूं कि इस तरह से आप जो कर्जा देते हैं उसमें पब्लिक की नुमाइन्दगी भी होनी चाहिए।

जहां तक फ्रैगमेंटेशन आफ होल्डिंग्ज का सवाल है, जो जमीन के छोटे-छोटे टुकड़े हो गए हैं उसका एक मुख्य कारण और भी है और वह है हिन्दू सक्सेशन ऐक्ट। उत्तराधिकार का कानून जो 1956 में बना था उसका कुप्रभाव इतना पड़ा कि जमीन के छोटे-छोटे टुकड़े होते चले गए जब भी कभी हिन्दू सक्सेशन ऐक्ट में परिवर्तन करने की बात कही जाती है महिला संघ और दूसरे शहरी हल्कों से आवाज उठने लगती है कि यह महिलाओं के खिलाफ होगा लेकिन असल में में ऐसी बात नहीं है। आप शेड्यूल (बन) और शेड्यूल (टू) को देख लें एक आदमी के मरने पर उसकी जमीन 12 जगह बटती है, 12 जगह विरासत में पहुचती है जिससे कि उसके छोटे-छोटे टुकड़े हो रहे हैं। यह भी नहीं है कि उसमें सभी के साथ इन्साफ किया जा रहा हो। मैं सिर्फ एक छोटी सी मिसाल देकर खत्म करना चाहता हूं। आप शेड्यूल (टू) को देखें पहले पिता को दी, फिर लड़के को दी, फिर लड़के का लड़का हो या कोई और हो उसको दी। मान लीजिए 4 भाई हैं, एक रावल चला गया, एक भाई की बेवा है, तीसरा भाई जिन्दा है और चौथा भाई गुजर गया तो चौथे भाई की विरासत अकेले भाई को ही मिलेगी, न तो भतीजों को मिलती है और न ही बेवा को मिलेगी तो यह कहां का इन्साफ है ? जो सगे भतीजे हैं और जो बेवा है वह आपने

चौथी और छठी कैटेगरी में रखे हैं। मैं माननीय वित्त मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस बात पर भी गौर करें कि हिन्दू सक्सेशन ऐक्ट में परिवर्तन करने की आवश्यकता है या नहीं। वे इस बात पर गौर करें कि इससे रूरल एकोनामी को कहां तक धक्का पहुंचता है ? आप एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाकर इसकी जांच करवायें।

सभापति जी, आप यह सुनकर हैरान होंगे कि मां- बेटा, बहन-भाई के मुक्द्में चल रहें हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हू। पिनाना गाँव सोनीपत जिले में एक पिता ने कृषि भूमि अपने बेटे के नाम कर दी। जिस पर उस की मां और बहनों से मुकद्मा दायर कर दिया कि हमारा भी उसमें हिस्सा है। मुकद्में के चलते के दौरान बेटे ने मां और बहनों का कतल कर दिया। इस तरह से मां-बाप और भाई-बहन को आपस में प्यार समाप्त हो रहा है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसका निरीक्षण करें।

जहां तक हरियाणा का सवाल है. सभापति जी. हरियाणा का ड्रेनेज शिष्टम दिल्ली से जुड़ा हुआ है। दिल्ली वाले ड्रेन नहीं बनाते हैं, जिसकी वजह से सारा पानी वहाँ पर रुका हुआ है। आए साल वहां गांव के गांव में बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। इसी की वजह से हमारी देहातों की फसलें मारी जाती हैं। इसलिए मैं आपके द्वारा अर्ज करना चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी आप अपनी प्रभाव इस्तेमाल करके हिदायत दें कि इस काम को जल्दी से पूरा किया जाए।

इन शब्दों के साथ, सभापति जी, आपको धन्यवाद देते हुए में अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री चिन्त बसु (बारसट) : माननीय सभापति महोदय, मुझसे पूर्व वक्ता बहुत सी बातों पर कह चुके हैं। स्वभाविक है कि मेरे पास समय कम है और मैं अपना भाषण बहुत ही संक्षिप्त करूंगा और सिर्फ उन्हीं बातों को उठाऊंगा जो की मेरे विचार में बजट से अत्यधिक संबन्धित हैं। प्रारम्भ में मैं कहना चाहूंगा कि यह धारणा बनाने का प्रयास किया गया है कि बजट प्रस्ताब लोक हित में है और जनता को इस बजट प्रस्तावों द्वारा बहुत अधिक राहत दी गयी है। कुछ इस प्रकार की धारणा सदन के बाहर और भीतर बनाई जा रही हैं। किन्तु वास्तविकता यह नहीं है। बहुत ही संक्षिप्त में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट के माध्यम से सच्चाईयों तथा जनता की आर्थिक कठिनाईयों तथा नाराजगी पर पर्दा डालने का प्रयास किया है। वास्तव में उन्होंने आंकड़ों के हेर-फेर कर अपनी बुद्धिमता तथा जादूगरी का परिचय दिया है जो कि ऐसा मालूम होता है कि उन्होंने सरकार की पिछली प्रक्रियाओं से सीखा है। अगर आप मुझे कहने की हदायत दें तो मैं यह टिप्पणी करूंगा और वे विशेष रूप से हम समझते हैं। यह सिर्फ चुनाव के पहले की सोडा बोतल की तरह है। वह इसे समझते हैं और मेरे विचार से यह पर्याप्त है।

अब जहाँ तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है कि उन्होंने किस चतुराई से काम लिया और किस बुद्धिमानी का परिचय दिया है। श्री सतीश अग्रवाल ने कल अपने भाषण में बहुत कहा है। 1984-85 के लिए शुद्ध धारा 1762 करोड़ रुपये है। इसमें वृद्धि होगी; इसमें कोई संदेह

नहीं है। और वास्तविक घाटा इससे कहीं अधिक होगा जैसा कि पिछले वर्षों में हुआ है। आपको याद होगा और तथा यह है कि दिसम्बर 1983 में 3000 करोड़ रुपये के घाटे का अनुमान था किन्तु यह कम दिखाया गया था। यह कैसे किया गया ? हेर-फेर और रद्दो बदल का एक कारण यह भी रहा होगा कि योजना और गैर योजना व्यय मे कटौती की गई और उसके कारण ही घाटे में निश्चित कमी की गई जो की दिखाये गये वास्तविक घाटे से अधिक थी। क्या यह कटौती लोगों के लिए हितकर थी ? कहा गया है कि मुद्रा स्फीति को रोकने के उपाय के रूप में यह कटौती अनिवार्य थी। मेरा मुद्दा यह है : क्या इस कटौती का परिणाम निकलेगा, अर्थात् मुद्रा स्फीती को रोका नहीं जायेगा अत: हम आशा से कि आने वाले दिनों में और भी हेरा-फेरी होंगी, घाटे का क्रम आँकलन किया गया है, इससे मुद्रा स्फीती बढ़ेगी ही। अत: आने वाले दिन हमारे लिए सुखद नहीं हैं और यहां तक की चुनाव पूर्व दिनों में भी जिस बड़ी घटना की हम आशा कर रहे हैं, और उसके पश्चात् भी लोगों को कष्ट उठाना पड़ेगा। और दूसरे कठोर उपाय भी किये जायेंगे।

एक और बात कही गई है कि यह वास्तव में जन हितकारी बजट है क्यों कि उत्पादन शुल्क में लगभग 188 करोड़ रुपयों की कमी की गई है। है इसमें कोई संदेह नहीं है। कि हम वास्तविकता को नकार नहीं सकते; पर अच्छा है। किन्तु क्या इस कमी का मूल्यों पर कोई प्रभाव पड़ेगा ? मेरा जवाब नकारात्मक है। सच तो यह है कि वास्तव में यह सभी बड़े औद्योगिक गृहों तथा अन्य लोगों के हित में की गयी है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं चीनी मिल मालिक उत्पाद शुल्क में तथा खांडसारी चीनी पर उत्पाद शुल्क में कमी की मांग करते आ रहे हैं, और मेरे विचार से खांडसारी चीनी पर उत्पाद शुल्क में कमी होने से मूल्यों में कोई कमी नहीं आयेगी।

एक और मुद्दा ग्रंतग्रस्त हैं, बजट राज्यों के हितों के प्रतिकूल है उत्पादन शुल्क में कमी से राज्यों के हिस्से में भी कमी होगी। इससे राज्यों के हिस्से में लगभग 40.38 करोड़ रुपये की कमी होगी इस अवसर पर में बताना चाहूंगा कि कुछ समय पहले सरकार ने एक अध्ययन दल का गठन किया था। जिसने की उत्पादन शुल्क के कार्य कारण का अध्ययन किया था तथा इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि लगभग 7000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष वसूली नहीं की जा रही है क्योंकि स्वयं वसूली तंत्र में ही कुछ खामियां हैं। और उन्होंने यह सिफारिश की कि अगर कतिपय सख्त उपाय किये जायें तो 5000 करोड़ रुपये बिना अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाये वसूल किए जा सकेंगे। तथापि बजट प्रस्तावों में इसका कोई उल्लेख नहीं है।

मैं मानता हूँ कि पिछले वर्षों की भांति कोई नया कर नहीं लगाया गया है और इससे यह धारणा बन सकती है कि इससे लोगों पर और बोझ नहीं पड़ेगा। सीमा शुल्क के प्रश्न पर ही विचार कीजिए। सीमा शुल्क में वृद्धि की गई है तथा इससे उन वस्तुओं के उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा जिनके उत्पादन के लिए कुछ वस्तुओं का आयात किया जाता है और इससे उन वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होगी। इसये भारतीय अर्थ-व्यवस्था पर लागत वृद्धि का प्रभाव पड़ेगा। अत: इसमें भी मुद्रा स्फीती की वृद्धि होगी। सिर्फ उत्पाद शुल्क में कमी अथवा नये

कर न लगाने मात्र से, जैसा कि पिछले वर्षों में हुआ है, लोगों को विश्वास दिलाया जाता है कि यह पिछले वर्षों की भांति कठोर नहीं हैं। अत: यह सच नहीं है। लोगों को कठिनाई होगी जैसा कि उन्होंने पहले भी बुरे दिन देखे हैं साथ ही शुल्क पर लागत विभाग पूल में नहीं है। और राज्यों को उनका उचित हिस्सा नहीं मिलेगा। सम्पूर्ण चीजें राज्यों के विरुद्ध हैं। साथ ही आय कर में कुछ कमी की गई है किन्तु देश में नियत वेतन भोगी वर्ग की संख्या मुश्किल से 0.5% है। सरकार ने बाकी आम जनता के लिए क्या किया है। आज सुबह यह स्वीकार किया गया था कि 2280 लाख व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। इन लोगों को कौन सी विशेष राहत मिलेगी ? अगर कोई कहता है कि यह जन हितकारी है तो मेरे विचार से ऐसा नहीं है। आयकर में कमी से अंतत: राज्यों की अर्थ-व्यवस्था प्रभावित होती है। यहां तक की निर्यात पर राज सहायता 500 करोड़ से अधिक की निश्चित की गई है। इन सबसे यह बात सिद्ध होती है कि यह बजट इतना जन हितकारी नहीं है तथा इतना बड़े उद्योगपतियों के विरुद्ध भी नहीं है। जितना कि सदन और इसके बाहर कहा जा रहा है। उन्होंने अर्थ व्यवस्था की वास्तविकता को ध्यान में रखा है मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि उन्हने वास्तविकता का जो आंकलन किया है वह मुझे अवास्तविक लगता है और यह वास्तविकता का सही आंकलन नहीं है। वह सहमत होंगे और मेरे विचार से सम्पूर्ण सदन को भी सहमत होना चाहिए कि सामाजिक आर्थिक बदलाव लाने के लिए योजना एक प्रभावी साधन है। योजना की वर्त्तमान स्थिति क्या है ? यद्यपि सरकारी क्षत्र के परिव्यय को छठी योजना के दौरान 97,500 करोड़ रुपये के मूल लक्ष्य से बढ़ा कर 1,10,000 करोड़ रुपये किया गया है, किन्तु सबसे अधिक दुखद की बात जिसे उन्होंने छुपाने का प्रयत्न किया है यह है कि वास्तविक पूंजी निवेश मुद्रास्फीति के कारण 1979-80 के मूल्य स्तर पर केवल 72,000 करोड़ रुपये ही होगा। यह वास्तविता है। क्या उन्होंने इस वास्तविकता को ध्यान में रखा था कि दरअसल योजना निवेश में कोई वृद्धि नहीं हुई, यदि वास्तव में योजना निवेश में कोई वृद्धि नहीं हुई, तो हम कैसे आशा कर सकते हैं कि हमारे देश की जनता की सामाजिक आर्थिक दशाओं में कोई सुखद परिवर्तन हो सकता है। मध्यावधि मूल्यांकन और अन्य उपलब्ध दस्तावेजों में यह सुझाव दिया गया है कि वित्तीय निवेशन और वास्तविक राजस्व सम्बन्धी उपलब्धियों में 25 प्रतिशत की कमी होगी। वास्तविकता यह है जिस पर उन्होंने पर्दा डालने का प्रयास किया है

थोक मूल्य सूचकांक 277·7 तक बढ गया जिसकी औसत जनवरी 1980 में निकाली गई थी। 18 फरवरी 1984 को यह बढकर 322 हो गया, जो 42 प्रतिशत है। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक इसी अवधि के दौरान 371 से बढ कर 56 हो गया अर्थात 51 प्रतिशत से भी अधिक बढ गया। अब मेरे विचार से, इस मुद्रा स्फीति ने एक ओर तो और अधिक मुद्रास्फीति पैदा की तथा दूसरी ओर यह एक आयातित मुद्रास्फीति है। इस नयी मुद्रा स्फीति का सामाजिक प्रभाव भी पड़ा है। इस मुद्रास्फीति का समाज पर अपना अलग प्रभाव होता है। इस मुद्रास्फीति के कारण ऐसी स्थिति उत्पन हो गयी है कि अमीर और अधिक अमीर होते जा रहे हैं तथा गरीब और अधिक गरीब होते जा रहे हैं।

सभापति जी, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि एक या दो वर्षों के दौरान परिवार की आय बढ गयी है। मेरे पास आंकड़े हैं। मेरा मुद्दा यह है कि मुद्रास्फीति अथवा

मुद्रास्फीति वाली स्थितियाँ बड़े औद्योगिक घरानों को लाभ पहुंचाती हैं और यह औद्योगिक स्थिति देश की जनता को और भी अधिक निर्धन बना देगी तथा यही इस स्थिति की वास्तविकता है जिसको माननीय मंत्री ने ध्यान में नहीं रखा है।

अब औद्योगिक रुग्णता बढ़ रही है तथा इससे इतनी चिन्ताजनक स्थिति पैदा हो गई है कि सभी अनुभव करते हैं कि औद्योगिक रुग्णता से उत्पन्न स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार को उचित रवैया अपनाना चाहिये या एक उचित नीति बनानी चाहिए। मेरे पास जो आंकड़े हैं, वे यह दर्शाते हैं कि बड़े, मझोले और लघु क्षेत्र में 25,423 रुग्ण इकाइयां हैं। दिसम्बर 1980 में बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिया गया दो हजार करोड़ रुपये से अधिक का ऋण, रुग्ण औद्योगिक इकाइयों में फंसा पड़ा है। अब, तालाबंदी और उद्योग बन्द होने के मामलों में वृद्धि हो गयी है। 1982 और 1983 में जनवरी से मई तक की अवधि के दौरान 50 प्रतिशत से अधिक कार्य-दिवसों का नुकसान ताला-बन्दी और उद्योग बन्दी के कारण हुआ अगली वास्तविकता यह है कि औद्योगिक इकाइयाँ अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं कर रही हैं। वार्षिक उत्पादन की क्षति, 10,000 करोड़ रुपये के मूल्य की रही है। मेरा मुद्दा यह है कि देश की आर्थिक वास्तविकता की माननीय वित्त मन्त्री ने उपेक्षा की है और उन्होंने कहा है—दावा किया है कि आज की आर्थिक वास्तविकता के आधार पर ही बजट प्रस्तावों को तैयार किया गया है। और इसके बाद, मैं केवल एक मुद्दा और रखना चाहता हूं। उद्योगों के आधुनिकीकरण की आशा में, ये बड़े घराने कुछ लाभ प्राप्त करने जा रहे हैं यह बहुत महत्वपूर्ण बात है जिस पर हमें ध्यान देना होगा। औद्योगिक घराने कोई नया पूंजी निवेश नहीं कर रहे हैं। मैं एक उदाहरण दे सकता हूं। 275 कम्पनियों के प्रस्तावित पूंजी व्यय के सम्बन्ध में आई. सी.आई.सी.आई के आंकड़ों के अनुसार—यह भुला देने वाला प्रश्न नहीं है वरन् वास्तविक बातों का पता लगाने वाला प्रश्न है—1983-84 में केवल 41 नयी परियोजनायें थीं। इसका अर्थ है कि बड़े औद्योगिक घराने, निगमित क्षेत्र नये उद्योग स्थापित करने के इच्छुक नहीं हैं। और 1984-85 में केवल 31 नई परियोजनायें थीं। 275 कम्पनियों का पूँजी गत व्यय 1983-84 में 1,304 करोड़ रुपए और 1984-85 में 1,184 करोड़ रुपये था। केवल अंश मात्र जो एक वर्ष में 16 प्रतिशत से अधिक नहीं है, तथा नई परियोजनाओं के लिए 12 प्रतिशत से अधिक पूंजी निवेश नहीं किया गया है।

अन्त में, सरकारी ऋण बकाया पड़े हैं और वित्त मन्त्री हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं। संविधान में यह व्यवस्था है कि ऋण की सीमा निर्धारित करने के लिए कानून बनाया जा सकता है। पिछले वर्षों के दौरान ऐसा कानून नहीं बनाया गया है। यहां तक कि गैर सरकारी सदस्य—स्वयं मैंने—एक विधेयक पुरः स्थापित किया था। यह अच्छा है कि वित्त मंत्री प्रसन्न हैं कि हमने नियंत्रणीय और अनुमेय सीमा का विरोध नहीं किया है।

क्या गारंटी है कि नई सरकार या अगली सरकार नियंत्रणीय सीमा को नहीं बढ़ायेगी जैसा कि अन्य विकासशील देशों में हो रहा है? सरकारी ऋण की सीमा निर्धारित करने के लिए कानून बनाने में सरकार क्यों हिचकिचा रही है?

कर को युक्ति संगति बनाने के बारे में बहुत बातें की गई हैं। वित्त मंत्री ने भी इसके बारे में कहा है। युक्ति संगति बनाने के कार्यक्रम का क्या तर्काधार है ? मैं केवल एक आंकड़ा देता हूँ। जब 1975-76 और 1982-83 के मध्य में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक लगभग 50 प्रतिशत बढ़ गया, थोक मूल्य लगभग 100 प्रतिशत बढ़ गये, आय-कर वसूली 25 प्रतिशत ही बढ़ी। यहां तक कि इन 4 वर्षों, अर्थात् 1980-81 से 1984-85 में केन्द्रीय सरकार के कुल राजस्व में आयकर से प्राप्त राशि 2 प्रतिशत से घट कर एक प्रतिशत रह गयी है। इस अवधि के दौरान नियमित कर भी 7 प्रतिशत से घटकर 6 प्रतिशत रह गया है। दूसरी ओर, उत्पाद और सीमा शुल्कों का कुल केन्द्रीय राजस्व में अंशदान लगभग 33 प्रतिशत है जबकि 60 प्रतिशत ऋणों, जमा, और घाटे की अर्थ व्यवस्था से प्राप्त होता है। मेरे विचार से यदि कर-ढांचे के पुनर्गठन के प्रश्न पर ध्यान दिया जाना तो इस कर-ढांचे को पूर्णतः बदलना आवश्यक है। मैं जानता हूँ, यह एक अतिशयोक्ति पूर्ण दावा होगा। किन्तु जब तक कर-ढांचे का निर्माण पुनः नहीं किया जायेगा तब तक जनता को कोई राहत नहीं मिलने वाली है। अन्त में, मैं श्री सतीश अग्रवाल द्वारा दिए गए कुछ सुझावों, विशेषकर दो लोक लेखा समितियां—एक व्यय और एक आय से संबंधित बनाये जाने के सुझाव तथा बजट प्रस्तावों की समिति द्वारा जांच करने से सम्बन्धित सुझाव का समर्थन करता हूं। सरकार की आर्थिक नीतियों और व्यय की संसद द्वारा अच्छी प्रकार से संवीक्षा किये जाने के लिए ये ऐसे सुझाव हैं, जिन पर मैं समझता हूं, विचार किया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ, मैं आपको धन्यवाद देता हूं और यह कहता हूँ कि सरकार को देश की चिन्ताजनक आर्थिक स्थिति पर ध्यान देना चाहिए।

श्रीमती जयन्ती पटनायक (कटक) : सभापति महोदय, ऐसा संतुलित बजट प्रस्तुत करने के लिए मैं वित्त मन्त्री को बधाई देती हूँ। इस बजट का अर्थशास्त्रियों और देश के सभी वर्गों के नेताओं द्वारा स्वागत किया गया है। इस बजट में सभी वर्गों के लोगों के लिए राहत दी गई है। और कर जुटाने के लिए अतिरिक्त प्रयास इस प्रकार से किए गये हैं कि उनका प्रभाव अधिक लोगों पर नहीं पड़ता है। बजट प्रस्तावों पर समग्र रूप से विचार किया जाना चाहिए। अब तक प्रस्तुत किए गये बजटों में यह सर्वोतम है, क्योंकि इसमें हमारे विशाल देश और उसकी निर्धनता का ध्यान रखा गया है तथा परिव्यय में प्रस्तावित वृद्धि की गई है और देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिये विभिन्न रूपों में प्रोत्साहन दिया गया है। कुशलता के साथ बनाये जाने के कारण इस बजट को बहुत लोगों ने अर्थशास्त्री का बजट कहा है। और जिन्होंने इसकी आलोचना की है, उन्होंने इसे चुनावी बजट कहा है जैसाकि आम आदमी को राहत देना सिद्धांत रूप में उचित नहीं है। फिर भी पिछले बहुत से वर्षों में 1984-85 का यह बजट सर्वाधिक संतोष जनक और लोकप्रिय है। 1984-85 की पूर्व सन्ध्या पर अर्थात् योजना के अंतिम वर्ष में हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था विकास और पुनरुत्थान—के लिए तत्पर है। 1979 से 1983 के बीच दो वर्षों के भयंकर सूखे और एक वर्ष कमजोर मानसून के बावजूद भी चालू वर्ष में खाद्यान्न का उत्पादन इतना अधिक रहा कि उसने पिछली क्षति पूर्ति कर ली। 1983-84 के दौरान खाद्यान्न का उत्पादन 142 मिलियन टन के लक्ष्य से भी अधिक होने की संभावना है। अतः पहले वर्ष

की 9 प्रतिशत वृद्धि के साथ कृषि उत्पादन रिकार्ड स्तर तक पहुंचने की आशा है। औद्योगिक उत्पादन भी अधिक हुआ है। राष्ट्रीय आय के 6-7 प्रतिशत की वृद्धि भी पिछले वर्षों की तुलना में अधिक है। मुद्रास्फीति दर को भी नियंत्रणीय सीमा के भीतर ही रखा गया है और निर्यात 10 प्रतिशत बढ़ गया है। अच्छे आर्थिक प्रबन्ध के कारण, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से हम 1.1 बिलियन की शेष राशि न लेने में समर्थ हुए हैं। संसाधनों की कठिनाई के बावजूद भी, हम यह कर सके हैं। उधार राशि में भी कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है। एक वर्ष पहले कयामत-कयामत चिल्लाने वाले विपक्ष के लोग कह रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का ऋण देश की अर्थव्यवस्था को पंगु कर देगा और भारत को स्थायी रूप से अमेरिका का गुलाम बना देगा। अत: श्रीमन ये सभी बातें सरकार द्वारा अपनाए गये कार्यक्रमों और नीतियों को उचित ठहराती हैं।

यह वास्तव में प्रशंसा की बात है कि लगभग 1,762 करोड़ रुपये के घाटे को रखते, हुये वित्त मंत्री ने उपभोक्ताओं को भी बड़े पैमाने पर राहत प्रदान की है। इस देश की विशालता तथा इसके विकास के कार्यों को ध्यान में रखते हुए भी घाटे की सीमा को अपेक्षाकृत कम रखा गया है, जो वास्तव में प्रशसा की बात है।

बजट की सबसे अधिक स्वागत योग्य बात यह है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की दरों में कमी कर दी गई है। दोनों प्रकार की कर दरों में चयनात्मक ढग से कमी करके वित्त मत्री ने अपनी प्रवीणता सिद्ध की है। एक लाख रुपये तक की राशि पर आय कर की दर में कमी से बहुत से लोगों को, विशेषकर वेतनभोगी वर्ग को राहत मिलेगी। इस प्रकार सम्पत्ति-कर छूट की सीमा में की गई वृद्धि से बहुतों को सहायता मिलेगी। काफी समय से यह विवाद रहा है कि प्रत्यक्ष करों की दर इतनी अधिक हैं कि इसके परिणामस्वरूप व्यापक करापबंचन होता है तथा अप्रत्यक्ष करों की उच्च दरों के परिणामस्वरूप मूल्य बढ़ जाते हैं तथा कभी-कभी मांग कम हो जाती है तथा इससे राजस्व में भी कमी आ जाती है। इसलिए, दोनों करों को चयनात्मक ढंग से कम करके वित्त मंत्री ने अच्छा काम किया है। उन्होंने उन त्रुटियों को दूर करने के लिए कदम उठाए हैं जिनका न्यास लाभ उठाते थे। अतिरिक्त 2.5 प्रतिशत कर अधिशुल्क को वित्तीय संस्थाओं के पास जमा कराने के प्रावधान से कम्पनियों की सुरक्षित धन-राशियों की स्थिति में सुधार होगा। उद्योगों विशेषकर रुग्ण उद्योगों के आधुनिकीकरण की स्कीमों पर ब्याज में की गई कमी से औद्योगिक पनरुद्धार तथा विकास में सहायता मिलेगी।

वित्त मंत्री ने कपड़े, कागज, ट्रकों, खांडसारी, पंखों, कूलरों आदि पर अप्रत्यक्ष कर कम कर दिए हैं, इस आशा में कि कीमतें कम हो जाने पर बिक्री में वृद्धि से घाटा काफी हद तक पूरा हो जाएगा। कुछ सदस्यों ने करों में दी गई छूट के कारण देश के हित का बलिदान करने के लिए बजट प्रस्तावों की आलोचना की है। वित्त मंत्री ने केन्द्रीय सहायता के रूप में तथा आवर-ड्राफ्टों के बार-बार मझौली अवधि के ऋणों में रूपान्तरण के रूप में अतिरिक्त सहायता प्रदान की है। यह दुःख की बात है कि केन्द्र सरकार द्वारा बार-बार दी गई रचनात्मक सहायता के बावजूद बहुत से राज्य अपने वित्त प्रबंध में अब भी लापरवाही बरत रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में राज्यों को प्रोत्साहन की प्रस्तावित योजना बहुत स्वागत योग्य बात है।

बजट में विकासशील अर्थ-व्यवस्था की पूंजी निवेश आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ अर्थ-व्यवस्था के मुद्रा-स्फीति पर नियंत्रण रखने के विश्वास की झलक मिलती है। आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने के उद्देश्य से उद्योगों को विकासोन्मुख प्रोत्साहन देते हुए वित्त मंत्री ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम के साथ सर्वाधिक कृपापूर्ण सलूक किया है, जिसके लिए परिव्यय 47 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है और यह आगामी वर्ष के वार्षिक योजना परिव्यय का लगभग 40 प्रतिशत बैठता है।

बजट प्रस्तावों से संकेत मिलते हैं कि 1984-85 के लिए गरीबी-निवारक कार्यक्रम के लिए कुल प्रस्ताव आवंटन पिछले वर्ष से लगभग दुगना है। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के लिए आवंटन चार-गुना बढ़ा दिया गया है। आई, आर. डी. पी., एन. आर. ई. पी., त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति, एकीकृत बाल विकास स्कीम आदि जैसे गरीबों के कार्यक्रमों को काफी अधिक आवटन प्राप्त हुए हैं। सामाजिक-आर्थिक प्राथमिकताओं में भारत सरकार की रुचि 20-सूत्रीय कार्यक्रम के लिए बढ़ाए गए परिव्यय में प्रतिबिम्बित होती है, जो अब लगभग 50 प्रतिशत है।

इस संबंध में मैं कुछ सुझाव दूंगी। समाज कल्याण तथा उत्पादकता को परस्पर सम्बद्ध किया जाना चाहिए। आई. आर. डी. पी. तथा एन. आर. ई. पी. के अन्तर्गत गांवों में होने वाले कार्यों को विभिन्न स्थानीय कार्यों जैसे कुओं की खुदाई, खेतों में जल-मार्गों का निर्माण से सम्बद्ध किया जाना चाहिए।

गरीबी-निवारक योजनाएं जैसे आई. आर. डी. पी. तथा सीमान्त व लघु किसानों के लिए प्रधानमंत्री के कार्यक्रम जैसों का कार्यान्वयन हमारे ग्रामीण विकास का आधार है,जिसके लिए हमें बैंकिंग जैसे बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है। यद्यपि इन वर्षों में बैंकिंग के ढांचे में विस्तार हुआ है, इसके विस्तार की गति गरीबी-निवारक कार्यक्रम के कार्यान्वयन की तुलना में धीमी रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की सेवा को और बढ़ाने की आवश्यकता है। चूंकि इनमें से अधिकतर कार्यक्रमों में ऋण की आवश्यकता पड़ती है, बैंक जितने समृद्ध होंगे तथा शाखाओं में जितने बेहतर साधन उपलब्ध होंगे, गरीबी-निवारक कार्यक्रम का कार्यान्वयन उतना ही बेहतर होगा।

दूसरे, जहां तक कार्यक्रम के ढांचे का संबंध है, आई. आर. डी. पी., सीमान्त किसानों के लिए प्रधान मंत्री का कार्यक्रम तथा जन-जातीय उप-योजना के अन्तर्गत ऐसी ही योजनाएं व अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनाएं जैसे अधिकतर कार्यक्रमों में राज-सहायता का प्रावधान है तथा बहुत बार इस राज-सहायता के कारण बड़े पैमाने पर धन का दुरुपयोग होता है, जिसमें बैंकों के कर्मचारी तथा निचले स्तर के सरकारी कर्मचारी मिले रहते हैं। इसलिए, मैं सुझाव दूंगी ऐसी राज-सहायता बन्द कर दी जाए योजना की पूरी लागत ब्याज-मुक्त ऋण के रूप में दी जा सकती है। राज-सहायता की राशि का एक-भाग ब्याज में दी गई छूट को पूरा कर सकती है तथा शेष भाग का उपयोग ऋण की किश्तों की समय पर अदायगी के लिए ऋण के एक भाग को बट्टे-खाते में डालने के लिए किया जा सकता है। इस प्रणाली से राज-सहायता

का दुरुपयोग कम हो जाएगा तथा इससे बैंकों के धन की समय पर अदायगी तथा इस धन को पुन: उपयोग में लाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

इस बजट में जिन क्षेत्रों पर विशेषकर अधिक बल दिया गया है, वे हैं कोयला, विद्युत, पत्तन, रेलवे आदि। पत्तन की क्षमता का और विस्तार करने के लिए पत्तन विकास पर काफी बल दिया गया है। यह कहते समय मैं भी इस बात पर बल देना चाहती हूं कि पाराद्वीप पत्तन की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, जो उत्तम ढांचा उपलब्ध होते हुए भी निर्यात मंडी में लौह अयस्क के संकट के कारण अच्छा कार्य नहीं कर रहा है। खनिज तथा धातु व्यापार निगम उड़ीसा के विशाल लौह अयस्क के लिए पर्याप्त मंडी ढूंढ पाने में सफल नहीं हुआ है। इसके परिणामस्वरूप उड़ीसा तथा बिहार की खानों में कार्यरत हजारों कामकारों का भविष्य अंधकार में है। बेशक, मैं वाणिज्य मंत्री की आभारी हूं जिन्होंने सहानुभूति के नाते एम. एम. टी. सी. को खरीद जारी रखने तथा पाराद्वीप पत्तन की निर्यात क्षमता में विस्तार करने की सभी संभावाओं का पता लगाने के निर्देश दिए हैं। एक ओर हम आदिवासी क्षेत्रों में अपनी खानों के लौह-अयस्क के लिए मंडी ढूंढने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड के सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्र अपनी नियंत्राधीन खानों से लौह अयस्क का उत्पादन बढ़ा रहे हैं। मैं समझता हूं कि वे अपनी नियत्राधीन खानों में सातवीं योजना के दौरान लौह-अयस्क की सप्लाई में पूर्णतया आत्मनिर्भर होने के लिए उत्पादन बढ़ाने का इरादा रखते हैं। जो मैं यह कहना चाहती हूँ वह यह है कि जब अर्थ-व्यवस्था का एक क्षेत्र क्षीयमान हो रहा हो तथा उस क्षेत्र के पूंजी निवेश का उपयोग न हो पा रहा हो तो अन्य क्षेत्र में इसी तरह का अधिकाधिक पूंजी निवेश बिलकुल नहीं होना चाहिए। मैं अनुरोध करती हूँ कि इस अविलम्बनीय तथा गंभीर मामले की जांच करने तथा कोई समन्वित हल ढूंढ़ने के लिए मंत्रिमंडलीय सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय कार्यकारी दल का गठन किया जाए जिसमें इस्पात और खान, वाणिज्य, नौवहन तथा परिवहन मंत्रालयों के प्रतिनिधि हों।

महोदय, कोयले के मामले में भी हमारा राज्य काफी सम्बद्ध है तथा हम वेस्टर्न कोल-फील्ड्स के अधीन ईव घाटी में एक नये ताप बिजलीघर की स्थापना का प्रस्ताव रखते रहे हैं। इस पृष्ठ-भूमि में ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) द्वारा कोयला संयोजन तथा क्षमता बढ़ाने के लिए अयोजना की स्वीकृति का तत्काल महत्व हैं। इसी प्रकार, तालचेर कोल फील्ड्स का सैन्ट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड के अंतर्गत प्रस्तावित विस्तार कार्यक्रम अनिवार्य रूप से तालचेर सुपर ताप बिजली परियोजना, नेशनल एल्युमीनियम कंपनी के नियंत्राधीन बिजली संयंत्र, भारतीय उर्वरक निगम की बढ़ी हुई आवश्यकता तथा राज्य सरकार के निकटवर्ती ताप बिजली संयंत्र की आवश्यकताओं से सम्बद्ध है। तालचेर के विस्तार कार्यक्रम के लिए पर्याप्त धन-राशि मिलनी चाहिए ताकि ये उद्योग नुकसान न उठाएं तथा राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

महोदय, मैं यहां इलैक्ट्रोनिक उद्योग का उल्लेख करना चाहती हूं। नि:सन्देह, इलैक्ट्रोनिक उद्योग को प्रोत्साहन दिया जा रहा है तथा इलैक्ट्रोनिक सामान के इस्तेमाल को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इलैक्ट्रोनिक कल पुर्जों के आयात को उदार बना दिया गया है। इसके साथ

साथ हम देशी उद्योग को इलैक्ट्रोनिक चीजों के कल पुर्जे बनाने के लिए भी उत्साहित कर रहे हैं। लेकिन, प्रश्न यह है कि देशी कल पुर्जों की उत्पादन लागत आयातित कल-पुर्जों की कीमत से अधिक है और चूंकि इन वस्तुओं के उत्पादन में आयातित कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है जिस पर आयात शुल्क और भी अधिक है, इससे इलैक्ट्रोनिक वस्तुओं की कीमत भी बढ़ जाती है। इस सम्बन्ध में इलैक्ट्रोनिकी मन्त्रालय तथा वित्त मन्त्रालय का ध्यान इस ओर दिलाया गया है। मैं फिर आग्रह करूंगी कि इलैक्ट्रोनिक उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ किया जाना चाहिए, क्योंकि इस उद्योग में महिलाओं की काफी बड़ी संख्या कार्यरत है।

महोदय, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि का आज बहुत महत्व है। पिछले कुछ समय से हमारा यह अनुभव रहा है कि थोक मूल्य सूचकांक में गिरावट का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर पूरा प्रभाव नहीं पड़ता यह एक अजीब बात है। मेरा सुझाव है कि इस प्रश्न की जांच करने के लिए योग्य अर्थ शास्त्रियों का पेनल बनाया जाना चाहिए ताकि उनकी सिफारिशों के आधार पर उपचारात्मक कार्यवाही की जा सके।

महोदय, इसके अतिरिक्त मेरे राज्य से सम्बन्धित और भी कुछ बातें हैं। लेकिन अन्त में मैं यह अवश्य कहूँगी कि पिछली जनता सरकार ने केन्द्र सरकार द्वारा 100 प्रतिशत वित्तपोषित केन्द्रीय स्कीमों की संख्या को काफी कम करने का एक निर्णय किया था। इसके परिणामस्वरूप उड़ीसा जैसे निर्धन-राज्यों को बहुत हानि हुई है। बहुत सी स्कीमें, जो विशेष कर विभिन्न क्षेत्रों में राज्य के पिछड़ेपन को दूर करने के उद्देश्य से बनाई जाती हैं, पूरी तरह केन्द्र सरकार द्वारा वित्तपोषित की जा सकती थीं, क्योंकि राज्य के पास कम संसाधन होने के कारण वह केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए अपना 50 प्रतिशत बराबरी का अंशदान नहीं दे सकतीं। मैं अनुरोध करूंगी कि मामले पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए तथा उड़ीसा जैसे राज्यों के लिए वांछित क्षेत्रों में केन्द्रीय स्कीमों के 100 प्रतिशत वित्तपोषित के लिए विशेष निधि अलग से रखी जानी चाहिए।

मैं वित्त मन्त्री को सूझ बूझ वाले तथा नवीनता भरे बजट प्रस्ताव रखने के लिए एक बार फिर धन्यवाद देती हूं।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करती हूं।

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्यों तथा सदन को यह बताना चहता हूँ कि हमारे पास समय अधिक नहीं है और प्रत्येक सदस्य बोलना चाहता है। लेकिन यह तभी संभव है जब सदस्य आपस में समझौता कर लें और कम समय लें क्योंकि निर्धारित सूची के अनुसार माननीय वित्त मन्त्री को शाम 4 बजे उत्तर देना है। अतः हम देखते हैं कि कितने सदस्यों को मौका मिलेगा।

एक माननीय सदस्य : उन्हें 5 बजे उत्तर देने के लिए कहें।

सभापति महोदय : अब श्री चिरंजी लाल शार्मा बोल सकते हैं।

श्री चिरजी लाल शर्मा (करनाल) सभापति महोदय, हम बजट प्रस्तावों पर पिछले 3-4 दिन से चर्चा कर रहे हैं। मेरे विचार में अब तब प्रस्तुत किए गए बजटों में यह सबसे उत्तम है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : उत्तम को बेहतर होना चाहिए।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : यह जन साधारण का बजट है। यह कहा गया है और ठीक ही है कि यह व्यवहारिक एवं संतुलित बजट है। विपक्षी सदस्यों ने व्यंग्यपूर्ण तरीके में कहा कि यह चुनाव पूर्व बजट है। सभापति महोदय, यदि सतारूढ़ दल चुनाव घोषणा पत्र में दिए गए वचन और आश्वासनों को पूरा करने का प्रयत्न करती है तो इसमें बुरा क्या है? ठीक ही कहा गया है कि प्यार और युद्ध में सब उचित है।" चुनाव क्या है? चुनाव पर्चियों का वोटों का युद्ध है। लेकिन तथ्य तथ्य ही है और उनका डट कर सामना करना चाहिए। इस बजट से वित्त मन्त्री की सक्रियता और विश्वास प्रदर्शित होता है और सभापति महोदय, इस सम्बन्ध में मैं उनके बजट भाषण के पैरा 10 से उद्धत करता हूँ, जिसमें बड़े विश्वास से वह कहते हैं।

> "हमने आर्थिक सहायता में कोई कटौती नहीं की है। हमने किसी मजूरी में कमी नहीं की है। हमने आयोजन के मामले में भी कोई समझौता नहीं किया है। हम ऋण संकट में भी नहीं फसे हैं। हम गरीबी दूर करने के कार्यक्रमों अथवा अपनी जनता की भलाई से सम्बन्धित अपने वचनों से भी विमुख नहीं हुए हैं।"

इससे उनका विश्वास प्रदर्शित होता है और यह कहना गलत नहीं होगा कि वित्त मन्त्री बहुत समझदार हैं।

कल ही मैं विपक्ष के माननीय सदस्य श्री इन्द्रजीत गुप्त का भाषण बड़े ध्यान से सुन रहा था। उन्होंने इस बजट की तुलना एक ऐसी धाय से की है जो नौ माह तक उस गर्भवती माता की देख रेख का कार्य संभाले हुए है जिससे वह अपनी चाहत का शिशु अर्थात नव ससद प्राप्त कर सके। उसे शांत रखने के लिए बजट रूपी अफीम की एक खुराक दी गई है। वास्तव में विपक्षी दल माननीय वित्त मन्त्री का बजट भाषण सुनकर किंकर्त्तव्य विमूढ़ हो गये थे। उनके मुंह बन्द हो गये थे क्योंकि उनके पास बजट के विरुद्ध कहने के लिए कुछ नहीं था। इस बजट की सबने सराहना की। इससे समूचे देश में समाज के सभी बर्गों को राहत मिली है। वे कहते हैं कि उन्हें शांत करने की दवा दी जा रही है मैं उनसे पूछता हूं कि नशे की दवा कब दी गयी? ऐसा तभी किया जाता है जब कोई व्यक्ति उद्विग्न हो जाता है? क्या वे उद्विग्न थे? क्या उनकी उद्विग्नता शांत करने की आवश्यकता थी? यदि हां, तो वित्त मन्त्री ने कौन सा पाप किया है? यदि बजट प्रशान्तक हैं तो वह विपक्ष के लिए है।

मुझे बैंकों का जिक्र करना है। वित्त उपमन्त्री ने कल बाद विवाद में भाग लेते हुए यह बताया था कि समग्र देश में बैंकों की 42738 शाखाएं खोली गयी हैं। इनमें से 23216 बैंक शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। आप देखेंगे कि बैंक देश के कौने कौने में हैं लेकिन कब से यह सब

1969 के बाद हुआ। उससे पहले बैंकों का लाभ कौन उठाता था? शहरी लोग, व्यापारी, उद्योगपति, दुकानदार तथा समाज के धनी को ही इसका लाभ उठाते थे। निर्धन व्यक्ति, हरिजन कृषक में बैंकों के दरवाजे खटखटाने का साहस नहीं था। बैंक के पास से गुजरने मात्र पर ही, बैंक मैनेजर उनकी बचत पर शक करते थे तथा उन्हें जेब कतरे समझ कर पुलिस को सौंप देते लेकिन आज क्या हो रहा है? बैंकर उनके आगे पीछे घूम रहे हैं। वे कहते हैं हमारे साथ आईए हम आपको आमंत्रित करते हैं। किसानों को ट्रैक्टर खरीदने, ट्यूब बैल लगाने रिक्शा चालक को रिक्शा खरीदने, उसे रिक्शा का मालिक बनाने के लिए ऋण दिए जा रहे हैं। क्या योजना लागू होने से पहले वह ऐसा कर सकते थे? क्या वह मुर्गी फार्म, मत्सय-फार्म और डेरी फार्म आदि बना सकते थे? जनता को पैसा दिया गया है तथा बैंकिंग प्रणाली द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं के कारण निर्धनतम व्यक्ति भी अपनी जीविका कमाने में समर्थ है।

माननीय वित्त मन्त्री का ध्यान कुछ कमियों की ओर आकर्षित न करने का अर्थ होगा कि मैंने अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया है क्योंकि लोगों से हमें विभिन्न शिकायतें मिली हैं। जन संपर्क कार्यक्रम के दौरान हम गांव गांव गए तथा कुछ बातों की ओर हमारा ध्यान दिलाया गया। मैंने वित्त उप मन्त्री को भी कुछ उदाहरण देते हुए पत्र लिखा कि ऋणी को ऋण प्राप्त करने के बाद मजबूरन उसमें से काफी हिस्सा अलग करना पड़ता है। विशेष रूप से निर्धन व्यक्ति को ऋण तभी मिलता है। मुझे ऐसे एक मामले की नहीं अपितु कई मामलों की जानकारी है जिनमें लोग ट्यूबैल लगाने के लिए ऋण लेने गए, बैंक ने उन्हें ऋण तो दिया लेकिन ऋण लेते समय बैंक ने ऋणी व्यक्ति पर यह दबाव डाला कि उन्हें एक विशेष प्रकार की इलैक्ट्रिक मोटर और उपकरण खरीदने होंगे।

वह फलां दुकान से अथवा डीलर विशेष से सामान खरीदें उसके लिए उन्हें खुले बाजार के प्रचलित भाव से अधिक पैसा देना पड़ता है। इस तरह से वे इसमें से पैसा हड़पने का प्रयत्न करते हैं। बैंकों का काम है ऋण देना। वे किसी को कोई वस्तु विशेष किसी विशेष दुकान से खरीदने के लिए बाध्य क्यों करते हैं? इस कदाचार को रोका ही जाना चाहिए। सभी स्तरों पर वितरण करने वाले अधिकारियों को सबक सिखाने की जरूरत है तथा इस तरह के कदाचारों को समाप्त करने के लिये उन पर निगरानी रखनी चाहिये तथा कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिये।

साथ ही बैंकों को प्रदर्शित इबारतों पर भी ध्यान देने के लिये कहना चाहिये। उन्हें आवश्यक रूप से जनता को परेशान करना चाहिये। वे आवेदन पत्र मगाते हैं आवेदकों को ऋण प्राप्त करने के लिए सुबह से शाम तक जगह जगह भाग दौड़ करनी पड़ती है; वे काफी पैसा खर्च करते हैं और अन्त में उन्हें कोई न कोई बहाना बनाकर नकारात्मक जवाब दिया जाता है। अत: मैं वित्त मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि ध्यान से लाये गये ऐसे मामलों की जांच करें। उदाहरण के लिए वित्त उपमन्त्री ने कल विशेष रूप से सदन को बताया कि 5000 रुपये तक के ऋण के लिये प्रतिभूति अथवा जमानत की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको ऐसा एक नहीं कई उदाहरण दे सकता हूं जिनमें लोगों को ऋण देने से मात्र इस लिये वंचित किया जा

रहा है क्योंकि वे प्रतिभूति या जमानत देने में असमर्थ होते हैं। मैं वित्त मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि जिन मामलों की ओर उनका ध्यान दिलाया गया है, वह उनकी जांच करें।

वित्त उप मन्त्री ने कल राजनीतिक हस्तक्षेप के बारे में कहा। राजनैतिक हस्तक्षेप क्या है ? उन्हें राजनीतिज्ञों की सदस्यता पर सन्देह क्यों है। यदि लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला संसद सदस्य या विधान सभा का सदस्य कोई मामला सामने लाता है तो यह कहा जाता है कि हम बेकार अड़चन डाल रहे हैं। हम यहां किस लिए मौजूद हैं ! हम जनता की, जिनके हम प्रतिनिधि हैं, शिकायतें दूर करने तथा जनता की शिकायतों की ओर उच्चाधिकारियों का ध्यान दिलाने के लिए यहां मौजूद हैं। वास्तविक शिकायतों की ओर हमारा ध्यान दिलाया जाता है। कुछ दिन पहले मैंने करनाल में आयोजित एक जन संपर्क कार्यक्रम की अध्यक्षता की। वहां डिप्टी कमीश्नर उपस्थित थे। एक मामले की ओर हमारा ध्यान दिलाया गया। मैंने डिप्टी कमीश्नर को कहा कि वे स्थानीय राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रबन्धकों को अपने विश्वास में लें तथा जनता की शिकायतें दूर करें। उन्होंने खेद प्रकट करते हुए कहा कि वे उनकी परवाह नहीं करेंगे क्योंकि वे राज्य सरकारों के अधीन न होकर केन्द्र सरकार के अधीन हैं। इसलिए उन पर कोई प्रशासनिक नियन्त्रण नहीं है। उन्होंने स्वयं को असहाय महसूस किया। मैंने मुख्य मन्त्री का ध्यान इस ओर दिलाया। मैं सदन में पुनः कहता हूं कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रबन्धकों को निदेश दिये जाने चाहियें कि वे शिकायतों सम्बन्धी समितियों की बैठकों में भाग लें आमतौर पर जिनका प्रतिनिधित्व मन्त्रियों द्वारा राज्यों के जिला मुख्यालयों में किया जाता है। मैं कम से कम अपने राज्य के बारे में कह सकता हूं। वे समझते हैं कि इन बैठकों में जाने से उनकी प्रतिष्ठा में कमी आती है।

श्री सी. टी. दंडपाणि (पोल्लाची) : तब बैंक काम नहीं करेंगे।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : बैंकों के कार्य न करने का प्रश्न ही नहीं है।

श्री सी. टी. दंडपाणि : वे मन्त्रियों के पीछे भागेंगे।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : यह मन्त्रियों के पीछे भागने का प्रश्न नहीं है। वे शिकायतों सम्बन्धी समिति में भाग लेने के लिये महीने में एक बार आते हैं। अधिकारियों का ध्यान शिकायतों की ओर दिलाया जाता है। उन पर उचित रूप से चर्चा की जाती है और वे शिकायतें दूर करने का प्रयत्न करते हैं। अतः मेरा सुझाव है कि वित्त मन्त्रालय द्वारा राष्ट्रीय बैंकों के प्रबन्धकों को निदेश जारी किए जाने चाहिए कि वे जिला स्तर पर शिकायतों सम्बन्धी समिति की बैठकों में भाग लें। जब वित्त मन्त्रालय द्वारा यह निर्देश जारी किये गये हैं कि ऋण बैंकों द्वारा दिये जाने चाहिये, मैं नहीं जानता कि वे सहयोग देने के अनिच्छुक क्यों हो सकते हैं ?

20 सूत्री कार्यक्रम ने देश में क्रांति ला दी है। जब से 20 सूत्री कार्यक्रम लागू किया गया है, इसने लोगों विशेष कर निर्धन और पदपलित, समाज के कमजोर वर्गों, हरिजनों, अनुसूचित

(श्री एफ एच मोहसिन पीठासनी हुए)

जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लोगों जिनके पास गांव में रहने के लिए जमीन नहीं है, का

ऊनकी जमीनें (ग्रामीण स्वामित्व निकाय) में शामलाल के अन्तर्गत कानून में संशोधन करके तथा 20 सूत्री कार्यक्रम लागू करके प्रत्येक गांव में प्रत्येक भूमि हीन व्यक्ति को 100 गज जमीन मकान बनाने के लिए दे दी गई है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह सुझाव देना है कि समाज के निर्धनतम वर्गों, विशेष रूप से हरिजनों, शहरों में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों को घर दिए जाने चाहिये। यदि सरकार समझती है कि जिस तरह से गांवों में किया गया है उसी भांति वह उन्हें यहां मकान नहीं दे सकती इन नगरों की निकटवर्ती जमीन अर्जित करके ऐसे गरीब लोगों को दे दी जानी चाहिये. प्रत्येक परिवार को कम से कम 50 स्क्वेयर गज क्रय मूल्य पर दी जानी चाहिये तथा उनसे विकास-व्यय आदि की वसूली नहीं की जानी चाहिए।

गरीबी हटाने तथा निर्धनों की सहायता करने का एक तरीका यह भी है। इस कार्यक्रम के वास्तविक कार्यान्वयन के लिए विशेष प्रबन्ध किए जाने चाहिए।

इस सम्बन्ध में मैं सुझाव दूंगा कि विधान सभा के सदस्यों तथा संसद सदस्यों को उन समितियों से सम्बद्ध किया जाना चाहिए, जिनका गठन 20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए किया गया है।

इस वित्त वर्ष में 11.858 करोड़ रुपये 20 सूत्री कार्यक्रम को लागू करने में खर्च किए जायेंगे और 400 करोड़ रुपये ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के लिए आवंटित किये गये हैं।

सभापति महोदय : आप हरियाणा राज्य से हैं। हरियाणा के विधायक इस पर गौर करेंगे।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : हरियाणा के विधायक हरियाणा विधान सभा में इस पर ध्यान देंगे। परन्तु जब हम यह अनुभव करते हैं कि हरियाणा की जनता के अधिकार अन्य लोगों के निष्ठुर पैरों के तले निर्दयतापूर्वक कुचले जा रहे हैं तो हरियाणा की जनता के हितों की सुरक्षा के लिए हम यहा इस सभा में मौजूद हैं।

हमें इस बात का गर्व है कि हमारे राज्य ने भारी प्रगति की है। कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है और निस्सन्देह पंजाब को छोड़ कर केन्द्रीय पूल में अधिकतम योगदान दे रहा है। हमें जल और विद्युत की आवश्यकता है। जल के बारे में इस सभा में पहले ही चर्चा चल चुकी है। सांसद श्री रिजक राम ने एस वाई एल (सतलुज यमुना लिंक) परियोजना का उल्लेख किया था। हरियाणा जल मार्ग पर पहले ही 100 करोड़ रुपया खर्च कर चुका है। पंजब में भी एक जल मार्ग का निर्माण किया जाना है। इसके लिए हरियाणा पंजाब सरकार को पहले ही 20.5 करोड़ रुपये दे चुका है और आज के समाचार पत्रों में यह छपा है कि हरियाणा की ओर से भारत सरकार भी पंजाब सरकार को पांच करोड़ रुपये, उन लोगों को भूमि के मुआबजे के रूप में देने के लिए दे चुकी है जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया है। क्या मैं उनसे यह पूछने का दुसाहस कर सकता हूँ कि आखिर वह 20.5 करोड़ रुपया गया कहां ? प्रधान मन्त्री महोदय ने

नहर का शिलान्यास 18 फरवरी, 1982 को किया था। अभी तक एक इंच जमीन भी नहीं खोदी गई है और 25 करोड़ रुपये हमारी जेब से गये हैं।

मैं केन्द्रीय सरकार से इस पर निगरानी रखने का निवेदन करता हूँ। और सुझाव देता हूं कि केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग को परियोजना की वास्तविक और वित्तीय प्रगति की निकट से निगरानी रखने के निर्देश दिए जाने चाहिए। विद्युत परियोजनाओं के संवर्धन हेतु हरियाणा को पर्याप्त धन दिया जाना चाहिए।

मैं करनाल चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। भारत सरकार के निर्णयानुसार वहां पर एक तेल शोधक कारखाना लगाया जाना है, जिसके लिए योजना आयोग ने भी अनुमति दे दी है। भूमि भी अधिसूचित कर दी गई है। धारा 4 के अधीन भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। जितने जल्दी तेल शोधक कारखाने पर कार्य आरंभ किया जाए उतना ही अच्छा है। दिल्ली और अम्बाला के बीच दोहरी लाइन बिछाने का कार्य प्रगति पर है, परन्तु निश्चित समय नुसार पूर्ण नहीं किया जा रहा है।

सभापति महोदय : उस पर इस बजट में चर्चा नहीं की जायेगी, रेलवे बजट के दौरान की जायेगी।

श्री चिरन्जीलाल शर्मा : शेरशाह सूरी-मार्ग पर (जी. टी. रोड) चार लाइने डालने का कार्य 45-50 किलोमीटर की दूरी तक केवल मुरथल तक किया गया है और उसके पश्चात कार्य ठप्प पड़ा है। मैं केन्द्रीय सरकार से निवेदन करता हूं कि इस कार्य को बन्द न करें।

इस सम्बन्ध में, मैं यह भी सुझाव दूंगा कि पानीपत के लिए बाह्य मार्ग बनाया जाए। पानीपत एक बड़ा नगर है जिसकी जनसंख्या डेढ़ लाख है और जी. टी. रोड के दोनों ओर बसा हुआ है। वहां भारी यातायात है और जब-तब दुर्घटनाए होती रहती हैं। नगर की नगरपालिका सीमाओं में ही सड़क की लम्बाई 6 कि. मी. है। पानीपत में बाह्य-मार्ग बनाने के सिवाय और कोई चारा नहीं है। इस योजना के दौरान प्रावधान किया गया था परन्तु न जाने क्यों और कैसे इसे समाप्त कर दिया गया है। पानीपत टेक्सटाइल्स के लिए प्रसिद्ध है। यहां पर लगभग 20,000 हथकरघे हैं परन्तु कुछ विद्युत चालित करघे भी हैं। विद्युत चालित करघों के निर्माताओं ने मुझे कुछ ऐसी बात बताई, जिसको सुनकर मुझे भी आश्चर्य हुआ। वह बात क्या है ? सूती कपड़ा बनाने वाली मुश्किल से 150 लघु इकाईयां हैं। सूती कपड़े बनाने के छोटे निर्माता जोकि सजावट के कपड़े, पर्दे के पट्टीदार कपड़े विद्युत चालित करघों पर बिना बुनाई और प्रक्रिया सयन्त्र के बनाते हैं उनका कहना है कि पानीपत की ऐसी सभी इकाईयों से $3\frac{1}{2}$ लाख रुपये उत्पाद शुल्क के रूप में वार्षिक राजस्व प्राप्त होता है। जबकि देशभर की ऐसी सभी इकाईयों से 10 लाख रुपये से अधिक कुल राजस्व प्राप्त नहीं होता। उनके मामले में 48इन्च की चौथाई वाले पर्दे के कपड़े पर उत्पाद शुल्क लगाया जाता है, परन्तु यदि वही पलंग पोश (चादर) के रूप में 90इन्च .08इन्च या 60 इन्च 90 इन्च बनाया जाये तो उसे उत्पादशुल्क से विमुक्त कर दिया जाता है। यह घोड़े के अगाड़ी गाड़ी रखने जैसा है। पर्दे के जिस कपड़े को आप 5.50/-रुपये प्रतिमीटर लेते हैं, केवल

उसे ही उत्पाद शुल्क से छूट ही जाती है। आप यह मानेंगे कि आज की व्यवस्था में कोई भी अच्छा पर्दे का कपड़ा 5.50 रुपये प्रति मीटर उपलब्ध नहीं होगा। इस बजट में सेन्थेटिक्स कृत्रिम रेशा रबड़ उत्पाद, बिजली की मोटरे, फ्रिज और वातानुकूलन मशीनों, इस्पात फर्नीचर, रंग और वारनिश आदि जो कि सरकार को अधिक राजस्व दे रहे थे उनको 5 लाख तक की प्रथम बिक्री पर छूट दे दी गई हैं, जबकि छोटे-छोटे निर्माताओं को इस छूट से वंचित रखा गया है। अतः मैं वित्त मन्त्री महोदय से इस प्रस्ताव पर फिर से विचार करने और निम्नांकित वस्तुओं को उत्पाद शुल्क में छूट देने का निवेदन करता हूं यथा, कोट का कपडा, सूट का कपडा, टसर, बूटा कपड़े, पर्दे के कपड़े लाइनदार पर्दे के कपड़े सहित सजावट के कपड़े आदि। शिकायत उचित है और यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो इससे इस उद्योग को भारी धक्का पहुंचेगा।

इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : सभापति महोदय उस ओर बैठे हुए बहुत से सदस्यों ने इस बजट की इस दशक का सबसे बढ़िया बजट कहकर प्रशंसा की है

सभापति महोदय : इस ओर से भी कुछेक ने की है।

श्री चन्द्रजीत यादव : मेरे विचार से तो विपक्ष के किसी सदस्य ने इस बजट को इस दशक का सबसे बढ़िया बजट नहीं कहा है।

मुझे तो इस बजट में कुछ भी मौलिकता या नवीनता नहीं दिखती यह एक विधि अनुसार बजट है जिसे सरकार वर्तमान सामाजिक आर्थिक नीतियों के ढांचे में प्रतिवर्ष रखती है क्योंकि बजट में सत्तारूढ सरकार या पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों के सिवाय और कुछ भी प्रतिविम्बित नहीं होता है। मैंने इसको बड़े ध्यान से देखा है। चुनावों को ध्यान में रखकर समाज के सर्वाधिक मुखरित वर्गों को राहतें दी गई हैं और वास्तविकता तो यह है कि यह जनवादी बजट है इस बजट के बड़े गम्भीर परिणाम निकलेंगे और अगले वर्ष जो कोई भी वित्त मन्त्री सभा के समक्ष बजट लेकर आयेगा तो उन्हें इनका सामना करना पड़ेगा एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि इस प्रकार के बजट के द्वारा जोकि सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का एक उपकरण है, सरकार ज्यादा कुछ नहीं कर सकती है। उनको यह याद रखना चाहिये कि यह एक ऐसा देश है जहां की 50% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है। यह एक ऐसे देश का बजट है जहां कि प्रति व्यक्ति आय विश्व में सबसे निम्न स्तर पर है। यह एक ऐसे देश का बजट है, जहां की 65% जनसंख्या अशिक्षित है। यह एक ऐसे देश का बजट है जहां की 70% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में बसती है और उनको जीवन की सर्वाधिक मूल अवश्यकतायें भी उपबब्ध नहीं है।

अब मैं यह जानना चाहता हू कि इस बजट को प्रस्तुत करके क्या चमत्कार किया गया है। क्या वे इस सभा को इस प्रकार का अश्वासन देने और इस सभा के माध्यम से इस देश की जनता को यह आश्वासन दे सकते हैं कि अगले दस वर्षों तक वे इस देश से गरीबी को दूर कर देगे ? और क्या वे इस देश के लोगों को गारन्टी दे सकते हैं विशेषकर युवा पीढी को कि वे उनको रोजगार देगे और वे इस देश में बेकार नहीं रहेंगे ? समय की कमी के कारण, मै अनेक

पहलूओं पर बोल नहीं रहा हूं। परन्तु मैं केवल दो पहलूओं पर बोल रहा हूं और समाज के केवल दो वर्गों पर बोलना चाहता हूं।

ग्रामीण गरीब ग्रामीण निर्धनों के लिए क्या किया गया है ? वे दावे कर रहे हैं 'नहीं इससे चमत्कार होगा। इससे भारतीय ग्रामीण जनता की दशा सुधर जायेगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि आज हमारे देश में 25 करोड़ लोगों के पास रहने योग्य एक भी घर नहीं है या उन्हें दो वक्त का भोजन भी नहीं मिलता है, यहां तक कि एक जून खाना भी नहीं मिल पाता है ? क्या आज ऐसी स्थिति नहीं है ? क्या यह सच नहीं है कि यहां तक कि सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्यों ने भी अपने दल के नेतृत्व कर्ताओं से यह रिपोर्ट की है कि 20 सूत्री कार्यक्रम के लाभ वास्तव में उन लोगों को नहीं मिल रहे हैं जिनको कि वे मिलने चाहिए क्या यह सत्य नहीं है कि अधिकांश धन को बिचौलियों एजेन्ट बेईमान तत्व और समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण भ्रष्टाचारी हड़प कर जाते हैं ? क्या यह पर्याप्त नहीं है कि आप धन देते हैं और कहते हैं 'मैंने अमुक आवंटन में वृद्धि कर दी है या देश में अमुक आवंटन को बढ़ाया जा रहा है। यह केवल धन के आवंटन का ही प्रश्न नहीं है, परन्तु आज मुख्य प्रश्न है। क्या आप एक ऐसे तन्त्र या संगठन की स्थापना में सफल हुए हैं जोकि वास्तव में ही निष्ठापूर्वक गरीब जनता तक इसके लाभ पहुंचा सके। इसका एक मेव उत्तर है नहीं ! आज समाज के कमजोर वर्ग उस नौकरशाही के शिकार बनते हैं जिनके हृदय में उनके लिए प्रेम नहीं है, उनके प्रति भावना नहीं है और वास्तविकता यह है कि उनमें से अधिकाँश समाज के उसी वर्ग से आते हैं और यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं कि समाज के धनी वर्ग की समाज के निर्धनतम वर्गों के साथ कोई सहानुभूति नहीं है और वे सदैव मीनमेख निकालने के फिराक में रहते हैं और ऐसे तरीके ढूंढ़ निकालने का प्रयास करते रहते हैं जिससे कि इन योजनाओं यद्यपि ये अच्छी योजनाएं हैं और गरीबों के लिए हैं के लाभ गरीबों को प्राप्त नहीं हैं। अतः सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि आप अपने संगठनात्मक ढांचे में परिवर्तन करें। आपको अपना तरीका बदलना चाहिये यह गरीब लोगों की सेवा करने का होना चाहिये। क्या आप भूमिहीन व्यक्तियों निर्धन व्यक्तियों तथा गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों को उभरने के लिए आधार मूल स्तर पर कोई व्यवस्था कर रहे हैं और उनकी अपनी समितियां बना रहें हैं ताकि इन समितियां के माध्यम से लाभ उन तक पहुच सके ? क्या आप अपनी प्राथमिकताओं का पता लगाने की स्थिति में हैं ताकि उनकी आवश्यकतानुसार प्राथमिकताओं को बदला जा सके और उन्हें लाभ मिल सके ?

अतः महोदय मैं मांग करता हूं कि हम देश में अफसरशाही और संगठनात्मक ढांचे में आमूल परिवर्तन करने की दिशा में सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए ताकि भूमिहीन और गरीब जनता निम्न स्तर पर बनाई गई समितियों में अपनी बात कह सकें।

महोदय, एक तथ्य बहुत ही स्पष्ट है। कि भारत अभी भी मूल रूप में उसी स्थिति में है हमारी अर्थ व्यवस्था मूलतः कृषि प्रधान है। मैं तथ्यों को क्रमवद्ध नहीं करना चाहता हूं। पहले ही इस सदन में तथ्य बताये जा चुके हैं। जब कभी भी खराब फसल होती है अथावा सूखा पड़ता है या अच्छी बरसात नहीं होती है तो हमारी समूची अर्थ व्यवस्था डांवाडोल हो जाती है चाहे

वह औद्योगिक उत्पादन हो अथवा लोगों की खरीद क्षमता हो 1982-83 खराब फसल का वर्ष था। इसके कारण उद्योगों में अत्याधिक मंदी आई इन दो कारणों से लोगों की खरीद क्षमता कम हो गई। और एक वर्ष में सरकार को 773 करोड़ रुपये के राजस्व का नुक्सान हुआ 1 0 करोड़ रुपये आयकर में 190 करोड़ रुपये निगम कर में तथा 473 रुपये भी उत्पाद शुल्क में हानि हुई जिसका कारण खराब पैदावार और औद्योगिक मंदी था। आप कह रहे है कि इस वर्ष अच्छी फसल होने से आप आशा करते हैं कि राजस्व की वसूली भी अधिक अच्छी होगी।

अत: महोदय कुछ उद्योगों को कतिपय रियायतें बहुत ही सोच समझ कर दी गई हैं ताकि वे अपना उत्पादन बढा सकें और उपभोक्ता भी लाभानित हो सकें। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि जहां तक सम्मिश्रित कपड़े का सम्बध है उन्होंने रियायतें दी हैं। इस बजट में उन्होंने उपभोक्ता को राहत देने की दृष्टि से इसमें 3.50 रुपए प्रतिमीटर के हिसाब से रियायत दी है। क्या मैं जान सकता हूं कि गारंटी क्या है क्या वित्त मन्त्री ऐसा करने की स्थिति मे हैं क्या 3.50 रुपए प्र ति मीटर की रियायत देने से यह उपभोक्ताओं तक पहुचेगा ? क्या मूल्य नियंत्रण के लिए आज कोई व्यवस्था है ? आप आज किसी भी दुकान पर जाईये। आप देखेगे कि बाजार में कीमतें प्रत्येक दुकान पर भिन्न रहें। मूल्य लेबल नहीं लगे होते हैं मूल्य लेबलों को लगाने के लिए कुछ समय पूर्व एक प्रयास किया गया था। अत: किसी को भी इसकी चिन्ता नहीं है बाजार में पूरी तरह लूट मची हुई है। अत: मैं कहूंगा कि सरकार को यह गारटी देनी चाहिए और हम आश्वासन दें कि उद्योगों को किसी उद्देश्य के लिए रियायतें दी जायें अर्थात् उससे उपभोक्ताओ को लाभ मिले वह उन तक पहुंचे और वह लाभ उद्योगपति न लें वे इसे चम्पत न करें।

मैं यह गारंटी चाहता हूं दूसरी बात है क्या काम के बदले अनाज योजना फिर से शुरू करने में कोई दिक्कत है ? काम के बदले अनाज योजना शुरू करने के लिये यह सबसे अच्छा वर्ष है। उनका स्वयं का अनुमान है कि इस वर्ष देश में 14.2 करोड़ टन अनाज का उत्पादन होगा काम के बदले अनाज एक ऐसी योजना थी जिससे कि वास्तव में निर्धन लोगों की सड़क बनाने में कुंए खोदने में और पुल आदि बनाने जैसे कार्यों में सहायता होती है (**व्यवधान**) यह छोड़ दी गयी है और काम के बदले अनाज योजना नहीं है। अत: महोदय मैं मांग करता हूं कि सरकार सम्पूर्ण देश में काम के बदले अनाज योजना को चालू करे ताकि गांवों को जोड़ने के लिए सड़कें आदि बने।

प्रो. एन. जी रंगा (गुंटूर) : यह उन्हीं राज्यों में होनी चाहिये या इसमें सहयोग करने के लिये तैयार हूं।

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं आपसे सहमत हूं कि यह उन्हीं सभा में शुरू की जानी चाहिये जो की सहयोग करने के लिये तैयार हैं। किन्तु मैं वित्त मन्त्री से सहमत नहीं हूं हर वक्त वह कहते रहते हैं कि परिश्चम बंगाल सरकार यह नहीं कर रही वह नहीं कर रही है। वे कुछ ऐसे सबसे अच्छे राज्य में एक हैं जिन्होंने सचनुच ही काम के बदले अनाज कार्यक्रम का पूरा उपयोग किया है। उनके प्रति दोष निकालना अच्छा नहीं है। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : यह अपने-अपने मत की बात है ।

श्री चन्द्रजीत यादव : महोदय दूसरी बात है बेरोजगारी की। दुर्भाग्य बश हमारे देश में 3 करोड़ शिक्षित बेरोजगार युवक हैं। बेरोजगार युवकों का पंजीकरण करने की आपकी प्रणाली दोषपूर्ण है । गांवों में लगभग 40 प्रतिशत युवक अपना पंजीकरण नहीं कराते हैं और अगर वे पंजीकरण कराते भी हैं तो यह पाया गया कि दस वर्ष से अधिक समय तक भी पंजीकरण कराने पर उन्हें कोई नौकरी नहीं मिलती है । अब हम क्या करने जा रहे हैं ? महोदय भारत जैसे विशाल देश में शिक्षित बेरोजगारों के लिये एवं रोजगार उपलब्ध कराने के लिये केवल 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जबकि 15 अगस्त के अवसर पर प्रधान मन्त्री जी ने लालकिले में प्राचीर यह घोषणा की थी की इस योजना के अन्तर्गत 2.5 लाख रोजगार प्रति वर्ष दिए जायेंगे । स्थिति क्या है ? मुझे बताया गया है कि फरवरी के मध्य तक इस योजना के अन्तर्गत सिर्फ 2,780 लोगों को ही रोजगार मिले जबकि वर्ष समाप्त होने जा रहा है। क्या देश के शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने की यही गम्भीरता है ? सरकार बिल्कुल भी चिन्तित नहीं है : अगर युवकों को रोजगार नहीं दिया गया तो इससे देश में विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो जायेगी ।

महोदय मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं क्या यह सही नहीं है कि आज पूंजी वादी देश भी बेरोजगारी के प्रश्न को हल करने के लिए ठोस योजनायें बना रहे हैं । इंग्लैंड में बेरोजगार युवक को बेरोजगारी के रूप में 100 पाउण्ड प्रति माह दिये जाते हैं। अमेरिका में भी प्रावधान है । यहां तक कि वर्तमान राष्ट्रपति का पुत्र, जब वह कुछ दिना के लिये बेरोजगार भत्ते का चैक लेने के लिए लाईन में खड़ा रहा । इटली फ्रांस आस्ट्रेलिया स्वीडन लगभग सभी देश अपने यहां बेरोजगारी भत्ता अथवा किसी प्रकार की राहत या लाभ प्रदान करते हैं । हम भी देश में मांग करते आये हैं कि कम से कम भारत सरकार को बेरोजगारी भत्ते के रूप में 150 रुपये प्रति महीने देने पर सहमत होना चाहिये किन्तु सरकार अभी तक सहमत नहीं हुई है मैंने दो वर्ष पूर्व प्रधान मंत्री जी को एक पत्र लिखा था और उन्होंने योजना मंत्री जी को इसका जवाब देने के लिये कहा था। मुझे इसका जवाब मिला कि अगर आपके 150 रुपये प्रतिमाह के सुझाव को मान लिया जाए तो हमें एक हजार करोड़ से अधिक रुपये खर्च करने पड़ेंगे अत: हम ऐसा करने की स्थिति में नहीं हैं । अगर आप इस स्थिति में नहीं हैं तो आप युवकों के भावी जीवन के साथ खेलना चाहते हैं। सरकार को हम गम्भीरतापूवक सोचना चाहिए और कम से कम 150 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ते के रूप में प्रदान करना चाहिए। यही मेरी मांग अगर बंगाल, केरल तथा महाराष्ट्र सरकार इसे कर सकती है और 50 रुपये महीना बेरोजगारी भत्ता दे सकती है तो इसका कोई कारण नहीं है कि केन्द्रीय सरकार इसे करने में समर्थ नहीं है ।

महोदय, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की घोषणा बहुत ही जोर-शोर से की गई थी । उसकी स्थिति क्या है, यह खबर है कि प्रधान मंत्री जी को यह सूचना दी गई है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार युवकों को रोजगार प्रदान करने के लिये दी गई राशि में से 50 प्रतिशत राशि खर्च नहीं की गयी है । क्या इसके लिये कोई स्पष्टीकरण है ? सरकार को ग्रामीण भारत के विकास तथा समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिये

अपनी सामाजिक-आर्थिक नीति में आमूल परिवर्तन करने की दिशा में गम्भीरता से सोचना चाहिए। सरकार को अपनी प्राथमिकताओं को पुनः निश्चित करना चाहिये ताकि भविष्य में उन वर्गों के लिये जो कभी भी गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं बजट में अधिकतम राशि का आवंटन किया जाए। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिये। इसके लिये परिवर्तन हमारे प्रशासनिक तंत्र में उचित संगठनात्मक और संरचनात्मक किये जाने चाहिये।

मेरा अन्तिम मुद्दा है कि सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिये राज्यों को अधिकतम कार्य करना होता है। मूल रूप में यह उनकी समस्या है। मुझे यह कहते हुये खेद होता है कि इस बजट से उनको कोई मदद नहीं मिली है। ऐसे समय जब कि राज्य सरकारें शिकायत कर रही हैं कि उनकी वित्तीय स्थिति बहुत ही खराब है, उन्हें केन्द्रीय बजट में उचित आवंटन नहीं किया जाता है, राज्यों को आवंटित राशि बढ़ाने की बजाय सरकार की वर्त्तमान कराधान योजना ने इन्हें बुरी तरह प्रभावित किया है और उन्होंने इस बारे में अपनी आवाज उठाई है। सरकार को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये, ताकि राज्यों को अधिक आवंटन हो सके और वे विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं पर इसे खर्च कर सकें। इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमागाओ) : माननीय सभापति महोदय, मैं कुछ दिनों पूर्व वित्त मन्त्री द्वारा इस सदन में प्रस्तुत किये गये बजट प्रस्तावों का समर्थन करता हूं। हमारे समाज के बहुत से वर्गों ने पहले ही इस बजट का स्वागत किया है। जैसा कि आपने कुछ क्षणों पहले बताया कि बहुत से विरोधी दलों के सदस्यों ने भी बजट का स्वागत किया है। यहां तक की श्री चरणजीत यादव भी बजट के विरुद्ध कुछ ठोस बात नहीं कह सके। यह एक जनवादी बजट है और श्री यादव के लिये अचम्भे की बात नहीं है कि इसमें आमूल परिवर्तनवाद का अभाव है। यह बजट वित्तीय और राजकोषीय साधन है। जिसके अन्तर्गत व्यापक आर्थिक गतिविधियां आती हैं। मैं विस्तार में न जाकर सदन का समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं सिर्फ एक या दो विषयों पर ही ध्यान केन्द्रित करना चाहता हूँ जो की मुझे काफी महत्वपूर्ण लगते हैं।

सर्वप्रथम, मैं चाहूंगा कि सरकार को चाहिये कि वह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अधिक से अधिक कार्यकुशलता और लाभप्रदता बढ़ाने की दिशा में पूर्ण राजनीतिक सकल्प के साथ ध्यान दें। इस बात का श्रेय श्री जवाहर लाल नेहरू को जाता है कि स्वतंत्रता मिलते ही उन्होंने सोचा कि अर्थ-व्यवस्था के शीर्षस्थ उपक्रमों पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिये। और उनकी इस दूरदर्शिता के लिये देश सदा उनका आभारी रहेगा जिसके फलस्वरूप आप तेल आयात करने वाले देशों में भारत का स्थान सबसे ऊपर है। जहां तक अर्थ-व्यस्था की स्थिरता, प्रगति तथा क्षमता का सम्बन्ध है यह भी सबसे ऊपर है और यहं विश्व बैंक तक ने भी स्वीकार किया है जो कि हमारी विचारधारा से सहमत नहीं है यह विश्व बैंक के नवीनतम विश्व विकास प्रतिवेदन से लिया गया है।

'दो सबसे बड़े निम्म आय वाले देश भारत तथा चीन वर्तमान मन्दी से निकल आये है,

वे विदेश व्यापार पर अधिकांशत: निर्भर नहीं हैं. उनका वाणिज्यिक व्यापार थोड़ा है और इसलिये वे ऊंची ब्याज दरों से अधिक प्रभावित नहीं हुए हैं।

"उन्होंने कृषि में भी प्रभावशाली प्रगति की है। 1982 में भारत की जी० डी० पी० कम होने का मुख्य कारण वर्षा न होना था।"

इस देश की यह स्थिति है और हमें यह कहने के लिये विश्व बैंक की आवश्यकता नहीं है। सम्पूर्ण विश्व में हम यही देखते हैं। अब अर्जन्टिना और ब्राजील जैसे देशों को लीजिए जिनकी अर्थव्यवस्था अपेक्षाकृत अधिक मजबूत थी और अर्थव्यवस्था की प्रगति दर भी शानदार थी वे भी पिछड़ गए हैं। नाइजीरिया जैसे देशों की, जो तेल का निर्यात करते थे, अर्थव्यवस्था डावांडोल है। परन्तु जबकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है और वह धीरे-धीरे उत्तरोतर प्रगति की ओर अग्रसर होती जा रही है, तब उन्होंने यह कहा है और फिर कहा है। अब सरकारी क्षेत्र की हम इस सभा में चाहे कितनी आलोचना करें परन्तु इसे उनकी वास्तविक तस्वीर नहीं समझना चाहिए और सरकारी क्षेत्र को नीचा दिखाने के लिये किसी को भी सरकारी क्षेत्र की स्थिति का लाभ नहीं उठाने देना चाहिये क्योंकि सरकारी क्षेत्र की ताकत उन सामाजिक-आर्थिक उपलब्धियों की ताकत है, जिन्हें हमने स्वयं देश के सामाजिक-आर्थिक लाभ और प्रगति के लिये अपनाया है। उन्होंने यह कहा है। मैं भी यह कहना चाहता हूँ कि सरकारी क्षेत्र में और अधिक कार्यकुशलता लाई जानी चाहिए। जब तक कार्यनिष्पादन अच्छा नहीं होगा अधिक कार्यकुशलता नहीं आ सकती और जब तक अधिक कार्यकुशलता और अच्छा कार्यनिष्पादन नहीं होगा तो उस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकती जिसके लिए सरकारी क्षेत्र का गठन किया गया था। अब वास्तविकता क्या है। इस देश में वास्तविकता यह है कि आधा दर्जन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त जिनमें विश्व में श्रेष्ठतम बी० एच० ई० एल० जैसा उपक्रम भी आता है, कार्यनिष्पादन का जहां तक सम्बन्ध है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है।

मैं अब उनका कुछ उदाहरण दूंगा, जहां सरकारी क्षेत्र के उपक्रम काम कर रहे हैं और जिनमें अधिक अच्छे कायनिष्पादन पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

ऐसी बात नहीं है कि सरकारी क्षेत्र हर लिहाज से अच्छा है। ऐसा नहीं है हमारा इस्पात क्षेत्र एक अत्यन्त नाजुक दौर से गुजर रहा है। इस्पात उद्योग में मन्दी से जिसके कारण विदेशों में बड़े-बड़े उद्योग धराशायी हो गए है, अब भारत में भी क्षति हो रही है। मैं सरकार से आवश्यक उपचारात्मक उपाय करने का आग्रह करूंगा ताकि सरकारी क्षेत्र का इस्पात उद्योग को, जो हमारी आर्थिक प्रगति का मेरूदण्ड है, एक सुदृढ़ आधार प्रदान किया जा सके। हमें समय-समय पर यह रिपोर्ट देखने को मिलती है कि हमारी मुख्य त्रुटि विद्युत उत्पादन में गिरावट का आना है। दो साल तक वर्षा न होने के कारण हमारे पनबिजली उत्पादन पर बहुत बुरा असर पड़ा है। परन्तु इसकी पूर्ति आम तौर पर तापविद्युत में वृद्धि द्वारा की जानी चाहिये था। हमारी जैसी प्रसरणशील अर्थव्यवस्था में, विद्युत के क्षेत्र में मांग और पूर्ति में अन्तर समझ में आता है परन्तु चिन्ता का विषय यह है कि एक निर्धारित अवधि में जितने

अन्तर को दूर करने की योजना बनाई जाती है, यह उससे बढ़ जाता है। मैं सरकार से इस क्षेत्र की ओर ध्यान देने का अनुरोध करता हूं ताकि हम कृषि क्षेत्र की बिजली की बढ़ती मांग की पूर्ति के साथ-साथ सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के उद्योगों को पर्याप्त बिजली उपलब्ध करा सकें।

विद्युत के विषय पर बोलते हुए कोयले के क्षेत्र में बेहतर कार्यनिष्पादन की आवश्यकता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। यद्यपि समाचारों से हमें यह पता चला है कि हाल में इस क्षेत्र के कार्यनिष्पादन में कुछ सुधार हुआ है परन्तु यदि हमें देश के दूर-दराज के क्षेत्रों की ऊर्जा सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है तो उत्पादन और कोयले की ढुलाई के मामले में वर्तमान कार्यनिष्पादन से कहीं अधिक बेहतर कार्य निष्पादन की आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में, कोयले, विद्युत और ढुलाई क्षेत्रों में और अधिक समन्वय स्थापित किया जाना होगा।

एक अन्य क्षेत्र, जिसका कार्य निष्पादन हमारे लिए चिन्ता का विषय बना हुआ है और जिस ओर सरकार को और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, वे रुग्ण उद्यम हैं जिनका सरकार ने मुख्यत: सामाजिक-आर्थिक आधार पर अधिग्रहण किया था, जैसा कि वस्त्र उद्योग (जूट सहित) पूर्वी क्षेत्र में ईंजीनियरिंग उद्योग आदि। पूंजी निवेश, प्रबन्धकीय विशेषज्ञता, कुछ नवीन प्रोद्योगिकी के अतिरिक्त हम इस क्षेत्र को सरकारी क्षेत्र के लिए एक बाधा के रूप में देखते हैं। संभवत: एक कारण रोजगार स्तर का वर्तमान परिस्थितियों की आवश्यकताओं से अधिक होना है। ऐसी समस्याएं अन्य क्षेत्रों में भी हैं, विशेष रूप से निर्माण क्षेत्र में जैसा कि हिन्दुस्तान स्टील कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन, एन० एच० पी० सी० आदि। यदि सरकारी क्षेत्र अर्थव्यवस्था से जितना लेता है उससे अधिक उसे योगदान करना है तो यह आवश्यक है कि इस प्रकार की ईकाइयों से रोजगार स्तर कुछ युक्ति सगत होना चाहिये। सम्भवत: सरकार को इस महत्वपूर्ण क्षेत्र की ओर ध्यान देना चाहिये।

यद्यपि पिछले वर्ष क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई है, फिर भी हम सरकार से इसमें और सुधार करने हेतु अतिरिक्त कदम उठाने का आग्रह करेंगे। संभवत: क्षमता उपयोग में वृद्धि करने से सम्बन्धित कुछ कमियों को जैसा कि विद्युत की कमी, उपकरणों की विफलता प्रबंधकीय अयोग्यता, कच्चे माल की कमी आदि को सभी प्रकार की बुनियादी सामग्री की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त कदम उठाकर दूर करना चाहिए।

मेरा यह अनुरोध है कि प्रबन्ध की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जानी चाहिये। अच्छी नीतियां बना देना ही पर्याप्त नहीं है। सरकारी क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए नीतियां बहुत अच्छी हो सकती हैं परन्तु उन्हें प्रभावी बनाने के लिये यह आवश्यक है कि उन्हें किसी संस्था का विशेष रूप से प्रबन्ध संस्थानों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। आज सरकारी क्षेत्र में हमारे पास क्या है? सरकारी उपक्रमों का प्रबन्ध अधिकांशत: प्रतिनियुक्ति पर आए व्यक्तियों द्वारा संभाला जा रहा है। ये व्यक्ति सरकारी विभागों से आते हैं। यदि सरकारी क्षेत्र को और अधिक प्रभावी ढग से काम करना है तो यह आवश्यक है कि वहां सरकारी

विभागों से प्रतिनियुक्ति समाप्त होनी चाहिये और उनके स्थान पर प्रबन्ध में औद्योगिक वित्तीय और वाणिज्यिक क्षेत्र के कुशल व्यक्तियों को नियुक्त किया जाना चाहिए ताकि लाभप्रदता और उत्तरदायित प्रमुख आधार बने।

मैं एक और महत्वपूर्ण तथ्य को ले रहा हूं जिस पर पहले पर्याप्त प्रकाश नहीं डाला गया है। बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए ग्रामीण रोजगार और समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम देश में बहुत अच्छे कार्यक्रम हैं। मेरे माननीय मित्र ने कुछ समय पहले जैसा कि कहा है कि इस कार्यक्रम ने एक बड़ी हद तक ग्रामीण क्षेत्रों की शक्ल बदल कर रख दी है और देश के कई भागों में गरीबी समाप्त करने तथा कम करने में इसका एक निश्चित प्रभाव पड़ा है। वास्तव में गरीबी दूर करना एक अत्यन्त कठिन काम है। मैं जिस मुद्दे पर पुनः जोर देना चाहता हूं वह यह है कि यदि इन नीतियों के अच्छे परिणाम देखने हैं तो यह आवश्यक है कि उन्हें संस्थाओं का समर्थन प्राप्त हो। यदि योजना आयोग के पास कोई बहुत बढ़िया योजना है, और यदि ग्रामीण क्षेत्रों में किसी कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जाना है तो योजना आयोग के लिए यह कह देना पर्याप्त नहीं है कि यह राज्यों की जिम्मेवारी है, उनके पास कार्यक्रम के कार्यनिष्पादन पर निगरानी रखने हेतु कोई तंत्र होना चाहिये।

हमें आज त्रुटि का जो कारण दिखाई देता है, वह यह है कि कार्य निष्पादन के लक्ष्य स्वयं राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। योजना आयोग लक्ष्य कैसे निर्धारित करता है? योजना आयोग राज्य सरकारों से पूछता है कि उनके लक्ष्य क्या रहेंगे और इसे वेद वाक्य मान कर योजना आयोग वही लक्ष्य निर्धारित करता है। जहां तक कार्य निष्पादन का सम्बन्ध है, योजना आयोग राज्य सरकारों के आंकड़ों पर विश्वास करता है। मैं यहीं पर समाप्त करता हूं कि विभिन्न विकास कार्यक्रमों और 20 सूत्री कार्यक्रम तथा समेकित विकास कार्यक्रम प्रभारी से सलाहकारों सहित योजना आयोग के कर्मचारियों और अधिकारियों को स्वयं गांवों में जाकर स्थिति देखनी चाहिये। इनमें से कितने अधिकारी गाँवों में गए हैं? यह अत्यन्त आवश्यक है कि ये अधिकारी स्वय गांवों में जाएं। अब ज्यादा से ज्यादा वे राज्य की राजधानी में चले जाते हैं, मुख्य सचिव और अन्य सचिवों के साथ वातानुकूलित कमरों में बैठते हैं तथा उनसे आंकड़े लेकर वापस दिल्ली चले आते हैं। इससे वे यह निष्कर्ष निकालते हैं कि वे राज्यों से हो आए हैं।

जैसा कि मैंने कहा है कि सम्पूर्ण तंत्र को इस दिशा में प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। यह पर्याप्त नहीं है कि योजना आयोग कड़ा परिश्रम करे, यह पर्याप्त नहीं है कि योजना आयोग को कार्यक्रम क्रियान्वित करवाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, बल्कि यह भी आवश्यक है कि राज्य सरकारों के सभी स्तरों के अधिकारियों सहित सभी तथा अन्य व्यक्ति वचन बद्ध होने चाहिए और इस देश की शक्ल में भूल-चूक परिवर्तन करने हेतु उन्हें इस कार्यक्रम के महत्व को समझना चाहिए और आर्थिक दृष्टि से देश को ऊपर ले जाना चाहिये।

*श्रीमती केशर बाई क्षीर सागर (बीड) : सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री

*मराठी में दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी द्वारा प्रस्तुत किए गये 1984-85 के सामान्य बजट, जिसे उन्होंने बहुत दक्षता के साथ बनाया है, का हार्दिक समर्थन करती हूं। मेरे विचार से यह एक व्यावहारिक बजट है जिसने समाज के सभी वर्गों को बड़ी राहत दी है।

कौटिल्य का 'अर्थशास्त्र,' अर्थशास्त्र और शासन कला पर एक सुविख्यात और ज्ञान पुर्ण शोध ग्रन्थ है। यदि मैं इस बजट की तुलना, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के साथ करूं क्योंकि इसका बहुत ऊंचा स्तर है तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी।

विकास की विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए हमें विपुल धन राशि की आवश्यकता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि इस राष्ट्र के नागरिकों को आय-कर तथा अन्य कर सही समय पर देने चाहिए और विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सरकार की सहायता करनी चाहिए। नागरिकों के सक्रिय सहयोग से ही हम सर्वांगीण विकास करने में समर्थ होंगी चूंकि वर्तमान बजट का प्राथमि उद्देश्य कमजोर वर्ग को राहत पहुंचाना है, अत: इसका मुख्य लक्ष्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को कम करना है। इस बजट की मुख्य विशेषतायें निम्नलिखित हैं।

1. कमजोर वर्गों की सहायता;
2. आय-कर की दर में रियायतें;
3. पुस्तकों, कापियों, स्टील के बर्तनों, बिजली के उपस्करणों सूती कपड़े के मूल्य में कमी;
4. खडसारी पर उत्पाद शुल्क की समाप्ति;
5. 20 सूत्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए गत वर्ष की तुलना में दुगनी राशि का आवटंन;
6. चाय-उत्पादकों को रियायतें;
7. रोजगार मारेटी योजना के लिए अतिरिक्त प्रावधान।
8. ग्राम्य उद्योगों तथा परिवार कल्याण योजनाओं को प्रोत्सहान देने के लिए अतिरिक्त धनराशि का आवटन,

चूंकि स्टोव और प्रेशर कुकर पर उत्पाद शुल्क समाप्त किया गया है, मध्यमवर्ग की गृहणियां अब कम मूल्य पर इन वस्तुओं को खरीद सकती हैं और अपने परिवार के सदस्यों को स्वादिष्ट भोजन परोस सकती हैं। पंखों और रैफ्रीजेरेटरी के मूल्यों में भी कमी की गयी है। इन प्रोत्साहनों से मध्यम वर्ग के परिवारों को बहुत राहत मिली है।

ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली हमारी 70 प्रतिशत जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय कृषि है। वर्तमान बजट में 758 करोड़ रुपये कृषि के लिए आवंटित किए गए हैं। गत वर्ष के बजट की

की तुलना में इस वर्ष कृषि के लिए 202 करोड़ रुपये अधिक आवंटित किए गये हैं। उर्वरकों और लोहे के पाइपों पर उत्पाद शुल्क समाप्त किया गया है। 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत सिंचाई को उच्च प्राथमिकता दी जायेगी। इन सब उपायों से छोटे और सीमांत किसानों को बहुत राहत मिलेगी। इन सभी उपायों से कृषि उत्पादन को बढ़ाने में बहुत सहायता मिलेगी।

कुछ ही वर्ष पहले हमें गेहूँ जैसे अनाज को अमेरिका से आयात करने की आवश्यकता पड़ी थी। किन्तु प्रसन्ता की बात है कि अब हम खाद्यानों के मामले में आत्म-निर्भर हैं। मैं समझती हूं कि इसका श्रेय हमारी माननीया प्रधान मन्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी के कुशल नेतृत्व और माननीय कृषि मंत्री के सक्रिय सहयोग को जाता है।

राष्ट्र के विकास में उद्योगों की निर्णयक भूमिका होती है। वास्तव में, कृषि और उद्योग एक दूसरे के अनुपूरक हैं। इसीलिए। छोटे और मंझोले उद्योगों को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

बैंक दरों में की गयी कमी से उद्योगपतियों को निश्चित रूप से प्रोत्साहन मिलेगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की संभावना बढ़ेगी और इस प्रकार ग्रामीण श्रमिक नगरों की ओर नही भागेंगे। शिक्षित बेरोजगारों को अपना लघु उद्योग आरम्भ करने के लिए 25000 रुपये का ऋण देने के लिए जो योजना शुरू की गई है, उससे उनको बहुत राहत मिलेगी। इस योजना को आरम्भ करने के लिए मैं माननीया प्रधान मन्त्री को बधाई देती हूँ। मैं सुझाव दूँगी कि इस योजना के क्रियान्वयन की निगरानी करने हेतु एक सलाहकार समिति स्थापित की जानी चाहिए जिसमें संसद सदस्य, विधान सभा के सदस्य, बैंक और उद्योगों के प्रतिनिधि शामिल किए जायें युवा शिक्षित बेरोजगारों को ऋण मंजूर कराने का कार्य भी इससे सौंपा जाना चाहिए। प्रत्येक जिले में कम से कम 1000 पात्र व्यक्तियों को ऋण दिया जाना चाहिए। मैं यह भी सुझाव देती हूं कि इस उद्देश्य के लिए जिला की बजाय तालुकट को एक इकाई माना जाना चाहिए।

भारी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इस बजट में 23402 करोड़ रुपये रखे गये हैं। गत वर्ष के बजट की तुलना में 4000 करोड़ रुपए अधिक आवंटित किए गये हैं। लघु उद्योग क्षेत्र के लिए 51.09 करोड़ रुपये अधिक आवंटित किये गये हैं। राज्य सरकारों की आर्थिक सहायता में भी 392 करोड़ रुपए की वृद्धि की गयी है। वर्तमान बजट में इसके लिए 4854 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं जबकि गत वर्ष 4462 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे।

कुल राजस्व प्राप्तियां 40501 करोड़ रुपए की होंगी और घाटा 2035 करोड़ रुपए का होगा। कुल व्यय 42536 करोड़ रुपए होगा।

ऊर्जा क्षेत्र और 20 सूत्रीय कार्यक्रम के लिए आवंटन में क्रमशः 44 प्रतिशत और 47 प्रतिशत वृद्धि की गयी है। कमजोर वर्गों की कल्याण योजनाओं के लिए 209 करोड़ रुपए रखे गए हैं। आवंटित राशि में 33 करोड़ रुपए की वृद्धि की गयी है। इसी प्रकार, रोजगार गारंटी

योजना के लिए 400 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जो गत वर्ष आवंटित की गयी राशि की तुलना में चौगुनी है। महाराष्ट्र में यह योजना प्रभावी रूप से क्रियान्वित की गयी है।

20 सूत्री कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए यह आवश्यक है कि उसका अधिक से अधिक प्रचार किया जाए। मैं सुझाव देती हूँ कि सभी ग्राम पंचायतों और तहसीलदारों के कार्यालयों की दीवारों पर पोस्टर चिपकाये जाने चाहिए ताकि इस योजना के अन्तर्गत चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में आम आदमी जान सके। इस समय अधिकतर लोग ऐसी योजनाओं से अनजान हैं। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करती हूं कि वह मेरे इस सुझाव पर विचार करें तथा इस कार्यक्रम पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय से वृत्त चित्र बनाने के लिए कह कर इस कार्यक्रम का व्यापक प्रचार करवायें मुझे विश्वास है कि यह कार्यक्रम मूल-भूत आवश्यकताओं अर्थात् रोटी, कपड़ा और मकान की पूर्ति करेगा।

महाराष्ट्र को प्रति वर्ष सूखे का सामना करना पड़ता है। इस राज्य के बहुत से भाग पेयजल की कमी का सामना करते हैं तथा सरकार को पेयजल की पूर्ति के लिए बहुत साराधन व्यय करना पड़ता है। पेयजल की पूर्ति के लिये स्थायी योजना बनाने के लिए राज्य सरकार को अधिक धन आवंटित किया जाना चाहिए। इस राज्य के किसान अपनी कृषि के लिए वर्षा पर निर्भर रहते हैं। अन्य बहुत से राज्यों की तरह इस राज्य में भी बहुत वर्षा अनिश्चत है। इसीलिए बड़े बांधों का निर्माण कार्य तत्काल हाथ में लिया जाना चाहिए। मेरा निर्वाचन क्षेत्र अत्यधिक पिछड़ा और सूखे से प्रभावित है, जैकवाड़ी बड़ी सिंचाई परियोजना को पूरा किया जाना चाहिए। मेरे निर्वाचन-क्षेत्र के बीड़ और पतोड़ा तालुकों को इससे जल की पूर्ति होगी। बंजारा बाँध का निर्माण कार्य भी शुरू किया जाना चाहिए मेरे निर्वाचन-क्षेत्र के सभी तालुकों में 3613 सिंचाई योजनाएं शुरू की जानी चाहिए जिससे हमें सिंचाई करने और पीने के लिए आवश्यक मात्रा में जल मिलेगा। मैं यह सुझाव भी देना चाहूंगी कि नए उद्योगों को स्थापति करने की संभावनाओं का पता लगाने हेतु हमारे जिले में सर्वेक्षण कराया जाना चाहिए। इस क्षेत्र के विकास के लिए वहां कागज, उर्वरक और इस्पात की फैक्टरियाँ लगायी जानी चाहिए चूंकि इस जिले में क्योंकि वहां परिवहन और संचार का कोई साधन नहीं है अत: वहां एक नयीं रेलवे लाइन बनाई जानी चाहिए। जिससे उस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास में काफी सहायता मिलेगी।

बीड़ जिले में एक दूरदर्शन केन्द्र स्थापित किया जाना चाहिए। काफी लम्बे समय से वहां की जनता इसकी मांग कर रही है। मेरा यह भी सुझाव है कि सभी कस्बों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाए जाने चाहिए इस क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा को भी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

अनेक विपक्षी दलों ने इस बजट की आलोचना की है जैसे कि लोक मान्य तिलक कहा करते थे कि स्वराज्य प्राप्त करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। उसी प्रकार विपक्षी सदस्य भी समझते हैं कि सरकार की आलोचना करना उनका अधिकार है मैं समझती हूँ कि आलोचना

करना कोई बुरी बात नहीं है। किन्तु आलोचना केवल आलोचना के लिए ही नहीं होनी चाहिए आलोचना रचनात्मक होनी चाहिए। निरर्थक आलोचना हमें प्रगति के पथ पर बढ़ने से रोक नहीं सकती है। अवरोधों को दूर करने की हमारी अपार क्षमता है। इस महान कार्य को पूरा करने में सक्रिय सहयोग देने के लिए मैं विपक्षी सदस्यों से अपील करती हूँ।

इन शब्दों के साथ। मैं इस बजट का हार्दिक समर्थन करती हूं तथा आपने मुझे बोलने का जो अवसर दिया है उसके लिए आपको धन्यवाद देती हूं।

श्री के.पी. उन्नीकृष्णन (बदागरा) : सभापति महोदय, मेरे अच्छे मित्र, वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय आय और कृषि के प्रभावपूर्ण पुनरुत्थान' तथा "भुगतान शेष में उल्लेखनीय सुधार" के लिए श्रेय लिया है। इस सरकार का जो काम करने के वायदा करती है अजीब दावा है कि मैं उस पर और कोई विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। किन्तु मैं समझता हूं कि दावा तथ्यों पर आधारित तो होना चाहिए यही एकमात्र 'लिटमस' परीक्षण है जिससे इसका निर्णय हो सकता है।

उन्होंने औद्योगिक कार्य निष्पादन और मुद्रास्फीति की कम दर का दावा किया। और भुगतान शेष में वास्तुत: सुधार तथा व्यापार-घाटे को कम करने का भी दावा किया है। क्या आपने किया है ? यदि मेरे अच्छे मित्र वित्त मंत्री जादूगर हैं, जैसाकि पिछले कुछ दिनों से उन्हें सत्तापक्ष की ओर से बताया जा रहा है, तो वह मुझे यह कहने की अनुमति देंगे यह एक प्रकार की चालबाजी वाली जादूगरी है, जो उन्होंने इस बजट में की है। मैं खेदपूर्वक यह कहता हूं कि इस बजट में मुझे केवल परिष्कृत चालबाजी दिखाई देती है। यह विचारों का आश्चर्यजनक अभाव है। एक अच्छे और पुराने मित्र होने के नाते मैं जानता हूं कि वह कितने बुद्धिमान हैं और उनकी सोचने की क्षमता क्या है। किन्तु मैं खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि इस बजट को बनाने में मुझे इसका जरा भी आभास नहीं होता है। मैं गलत हो सकता हूं क्योंकि वह एक ऐसे दल से सम्बद्ध हैं, जो काफी समय पहले एक पवित्र मां और एक पवित्र पुत्र के महान और पावन हित के सिवाय सिद्धांतों, कार्यक्रमों और वचन बद्धताओं को छोड़ चुका है, आपका अब केवल यही उद्देश्य और कार्यक्रम है।

मैं यह बात स्वीकार करता हूं कि इन परिस्थितियों, में किसी भी वित्त मंत्री की गंभीर सीमाएं और कठिनाइयां हैं ये सीमायें न केवल हमारी अर्थ व्यवस्था में कार्य कर रही कुछ शक्तियों द्वारा थोपी गयी हैं किन्तु ये पिछले कुछ वर्षों से जिस प्रकार से बजट बनाया जा रहा है, उसके कारण भी हैं लगभग 40 प्रतिशत तो सुरक्षा और प्रतिक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने में चला जाता है। 35 प्रतिशत या उससे भी अधिक प्रशासनिक सेवाओं की निरन्तर बढ़ती मांगों तथा अन्य विभिन्न मदों पर खर्च के कारण चलाया जाता है एशियाड योगम और 'नाम' का तो कहना ही क्या है ये सब बातें किसी भी वित्त मंत्री के कार्य करने के तरीके को निश्चय ही प्रभावित करती हैं। मेरा कहना यह है कि किसी भी वित्त मंत्री की कार्यसाधकता बहुत सीमित है।

हमारे जैसे देश में जहां कर राजस्व आधार संकुचित है, कर राजस्व आधार 18 प्रतिशत या इसके आसपास है, जोकि यह देखते हुए कि देश की प्रति व्यक्ति आय केवल 250 डालर के आसपास है असामान्य रूप से बहुत अधिक है, मेरा मुद्दा यह है कि जब तक आप ग्रामीण क्षेत्रों में दिए राजस्व आधार का राजनीतिक संकल्प के साथ पता नहीं लगायेंगे और उसका उपयोग नहीं करेंगे तब तक आपके विकल्प सीमित ही रहेंगे, इसीलिए, अब कोयला, इस्पात रेलवे, डाक व तार, पैट्रोल आदि जैसे एकाधिकारी राष्ट्रीयकृत क्षेत्र, बहुत से सरकारी उपक्रमों में आकलित मूल्यों को बढ़ाने की नई प्रवृति पैदा हो गयी है। इसीलिए, मैं यह बताना चाहता हूं कि उनका मूल्यांकन और कार्य-निष्पादन इस पृष्ठ-भूमि में किया जाना चाहिए।

कुछ ही महीने पहले, विपक्षी दलों के कलकत्ता में हुए सम्मेलन के एक दिन बाद प्रधान मन्त्री ने दूरदर्शन पर घोषणा की थी कि योजना परिव्यय में 5 प्रतिशत और गैर-योजना व्यय में 3 प्रतिशत की कटौती की जायेगी।

निर्गुट सम्मेलन तथा राष्ट्रमण्डल शासनाध्यक्षों की बैठक का मेजबान हमारा देश गैर-उत्पादक खर्च की बात कर रही थी। इस देश की जनता के साथ कितना क्रूर मजाक है। एशियाई खेलों पर 360 करोड़ रुपया खर्च किया गया—हमारे आंकड़े इससे अधिक हैं—ये सरकारी आंकड़े हैं—इस राशि से आप कम से कम 150 लाख भूमिहीन श्रमिकों में से 40 लाख लोगों के लिए कच्चे मकानों का निर्माण कर सकते थे जिनको मार्च 1985 तक इनकी आवश्यकता पड़ेगी, और इससे अगले 1980-85 की पूरी अवधि के दौरान 30 लाख बच्चों के लिए दोपहर के भोजन का कार्यक्रम चला सकते थे। मैं बजट की बात नहीं कर रहा हूं किस प्रकार इसका उपयोग किया गया, मैं इस पर नहीं जा रहा है। और आपको मालूम है कि आपने खेल प्रतिभा का देश मे किस प्रकार से विकास किया है। मेरे मित्र श्री बूटासिंह यहां उपस्थित नहीं हैं दिल्ली में आपके पास सफेद हाथी पाले हुए हैं और अधिकांश खेल संगठनों के पास पर्याप्त मात्रा में धन भी नहीं है। खिलाड़ियों को उनका भत्ता न मिले तो कोई बात नहीं परन्तु आपके लिए एशियाई खेलों का आयोजन करना आवश्यक है। इस प्रकार से ये सर्कस तो दिखा रहे हैं लेकिन रोटी का प्रबन्ध नहीं कर रहे हैं लेकिन ये ऐसी स्थिति में पहुंच गये हैं कि अब वे सर्कस भी नहीं दिखा पायेंगे। मेरे अच्छे मित्र व जादूगर श्री प्रणब मुखर्जी ने करिश्मों के स्वयं जो दावे किए हैं उनके बावजूद भी "नाम" को मेजबान को योजना परिव्यय में कटौती करनी पड़ी जिसके परिणाम स्वरूप कोयले के आंकलित मूल्य तथा चावल के निर्गम मूल्य में बढ़ोतरी हुई। क्या हम उसको भूल गये हैं ? प्रायोजित मूल्यों में सब प्रकार से बढ़ोतरी हुई है फिर भी यह दावा किया जा रहा है कि इसका मुद्रास्फीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कम से कम इतना तो मानलिया गया है कि योजना के पहले चार वर्षों में मुद्रा स्फीति की बजह से सरकारी क्षेत्र के परिव्यय में 30 प्रतिशत से 32 प्रतिशत तक की कमी हुई है। क्या योजना परिव्यय में भी तदनुरूप वृद्धि कर दी गयी है इसका उत्तर स्पष्टत: 'नहीं' में है। वित्त मन्त्री ने विदेशी मुद्रा के भंडार की अच्छी स्थिति का दावा किया है। हम में से कुछ को यहां विनाश का दूत कहकर तथा सरकार तथा इसकी नेता के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सहारा लेने की बुद्धिमानी पर आपत्ति करने का हम पर आरोप लगाने के बाद वह कहते हैं।

"सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष की विस्तारित निधि सुविधा के अन्तर्गत बाकी 1.1 बिलियन राशि न लेने का स्वयं निर्णय लिया है।"

बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या ऐसा है ? कुछ ही सप्ताह पहले श्री प्रणब मुखर्जी एशियायी विकास बैंक के प्रतिनिधिमंडल का स्वागत कर रहे थे ताकि इस बार वे दो बिलियन डालर के ऋण के बारे में एशियाई विकास बैंक से वार्ता कर रहे थे और मैं समझता हूं—मुझे नहीं मालूम कि वे मेरी बात को गलत बतला सकते हैं—सम्भवत: वे इस बात का उल्लेख अपने बजट भाषण में करना भूल गये। सम्भवत: उन्हें यह पैसा मिल रहा है; परन्तु वे इसको संसद को बताना नहीं चाहते हैं ताकि उन्हें 1.1 बिलियन डालर की जो राशि वे नहीं ले रहे हैं उसको पूरा किया जा सके और कम से कम उनकी नेता को इसका श्रेय मिल सके। लेकिन हाल ही में कलकत्ता में हुई एक विचारगोष्ठी में रिजर्व बैंक के एक प्रवक्ता, श्री घोष, जो इसके डिप्टी गवर्नर हैं, ने कहा :

"अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रकोष की पूरी राशि इस कारण नहीं ली गई कि भारत की भुगतान शेष की स्थिति संतोषजनक थी बल्कि इसलिए कि भारत के लिए इसका भुगतान करना अत्यधिक कठिन होगा।"

विदेशी मुद्रा के भंडार में एक वर्ष की अवधि में 600 करोड़ रुपये की कमी हो गई है और व्यापार घाटा चाहे वित्त मत्री तथा विदेश व्यापार मंत्री कुछ भी दावा करे—बढ़ रहा है। केवल यही नहीं, सहायता के अर्थों में इस पूरी समस्या का नया आयाम सामने आया है। उदाहरण के लिए, चीन भी आई. डी. ए. से धन प्राप्त करने वाला एक नया दावेदार है तथा रियायती दर पर ऋण की राशि कम कर दी गई है। अत: केवल इसी संदर्भ में आप भुगतान-शेष की स्थिति तथा समाधान ढूंढ़ने की वित्त मंत्री की कार्य-निष्पत्ति का अनुमान लगा सकते हैं।

एक अन्य प्रवृत्ति है—मैं नहीं जानता; वह इससे इंकार कर सकते हैं—मैं समझता हू कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम भी चालू परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों से ऋण की बात कर रहे हैं। ऐसी अफवाह है कि हिन्दुस्तान जिंक, शिपिंग कारपोरेशन तथा विभिन्न अन्य सरकारी उपक्रम, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, ऋण प्राप्त करना चाहते है और यह ऋण-राशि स्पष्टत: एक बिलियन डालर से भी अधिक होगी। मैं नहीं जानता कि क्या सरकार की नीति में परिवर्तन किया गया है और यदि हां तो नीति के वितरण क्या हैं ? संसद जानना चाहती है कि आपका अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजार से ऋण लेने के संबंध में क्या रुख है और आप विशेषकर सरकारी क्षेत्र के उपक्रम किस तरह से तथा किन शर्तों पर ऋण लेने जा रहे हैं।

वित्त मंत्री ने हमारे इस सुझाव पर हमारी आलोचना की है कि इससे हम ऋण जाल में फंस जाते हैं। वित्त मंत्री महोदय, ऋण जाल से हमारा तात्पर्य उस स्थिति से है जिसका सामना मैक्सिको, ब्राजील, तंजानियां और अन्य कई देशों को, जिन्होंने पहले आई. एम. एफ. से ऋण लिया था, करना पड़ा। हमारी स्थिति उनसे अलग नहीं हो सकती है। इस तथ्य का कि हम उस

स्थिति पर नहीं पहुंचे हैं, अपने बजट भाषण में अपनी सराहना करनेके लिए उपयोग किया जा रहा है तथा वे अपनी प्रशंसा स्वयं ही कर रहे हैं।

महोदय, मैं आपका अधिक समय लेना नहीं चाहता। लेकिन मैं पुन: कहना चाहता हूं कि इस बजट का दर्शन किया है ? आपने जो रियायतें दी हैं उन्हें छोड़िए, किन्तु इससे हमारी मुख्य गरीबी और गन्दगी की समस्याओं का कहां तक समाधन होता है। यह बजट को या सदन में किए गए हमारे किसी भी कार्य को देखने का एक तरीका है। हम इस देश में बेरोजगारी की समस्या कौं कैसे हल करते हैं। देश के लाखों बेरोजगार युवकों के लिए आय के पास क्या आशा है। यह एक तरीका है जिससे मैं इस बजट को देखना चाहूंगा। देश में बेसहारा व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है, मेरे आंकड़ों के अनुसार नहीं बल्कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के आँकड़ों के अनुसार आप इस समस्या का सामना कैसे करेंगे ? आपके बजट में या आपकी नीतियों में युवाओं, बूढ़ों या समाज के दरिद्र लोगों के लिए क्या प्रावधान है ?' आपके पास उद्योगों तथा कृषि के लिए क्या प्रावधान है, जो कि आपको सौंपा गया परम उत्तरदायित्व है ? दुर्भाग्यवश, वे विगत परम्परा को तोड़ नहीं पाए हैं; ये स्वार्थी वर्गों तथा श्रेणियों से तथा उन स्वार्थी तत्वों से जिनका इस अर्थ-व्यवस्था में प्रभुत्व नाता नहीं तोड़ पाए हैं और बजट में मुझे यही प्रतिबिम्ब दिखाई दे रहा है।

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : जनाबेवाला, मैं आपके माध्यम से यह कहूंगा कि जो बजट इस सरकार ने पेश किया है इस वक्त हालात यह हैं कि 60 हजार करोड़ रुपये ब्लैक मनी की शक्ल में मार्केट में हैं, 7 हजार करोड़ रुपये का टैक्स इवेजन है और इनके अलावा जैसा बहुत से मेम्बर साहबान ने कहा है इस मुल्क में तकरीबन 50 फीसदी से ज्यादा लोग गरीब हैं, जो रूरल सैक्टर से ताल्लुक रखते हैं। इन 50 फीसदी में ज्यादा लोग बिलो पावर्टी लाइन हैं जिनमें तीन करोड़ के करीब बेकार हैं। मैं समझता हूँ इन हालात में आपने एक कम्प्रोमाजिंग फार्मूला दिया है जिस में आप सबको खुश करना चाहते हैं, लेकिन जो कमिटमेंन्ट्स इस सरकार की हैं, सोशलिज्म को बढ़ावा देने के लिए इसे पूरा करें गरीब और अमीर के बीच गैप बढ़ रहा है और सिर्फ 20 पूंजीपति खान्दान पूरे मुल्क की दौलत पर कब्जा जमाये बैठे हैं, जिसकी बजह से यह भेदभाव बढ़ रहा है और मुल्क ज्यादा से ज्यादा गरीब हो रहा है।

रूरल सैक्टर है, उस में किसानों, खासतौर से बेकार किसानों, बेजमीन किसानों को और जो शहरी मजदूर हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, निचले तबके के लोग हैं जिनमें करोड़ों हरिजन शामिल हैं। उन के बारे में आप ने कोई उपाय नहीं किया है और इस बिना पर मैं कह सकता हूं कि आपका बजट एन्टी पीपुल है और लोगों को इससे कोई फायदा नहीं होगा और यह बक्ती चीज है, जो आपने इलैक्शन के लिए रखी है लेकिन आपके पास उनकी समस्याओं का कोई हल नहीं है।

इस सम्बन्ध में मैं यह अर्ज करूंगा कि आप ने स्पेशल कैटगिरी में कुछ स्टेट्स को रखा है और इसमें जम्मू व काश्मीर भी है और मुझे इस बात का गिला है कि जहां उन स्टेट्स को 90 परसैन्ट एड मिलेगा, ग्रान्ट मिलेगी और 10 परसैन्ट लोन होगा, वहां जम्मू व काश्मीर को इससे मुस्तसना कर दिया है। उसको इतनी रकम नहीं मिलेगी और यह जम्मू व कश्मीर के

खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन है और जो आप ने परसेन्टेज शेयर स्टेट्स को दिया है, उन के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि आप को बैकबर्डनेस को, पसमान्दगी को और एरिया को मद्देनजर रखना चाहिए था हमारे यहां लद्दाख से ले कर लखनपुर तक का इलाका है और यह 80 हजार मुरब्बा मील का इलाका है मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि आप **एडीशनल एक्साइज ड्यूटी इन ल्यू आफ सैल्स टैक्स ओन शूगर टैक्सटाइल्स एण्ड टोबाको** लगाई है और उसके बाद आप जम्मू व काश्मीर को क्या दे रहे हैं। शूगर में 0.831 परसैन्ट, टैक्सटाइल्श में 0.744 परसैन्ट और टोबाको में 0.744 परसैन्ट ही जम्मू व काश्मीर को दे रहे हैं। आपने 37 हजार करोड़ रुपया कम्युनिकेशन्स और रेलवेज में स्टेट्स में इन्वेस्ट किया है और जम्मू व काश्मीर में अब तक उस रियासत के डेवलपमेंट के लिए सिर्फ 5-6 करोड़ रुपया ही खर्च किया है-5,6 हजार करोड़ रुपये नहीं बल्कि सिर्फ 5-6 करोड़ रुपया ही आपने इन्वेस्ट किया है। इसी तरह से पब्लिक अन्डरटेकिंग्स की बात है। आपने करीब 23 हजार करोड़ रुपये उनमें इन्वेस्ट किया है लेकिन जम्मू व काश्मीर में सिर्फ 0 06 पर सैन्ट ही खर्च किया है।

मैं आप को यह बताना चाहता हूं कि आप जो इस बक्त सातवीं फाइव् इयर प्लान बनाना चाहते हैं और लाना चाहते हैं और उसके लिए आपने वर्किंग ग्रूप्स बना दिये हैं, उस प्लान में मैं आप से यह मुकाबला करूंगा कि यह डिस्क्रिमिनेशन न रहने दीजिए क्योंकि वहां पर अजकल नेशनल कान्फ्रेन्स की गवर्नमेंट है। आप यह देखिये कि इस मुल्क को इनर्जी की जरूरत है। हम आप को अपनी स्टेट से 10 हजार मेगावाट बिजली दे सकते हैं अगर आप उड़ी सलाल और उलहस्ती की योजनाओं को पूरा कर दें और हमारे यहां जो चिनाब दरिया है, उस के बारे में हम ने इन्वेस्टीगेशन किया है कि अगर सरकार उस में रुपया इन्वेस्ट करे, तो 25 हजार मेगावाट इनर्जी हम आप को दे सकते हैं इतनी वहां से इनर्जी हासिल की जा सकती है लेकिन यह सारा पानी और इनर्जी जाया जा रही है क्योंकि आप हमारी स्टेट के डेवलपमेंट में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं।

मैं यह कहना चाहूंगा कि जम्मू व काश्मीर एक बोर्डर स्टेट है और खास सेंसेटिव एरिया है और आप की आर्म्ज फोर्सज को वहां पर दुश्मन का मुकाबला करना है। लद्दाख से लेकर जम्मू व काश्मीर के मुक्तलिफ पहाड़ी इलाकों में, बड़े ऊचे ऊचे स्थानों पर हमारे लोग मुकाबला कर रहे हैं लेकिन आपकी जो रोड्स हैं, उनका सिलसिला सही नहीं है। सिर्फ एक रोड श्रीनगर और लेह तक आप ने ली है। आप को एक सबस्टीट्यूट रोड़ चाहिए और जो मुगल रोड के नाम से रोड है, उसको अपने हाथ में लेना चाहिए था। इस सम्बन्ध में मैं आप से यह अर्ज करूं कि आपको इस रोड को मस्तबादिल रोड बनाने के लिए कोई कार्यवाही जल्द करनी चाहिये।

मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि टूरिज्य हमारा एक बहुत इम्पोर्टेन्ट सेक्टर है और टूरिज्म के डेवलपमेंट के साथ हमारा हैंडीक्राफ्ट भी है और उनके साथ हमारे यहां के फ्रूट्स का भी सवाल है और हमारी सारी तरक्की इन्हीं पर इनसार करती है। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे यहां इस सैक्टर का कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है और जिस किस्म की स्पीचेंज सरकार की तरफ से आ रही हैं और जो यह प्रोपेगन्डा किया जा रहा है कि उस स्टेट में एन्टी नेशनल एक्टिविटीज हैं, उस स्टेट से मुल्क को खतरा बढ़ रहा है, उस स्टेट में हालात

बिगड़ रहे हैं, इस बजह से टूरिस्ट्स जम्मू व काश्मीर में नहीं आ रहे हैं। गुजरता साल हमारे यहां फौरेन टूरिस्ट्स ट्रेड तबाह हो गई। आप को हमारी स्टेट का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि स्टेट्स की तरक्की से ही आप की तरक्की है और उनकी ताकत बढ़ने से मरकज की ताकत बढ़ेगी। यह ताकत आप की तभी बढ़ सकती है जबकि स्टेट्स तरक्की करें और अपने पांवों पर खड़ी हो जाएं। जो बोर्डर स्टेट्स हैं और मैं खास तौर से जम्मू व कौश्मीर के बारे में कहना चाहूंगा कि उनको आप डेवलप करने का मौका दें। आप न सिर्फ टूरिजम को वहां पर डेवलप करें बल्कि जो यह प्रोपगेन्डा चल रहा है, जिसकी बजह से फ़ोरेन टूरिस्ट्स के दिमाग में और मुल्क के अन्दर के टूरिस्ट्स के दिमाग में डर पैदा होता है और वे वहां नहीं जाना चाहते हैं उसको बन्द करें। मैं आपकी तवज्जह इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि पिछले दिनों करीब 3 हजार मेम्बर्ज पार्लियामेंट और एम. एल. एज की मीटिंग में भी इसके बारे में चर्चा की गई और जम्मू व काश्मीर के बारे में गैर जरूरी डर खौफ का इज्हार किया गया।

जहां तक हमारी स्टेट का डवलपमेंट का ताल्लुक है, मैं आनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर से गुजारिश करूंगा कि हमारी स्टेट की डवलपमेंट टूरिज्म पर डिपेंड करती है। हमारी सरकार का जंग का प्रोपेगण्डा हमारी टूरिज्म इडस्ट्री को तबाह कर रहा है। इस तरह से स्टेट की तरक्की नहीं हो सकती है। टुरिज्म से हमें दूसरे मुल्कों से पैसा मिलता है और हमारी इकोनोमी की हालत भी अच्छी होती है।

जनरल सिन्हा ने कहा है कि हिन्दुस्तान को पाकिस्तान से कोई खतरा नहीं है ; हमारी फौजें पूरी तरह से वार्डर पर चौकन्नी हैं और वीकेन फाईट बेक द एनेमी। लेकिन आपकी हर तरफ की वार साइक्लौजी हमारी इन्डस्ट्रीज को तबाह कर रही है आजकल पंजाब और हरियाणा में भी कोई नई इंडस्ट्री नहीं लग रही है, कोई इन्वेस्मेंट नहीं हो रहा है। इसलिए इस किस्म का प्रौपेगण्डा एकदम बन्द होना चाहिए।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : महोदय, जनरल सिन्हा के बारे में यह टिप्पणी कार्य-वाही वृत्तांत से निकाल दी जानी चाहिए।

सभापति महोदय : मैं कार्यवाही वृत्तांत देखूंगा। (व्यवधान)

श्री अब्दुल रशीद काबुली : यह मेजर जनरल सिन्हा ने कहा है। (व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, सदस्य बाधा क्यों डाल रहे हैं ? क्या वे कुछ असंसदीय बोल रहे हैं ? (**व्यवधान**) महोदय, कश्मीर तथा पश्चिम बंगाल उनकी शिकार सूची (हिट लिस्ट) में हैं।

प्रो. के. के. तिवारी (बक्सर) हम लाठियों से प्रहार नहीं कर रहे हैं।

वभापति महोदय : अब श्री ए. के. राय बोलेंगे।

श्री ए. के. राय (धनबाद) : श्रीमन् मैं कभी भी 15 मिनट से अधिक नहीं लेता हूँ।

सभापति महोदय : आपके पक्ष से एक सदस्य पहले ही बोल चुके हैं। मैं 5 मिनट से अधिक नहीं दे सकता।

श्री ए. के. राय : महोदय, यह भ्रामक बजट है। यह चुनाव बजट जैसा लगता है। यह न केवल चुनाव बजट है, बल्कि समूचा बजट चुनाव घोषणा पत्र जैसा लगता है। (**व्यवधान**) महोदय, आप जानते हैं कि चुनाव घोषणा पत्र की महिमा तथा महत्व केवल चुनाव तक ही रहता है। इसलिए घटना चुनाव से पूर्व का यह बजट केवल घटना चुनाव तक ही चलेगा। श्रीमन् इस बजट में **अर्थशास्त्र से** कुछ सस्कृत की पंक्तियों का उद्धरण दिया गया है। ये कोटिल्य के अर्थशास्त्र के छठे अध्याय की अन्तिम पंक्तियां हैं जिनमें कहा गया है कि कोई भी कुशल समाहर्ता अपने वित्त साधनों को इस ढंग से व्यवस्थित करेगा कि आय अधिक हो तथा खर्च कम हो। बेचारे कोटिल्य ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि इन पंक्तियों का कांग्रेस (इ.) दल के वित्त मन्त्री द्वारा इस प्रकार दुरुपयोग किया जाएगा। और महोदय, आपको यह अचम्भा होगा कि यदि यह उनका चुनाव घोषणा पत्र बनता है तो मुझे उस दल के भविष्य के बारे में बहुत चिन्ता होगी। वित्त मन्त्री तथा उनके दल का क्या होगा ? महोदय, वे यह दावा कर रहे हैं कि वे जनता को बहुत रियायतें दे रहे हैं और मुझे जनता के बारे में उनकी धारणा को देखकर अचम्भा हुआ है कि वे किन्हें भारतीय जनता मानते हैं, जिन्हें वे रियायतें दे रहे हैं वे आयकर देने वाले वर्ग को मानते हैं। जनता कौन है ? आपको भी यह जान कर विस्मय होगा कि उनकी कुल संख्या 46 लाख है। जो लोग 25,000 रुपया तक आय कर देते हैं, उनकी संख्या 22 लाख है, इससे कम देने वालों की सख्या 11 लाख है। 50,000 से एक लाख तक के आय वर्ग वाले लोगों कीसंख्या 9,74,000 है ; एक लाख से पांच लाख वालों की संख्या 61,000 है, 5 लाख से अधिक वाले 5,250 हैं। जिन लोगों को वित्त मन्त्री ने रियायत दी है वे 25,000 रुपये, 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये तथा 5 लाख रुपये से अधिक की रेंज में हैं। इस ओर के बहुत से माननीय सदस्यों ने इसका समर्थन किया है और कहा है कि यह बहुत ही प्रगतिशील बजट है। यह है सदन की धारणा ! इससे पता चलता है कि सदन का वर्ग स्वरूप है क्योंकि यह एक चुनाव घोषणा पत्र है। इसलिए, यह क्षेत्र तक तथा देश की समूची जनता तक जा सकता है। आज प्रश्न-काल में हमने गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के बारे में चर्चा की और हमारे माननीय योजना मन्त्री ने स्पष्ट किया कि जो 65/-रुपये प्रति मास खर्च कर रहे हैं, उन्हें गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग कहा जाना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि पांच सदस्यों का परिवार जो प्रति मास 300/-रुपए या प्रति वर्ष 3600/-रुपए खर्च करता है उसे गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग कहा जाना चाहिए। हमारे देश में 50 प्रतिशत लोगों की यह प्रति व्यक्ति आय है। यह भी औसत से नीचे है, जबकि 70 प्रतिशत जन संख्या 5000/-रुपए से नीचे है। लेकिन वित्त मन्त्री 15,000 रुपए से अधिक आय वालों को राहत दे रहे हैं और कह रहे हैं कि यह बहुत प्रगतिशील बजट है ! मुझे बहुत चिंता है कि यदि भारत के लोग यह जान जाए कि वित्त मन्त्री के बजट में जनता की ऐसी परिभाषा है और जिनकी 15,000/-रुपए की वार्षिक आय हैं उन्हें ही राहत मिलनी चाहिए तो चुनावों में इन लोगों का क्या होगा।

(**व्यवधान**)

वित्त मन्त्री ने हमें बजट की एक छोटी पुस्तिका दी है जिसमें रुपए की एक आकृति

दिखाई गई है, अर्थात बजट के लिए कितना पैसा आ रहा है तथा कितना खर्च किया जा रहा है एक पैसा आयकर से, चार पैसे निगम कर से तथा चार पैसे घाटे की वित्त व्यवस्था से आदि। हम सभी चिंतित हैं कि धीरे-धीरे बजट महत्वहीन होता जा रहा है तथा इसकी प्रासंगिकता भी कम होती जा रही है। मार्च, 1984 के स्टेट्समैन में एक लेख था। मैं समझता हूँ कि उन्होंने भी यह लेख पढ़ा है। लोगों ने अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रश्न उठाया है। मैं उसकी ओर इशारा नहीं कर रहा हूँ। यह वामपंथी दल ने नहीं, साम्यवादियों ने नहीं, मार्क्सवादी दल ने नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने देश में काले धन के बारे में एक विश्लेषण किया है। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हमारी 50 प्रतिशत राष्ट्रीय आय काले धन में है। संयुक्त राज्य अमरीका में यह 20 प्रतिशत है, ब्रिटेन में यह 15 प्रतिशत है। एक भारतीय अर्थशास्त्री ने एक विश्लेषण किया था जिसके अनुसार सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 50 प्रतिशत काला धन है, इसका अर्थ यह हुआ कि वर्तमान मूल्यों पर यह 130,000 करोड़ रुपए रुपये है। जिसका अर्थ यह हुआ कि काला धन 70,000 करोड़ रुपये से अधिक है, यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का विश्लेषण है। वित्त मन्त्री को इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए।

अभी कुल दिन पहले ही हम देश में लगाए गए कुल विदेशी ऋण पर चर्चा कर रहे थे। यह लगभग 34,000 करोड़ रुपये है। इसका अर्थ है कि बजट दस्तावेज में रुपए की जो डिस्क दिखाई गई है उसके अतिरिक्त उन्हें एक और डिस्क (वृत्ताकार) दिखाना चाहिए जिसमें कौनसी चीज क्या है इसकी जानकारी देनी चाहिए। यह बताना चाहिए कि भारतीय धन के एक रुपए में से 50 पैसे काला धन है, 25 पैसे विदेशी ऋण है तथा कुल हिसाबी धन, जिसका माननीय वित्त मंत्री संचालन कर रहे हैं. केवल 25 पैसे है। हमारा यह सदन प्रभुसत्ता सम्पन्न है प्रभुसत्ता सम्पन्न सदन रुपए में से केवल 25 पैसे का ही लेखा- जोखा मांग सकता है।

मेरा एकमात्र निष्कर्ष यह है कि इस देश की वास्तविक वित्त मन्त्री है "श्री मानसून" अपने शासनकाल में जनता पार्टी को इसका पता चल था। तभी तो उन्होंने श्री प्रकाश सिंह बादल को प्रथम कृषि मन्त्री बनाया था, क्योंकि यदि बादल कृषि मन्त्री होंगे तो कम फसल होने का प्रश्न ही नहीं होता। दो वर्षों तक उन्हें अच्छी फसल मिली। बाद में इस सरकार ने राव वीरेन्द्र सिंह को कृषि मन्त्री बनाया तथा वे कृषि मूल्य आयोग की गर्जना के सिवाए कुछ भी नहीं ला पाए। उन्होंने कहा है, "हमने सिंचाई क्षमता बढ़ाकर 620 लाख हेक्टेयर तक पहुंचा दी है" आदि आदि लेकिन उनका अपना ही आर्थिक सर्वेक्षण अपनी भविष्यवाणी में कहता है न जाने क्या होगा। मैं आर्थिक सर्वेक्षण से उदाहरण दे रहा हूं। इसमें कहा गया है कि कृषि विकास दर अगले वर्ष घटकर सामान्य स्तर पर आ जाएगी। इसका क्या अर्थ है? आप जानते हैं कि यह असामान्य वर्ष है। आप 1420 लाख टन उत्पादन की डींग मार रहे हैं। आपकी राष्ट्रीय आय में 6 से 7 प्रतिशत तथा कृषि उत्पादन में 9 प्रतिशत वृद्धि की समूचा अनुमान 1420 लाख टन उत्पादन पर आधारित है। आय स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि अगले वर्ष विकास दर के घटकर सामान्य स्तर पर आ जाने की संभावना है। अतः यह एक सामान्य स्तर नहीं है। इसमें कुछ अप्रत्याशित चीजें हैं। यह है देश की अर्थ व्यवस्था की स्थिति।

वे उद्योगों की बात करते हैं। उन्होंने कहा है कि औद्योगिक विकास दर में वृद्धि हो रही है।

मूल क्षेत्र (कोटसेक्टर) की क्या स्थिति है ? कोयले के उत्पादन लक्षय का क्या हुआ ? कोयले का उत्पादन लक्ष्य 1650 लाख टन से गिराकर 1520 लाख टन तथा उसके बाद 1420 लाख टन पर आ गया है और इस बार यह 1370 लाख टन है ।

रेल ढुलाई के बारे में क्या है ? वे 2280 लाख टन के अंक को पार नहीं कर पाए हैं । इस्पात उत्पादन को लीजिए । ये 60 लाख टन पर रुका हुआ है । बिजली को ही लीजिए, आप मुझे समय नहीं देंगे । अन्यथा में विश्लेषण करके आपको दिखा सकता हूं कि कैसे कदम प्रति कदम लक्षय गिरते गये हैं ।

यह बजट एक चुनाव घोषणा पत्र है । यही कारण है कि मैं उनके बारे में बहुत चिंतित हूँ । उनका क्या होगा ?

जहां तक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का सम्बन्ध है कांग्रेसी सदस्यों ने कहा है कि इस सरकार ने ग्रामीणों के लिए बहुत कुछ किया है । राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम क्या है ? आप जानते हैं कि बेरोजगारी की समस्या बहुत विस्फोटक है । पिछले शेष को निपटाने की अतिरिक्त इस सरकार पर 460 लाख लोगों को रोजगार देने की जिम्मेदारी होगी । वे अपना 20 सूत्रीय कार्यक्रम लेकर आए हैं । मैं नहीं जानता कि आप इस बारे में जानते हैं या नहीं । 20 सूत्री कार्यक्रम में केवल एक बहुत अच्छी बात है इसमें 20 शब्द है ।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लक्षय का उल्लेख करते हुए मैं योजना से उद्धहण दे रहा हूं जो कि सरकारी पत्रिका है :

> "राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का लक्ष्य छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्रत्येक विकास प्रखंड में 3000 निर्धनतम परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना है । आशा है कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत एक वर्ष से अतिरिक्त रोजगार के 8500 से 9000 लाख कार्यदिवस पैदा किये जायेंगे । लेकिन राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की समीक्षा से बहुत निराशजनक तस्वीर सामने आती है, क्योंकि इसकी प्रगति बहुत धीमी रही है । ऐसी सूचना है कि 1982-83 में दिसंबर 1982 के अन्त तक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगारों के केवल 1100 लाख कार्य दिवस ही पैदा किए गए हैं ।"

यह आपका कार्य निष्पादन । इस आधार पर सरकार ने एक लोकप्रिय बजट पेश किया है ।

मैंने पिछले वर्ष के बजट के बारे में आपको बताया था कि वह विकलांगों का बजट था ।

यह बजट राजनीतिक नैतिक तथा आर्थिक रूप से विकलांग सरकार का बजट है ।

मैं इस बजट का पूरी तरह विरोध करता हूँ ।

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं उन सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया है । बहस में बोलते हुये लगभग 43 सदस्यों ने

1984-85 के बजट के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार प्रकट किये हैं जो मैंने 29 फरवरी को प्रस्तुत किया था।

विपक्ष के मित्रों की भावनाओं को मैं भली-भांति समझता हूँ। उन्होंने आर्थिक स्थिति का अपना विश्लेषण किया और उनका विचार था कि हम बजट में उन्हें कुछ राहत मिलेगी। यह दुर्भाग्य की बात है कि विपक्ष के मित्रों को इन वर्षों में हमेशा सहारे की जरूरत रही है। वे अपने आप पर निर्भर नहीं रह सकते। उनका विचार था कि भारी घाटा रहेगा, भारी कर लगाये जायेंगे अथवा लोगों को प्रसन्न करने की कोशिश की जायेगी और उन्हें इसकी आलोचना का मौका मिलेगा। लेकिन जब उन्हें यह मालूम हुआ कि इस बजट में वे सब बातें नहीं हैं जिनको आधार मानकर इसकी आलोचना होती तो उनको निराशा हुई।

एक माननीय सदस्य यह जानना चाहते थे कि बजट में अंतनिहित दर्शन क्या है। क्या इसमें अर्थ-व्यवस्था को कोई दिशा दी गई है ? क्या बजट में कोई विचारधारा है। जी हां। हमारा एक दर्शन है, यह दर्शन केवल 1984-85 के बजट में ही नहीं है अपितु उन बजट प्रस्तावों में भी है जिन्हें सभा के समक्ष प्रस्तुत करने का मुझे तीन बार सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मेरे साथी एव सुप्रसिद्ध पूर्व वित्त मंत्री श्री आर. वेंकटरामन को दो बार यह अवसर मिला है। आपको इन वित्तीय प्रस्तावों में एक दर्शन मिलेगा। हमारा दर्शन है बचत को प्रोत्साहित करना, पूंजीनिवेश को बढ़ावा देना, आयोजना को समर्थन देना, विकास की गति को बनाये रखना और आर्थिक वृद्धि के लिये वातावरण तैयार करना। यदि आप बजट की एक विशेष मद का अध्ययन करेंगे तो आपका निष्कर्ष उसी प्रकार का होगा जैसे कि कोई अन्धा आदमी हाथी के किसी अंग को छूकर हाथी की सम्पूर्ण आकृति की कल्पना करता है।

हमने क्या-क्या कार्य किये हैं ? आयोजना के मामले को लिखिये। इस पर टिप्पणी की गई थी और बहुत बड़ी संख्या में सदस्यों ने टिप्पणी की और यह पता लगाने की कोशिश की कि पूंजीनिवेश कितना है। क्या 510 करोड़ रुपये का वास्तविक निवेश हुआ है अथवा यह सिर्फ वर्ष 1978-79 पर आधारित हैं। आप इसे भूल जाइए। यहां तककी अगर आप वास्तविक (भौतिक) लक्ष्य की ओर देखें, तो चालू योजना के दौरान तेल का उत्पादन क्या था ? लगभग एक करोड़ टन और अब हम कितना लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं ? इस वर्ष के अंत तक लगभग 290 लाख टन। 260 लाख टन हम पहले ही प्राप्त कर चुके हैं। इस चालू योजना की शुरूआत के समय देश की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 28,000 मेगावाट थी। वर्तमान योजना के अन्त में 42,000 से 43,000 मेगावाट विद्युत उपलब्ध होगी। पिछले तीन दशकों में 28,000 मेगावाट की क्षमता स्थापित की जा सकती है और उसकी तुलना में पिछले 5 वर्षों की अवधि में हमने 14,000 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता प्राप्त की है, लगभग स्थापित क्षमता का 50 प्रतिशत। आप कह रहे हैं कि योजना विफल है। यहां तक कि मेरे पुराने मित्र श्री के. पी. उन्नीकृष्णन ने 5 प्रतिशत पर कटौती पर टिप्पणी की है। पांच प्रतिशत कटौती कहाँ से है ? मूल योजना लक्ष्यों से नहीं। वह योजना बजट के पृष्ठों को पलटने की तकलीफ कर सकते थे। बजट अनुमान 13,870 करोड़ रुपये के थे या और पुनरक्षित अनुमान 14,059 करोड़ रुपये है। कटौती दो अनुवर्ती पूरक अनुदानों में की गई

थी । परन्तु वास्तविक अर्थों में नहीं । न ही सम्पूर्ण वित्तीय परिव्यय में। इसे बनाये रखा गया है। क्षेत्र बार मामले को लीजिये । मैं नहीं कहता कि हमने जो लक्ष्य निश्चित किया था उसे प्राप्त करने में समर्थ रहे हैं । यह एक अलग बात है । परन्तु यह कहना कि इसमें असफलता रही है, कुछ भी नहीं किया गया है, पूर्णतय: अर्तनिसगत है । यहां तक कि आप स्वयं भी सतुष्ट नहीं हैं। अत: निष्कर्ष पर पर आने पर कि इस बजट का कोई दशन नहीं है सही नहीं है । क्या आप मुझे एक भी ऐसी योजना अवधि बता सकते हैं जिसमें अत्यधिक मुश्किलों के बावजूद भी प्रत्येक वर्ष 25 प्रतिशत वृद्धि प्रदान की गई हो ? आपने स्वय ही विश्लेषण किया है कि इस वर्ष स्थिति उज्ज्वल नहीं थी । अर्थव्यवस्था पर दो सूखों का प्रभाव पड़ा । 1979-80 के सूखे का प्रभाव चालू योजना अवधि पर पड़ा । 1982-83 के सूखे का असर चालू योजना अवधि के दौरान पड़ा था । अंतर्राष्ट्रीय स्थिति काफी कटिन और विपरीत रही । यह आपने स्वय स्वीकार किया है । अगर आप मिर्फ विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय निकास एजेंसी द्वारा दी जा रही सहायता के तरीके में परिवर्तन को देखें तो पायेंगे कि चालू योजना काल के प्रथम वर्ष में अनुपात इस प्रकार था; ६0 प्रतिशत रियायती सहायता तथा 20 प्रतिशत सामान्य वाणिज्यक माध्यम से । दो वर्षों के अन्दर अनुपात बदल गया है । आजकल इसका अनुपात क्रमश: 40 : 60 है । रियायती सहायता ६0 प्रतिशत से घटकर 40 प्रतिशत हो गई है और वाणिज्यिक माध्यम से, सामान्य रूप में, सामान्य शर्तों पर, 20 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गई है। इसके बावजूद हम योजना में पर्याप्त वृद्धि करने में समर्थ हुये हैं । क्या यह योजना को त्यागने का सकेत है ? क्या यह इस बात का संकेत है कि हम विकास की गति को बनाये रखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं ? भगवान् के लिये इसका विश्लेषण कीजिये आप मुझे एक भी योजना अवधि बताइये जिसमें कि आपने निश्चित की गई लक्ष्य वृद्धि दर को प्राप्त किया हो । 1950-51 से 1978-79 तक वार्षिक औसत वृद्धि 3.5 प्रतिशत थी, हम पहले ही 5.2 प्रतिशत से अधिक प्राप्त कर चुके हैं—वास्तव में यह 5.4 प्रतिशत है । आधार वर्ष में परिवर्तन होता है । कभी एक आधार वर्ष नीचे चला जाता है और दूसरे वर्ष ऊपर चला जाताहै ऐसा हमेशा होता है; इस चालू योजना अवधि के दौरान यह कोई नई घटना नहीं है । अभी भी हम उस वृद्धि को प्राप्त करने में समथ रहे हैं । आपके निष्कर्ष का कोई आधार नहीं है कि हमने विकास की गति को बनाये रखने के लिये कुछ भी नहीं किया है । महत्वपूर्ण एवं प्रमुख क्षेत्रों में विकास का स्तर बनाये रखा जा रहा है । भौतिक रूप में हम लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ रहे है । हमने बड़े प्रमुख क्षेत्रों में वित्तीय परिव्यय में भारी वृद्धि की है । अत: अगर आप कहते हैं कि कोई दर्शन नहीं है, यह तदर्थ है, तो मुझे खेद है कि यह उचित नहीं होगा ।

महोदय, इस संदर्भ में मैं प्रत्येक सदस्य द्वारा उठाए गये मुद्दों पर जाने से पहले में अपने पुराने व अच्छे मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्त के द्वारा उठाये गये मुद्दे पर बोलना चाहूँगा । मैं हमेशा उनकी बातें सुनना पसंद करता हूँ । ऐसी बात नहीं है कि मैं हमेशा उनसे सहमत हूं · किन्तु बजट की व्याख्या करने का उनका एक विशेष ढंग है । अगर मुझे ठीक से याद है तो उन्होंने मेरे पहले बजट को 'टिड्डे का बजट कहा' था। ध्यान रखिये, 'टिड्डा' एक विशेष प्रकार का कीड़ा है जो कि चलता है । उन्होंने दूसरे बजट को 'कर-वसूली कर्त्ता की रद्दी किताब' कहा है और इस वर्ष मेरे विचार से उन्होंने मुझे थोड़ा और आगे बढ़ा दिया है—उन्होंने इसे दाई का बजट कहा है। यह दाई का बजट है और वह नौ महीने पश्चात् एक नये बच्चे के जन्म की आशा करते हैं । मैं नहीं जानता

उन्हें इस नये बच्चे के जन्म के बारे में क्यों इतनी चिन्ता है। निश्चय ही उन्हें सदन में अपनी सीट अथवा अपने साथी के सोने की चिन्ता नहीं है। आप स्वस्थ और नये बच्चे का जन्म चाहते हैं। किन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि हमें आर्थिक मसलों पर विचार करना छोड़ देना चाहिये। मैंने ऐसा नहीं किया है। यह जनवादी बजट नहीं है। यह लुटाऊ बजट बजट नहीं है। अर्थ-व्यवस्था के जिस किसी भी क्षेत्र ने ध्यान दिलाने की मांग की हमने ध्यान दिया। कर प्रस्ताव बिल्कुल भी आकस्मिक नहीं है। 1980 से इनको देखिये। हमने निश्चित आय वर्गों तथा निम्न आय वर्गों के व्यक्तियों को राहत देना आवश्यक समझा है। श्री राम की नीति भिन्न हो सकती है और मैं उस पहलू में नहीं जा रहा हूँ। किन्तु यह सच है कि इस देश में 46 लाख व्यक्ति आयकर देते हैं। अतः जो भी राहत दी जायेगी वह इन 46 लाख व्यक्तियों तक ही सीमित है। वे व्यक्ति जो कि आयकर बिल्कुल ही नहीं देते हैं—मैं उन्हें कोई भी राहत किसी भी तरह से नहीं दे सकता। मैं कुछ और कर सकता हूं; किन्तु वह एक भिन्न मुद्दा है। किन्तु इसमें कोई राहत नहीं है। उन्हें पूरी राहत मिलती है। उन्हें पूरी छूट प्राप्त है और इसलिये वे आयकर का भुगतान नहीं करते हैं। पहली राहत यह है कि छूट सीमा 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दी गई थी। इसके बाद हमने मानक कटौती 5000 रुपये से 6000 रुपये तक बढ़ा दी। हमने कर को निम्नतम स्तर पर 30 से 20 प्रतिशत तक कम कर दिया है। न तो यह लीख चुनने की तरह है और न ही आकस्मिक है अथवा तदर्थ इस सम्बन्ध में श्री गुप्त ने नाराजगी प्रकट की है और वे मुझ से सहमत नहीं हैं जब मैंने कहा कि कर दरों में कमी करने से यह आवश्यक नहीं है कि इसका उचित पालन होगा। मैं नहीं जानता क्या कोई आर्थिक तर्क है अथवा नहीं.....

श्री इन्द्रजीत गुप्त (वसीरहाट) : मैं आपसे सहमत हूं। मैंने ऐसा कहा—परन्तु किसके लिये ?

श्री प्रणब मुखर्जी : आप सहमत हैं ? अच्छा। किन्तु अनुभवों से मुझे पता चला है कि यह एक संयोग हो सकता है—जब कभी भी हमने कर दरों को अत्यधिक कम किया—किसी न किसी तरीके से मैं वित्त मंत्रालय से सम्बन्धित रहा था 1974 में पहले मैं (कनिष्ठ) मंत्री था, इसके बाद 1976 में तथा फिर 1982 में और पिछले दो अवसरों पर मैंने अपने अनुभवों से पाया कि शुद्ध वसूली कम नहीं थी बल्कि यह कुछ अधिक ही थी। इसी कारण से मैंने कहा है कि दरों में कमी तथा तंत्र को मजबूत करने से अच्छी वसूली होगी तथा अच्छा पालन होगा और शुद्ध आय में कमी नहीं होगी।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : आप राज्यों को वंचित कर रहे हैं।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

4-44. म. प.

श्री प्रणव मुखर्जी : चिन्ता मत कीजिए, मैं उस बात पर भी आ रहा हूँ।

एक सकारात्मक सिद्धान्त है और वह सिद्धान्त क्या है ? मैं बचत को प्रोत्साहन देना चाहता हूँ। सभी कर प्रस्तावों का विश्लेषण कीजिए। आप देखेंगे कि एक ओर तो मैंने बचत के

लिए प्रोत्साहन दिया है तथा दूसरी ओर व्यय को निरुत्साहित किया है। मैंने सभी भारित कटौतियों को हटा दिया है क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि हमारी प्रणाली में व्यय के साथ किसी प्रोत्साहन को सम्बद्ध नहीं किया जा सकेगा। यहां तक कि निर्यात क्षेत्र में मैंने गत वर्ष धारा 35 ख को हटा दिया था और इस वर्ष मैंने सभी भारित कटौतियों को हटा दिया है। मैंने बहुत से क्षेत्रों से इसे युक्तिसंगत बनाने के लिए तथा इस सिद्धान्त के प्रतिपादन के लिए कि हमारी व्यवस्था में व्यय के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं होना चाहिए वरन् बचत और पूंजी निवेश के लिए प्रोत्साहन होना चाहिए रियायतों को हटा दिया। निगमित क्षेत्र को मैंने जो भी लाभ दिये हैं, वे लाभ कमाने की दृष्टि से नहीं वरन् बचत और पूंजी निवेश के लिए दिए हैं। मैंने उन्हें सुझाव दिया कि यदि आप अपना अधिशुल्क भारतीय औद्योगिक विकास बैंक में जमा करा दें और यदि आप अपने उद्योगों का आधुनिकीकरण करने के लिए सहमत हो तो मैं रियायती दरों पर ऋण दूंगा। जो पूंजी निवेश हम पहले कर चुके हैं उनसे पर्याप्त लाभ लेने के लिए हमारा जो ऊंचा पूंजी उत्पादन है उसका एक मुख्य कारण विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी तथा आधुनिकीकरण की कमी है। यदि आप अपने उद्योग का आधुनिकीकरण नहीं करते हैं तो उसको यह नहीं मिलेगा और मैंने निगमित कर में कमी नहीं की है।

उच्च आय वाले व्यक्तियों को मैंने सम्पत्ति कर में कुछ रियायत दी है किन्तु यह सम्पत्ति का मजे उड़ाने के लिये नहीं। यदि आप अपनी सम्पत्ति का विशिष्ट वित्तीय परिसम्पत्तियों में निवेश करते हैं तो आपको 2 लाख से 3 लाख तक सम्पत्ति-कर में रियायत मिलेगी। यह सम्पत्ति का मजा लूटने के लिए नहीं वरन बचत को प्रोत्साहन देने के लिए किया गया है। इसका क्या प्रभाव रहा है? माननीय सदस्यों ने इसे देखा होगा। हमारी योजना हमारे पूंजी निवेशन कार्यक्रम और हमारे विकास सम्बन्धी लक्ष्यों के लिए हमें इससे आवश्यक सहायता मिली है। इसीलिये, श्रीमान यह कहना ठीक नहीं है कि तथाकथित आगामी घटना (चुनाव) को ध्यान में रखकर यह बजट बनाया गया है। और यदि हमें ऐसा सातवीं पंचवर्षीय योजना में करते हैं। (व्यवधान) तो इसमें क्या गलत है? यदि मैं कोई जनवादी बजट लाता तो आप मुझ पर आरोप लगा सकते हैं। मैं कोई जनवादी बजट नहीं लाया हूं यद्यपि मेरे अच्छे और पुराने मित्र श्री मगन भाई बरोट ने जो हमें छोड़कर विपक्ष में चले गये हैं और मैं कह सकता हूँ विपक्ष में जाकर उनकी भाषण पुष्टता में निस्संदेह सुधार हुआ है—मुझे श्रेय दिया है कि आगामी चुनावों में समाचार-पत्रों का समर्थन पाने के लिए मैंने समाचार पत्रों को रियायतें दी। उन्होंने इसका अध्ययन नहीं किया है। फिर भी मैंने अखबारी कागज पर आयात शुल्क को समाप्त नहीं किया है। यह जारी है, मैंने यह किया है कि पाँच प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क, लगाया अखबारी कागज को मैं उसके सीमा क्षेत्र में नहीं लाया हूँ—अखबारी कागज पर शुल्क मेरे पूर्ववर्ती श्री वेंकटरमन द्वारा लाया गया था और अब भी जारी है। इसी कारण अखबारों से सम्बन्धित लोग मुझ पर नाराज हैं। मैं चाहता हूं कि उन्होंने बजट के प्रस्तावों को पढ़ा होता, जैसे कि आपने पढ़ा है, तो वह मेरे प्रति आलोचनात्मक रवैया नहीं अपनाते।

गुजरात से आए मेरे मित्र ने—मैं भी गुजरात से आया हूँ—कहा कि मैंने कपड़ा उद्योग को और रियायतें दी हैं। उन्होंने इसे अपवाद के रूप में लिया है कि कपड़ा उद्योग को यह रियायत मैंने क्यों दी है। उन्होंने कहा कि कपड़ा उद्योग को यह रियायतें हमने केवल मिल-

मालिकों को संतुष्ट करने के लिये दी हैं। यहाँ तक कह गये हैं मैं ऐसा इसीलिये कह रहा हूं कि किसी दूसरे ने ऐसा नहीं कहा कि यह बजट चुनावों के लिये, धन इकट्ठा करने और भ्रष्टाचार के लिए हैं। मैं नहीं जानता कि उनका इस बजट से क्या अर्थ है। हमने कपड़ा उद्योग को रियायतें इसलिये दी है कि कपड़ा उद्योग को इसकी आवश्यकता है। अपने बजट भाषण में मैं बिल्कुल स्पष्ट कर चुका हूं कि मैं उनसे यह आशा करूंगा कि वे ये रियायतें उपभोक्ता तक पहुंचाएंगे और अधिक मांग पैदा करेंगे और मैं यह बात दोहरा रहा हूं कि आप सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को मारते नहीं हैं। आप इन रियायतों को उपभोक्ता तक पहुंचाइए, मांगों में वृद्धि कीजिए और मांगों में वृद्धि होने के कारण लाभ प्राप्त कीजिये। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तब आप क्या करेंगे ? इसके लिये भी मैंने कुछ किया है, जो सैद्धान्तिक प्रस्ताव नहीं है। अक्टूबर में मैंने टायर उद्योग को कुछ रियायतें दी थी और जब उस उद्योग ने दी गई रियायतों का लाभ उपभोक्ता को नहीं पहुंचाया तो इस बजट में, मैंने उन रियायतों को समाप्त कर दिया है।

इसीलिए, मैं समझता हूँ कि यह संदेश उन तक पहुंच जाना चाहिए कि यदि कपड़ा मिलें जीवित रहती हैं तो उन लोगों की नौकरी भी सुरक्षित रहेगी जिनके लिये वह अत्यधिक चिन्तित हैं। उन्हें चिन्ता थी कि बहुत सी कपड़ा मिलें बन्द पड़ी हुई हैं। किन्तु नये रोजगार बनाये गये हैं। आनेवाली घटना (चुनाव) के लिए मैं उनकी चिन्ता को समझ सकता हूं क्योंकि अंततः यदि उनके स्वयं को और उनके नये साथियों के अधर में लटके भविष्य अच्छा नहीं होगा तो यह आगे भी अधर में ही लटका रहेगा।

श्रीमान्, कागज उद्योग को दी गई रियायतें भी उसी बात को दृष्टिगत रखते हुए दी गयी हैं। यह बात नहीं है कि मैं कुछ कागज-मिल-मालिकों को लाभ पहुंचाना चाहता हूं। सभा में अनेक बार सदस्यों ने और विभिन्न समितियों ने भी यह सुझाया है कि शुल्क ढांचे को इस प्रकार से बनाया जाना चाहिये कि उससे यह सुनिश्चित हो जाए कि उससे मांग बढ़ाने में उद्योग को सहायता मिलती है यदि मांग प्रतिबन्धित करने वाला शुल्क है तो उसे समायोजित करना आवश्यक है। श्रीमान, इसका अच्छा लाभ रहा कुछ उद्योगों में जिनमें हमने अक्तूबर में रियायतें दी थी, मांग में वृद्धि हुई है। इसीलिए, यह एक आर्थिक साधन हैं जिसे आपको स्थिति देखकर ही अपनाना होगा और इसीलिए मैंने यह बात कही कि वास्तविकता यह है।

अब, मैं भुगतान शेष पर आता हूं। मैं सही-सही नहीं जानता हूँ कि मेरे मित्र इस बारे में क्या मालूम करना अथवा कहना चाहते थे। सच तो यह है कि व्यापार घाटे में कमी आ गई है। हां, यह कमी इतनी नहीं है कि आप इससे सन्तुष्ट हो। यह 5800 करोड़ से घटकर यह 5500 करोड़ हो गया है और इस वर्ष 5000 करोड़ से भी कम हो जाएगा। यह कटु सत्य और हिसाब है। आप क्या कर सकते हैं ? सच्चाई यह है कि विदेशी मुद्रा की आरक्षित राशि बढ़ी है। सच्चाई यह है—जो मैंने पहले भी कहा और अब भी कह रहा हूं—कि जब हमने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लेने का समझौता किया था तब हमने अपनी आँखें खुली रखी थीं और अब हम अपना सिर ऊंचा उठाए हुए हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अध्ययन पर मुग्ध हैं और श्री राय ने भी

इसका उल्लेख किया। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यह अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अध्ययन बिल्कुल नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक पत्रिका में एक लेख काले धन पर अवश्य प्रकाशित हुआ था। कुछ व्यक्तियों द्वारा अध्ययन किया गया है। कुछ अन्य व्यक्तियों ने कुछ देशों के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की है ऐसा एक अध्ययन भारत में भी किया गया था किन्तु उस अध्ययन में जो तरीके अपनाये गये थे उनके कारण इस देश के विशेषज्ञ उससे सहमत नहीं थे। अत: स्वयं अपने अध्ययन के लिये किया गया था। वह अध्ययन उस लेखक द्वारा नहीं किया गया है जिसने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पत्रिका में उस लेख को लिखा है और न ही यह अध्ययन अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष द्वारा स्वयं किया गया है। मैं इस पहलू में जाना नहीं चाहता हूं। यह बात हमारे मुद्दे से हटकर है।

प्रो० मधु दंडवते (राणापुर) : आपका क्या संशोधन है ?

श्री प्रणव मुखर्जी: मैंने इस बारे में कोई प्रयत्न नहीं किया है। यही कारण है कि अध्ययन का काम मैंने लोक वित्त संस्थान को सौंप दिया है। एक बार वांचू समिति ने कुछ मुद्दों पर अध्ययन करने का प्रयत्न किया था। काफी समय पहले प्रो. कालडोर ने ऐसा अध्ययन करने का प्रयास किया था। हाल ही में अध्ययन करने का कार्य मैंने लोक वित्त सस्थान को सौंपा है। मैं उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। मैं यह कहना चाहता था कि आपने जो यह बात कहने की कोशिश की कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कुछ अध्ययन किए और उसके बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे यह तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। यह बात हमारे मुद्दे से हटकर है। मुद्दा यह है कि भुगतान शेष की स्थिति में कोई सुधार हुआ है या नहीं। परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण में से हमने 1.1 बिलियन एस. डी. आर. नहीं लिए। श्री मैत्रा ने भी यह खोजने का प्रयास किया कि क्या इसमें कुछ छिपा हुआ है। जब शिष्टमंडल आया था तब क्या हुआ ? श्रीमान, मैं उन्हें दोष नहीं देता हूं क्योंकि उन्होंने अपना सिर कालीन की ओर झुकाया हुआ है। उन्होंने स्वयं कहा था कि यह मुलायम फारसी कालीन जैसा दिखाई देता है और धूल तथा गंदगी ढूंढ़ने के लिए वह अपना सिर कालीन की ओर ही झुकाये रहे हैं। यह स्वाभाविक है कि वह चारों ओर की घटनाओं से बिल्कुल अनजान रहे और चारों ओर की घटनाओं के बारे में वह तनिक भी जानकारी प्राप्त नहीं कर पाए हैं अत: मैं उन्हें दोष नहीं देता हूँ। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के शिष्टमंडल के साथ कुछ चर्चा नहीं की गयी थी और आप देखेंगे कि हमने नवम्बर 1981 में ऋण लेने का समझौता किया था···

यह तीन वर्ष तक चलेगा। जिसका अर्थ है कि नवम्बर 1984 में यह समाप्त होगा। हमारे वित्तीय वर्ष और उनके वित्तीय वर्ष में अन्तर है। इसलिए, जिस वर्ष का आपने उल्लेख किया है, उसमें हमने सारी राशि निकाल ली है। इसीलिए, इसमें कोई विवाद और भ्रांति नहीं है। और मैं आशा करता हूं कि आप अब समझ जाएंगे कि कालीन उससे भी अधिक स्वच्छ है जैसा कि आप सोचते हैं। किन्तु वास्तव में हमने क्या किया ? हमने कहा था कि ऋण की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारे भुगतान शेष में कुछ सुधार हुआ है। यह सुधार किसी जादू की छड़ी से नहीं हुआ है। यह सुधार स्वर्ग से भी नहीं आया है। सुधार कुछ नीतियों के कारण आया हैं जिन्हें हमने अपनाया था और जिन्हें संसद द्वारा स्वीकृत किया गया

था। यह संसद ही है जिसमें कहा गया, हमें तेल की खोज में सफलता मिलनी चाहिए। इसीलिए हमने तेल के उत्पादन में 100 से 260 लाख टन की वृद्धि की है। यही धारणा है कि हमने आयात में 1980-81 में लगभग 730% और 1983-84 में 51% की कमी की है और यही कारण है कि हमारे भुगतान शेष की स्थिति में सुधार हुआ है। हमारे द्वारा अपनायी गई नीतियों के कारण ही भुगतान शेष की स्थिति में सुधार हुआ है।

हमने गैर-निवासी भारतीयों को पूंजी निवेश करने के लिए प्रोत्साहन दिया है। श्री इन्द्रजीत गुप्त ने यह बात बिल्कुल ठीक कही कि बैंकों में गैर-निवासी भारतीयों के पूंजी निवेश में भारी वृद्धि हुई है। यह भारी वृद्धि स्वर्ग से नहीं हुई है। यह प्रचूर वृद्धि एक नीति के कारण हुई है, जिसे मैंने अपने पहले बजट घोषित किया था कि मैं उन्हें प्रोत्साहन दूंगा। इसी कारण प्रचुर मात्रा में धन आया है; और उससे हमारे भुगतान शेष की स्थिति में सुधार आया है और इसीलिए हमने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण नहीं लिया है यह कोई चाल नहीं है। यह कटु सत्य है। और उन्होंने स्वयं इसकी प्रशंसा की है। पिछले दिन जब मैं एक प्रश्न का उत्तर दे रहा था तो मैंने कहा था कि लंदन से प्रकाशित होने वाली एक महत्वपूर्ण पत्रिका 'इकॉनॉमिस्ट', जो हमारे पक्ष में भी नहीं लिखती है में भी इस पर टिप्पणी की गई। उन्होंने एक बहुत सुन्दर शीर्षक दिया; "फूड प्लस ऑयल माइनस आई. एम. एफ. इज इक्वल टू इण्डिया" (खाद्यन्न+तेल—अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष—भारत) और उन्होंने स्वयं भी कहा है कि जबकि बहुत से विकासशील देश अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लेने के लिए परेशान हैं या लाइन में खड़े हैं तब भारत ही एक ऐसा देश है जो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के जाल से बाहर निकल आया है और जिसने अपने कृषि उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि की है।

श्रीमान, इस सम्बन्ध में मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं जिसका उल्लेख मेरे अच्छे मित्र श्री सतीश अग्रवाल और श्री उनीकृष्णन दोनों ने किया है उन्हें भी कुछ भ्रांति है। एशियन विकास बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ली जाने वाली सहायता एक ही प्रकार की नहीं है। कम से कम यह बात श्री अग्रवाल को बिल्कुल स्पष्ट है। क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का ऋण एक मध्यावधि ऋण है। यह केवल आपकी नकदी की समस्या, तात्कालिक समस्या, मध्यावधि की समस्या का सामना करने के लिए है। दूसरी सहायता परियोजना सम्बद्ध और दीर्घकालिक विकास सम्बन्धी सहायता है। इसीलिए इनमें कोई विरोध नहीं है। यदि आप कहते हैं कि इनमें विरोध है क्योंकि एक ओर तो आप अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण नहीं ले रहे हैं और दूसरी ओर आप एशियन विकास बैंक के पास जा रहे हैं, इसमें बिल्कुल विरोधाभास नहीं है क्योंकि एक तो विशेष परियोजना आवृद्ध विकास सम्बन्धी सहायता है और दूसरा अस्थायी धन की उपलब्धता की समस्या से निपटने के लिए मध्यावधि व्यवस्था है।

अब मैं कुछ ऐसे मुद्दों पर आता हूं जिन्हें मेरे साथियों द्वारा उठाया गया है। एक मुद्दा गुप्त बातचीत के बारे में उठाया गया है। कुछ सुझाव दिए गए कि गुप्त बातचीत की गई है। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि कोई गुप्त बातचीत नहीं की गई है। हमने सभी कुछ खुले आम किया है। हमने संसद को विश्वास में लिया। मेरे तथा मेरे सहयोगियों ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अधिकारियों के साथ जो पत्राचार किया, उसे सभापटल पर रख दिया गया था। इसमें कुछ भी गोपनीय नहीं है।

लेकिन, श्रीमन् मैं एक बात अवश्य कहूंगा। मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ वर्षों से मेरे मित्र, विशेषकर मेरे साम्यवादी मित्र तथा उनमें से वे पूरे साम्यवादी नहीं हैं, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से बड़ी चिढ़ थी। पिछले दो वर्षों से वे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से जो ऋण लिया जा रहा था उससे भी इन्हें चिढ़ थी। लेकिन इस वर्ष मुझे यह देखकर अचम्भा हो रहा है कि वे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से ऋण न लेने की कमी महसूस कर रहे हैं। मैं यह उनकी बुद्धिमता पर छोड़ता हूं।

5.00 म. प.

महोदय, अब मैं अपने साथियों द्वारा उठाए गए व्यक्तिगत मुद्दों की ओर आता हूँ एक ऐसा ही मुद्दा कृषि क्षेत्र की उपलब्धियों के बारे में है और श्री मैत्रा इसमें कोई प्रभावी योजना नहीं देख पाए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप नहीं देख सकते क्योंकि आपकी नजरें जमीन की ओर हैं। आप अपने इर्द गिर्द नहीं देख सकते। 1-9 प्रतिशत के जिस अंक की आप बात कर रहे थे वह वृद्धि सम्बन्धी है। यदि मैं इस इस अंक की प्रत्येक वर्ष कल्पना भी कर लूं और यदि आप सम्पूर्ण आंकड़ों को हिसाब में लें तो परिणाम क्या रहा है ? इस वर्ष के आर्थिक सर्वेक्षण में मैंने एक और सांख्यिकीय जानकारी जोड़ी है। यह अन्तिम पृष्ठ पर है और इस वर्ष हमने इसे जल्दबाजी में तैयार किया था और यही कारण है कि मैं सभी महत्वपूर्ण आंकड़े नहीं दे पाया।

अब योजना के आरम्भ में क्या स्थिति थी ? कृपया आर्थिक सर्वेक्षण के अन्तिम पृष्ठ अर्थात्, अन्तिम सारणी को देखें इसमें आप देखेंगे कि योजना के आरम्भ में खाद्यान्न उत्पादन 550 लाख टन था और आज यह चौदह करोड़ बीस लाख टन से अधिक है।

मैत्रा जी, कृपया मुझे बताएं कि वे कौन से देश हैं यह मानते हुए भी कि जिस ढंग से आप चाहते थे हम नहीं कर पाए हैं, अर्थात् भूमि सुधार लागू नहीं कर पाए हैं, इन आरोपों को मानते हुए कि हम वांछित ढंग से भूमि सुधारों को लागू नहीं कर पाए हैं जो प्रभावी भूमि सुधार लागू कर पाए हैं तथा जिन देशों में उत्पादन में इतनी वृद्धि हुई है। आप मुझे एक भी देश बता दीजिए। हमने 1420 लाख टन उत्पाद न किया है। अब मैं आपको आँकड़े दे रहा हूं।

प्रथम योजना के आरम्भ में खाद्यान्न उत्पादन 5 करोड़ 50 लाख रहा। 1965-66 में भी यह केवल 720 लाख टन रहा और आज यह 14 करोड़ 20 लाख टन तक पहुंच गया है और आप कहते हैं कि कुछ भी नहीं किया गया है, सरकार की कोई योजनाबद्ध नीति नहीं है। यदि कोई योजनाबद्ध नीति नहीं थी, तो हाल ही के दो उदाहरण लीजिए। 1979-80 में सूखे के बाद खाद्यान्न उत्पादन में गिरावट 17 प्रतिशत रही। आपके पास ये आंकड़े कहाँ से आए जिनका आप उद्धरण दे रहे थे ? मैं उसी स्रोत में से उद्धरण दे रहा हूं 1982-83 में गिरावट 4 प्रतिशत थी। यदि मैं यह भी मान लूं कि सूखे का प्रभाव उतना ही था, जो कि सही नहीं है 1982-83 का सूखा 1989-80 के सूखे से कहीं अधिक भयंकर था 1979-80 मे गिरावट 17 प्रतिशत थी लेकिन 1982-83 में यह गिरावट 4 प्रतिशत थी। यह सुप्रबन्ध तथा कुप्रबन्ध के बीच अन्तर है जिसे दुर्भाग्यवश, आप समझने से इन्कार करते हैं।

प्रो. मधु दंडवते : 1978-79 में यह 13 करोड़ टन था।

श्री प्रणव मुखर्जी : मैंने आपको श्रेय दिया है। मैं यह नहीं कहता कि आपने कुछ भी नहीं किया है। मैंने कभी भी ऐसा नहीं कहा। मेरा तर्क यह है कि मैं जानबूझकर उस राज्य के कार्य निष्पादन के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, जिससे माननीय सदस्य सम्बन्धित हैं। अन्यथा वे सभी तुरन्त मुझ पर झपट पड़ेंगे। (**व्यवधान**)

प्रो. सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय. इस वर्ष पश्चिम बंगाल में रिकार्ड उत्पादन होगा।

श्री प्रणव मुखर्जी : मेरी भी यहीं कामना है।

प्रो. सत्यसाधन चक्रवर्ती : कामनान नहीं, ऐसा होगा।

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं चाहता हूं कि मेरे साथी इसे नोट करेंगे ताकि उन पर दबाव कम पड़े।

अध्यक्ष महोदय : वित्त मन्त्री महोदय, क्या आपने 'समझने से इन्कार करते हैं, शब्द प्रयोग किये थे या 'समझ नहीं पाते ? (**व्यवधान**)

श्री प्रणव मुखर्जी : महोदय, औद्योगिक विकास दर की ओर आते हुए, आपने एकाएक मुझ पर आरोप लगाया कि मैंने कलैंडर वर्ष को वित्तीय वर्ष में क्यों परिवर्तित कर दिया ? श्री मैत्रा का एक आरोप यह है कि मैंने इसे क्यों बदला है ? यदि आप 1982-83 के आर्थिक सर्वेक्षण पर नजर डालें तथा 1982-83 के बजट भाषण को देखें -प्रथम पृष्ठ पर हम हर साल चुनींदा आर्थिक सकेतक देते हैं तो आप देखेंगे कि हम वित्त वर्ष का प्रयोग कर रहे हैं। यह अचानक किया गया परिवर्तन नहीं है। आखिरकार एक साल आपको लाभ मिल सकता है, लेकिन जब आप बारह महीनों को हिसाब में लेते हैं, चाहे यह जनवरी से दिसम्बर हो या अप्रैल से मार्च, एक वर्ष के लिए थोड़ी- बहुत घट बढ़ हो सकती है लेकिन यदि आप निरन्तर दो तीन या चार वर्षों को लें तो यह घट-बढ़ खप जाएगी और यह भी मैंने अचानक नहीं किया है। मैंने यह कई वर्षों तक किया है और यही कारण है कि मैंने इसका उल्लेख किया।

यह मेरा दावा नहीं हैं कि हमने बहुत बढ़िया कार्य किया है, या जो हमने किया है वह अधिकतम है, जितना कर पाना संभव है। मैंने यह स्वीकार किया है। अपने बजट भाषण में मैंने स्वीकार किया है कि औद्योगिक क्षेत्र में उपलब्ध क्षमता का हम पूरा उपयोग नहीं कर पाए हैं, इसमें 7-8 प्रतिशत विकास होना चाहिए, और यदि आप विकास के इस स्तर को बनाये रखना चाहते हैं तो औधोगिक क्षेत्र का विकास 7-8 प्रतिशत अवश्य होना चाहिए।

इस सम्बन्ध में मैं अपने विपक्षी मित्रों द्वारा उठाए गए इन मुद्दों पर कुछ अवलोकन करना चाहूंगा कि मेरा प्रयास राज्यों को वंचित करने या बल्कि यह कहें कि दूसरों की कीमत पर दान करने का रहा है। ऐसा नहीं है। सबसे पहले, माननीय सदस्य इस बात की सराहना करेंगे कि हमारी वित्तीय नीतियां या कर समायोजन इस आधार पर निर्धारित नहीं किए जाते कि केन्द्र को अधिक मिलेगा या राज्यों को कम मिलेगा बल्कि अर्थ-व्यवस्था की आवश्यकताओं

के अनुसार किये जाते हैं। यह एक आधारभूत मौलिक सिद्धान्त है जिसे हमने स्वीकार किया है। और यदि इस प्रक्रिया में यदि यह पाया जाता है कि राज्यों को कम मिल रहा है तो हम इसे पूरा करने की अवश्य कोशिश करते हैं। इसका प्रभाव क्या हुआ है ? केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की हमारी राजस्व की हानि 190 करोड़ रुपए है। राज्यों की हानि 40 करोड़ रुपए से थोड़ी सी अधिक है। आयकर में, यदि आयकर तथा निगम कर को इकट्ठा लें तो हमारी हानि 30 करोड़ रुपए होगी, राज्यों की हानि 38 करोड़ रुपए होगी। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि इसकी आंशिक क्षतिपूर्ति के लिए मैंने आधारभूत उत्पाद शुल्क के एक भाग को अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में परिवर्तित कर दिया है जो सिगरेट पर लगभग 40 करोड़ रुपए है। हमने ऐसा क्यों किया है ? यह उन्हें उनकी क्षति को पूरा करने के लिए है ताकि राज्य यह शिकायत न करें कि उन्हें इससे वंचित कर दिया गया है। मैंने अतिरिक्त उत्पाद शुल्क बढ़ा दिया है। कपड़ों पर आप देखेंगे कि मैंने निरतर रियायत दी है। केवल एक क्षेत्र मे मैंने शुल्कों में वृद्धि की है और वह है अतिरिक्त उत्पादन शुल्क, जिसके लिए मुझ पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि मैं शुल्क थोप रहा हूं। और उन्हें लाभ मिल रहा है क्योंकि अतिरिक्त उत्पादन शुल्क से जितनी भी प्राप्ति हमें होगी, वह समूची राज्यों को दे दी जाएगी।

यदि आप चालू वर्ष के आरम्भ से समग्रता को हिसाब में लें, तो राज्यों का घाटा कितना रहा है ? यह हमारे कारण नहीं है। यदि आप प्रत्येक वर्ष का विश्लेषण करें तो आप देखेंगे कि केन्द्र से राज्यों को सम्पूर्ण अर्थों में शुद्ध अन्तरण हर साल बढ़ा है। लेकिन राज्यों के अपने आंतरिक संसाधनों में 5,300 करोड़ रुपए की कमी है, जिसमें से 4,800 करोड़ रुपये की कमी भारत सरकार ने पूरी कर दी है।

श्री सुनील मैत्रा : सभी लचीले संसाधन आपके पास हैं।

श्री प्रणव मुखर्जी : मुझे अफसोस है कि लोक लेखा समिति के सभापति होने के नाते आपको पता होना चाहिये कि सकल राष्ट्रीय उपताद का 40 प्रतिशत कृषि से मिलता है और कृषि क्षेत्र राज्यों के लिए छोड़ दिया गया है।

आपको कौन रोकता है ? इस वर्ष मैं एक प्रयोग कर रहा हूं। मैं 150 करोड़ रुपये वसूल किया करता था। ठीक राशि मुझे याद नहीं है ; यह 120 करोड़ रुपये है या 150 करोड़ रुपये अन्यथा, प्रो.दंडवते सदन को गुमराह करने के लिए मेरे विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव ले आयेंगे। बिजली पर उत्पाद शुल्क के रूप में हमने यह राशि वसूल की तथा इसे राज्यों को दे दिया। इस साल मैंने इसे समाप्त करने का प्रस्ताव रखा है। मैं राज्यों को समय दे रहा हूं। मैं इसे दो या तीन वर्ष बाद देखना चाहूंगा। मैं यहां रहूं या न रहूँ लेकिन मैं देखना चाहूंगा कि राज्य कितनी वसूली करते हैं। जो कुछ मैं वसूल कर रहा हूँ उसे मैं उन्हें दे देता हूं। अब मैं इसके बारे में देखना चाहूंगा।

आप कह रहे हैं कि कर लगाने के लिए कोई क्षेत्र बचा नहीं है। हमार कर लगाने का क्षेत्र बहुत सीमित है। मैंने आपको एक क्षेत्र बता दिया है।

श्री सुनील मैत्रा : तथाकथित होने वाली आगामी घटना के बावजूद इस वर्ष मेरा राज्य 75 करोड़ रुपए जुटा रहा है।

श्री प्रणव मुखर्जी : क्योंकि वह आगामी घटना इस वर्ष होने वाली नहीं है। **(व्यवधान)** मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने स्वयं जिम्मेदारी ली है तथा अपने बजट भाषण में मैंने इसका विश्लेषण किया है। मुझे पता था कि जब इस पर तथाकथित विपक्षी बैठक में चर्चा होगी तो माननीय सदस्य इन मुद्दों को यहां उठायेंगे। आप अधिक शक्ति चाहते हैं। लेकिन क्या आपने वास्तविकता पर विचार किया है ? क्या आपने शुद्ध अंतरण को हिसाब में लिया है ? आपके अपने आंतरिक संसाधन जुटाने की 5,300 करोड़ रुपये की कमी भारत सरकार केन्द्र सरकार द्वारा 4800 करोड़ रुपये तक पूरी की जा रही है, और शेष 500 करोड़ रुपये के बारे में भी मैं भलि भांति जानता हूं कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा।

लेकिन उसके बावजूद, यदि आप अपनी योजना का कार्यान्वयन नहीं कर पाए हैं अथवा योजना के लक्ष्यों तक नाममात्र के लिये भी नहीं पहुंच पाये हैं तो आप इसकी जिम्मेदायी मेरे कंधों पर नहीं डाल सकते आप भारत भरकार को इसके जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। भारत सरकार और क्या कर सकती है ? भारत सरकार ने आपको नये सिरे से काम आरम्भ करने को कहा योजना के लिये आरम्भ में जो भी अग्रिम सहायता दी गई है, राज्यों को उसका भुगतान नहीं करना पड़ेगा। भारत सरकार गाडगिल सूत्र के अनुसार केन्द्रीय सहायता में करीब 2000 करोड़ रुपये तक की वृद्धि करने पर सहमत हो गई है। भारत सरकार 31 मार्च, 1982 तक के जो 1743 करोड़ रुपये की बकाया राशि के ओवरड्राफ्ट थे उन्हें मध्यावधि ऋणों में परिवर्तित करने पर सहमत हो गई ताकि इस वर्ष आप अपनी योजना की क्रियान्विति कर सके। लेकिन उसके बावजूद यदि कुछ राज्य असफल रहे तो उसकी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर डालने का कोई लाभ नहीं है। मैं आपको यह बता सकता हूं कि जब आपको अगले वर्ष के आंकड़े मिलेंगे तो आप देखेंगे कि शुद्ध हस्तांतरण में न केवल वृद्धि होगी अपितु अत्याधिक वृद्धि होगी।

सामान्यत: मेरे मित्र श्री सतीश अग्रवाल का भाषण बहुत रचनात्मक होता है तथा वे श्री इन्द्रजीत गुप्त की भाषा में बोलते हैं ; यह राजनीयकों की भाषा है ; इसमें कोई संदेह नहीं है मैं भी इसका समर्थन करता हूं। लेकिन मैं समझता हूं कि एक मुद्दे पर उन्होंने थोड़ा भ्रम पैदा किया, संभवत: वह जानबूझकर सदन को भ्रम में डालना चाहते थे। **(व्यवधान)** वह सदन को गुमराह करना नहीं चाहते थे किन्तु घाटों का विश्लेषण करते समय उन्होने कुछ भ्रम सा पैदा किया। यदि वह मात्र लेखाकार का रुख अपनाते हैं तो उनके इस कथन में जरूर कुछ है कि राजस्व की वसूली में कमी हो रही है तथा मैं पूंजीगत प्राप्तियों से घाटे को पूरा करने का प्रयत्न कर रहा हूं। मैं यह कहना चाहता हुं कि अन्तत: प्राप्ति प्राप्ति है और जब मुझे समग्र बजट प्रस्तुत करना है, यदि पूंजीगत प्राप्तियों के सर्व सम को ध्यान में रखा जाये तो आर्थिक दृष्टि से इसको इतनी हानि नहीं होगी जितनी आप कहने का प्रयत्न कर रहे हैं।

प्रो. मधु दंडवते (राजापुर) : अर्थ व्ययस्था के कार्य निष्पादन का निर्णय हमेशा राजस्व प्राप्ति के कार्य निष्पादन से ही किया जायेगा न कि पूंजीगत प्राप्तियों को ध्यान में रखकर।

श्री प्रणव मुखर्जी : मुझे संदेह है कि आप 30-40 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं आज की नहीं, आप बीते समय की बात कर रहे हैं।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : वह आपसे 30 वर्ष बड़े हैं।

श्री प्रणब मुखर्जी : यह स्पष्ट है। मैं नहीं जानता कि वह 30 वर्ष बड़े हैं लेकिन निश्चय ही वह मुझसे बड़े हैं।

आप इस कथित राजस्व प्राप्ति की परम्परागत धारणा पर ध्यान दें। यदि आप राज्यों के 30-40 वर्ष पुराने बजट का विश्लेषण करें, तो आप देखेंगे कि भू-राजस्व से काफी धन की प्राप्ति होती थी क्या आज राज्यों के बजट में भूमि से प्राप्त होने वाले राजस्व का कोई स्थान है ? मुझे याद है जब 1937 में मद्रास में राजा जी ने बिक्री कर शुरू किया था, क्या किसी ने कल्पना की थी कि 40-50 वर्षों के बाद संसाधन जुटाने में इसका इतना बड़ा योगदान होगा ? अत: मेरे विचार से परम्परागत धारणा का विकासशील अर्थ-व्यवस्था में कोई स्थान नहीं है।

अब मैं मुद्रा स्फीति के प्रश्न पर आ रहा हूं। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा है कि कीमतों के मोर्चे पर हमारी स्फीति बिलकुल ठीक है। मैंने स्वयं स्वीकार किया है तथा कई बार अपनी इच्छा व्यक्त की है। हमने कुछ उपाय किये हैं लेकिन क्या कोई व्यक्ति मुझे यह सुझाव देगा कि मुझे विकास को छोड़कर मुद्रा स्फीति का मुकाबला करने के लिए, परम्परागत पश्चिमी तरीके को अपनना चाहिए ? क्या ऐसा संभव है ? क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम अपनी विकास की गतिविधियों को रोके बिना मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण कर सकें ? लेकिन निश्चित रूप से हमें उस पर नियंत्रण रखना होगा और हम ऐसा करने में सफल हुए हैं। मैंने इसे इकाई में रखने का प्रयत्न किया मुझे बताया गया है कि यह पहले ही थोक मूल्य सूचकांक, बिंदु से बिंदु के आधार पर वार्षिक औसत का 10% पार कर चुकी है। यह कुछ अधिक भी हो सकती है ; लेकिन सच यह है कि यदि आप इसे इस दृष्टि से देखें तो आप पायेंगे कि यह स्थिर है। इसमें वृद्धि नहीं हो रही है और इस बात को पूर्णत: ध्यान में रखते हुए कि मुख्य क्षेत्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा हमें कोई अरुचिकर निर्णय लेना ही पड़ेगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त यहां उपस्थित नहीं है।

एक माननीय सदस्य : वह एक बैठक में भाग लेने गए हैं।

श्री प्रणव मुखर्जी : कोयले के मुल्य में की कई वृद्धि की आलोचना की। मैं चाहता हूं कि वे इसका कुछ विकल्प बतायें। कोयला गैर सरकारी क्षेत्र में नहीं आता। या तो मुझे बजट में राज सहायता प्रदान करनी होगी अथवा उन्हें इसका भार उपभोक्ताओं पर डालना होगा आप 190 करोड़ रुपयों की बात भूल जाइये जोकि मुझे कोयला श्रमिकों को देने हैं, परिश्रमिक संधि वार्त्ता के परिणाम स्वरूप हमें 600-700 करोड़ रुपये प्रदान करने होंगे। मैं वेतन बढ़ाये जाने को बुरा नहीं मानता। लेकिन निश्चित रूप से मैं यह आशा करूंगा कि बढ़ाए गए वेतनों की झलक बड़ी हुई उत्पादकता में प्रतिबिम्बित होगी इसकी बात कोई नहीं करता।

श्री गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : 600 करोड़ रुपये न कि 300 करोड़ रुपये ?

श्री प्रणव मुखर्जी : विभिन्न क्षेत्रों में दो तीन लोग पंक्ति में इन्तजार कर रहे हैं। श्री मैत्रा बीमा के सम्बन्ध में बोलने के लिए इन्तजार कर रहे हैं, आपमें से कुछ बैंकिंग क्षेत्र के लिए और कुछ इस बात के लिए कि यह किस दिशा में ले जायेगा। कुछ राज्यों में पांच वर्षों के अन्तराल बाद अपने आप वेतन आयोग बैठ जाता है और आपने वास्तविक वेतन की बात कहीं है। हमने सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के वास्तविक वेतन को बनाए रखा है। मेरे पास आंकड़े हैं। आप देखेंगे कि जहां तक सरकारी क्षेत्र का सम्बन्ध है पिछले दशक में सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के वेतन में 4.15 गुना वृद्धि हुई है जबकि मूल्यों में 3.9 गुना वृद्धि हुई है। क्या यह वास्तविक वेतनों की रक्षा करना नहीं है ?

श्रीमती गीता मुखर्जी : कौन सा सूल्य ? थोक मूल्य ?

श्री प्रणव मुखर्जी : उपभोक्ता मूल्य पर सूचकांक। सी. पी. आई. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इन्डिया नहीं। (**व्यवधान**)

जहां तक न्यूनतम वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों का सम्बन्ध है, 1.1.1973 तक उन्हें 196 रुपये प्रति माह मिलते थे। आज न्यूनतम वेतन 531 रुपये है। मैं मात्र 10 वर्षों के आंकडों की बात कर रहा हूं। वेतन में 171.4 प्रतिशत वृद्धि हुई है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 157.6% वृद्धि हुई है। ऐसा नहीं है कि वास्तविक वेतन में कमी आई है ...

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : सी. पी. एम. में कितनी वृद्धि हुई है।

श्री प्रणव मुखर्जी वह मैं आप पर छोड़ूगा।

10 वर्ष पहले हम कहा करते थे, भगवान के लिए वे नारे मत दोहराइए। वास्तविकता पर ध्यान दीजिये। यदि आप वास्तविकता को ध्यान में रखते हैं तो आप स्वयं आगे आयेंगे और कहेंगे कि ऐसा समय आ गया है कि यदि देश सरकारी क्षेत्र में 30,000 करोड़ रुपये पूंजी निवेश करता है तो उससे कम से कम 10% प्रतिफल मिलना ही चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें आपको जिम्मेदार ठहराना है।

श्री प्रणव मुखर्जी : समय आ गया है जबकि आपको यह कहना होगा कि जब कोई इकाई रूग्ण हो जाती है, तो उसका एकमात्र समाधान उसे अपने हाथ में लेने उसका राष्ट्रीय करण करने तथा उसकी कार्यक्षमता सुनिश्चित करने में ही निहित नहीं है।

मैं अभी तक यह पता नहीं लगा पाया हूं कि शीर्षस्थ प्रबन्ध से उनका क्या तात्पर्य है क्योंकि मैंने विशेष रूप से अपने मित्रों से, जो या साम्यवादी हैं अथवा समाजवादी हैं ऐसा सुना है, कि वहां शीर्षस्थ प्रबन्ध है। एक क्षेत्र ऐसा है जिसकी सदन में बहुत अधिक आलोचना की जा रही है तथा इस सदन के कई सदस्यों ने अपनी पार्टी के रवैये से हटकर इसकी आलोचना की जो अत्याधिक संगठित क्षेत्र है यहां तक कि सहायक महा प्रबंधक स्तर के अधिकारी संवर्ग में भी,

जब वे अपने जीवन की शुरूआत करते हैं, तो उनका संगठनों से सम्बन्ध होता है। लेकिन वह क्षेत्र क्या सेवा प्रदान करता है ? मैं नामों का उल्लेख नहीं कर रहा हूं। प्रत्येक व्यक्ति इसे समझता है। किसी भी संसद सदस्य से पूछिये, बादविवाद को पढ़िये, शुक्रवार को इस सभा में पूछे गये प्रश्नों को देखिये तो पता चलेगा कि जनता के प्रतिनिधि उस क्षेत्र की सेवाओं के बारे में क्या कहते हैं। अतः शीर्षस्थ क्या है ? हममें से प्रत्येक का कुछ न कुछ उत्तरदायित्व हैं। दुर्भाग्य से हमने एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी है कि श्रमिक आन्दोलन के नाम पर जो कुछ किया जाता है या तथाकथित श्रमिक हित के नाम पर जो कुछ किया जाता वह सब कुछ अनुमेय है।

श्री रामवतार शास्त्री (पटना) : हम यह नहीं कह रहे हैं।

श्री प्रणव मुखर्जी : आप यह तो नहीं कह रहे हैं परन्तु आप इसका विरोध भी तो नहीं कर रहे हैं। कुछ भी हो संसाधन असीमित नहीं हैं। यदि हम इन संसाधनों का उपयोग करना चाहते हैं तो यह सब हमें और अच्छे ढंग से करना चाहिये। और हम जो निवेश कर रहे हैं उस पर हमें यथायोग्य लाभ मिलना चाहिये अब समय आ गया है जब हमें गंभीरता पूर्वक सोचना होगा चाहे वह सरकारी क्षेत्र का कार्यानिष्पादन हो या राज्य क्षेत्र का या निजी क्षेत्र का।

एक यह मुद्दा उठाया गया है। और वह है सामान्य तो से हर वर्ष गाया जाने वाला गीत कि बड़े घरानों की अस्तियां बढ़ रहीं है। मैं आपको सविनय पूर्वक याद दिलाता हूं कि योजना के आरम्भ करते समय कुल पूंजी बाजार में योजना के सरकारी क्षेत्र का क्या अन्श था ? यदि मुझे ठीक से याद है तो 1951-52 में यह 7 प्रतिशत था और निजी क्षेत्र का शेयर 93 प्रतिशत था। आज सरकारी क्षेत्र का अंश 72 प्रतिशत है और निजी क्षेत्र का घट कर 28 प्रतिशत ही रह गया है।

श्री रामावतार शास्त्री : परन्तु उनकी अस्तियां बढ़ रहीं हैं।

श्री प्रणव मुखर्जी : यह स्पष्ट है। जब 1950-51 में सारे देश का 10 लाख टन से कम उत्पादन हुआ था तो स्वाभाविक है कि टाटा का इस्पात उत्पादन भी एक दो या तीन लाख टन था। आज यदि यह बढ़कर 14 या 15 लाख टन हो गया है तो अस्तियां भी बढ़ेंगी बड़े घरानों की अस्तियों में वृद्धि होगी। हमने निजी क्षेत्र को विस्तार करने की अनुमति दी है। परन्तु प्रश्न यह है कि क्या हम आवश्यक इन्चाईयों को छू रहे हैं या नहीं। सरकारी क्षेत्र आवश्यक उन्चाईयों को छू रहा है। बहुत से तुलना योग्य क्षेत्रों में हमने पाया है कि सरकारी क्षेत्र की निष्पादकता भी काफी उत्साहिवर्धक है।

एक और मुद्दे पर मैं बोलना चाहता हूं और वह है कर की चोरी और काला धन। मैं प्रवर्त्तन तंत्र की आंकड़ेगत सूचना में नहीं जा रहा हूँ। हम उसे सशक्त बना रहे हैं। हमने जो विभिन्न प्रवर्त्तक उपाय किए हैं, उनके बारे में हम सबको पता है परन्तु मुझे डर है कि जब तक हममें इस बुराई को समाप्त करने के लिए एक प्रकार को सामाजिक जागरूकता नहीं आयेगी तब तक इस समस्या को पूर्णतया हल करना संभव नहीं होगा। आप जानते हैं कि 1975-76

में हमने तस्करों और विदेशी मुद्रा का घोटाला करने वालों की सम्पत्तियां जप्त करने के कुछ कानून बनाए थे, परन्तु अभी तक भी हम एक भी मामले से निपटने में सफल नहीं रहे हैं क्योंकि प्रत्येक मामले में स्थगन आदेश ले लिया जाता है और मैं नहीं जानता कि इन आदेशों को कब निपटाया जायेगा। कोई तिथि निश्चित नहीं की जा रही है एक भी मामला सुलझाया नहीं गया है। हाल ही में आपने एक कुख्यात तस्कर के बारे में समाचार पत्रों में पढ़ा होगा मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा लेकिन आप सभी मुझसे सहमत होंगे और इसमें दो राय नहीं है कि जितनी भी सम्पत्ति की कुर्की की गई थी सारी की सारी लोटा दी गई है। उनमें सर्वोत्तम मेधाओं को उपयोग में लाने की क्षमता है, वे विधिक या अन्य क्षेत्रों में उपलब्ध सबसे अच्छे विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। एक बार मेरी कुछ व्यवसायिक निकायों से बातचीत हुई थी तो उन्होंने बताया कि "इससे क्या अन्तर आता है ? यह हमारा व्यवसायिक दायित्व है।" हम समझते हैं कि यह उनका व्यवसायिक दायित्व है, लेकिन क्या उनका समाज के प्रति कोई दायित्व नहीं है और क्या हम उनमें यह भावना उत्पन्न नहीं कर सकते हैं ?

श्री के.पी. उन्नीकृष्णन : यह प्रश्न तो आपके एक विशिष्ट सहकर्मि को भी सम्बोधित किया जाना चाहिए।

श्री प्रणव मुखर्जी : यह हम सबको सम्बोधित किया जाना चाहिए। यहां मैं किसी दल की बात नहीं कर रहा हूं। हम सबको सम्बोधित किया जाना चाहिए, मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम तो ले नहीं रहा हूं। यह एक ऐसा मामला है जिस पर हमें स्वयं को सम्बोधित करना चाहिए। यदि आप इतना ही सोचते हैं कि कर प्रशासन या आयकर अधिकारी अथवा सीमा शुल्क अधिकारी समस्या को हलकर सकते हैं तो आप ऐसा सोच सकते हैं, परन्तु दुर्भाग्य से यह सही नहीं है। कुछ भी हो बैंक कर्मचारी या आयकर अधिकारी अथवा सीमा शुल्क कर्मचारी स्वर्ग से तो आते नहीं हैं, वे भी उसी समाज की उपज हैं वे समान मूल्यों के सहभागी हैं, वे भी उसी वातावरण की देन हैं। अतः, हमें उस प्रकार का वातावरण तैयार करना है—और दुर्भाग्य से यहां ऐसा है नहीं—या उस प्रकार की घृणा या आर्थिक अपराधियों का सामाजिक बहिष्कार करना है जैसा कि हम अन्य प्रकार के सामाजिक अपराधियों का करते हैं। यदि कोई व्यक्ति कुछ धन पाने में सफल हो जाता है तो उसे समाज में स्थान मिलता है यदि समाज में उसे इसलिये अस्वीकार नहीं करता है कि हमारे बहुत से कानून हैं तो हम इस समस्या को हल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर मैं यह कहना चाहूंगा कि सामाजिक और राजनीतिक नेता होने के नाते हमारा एक उत्तरदायित्व है और दुर्भाग्य से हम उस उत्तरदायित्व को निभाने में असफल रहे हैं...(व्यवधान) इस बात को यहां मत लाइए। बहुत सी बातें यहाँ लाई जा सकती हैं। मैं यह भी कह सकता हूं कि जब आप सत्ता में आए थे तो यह बात तो समझ में आती थी कि आप राजनीतिक कैदियों को छोड़ देते परन्तु आपने एक ही झटके में सारे तस्करों को छोड़ दिया। अतः इन बातों को यहां मत लाईये। मैं पार्टी के पक्ष में नहीं बोल रहा हूं। कोई भी यह समझ सकता है कि यदि किसी ने कहा है कि वह राजनीतिक दलों के विरुद्ध निवारक बन्दी करण के बारे में शकां रखता है अथवा अन्य प्रकार की गति-

विधियों के विरुद्ध शंका रखता तो क्या आप तस्करों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करेंगे ? इस न्यायिक प्रणाली में क्या आप किसी असली तस्कर पर जो कि मुखिया है, अभियोग चला सकते हैं। आमतौर से यह असंभव है और इसीलिए हमने निवारक प्रणाली लागू की थी, हमने 'कोफेपोसा' और 'सेफमेफोया' लागू किया था, परन्तु ये वे उपकरण हैं जो कि सहायक हो सकते हैं। जब तक हम कुछ इस प्रकार का वातावरण तैयार नहीं कर देते हैं तो मुझे डर है कि समस्याओं को पूर्णतया हल करना संभव नहीं होगा। परन्तु किसी को भी यह निष्कर्ष नहीं निकाल लेना चाहिए कि मैं केवल सामाजिक जागरूकर्त्ता के ऊपर उत्तरदायित्व को छोड़ रहा हूं। मैं भी यह अनुभव करता हूं कि विभाग को कर अपवंचकों के साथ कड़ाई से निपटना चाहिए। और हम ऐसा ही करते चले जा रहे हैं और ऐसा ही करते भी रहेंगे।....(**व्यवधान**)

श्री के.पी. उन्नी कृष्णन: आपको भी कुछ संशोधन करने चाहिएं और कानून को और भी सख्त बनाना चाहिए।

प्रो. मधु दंडवते (राजापुर) : और कुछ संशोधन नहीं भी करने चाहिए।

श्री प्रणव मुखर्जी : आप इसको राजनीतिक रूप देने का प्रयास कर रहे हैं...(**व्यवधान**) मैं आपकी कुर्सी पर नहीं बैठा हूं। कानून को सख्त करना ही इसका उपाय नहीं...(**व्यवधान**)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : मैं पूर्णतया सहमत हूँ। परन्तु क्या आप कोई ऐसा कदम उठायेंगे जिससे सभी मन्त्री और ससंद अपनी आस्तियों और आप के स्रोत की की घोषणा कर दें ? कोशिश करके देख लो। हमें इमानदारी से कोशिश करनी चाहिए ...(**व्यवधान**)

श्री प्रणव मुखर्जी : अब मैं स्वयं अपने अनुभव से बात करता हूं...

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : मन्त्री महोदय ने जो कुछ कहा है, उसमें मैं उनकी विवशता नहीं समझ पा रहा हूं। क्या वह यह कहना चाहते हैं कि हमारा संविधान नामर्द है। और यह कि तस्करों तथा अन्यों के समक्ष हमारी संसद नामर्द है ? क्या संसद ने उनसे निपटने के लिए, उन्हें किसी प्रकार की शक्ति प्रदान करने से कभी इन्कार किया है ? मैं मन्त्री महोदय से इसे स्पष्ट करवाना चाहता हूं।

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं समझता हूं कि मैंने किसी व्यक्ति को नामर्द नहीं कहा है या यह नहीं कहा है कि कोई अन्य अधिक मर्द है। मैं यह कहना चाहता था कि हम ऐसा अनुभव करते हैं कि आम प्रशासनिक तन्त्र, प्रवर्त्तन तन्त्र, वित्तीय नियम के साथ हमें अन्य तरफ से भी कुछ न कुछ करना चाहिए। सभी प्रकार के राजनीतिज्ञ, वे कहीं अधिक ईमानदार है यदि समाज के अन्य बहुत से ऐसे लोगों से उनकी तुलना की जाए, क्योंकि उनके यहां स्वयं-आलोचना प्रणाली है। राजनीतिज्ञों को गाली मत दीजिए और सबको एक लाठी से मत हांकिए। हम इस अभियान के शिकार बन चुके हैं, मैं नाम तो लेना नहीं चाहूंगा परन्तु आप जानते हैं कि छटे दशक और सातवें दशक के प्रारंभ में दो प्रसिद्ध बंगाली राजनीतिज्ञों 'की' आप बात किया करते थे और आप में से कोई भी आज उन दिनों के विचारों से सहमत नहीं है क्योंकि आप स्वयं देख चुके हैं कि मंत्रीत्व

का दीर्घ अनुभव रखने के बाद भी दो दशकों के बाद, इन दोनों व्यक्तियों को एक लीटर दूध खरीदने के लिए मित्रों की दया पर निर्भर रहना पड़ रहा है। क्या आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि वे राजनीतिज्ञ बेईमान हैं ? परन्तु यदि आप छठे दशक या पांचवे दशक के कलकत्ता के बंगाली समाचार-पत्रों को देखें तो आप पायेंगे कि लगभग सभी समाचार पत्रों का कहना था कि वे सबसे भ्रष्ट व्यक्ति थे। अतः, ऐसी सामान्य आलोचना करने का प्रयास नहीं करना चाहिए।

हमारी ऐसी प्रणाली है जिसमें प्रत्येक केन्द्रीय मन्त्री को अपनी आस्तियों और देनदारियों का विवरण प्रधान मन्त्री को देना पड़ता है। प्रत्येक राज्य में मन्त्रियों को मुख्य मन्त्री को वार्षिक विवरण देना पड़ता और यदि आप यह सब नहीं जानते हों तो मुख्य मन्त्री से पता कीजिये और मुख्य मन्त्री को प्रधान मन्त्री को विवरण देना पड़ता है। यह बात प्रो. मधु दण्डवते से, श्री सतीश अग्रवाल या श्री रवीन्द्र वर्मा से पता कीजिये।

प्रो. मधु दंडवते : उसके बाद भी मैं उनको विवरण दे रहा हूँ।

श्री प्रणव मुखर्जी : किसको ?

प्रो. मधु दंडवते : प्रधान मन्त्री और भारत के राष्ट्रपति को।

श्री के.पी. उन्नीकृष्णन : साथ ही श्रीमती दण्डवते को भी।

श्री प्रणव मुखर्जी : क्योंकि मैं लम्बे समय से यहां हूं तो मैंने देखा है कि जब सदस्य मरते हैं तो वे किस हालत में जाते हैं। अतः, यह कहना सही नहीं है कि सांसद या मन्त्री भ्रष्ट हैं और इसलिए कुछ न कुछ···होना चाहिये।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : मैंने कहा था कि हमें इससे शुरूआत करनी चाहिए, जिसका दूसरे लोग अनुसरण कर सकते हैं···(**व्यवधान**)

प्रो. एन जी. रंगा (गुंटुर) : हममें से बहुत सों ने यह सुझाव दिया है।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : आप क्रोधित क्यों हो रहे हैं ? यह कोई नया सुझाव नहीं है। पंडित नेहरू ने यह सुझाव दिया था। मैं नहीं जानता कि वे नाराज क्यों हो रहे हैं। यह एक साधारण सी बात है, पंडित नेहरू भी ऐसा चाहते थे।

श्री प्रणब मुखर्जी : मैं सुझाव से असहमत नहीं हूं। परन्तु यह हमको मानना होगा कि हमारी प्रणाली में एक ऐसा स्वयं-निर्मित प्रबन्ध है, जहां पर हम एक दूसरे की आलोचना करते हैं यदि मैं कोई गलत बात कहता हूं तो वहाँ पर बैठकर आप मुझे माफ नहीं कर सकते हैं। यदि आप कोई गलती करते हैं तो यहां पर बैठा मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। आप मुझे बताईये कि इन व्यक्तियों के सिवाय और कोन लोगों का इस देश में भण्डाफोड़ किया जाता है ? फिर भी उनकी बदनाम किया जा रहा है। हम यहां पर जो कुछ भी करते हैं, हजारों लोगों की आंख उस पर लगी होती हैं। अतः, हमें अपने को इस सीमा तक नहीं गिराना चाहिए।

मेरे विचार में माननाय सदस्यों ने जिन मुददों का उल्लेख किया था उनमें से कुछ को

मैंने अपने भाषण में सम्मिलित करने में समर्थ हुआ हूं। सभी मुददों को सम्मिलित न कर पाने के लिए वे मुझे क्षमा करेंगे क्योंकि 14 घन्टों के वादविवाद के दौरान उठाये गये सभी मुद्दों का 1 घन्टे या 65 मिनट में उत्तर देना संभव नहीं है। एक बार फिर मैं सभी सदस्यों के प्रति, विशेषरूप से श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी और अन्य कई ऐसे वरिष्ठ सदस्यों की प्रति आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दे उठाये और उन विपक्षी मित्रों द्वारा उठाये गये कुछ मुद्दों का प्रभावशाली ढंग से उत्तर दिया जिन्होंने कई रचनात्मक सुझाव दिए। वादविवाद में भाग लेने और अत्यन्त मूल्यवान सुझाव देने के लिए मैं उनका आभारी हूं।

लेखानुदानों की माँगें (सामान्य)—1984-85

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"योग संख्या 1 से 109 के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाये गये योग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्यसूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक राशियां संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

लोकसभा द्वारा स्वीकृत 1984-85 के लेखानुदान (सामान्य) मांगों की सूची

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान मांग की राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
	कृषि मंत्रालय		
	1. कृषि और सहकारिता विभाग	72,07,000	
	2. कृषि	18,57,29,000	301,47,97000
3.	मीन उद्योग	3,75,90,000	1,66,98,000
4.	पशूपालन और डेरी विकास	25,34,05,000	7,73,52,000
5.	वन	8,55,29,000	13,29,000
6.	सहकारिता	1.32,17,000	52,56,04,000
7.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	12,93,000	

1	2	3	
8.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को अदायगियां	22,40,07,000	
	रसायन और उर्वरक मंत्रालय		
9.	रसायन और उर्वरक मंत्रालय	165,13,38,000	101,52,84,000
	वाणिज्य मंत्रालय		
10.	वाणिज्य मन्त्रालय	44,45,000	
11.	विदेश व्यापार और निर्यात उत्पादन	110,45,05,000	86,77,50,000
12.	वस्त्र, हथकरघा और हस्तशिल्प	58,52,02,000	31,84,22,000
	संचार मंत्रालय		
13.	संचार मंत्रालय	94,43,000	7,49,17,000
14.	विदेश संचार सेवा	6,09,14,000	2,30,50,000
15.	डाक और तार कार्यचालन व्यय	263,54,84,000	2,30,50,000
16.	डाक और तार—सामान्य राजस्व को लाभांश, प्रारक्षित निधि में विनियोग और अन्य व्यय	5,307,90,000	
17.	डाक और तार पर पूंजी परिव्यय		137,71,88,000
	रक्षा मंत्रालय		
18.	रक्षा मंत्रालय	69,14,31,000	26,18,50,000
19.	रक्षा सेवाएं—थल सेना	648,68,25,000	
20.	रक्षा सेवाएं नौ सेना	83,94,82,000	
21.	रक्षा सेवाएं—वायु सेवा	237,80,84,000	
22.	रक्षा सेवाएं—पेंशन	93,97,33,000	
23.	रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय		119,92,83,000
	शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय		
24.	शिक्षा विभाग	67,50,000	
25.	शिक्षा	69,57,82,000	5,40,000
26.	संस्कृति विभाग	3,36,57,000	
27.	पुरातत्व	1,90,83,000	

1	2	3	
	ऊर्जा मंत्रालय		
28.	पेट्रोलियम विभाग	43,97,000	63,71,53,000
29.	विद्युत विभाग	34,59,90,000	215,18,04,000
30.	कोयला विभाग	24,05,26,000	200,92,36,000
31.	गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग	13,97,18,000	1,000
	विदेश मंत्रालय		
32.	विदेश मन्त्रालय	33,98,39,000	10,38,17,000
	वित्त मंत्रालय		
33.	वित्त मंत्रालय	1,74,25,000	1,000
34.	सीमा शुल्क	10,67,93,000	3,67,33,000
35.	संघ उत्पाद शुल्क	14,36,44,000	
36.	आय पर कर, सम्पदा शुल्क, धन कर और दान कर	15,93,82,000	
37.	स्टाम्प	6,54,91,000	34,33,000
38.	लेखा परीक्षा	17,96,21,000	
39.	करेंसी, सिक्का निर्माण और टकसाल	13,17,27,000	6,74,05,000
40.	पेंशने	21,21,32,000	
41.	अफीम और एल्केलाइड कारखाने	24,61,84,000	19,40,000
42.	राज्य सरकारों को अंतरण	594,53,47,000	
43.	वित्त मंत्रालय का अन्य व्यय	153,16,15,000	295,92,16,000
44.	सरकारी कर्मचारियों आदि को उधार		17,16,41,000
	खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय		
45.	खाद्य विभाग	173,51,32,000	8,50,52,000
46.	नागरिक पूर्ति विभाग	95,60,000	1,40,59,000
	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय		
47.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	29,31,000	

1	2	3	
48.	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	42,44,95,000	14,48,91,000
49.	परिवार कल्याण	78,19,51,000	8,33,000
	गृह मंत्रालय		
50.	गृह मंत्रालय	93,99,000	
51.	मंत्रिमंडल	1,19,53,000	
52.	कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग	2,19.28,000	
53.	पुलिस	76,88,71,000	4,28,16,000
54.	अन्य प्रशासनिक और सामान्य सेवाएं	29,30,48,000	5,89,07,000
55.	गृह मंत्रालय का अन्य व्यय	63,96,43,000	31,92,89,000
56.	दिल्ली	65,70,76,000	42,02,82,000
57.	चंडीगढ़	9.65,99,000	4,12,18,000
58.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	8,96,96,000	5,24,09,000
59.	दादरा और नागर हवेली	96,06,000	98,19,000
60.	लक्षद्वीप	2,35.50,000	53,93,000
	उद्योग मंत्रालय		
61.	उद्योग मंत्रालय	93,14,000	
62.	उद्योग	34,87,83,000	74,00,01,000
63.	ग्रामोद्योग और लघु उद्योग	24,57,53,000	27,83,87,000
	सूचना और प्रसारण मंत्रालय		
64.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	23,52,000	
65.	सूचना और प्रचार	5,89,54,000	21,83,000
66.	प्रसारण	23,20,07,000	19,88,70,000
	सिंचाई मंत्रालय		
67.	सिंचाई मंत्रालय	23,74,18,000	5,60,36,000
	श्रम और पुनर्वास मंत्रालय		
68.	श्रम विभाग	26,67,000	

1	2	3	
69.	श्रम और रोजगार	16,23,72,000	5,34,000
70.	पुनर्वास विभाग	3,46,02,000	1,10,32,000
	विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय		
71.	विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय	12,47,33,000	17,000
72.	न्याय प्रशासन	20,91,000	
	योजना मंत्रालय		
73.	योजना मंत्रालय	1,09,000	
74.	सांख्यिकी	4,09,31,000	
75.	योजना आयोग	1,19,33,000	
	ग्रामीण विकास मंत्रालय		
76.	ग्रामीण विकास मंत्रालय	156,39,76,000	2,96,000
	नौवहन और परिवहन मंत्रालय		
77.	नौवहन और परिवहन मंत्रालय	89,52,000	
78.	सड़कें	34,28,44,000	38,86,99,000
79.	पत्तन, दीपस्तम्भ और नौवहन	15,71,12,000	29,67,30,000
80.	सड़क और सन्तर्देशी जल परिवहन	2,66,76,000	25,83,97,000
	समाज कल्याण मंत्रालय		
81.	समाज कल्याण मंत्रालय	16,49,68,000	22,18,000
	इस्पात और खान मंत्रालय		
82.	इस्पात विभाग	65,34,000	159,12,67,000
	पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय		
84.	पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय	21,28,000	
85.	मौसम विज्ञान	4,37,61,000	1,07,00,000
86.	विमानन	7,68,35,000	14,37,67,000
87.	पर्यटन	1,97,46,000	1,93,51,000
	निर्माण और आवास मंत्रालय		
88.	निर्माण और आवास मन्त्रालय	32,60,000	

1	2	3	
89.	लोक निर्माण	19,05,50,000	10,54,02,000
90.	जलपूर्ति और मल निकासी	41,16,00,000	
91.	आवास और नगर विकास	5,19,50,000	21,09,35,000
92.	लेखन सामग्री और मुद्रण	10,29,91,000	
	परमाणु ऊर्जा विभाग		
93.	परमाणु ऊर्जा विभाग	18,59,000	
94.	परमाणु ऊर्जा अनुसंधान, विकास और औद्योगिक परियोजनाएं	26,95,02,000	60,54,91,000
95.	न्यूक्लीय विद्युत् स्कीमें	31,12,48,000	23,33,33,000
	इलेक्ट्रानिकी विभाग		
96.	इलेक्ट्रानिकी विभाग	5,37,00,000	3,86,33,000
	पर्यावरण विभाग		
97.	पर्यावरण विभाग	4,33.45,000	1,33,000
	महासागर विकास विभाग		
98.	महासागर विकास विभाग	3,62,66,000	55,00,000
	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग		
99.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	8,53,41,000	46,17,000
100.	भारतीय सर्वेक्षण	5,41,65,000	1,67.000
101.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् को अनुदान	18,83,33,000	
	अन्तरिक्ष विभाग		
102.	अंतरिक्ष विभाग	21,94,36,000	15,08,59,000
	खेल विभाग		
103.	खेल विभाग	4,33,00,000	1,32,000
	पूर्ति विभाग		
104.	पूर्ति विभाग	7,40,000	
105.	पूर्ति और निपटान	2,29,67,000	

1	2	3
	संसद, संसदीय कार्य विभाग, राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के सचिवालय और संघ लोक सेवा आयोग	
106.	लोक सभा	1,74,78,000
107.	राज्य सभा	62,75,000
108.	संसदीय कार्य विभाग	6,42,000
109.	उपराष्ट्रपति का सचिवालय	1,62,000

विनियोग (लेखानुदान) विधेयक*

अध्यक्ष महोदय : सभा अब विनियोग (लेखानुदान) विधेयक पर विचार करेगी।

वित्त मंत्री श्री प्रणव मखर्जी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं : कि वित्तीय वर्ष 1984-85 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1984-85 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय विधेयक पुर: स्थापित करें।

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं विधेयक पुर:—स्थापित** करता हूं

मैं प्रस्ताव करता हूं**

"कि वित्तीय वर्ष 1984-85 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि वित्तीय वर्ष 1984-85 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जावे।"

*दिनांक 14-3-1984 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2, खंड 2 में प्रकाशित

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित किया गया/प्रस्ताव, किया गया।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी इजाजत हो, मैं बैठ कर अपनी बात कह दूं।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : अगर आपकी इजाजत हो, तो वह अपने भाषण की सदन की मेज पर रख दें।

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक पर बहस के क्रम में निम्न चार बातों का उल्लेख करते हुए मन्त्री महोदय से स्पष्ट उत्तर की अपेक्षा रखता हूँ।

देश के 1 लाख 27 हजार स्वतन्त्रता सेनानियों को स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन मिल रही है। सन् 1980 के अगस्त से प्रत्येक सेनानी को 300 रुपए माहवारी पेंशन की राशि मिल रही है। उनकी विधवाओं को 200 रुपए माहवारी मिलते हैं। सन् 1980 अगस्त से पूर्व उन्हें क्रमश: 200 और 100 रुपए माहवारी मिलते थे।

सन् 1980 की तुलना में आज महंगाई कई गुना बढ़ गई है, जिसका सुबूत केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की चार किस्तों के महंगाई भत्ते का बकाया है। मैं यहां सेनानियों की तुलना उनके साथ नहीं करना चाहता। परन्तु महंगाई उन्हें भी औरों की तरह सता रही है। इस लिए मेरा अनुरोध है कि उनकी 300 रुपए की राशि को बढ़ा कर 500 रुपए माहवारी कर दिया जाये, ताकि बूढ़े स्वतन्त्रता सेनानी भीषण महंगाई का सामना करने एवं अपने परिवार के भरण पोषण में समर्थ हो सकें।

पिछले बजट सत्र में इसी प्रकार के विधेयक पर रही बहस के दौरान मेरे द्वारा उठाए गए इसी प्रकार के प्रश्न के जवाब में आप ने गृह मन्त्री की राय से कहा था कि सरकार पेंशन की राशि बढ़ाने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं।

5.39 म. प.

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

मैं जानना चाहूँगा कि आपके उस आश्वासन का क्या हुआ।

सरकार भूतपूर्व संसद सदस्यों को भी कम से कम तीन सौ और अधिक से अधिक पांच सौ रुपए माहवारी पेंशन देती है। अत्यधिक महंगाई को देखते हुए उन्हें मिलने वाली यह राशि भी कम है। अत: सरकार से मेरा अनुरोध होगा कि, उन्हें मिलने वाली राशि को बढ़ा कर क्रमश: पांच सौ और सात सौ रुपए माहवारी कर दी जाए।

प्राय: सभी भूतपूर्व सांसद राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यों से सम्बन्धित हैं। अपने कर्तव्यों के निर्वाह के लिए उन्हें विभिन्न स्थानों की रेलों से यात्रा करनी पड़ती है जिसके क्रम में उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए रेल यात्रा में सुविधा के लिए प्रत्येक भूतपूर्व सांसद को कम से कम एक प्रथम श्रेणी का मानार्थ पास दिया जाय। उन संगठन की ओर से सरकार को ज्ञापन भी दिये जा चुके हैं जिसमें उक्त बातों का उल्लेख है। कहते हैं कि ससद सदस्यों के वेतन भत्ता पेंशन सम्बन्धी संयुक्त समिति उन्हें रेल पास प्रदान करने की सिफारिश भी कर चुकी है।

दिनों दिन महगाई में वृद्धि के कारण देश के केन्द्रीय सरकार के 36 लाख कर्मचारियों के महगाई भत्ते की चार किस्तें बकाया पड़ गयी हैं। पांचवीं किस्त भी होने ही वाली है। फिर भी सरकार बार बार आश्वासन देने के बावजूद कान में रुई डाल कर बैठी हुई है और कर्मचारियों को आश्वासनों के बावजूद महंगाई भत्ते की बकाया किस्तों का भुगतान नहीं कर रही है। सरकार की इस कर्मचारी विरोधी नीति से उनमें असन्तोष की आग जल रही है और वे किसी भी दिन आन्दोलन का रास्ता पकड़ सकते हैं। अतः वित्त मन्त्री से मेरा अनरोध होगा कि वह कर्मचारियों की बकाया की संपूर्ण राशि का नकद भुगतान करें।

50 लाख भूतपूर्व सैनिकों की गंभीर समस्यायें : देश में आज करीब 50 लाख भूतपूर्व सैनिक हैं। प्रत्येक वर्ष 70 हजार जवान और एक हजार अधिकारी सेवा निवृत्त किए जाते हैं। जवान से लेकर नायक तक की सेवा निवृत्ति की आयु 32 से 40 वर्ष है जब कि अधिकारियों पर यह नियम लागू नहीं होता।

सेवा निवृत्त हो जाने के बाद अधिकांश जवान स्वयं को पूरी तरह से असहाय महसूस करते हैं। इन में से करीब 80 प्रतिशत ग्रामों में रहते हैं और आमतौर पर उनके पास जीविका का कोई साधन नहीं है। लड़ाई के अलावा, किसी अन्य कार्य में प्रशिक्षित न हो पाने की वजह से उनके पास जो जमीन होती है उस पर दूसरे लोग कब्जा कर लेते हैं।

आर्थिक समस्याओं, तनावों और असन्तोष के कारण उन्हें गलत तरीके के लोगों का साथ देने के लिये मजबूर होना पड़ता है। इन में से आज भारी तादाद में अकाली उग्रवादियों और असम आन्दोलन के साथ हैं। ब्रिटिश सेना में प्रशिक्षित भूतपूर्व नागा सैनिक पृथक नागा राज्य की रीढ़ रहे हैं। मिजो नेतृत्व में अधिकांश भूतपूर्व सैनिक ही हैं। मेघालय की मांग विलियम संगमा ने भूतपूर्व सैनिको के बल पर ही जीती थी। त्रिपुरा उपजाति समिति में बहुत से भूतपूर्व सैनिक हैं। डकैतों में भी वे भारी तादात में शामिल हैं। दिल्ली और आसपास की घटनाओं में भी वे शामिल हैं।

भूतपूर्व जवानों के सही पुनर्वास में सरकार की विफलता के कारण ही भूतपूर्व सैनिक इन सारी गलत गतिविधियों में शामिल हैं।

भूतपूर्व सैनिकों की इस दर्दनाक स्थिति को ध्यान में रखते हुए इंडियन एक्स सर्विस लीग ने सरकार से माँग की है कि भूतपूर्व सैनिकों के पेंशन कोड में संशोधन किया जाय, उन्हें सेवा निवृत्त होने के बाद अर्द्ध सैनिक संगठनों और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों में काम दिया जाए, उनके लिए अलग मंत्रालय गठित किया जाय, यात्रा में रियायत दी जाय, सैनिक और सिविल अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाय या उनके लिये विशेष अस्पतालों का निर्माण किया जाय, एक हजार रुपए तक पेंशन पाने वाले भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाय, रक्षा सेवा बैंक खोले जायं, आदि। मैं उनकी इन माँगों को सर्वथा उचित मानता हूं।

अतः मन्त्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि मेरी चारों बातों पर अपनी प्रतिक्रया व्यक्त कर उठायी गई मांगों को स्वीकार कर विभिन्न प्रकार के लोगों के असन्तोष को दूर करें।

प्रो. अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए आपको धन्यवाद। सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि हरित क्रांति की बड़ी चर्चा रहती है, कहा जाता है कि उसकी बड़ी उपलब्धियां हैं किन्तु मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हरित क्रांति की जो भी सफलता है वह असफलता के महा सागर में केवल एक द्वीप बनकर ही रह गई है, क्योंकि हरित क्रांति वहीं पर सफल रही है जहां की भूमि सिंचित है, असिंचित भूमि तक हरित क्रांति की सफलता अभी तक नहीं पहुंच पाई है। आज भी हमारे देश के किसान मानसून की दया पर निर्भर करते हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हरित क्रांति से कहीं अधिक जोर आप ड्राई फार्मिंग के ऊपर दें, उसके लिये नई टेक्नालाजी विकसित करें ताकि देश में खाद्यान्न की पैदावार बढ़ सके और अभी भी, कम से कम पिछले दो साल से जो आप खाद्यान्न के आयात पर निर्भर रहते हैं, उसको समाप्त किया जा सके तथा हमारा देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो सके।

इसी प्रकार से आपरेशन फ्लड की विफलता की चर्चा करने से भी कुछ लोग चौंक जाते हैं क्योंकि वे लोग समझते हैं कि आपरेशन फ्लड काफी सफल रहा है लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता इसकी जो उपलब्धियां हैं वह केवल कुछ शहरों तक ही सीमित हैं, शहर के नागरिकों को भले ही आप कुछ दूध की उपलब्धि करा सके हों, लेकिन देहात में इसकी कोई उपलब्धि नहीं है। इस सम्बन्ध मे मूल्यांकन समिति गठित की गई है उसके द्वारा फ्लड आपरेशन का सही मूल्यांकन होना चाहिए और यह देखा जाना चाहिये कि आपरेशन फ्लड से लाभ हुआ है अथवा हानि हुई है। उसके पश्चात इस नीति पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिये।

जहांतक रक्षा सेवाओं का सम्बन्ध है, हमारे शास्त्री जी ने विशद रूप से इसके बारे में कहा है इसलिए मुझे अधिक कहने की आवश्यकता नहीं रह गई है, परन्तु इतना में अवश्य कहना चाहता हूँ कि रक्षा सेवाओं में समाज के हर वर्ग और हर क्षेत्र से भर्ती की जानी चाहिए। यदि रक्षा सेवाओं में किसी एक भाग से या किसी एक वर्ग से ही अधिक भर्ती करली जायेगी तो उसका हमारी रक्षा सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और वह सारी व्यवस्था एक हो जायेगी। इसलिए आवश्यकता है कि हर वर्ग और हर क्षेत्र का रक्षा सेवाओं में प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इस सम्बन्ध में आप जो भी क्राइटीरिया निर्धारित करें परन्तु हर वर्ग और हर क्षेत्र से उसमें भर्ती होना चाहिए।

जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है, हमारे देश में आज दोहरी शिक्षा नीति प्रचलित है जिसका परिणाम यह है कि सम्पन्न वर्ग के लड़के पब्लिक स्कूलों में पढ़ कर अफसर बन जाते हैं और जनसाधारण के लड़के लाभान्वित नहीं हो पाते क्योंकि उनके लिए पढ़ाई की दूसरी व्यवस्था है। इसलिए आवश्यक है कि इस दोहरी शिक्षा नीति को समाप्त किया जाना चाहिए। मैं शिक्षा के स्तर को नीचे लाने की बात नहीं कर रहा हूँ बल्कि मैं चाहता हूं कि सरकारी स्कूलों में भी आप शिक्षा का स्तर उतना ऊपर करदें जिससे कि दोहरी शिक्षा नीति की आवश्यकता ही न रह जाए। दोहरी शिक्षा नीति जो अभी प्रचलित है उसको समाप्त करने के बाद ही ऐसा किया जा सकता है।

हाल ही में जवाहर लाल नेहरू युनिवर्सिटी में जो नामांकन की जो नीति थी उसको बदल दिया गया है जिसकी बजह से देश के पिछड़े हुए हिस्सों को जो लाभ मिलता था, वे अब उससे बंचित रह जायेंगे। इसका सबसे बुरा परिणाम यह होगा कि यह सुविधा अलाइट लोगों तक सीमित रह जायेगी। शिक्षा के स्तर को कायम करने के नाम पर ऐसा किया गया है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या इससे पिछड़े इलाके के लोगों को कोई लाभ मिलेगा ? वहां के लोग कम संख्या में विश्वविद्यालय में प्रवेश पा सकेंगे। इस प्रकार जवाहर लाल नेहरू युनिवर्सिटी की स्थापना के पीछे जो मूल भावना थी कि शिक्षा को एक ऐसे क्षेत्र तक ले जाया जाएगा, जिससे कि पिछड़े हुए लोगों को फायदा मिल सके, उस मूल भावना को आघात होता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि जो पूर्व एडमीशन पौलिसी थी, उसको कायम रखा जाए और नई पौलिसी जो अख्तियार की गई है, उसको रद्द किया जाए।

शास्त्री जी अब जो बात मैं कहने जा रहा हूँ, उससे कभी भी सहमत नहीं होंगे। मेरा कहना यह है कि बिहार में ऐसा कोई भी कालेज नहीं है, जिसको कि हम कह सकें कि वह सही रूप में काम कर रहा है और उसको रैप्यूटेशन प्राप्त है। जिसको रैप्युटेशन प्राप्त है वह एक ही कालेज है, बिरला इंस्टिचूट आफ टैक्नोलाजी···

श्री रामावतार शास्त्री : जहां पर कि सबसे ज्यादा गोलमाल है।

प्रो. अजित कुमार मेहता : ज्यादा गोलमाल सिस्टर इन्स्टीचूट में है, जिसकी चर्चा आप नहीं करेंगे। लेकिन मैं उस पर नहीं जाता हूँ। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि केवल यही एक ऐसा महाविद्यालय है, जिसके स्नातक को राज्य के बाहर और विदेशों में भी मायन्ता, रेप्युटेशन प्राप्त है। ऐसी स्थिति में उस विद्यालय के बहुसंख्यक शिक्षक वर्ग और छात्रों की ओर से भी और और लोगों की ओर से भी यह मांग बराबर आ रही है कि उस विद्यालय के स्वायतत्ता के स्तर को बढ़ाकर डीम-टु बि-युनिवर्सिटी का स्तर दे दिया जाए। मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस पर गम्भीरता पर्व विचार करें।

बिहार कोयले का बाहुल्य क्षेत्र है। लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि यहां पर एक भी सुपर थर्मल पावर स्टेशन नहीं है। जब कि उसके बगल के प्रदेशों में, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में, सुपर थर्मल पावर स्टेशन्स है। एक ही जगह पर इतने सुपर थर्मल पावर स्टेशन बना दिये गये हैं, जिनमें कि करीब डेढ़ लाख टन कोयला रोज जलेगा, तो इससे उत्पन्न प्रदूषण की आप कल्पना कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में क्या यह अच्छा नहीं रहेगा कि सुपर थर्मल पावर स्टेशन अलग-अलग जगहों पर बनाये जायें। बिहार में कर्मपुरा एक ऐसा क्षेत्र है, जहाँ पर पानी की सुविधा उपलब्ध है, या तो दामोदर की ट्रिब्यूटरी हारो नदी से या कोयलाकारों परियोजना के कैचमेंट के साथही नाले से काफी पानी उपलब्ध है और कोयला भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इसलिए मैं सुझाव देना चाहता हूं कि उत्तरी कर्णपुरा क्षेत्र में एक सुपर थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना की जाये, ताकि बिहार और कुछ अन्य क्षेत्रों की बिजली की समस्या दूर हो सके।

बायोगैस की स्थापना के बारे में सरकार ने बहुत कांशसनेस दिखाई है लेकिन क्या उसके लिये उचित प्रबन्ध किया गया है ? मैं सुझाव देता हूँ कि बायोगैस और ऊर्जा के लिये आप

ऐसा नियम बना दें कि शहरों में सौर ऊर्जा के लिये बड़े-बड़े मकानों पर संयत्र लगाना आवश्यक हो जाए। जहां पर म्युनिस्पिल कारपोरेशन की ओर से सुलभ शौचालय हैं वहां बायोगैस प्लांट बैठाने की अनिवार्यता कर दी जाए तो निश्चित रूप से बायोगैस और सौर ऊर्जा के प्रसार में सहायता मिलेगी।

इसके बाद छोटा नागपुर के आदिवासियों के नियोजन की जो समस्या है मैं उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आप जानते हैं वह अपार खनिज सम्पदा का क्षेत्र है इसलिये वहां पर बड़ी-बड़ी योजनायें तथा परियोजनायें चालू की जाती हैं और उनको यह आश्वासन दिया जाता है कि जिन आदिवासियों को विस्थापित किया जाएगा, जिनकी जमीनों को परियोजना के लिए लिया जाएगा, उनके परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को उस परियोजना में अवश्य नौकरी दी जाएगी। लेकिन इस प्रावधान का कड़ाई से पालन नहीं होता है। मैं हाल ही का एक उदाहरण आपके सामने रखता हूं—आल इण्डिया का उस क्षेत्र में नौकरी देने के लिए एक पैनल बनाया गया किन्तु ऐन-मौके पर उस पैनल को कौन्सिल कर दिया गया और यह कहा गया कि इस स्तर की नौकरी के लिए उनका नाम एम्पलायमेंट एक्सचेन्ज से आना आवश्यक है और चूंकि ये नाम एम्पलायमेंट एक्सचेन्ज से नहीं आये हैं इसलिये पैनल को रद्द किया जाता है। मैं ऊर्जा मंत्री जी का ध्यान एक पत्र लिख कर पहले ही आकर्षित कर चुका हूं, इसलिए मुझे आशा है कि वे निश्चित रूप से इस पर ध्यान देंगे। यह हमारे यहां एक बहुत बड़ी समस्या है—जो प्रतिज्ञा आप करते हैं यह उसका हनन है, इस तरह से आपकी विश्वसनीयता समाप्त हो जाएगी और परियोजनाओं के लागू करने तथा उनको कार्यान्वित करने में बहुत बाधायें आएंगी। इसलिये इस पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

मेरा अन्तिम मुद्दा यह है कि योजना आयोग का गठन इस प्रकार होना चाहिये कि राज्यों का उसमें उचित प्रतिनिधित्व हो। सारे राज्यों के जो आय के स्रोत हैं, वे योजना आयोग के अधिकार में हैं लेकिन उसमें राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है, वह नगण्य है। आप केवल एक चीफ मिनिस्टर को बुला लेते हैं लेकिन उनका कोई अधिकार नहीं है। आप उनकी बात ही केवल सुन लेते हैं।···(**व्यवधान**)···आपको क्या फायदा मिलता है बीच में इनटरप्ट करने से। जितना ज्यादा आप इनटरेप्ट करेंगे, उतना अधिक समय मैं लूंगा और जो मैं बोलना चाहता हूँ, वह बोल कर ही रहूंगा।

मेरा कहना यह है कि योजना आयोग का गठन इस प्रकार का होना चाहिए कि राज्यों का उचित प्रतिनिधित्व उसमें हो। इससे यह फायदा होगा कि राज्यों में जो विद्रोह की प्रवृत्ति पैदा होती है, वह समाप्त हो जाएगी। हर राज्य के लोग यही समझते हैं कि आय के सारे स्रोत केन्द्र ने अपने हाथों ने रख लिये हैं और उनको कोई स्वतन्त्रता नहीं है और अपने राज्य से होने वाली आय को भी वे उचित ढंग से खर्च नहीं कर सकते। इससे स्वायत्तता की मांग होती है और देश के बिखराव की स्थिति पैदा होती है। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि योजना आयोग का गठन इस तरह से किया जाए, जिसमें राज्यों का उचित प्रतिनिधित्व हो। राज्यों का उचित प्रतिनिधित्व होने से योजना आयोग के निर्णय किसी एक तरफ नहीं झुकेंगे और किसी राज्य के प्रति वे बायस्ड नहीं होंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप ने मुझे बोलने का समय दिया और मन्त्री महोदय से आग्रह करता हूं कि जिन मुद्दों को मैंने उठाया है, उनमें जिनका वे जवाब दे सकते हैं, उनका जवाब वे दें।

श्री प्रणव मुखर्जी : श्री रामावतार शास्त्री ने चार मुद्दे और प्रो. अजित मेहता ने कई मुद्दे उठाये हैं। महोदय, आप जैसा कि जानते हैं कि मेरे मंत्रालय से सीधा सम्बन्ध न रखने वाले मुद्दों के सम्बन्ध में यह प्रथा है कि हम उन सुझावों और मुद्दों को सम्बंधित मंत्रालयों को भेज देते हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : मेरे अधिकांश मुद्दों का सम्बन्ध आपके मंत्रालय से है।

श्री प्रणव मुखर्जी : स्वतन्त्रता सेनानियों की पेंशन बढ़ाने का प्रश्न, माननीय सदस्य जानते हैं कि, गृह मंत्रालय के विचाराधीन है।

श्री रामावतार शास्त्री : कब से ? पिछले वर्ष भी आपने यही उत्तर दिया था। इसमें और कितना समय लगेगा ?

श्री प्रणव मुखर्जी : यदि मेरे बस में होता तो मैं बहुत पहले कर चुका होता। हम इस गौर कर रहे हैं। इसी प्रकार भूतपूर्व सदस्यों को सुविधाएं देने की समस्या भी हमारे ध्यान में आई है। आप जैसा कि जानते हैं कि हमने वर्तमान सदस्यों के लिए कुछ किया है। अतः वर्तमान सदस्यों के लिए हमने जो कुछ किया है पहले उसको सहन कर लें उसके बाद में भूतपूर्व सदस्यों के लिए कुछ करूंगा।

एक माननीय सदस्य : तब तक हम भूतपूर्व सदस्य बन जाएंगे।

श्री प्रणव मुखर्जी : आप सहमत होंगे कि वर्तमान सदस्यों के मामले में हमने पर्याप्त वृद्धि की है।

एक माननीय सदस्य : हमारे में से कई भूतपूर्व सदस्य बन जाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : आप पुनः निर्वाचित होंगे और वापिस आएंगे।

श्री प्रणव मुखर्जी : जहाँ तक भूतपूर्व सैनिकों का सम्बन्ध है, पेंशन प्राप्त लोगों के बारे में एक समस्या है। पिछले दिन मेरे मित्र रक्षा मंत्री ने इस सम्बन्ध में एक सुझाव दिया था। जहां तक पेंशन का सम्बन्ध है, समस्या गणना की है। हमने उन्हें रेडी रेकनर (तत्काल गणक) की पेशकश की थी। यदि वे तत्काल गणक द्वारा गणना कराना चाहते हैं तो उनके दावों का तत्काल निपटान हो जाएगा और जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे उनके मामले में बिन्दु-दर-बिन्दु निर्धारण किया जाएगा। जब इसमें ग्यारह लाख लोग 15 से 20 वर्ष तक की नौकरी वाले लोग शामिल हैं अन्दाजा लगाया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : वित्त मन्त्री महोदय, इसमें अधिक अन्तर भी नहीं है। पशेनर के रूप में मैंने इसका अध्ययन किया है और बकाया राशि भी ली है। तत्काल गणक द्वारा किया हिसाब ठीक ही होता है केवल एक या दो रुपयों का अन्तर होता है।

श्री प्रणव मुखर्जी : इसीलिये मैंने यह सुझाव दिया है। वास्तव में पिछले दिन ही रक्षा मंत्री ने दूसरे सदन में इस पर विस्तार से चर्चा की है।

बैंक ऋण के सम्बन्ध में आपने मेरे मित्र श्री जनार्दन पुजारी से विस्तार में चर्चा की है।

मंहगाई भत्ते की किस्तों के लिए मैंने बजट में कुछ प्रावधान किया है परन्तु मैं इस समय कोई वचन देने के लिए तैयार नहीं हूं।

श्री रामावतार शास्त्री : इस प्रकार का प्रावधान करने का क्या लाभ।

श्री प्रणव मुखर्जी : महोदय, ये मुद्दे सभी ने उठाये हैं। परन्तु मैं केवल कुछ टिप्पणियां ही कर सकता हूं। हम ये प्रयास कर रहे हैं। ये सामान्य मुद्दे हैं। 'आपरेशन फ्लड' सफल रहा है या नहीं और क्या हरित क्रान्ति सफल रही है या नहीं, इन बातों को मंत्रियों के ध्यान में लाने का आपको उस समय पर्याप्त समय मिलेगा जब सम्बन्धित मांगों पर चर्चा होगी। उन्होंने योजना आयोग का उल्लेख किया है और मुख्य मन्त्रियों के विचार जानने के लिए कहा है, मैं इस संबंध में एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ।

जहां तक राष्ट्रीय विकास परिषद का सम्बन्ध है, मुख्य मन्त्री अपनी हैसियत से आते हैं, परामर्शदात्री क्षमता में नहीं।···(**व्यवधान**) योजना आयोग योजनाएं बनाता है परन्तु योजना की अंतिम स्वीकृति राष्ट्रीय विकास परिषद को देनी होती है···(**व्यवधान**) राष्ट्रीय विकास परिषद में सभी मुख्य मन्त्री होते हैं···(**व्यवधान**)। नहीं, नहीं मैं आपसे पूर्णतया असहमत हूँ। क्योंकि मैंने स्वयं मुख्य मन्त्रियों के कई सम्मेलनों का आयोजन किया है। वे अपने विचार व्यक्त करते हैं। हाल ही में मैंने बिक्री कर पर एक बैठक का आयोजन किया था। एक और बैठक में 24 तारीख को कर रहा हूं। वे बहुमत की राय को नजर अन्दाज नहीं करना चाहते और हम अन्यों के विचारों को दबाना नहीं चाहते। हम आम सहमति लाने का प्रयास करते हैं और मेरे विचार में हम इसमें सफल रहे हैं। हमें इसे संस्थागत और औपचारिकता बनाने की बजाए हमें इस प्रणाली को और मजबूत बनाना चाहिये।

माननीय सदस्यों के अन्य सभी मुद्दों और सुझावों को मैं सम्बन्धित मन्त्रियों के पास भेज दूंगा। धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब विचार करने के प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1984-85 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 4 और अनुसूची विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :

खण्ड 2 से 4 और अनुसूची विधेयक में जोड दिये गये।

खण्ड, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री प्रणब मुखर्जी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : श्रीमन् कौन-सा विधेयक है ? गलत विधेयक।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, इससे पहले कि मैं ऊर्जा मंत्री से वक्तव्य देने के लिए कहूं, संसदीय कार्य मंत्री ने अध्यक्ष पीठ से एक अनुरोध है कि चूंकि शुक्रवार को छुट्टी की घोषणा कर दी गई है इसलिए वह चाहते हैं कि हमें अणुपूरक मांगें भी लेनी चाहिए। मैंने इस बारे में विपक्ष के शूरवीर नेताओं, श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती एवं श्री राम विलास पासवान से परामर्श किया है और वह भी इस बात से सहमत हैं।···(**व्यवधान**) हमें विपक्ष के दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखना है·····(**व्यवधान**) इस लिए इस वक्तव्य के बाद हम अनुपूरक मांगों को लेंगे।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : हमारे वक्ता यहां उपस्थित नहीं हैं·····आप इसे कैसे ले सकते हैं। हम इसका विरोध करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सदन इस बात से सहमत है कि हम अनुपूरक मांगों पर विचार करें।

कई माननीय सदस्य : जी हां। जी हां।

श्री पी. शिवशंकर (सिकन्दराबाद) : आप इनसे क्यों नहीं कहते कि यह भी विपक्ष के एक शूरवीर नेता हैं ताकि यह भी बैठ जाएं ?

प्रो. अंजिता कुमार मेहता (समस्तीपुर) : कोई अग्रिम सूचना या जानकारी नहीं दी गई थी।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया सुनिए·····

प्रो. अंजित कुमार मेहता : मैं आपकी मदद के लिए एवं सहयोग देने के लिए तैयार हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिए···क्योंकि शुक्रवार को हमने होली के उपलक्ष्य में छुट्टी मांगी है···यही तो मैं कह रहा हूं···सदन इस बात से सहमत है कि हम अनुपूरक मांगें पारित करें।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं विरोध में सदन से बाहर जा रहा हूं।

6.10. म. प.

(श्री रामावतार शास्त्री सदन से बाहर चले गए)

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है। हम प्रत्येक व्यक्ति को खुश नहीं कर सकते।

गोदावरी तट पर नए स्थल पर गैस मिलने और कैम्बे बेसिन में गांधार में तेल तथा गैस का मिलने के बारे में वक्तव्य

6.11 म. प.

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय ऊर्जा मंत्री अपना वक्तव्य सदन के समक्ष रखें।

श्री पी. शिव शकर :

ऊर्जा मंत्री (श्री पी. शिवशंकर) : महोदय, मुझे पिछले चार दिनों में कृष्णा-गोदावरी बेसिन और कैम्बे बेसिन में होने वाली दो महत्वपूर्ण खोजों की घोषणा करते हुए प्रसन्नता होती है।

10 मार्च, 1984 को पूर्वी गोदावरी जिले में राजामुन्दरी के दक्षिण-पूर्व में लगभग 60 किलो मीटर पर स्थित भीमापल्ली कुएं में संघनन (कण्डेसेट) सहित गैस मिली थी। 2810.5 मीटर से 2813.5 मीटर के अन्तरालों में परीक्षित पहले स्थान से $\frac{1}{4}$ इंच से $\frac{1}{2}$ इंच तक के आकार वाले चोक से प्रतिदिन 27,000 से 40,000 घन मीटर की दर से गैस मिल रही है। इस कुएं में सात अतिरिक्त स्थानों का परीक्षण किया जाना है।

गोदावरी बेसिन के तटीय क्षेत्र में खोदा गया वह चौथा कूआं है। पहले कुएं, एक राजोल में और दो नरसापुर में हैं। राजोल और नरसापुर, दोनों स्थानों के कुओं से पहले गैस के पाये जाने के संकेत मिले थे। अमलापुरम के पास एक कुएं का भी, जिसकी खुदाई की जा रही है, जल्दी ही परीक्षण किया जायेगा।

कृष्णा, पश्चिम गोदावरी और पूर्वी गोदावरी जिलों में विभिन्न संरचनाओं पर 9 अतिरिक्त स्थानों पर खुदाई कार्य करने की योजना है।

बड़ौदा के लगभग 75 किलो मीटर दक्षिण-पूर्व गंधार में भी 12 मार्च, 1984 को वाणिज्यिक मात्रा में तेल और गैस मिला है। 3018 से 3024 मीटर के अन्तराल में छः मीटरों के क्षेत्र से होने वाले उत्पादन का परीक्षण किया गया है। $\frac{1}{4}$ इंच की चोक के द्वारा 150 घन मीटर प्रतिदिन गैस/तेल संघनन के उत्पादन के साथ 3000 पी. एस. आई. के सतही प्रवाह दान पर एक संक्षिप्त परीक्षण के आधार पर 88000 घन मीटर प्रतिदिन की दर से गैस मिली है। उत्पादन के विस्तृत परीक्षण किये जा रहे हैं। यह खोज बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे बड़ौच खण्ड के उत्तर-पश्चिम में खोज के लिए एक बहुत बड़ा क्षेत्र मिला है। तेल कुण्ड (पूल) और

तेल और गैस के भंडारों की सीमाओं का पता लगाने के लिए अतिरिक्त भूकम्पीय सर्वेक्षण और संरचना का रेखांकन कार्य करना होगा। इस कुएं में उत्पादन करने वाले क्षेत्र के ऊपर तीन और संभावित क्षेत्रों का परीक्षण अभी किया जा रहा है।

6.13. म. प.

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) 1983—84

और

अतिरिक्त अनुदानों की मांगे (सामान्य) 1981—82

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 11 ख 12 को एक साथ लेंगे यथा वर्ष 1983-84 की अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) पर चर्चा तथा मतदान एवं सामान्य बजट वर्ष 1981-82 सम्बन्धी अनुदानों की अतिरिक्त मांगों पर चर्चा एवं मतदान किया जाएगा।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ग के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा राशियों में अनधिक सम्बन्धित अनुपूरक राशियां संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

मांग संख्या 3, 6, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 25, 26, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 88, 9I, 94, 95, 96, 103, I04, 105, 107, और 108।

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के सम्बन्ध में 31 मार्च 1982 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान सम्बन्धित अनुदानों से अतिरिक्त राशि को पूरा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राशियों से अनधिक सम्बन्धित अतिरिक्त राशियां भारत की संचित विधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

मांग संख्या 12, 15, 18, 20, 21, 24, 32, 53, 55, 56, 91 और 103।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) 1983 - 84

लोक-सभा की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत मांग की राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
कृषि मंत्रालय			
3	—मीन उद्योग	...	1,01,59,000
6	—सहकारिता	...	25,00,00,000

1	2	3
वाणिज्य मंत्रालय		
10—वाणिज्य मंत्रालय	12,87,000	....
11—विदेश व्यापार तथा निर्यात उत्पादन	2,000	198,65,88,000
12—वस्त्र, हथकरघा और हस्त-शिल्प	17,84.39,000	20,19,73,000
संचार मंत्रालय		
15—डाक-तार—कार्य चालन व्यय	13,00,00.000	...
17—डाक-तार पर पूंजी परिव्यय	....	50,00,00,000
रक्षा मंत्रालय		
18—रक्षा मंत्रालय	76,75,87,000	...
19—रक्षा सेवाएं—थल सेना	275,25,30,000	...
20—रक्षा सेवाएं—नौ सेना	47,40,40,000	...
21—रक्षा सेनाएं—वायु सेना	35,58,01,000	....
22—रक्षा सेवाएं—पेंशन	16,77,45,000	...
शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय		
24—शिक्षा विभाग	60,15,000	...
25—शिक्षा	8,88,77:000	5,00,000
26—संस्कृति विभाग	1,93,66,000	...
विदेश मंत्रालय		
32—विदेश मंत्रालय	18,27,10,000	2,67,32,000
वित्त मंत्रालय		
33—वित्त मंत्रालय	9,65,22,000	14,26,000
34—सीमा शुल्क	85,60,000	...
35—संघ उत्पाद शुल्क	7,31,18,000	...
36—आय-कर, सम्पदा शुल्क, धन-कर और दान-कर	11,31,40,000	...

1	2	3
38—लेखा परीक्षा	12,53,80,000	...
39—करेंसी, सिक्का निर्माण और टकसाल	1,55,41,000	4,70,04,000
40—पेंशनें	14,52,84,000	...
41—अफीम और एल्कलाइड कारखाने	1,21,70,000	...
42—राज्य सरकारों का अन्तरण	11,69,40,000	...
43—वित्त मंत्रालय का अन्य व्यय	...	187,11,48,000
44—सरकारी सेवकों आदि का उधार	...	10,00,00,000
खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय		
45—खाद्य विभाग	1,000	...
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय		
47—स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	4,87.000	...
48—चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	7,71,57,000	5,38,05,000
49—परिवार कल्याण	19,77,99,000	...
गृह मंत्रालय		
50—गृह मंत्रालय	16,66,000	...
52—कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग	1,46,83,000	...
53—पुलिस	48,90,81,000	2,08,29,000
55—गृह मंत्रालय का अन्य व्यय	57,04,38,000	3,31,34,000
56—दिल्ली	19,67,01,000	1,000
57—चण्डीगढ़	3,65,90,000	...
58—अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	4,95,64,000	...
59—दादरा और नगर हवेली	38,24,000	11,65,000
60—लक्षद्वीप	...	53,89,000

1	2	3
उद्योग मंत्रालय		
61—उद्योग मंत्रालय	31,58,000	....
62—उद्योग	...	7,42,76,000
सूचना और प्रसारण मंत्रालय		
64—सूचना और प्रसारण मंत्रालय	20,11,000	....
65—सूचना और प्रचार	58,77,000	...
66—प्रसारण	8,29,39,000	1,68,05,000
सिंचाई मंत्रालय		
67—सिंचाई मंत्रालय	7,88,20,000	...
श्रम और पुनर्वास मंत्रालय		
68—श्रम विभाग	19,68,000	...
69—श्रम और रोजगार	3,44,52 000	...
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय		
71—विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय	11,00,000	...
नौवहन और परिवहन मंत्रालय		
77—नौवहन और परिवहन मंत्रालय	34,72,000	...
78—सड़कें	9,49,23,000	14,43,82,000
79—पत्तन, दीपस्तम्भ और नोवहन	3,38,55,000	2,000
80—सड़क और अन्तर्देशीय जल परिवहन	2,000	10,10,01,000
इस्पात और खान मंत्रालय		
82—इस्पात विभाग	4,13,000	...
83—खान विभाग	3,29,38,000	...
निर्माण और आवास मंत्रालय		
88—निर्माण और आवास मंत्रालय	8,90,000	...
91—आवास और नगर विकास	...	1,000

1	2	3
परमाणु ऊर्जा विभाग		
94—परमाणु ऊर्जा अनुसंधान, विकास और औद्योगिक परियोजनाएं	...	22,34,00,000
95—न्यूक्लीय विद्युत योजनाएं	7,34,00,000	...
इलैक्ट्रोनिकी विभाग		
96—इलैक्ट्रोनिकी विभाग	70,00,000	70,00,000
खेल विभाग		
103—खेल विभाग	62,30,000	87,08,000
पूर्ति विभाग		
104—पूर्ति विभाग	4,27,000	...
105—पूर्ति और निपटान	85,00,000	...
संसद्, संसदीय कार्य विभाग, राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के सचिवालय और संघ लोक सेवा आयोग		
107—राज्य सभा	32,79,000	...
108—संसदीय कार्य विभाग	1,73,000	...

1981—82 की अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य)

सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत मांग की राशि
1	2	3
		रुपए
I.	**राजस्व खाते से पूरा किया जाने वाला व्यय**	
15.	विदेश संचार सेवा	1,87,23,223
20.	रक्षा सेवाएं—थल सेना	88,79,78,556
21.	रक्षा सेवाएं—नौ सेना	5,47,51,761
32.	वित्त मंत्रालय	9,74,609

1	2	3
	53. दिल्ली	5,98,54,527
	55. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2,85,68,419
	56. दादरा और नगर हवेली	16.97,547
	91. लोक निर्माण	10,12,46,039
	103. अन्तरिक्ष विभाग	52,355
II.	**पूंजी खाते से पूरा किया जाने वाला व्यय**	
	12. विदेश व्यापार और निर्यात उत्पादन	168,93,45,998
	18. डाक-तार पर पूंजी परिव्यय	51,63,71,150
	24. रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	21,31,33,010
	53. दिल्ली	16,69,75,744
		373,96,72,938

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अजय विश्वास ।

अजय विश्वास (त्रिपुरा पश्चिम) उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनुदानों की अनूपूरक मांगों (सामान्य) पर अपने विचार व्यक्त करूंगा। मैं केवल उत्तर पूर्वी क्षेत्र के हालात तक अपने को सीमित रखूंगा।

महोदय, गत पैंतीस वर्षों में केन्द्र सरकार ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया। इसके फलस्वरूप उत्तर-पूर्वी क्षेत्र पिछड़ा रह गया और वहां किसी योजनाबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य नही किया गया।

मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आप बिजली को लीजिए। विद्युत की प्रति व्यक्ति खपत इस क्षेत्र में 25 किलोवाट है जबकि राष्ट्रीय औसत 120 किलोवाट है। आप इस बात से मुझसे पूर्ण रूप से सहमत होगे कि बिजली की प्रति व्यक्ति खपत किसी क्षेत्र के विकास को प्रदर्शित करती है, अगर हमें उद्योगों का विकास इस क्षेत्र में करना है, तो हमें विद्युत शक्ति का उपयोग करना होगा कृषि के विकास हेतु भी बिजली की आवश्यकता होती है राष्ट्र स्तर के 125 किलो वाट को तुलना में यहां प्रति व्यक्ति बिजली की खपत मात्र 25 किलो वाट है। इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि उत्तर-पूर्वी क्षेत्र पिछले 35 वर्षों से कितना उपेक्षित रहा है। इस क्षेत्र की पन बिजली उत्पादन क्षमता 12000 मेगावाट है और अगर हम इस सम्पदा का पूर्ण सदूपयोग करें तो हम शायद शेष राज्यों को भी विद्युत उपलब्ध करा सकेंगे। परन्तु सरकार की विद्युत शक्ति के उपयोग के बारे में क्या नीति है ?

परिवहन एवं संचार की भी यही स्थिति है। विभाजन के पश्चात इस क्षेत्र का शेष देश

के साथ सम्पर्क की छोटी सी कड़ी रह गयी थी, उत्तरी बंगाल की ओर से। परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था अस्त व्यत हो गयी । इस क्षेत्र में पहुंचने वाली वस्तुओं का तीन-चौथाई बाहर से रेलों द्वारा पहुंचाया जाता है और रेलों का क्या हाल है। न्यू बोंगाई गांव तक बडी लाइन है उसके बाद बडी लाइन नहीं है। सरकार ने निश्चय किया है कि बडी लाइन गोहाटी तक बढाई जाए। सरकार ने कुछ धन की भी इसके लिए अलग से व्यवस्था की और यह निश्चय किया गया कि यह कार्य 1980 तक पूरा कर दिया जाए 1984 भी आ गया और अभी तक यह कार्य पूरा नहीं हुआ है।

महोदय, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में सात राज्य हैं । अधिकांश राज्य रेलों से नहीं जुडे हैं। त्रिपुरा में केवल 12 किलोमीटर रेलले लाइन है ।नागालैंड में केवल 9 किलोमीटर ही है। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मणिपुर में कोई रेल लाइन नहीं है। आप इससे अन्दाजा लगा सकते हैं कि केन्द्र सरकार उत्तरी पूर्वी क्षेत्र का कितना ध्यान रखती है।

अब सड़कों की बात लीजिए प्रति सैंकडा वर्ग किलमीटर इस क्षेत्र के सीधे इस क्षेत्र में केवल 4.1 किलोमीटर सड़क है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर औसत 15 किलोमीटर है। यह बहुत कम है मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार के पास इसका क्या समाधान है। मैं यहां, उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की एक रिपोट से उद्धरण देना चाहता हूं।

> "छठी पंचवर्षीय योजना के अंतगंत हमें सड़कों के विकास के लिए 50 करोड़ रुपये दिये गये हैं इसका अर्थ यह है कि चालू कार्यों पर 35 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद नई सड़कों के निर्माण कार्य को हाथ में नहीं लिया जा सकता"

छठी पंच वर्षीय योजना के अंतर्गत सड़क के लिए केवल 50 करोड़ रुपया आवन्टित किया गया है। करीब 34 करोड़ रुपया तो चालू सडक परियोजनाओं पर ही इस्तेमाल हो जाएगा। हम से कहा जाता है कि उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र से समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास जारी है, और केन्द्रीय मंत्रिमंडल की एक उप समिति का गठन किया गया है। शायद प्रधान मन्त्री इस उप समिति की अध्यक्षा हैं। मैं यहां यह पूछना चाहता हूं कि यदि उत्तर पूर्व क्षेत्र की यह रिपोर्ट है तो वास्तव में वहाँ क्या कार्य किया जा रहा है ? मेरे विचार में कोई ठोस कार्य नहीं किया जा रहा है। आप क्षेत्र के नाम पर कुछ राज्यों को राशि जरूर आबंटित करते हैं परन्तु आपको क्षेत्र के पिछड़ेपन को ध्यान में रखना चाहिए। पिछले 35 वर्षों के हालात जो इस क्षेत्र में है उनका ध्यान रखना आवश्यक है। प्रति उत्तर में आप यही कहेंगे कि छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रति व्यक्ति आवंटन बढ़ा दिया गया है। परन्तु यह काफी नही है। यह हम देखना चाहते हैं कि आप वास्तव में क्या कर रहे हैं।

महोदय, सन्चार की अव्यवस्था के कारण रेलवे लाइन ना होने के कारण. कोई भी कार्य सुचारु रूप से नहीं हो रहा। आप यहां से इन राज्यों के लिए सीमेंट, खाद्यान इत्यादि चीजें आवंटित कर रहे हैं, किन्तु यह सब वहाँ नहीं पहुंचता। मैं आपको सीमेंट का उदाहरण देता हूँ।

1981 में कुल 6 लाख टन सीमेंट का आवंटन किया गया था। इसमें सेना की आवश्कता शामिल नहीं है। लेकिन इस क्षेत्र में सीमेंट केवल 3.5 लाख टन पहुंच पाया। कारण है रेल लाइन एवं सड़कों की कमी जब तक इनका विकास नहीं होगा तब तक यह क्षेत्र पूर्ण रूप से विकसित होने में असमर्थ रहेगा। आप इस विशिष्ट पहलू की उपेक्षा कर रहे हैं।

जहां तक खनिज पदार्थों का संबध है इस क्षेत्र के केवल 22 प्रतिशत भाग का पद्धतिबद्ध रुप से भूगर्भीय तथा खनिज सर्वेक्षण किया गया है जबकि राष्ट्रीय औसत 44 प्रतिशत है। क्या आप इनसे इंकार करते हैं ? मैं उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की एक रिपोर्ट से यह उद्धरण दे रहा हूँ। जिस गति से यह सर्वेक्षण चल रहे हैं तो पूरे क्षेत्र का सर्वेक्षण करने में शायद और बीस (20) वर्ष लग जाएंगे उत्तर-पूर्वी परिषद ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि यह सर्वेक्षण धीमी गति से चल रहे हैं।

उत्तर पूर्वी क्षेत्र में क्या प्राकृतिक सम्पदा है ? हमारे पास तेल एवं प्राकृतिक गैस उपलब्ध हैं। 70 मिलियन टन तेल एवं 40 मिलियन टन घन मीटर प्राकृतिक गैस के सुरक्षित भडांर हैं। हमें इसका सदुपयोग करना है। कोयले के सुरक्षित भंडार 1000 मिलियन टन है और चूना 3000 मिलियन टन है। हम प्राकृतिक सम्पदा में समृद्ध हैं। अगर हम इसका उपयोग करें तो कई उद्योग इस क्षेत्र में पनप सकते हैं, और सारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकसित हो सकता है।

उत्तर पूर्वी क्षेत्र की स्थिति क्या है ? यह क्षेत्र अधिकतर ग्रामीण है। इससे स्पष्ट है कि यह क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। मैं कुछ आँकड़े उद्धरत कर रहा हुं अरुणाचल प्रदेश की ग्रामीण जन सख्या 96 प्रतिशत असम की 91 प्रतिशत मणिपुर की 87 प्रतिशत मेघालय की 85 प्रतिशत मिजोरम की 89 प्रतिशत नागालैंड की 90 प्रतिशत त्रिपुरा की 90 प्रतिशत जबकि समूचे उत्तर पूर्वी क्षेत्र की 91 प्रतिशत है। भारत की औसत ग्रामीण जन संख्या राष्ट्रीय स्तर पर केवल 80 प्रतिशत है। 1911 में जो भारत की स्थिति थी यह आज 1984 में उत्तर पूर्वी क्षेत्र की है। वहां पर जन साधारण आज भी 1911 की स्थिति में है।

जब आप इस क्षेत्र के लिए धन राशि की व्यवस्था करते हैं तो आपको इस क्षेत्र की स्थिति का ध्यान रखना चाहिए। केवल अधिक धन राशि देना आपके उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगा। प्रति व्यक्ति आय क्या है ? शेष राज्यों की तुलना में उत्तर पूर्वी क्षेत्र की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। छठी पंचवर्षीय योजना में इसके क्षेत्र में प्रति व्यक्ति पूंजी निवेश क्या है ? यह एक मुख्य तथ्य है जिसके बारे में आपको कुछ करना है। प्रति व्यक्ति पूंजी निवेश असम में 448 है। त्रिपुरा में 974 मणिपुर में 1318, मेघालय में 1545, नागालैंड में 12693, अरुणाचल प्रदेश में 1233 मिजोरम में 2436 है। कुल उत्तर पूर्वी क्षेत्र में यह 711 है। किन्तु आप कहेंगे कि आप ने उस क्षेत्र के लिए अधिक धन दिया है मेरा तय यह है कि आपने जितनी व्यवस्था की है और जो वहां की स्थिति है क्या उसे देखते हुए यह प्रावधान काफी है ? इस क्षेत्र के लोग, विकासोन्मुखी कार्यक्रमों के लिए दी गई धन राशि से संतुष्ट नहीं हैं। अगर आप उत्तर पूर्वी क्षेत्र को तेजी से प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं तो आपको निर्धारित धन राशि बढ़ानी पड़ेगी तथा बुनियादी ढांचा तैयार करना पड़ेगा।

महोदय, यह एक असाधारण सी बात है कि इस क्षेत्र में त्रिपुरा के लोग सबसे अधिक उपेक्षित हैं। प्रति व्यक्ति पूंजी निवेश यहां केवल 974 है जो कि अन्य राज्यों की तुलना में सबसे कम है। महोदय मैं सदन के समक्ष कुछ उदाहरण रखना चाहूँगा जिससे सपष्ट होता है कि केन्द्र ने इस क्षेत्र को कितना उपेक्षित कर रखा है। इस क्षेत्र में कागज की मिल लगाने के लिए आपने चार आशय पत्र दिए हैं। यह आशय पत्र त्रिपुरा में 1973 में जारी किये गये थे और आज 1984 है। 11 वर्षों के पश्चात भी आपने यह मिल लगाने के लिए पैसा प्रदान नहीं किया। मुख्य मन्त्री एवं अन्य अधिकारी कई बार दिल्ली आए और उचित धन के लिए कई बार अनुरोध किया लेकिन आपके कान पर जूं तक न रेंगी।

महोदय, त्रिपुरा में 85000 नवयुवक बेरोजगार हैं। क्या यह गंभीर मामला नहीं है ? कागज की फैक्टरी खोलने के लिए रिपोर्ट उपलब्ध है। यदि आप इस रिपोर्ट को देखें तो आपको पता चलेगा कि वहां पर कागज की मिल लगाने पर कागज का उत्पादन करीब 200 से 3000 टन प्रति दिन का होगा। पर आपने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ? हाल ही में एक कागज संयंत्र लगाने का प्रस्ताव था जिसकी क्षमता केवल 30 टन प्रति दिन की है। 200 टन से 30 टन प्रति दिन पर बात आ पहुंची है। लेकिन इसे भी आप मन्जूर नहीं कर रहे हैं और न ही कोई आशा दिलाते हैं।

महोदय मैं त्रिपुरा में हाल ही में शुरू हुई पटसन की मिल की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बाहर से कोई भी मिल या उद्योग लगाने आयेगा क्योंकि आप उन्हें कोई सुविधा या प्रोत्साहन नहीं दे रहे।

हमने पटसन की मिल लगाने के लिए बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से पैसा उधार लिया है। क्या आपको पता है प्रति माह ब्याज कितना देना पड़ता है ? पूरे सात लाख रुपये। क्या बैंकों एवं अन्य संस्थाओं को सात लाख रुपये प्रति माह ब्याज के रूप में देने के पश्चात कोई मिल व्यवहार्य हो सकती है ? आपने क्या किया है ? आप उद्योगपतियों एवं राज्य सरकारों को रियायती दरों पर उधार देते हैं पर हमें 13 से 14 प्रतिशत ब्याज देना पड़ रहा है।

राज्य सरकार ने उत्पाद-शुल्क हटाने की मांग की थी। आप टेलीविजन एवं अन्य वस्तुओं से उत्पाद-शुल्क हटाने को तैयार हैं परन्तु उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए इस मौलिक उद्योग पर उत्पाद-शुल्क हटाने को तैयार नहीं हैं।

केन्द्र सरकार से मेरा यही अनुरोध है कि वह इस पर गौर करे। अगर आप कहते हैं कि यह मिल व्यवहार्य बने तो आपको यह सब कुछ करना पड़ेगा। यह एक विलक्षण स्थिति है कि कामगारों का कुल खर्च, मासिक वेतन मिला कर, केवल छः लाख रुपये हैं जबकि मासिक ब्याज सात लाख रुपये है। फिर मिल कैसे व्यवहार्य हो सकती है।

त्रिपुरा का अमानास बहुत मीठा होता है, स्वादिष्ट भी होता है। देश के बाहर इसका बाजार भी है। जूस का संयन्त्र खोलने का एक प्रस्ताव है इस पर 2 करोड़ रुपये लागत आएगी

लेकिन यह बहुत अजीब बात है कि खाद्य विभाग इस परियोजना को भी मंजूर नहीं कर रहा है। वह अभी भी उनके पास विचाराधीन है। रेलवे के विस्तार के प्रश्न के सम्बन्ध में मैं पहले ही अपने विचार व्यक्त कर चुका हूँ। रेलवे बजट पर चर्चा के दौरान मेरे सहयोगियों ने भी इस वषय पर बेला है। एक नया प्रस्ताव है जिसके अनुसार लाईन की सम्पूर्ण लम्बाई कम होकर एक तिहाई रह जाएगी और लागत में भी कमी होगी। किन्तु रक्षा मन्त्रालय को इस पर आपत्ति है। मैं नहीं जानता क्यों ? त्रिपुरा के तीनों ओर बंगला देश है।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एम. कृष्ण) : इसीलिए वह आपत्ति कर रहे हैं।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : मेरे विचार में आपको यह कार्य इस कारण अवश्य करना चाहिए।

श्री अजय विश्वास : आप त्रिपुरा को देश से अलग कैसे कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : हम अपने देश का कोई हिस्सा अलग नहीं होने देंगे।

श्री अजय विश्वास : जैसा कि मैंने पहले कहा कि त्रिपुरा तीनों ओर से बंगला देश से घिरा है और देश से जोड़ने वाली केवल 20 किलोमीटर की सम्पर्क लाइन है। यह एक सीमावर्ती राज्य है। आपको यह प्रस्ताव अवश्य स्वीकार कर लेना चाहिए यदि आप यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेंगे तो एक तिहाई लम्बाई में कमी होगी और लागत में भी कमी होगी। बंगला देश रेलवे हमारी सीमा से केवल एक चौथाई किलोमीटर दूर है। उस स्थिति में यह रेलवे निश्चय ही सीमा से दो अथवा तीन किलोमीटर की दूरी पर होगी। आप यह प्रस्ताव स्वीतार क्यों नहीं करते।

उपाध्यक्ष महोदय : यह बिल्कुल उचित है।

श्री अजय विश्वास : अगरतला शहर एक सीमावर्ती शहर है और मुख्य शहर से आधा किलोमीटर की दूरी पर है अतः यह तर्क नहीं है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं उचित सड़क और रेल संपर्क के अभान में वस्तुएं और अन्य माल उत्तर पूर्व राज्यों में नहीं पहुंच रहा है, केवल त्रिपुरा की ही यह स्थिति नहीं है अपितु सभी उत्तर पूर्वी राज्यों को यह हाल है।

गत तीन महीनों से हम लेवी चीनी का प्रयोग कर रहे हैं लेकिन मिल अग्रिम भुगतान प्राप्त करने के बावजूद भी सप्लाई करने से इन्कार कर रही है। सीमेंट के कुल कोटे का भी एक तिहाई हमें प्राप्त हो रहा है। यदि आप 50,000 टन आवंटित करते हैं तो हमें अन्ततः केवल 25-30 टन ही प्राप्त होता है। जब हम आपके पास गये तो आपने बताया कि रेलवे की दिक्कतों और अन्य कठिनाइयों के कारण सीमेंट, चीनी, खाद्यानों इत्यादि का भेज पाना संभव नहीं था। आप एक लाख आवंटित कर सकती हैं। प्रश्न आवंटन का नहीं है क्योंकि वह हम तक पहुंचता नहीं है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इन अत्यावरोधों को दूर करने का प्रयास करें।

पिछड़ेपन के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र को उग्रवादियों की ओर से कुछ मुसीबतों का सामना

करना पड़ रहा है क्योंकि आपने उस क्षेत्र का विकास नहीं किया है। आसाम आपने देखा है। नागालैंड आपने देखा है। मिजोराम आपने देखा है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस विषय पर पृथक चर्चा की मांग कर सकते हैं।

श्री अजय विश्वास : हमें अवसर नहीं प्राप्त हो रहा है। मैंने एक संकल्प के लिए सूचना दी है लेकिन कल भी उस पर चर्चा नहीं हो पाएगी क्योंकि अन्य संकल्प के संबन्ध में भी सूचनाएं प्राप्त हो चुकी है। उग्रवादी बंगलादेश जा रहे हैं। वे वहाँ से हथियार प्राप्त करके त्रिपुरा वापिस आ रहे हैं। हमारा सुझाव है कि आप सीमा सुरक्षाबल के अधिक कार्मिकों को वहां तैनात करें। आप सीमावर्ती इलाके में सीमा सुरक्षा बल के अधिक शिविर लगाएं। इस समय एक शिविर वहाँ हैं पर वह 20 किलोमीटर की दूरी पर है अतः उग्रवादियों की गतिविधियों को वहां से रोक पाना संभव नहीं है। हमारा सुझाव है कि बेस कैम्प आप 5 किलोमीटर की दूरी पर लगाएं तभी इन उग्रवादियों पर कड़ी नजर रखी जा सकेगी। यदि हम बंगला देश से आने वाले उग्रवादियों को रोकने में समर्थ होते हैं तो इस समस्या का समाधान आसानी से किया जा सकेगा अन्यथा वह कुछ न कुछ परेशानी हमेशा पैदा करते रहेंगे।

गत वर्ष त्रिपुरा में भयंकर बाढ़ आई। इस प्रकार की भीषण बाढ़ हमने पहले कभी नहीं देखी। त्रिपुरा सरकार ने 19.50 करोड़ रुपये की मांग की थी और आपने केवल उन्हें 4.50 कराड़ रुपये दिए और उसका भी 20 प्रतिशत राज्य सरकार को वहन करना था। अच्छा मजाक है। राज्य सरकार कहां से धन एकत्र करेगी। राज्य की 80 प्रतिशत जनता गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रही है। वे कहां से धन एकत्र करेंगे।

योजना पर चर्चा एक अन्य मामला है। 1984-85 की वार्षिक योजना पर चर्चा अभी पूरी नही हुई है : केन्द्रीय समिति अथवा कार्यकारी दल ने 1984-85 की योजना के लिए 83 करोड़ रुपये की सिफारिश की थी। लेकिन योजना आयोग ने इसका अनुमोदन नहीं किया और जैसा कि मैंने पहले कहा कि छठी योजना के आवंटन में पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य राज्यों की तुलना में त्रिपुरा के लिए सबसे कम धन राशि आवटित की गई है। जब उस दल ने 83 करोड़ रुपये की सिफारिश की है आप प्रस्ताव को क्यों रोक रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बैठक में भाग लिया था। लेकिन योजना आयोग उस प्रस्ताव पर स्वीकृति नहीं दे रहा। वह चर्चा अभी निलबित है। आप कृपया सभी औपचारिकताएं पूरी करे और अध्ययन दल की सिफारिश अनुसार 93 करोड़ रुपये काआवंटन करे।

दूसरा मुद्दा कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते कर के सम्बन्ध में है। केन्द्र सरकार केन्द्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दे रही हैं। अच्छी बात है। यह स्वाभाविक है। लेकिन राज्य सरकार के कर्मचारियों को बोनस नहीं मिल रहा है। आज गैर-सरकारी कर्मचारियों, मजदूरों, सरकारी कर्मचारियों, उपक्रमों के कर्मचारियों और सभी श्रेणियों के कर्मचारियों को बोनस मिल रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : राज्य सरकार दे सकती है।

श्री अजय विश्वास : उन्हें कहाँ से धन प्राप्त होगा ? राज्यों को धन देना केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है। त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोराम जैसे छोटे राज्य यह धन नहीं दे सकते। यह केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है। उन्हें धनराशि की व्यवस्था करनी होगी। यदि राज्य सरकार को केन्द्र सरकार द्वारा दी जा रही दरों पर महंगाई भत्ते का भुगतान करना है तो उसे 20-25 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : पश्चिम बंगाल में, मेरे विचार में राज्य सरकार अपने राजकोष से बोनस दे रही है।

श्री अजय विश्वास : वह अनुग्रहपूर्वक अदाएगी है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह निजी कोष से भुगतान कर रहे हैं केन्द्रीय अनुदानों के माध्मय से नहीं।

श्री अजय विश्वास : मैं केवल त्रिपुरा के लिए ही विशेष सहायता की याचना नहीं कर रहा हूं, मेरा अनुरोध है कि केन्द्र सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी राज्यों की सहायता करें।

उपाध्यक्ष महोदय : यह ठीक है न केवल त्रिपुरा की अपितु सभी छोटे राज्यों की सहायता की जाए।

श्री अजय विश्वास : समूचा पूर्वोत्तर क्षेत्र ही पिछड़ा हुआ है और वास्तव में राज्यों के लिए धन एकत्र करना संभव नही है। इसलिए राज्य सरकार केन्द्रीय दरों पर बोनस और महंगाई भत्ते के भुगयान के लिए केन्द्र सरकार से धन देने के लिए कहती है। आपने अन्य लोगों को बोनस दिया है। यह एक उचित मांग है। जब आप केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए बोनस की स्वीकृति देते हैं तो इसको राज्यों के लिए भी साथ-साथ धन देना चाहिए। इसलिए राज्य सरकार ने त्रिपुरा सरकार के कर्मचारियों को, केन्द्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को दिए गए महंगाई भत्ते की दर पर महंगाई भत्ता देने हेतु धन की मांग की है। आप कह सकते हैं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए एक समिति नियुक्त की गई है और प्रधान मंत्री उसकी अध्यक्ष है, पर ऐसा कहने से बात नहीं बनेगी। आप वास्तव में कुछ उपाय कीजिए। आप कुछ ऐसा काम कीजिए जिसमें लोग भी शामिल हो और उन्हें पता लगे कि आप कुछ कर रहे हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

प्रो० अजितकुमार मेहता (समस्तीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार एक ऐसा सम्पन्न राज्य है, जहां पर निर्धनतम लोग निवास करते हैं, तो गलत नहीं होगा। सचमुच में यह विधि की विडम्बना है, लेकिन यह सत्य है। खनिज सम्पदाओं से पूर्ण बिहार ऐसा राज्य है, जहां पर किसी भी प्राकृतिक सम्पदा की कमी नहीं है। किन्तु पता नहीं क्या कारण हैं कि उसका लाभ वहां के निवासियों को न जाकर दूसरों को जाता हैं .

उपाध्यक्ष महोदय : देश के किसी भाग की प्राकृतिक सम्पदा सम्पूर्ण राष्ट्र की सम्पत्ति है।

प्रो० अजीत कुमार मेहता : उस राज्य के लोगों को भी उसका लाभ प्राप्त होना चाहिए।

ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस क्षेत्र के संसाधनों का लाभ केवल देश के अन्य भागों को ही प्राप्त हो।

इसका एक कारण मेरी समझ में यह है कि उन इलाकों में उन सम्पदाओं को आपरेट करने वाली कम्पनियों का रजिस्ट्रेशन बिहार में नहीं होता है। दूसरे राज्यों में होता है। जिसके कारण संबंधित लाभ दूसरे राज्यों को चला जाता है। मान लीजिए कोई कम्पनी बिहार में आपरेट कर रही है, लेकिन उसका हैडक्वार्टर कलकत्ता, बम्बई या दिल्ली में है, इस कारण उस कम्पनी में होने लाभ का बहुत बड़ा हिस्सा या तो बंगाल में चला जाता है या बम्बई में चला जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह क्यों लाभ ले रहे हैं।

प्रो० अजित कुमार मेहता : क्योंकि वहां बुनियादी ढांचा और अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं है इसी कारण उन्होंने अपने मुख्यालय वहां बनाए है वह केवल वहां संचालन कर रहे हैं और वे हमारे क्षेत्र के संसाधनों का लाभ उठा रही है।

अभी त्रिपुरा की चर्चा हुई है, अब मैं अपने क्षेत्र के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। उत्तरी बिहार किसी भी मायने में विकसित नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। उत्तरी बिहार के सरहना जिले में दो स्थान—निर्मला और थरविटा हैं। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि यदि किसी को निर्मली से थरबिटा जाना हो और वह भारत की भूमि से होकर जाता है, तो उसको कम से कम 350-400 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। यदि वह नेपाल की भूमि से होकर जाता है, तो उसको केवल 100 किलोमीटर की दूरी तय करनी पडती है। हमारे उत्तर बिहार ही यह हालत है, वहां पर कोई आधारभूत ढांचा नहीं है। उसकी उन्नति कैसे होगी। मैं आपसे एक बात यह भी कहना चाहता हूं, यदि आप बरौनी क्षेत्र को निकाल लें, मैं समस्तीपुर क्षेत्र में आता हूं, वहां पर प्रतिव्यक्ति बिजली की खपत केवल 6 किलोवाट है। जहां पर ऊर्जा की खपत इतनी कम हो, उस इलाके का विकास किस प्रकार हो सकता है। इस पर आपको विचार करना चाहिए।

जब मैं थरविटा और निर्मली की चर्चा कर रहा था, मेरे कहने का मतलब यह था कि वहां के विकास के लिए जो आधारभूत ढांचा है, जैसे सड़कों का निर्माण इत्यादि, जितनी प्राथमिकता उन इलाकों को मिलनी चाहिए, वह नहीं मिल रही है। आप देखे—दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी आदि इन सब इलाकों में यदि आप बरसात के दिनों में जायें, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने के लिए हैलोकॉपटर की सुविधा भी सुविधाजनक नहीं होगी, हैलीकॉप्टर उतरेगा कहां पर, वहां पर केवल नाव का ही सहारा रह जाता है। केवल नावों का सहारा रह जाता है। ऐसी स्थिति में से स्थान जो नेपाल की सीमा पर हैं, हमारे लिये बहुत महत्वपूर्ण हैं, रक्षा की दृष्टि से भी और वहां की जनता की सुबिधा की दृष्टि से भी। मेरा सरकार से अनुरोध है कि उस इलाके में सडकों की व्यवस्था की ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिये।

अन्त में में अपने क्षेत्र की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मेरा क्षेत्र समस्ती-

पुर गंगा के किनारे बसा हुआ है तथा गंगा के कटाव से अनेक गांव गंगा के पेट में चले गये हैं, जिससे हजारों व्यक्ति बेघरबार हो गये हैं, करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति नष्ट हुई है। मैंने केन्द्रीय मंत्री को इसके बारे लिखा था, उनका कहना है कि इसने तो जो भी अनुदान देना था, वह राज्य सरकार को दे दिया है और यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। किन्तु मैं कहना चाहता हूँ— क्या राज्य सरकार के बलबूते पर यह काम हो सकता है, उन स्थानों मो बचाया जा सकता है? राज्य सरकार के पास जितने साधन हैं उनसे उनका अपना ही पूरा नहीं हो रहा है, इसलिये मेरा अनुरोध है कि इसमें केन्द्र को हस्ताक्षेप करना चाहिये तथा उन स्थानों को बचाने के लिये जितने साधनों की जरूरत है उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हू ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एम. रामकृष्ण) : उपाध्यक्ष महोदय जो मुद्दे श्री अजय विश्वास ने उठाए हैं उनसे पूर्वोत्तर क्षेत्र की स्थिति का सही रूप में प्रतिबिम्बत होती है। ऐतिहासिक कारणों से समूचा पूर्वोत्तर क्षेत्र उपेक्षित रहा है और मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भी यह उपेक्षा जारी रही। यह उपेक्षा अब तीन दशकों के बाद महसूस की जा रही है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ भागों की जो स्थिति है शायद उसी प्रकार की स्थिति देश के कुछ अन्य भागों की भी है। जैसा कि प्रो. अजीत मेहता कह रहे थे कि बिहार के कई भागों की प्रति व्यक्ति आय त्रिपुरा के कई भागों की प्रति व्यक्ति आय के समान होगी लेकिन ऐसा कहने से श्री अजय विश्वास द्वारा उठाए गए मुद्दों का महत्व कम नहीं होता है। उस क्षेत्र में कई कमियां हैं परिवहन सम्बन्धी कठिनाइयां हैं, जो कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। संचार साधनों और परिवहन साधनों में सुधार लाने के लिए रेलवे को विशेष प्रयास करने पड़े हैं। केन्द्र सरकार इस क्षेत्र के विकास को समुचित महत्व दे रही है और इसी कारण इस क्षेत्र के राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को एक बिशेष पृथक दर्जा दिया गया है और उनकी योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता उस आधार पर नहीं दी जाती जिस आधार पर अन्य राज्यों को दी जाती है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में केन्द्रीय सहायता आवश्यकता के आधार पर प्रदान की जाती है। उस क्षेत्र के विकास की आवश्यकताओं को मद्देनजर रखकर ही की जाती है।

उनके लिये मंजूर किये गये योजना परिव्यय में लगभग 90 प्रतिशत सहायता अनुदान के रूप में है जबकि अन्य राज्यों के सम्बन्ध में यह 30 प्रतिशत है। इस अकेले मुद्दे से ही प्रत्येक व्यक्ति को संतुष्ट होना चाहिये कि केन्द्र सरकार द्वारा किए गए प्रयास वास्तविक हैं और हम वास्तव में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के बारे में चिन्तित हैं। इसके अतिरिक्त 1984-85 के योजना परिव्यय में विशिष्ट श्रेणी के राज्यों के लिए चालू वर्ष में 20 प्रतिशत अधिक की व्यवस्था है। एक ऐसे व्यक्ति के नाते जो उद्योग से सम्बद्ध रहा है मुझे नहीं मालूम कि संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र को औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ घोषित कर दिया गया है, जिससे वे 25 प्रतिशत राज सहायता प्राप्त करने के अधिकारी होंगे और भारत सरकार से बुनियादी ढांचे के लिए राज सहायता के लिए भी पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त भी हम पूर्वोत्तर क्षेत्र को परिवहन राज सहायता प्रदान करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अधिक ब्याज दरों की वजह से, कर मुक्त ऋण भी दिये जा सकते हैं।

श्री एस. एम. कृष्ण : ये विभिन्न साधन हैं जिनके माध्यम से हम पूर्वोत्तर क्षेत्र की काया पलट करने की कोशिश कर रहे हैं।

यह सच है कि विद्य त उत्पादन के लिये प्रयास किए जाते हैं। भारत में पन-बिजली का उत्पादन करना सबसे सस्ता पड़ता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र पूरे देश में पन बिजली प्रदान कर सकता है। पन-बिजली का विचार सिर्फ एक विशेष क्षेत्र के लिये अब वैद्य नहीं रहा है, जबकि हम राष्ट्रीय ग्रिड की बात सोच रहे हैं। अगर पन-बिजली देश के किसी भी हिस्से में उत्पन्न की जा सकती है, जैसा कि यह पूंजी निवेश को दृष्टिगत रखते हुए सबसे सस्ती बिजली उत्पादन है, तो भारत सरकार निश्चित रूप में इसकी सम्भावना पर विचार करेगी चाहे त्रिपुरा, मिजोरम या कोई भी अन्य राज्य इस दिशा में प्रयत्न करे।

जहां तक उद्योगों का सम्बन्ध है, भारत सरकार बहुत ही सीमित प्रयास कर सकती है। यह औद्योगिक विकास के लिये उचित वातावरण बना सकती है और यह उद्योगों को लगाने के लिये लोगों को और उद्यमियों को प्रेरित कर सकती है। किन्तु भारत सरकार से यह आशा करना कि वह त्रिपुरा में आगे स्थापित करे, दूर की बात है। मैं चाहता हूँ कि श्री अजय विश्वास अपने क्षेत्र का विकास करने के लिये, वहाँ के युवक और युवतियों को प्रेरित करने के लिए कुछ अधिक समय, प्रयास तथा शक्ति का उपयोग करें। उस क्षेत्र में 85,000 युवक और युवतियां बेरोजगार हैं और उस क्षेत्र के लिए हमारे पास बहुत सी योजनाएं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : उन क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र में आप क्यों नहीं अखबारी कागज उद्योग लगाते हैं ?

श्री एस. एम. कृष्ण : 'हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन की जो एक भारत सरकार का उपक्रम है की 2 तिहाई से अधिक पूंजी निवेश पूर्वोत्तर क्षेत्र में है दो विशाल बड़ी पेपर मिलें कचार तथा नवगांव में स्थापित हो रही हैं यह भी पूर्वोत्तर में ही है। एक और नागालैण्ड में लगाई गई है। इन परियोजनाओं को लगाने में जिसके कारण हैं कुछ परिवहन सम्बन्धी अड़चनों गडबडियों तथा विभिन्न अन्य कारण से कुछ विलम्ब हुआ है। किन्तु सच यह है कि भारत सरकार ने उस विशेष क्षेत्र में पूंजी निवेश किया है और उस क्षेत्र में और अधिक निवेश करना चाहती है, यह इस पर निर्भर करता है कि भारत सरकार द्वारा वहां चलाई गई विभिन्न योजनाओं पर किस प्रकार की प्रतिक्रिया होती है।

7.00 म. प.

सरकारी क्षेत्र के निवेश खासतौर पर हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन में जो कि पहले ही घाटे में है, हम उसमें और पूंजी निवेश नहीं कर सकते। सम्भवत: हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन की नीति यह है कि जो कुछ उन्होंने निवेश किया है उसे दृढ़ बनाये ताकि, जैसा कि अभी एक घन्टा पहले वित्त मन्त्री नारे दे रहे थे, हमें किये गये पूंजी निवेश पर उचित लाभ की आशा

करनी चाहिये चाहे यह निवेश पूर्वोत्तर में, पश्चिम, उत्तर अथवा पूर्व में हो। अतः और अधिक पूंजी निवेश करने के प्रश्न पर टिप्पणी करना असामयिक होगा।

श्री मेहता का यह मुद्दा कि बिहार खनिज, जनशक्ति तथा राजनैतिक प्रतिभा में समृद्ध है, मैं कहूंगा कि केन्द्र सरकार द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों में बिहार में मार्च 1983 के अन्त तक 4,692 करोड़ रुपये मूल्य की पूंजी निवेश किया गया है जो कि मुझे बताया गया है कि यह सभी राज्यों में सबसे अधिक है। इसलिये मेरे विचार से प्रोफेसर मेहता को हम विषय पर कोई भी शिकायत नहीं होनी चाहिए।

फिर भी उन्होंने अधिकार शुल्क के लिए ये भी सुझाव दिए हैं मेरे विचार से उनका तर्क यह है कि जो अधिकार शुल्क दी जाती है उस पर कोई इसमें अंतग्रस्त विभिन्न घटकों पर विचार कर दी जानी चाहिए।

प्रो. अजित कुमार मेहता : उस राज्य में उन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के मुख्यालयों को स्थापित करने के बारे में क्या विचार है ?

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : कलकत्ता के पश्चिम की स्थिति अधिक अच्छी है।

प्रो. अजित कुमार मेहता : इसीलिए मुख्यालय के सभी लाभ बिहार को नहीं मिला पाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह नीति सम्बन्धी मामला है, वह इस पर किस प्रकार बोल सकते हैं ?

प्रो. अजित कुमार मेहता : यह ठीक है, परन्तु इस नीति की वजह से हमें जितना लाभ मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है।

श्री एस.एम. कृष्ण : महोदय, हम पर निरन्तर प्रहार किए जा रहे हैं। पिछले दिनों हम पर प्रहार किया गया था कि हम सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के रोजाना के प्रशासन में हस्तक्षेप करते हैं। विपक्षी सदस्य चाहते हैं कि सरकारी क्षेत्र को पूर्ण स्वयत्तता मिले और हमारे किसी हस्तक्षेप के कार्य करे इसलिए ये ऐसे विषय है जिन्हें सम्बद्ध सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा हल किया जाना चाहिए। अगर मुख्यालय को पटना में रखने से फायदा है तो उन्हें इसे पटना में स्थानांतरण कर देना चाहिये। किन्तु निर्णय उपक्रम विशेष को स्वयं ही लेना चाहिए।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, श्री अजय विश्वास आपको बता रहे थे कि त्रिपुरा में एक जूट मिल को, जो कि सरकार ने चलाई थी, कई लाख रुपये व्याज का भुगतान करना है, क्या केन्द्र सरकार इसे ऋण नहीं दे सकती ?

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, इसका वचन मैं यहां नहीं दे सकता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जा सकता है।

श्री एस.एम. कृष्ण : महोदय, यह ऐसा विषय है जिसे संबंधित उद्योग मंत्री अथवा त्रिपुरा के मुख्य मन्त्री को अपने समकक्ष मन्त्री के साथ उठाना चाहिए।

प्रो. अजित कुमार मेहता : महोदय, मैंने बिहार के उत्तरी भाग में संचार सुविधाओं के अभाव के बारे में कहा है। मैंने एक उदाहरण दिया है कि थारबेट्टा तथा निरमाली ये दो स्थान हैं जो सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। किन्तु निरमाली से थारबेट्टा जाने के लिए 300 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करनी होती है अगर कोई देश की सीमा इस ओर से जाता है। किन्तु अगर कोई सीमा को पार करता है और नेपाल जाता है, तो उसको 100 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करनी होगी। इसलिए उन भागों में संचार सुविधाओं में सुधार करने के लिए सड़कों के निर्माण आदि के लिए सरकार क्या कदम उठायेगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप यह सब बातें संचार मन्त्री जी को बता सकते हैं।

अब मैं वर्ष 1983-84 की अनुदानों (सामान्य) की अनुपूरक मांगों को सभा में मतदान हेतु रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के संबंध में 31 मार्च 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिये कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

मांग संख्या : 3, 6, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19. 20, 21, 22, 24, 25, 26, 32. 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 88, 91, 94, 95, 96, 103, 104, 105, 107 तथा 108.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं वर्ष 1981-82 के लिए अतिरिक्त अनुदानों (सामान्य) की मांगों को सभा में मतदान हेतु रखता हूं। प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के संबंध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान सम्बन्धित अनुदानों से अतिरिक्त राशि को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राशियों से अनधिक संबंधित अतिरिक्त राशियां भारत को संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें,।"

मांग संख्या : 12, 15, 18, 20, 21, 24, 32, 53, 55, 56, 91 तथा 103"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विनियोग विधेयक 1984*

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एम. कृष्ण) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1983-84 की सेवाओं के लिए भारत का संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1983-84 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

श्री एस.एम. कृष्ण : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं

मैं प्रस्ताव करता हूं** :—

"कि वित्तीय वर्ष 1983-84 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि वित्तीय वर्ष 1983-84 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ करेंगे ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक अंग बनें"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक में जोड़ दिए गए

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि खंड 1 अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

*दिनांक 14-3-1984 के भरत के असाधारण राजपत्र भाग 2, खंड 2 में प्रकाशित ।

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पु:स्थापित किया गया/प्रस्ताव किया गया ।

खंड 1 अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए :

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस, एम. कृष्ण) : श्रीमन् । मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

विनियोग (संख्यांक २) विधेयक 1984)

श्री एस. एम. कृष्ण : श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मार्च 1982 के 31वें दिन को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर खर्च की गई उन रकमों को पूरा करने के लिए, जो उस वर्ष के लिए और सेवाओं के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक हैं । भारत की संचित विधि में से राशियों का विनियोग प्राधिकृत करने के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ।

कि मार्च, 1982 के 31वें दिन को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर खर्च की गई उन रकमों को पूरा करने के लिए, जो उस वर्ष के लिए, और सेवाओं के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक हैं, भारत की संचित निधि में से राशियों का विनियोग प्राधिकृत करने के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री एस. एम. कृष्ण : श्रीमन् मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं *।*
श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं ; **

"कि मार्च 1982 के 31वें दिन को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर खर्च की गई उन रकमों को पूरा करने के लिए जो उस वर्ष के लिए और सेवाओं के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक है । भारत की संचित निधि में से राशियों का विनियोग प्राधिकृत करने लिए उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

कि मार्च, 1982 के 31वें दिन को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं

**भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2 खण्ड 2 में प्रकाशित ।
**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित किया गया/प्रस्ताव किया गया

पर खर्च की गई उन रकमों पूरा करने के लिए, जो उस वर्ष के लिए और उन सेवाओं के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक है, भारत की संचित निधि में से राशियों का विनियोग प्राधिकृत करने के लिए उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ करूंगा ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 तथा अनुसुची विधेयक के अंग बनें"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

"खंड 2 से 3 तथा अनुसूची विधेयक में जोड़ दिए गए"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि खंड 1 अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 1 अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

श्री एस. एम. कृष्ण : श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूँ

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटासिंह) : श्रीमन्, जैसाकि आपने आज बाद-विवाद के दौरान कहा । यदि कल हम थोड़ी देर तक बैठकर कार्य समाप्त कर देंगे तो परसों छुट्टी का दिन घोषित कर दिये जाने में हमें कोई आपत्ति नहीं है । मुझे विश्वास है कि सभा मेरे साथ सहमत होगी क्योंकि यह मांग विपक्ष की ओर से ही आयी थी । अतः विपक्ष की इच्छा को ध्यान में रखते हुए हम कल निर्णय करेंगे और कार्य को इस प्रकार से समायोजित करेंगे कि परसों छुट्टी का दिन घोषित किया जा सके ।

श्रीमन्, मैं कल अगले सप्ताह का कार्य भी घोषित कर दूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कल समझता हूं कि विपक्ष का भी इसमें सहयोग मिलेगा क्योंकि जब मैंने प्रो. चक्रवर्ती से अनुरोध किया कि अनुपूरक मांगों को आज ही समाप्त करना होगा तो वह तुरन्त सहमत हो गए थे । बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : यह सहमति हो गयी थी कि शुक्रवार की छुट्टी रहेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि अगले दिन लिया जाने वाला विद्यार्थी कार्य वह कल घोषित करेंगे।

श्री बूटा सिंह : मैं कार्य कल घोषित करूंगा।

कुछ माननीय सदस्य : हम सहमत हैं।

7.12 म. प.

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 15 मार्च, 1984/25 फाल्गुन, 1905 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

गुप्ता प्रिंटिंग वर्क्स साईकिल मार्किट दिल्ली-6